त्रयोदश माला, खंड 8, अंक 9

सोमवार, 31 जुलाई, 2000
9 श्रावण, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

FOR REFFRNCE ONLY.

चौथा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

NOT TO BE ISSUED

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. ...
Date ... 14/6/07

(खण्ड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

जे०एस० वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 8, चौथा सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 6, सोमवार, 31 जुलाई, 2000/9 श्रावण, 1922 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	102, 103 और 105	1-24
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	101, 104 और 106 से 120	24-53
अतारांकित प्रश्न संख्या	1092 से 1321	53-346
सभा पटल पर रखे गए पत्र		347-348
राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक		385
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक)	मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम भोपाल को वर्ष 2000-2001 के लिए देय अनुदान राशि जारी किए जाने की आवश्यकता श्रीमती जयश्री बैनर्जी.	386
(दो)	मध्य प्रदेश के बिलासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक मेडिकल कालेज खोलने के लिए स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता श्री पुन्नू लाल मोहले	386
(तीन)	चिनाब नदी पर पुल के निर्माण को शीघ्र पूरा करने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता वैद्य विष्णु दत्त शर्मा	386
(चार)	उड़ीसा के क्योंझर जिले को दूरसंचार जिला घोषित किए जाने की आवश्यकता श्री अनन्त नायक	387
(पांच)	पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के दोमकोल, लालबाग और करीमपुर कस्बों में रसोई गैस के नए बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता श्री मोइनुल हसन	387
(छह)	उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 42 और 200-ए को जोड़ने वाली नीलकंठपुर भवन सड़क पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता श्री के०पी० सिंह देव	388
(सात)	बिहार के सहरसा शहर में एक उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता श्री दिनेश चन्द्र यादव	389

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(आठ) *अमरनाथ यात्रियों को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता*	
श्री सुदीप बंद्योपाध्याय	389
(नौ) बिहार के चहुँमुखी विकास के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की घोषणा किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुकदेव पासवान.	390
(दस) पर्यटन स्थल वलपराई के चहुँमुखी विकास के लिए तमिलनाडु सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
डा० सी० कृष्णन	390
मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री लालकृष्ण आडवाणी	392
श्री श्यामाचरण शुक्ल	395
श्री पुन्नू लाल मोहले	402
श्री बाजू बन रियान.	405
श्री इन्द्रजीत गुप्त.	408
श्री पी०आर० खूँटे . .	410
कुंवर अखिलेश सिंह	414
डा० चरण दास महन्त.	417
कुमारी मायावती	421
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह	423
श्री चन्द्र प्रताप सिंह.	430
श्री सुन्दर लाल तिवारी	431
श्री ताराचन्द साहू	433
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी .	435
श्री हरिभाऊ शंकर माहले	437
खण्ड 2 से 86 और खंड 1	441
पारित करने के लिए प्रस्ताव . . .	446

लोक सभा

सोमवार, 31 जुलाई, 2000/9 श्रावण, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजकर 01 मिनट पर समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, हाउस की सारी घड़िया बंद पड़ी हैं, यह क्या हो रहा है ?

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : पार्लियामेंट कैसे चलती है, यह उसका एक उदाहरण है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : संसद भवन की सभी घड़ियों में कुछ खराबी है। इस पर कार्य चल रहा है।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सरकार की घड़ी तो बंद है, लेकिन अब यहां की घड़ी भी बंद हो गई।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : घड़ी तब से बन्द हो गई, जब से श्री शरद पवार जी के पास घड़ी आ गई।

[अनुवाद]

श्री के०एच० मुनियप्पा (कोला) : महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस संबंध में मुझसे मिले थे। मैं आपको शून्य काल के दौरान अनुमति दूंगा।

श्री डी०सी० श्रीकांतप्पा (चिकमंगलूर) : डा० राजकुमार और चार अन्य को कर्नाटक में अपहरण कर लिया गया है। कर्नाटक सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असफल रही है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या - 101 - श्री बसनगौडा पाटिल - उपस्थित नहीं हैं।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : ऐसा लगता है कि मंत्रीजी इस का उत्तर देना नहीं चाहते थे।

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा हो।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, आप मुझे इस प्रश्न को उठाने की अनुमति प्रदान करें।

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त आधारभूत ढाँचा उपलब्ध नहीं हैं। मैं मंत्रीजी से अनुरोध करूँगा कि वे इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा के लिए सहमत हों।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का उत्तर दिए बिना आधे घंटे की चर्चा करना संभव नहीं है।

श्री अनिल बसु : यदि सदस्य अनुपस्थित हैं तो अध्यक्ष पीठ को प्रश्न पूछने के लिए अनुमति प्रदान करने का विवेकाधिकार प्राप्त है।

श्री के० येरननायडू : महोदय, मंत्रीजी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, अध्यक्ष पीठ को प्रश्न पूछने के लिए अनुमति प्रदान करने का विवेकाधिकार प्राप्त है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्रीजी, क्या आप चर्चा के लिए तैयार हैं?

श्री राम विलास पासवान : मै इस के लिए तैयार हूँ, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर आधे घंटे की चर्चा करेंगे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पूर्वाह्न 11.04 बजे

[अनुवाद]

एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स को घाटा

+

***102. श्री टी० गोविन्दन :**
श्री आर०एल० भाटिया :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को अलग-अलग कितनी धनराशि का घाटा या लाभ हुआ और उसके कारण क्या हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान उनके कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, परिलब्धियों और अन्य सुविधाओं में की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है एवं इस वृद्धि का इन एयरलाइनों के बजट पर अलग-अलग कुल कितना वित्तीय बोझ पड़ा है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के विमान काफी पुराने हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ.) इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया में ऐसे विमानों की संख्या कितनी है जो पहले ही अपनी अधिकृत उड़ान क्षमता अवधि पूरी कर चुके हैं और अभी भी सेवा में लगे हुए हैं;

(च) क्या इन पुराने विमानों का संचालन उनमें यात्रा करने वाले यात्रियों के जीवन के लिए काफी जोखिमपूर्ण है;

(छ) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया के लिए नए विमानों की खरीद का कोई प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क), से (ज) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	एअर इंडिया हानि	इंडियन एयरलाइंस निवल लाभ
1997-98	181.01	47.27
1998-99	174-48	14.17
1999-2000 (अनंतिम)	75.30	39.25

इंडियन एयरलाइंस वर्ष 1997-98 से लाभ कमा रही है। तथापि एअर इंडिया वर्ष 1995-96 से ब्याज तथा नए विमानों पर मूल्यह्रास के फलस्वरूप व्यय में वृद्धि होने की वजह से मार्किट में बाधित रियायतें देने तथा प्रचालनों की लागत में वृद्धि होने की वजह से आय में कमी, वेतन बिल तथा अन्य स्टाफ संबंधी लागत में वृद्धि और लैडिंग, हैंडलिंग व नेवीगेशनल प्रभारों में वृद्धि, रुपए की कीमत में गिरावट, आदि की वजह से घाटे में चल रही है।

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के स्टाफ का वेतन एवं भत्तों के संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	इंडियन एयरलाइंस के स्टाफ को प्रदत वेतन व भत्ता/भविष्य निधि अंशदान राशि तथा ग्रेच्युटी	एअर इंडिया के स्टाफ को प्रदत वेतन एवं भत्ता आदि
1	2	3
1995-96	474.94	532.25
1996-97	604.15	618.49
1997-98	694.18	742.23
1998-99	751.83	850.56
1999-2000 (अनंतिम)	788.00	885.55

(ग) से (ज) एअर इंडिया के विमान बेड़े में 23 विमान शामिल हैं जिनकी औसत आयु 12.9 वर्ष की है जबकि, इंडियन एयरलाइंस/एलायंस एयर के विमान बेड़े में 53 विमान शामिल हैं जिनकी औसत आयु 13.4 वर्ष की है।

विमानों की उपयोग संबंधी कोई कालावधि नियत नहीं है। कोई भी विमान उस समय तक प्रचालन सेवा में बना रह सकता है जब तक डीजीसीए द्वारा उसे उड़ान योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र दिया जाता है।

इंडियन एयरलाइंस ने पहले ही अपने विमान बेड़े के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए नए विमानों की खरीद करने संबंधी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त, एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस दोनों विमानकंपनियां अपनी-अपनी तत्काल जरूरतों की पूर्ति हेतु ड्राईलीज पर विमान खरीदने संबंधी योजना बना रही हैं।

श्री टी० गोविन्दन : महोदय, सभा पटल पर रखा गया विवरण व्यापक नहीं है। एयर इंडिया के घाटे की स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं की गई है।

यदि इसकी तुलना विदेशी विमान सेवाओं से करें तो एयर इंडिया अपनी उड़ानों की समय सारिणी को कायम रख पाने में सक्षम नहीं है यात्री अपनी यात्रा के लिए इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया पर भरोसा नहीं करते हैं। इन एयरलाइंसों द्वारा घाटा उठाए जाने का मुख्य कारण यही है। सरकार द्वारा इन एयरलाइन्सों को सही ढंग से चलाने और लाभप्रद बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है? क्या सरकार को खाड़ी के कर्मचारियों से यह शिकायत प्राप्त हुई है कि टिकट का शुल्क बहुत अधिक और अनुचित है?

क्या माननीय मंत्रीजी का विचार उन गरीब कर्मचारियों और कामगारों के टिकट शुल्क को कम करने का है जो विदेशों में कार्य कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, इंडियन एयरलाइन्स की फ्लीट में स्वर्गीय राजीव गांधी ने ए-320 एयरबस का पर्चेज किया। उसके बाद कोई नयी पर्चेज नहीं हुई और हमारी फ्लीट का कोई ऐक्सपेंशन नहीं हुआ। पिछले साल अप्रैल 1999 में हमने यह प्रोसेस शुरू किया था फ्लीट ऐक्सपेंशन का। अगस्त में देश में चुनाव आ गए। फाइनेन्शियल बिड खुल गया था और इसके बाद उसको क्लोज करना पड़ा। हम

मानते हैं कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि एयर इंडिया को जितना बढ़िया परफॉर्मेन्स करना चाहिए वह नहीं कर रही है, उसके कई कारण हैं। मैं उन कारणों को विस्तार से बता देना चाहता हूं जिससे आगे के सवालों में माननीय सदस्यों को सहूलियत हो जाए। पहला यह है कि जो हमारी फ्लीट है, उसका ऐक्सपैन्शन नहीं हुआ है। यह फ्लीट 53 की है। उसमें अधिकांश एजेड हैं?

श्री शरद पवार : यह किसके बारे में बता रहे हैं?

श्री शरद यादव : यह इंडियन एयरलाइन्स का बता रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री के० येरननायडू : यह इंडियन एयरलाइन्स और एलाइन्स एयर के बारे में है *(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : उनका प्रश्न एयर इंडिया के बारे में है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : एयर इंडिया के बारे में बता देता हूं। वैसे प्रश्न में दोनों के बारे में सवाल पूछे गए हैं। एयर इंडिया की फ्लीट हमारे पास 23 है। बी-747-100 छः हैं। बी-747-300 दो हैं। बी-747-200 चार हैं। बी-300 बी-4 तीन है। ए-310-300 आठ है। कुल मिलाकर 23 हैं। इसमें भी जो समस्या है वह इसलिए है कि फ्लीट ऐक्सपैन्शन इसका बरसों से नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : शरद जी, माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि एयर इंडिया टाइमिंग्ज मेनटेन नहीं कर रही है।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया अपनी उड़ानों की समय सारिणी का सही ढंग से पालन नहीं कर रही है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि जो टाइमिंग्ज की पंक्चुऐलिटी है, उसके मामले में हम कई तरह से प्रयास कर रहे हैं और अप टु द मार्क नहीं हैं। हमारी कोशिश है कि उसको वाजिब तरीके से पूरा किया जाए। उसके पीछे कारण यह है कि फ्लीट बहुत छोटी है। ऐक्सपैन्शन नहीं हुआ है, एयरक्राफ्ट हमारे पास नहीं है। हम ड्राईलीज पर पांच एयरक्राफ्ट ले रहे हैं और जो समस्या वक्त की बता रहे हैं, निश्चित तौर पर जो पुरानी फ्लीट होती है, तो उसमें स्नैग ज्यादा होते हैं। कई बार हमारे जो लेबर लॉज हैं, उसमें जो वर्कफोर्स है उसके ऊपर कभी-कभी कड़ाई के साथ काम करने में पंक्चुऐलिटी कायम करने में दिक्कत आती है। पिछले दस महीने से हम यहां हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि इसमें जितने सुधार हो सकते हैं, वह करने की कोशिश हम लोग करें।

[अनुवाद]

श्री टी० गोविन्दन : महोदय, विमान बेड़े में अधिकांश विमान 18-20 वर्ष पुराने हैं। इस प्रकार के विमान किसी भी अन्य देश में परिचालन में नहीं हैं। सरकार और नागर विमानन मंत्रालय अभी तक विमान सेवा में इन पुराने विमानों का उपयोग क्यों कर रहे हैं? यात्रियों और उनके परिवारों के मन में असुरक्षा की भावना है। सरकार और माननीय मंत्रीजी के विचार में इसका क्या निदान है?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले सवाल का जवाब दे रहा था। मेरा कहना है कि इस समय एयर इंडिया पंक्चुऐलिटी में दूसरे एयरलाइन्स के मुकाबले 95 प्रतिशत है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : महोदय, उड़ानों को बिना किसी सूचना के रद्द कर लिया जाता है और यात्रियों के साथ धोखा होता है। *(व्यवधान)*

हम माननीय मंत्री जी से सही सूचना चाहते हैं। यात्रियों के साथ धोखा होता है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : माननीय सदस्य ने जो बात पूछी थी, उसका मैंने जवाब देना शुरू किया था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 1953 से यह अकेला ऐसा विभाग है जिसको बजटरी सपोर्ट का एक पैसा भी नहीं मिला *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी०गोविन्दन : सरकार पुराने विमान को क्यों रखे हुए है? यही विशेष प्रश्न मैंने पूछा हैं।

[हिन्दी]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : जितने भी पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको आप वापिस क्यों नहीं लेते?

श्री शरद यादव : मैं एक-एक सवाल का जवाब दूंगा। सबसे पहले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। जितने भी पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं, उसके संबंध में मैं यह बताना चाहूंगा कि एयर इंडिया में 23 एयर क्राफ्ट्स हैं! बी-747-406, बी-747-302 है। इनकी ऐज भी मैं आपके सामने रख देता हूं। *(व्यवधान)*

श्री अबुल हसनत खां : जो एयरक्राफ्ट्स 20 साल पुराने हैं, उनके बारे में आप बोलिये। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी० गोविन्दन : मुझे दुख है। मैं टिकट की उच्च दरों से संबंधित खाड़ी देशों में कार्यरत हमारे गरीब देशवासियों की शिकायत से संबंधित एक साथ उत्तर की अपेक्षा रखता हूं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : मैं इनकी ऐज भी बता दूं तो ठीक रहेगा। *(व्यवधान)*

श्री राव्जे सिंह : मैं कहना चाहता हूं कि एयर इंडिया में चार एयर क्राफ्ट्स 20 साल पुराने हैं। बी-747-300, 11 साल पुराना है। बी-74-400, पांच साल पुराना है। ए-300 बी-4, 17 साल पुराना है। ए-310-300, 13 साल पुराना है। इनकी एवरेज 23 है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सब मैम्बर्स यह पूछना चाहते हैं कि इनको बदलने के लिए आप क्या स्टेप उठा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : अब हम संतुष्ट है। अगले प्रश्न पर विचार करें।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : इस साल हमारी यह कोशिश थी कि जो पुराने जहाज हैं, उनके रिप्लेस करें और उनकी जगह नये जहाज लाकर फ्लीं का एक्सपेंशन करें। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अबुल हसनत खां : ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मानदंड है जो विनिर्दिष्ट करते हैं कि पुराने विमान को विमान बेड़े से हटाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : यह कोई इंटरनैशनल नार्म्स नहीं है। आप यह बात जान लीजिए कि सिविल ऐवीयेशन आर्गनाइजेशन में ऐज का कोई बार नहीं है अभी जिस जहाज का लेटेस्ट एक्सीडैंट हुआ है, वह 20 साल पुराना है। आपका जो कहना है, वह ठीक नहीं है। *(व्यवधान)* मैं मानता हूं कि नया जहाज नया होता है और पुराना जहाज पुराना होता है। यह ठीक है कि पुराने एयर क्राफ्ट्स को मेनटेन करने और उसके फ्यूल वगैरह में खर्चा भी ज्यादा आयेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो फ्लीट ऐक्सपैन्शन है, हमने अभी यह कोशिश की है कि पांच जहाज ड्राय लीज पर ले रहे हैं। एयर इंडिया दुनिया की बीस बैस्ट एयरलाइन्स में आती थी। आज उसकी बुरी हालत है। निश्चित तौर पर हम जो फ्लीट ऐक्सपैन्शन नहीं कर सके हैं, उसके कई रीजन्स हैं। हमें फाईनेन्शियल सपोर्ट नहीं है, एक हजार करोड़ रुपये इन्फ्यूजन करने के लिए डिसइन्वैस्टमैंट कमीशन ने कहा था, वह नहीं मिला। इसलिए हम उसे ऐक्सपैंड नहीं कर सकते विनिवेश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। कोई उसका मैनेजमैंट ठीक से कर सके, इसलिए हम यह कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, यह प्रश्न बहुत अहम है और मेरी आपसे विनती है कि यदि सप्लीमैंट्री पूछने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा समय मिले तो अच्छा होगा। राजीव गांधी जी ने हमारे देश की सिविल एविएशन अच्छी बनाने के लिए नैशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, वायुदूत, पवन हंस और इंदिरा गांधी उड़ान ऐकडैमी बनाई थी और हमारे देश को ज्यादा हवाई जहाज प्राप्त कराने के कदम उठाए थे। यह देखा जाता है और मुझे भी बताया जाता है कि आज भी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से टैक्स वगैरह सब देकर सरकार को 230 करोड़ रुपये नेट प्रॉफिट के रूप में दिए जाते हैं। इसके बावजूद भी आज हम देख रहे हैं कि हमारे एयरपोर्ट्स को प्राईवटाइज करने की बात हो रही है। इंडियन एयरलाइन्स, जो प्रॉफिट कर रही है, उसे भी प्राईवटाइज करने की बात कर रहे हैं और एयर इंडिया, जो जहाज लेने की वजह से, उसके पैसे बजट में नहीं जाते, एयर इंडिया जो कमाती है, उसे वापिस देते हैं, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है, इसके बाद भी प्राईवटाईजेशन की बात हो रही है। इंटरनैशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंटरनैशनल एयरपोर्ट्स को देखती है, वह करीब-करीब 200 करोड़ रुपये प्रॉफिट के रूप में सरकार को देती है। इसके बाद भी मुम्बई, दिल्ली कलकत्ता के एयरपोर्ट्स को प्राईवटाइज करने की बात चल रही है। अगर प्राईवटाइज करना है तो मुम्बई में मेन लैंड पर 2000-3000 हैक्टेयर जमीन देकर किसी भी आदमी को इंटरनैशनल एयरपोर्ट प्राईवटाइज करने के लिए कहा जा सकता है। दिल्ली में भी कहा जा सकता है, कलकत्ता में भी कहा जा सकता है। यह न करने के बजाए जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, जिसकी जमीन की कीमत करोड़ों रुपयों में है और हर जमीन की कीमत सोने की कीमत है? उसे प्राईवटाइज करने की बात हम आज सुन रहे हैं। आप हमको कहते हैं कि अपना डैफीसिट कम करने के लिए यह कर रहे हैं, क्या ये आपको प्रॉफिट देने वाले पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, इसे इस प्रकार प्राईवटाइज करके डैफीसिट करने की बात आप कर रहे हैं। सरकार अच्छा चलाकर, ज्यादा कमाकर और खर्च कम करने की बात नहीं कर रही है, यह बात हमें अच्छी नहीं लगती। मंत्री जी, हम आपसे थोड़ा सा विस्तार में जानना चाहेंगे और इसलिए क्वश्चन आवर में जानना चाहेंगे क्योंकि यह कभी भी चर्चा के लिए नहीं आता, बजट में चर्चा के लिए नहीं आता, किसी दूसरे स्वरूप में भी चर्चा के लिए नहीं आता, हम जानना चाहेंगे कि हमारे देश के नेताओं ने एक ऐसी चीज, जिसकी वजह से इंडस्ट्री हर गांव तक पहुंचे, जिसकी वजह से नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स को आने-जाने की सहूलियत हो, ऐसा करने वाली चीज को रोक कर दूसरों के हाथ में देकर, वायुदूत बंद करके आप नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नहीं जा रहे हैं, पवन हंस बंद करके आप हैलीकॉप्टर नहीं दे रहे हैं, यह जो पॉलिसी है, क्या यह दुरूस्त है और यदि है तो कैसी है, हमें समझाइए?

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, आदरणीय शिवराज जी की एविएशन के मामले में गहरी रुचि और जानकारी है। मैं आपके माध्यम से यह कन्फेस करता हूं कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इस विभाग को बरेली एकेडमी से लेकर ए-320 तक काफी एक्सपैंड किया। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं कि हम इस जगह पर पहुंच गये हैं कि प्राइवेट सैक्टर में चाहें तो दुनिया भर से एक मिनट में जहाज खरीदकर ला सकते हैं, लेकिन हमारा प्रोसेस में इतना लम्बा समय लगता है कि ए-320 की सी.बी.आई. इन्क्वायरी चल रही है। शिवराज जी के सवाल का विस्तार से जवाब हो, चूंकि यह विषय बहुत लम्बा है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे पास पांच कारपोरेशंस हैं, एयरपोर्ट एथारिटी, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, होटल कारपोरेशन और

पवनहंस। शिवराज जी ने बहुत से सवाल पूछे हैं, उसमें इन बातों के रखने के बाद उन सवालों का ठीक से जवाब दिया जा सकता है। एयरपोर्ट एथारिटी का प्रोफिट 211 करोड़ रुपये है, पवनहंस का प्रोफिट 65 करोड़ रुपये है, इंडियन एयरलाइंस का प्रोफिट इस साल 29 करोड़ रुपये है, पिछले साल यह 64 करोड़ रूपये था। एयर इंडिया के लॉसेज पिछली बार 175 करोड़ रुपये थे, उसको घटाकर हमने 75 करोड़ रुपये कर दिया है। मैं सोचता हूं कि साल के अन्त तक हम 40 करोड़ रुपये उसको कर देंगे। होटल कारपोरेशन में हमने 100 कमरे रेनोवेट कराये हैं, इसके चलते 1.5 करोड़ रुपये के लासेज हैं। ये पांच कारपोरेशंस हैं, जिनके बारे में सवाल माननीय शिवराज जी ने पूछा है कि ये बहुत प्रोफिट वाले हैं। मैंने आपसे कहा कि 1953 से हमने हजारों करोड़ रुपया एक्सचेकर को इस विभाग ने कमाकर दिया है। मैं तो दस महीने से आया हूं, लेकिन इस देश में कोई भी सरकार रही हो, उसने इस विभाग को जिस हालत में चलाया है, हमने बहुत बड़ा इनफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। आज सिर्फ 13 एयरपोर्ट हमारे पास प्रोफिट में है, लेकिन हिन्दुस्तान के कारगिल से लेकर नोर्थ ईस्ट तक इनसे कमाकर हम देते हैं। आज इंडियन एयरलाइंस में फ्लीट पुराना हो गया है, बहुत सी चीजें हैं, उनकी आलोचना होनी चाहिए, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। मैं पूरे सवालों के जवाब देने को तैयार हूं। अगर कोई दिक्कत है, कोई गलती है तो मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब साइक्लोन उड़ीसा में होता है, जब कुवैत और ईराक में वार के चलते लोग वहां फंस जाते हैं, जब बाढ़ में या किसी और जगह कोई केलेमिटी हो जाती है तो इंडियन एयरलाइंस उनको मदद देने की सर्विस करती है, यही उन्हें इवेकुएट करती है। कोई प्राइवेट एयरलाइंस वहां नहीं जाती हैं।

रहा सवाल विनिवेश का तो यह बड़ा सवाल है। इस पर राज्य सभा में आज डिबेट चल रही है। मैं चाहता हूं कि देश भर में एविएशन पालिसी पर डिबेट की जाये। इसको मैं स्वीकार करता हूं, पर आप समय देंगे तो विस्तार से इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर मैं यह मानता हूं कि अब डिपार्टमेंट जो करने वाला है, उसमें हम भी विस्तार में लगे हैं। जैसा मैंने बताया कि चुनाव के चलते जो प्रक्रिया हमने शुरू की थी, उसमें फाइर्नेशियल बिड्स खुलने वाली थीं, लेकिन चुनाव के कारण वे वहीं की वहीं प्रक्रिया रुक गई। अब हमने अपने विभाग से कहा है कि हम इंडियन एयरलाइंस में नये जहाज खरीदना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, प्रश्न यह है कि इन सबके बावजूद क्या मंत्रीजी इच्छुक है कि इस क्षेत्र के विनिवेश और निजीकरण को जारी रखना चाहिए। मंत्रीजी को बिल्कुल स्पष्ट रूप से उत्तर देना चाहिए! हमें इस मामले पर एक पूर्ण चर्चा करनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मामला है श्री शिवराज वि. पाटिल का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : मैंने आपके माध्यम से कहा है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसको हाउस में डिसकस करने के लिए आप तैयार हैं।

श्री शरद यादव : जी हां। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस पर फुल डिसकशन कराएंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर सभा में चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : हम पूरी तरह से इस पर डिसकशन को तैयार हैं। अभी डिसइन्वैस्टमेंट पालिसी पर राज्य सभा में डिबेट चल रही है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आधे घंटे की चर्चा अलाऊ कर दी है, अब बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : महोदय, मंत्रीजी ने मूल प्रश्न का टाल मटोल किया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सभा में पूरी चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : यह फैसला आपकी सरकार के जमाने से चल रहा है। *(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : हवाई जहाज की सुविधा घट रही है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि इस पर आधे घंटे की चर्चा होगी। अब आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 103, श्री राजेन्द्रन।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेन्द्रन के भाषण के अलावा कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं होगा।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

स्वर्ण चतुर्भुज सड़क नेटवर्क

+

*103. श्री पी० राजेन्द्रन :
श्री रामदास आठवले :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रस्तावित स्वर्ण चतुर्भुज को चेन्नई से कन्याकुमारी, तिरूअनन्तपुरम्, कोचीन, मंगलोर, गोवा तथा मुंबई तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ''स्वर्ण चतुर्भुज सड़क नेटवर्क'' हेतु कितनी राशि आंबटित की गई और अब तक इस पर कुल कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) ''स्वर्ण चतुर्भुज सड़क नेटवर्क'' के कब तक आंरभ होने की संभावना है?

[हिन्दी]

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।?

(ग) स्वर्णिम चतुर्भुज के लिए अलग से धनराशि का आबंटन नहीं होता है अपितु राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए राज्य सरकार, भा०रा०रा०प्रा० आदि कार्यकारी एजेंसियों के आबंटन में ही ये भी शामिल है भा०रा०रा०प्रा० ने गत तीन वर्षों में स्वर्णिम चतुर्भुज पर 964 करोड़ रु० खर्च किए। इसके अतिरिक्त स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधी विभिन्न परियोजनाओं पर राज्य सरकारों के माध्यम से 710 करोड़ रु० खर्च किए गए।

(घ) स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है।

[अनुवाद]

श्री पी० राजेन्द्रन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि (व्यवधान)

श्री ए०सी०जोस : महोदय, सभा में घड़ी काम नहीं कर रही है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शुरूआत में ही इसको बताया जा चुका है।

श्री पी० राजेन्द्रन : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि कन्याकुमारी, त्रिवेन्द्रम, कोचीन, मंगलौर और गोवा के बरास्ते चेन्नई से मुंबई तक स्वर्ण चतुर्भुज का विस्तार करने के लिए, न सिर्फ केरल सरकार बल्कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के संसद सदस्यों की ओर से आए अनुरोध पर क्या कार्रवाई की जा रही है। पश्चिमी तट के कोचीन और मंगलौर जैसे दो प्रमुख पत्तनों की अनदेखी की जा रही है ये पर्यटकों के महत्व के प्रमुख स्थान हैं। मैं पश्चिमी तट की अनदेखी किए जाने के पीछे के तर्क को जानना चाहता हूं। सरकार के समक्ष अनेक प्रस्ताव आए हैं और संबंधित मंत्रीजी ने इन प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने का हमें आश्वासन दिया है। अब यह कहा जा रहा है कि यह विचाराधीन नहीं है। इसके पीछे क्या तर्क है?

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, गोल्डन क्वाड्रीलैटरल को कन्याकुमारी, तिरूअनतपुरम्, कोच्चि, मंगलौर, गोवा और मुम्बई तक एक्सटेंड करने की बात समय-समय पर इस सदन के माननीय सदस्यों ने रखी है। लेकिन हम लोगों ने इस देश के चार मैट्रोपोलिटन सिटीज दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, और चेन्नई को लगभग छः हजार किलोमीटर की फोर लेन की सड़क के माध्यम से जोड़ने का निर्णय लिया है। यह निर्णय टास्क फोर्स के द्वारा हुआ है। जहां तक माननीय सदस्य का कहना है कि हम इसकी महत्ता को नहीं समझते, मैं इसकी महत्ता से इनकार नहीं करता। इसका महत्व है।

जिन पोर्ट्स की आपने चर्चा की है, उन पोर्ट्स के महत्व को भी मैं स्वीकार करता हूं, इसीलिए हमारी नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ने यह भी फैसला किया है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से जहां तक पोर्ट्स को जोड़ा जा सकता है, पोर्ट्स को जोड़ा जाये और नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ने यह भी फैसला किया है कि सारे पोर्ट्स को जो जोड़ सकते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के साथ जोड़ेंगे और इस प्रकार 400 कि०मी० पोर्ट्स कनैक्टिविटी का काम भी एन. एच.ए.आई. के द्वारा किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री पी० राजेन्द्रन : महोदय, मैं मंत्रीजी से इस निर्णय पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। पश्चिमी तट की अनदेखी की जा रही है। पर्यटन के महत्व वाले स्थानों जैसे कोवलम्, कन्याकुमारी, त्रिवेन्द्रम, कोचीन, गोवा और अनेक अन्य पत्तनों की अनदेखी की जा रही है। वे सिर्फ पत्तनों को जोड़ने की बात स्वीकारते हैं। मैं सरकार से कृषि व्यावसायिक और और औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों को स्वर्ण चतुर्भुज से जोड़ने संबंधी प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : मैंने पहले ही कहा कि मैं उसके महत्व को नहीं नकारता हूं लेकिन टॉस्क फोर्स ने या हमने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के निर्माण का जो निर्णय लिया है, उसमें विशेष रूप से दो बातों को ध्यान में रखा है। एक तो ट्रैफिक डेंसिटी का और शौर्टेस्ट डिस्टेंस का लेकिन जिन क्षेत्रों की चर्चा यहां माननीय सदस्य कर रहे हैं, उस संबंध में यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि नेशनल हाइवे की तरफ से हमने यह फैसला किया है कि जहां पर नेशनल हाइवे की सड़कें जो कम से कम राइडिंग क्वॉलिटी की बन चुकी हैं, वहां की स्टैट गवर्नमेंट यदि चाहे तो नेशनल हाइवे की दूसरी सड़कों की भी स्ट्रैथनिंग और उसकी फोरलेनिंग कर सकती है। यदि वहां की स्टैट गवर्नमेंट चाहती है तो (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्रीजी के उत्तर के बाद अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्रीजी को अपना उत्तर पूरा करने दें।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : माननीय सदस्य ने पोर्ट्स और टयूरिस्ट सेंटर्स की चर्चा की है, मैं उनके महत्व को नहीं नकारता हूं लेकिन नेशनल हाइवे डैवलपमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की स्कीम टॉस्क फोर्स के द्वारा फाइनल की गई है, उसके मुख्य रूप से दो आधार रहे हैं। एक तो ट्रैफिक डेंसिटी जहां अधिक रही है और साथ ही दूसरा आधार यह रहा है कि शौर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कम से कम दूरी इन चार मैट्रोपोलिटन सिटीज को जोड़ने में आ रही थी, उसके आधार पर उसका एलाइनमेंट किया है। हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि अधिकांश इकॉनोमिक सेंटर्स भी इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम में आ जायें लेकिन जो इकॉनोमिक सेंटर्स और विशेष रूप से पोर्ट्स छूट रहे हैं, उनको भी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से जोड़ने का निर्णय हमारी एन०एच०ए०आई० ने किया है। अब उसका रिएलाइनमेंट फिलहाल संभव नहीं है।

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मंत्रीजी उत्तर दे रहे थे तब उन्होंने उल्लेख किया है कि सभी महत्वपूर्ण पत्तनों को स्वर्ण चतुर्भुज से जोड़ा जाएगा। इसलिए मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या गोपालपुर पत्तन को भी इससे जोड़ा जाएगा। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या गोपालपुर-रायपुर क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है और यह कब किया जाएगा क्योंकि यह कालाहांडी के के.बी.के. जिलों को जोड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : गोपालपुर मेजर पोर्ट नहीं है। यह माइनर पोर्ट है और माइनर पोर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट के जूरिसडिक्शन में आते हैं लेकिन यदि माननीय सदस्य लिखित रूप से मुझे सूचित करेंगे तो मैं विचार करूंगा।

[अनुवाद]

श्री ए०सी० जोस : महोदय, जब इस सभा में 12वीं लोक सभा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी तब हम सभी ने इसका विरोध किया था। मंत्रीजी ने अभी-अभी उत्तर दिया था कि कोचीन एक छोटा पत्तन है। लेकिन यह एक बड़ा पत्तन है और मंगलौर भी एक बड़ा पत्तन है। इस संबंध में हमारे मुख्य मंत्री ने केरल के पी डब्ल्यू डी मंत्री और संसद सदसयों के साथ प्रधान मंत्री जी से मुलाकात की थी।

प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ सभा के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी हमें एक औपचारिक आश्वासन दिया था कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग का कोचीन तक विस्तार किया जाएगा और इसमें मंगलौर को भी शामिल किया जाएगा। मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने केरल राज्य की पूर्णत: उपेक्षा की है। राष्ट्रीय राजमार्ग-17 को यह दर्जा तीस वर्ष पहले दिया गया है। अब भी यह प्राचीन अवस्था में है क्योंकि इसकी सीमा अभी भी निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे माध्यम से मात्र प्रश्न कर सकते है न कि अनुरोध।

श्री ए०सी० जोस : समस्या यही है कि आप कोई भी अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति हम लोगों को कभी नहीं प्रदान की। इसलिए मैने अनुरोध किया है।

मैं यह कह रहा था कि वहां राष्ट्रीय राजमार्ग-17 है। क्या वे कृपा पूर्वक हमें बताएंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग-17 के संबंध में है और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा केरल सरकार को दिये गये आश्वासन के संबंध में स्थिति क्या है। क्या उनके दस्तावेजों और रिकार्डों में कोई ऐसी चीज है? यदि हां, तो कृपया हमें बताएं।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रधान मंत्री जी के एश्योरेंस का प्रश्न है, इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ...(व्यवधान) जहां तक मैं जानता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है लेकिन केरल स्टेट को नैगलैक्ट करने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि कोचीन से लेकर सेलम तक लगभग 300 कि०मी० भी हमने एन.एच.डी.सी. के अन्तर्गत इंक्लूड किया है, इसे भी हमने शामिल किया है। इसके अतिरिक्त जिस मैंगलोर पोर्ट की आपने चर्चा की है, उस पोर्ट को भी हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से जोड़ रहे हैं लेकिन वह गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए०सी० जोस : कोचीन के बारे में क्या हुआ ?

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : कोचीन को तो मैंने कहा है कि कोचीन से लेकर सेलम तक 300 कि.मी. की रोड है, उसे भी एन.एच.डी.सी. के अन्तर्गत इंक्लूड कर लिया है और उसके अतिरिक्त मैंगलौर पोर्ट की भी आपने बात की है, उसे भी हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के साथ जोड़ रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमति मार्ग्रेट आल्वा : तटीय क्षेत्रों के आस-पास के प्रभावित अन्य लोग उतने मुखर नहीं हो सकते हैं जितने कि केरल के हमारे सहयोगी। लेकिन प्रधान मंत्रीजी को दिए गए संयुक्त ज्ञापन में हम

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभी शामिल हुए हैं। केरल, कर्नाटक, गोआ और हम सभी ने, जिन्हे छोड़ दिया गया है, कहा है कि इस पर पुनः से विचार किया जाना चाहिए और संपूर्ण तटीय क्षेत्र को संवर्ण चतुर्भुज का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। प्रधान मंत्रीजी ने बहुत ध्यानपूर्वक बात सुनी और कहा कि वे मामले को देखेंगे और इसके लिए वे कुछ करेंगे। मंत्रीजी का कहना है कि वे प्रधान मंत्री के आश्वासन के बारे में जानते तक नहीं।

मैं माननीय मंत्रीजी से सिर्फ यही पूछ रही हूं कि क्या वे समझते हैं कि मेंगलौर और करवार जहां नौसैनिक बंदरगाह बन रहा है जो एशिया में सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बन रहा है और गोवा बंदरगाह भी जो उतना ही महत्व का है उनके लिए उतने महत्व का नहीं हैं जैसा कि वे कुछ अन्य क्षेत्रों को समझते हैं। मैं मंत्रीजी से प्रबल आग्रह करती हूं कि जिस किसी भी अधिकारियों के कृतिक बल ने इस पर निर्णय किया है, यह राजनीतिक रूप से एक गलत निर्णय है।

हम मंत्रीजी से आश्वासन चाहेंगे, जैसा कि प्रधानमंत्री ने दिया है, कि इस प्रश्न पर पुनर्विचार किया जायगा और दक्षिण के इन अति-महत्वपूर्ण क्षेत्रों को स्वर्ण-चतुर्भुज के अंतर्गत लाया जायेगा। मैं मंत्रीजी से ऐसा आश्वासन चाहूंगी। आपके माध्यम से, मैं उनसे इस मुद्दे पर पुनर्विचार ने का और हमें अभी यह आश्वासन देने का अनुरोध करना चाहूंगी।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही कहा कि मैं इसके महत्व को नहीं नकारता हूं। जिन आधारों पर गोल्डन-क्वाड्रिलेटरल की स्कीम को फाइनल किया गया है, अब यदि यह आग्रह किया जाये कि उसके री-एलाइनमेंट पर विचार करें; तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह फिलहाल संभव नहीं है। मैंगलोर पोर्ट को *(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : आप साउथ को बिलकुल नैगलेक्ट कर रहे हैं। हम लोगों को बिलकुल छोड़ा जा रहा है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

हम केरल, कर्नाटक, गोवा और अन्य तटवर्ती क्षेत्रों की ऐसी उपेक्षा स्वीकार करने को तैयार नहीं! हमें उनसे यह आश्वासन अवश्य चाहिए कि वह इस पर पुनर्विचार करेंगे *(व्यवधान)*

आप एन.डी.ए. के लिए हम लोगों को बिलकुल छोड़ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : माननीय सदस्या ने यह कहा कि हम साउथ को नैगलेक्ट कर रहे हैं लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम के अंतर्गत नार्थ, साउथ, ईस्ट और वैस्ट कोरीडोर के अंतर्गत हमारे कई साउथ के स्टेट्स हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : पूर्व जल-भूतल मंत्री तमिलनाडु के थे। यही कारण है कि उन सब क्षेत्रों को तो शामिल कर लिया गया और हमें छोड़ दिया गया *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : महोदया, यह बात उचित नहीं है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, सरकार द्वारा हमारी बिलकुल उपेक्षा की जा रही है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं हैं। आप पूरक-प्रश्न कर रहीं हैं, लेकिन मंत्री को उत्तर नहीं देने दे रहीं। *(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, आपको हमारे हितों की भी रक्षा करनी होगी *(व्यवधान)*

श्री ए०सी०जोस : यदि स्वर्ण-त्रिभुज नहीं, तो हमें तांबे का त्रिभुज ही दे दीजिए *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार किसी भी राज्य के साथ किसी भी प्रकार का कोई डिसक्रिमिनेशन नहीं कर सकती है, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। अभी माननीय सदस्या ने कहा कि साउथ को नैगलेक्ट किया जा रहा है मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार साउथ को कितना महत्व देती है। नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट के अंतर्गत साउथ में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर सड़कें गुजर रही हैं।

[अनुवाद]

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : और केरल के बारे में? केरल भी भारत के दक्षिण में है *(व्यवधान)*

श्री राजनाथ सिंह : केरल के बारे मे मैंने बताया है, सेलम से लेकर कोचीन तक 300 किलोमीटर की सड़क को नेशनल हाइवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इन्क्यूड किया है।

[अनुवाद]

श्री के० येरननायडू : महोदय, मुझे भी एक छोटी सी बात कहनी है।

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, प्रश्न-काल में निवेदन की अनुमति नहीं है।

मलेरिया संबंधी मामले

*105. **श्री रघुनाथ झा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत में मलेरिया के उन्मूलन के पश्चात् झल के वर्षों में मलेरिया के मामलों में वृद्धि होनी शुरू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) मलेरिया से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन-कौन से हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा मलेरिया के नियंत्रण हेतु राज्यों को दी गई निधियों के दुरूपयोग किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) देश में मलेरिया उन्मूलन हेतु उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, नहीं। अप्रैल, 1977 से मलेरिया के नियंत्रण के लिए संशोधित कार्य योजना शुरू किए जाने से इस रोग की घटना को कम करके 1976 में दर्ज किए गए 6.47 मिलियन रोगियों के मुकाबले 1984 में 2.18 मिलियन रोगी कर दिया गया था। तब से मलेरिया की घटना हर वर्ष 2-3 मिलियन रोगियों के बीच नियंत्रित रही। मलेरिया की घटना में 1997 से कमी का रूझान रहा है।

(ग) पूर्वोत्तर राज्य और 7 प्रायद्वीपीय (पिनिसुलर)/जनजातीय प्रधानता वाले राज्य अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान मलेरिया की स्थानिकमारी वाले राज्य हैं। राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अधीन केवल 7 पूर्वोत्तर राज्यों जहां यह कार्यक्रम दिसम्बर, 1994 से पूर्णत: केन्द्रीय प्रायोजित है और संघ राज्य क्षेत्रों को नगद सहायता प्रदान की जाती है। शेष राज्यों को कोई केन्द्रीय नगद सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

राज्यों द्वारा केन्द्रीय निधियों के दुरुपयोग के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की हाल ही की रिपोर्ट में कुछ राज्यों में निधियों को निर्धारित कार्यकलापों से हटा कर अन्य तरह के व्यय में लगाने के कुछ मामलों का हवाला दिया गाय है।

(घ) मलेरिया के नियंत्रण के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- राष्ट्रीय मलेरियारोधी कार्यक्रम के अधीन सितम्बर, 1997 से मिले जुले उपायों के जरिए अतिरिक्त निवेश करके मलेरिया नियंत्रण कार्यकलापों को तेज करने हेतु सात प्रायद्वीपीय राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के उच्च मलेरिया स्थानिकमारी वाले जनजातीय प्रधानता वाले 100 जिलों में 1045 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और इन राज्यों तथा कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों में मलेरिया की उच्च स्थानिकमारी वाले 19 शहरों/कस्बों को कवर करते हुए विश्व बैंक सहायता से एक वृहत् मलेरिया नियंत्रण परियोजना का कार्यान्वयन।
- नवीनतर औषधों द्वारा जटिल रोगियों सहित मलेरिया के रोगियों का शीघ्र पता लगाने और तत्काल उपचार करने में तेजी लाना।
- उपर्युक्त कीटनाशकों और वैकल्पिक तथा एकीकृत वैक्टर नियंत्रण विधियों से चुनिंदा छिड़काव के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान करके वैक्टर नियंत्रण उपायों को तेज करना।
- तकनीकी अपेक्षाओं के अनुसार चुनिंदा इस्तेमाल के लिए सिंथेटिक पाइरेथ्रायड्स जैसे नवीनतर कीटनाशक का प्रयोग शुरू करना।
- जनजागरूकता और समुदाय भागीदारी के लिए सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलापों को तेज करना।
- सांस्थानिक और प्रबंध क्षमता का निर्माण, सभी स्तरों पर गहन पुनरभिविन्यास (रिओरिएन्टेशन) प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए जनशक्ति का विकास और दक्ष प्रबंध सूचना पद्धति।
- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन 7 पूर्वोत्तर राज्यों को दिसम्बर, 1994 से 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान करना।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सही है कि जो राज्य मलेरिया से प्रभावित रहे हैं, उन राज्यों में मलेरिया उन्मूलन हो गया था और उनमें फिर नए सिरे से और व्यापक ढंग से मलेरिया का प्रचार हुआ है? मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि बाहुल्य जनजाति क्षेत्रों के जिलों को इसमें सम्मिलित किया गया है। क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि बिहार के, विशेषकर उत्तर बिहार के, बहुत बड़े भू-भाग में मलेरिया फैला हुआ है, इसको रोकने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं?

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर मिनिस्टर, यह बिहार का मलेरिया है।

डा० सी०पी० ठाकुर : महोदय, पूरे देश में मलेरिया की बीमारी महामारी के रूप में फैली हुई थी और जब से मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम रखा गया, तब से उसमें कमी आई है। 1976 में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई थी, उसके बाद मलेरिया के दो कार्यक्रम चल रहे हैं, आपने जो जनजाति वाले क्षेत्र की बात कही है, वह वर्ल्ड बैंक से एसिस्टेड प्रोजैक्ट दक्षिण के जिलों में चल रहा है, लेकिन मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। अभी दस जिलों - रांची, लोहरदगा, गुमला, पूर्व और पश्चिम सिंहभूमि, दुमका, पलामू, साहिबगंज, गोड्डा और गढ़वा आदि - में मलेरिया उन्मलन कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ-साथ उत्तर बिहार में नवादा, रोहतास, तैमूर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, देवपुरा, गोड्डा, पलामू, धनवाद आदि जिलों में मलेरिया प्रकोप बढ़ा है। इसमें आपके जिले का भी नाम है। *(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में तो पूरे क्षेत्र में प्रकोप बढ़ा है। *(व्यवधान)*

डा० सी०पी० ठाकुर : इन जिलों में भी मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के तहत पूर्णरूपेण काम हो रहा है, लेकिन जहां-जहां बिहार सरकार की कमी आ जाती है, उसके कारण जितना काम होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता है।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या यह सही है कि बहुत से जिलों में, जहां मलेरिया उन्मूलन का काम चलाया जा रहा है, उसमें एक साधारण सुई तथा दवाई भी मलेरिया की उपलब्ध नहीं हो रही है। नियंत्रण महालेखाकार ने अपना प्रतिवेदन दिया कि जो पैसा सरकार को जाता है, उस पैसे का डायवर्शन होता है। उसमें कौन-कौन से राज्य हैं, जहां दवा के लिए पैसे नहीं

हैं, उन्हें सरकार दवा के लिए पैसे देने का विचार रखती है। जिस तरह से केन्द्र कुछ राज्यों को शतप्रतिशत अनुदान देकर मलेरिया उन्मूलन करा रही है, उसी तरह बिहार को भी इसमें सम्मिलित करने का प्रयास करेगी?

डॉ० सी०पी० ठाकुर : महोदय, माननीय सदस्य का कहना सही है कि बहुत सारे राज्यों में, खास कर बिहार में सही ढंग से काम नहीं हो रहा है। हम नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स में शतप्रतिशत दे रहे हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि बिहार में भी अगर आपका सहयोग हो, बिहार सरकार पर हम सब मिल कर दबाव डालें और जो पैसा हम दे रहे हैं उसका उपयोग हो तो बिहार में भी काम हो जाएगा।

श्री रघुनाथ झा : महोदय, इस उत्तर से तो आम जनता को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। हम कह रहे हैं कि जो काम नहीं हो रहा है। उसके लिए आप कौन सा कदम उठा रहे हैं, हमें यह उत्तर दीजिए *(व्यवधान)*

डॉ० सी०पी० ठाकुर : देखिए, जो वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में लिया गया है, उसमें नियम के तहत समिति ने काम किया है, उनके नाम से पैसा जाता है। अगर पूरे राज्य में इस तरह से हो जाए कुछ काम डायरेक्टली हो सकता है। *(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : आप पूरे राज्य का कराइए। (व्यवधान)

डॉ० सी०पी० ठाकुर : हम बिहार सरकार से इस पर बात करेंगे और पूरे राज्य का कराने का भी काम करेंगे।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : महोदय, उत्तर के भाग (क) और (ख) में माननीय मंत्री-महोदय द्वारा दिया गया उत्तर भ्रम उत्पन्न करता है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि माननीय मंत्री जी ने बताया कि 1984 में इस बीमारी के प्रकोप को घटाकर 2.18 मिलियन मामलों तक ही सीमित कर दिया गया और तबसे, मलेरिया के मामलों को वार्षिक रूप से 2 से 3 मिलियन मामलों तक सीमित कर दिया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि यह बढ़ रहा है कि या घट रहा है। दिल्ली में ही, मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं। देश के प्रत्येक हिस्से में, मलेरिया का प्रकोप फिर से शुरू हो गया है। और, ऐसा बड़े पैमाने पर है। वहां पर वर्तमान ऐसी स्थिति को देखते हुए, मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्रीजी मलेरिया से प्रभावित सभी राज्यों को उसी तरह केन्द्रीय नकद सहायता देने पर विचार करेंगे, जैसा कि पूर्वोत्तर के सातों राज्यों को प्रदान की गई है *(व्यवधान)* जैसी मैंने पहले ही कहा, उत्तर के भाग (क) और (ख) में दिया गया उत्तर भ्रम उत्पन्न करता है।

डॉ० सी०पी० ठाकुर : यह भ्रामक नहीं है *(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : 2 से 3 मिलियन मामले है! 1984 में, 2.18 मिलियन थे *(व्यवधान)*

डॉ० सी०पी० ठाकुर : 6.47 मिलियन से, यह संख्या 2.18 मिलियन पर आ गई हैं।

श्री अनिल बसु : 1984 में, यह संख्या 2.18 मिलियन थी और तब से यह 2 से 3 मिलियन मामलों की हो गई है *(व्यवधान)*

डॉ० सी०पी० ठाकुर : वास्तव में, ऐसे मामले 2 से 3 मिलियन के बीच हैं। अब इनकी संख्या बढ़ रही है। यह औसत आंकड़ा है। इस साल, चार या पांच राज्यों में ऐसी बढ़ोत्तरी हुई है। आपके राज्य पश्चिम बंगाल में, यह बढ़ोत्तरी काफी अधिक है। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में यह 185 प्रतिशत है। बिहार में, यह 156 प्रतिशत है। फिर नागालैंड आता है, जहां यह 111.24 प्रतिशत *(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : और दिल्ली के बारे में?

डॉ० सी०पी० ठाकुर : मैं उसी पर आ रहा हूं। यहां ज्यादा नहीं है। मेघालय के संदर्भ में, यह 31 प्रतिशत है। उड़ीसा के संदर्भ में, यह 19.26 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश के संबंध में, यह बढ़ोत्तरी 17.27 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश के बारे में, यह 11.57 प्रतिशत है। शेष राज्यों के संदर्भ में, कुछ राज्यों में इसमें कमी आ रही है और कुछ अन्य राज्यों में, थोड़ी बढ़ोत्तरी है। कुछ अन्य राज्यों में, कहीं-कहीं ऐसे मामले बढ़े है। दिल्ली में भी, थोड़ी-बहुत बढ़ोत्तरी है लेकिन पूरी तरह बढ़ोत्तरी हो-ऐसा नहीं है *(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : अधिकांश राज्यों में, ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी, यह बढ़ोत्तरी हो रही है। पश्चिम बंगाल में भी, ये बढ़ रहे हैं। यदि आज ऐसी स्थिति है, तो फिर आगे क्या होगा? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उनका पूरा उत्तर सुनिए।

(व्यवधान)

डॉ० सी०पी० ठाकुर : श्री अनिल बसु, मैंने यह कहा कि आपके राज्य में, यह बढ़ोत्तरी हो रही है। मैंने आपके राज्य, बिहार और पांच या छह राज्यों के बारे में बात की *(व्यवधान)*

श्रीमती श्यामा सिंह : महोदय, हम मलेरिया के प्रकोप से बुरी तरह पीड़ित राज्यों के विषय में ही बात कर रहे है। लेकिन इस ज्वर के कारणों की पहचान भी की जानी चाहिए। मैं समझती हूं कि माननीय मंत्रीजी इस तथ्य से अवगत हैं कि पानी के भारी जमाव तथा इस पर 25 वर्षों से एकत्र भारी कूड़े-कर्कट के कारण यह बीमारी फैल रही है।

और, ऐसा कई क्षेत्रों में हमारी एकीकृत नगर-नियोजन योजनाओं के चलने के बावजूद हो रहा है! मलेरिया-ज्वर फैलने का मुख्य कारण, उन सभी नालियों में पानी के बहाव का रुक जाना है-जो अंतिम छोर तक भरी पड़ी हैं। पिछले 25 वर्षों से, इन नालियों की सफाई करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। विश्व-बैंक की एक योजना है-जिसके माध्यम से उन्होंने मलेरिया, ज्वर के फैलाव के लिए जिम्मेवार क्षेत्रों की शिनाख्त की है। मलेरिया के मच्छरों को मारने के लिए एक सचल-वैन में दवाएं लेकर चला जाता है। क्या माननीय मंत्री जी यह देखने के लिए कि बिहार की स्थिति पर वाकई ध्यान दिया जा रहा है और वहां से मलेरिया के उन्मूलन के लिए युद्धस्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं—उस प्रस्ताव पर ध्यान देने की कृपा करेंगे?

डॉ० सी०पी० ठाकुर : खासतौर पर, बिहार के नौ जिलों में, ऐसे कदम उठाए हैं। किन्तु संपूर्ण रूप से, पूरे देश में, एक सौ जिलों को इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है। यह कर लिया गया है।

श्रीमती श्यामा सिंह : धन्यवाद।

डॉ० रंजीत कुमार पांजा : मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि मलेरिया पर नियंत्रण पाने कि लिए तीन उपाय ये हैं—रोगवाहक का नियंत्रण, जन-जागरूकता और रोग के मामलों का शीघ्र संसूचन तथा उपचार। मैं माननीय मंत्री-महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या देश भर में ऐसा ठीक तरह से किया जा रहा है और इस पर निगरानी रखी जा रही है?

दूसरी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में खतरनाक मलेरिया की बीमारी के बहुत से मामले होते हैं। क्या इस संबंध में कोई विशेष उपाय किए गए हैं? क्या मलेरिया के सभी-मामलों को अधिसूचित किया जा रहा है?

डॉ० सी०पी० ठाकुर : वास्तव में पश्चिम बंगाल के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। विश्व-बैंक की सहायता वाली परियोजना में संपूर्ण कलकत्ता महानगर को शामिल किया गया है। जैसा आपने कहा और सुझाव दिया, हम मलेरिया-नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जन जागरण, समुचित परीक्षण कार्य और निगरानी कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष जी, दक्षिण बिहार के जिलों के नाम मंत्री जी ने बताये हैं लेकिन रोकथाम के उपाय अभी वहां नहीं हो पाए हैं। यहां पर सैकड़ों आदमी मर चुके हैं। मलेरिया उन्मूलन के लिए दवा की कोई व्यवस्था वहां नहीं हो पाई है। पहले जब मलेरिया-मच्छर को मारने के लिए दवा का छिड़काव होता था तो उसका असर होता था लेकिन अब तो जिस पावडर का छिड़काव होता है उसका असर नहीं होता है, शायद पावडर ही नकली लाते हैं। मच्छर मरने के स्थान पर बढ़ते जा रहे हैं जिनके कारण बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि केन्द्र और बिहार सरकार के झगड़े में गरीब और आदिवासी लोग न मरें, इसके लिए सरकार कौनसी व्यवस्था करने जा रही है? यह लोगों के जीवन का प्रश्न है।

डॉ० सी०पी० ठाकुर : स्वास्थ्य के मामले में केन्द्र का किसी भी राज्य से कोई झगड़ा नहीं है। कुछ दिन पहले मैं पटना गया था और मैंने वहां मंत्री जी से निवेदन किया कि स्वास्थ्य के बारे में कोई पॉलिटिक्स नहीं हैं हम लोग जो रुपया देते हैं उसको खर्च कीजिए। मलेरिया उन्मूलन के लिए जो प्रोग्राम बना है जैसे दक्षिण के जिलों में हम लोग मलेरिया वर्कर को जो मलेरिया की खबर लाता है कि कहां बीमारी है, और उसका ब्लड कलैक्ट करके उसकी रिपोर्ट पहुंचाता है उसे 500 रुपया देते हैं। लेकिन वह प्रोग्राम भी अभी बहुत जिलों में नहीं बन पाया है। उसको हम एक्टीवेट करेंगे और खुद मैं ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूं। साउथ और नार्थ दोनों जगह जाकर तथा वहां के सांसद और सभी लोगों के माध्यम से हम इस प्रोग्राम पर काम करेंगे।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मुम्बई शहर में जानवरों और मूत्र के कीटाणुओं की वजह से हुई बीमारी लैप्टॉसपिरोसिस के कारण 26 लोग मर चुके हैं। इसमें बुखार के कारण मरीज की किडनी पर असर आ जाता है और वह मर जाता है। मंत्री जी से निवेदन है कि केन्द्र सरकार की तरफ से मुम्बई शहर में इसकी रोकथाम के लिए कुछ मदद करें।?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मलेरिया का नहीं है।

डॉ० सी०पी० ठाकुर : आज सुबह मैंने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री जी से बातचीत की है और वह इस पर काम कर रहें हैं और हमारी इस बारे में बात हो चुकी है।

हमारा यूनिट अंडमान-निकोबार में है। वह बहुत बढ़िया रिसर्च कार्य करता है। मैंने उनसे निवेदन किया है। अगर जरूरत होगी तो उस यूनिट को भेजेंगे और उसमें जाकर आपको बताएंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, तथापि मलेरिया का प्रकरण ऐसा है जिस पर भारत सरकार ने 1950 के दशक की शुरूआत में ही, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के तुरन्त बाद, अपनी चिंता जाहिर की थी। स्वर्गीय डॉ० बी.सी.राय, बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री इस बीमारी के अकेले ही गंभीरतापूर्वक सामना करने के लिए खड़े हुए थे, और इसके लिए बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री श्रीकृष्ण बाबू ने डॉ० बी.सी. राय को व्यक्तिगत रूप से बधाई दी थी, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ बंगाल के हितसम्मान कि लिए, बल्कि बिहार और आंशिक रूप से उड़ीसा के लिए भी यह बीड़ा उठाया था। उन दिनों, जब आधुनिक दवाइयां उपलब्ध नहीं होती थी, वह भारत के पूर्वी भाग से मलेरिया का सफलतापूर्वक उन्मूलन करने में कामयाब रहे। सभ्यता के विकास और अनेक आधुनिक सुविधाओं के बावजूद, आज भी मंत्रीजी कह रहे हैं कि उसमें अभी-गिरावट ही आ रही है। लेकिन, यह सही नहीं है। अकेले कलकत्ता शहर में ही, 260 से अधिक व्यक्तियों की मौत हुई और यदि आप उन लोगों को भी शामिल करे; जो निजी नर्सिंग-होमों में मौत का शिकार बने; तो यह संख्या और भी अधिक होगी। केवल मेरे जिले में ही, पिछले एक वर्ष के भीत्तर 290 से भी-अधिक बच्चे, उप-नगर स्वास्थ्य केन्द्रों या जिला स्वास्थ्य केन्द्रों में किसी भी तरह की सहायता के अभाव में मरे। तो, मलेरिया तो बढ़ रहा है। क्या माननीय मंत्री-महोदय इसके कारणों का पता लगाने तथा यह निर्णय करने के लिए, कि इस बीमारी पर नियंत्रण करने के लिए कौनसी विशेष उपाय किये जाने हैं-विशषज्ञों और पूर्वोत्तर राज्यों, अर्थात्, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा बिहार के मुख्यमंत्रियों या स्वास्थ्य-मंत्रियों की एक विशेष बैठक आयोजित करने का कष्ट करेंगे? जब मेरे जिले में 290 बच्चों की मौत हुई, तो मैं कुछ नहीं कर सका। जब डॉ० बी.सी. राय उन दिनों इस बीमारी से लड़कर इसका खात्मा कर सके थे, तो आज आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते?

डॉ० सी०पी० ठाकुर : महोदय, उन दिनों, जब मलेरिया कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो सफलता की दर बहुत अच्छी थी, लेकिन वित्तीय परेशानियों के कारण हम इस कार्यक्रम को अधिक समय तक जारी नहीं रख सके। अत:, मलेरिया फिर से लौट आया। मलेरिया

के मामलों के पुन: होने की स्थिति केवल भारत में ही नहीं है, अपितु केवल संयुक्त राज्य अमरीका को छोड़कर, विश्व भर में है *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मंत्रीजी क्या बात कर रहे हैं?

डॉ० सी०पी० ठाकुर : जी हां, केवल संयुक्त राज्य अमरीका को छोड़कर सारे विश्व में मलेरिया का रोग फिर से फैला है। पहले मलेरिया पर नियंत्रण पा लिया गया था, लेकिन एक बार फिर से इसका प्रकोप हुआ है *(व्यवधान)*

श्री तरूण गोगोई : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो मंत्रीजी ने अपने उत्तर में यह कहा कि मलेरिया का प्रकोप कम हो रहा है और दूसरी तरफ अब यह ये कह रहे हैं, इसमें फिर से बढ़ोत्तरी हो रही है। दोनों बातें परस्पर-विपरीत हैं *(व्यवधान)*

डॉ० सी०पी० ठाकुर : महोदय, इससे प्रतिवर्ष दो से तीन मिलियन लोग पीड़ित हो रहे हैं। हमने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। हम इसे पूरी तरह समाप्त कर देने के काम में जुटे हैं। लेकिन मलेरिया का उन्मूलन कठिन कार्य है, इसका नियंत्रण भले ही सरल है।

श्री सुरेश कुरूप : अध्यक्ष महोदय, मलेरिया के उन्मूलन के लिए जो सबसे सस्ता और सबसे महत्वपूर्ण कीटनाशक उपयोग किया जाता है, वह है: डी.डी.टी.। जैसा कि हम सब जानते हैं, इसे भारत में हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड की इकाइयों में तथा कोच्चि स्थित हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड की एक इकाई में उत्पादित किया जाता है। अब, हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइड्स लिमिटेड का निजीकरण करने की बात है। लेकिन इसमें यह खतरा है कि, जैसे ही सरकार इसका एच.आई. एल.को-जो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आता है, निजीकरण कर देगी, उन्हें अपनी आवश्यकता और तत्कालिकता के अनुसार डी.डी.टी. नहीं मिल सकेगा। जब पिछले साल उड़ीसा में महाचक्रवात आया था, तो बड़ी संख्या में डी.डी.टी. के वैगन एच.आई.एल. की कोच्चि इकाई से उड़ीसा के लिए रवाना हुए थे। अत: इस इकाई के महत्त्व को देखते हुए, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के महत्व को ध्यान में रखकर, अपने प्रभाव का उपयोग करेंगे और सरकार पर हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइड्स लिमिटेड का निजीकरण न करने के लिए दबाव डालेंगे?

डॉ० सी०पी० ठाकुर : महोदय, मैं पूरा प्रयास करूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने बताया कि इसमें राजनीति का कोई सवाल नहीं है। हम भी जानते हैं कि इसमें राजनीति का सवाल नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री रामजी लाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, क्या समय का ख्याल है? यहां की सभी घड़ियां खराब हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह अध्यक्ष पीठ से ही प्रश्न किया जा रहा है! हरेक यही प्रश्न कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस समय बिहार मलेरिया बीमारी से ग्रस्त है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट ही बाकी है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : मलेरिया का प्रकोप दक्षिण बिहार में ज्यादा है और उत्तर बिहार में कुछ कम है लेकिन वहां इसका प्रकोप है।

मध्याह्न 12.00 बजे

लेकिन हम यह बताना चाहते हैं कि इस मद में बिहार सरकार को जो निर्देश अथवा पैसा दिया गया है, उसके तहत न तो बिहार के किसी अस्पताल में दवा है और न कोई सामान ही है। यहां तक कि चिकित्सक भी उपलब्ध नहीं रहते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार से जो पैसा बिहार के लिये जाता है, क्या आप इसकी समय समय पर समीक्षा करते हैं कि जो पैसा दिया गया है, उसकी व्यवस्था ठीक ढंग से होती है या नहीं?

डॉ० सी०पी० ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुझे मिनिस्टर हुये अभी थोडा समय हुआ है। बिहार में एक समीक्षा कर चुके हैं और दूसरी समीक्षा करने जा रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार प्रणाली का आधुनिकीकरण

***101. श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार प्रणाली का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार प्रणालियों के आधुनिकीकरण की योजना बनाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 'स्टेट ऑफ आर्ट' इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये जा रहे हैं। गांवों में अब तक निकटतम एक्सचेंजों से लैंड लाइनों पर और एनालॉग मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) प्रणालियों पर ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) उपलब्ध कराये गए हैं। एमएआरआर प्रणालियों का कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं पाया गया। अत: विभाग ने वीपीटी उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल तकनीक पर आधारित निम्नलिखित नई प्रौद्योगिकियां लगाने की योजना बनाई है :-

– **वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रणाली :** ग्रामीण क्षेत्रों में वीपीटी लगाने और टेलीफोनों की छितरी हुई मांग को पूरा करने के लिए।

– **सी-डॉट टाइम डिविजन मल्टिपल एक्सेस पॉइन्ट टू मल्टि पॉइन्ट (टीडीएमए/पीएमपी) :** ग्रामीण क्षेत्रों में वीपीटी लगाने और टेलीफोनों की छितरी हुई मांग को पूरा करने के लिए।

– **उपग्रह :** देश के दूरस्थ, पहाड़ी, दुर्गम और अलग-थलग क्षेत्रों में वीपीटी लगाने के लिए।

इसके अतिरिक्त, जहां कहीं तकनीकी रूप से व्यवहार्य है और लाइन की लम्बाई लगभग 5 कि.मी. है, वहां लैंड लाइनों/भूमिगत केबलों के माध्यम से वीपीटी उपलब्ध कराये जाते रहेंगे।

सरकार की योजनाएं निम्नानुसार हैं :

– निजी फिक्स्ड सेवा प्रदाताओं के संयुक्त प्रयास से शेष गांवों में मार्च 2002 तक वीपीटी उपलब्ध कराना।

– मार्च 2002 तक मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराना।

– सभी एक्सचेंजों में वर्ष, 2002 तक विश्वसनीय पारेषण माध्यम उपलब्ध कराना।

– सभी एक्सचेंजों में वर्ष 2001 तक एसटीडी सुविधा उपलब्ध कराना।

– प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय में चालू वर्ष में इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध कराना।

विभाग ने निम्नलिखित उपाय किए :

– देश के सभी गांवों में वर्ष 2002 तक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सम्पूर्ण दूरसंचार प्रणाली को तैयार किया गया है।

– 1.7.2000 की स्थिति के अनुसार देश में 6.07 लाख गांवों में से 3.76 लाख गांवों में वीपीटी सुविधा उपलब्ध है। चालू वित्तीय वर्ष में 1 लाख गांवों को तथा अगले वित्तीय वर्ष में शेष गांवों को निजी फिक्स्ड सेवा प्रदाताओं के संयुक्त प्रयास से वीपीटी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। वीपीटी के प्रावधान के लिए डब्ल्यूएलएल प्रणालियां तथा सी-डॉट टीडीएमए/पीएमपी प्रणालियां प्राप्त की जा रही हैं। उपस्कर दिसम्बर, 2000 तक उपलब्ध हो जाने की आशा है।

– 400 उपग्रह टर्मिनलों का प्रापण किया जा रहा है और देश के दूरस्थ तथा अलग-थलग क्षेत्रों में इन्हें प्रगामी रूप से संस्थापित किया जा रहा है।

– देश में एमएआरआर प्रणाली पर कार्यरत दोषयुक्त वीपीटी को वर्ष 2002 तक चरणबद्ध तरीके से नई प्रौद्योगिकी के वीपीटी में बदलने की योजना है।

– इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में 21755 टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 3431 एक्सचेंज संस्थापित करने का प्रस्ताव है। इन टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए विश्वसनीय ओएफसी माध्यम उपलब्ध कराया जा रहा है।

– सभी सैकण्डरी स्विचन क्षेत्र (एसएसए) मुख्यालयों में इन्टरनेट नोड उपलब्ध कराये जाएंगे। इसी प्रकार, सभी ब्लॉक मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी।

हाथियों की हत्या

*104. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :** क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ राज्यों में हाथियों की हत्या करने के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों में ऐसे किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां हाथियों को शिकार चोरों का शिकार होना पड़ रहा है; और

(ग) शिकार-चोरों से हाथियों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) जी, हां। उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि देश के कुछ राज्यों में हाथी के अवैध शिकार में वृद्धि हुई है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) हाथियों के बचाने के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित हैं :-

– विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं अर्थात् हाथी परियोजना, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास, बाघ परियोजना, सुरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारि-विकास के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि हाथियों के प्राकृतिक निवास स्थानों में उनकी दीर्घकालिक उत्तरजीविता को सुनिश्चित किया जा सके।

– वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत हाथियों और अन्य वन्यप्राणियों के शिकार और वाणिज्यिक उपयोग के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है।

– वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सचिव, पर्यावरण और वन, भारत सरकार की अध्यक्षता में विशेष समन्वय और प्रवर्तन समिति की स्थापना करना। विभिन्न राज्यों में राज्य स्तर और जिला स्तर पर इसी प्रकार की समितियों की स्थापना की गई है।

- वन्यजीव अपराधों में अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए प्राधिकृत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।
- सशस्त्र दस्तों और स्ट्राइक बलों को शामिल कर के अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार को सहायता प्रदान करना।
- हाथ में लिए गए सुरक्षा उपायों की कारगर निगरानी के लिए राज्य सरकार के साथ आवधिक बैठकें।
- वन्यजीव अधिकारियों के द्वारा छापे मारे जाते हैं, जब कभी भी हाथियों सहित वन्यजीवों के अवैध व्यापार की सूचना ऊपर तक पहुंचती है।
- हाथी के अंगों एवं अन्य वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के मुख्य निर्यात केन्द्र पर अधिकाशंत: वन्यजीव के परिरक्षण के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं।

विवरण

राज्यों द्वारा सूचित किए गए अनुसार हाथियों के अवैध शिकार के मामले

क्र.सं.	राज्य	अवैध शिकार के मामले				संवेदनशील क्षेत्र/संख्या
		1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	
1.	आंध्र प्रदेश	0	1	0	0	
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	1	0	0	
3.	असम	6	4	6	3	कार्बी एंग्लौंग, दारांग
	बिहार	1	2	3	2	सिंधभूम, पालामाऊ
5.	कर्नाटक	11	16	23	25	बांदीपुर नागरहोल, भादारे, कोल्लीगल
6.	केरल	8	8	5	4	वाईनाड, रानी, कोन्नी, इदुक्की
7.	मेघालय	10	5	3	2	पूर्वी गारो हिल्स, तूरा वन, खासी हिल्स
8.	उड़ीसा	20	11	7	13	सिम्पलीपाल, बोनाई, सतकोसिया जोर्ज एवं आठ गढ़
9.	तमिलनाडु	7	15	6	9	नीलगिरी नार्थ, मुदुमलाई
10.	उत्तर प्रदेश•	1	7	6	4	राजाजी, कार्बेट
11.	पश्चिम बंगाल•	0	1	4	13	जलपाईगुड़ी
12.	नागालैंड	8	5	1	0	
	कुल	73	76	64	75	

•कलैंडर वर्ष 1996-1999

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण का विदेशों के साथ सहयोग

***106. श्री तिरुनावकरसू :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग हेतु विदेशों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा विदेशों में क्या-क्या कार्य शुरू किए गए हैं; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान इससे अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) सरकार को भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) के साथ सहयोग के बारे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर विभिन्न रूपों में, भूटान, बंगलादेश, नेपाल, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, चीन, नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरीका, वियतनाम, म्यंमार और मौरक्को से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा विदेशों में पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए कार्य का ब्यौरा निम्नवत् है :-

भूटान

भूविज्ञान के क्षेत्र में, भूटान और भारत के बीच परस्पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने, समत्से, भूटान में 1961 में, अपना भूटान यूनिट कार्यालय स्थापित किया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूटान यूनिट ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ड्रिलिंग की मदद से, तासीसेखा क्षेत्र में, आधार धातु के लिए तशेबर और नगांगलम क्षेत्र में, सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर के लिए तथा शा क्षेत्र में कैल्शियम कारबाइड और कास्टिक सोडा के लिए अन्वेषण जारी रखे। इसने वांगडिफोड्रोंग, ट्रोंगसा, बूंथांग, मूंगार और समडरूप झोंकर जिलों के भागों में चूना पत्थर और कीमती धातुओं के लिए अन्वेषण कार्य किए तथा क्वार्टजाइट में भूवैज्ञानिक मानचित्रण और भू-रसायनिक सैम्पलिंग कार्य किए।

बंगलादेश

भारत सरकार ने, फरक्का का गंगा वाटर शेयर करने के संबंध में बंगलादेश सरकार के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। जल संसाधन मंत्रालय ने वाटर-फ्लो को मापने के लिए एक विशेषज्ञ टीम का गठन किया है जिसमें, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण सहित विभिन्न संगठनों के सदस्यों को सम्मिलित किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के एक उप महानिदेशक को इस टीम में भेजा गया है। इस परियोजना के अंतर्गत क्रमश: 14-17 नवम्बर, 1998 और 11-16 फरवरी, 1999 के दौरान संयुक्त टीम की दूसरी और तीसरी बैठक में भाग लेने के लिए इस अधिकारी ने दो बार बंगला देश का दौरा किया। इस संयुक्त वैज्ञानिक कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य प्रगति पर हैं।

नेपाल

इन्डो-नेपाल पंचेश्वर बहुउद्धेश्य परियोजना का जांच कार्य 60 के दशक में शुरू किया गया। केन्द्रीय जल आयोग ने चूंकि 1981 में जांच कार्य शुरू किया, अत: पंचेश्वर परियोजना के लिए केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूवैज्ञानिकों की सेवाएं प्राप्त कर रहा है। 21 से 28 मई, 2000 के दौरान दोनों साइडों के विशेषज्ञों ने परियोजना एरिया का दौरा किया। इस दौरे के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधिकारियों ने डैमस को नियंत्रित करने के लिए स्थल निरीक्षण में भाग लिया। अप्रैल, 1998 और जून, 1999 में 10-15 दिनों के लिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम के सदस्यों ने फील्ड कार्य किया। वर्ष 1999-2000 और उसके बाद के लिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ के फील्ड सीजन प्रोग्राम में, इस परियोजना का कार्य सम्मिलित हैं। नवम्बर, 2001 तक, समयबद्ध तरीके से जांच कार्य और रिपोर्ट को तैयार करने का समस्त कार्य पूरा किया जाना है।

(ग) चूंकि, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा विदेशों में किए गया कार्य द्विपक्षीय तकनीकी सहयोग कार्यक्रमों के अंतर्गत था, अत: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को किसी तरह का कोई राजस्व प्राप्त नहीं हुआ है।

ग्रामीण डाकघरों में कम्प्यूटर, ई-मेल और इंटरनेट सुविधा

*107. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कितने डाकघरों में इस समय ई-मेल, इंटरनेट और कम्प्यूटर सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार का एक नियत समय-सीमा में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी महत्वपूर्ण डाकघरों में उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शेष डाकघरों में भी कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (च) विभाग ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से ही डाकघरों, शहरी और ग्रामीण दोनों के, कम्प्यूटरीकरण तथा आधुनिकीकरण का कार्यक्रम शुरू किया है। लगभग 26 हजार डाकघरों में से, लगभग 14 हजार डाकघर ऐसे हैं, जो दो से अधिक डाक कर्मचारियों द्वारा संचालित किए जाते हैं। इनका पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कम्प्यूटरीकरण करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध रहे। महत्वपूर्ण डाकघरों में, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र के डाकघर भी शामिल हैं, कम्प्यूटरों की स्थापना करना एक योजना कार्यकलाप के रूप में शुरू किया गया है। इन कम्प्यूटरों को बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों के रूप में भी जाना जाता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसी कुल 2660 मशीनें लगाई गईं। 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान क्रमश: 918, 1429 और 1250 मशीनें लगाई गईं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे डाकघरों की संख्या, जिनमें कम्प्यूटर लगाए गए हैं, संलग्न विवरण में दी गई है। इन कम्प्यूटरों का एक ही खिड़की पर विभिन्न डाक वस्तुओं की बुकिंग करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। ये कम्प्यूटर पर छपी रसीद भी देते हैं। ऐसी डाक वस्तुएं भेजने के लिए जनता को डाक-टिकट नहीं खरीदने पड़ते हैं। इन कम्प्यूटरों से विभिन्न फ्रंट तथा बैंक आफिस कार्य करने में भी सुविधा होती है। इन मशीनों पर वार्षिक कुल 12 करोड़ से भी अधिक लेन-देन होते हैं। पिछले वर्ष से, हमने अपने कार्यों का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण करने का प्रयास किया है तथा फलस्वरूप 200 से अधिक डाकघरों का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण हुआ है।

9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 5000 मशीनें खरीदने के लिए कुल 41 करोड़ रु० आबंटित किए गए हैं। इनमें से 3,597 मशीनें खरीदी, संस्थापित और चालू की जा चुकी हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों में, ऐसी अन्य 2000 मशीनें खरीदने और संस्थापित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकृत डाकघरों में आंकड़े

असम	12
बिहार	14
दिल्ली	2
गुजरात	4
हरियाणा	2
जम्मू और कश्मीर	3
केरल	17
कर्नाटक	3
मध्य प्रदेश	14
महाराष्ट्र	11
उत्तर-पूर्व	4
उड़ीसा	3
पंजाब	18
राजस्थान	5
तमिलनाडु	11
उत्तर प्रदेश	4
पश्चिम बंगाल	12
हिमाचल प्रदेश	10
आंध्र प्रदेश	5

[हिन्दी]

दूरसंचार कंपनियों पर बकाया राशि

*108. **डा० मदन प्रसाद जायसवाल :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग (डॉट) ने निजी सेल्यूलर टेलीफोन आपरेटरों को यह धमकी दी है कि यदि वे देश के विभिन्न भागों में सेवाओं के संचालन के लिए फ्रिक्वेंसी प्रभारों से संबंधित देय धनराशि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो उन्हें भयंकर परिणाम भुगतने होंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी निजी सेल्यूलर आपरेटरों को 30 जून, 2000 तक अपने बकाया राशि चुकाने अथवा दंडात्मक कार्रवाई का सामना करने को कहा गया है जिसमें उन्हें अपनी बैंक गारंटी भी गंवानी पड़ सकती है;

(ग) यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या हैं और वर्तमान में उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध कितनी राशि बकाया है और उनके विरुद्ध यह बकाया राज्य-वार कितने-कितने समय से है; और

(घ) 30 जून, 2000 की अवधि समाप्त हो जाने के बाद सरकार का क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) विस्तृत ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) सरकार ने कुछ ऑपरेटरों द्वारा रॉयल्टी प्रभारों के भुगतान में व्यतिक्रम को गंभीरता से लिया है और उपयुक्त समय के अन्दर इसकी वसूली को प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

विवरण

31 दिसंबर, 2000 तक बकाया राशि का ब्यौरा

**(कैलेण्डर वर्ष के लिए देय राशि का भुगतान अग्रिम में किया जाना है)*

क्र. सं.	कंपनी	राज्य	2000 तक देय राशि (रुपयों में)	जमा राशि (रुपयों में)	बकाया राशि (रुपयों में)
1	2	3	4	5	6
1.	मै० हचीसन मैक्स टेलीकाम	मुंबई (मैट्रो)	13,90,15,900	13,90,15,900	शून्य
2.	मै० बी.पी.एल. मोबाइल	मुंबई (मैट्रो)	10,49,75,700	10,49,75,700	शून्य
3.	मै० उषा मार्टिन	कलकत्ता (मैट्रो)	6,13,07,000	6,13,07,000	शून्य
4.	मै० मोदी टेलस्ट्रा	कलकत्ता (मैट्रो)	4,99,37,200	3,40,42,825	1,58,94,375

1	2	3	4	5	6
5.	मै० आर.पी.जी. सेल्यूलर	चेन्नई (मैट्रो)	4,59,14,600	1,67,51,000	2,91,63,600
6.	मै० स्काई सेल	चेन्नई (मैट्रो)	5,63,08,000	2,58,47,725	3,04,60,275
7.	मै० स्टर्लिंग	दिल्ली (मैट्रो)	19,08,37,200	19,08,37,200	शून्य
8.	मै० एयरटेल	दिल्ली (मैट्रो)	10,66,83,900	10,66,83,900	शून्य
9.	मै० इस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि०	केरल	15,28,93,500	2,25,32,448	13,03,61,052
10.	मै० इस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि०	हरियाणा	10,34,65,900	2,01,32,436	8,33,33,464
11.	मै० इस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि०	उ०प्र० (प०)	17,33,80,400	3,00,84,072	14,32,96,328
12.	मै० बी.पी.एल. यूएस	केरल	7,83,40,800	3,46,45,483	4,36,95,317
13.	मै० बी.पी.एल. यूएस	महाराष्ट्र	8,34,92,500	4,85,27,900	3,49,64,600
14.	मै० बी.पी.एल. यूएस	तमिलनाडु	9,22,86,000	4,11,26,000	5,11,60,000
15.	मै० बिरला एटी एंड टी कम्यूनिकेशन्स लि०	महाराष्ट्र	16,56,91,000	3,77,27,400	12,79,63,600
16.	मै० बिरला एटी एंड टी कम्यूनिकेशन्स लि०	गुजरात	10,71,36,000	2,91,49,200	7,79,86,800
17.	मै० फैसल	गुजरात	9,52,32,300	4,85,67,600	4,66,64,700
18.	मै० एयरसेल डिजीलिंक	हरियाणा	3,61,36,400	शून्य	3,61,36,400
19.	मै० एयरसेल डिजीलिंक	उ०प्र० (पू०)	6,89,03,500	शून्य	6,89,03,500
20.	मै० एयरसेल डिजीलिंग	राजस्थान	4,81,52,800	26,00,000	4,55,52,800
21.	मै० हेक्साकाम इंडिया लि०	राजस्थान	3,92,81,500	1,11,75,132	2,81,06,368
22.	मै० जेटी मोबाइल्स लि०	पंजाब	5,40,95,900	शून्य	5,40,95,900
23.	मै० जेटी मोबाइल्स लि०	आंध्र प्रदेश	3,56,19,900	1,74,74,943	1,81,44,957
24.	मै० जेटी मोबाइल्स लि०	कर्नाटक	6,92,23,400	2,31,63,040	4,60,60,360
25.	मै० स्पाइस कम्यूनिकेशन्स	कर्नाटक	3,80,29,000	1,53,98,600	2,26,30,400
26.	मै० स्पाइस कम्यूनिकेशन्स	पंजाब	9,03,60,000	2,97,36,017	6,06,23,983
27.	मै० टाटा सेल्यूलर लि०	आंध्र प्रदेश	9,02,41,000	5,84,70,000	3,17,71,000
28.	मै० कोशिका टेलीकाम	उ०प्र० (प०)	13,67,53,700	27,58,400	13,39,95,300
29.	मै० कोशिका टेलीकाम	उ०प्र० (पूर्व)	15,67,58,100	90,62,800	14,76,95,300
30.	मै० कोशिका टेलीकाम	बिहार	10,45,08,100	शून्य	10,45,08,100

1	2	3	4	5	6
31.	मै० कोशिका टेलीकाम	उड़ीसा	2,65,38,400	शून्य	2,65,38,400
32.	मै० आरपीजी	मध्य प्रदेश	5,42,97,200	1,03,39,300	4,39,57,900
33.	मै० रिलायंस टेलीकॉम लि०	मध्य प्रदेश	4,82,52,200	1,79,71,950	3,02,80,250
34.	मै० रिलायंस टेलीकॉम लि०	हिमाचल प्रदेश	34,89,000	32,88,650	2,00,350
35.	मै० रिलायंस टेलीकॉम लि०	पश्चिम बंगाल	1,76,55,900	82,88,375	93,67,525
36.	मै० रिलायंस टेलीकॉम लि०	असम	98,11,300	75,41,825	22,69,475
37.	मै० रिलायंस टेलीकॉम लि०	पूर्वोत्तर क्षेत्र	38,46,500	37,90,250	56,250
38.	मै० रिलायंस टेलीकॉम लि०	बिहार	3,41,57,600	1,39,69,775	2,01,87,825
39.	मै० रिलायंस टेलीकॉम लि०	उड़ीसा	1,66,97,800	90,60,325	76,37,475
40.	मै० भारती टेलीनेट	हिमाचल प्रदेश	2,25,80,900	45,62,500	180,18,400
41.	मै० एयरसेल	तमिलनाडु	1,67,63,800	1,67,63,800	शून्य

अनुवाद]

वन क्षेत्र में कमी

***109. श्री बृजलाल खाबरी :**
श्रीमती जसकौर मीणा :

क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश के वन क्षेत्र में तेजी से कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो वन क्षेत्र में ऐसी अत्यधिक कमी के पीछे क्या कारक उत्तरदायी हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों की तुलना में आज की तारीख के अनुसार देश में कुल कितना वन क्षेत्र है;

(घ) क्या यू.एन.एफ.पी.ए. द्वारा इस संबंध में हाल में किए गए अध्ययन से देश में तेजी से वन क्षेत्र में कमी के बारे में पता चला है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने वनों की सुरक्षा के लिए कोई योजना तैयार की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा उपग्रह आंकड़ा का उपयोग करके हर दो वर्ष में देश के वन आवरण का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन से पता चलता है कि देश के वन आवरण में 1981-1983 से 1995-1998 के बीच 19.49 प्रतिशत (6,40,819 वर्ग कि.मी.) से 19.39 प्रतिशत (6,37,293 वर्ग कि.मी.) तक मामूली कमी आई है। वन आवरण के प्रत्येक मूल्यांकन का ब्यौरा नीचे दिया गया है–

क्र० सं०	मूल्यांकन	उपग्रह आंकड़ा अवधि	वन आवरण (वर्ग कि.मी. में)	भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण
1.	पहला	1981-83	640819	19.49
2.	दूसरा	1985-87	638804	19.43
3.	तीसरा	1987-89	639364	19.45
4.	चौथा	1989-91	639386	19.45
5.	पांचवा	1991-93	638879	19.43
6.	छठा	1993-95	633397	19.26
7.	सातवां	1995-98	637293	19.39

वन आवरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं–मांग और पूर्ति में अधिक अंतर होने के कारण वनों से अवैध रूप से वनोत्पाद प्राप्त करना, झूम कृषि, दावानल, अपर्याप्त चरागाह भूमियां, गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमियों का अपवर्तन और अपर्याप्त निवेश।

(घ) जी, नहीं। "पापुलेशन एण्ड फारेस्ट्स–ए रिपोर्ट ऑफ इंडिया, 2000" शीर्षक के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि (यू एन एफ पी ए) की रिपोर्ट के अनुसार "1989-1997 की अवधि में देश के वन आवरण में मामूली सी गिरावट आई है।" इस रिपोर्ट में यह भी

बताया गया है कि देश का वन आवरण वर्ष 1951 में भौगोलिक क्षेत्र के 22 प्रतिशत से घट कर वर्ष 1997 में 29 प्रतिशत रह गया है। तथापि, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1987 में पहली बार 1981-83 के उपग्रह आंकड़ा का उपयोग कर के भारत के वन आवरण का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया गया था और तब से हर दो साल बाद यह मूल्यांकन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि (यू एन एफ पी ए) ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1987 से किए गए मूल्यांकन के अनुसार वन आवरण के आंकड़ों की तुलना 1951 और 1969 के अभिलिखित वन क्षेत्र के आंकड़ों से की है जो कि एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं।

(ङ) से (छ) वनों के संरक्षण और विकास के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। ऐसी योजनाओं की संकेतक सूची नीचे दी गई है :-

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	नौंवी योजना के लिए अनुमति परिव्यय (करोड़ रुपए में)
1.	एकीकृत वनीकरण और पारि-विकास परियोजना स्कीम	एकीकृत वनीकरण और जल संभरों का विकास	247.00
2.	क्षेत्रोन्मुखी ईंधन की लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम	ईंधन की लकड़ी और चारा उत्पादन को बढ़ाना	135.00
3.	औषधीय पादपों सहित गैर इमारती लकड़ी वन उत्पाद का संरक्षण और विकास	बांस और औषधीय पादपों पर विशेष बल देने और गैर इमारती वनोत्पाद का उत्पादन	80.50
4.	वृक्ष और चरागाह बीच विकास परियोजना	अच्छी किस्म के बीच उत्पन्न करना	6.00
5.	स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता अनुदान देने संबंधी योजना	वनीकरण और वृक्षारोपण के लिए स्वैच्छिक अभिकरणों और गैर सरकारी संगठनों को सहायता देना	8.00
6.	अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शामिल करना	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शामिल करना	15.00
7.	आधुनिक दावानल नियंत्रण प्रविधियां	दावानल निवारण एवं नियंत्रण	40.00
8.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	वन्यजीवों की सुरक्षा और उनके निवास स्थलों का वैज्ञानिक प्रबंधन	70.00
9.	बाघ परियोजना	बाघ निवास स्थल का एक भाग बनने वाले सम्पूर्ण पारितंत्र की सुरक्षा	75.00
10.	आदिवासी विकास हेतु लाभोन्मुखी योजना	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में रहने वाले आदिवासी परिवारों का पुनर्वास	19.00
11.	बाघ रिजर्वों सहित अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास पारि-विकास	पारिस्थितिक तौर पर ठोस कार्यकलापों के माध्यम से विकास और संरक्षण को संगत बनाना	175.00

[अनुवाद]

सड़कों पर रबर बिछाना

*110. **श्री रमेश चेन्नितला :**
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी राज्यों को राष्ट्रीय राजमार्गों के अति-व्यस्त हिस्सों पर रबर-उपचारित कोलतार का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का सड़कों पर रबर बिछाने के लिए प्राकृतिक रबर के बजाय सिंथेटिक रबर को उपयोग करने का प्रस्ताव है, जिसका आयात करना पड़ता है जबकि प्राकृतिक रबर देश में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) किन-किन राज्यों में सड़कों पर रबर बिछाने के संबंध में प्रस्ताव मिले हैं; और

(च) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने अधिक टिकाऊ और बेहतर सुविधाजनक सड़कें उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के अत्याधिक यातायात वाले खंडों पर मूल निर्माण कार्यों के डामर युक्त निघर्षण स्तर में भी रबड़/बहुलक आशोधित डामर के प्रयोग को शुरू करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) संशलिष्ट और प्राकृतिक रबड़ सहित कई प्रकार के आशोधकों की अनुमति है। किसी निर्धारित स्थान पर उनके प्रयोग में मितव्यता का ध्यान रखा जाएगा।

(ङ) उन राज्यों की सूची जिनसे मंत्रालय को राष्ट्रीय राजमार्गों पर रबड़युक्त/बहुलक आशोधित डामर प्रयोग करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए और जो जल-भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए गए :-

1. गुजरात
2. हरियाणा
3. हिमाचल प्रदेश
4. महाराष्ट्र
5. मेघालय
6. नागालैंड
7. राजस्थान
8. उत्तर प्रदेश
9. संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली

सीमा सड़क संगठन ने निम्नलिखित राज्यों में रबड़ आशोधित डामर प्रयोग के परीक्षण किए हैं :-

1. असम
2. अरुणाचल प्रदेश
3. जम्मू और कश्मीर
4. मिजोरम
5. राजस्थान

(च) सरकार ने प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

[अनुवाद]

नकली डाक-टिकटें

*111. **श्री शीश राम सिंह रवि :**
श्री मोहम्मद शहाबुद्दीन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नकली डाक टिकटें परिचालन में हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार के ध्यान में अब तक ऐसे कितने मामले लाये गये हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान देश में डाक-टिकटों की कुल कितनी आवश्यकता है;

(घ) क्या देश में डाक-टिकटों की कोई कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ङ) पिछले दो वर्षों में, देश में विभिन्न डाक सर्किलों से नकली डाक-टिकटों के केवल 16 मामलों की रिपोर्ट मिली तथा इस संबंध में तत्काल कार्रवाई की गई। इन सभी मामलों की सूचना पुलिस/केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दी गई तथा पुलिस प्राधिकारियों ने इन मामलों में शामिल 32 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इनमें 19 बाहरी व्यक्ति तथा 13 विभागीय कर्मचारी थे। सभी गिरफ्तार कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है। हालांकि, इन मामलों में पुलिस/सीबीआई की जांच चल रही है, विभाग ने भी साथ ही साथ कार्रवाई शुरू की तथा इन मामलों में 9 और कर्मचारियों के शामिल होने का पता लगाया। इस प्रकार, 22 कर्मचारियों में से 10 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। शेष 12 कर्मचारियों के मामले में, चूंकि पुलिस की जांच चल रही है, इसलिए विभागीय कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकी। विभाग ने सभी सर्किल अध्यक्षों को नकली डाक-टिकटों के उपयोग के खिलाफ सतर्कता को और कड़ी करने के विस्तृत निदेश जारी किए हैं।

पता लगाई गई/जब्त की गई नकली डाक-टिकटों, इसमें शामिल व्यक्तियों की संख्या तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है, जिसमें इन मामलों में शामिल डाकघरों के नाम भी हैं।

चालू वित्त वर्ष के दौरान, देश में डाक-टिकटों की कुल अनुमानित आवश्यकता 6,84,25,400 इशू शीट्स है (5,77,73,300 सार्वजनिक डाक-टिकट और 1,06,21,000 सरकारी डाक-टिकट)। ये डाक-टिकट भारत सरकार प्रतिभूति मुद्रणालय, आई एस पी नासिक द्वारा मुद्रित किये जाते हैं और सभी डाकघरों के माध्यम से देश में इनका वितरण होता है। इस समय केवल राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु सर्किलों में 50/- रु० मूल्यवर्ग की सार्वजनिक डाक-टिकटों की कमी है क्योंकि यह एक बहुरंगी डाक-टिकट है तथा इसके मुद्रण के लिए आई एस पी नासिक द्वारा प्रयोग की जाने वाली फोटोग्रेव्योर

मुद्रण मशीन 'रैमब्रैन्ट' खराब है और इसकी मरम्मत की जा रही है। इस मूल्यवर्ग की डाक-टिकट की कमी को पूरा करने के लिए विभाग ने 20/-रु० और 10/-रु० मूल्यवर्ग की सार्वजनिक डाक-टिकटों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की है। किसी अन्य मूल्यवर्ग की सार्वजनिक डाक-टिकटों की कोई कमी नहीं है।

विवरण

क्र. सं.	सर्किल का नाम	स्थान	पता लगाने की तारीख	पता लगाई गई/जब्त की गई जाली डाक-टिकटों का ब्यौरा			शामिल व्यक्तियों की संख्या			गिरफ्तार व्यक्तियों की सं०		
				मूल्यवर्ग	सं०	मूल्य(रु०)	विभा.	ईडी.	बाहरी	विभा.	बाहरी	कुल
1.	असम	नाहरबाड़ी डाकघर	अप्रैल, 99	5/-	13	65/-	1	—	1	1	1	2
				1/-	8	8/-						
2.	दिल्ली	एनडीआरएस टीएमओ जनकपुरी और डेसू कालोनी डाकघर	फरवरी, 99 जनवरी, 2000	10/- 10/-	3 15	30/- 150/-	3	2	—	—	—	—
3.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता जीपीओ	दिसम्बर, 99	50/-	15	750/-	4	—	5	4	5	9
4.	राजस्थान	जयपुर	जनवरी, 99	2/- 1/-	894 3811	1788/- 3811/-	2	2	3	4	3	7
5.	बिहार	अशोक नगर (रांची)	मार्च, 99	5/- 10/-	7 2	35/- 20/-	1	—	—	—	—	—
		बाड़ (नालंदा)	सितम्बर, 99	2/-	41	82/-	1					
		जमालपुर	अक्तूबर, 99	2/-	12	24/-						
		पटना	मार्च, 99	5/-	198	990/-						
		पटना	मार्च, 99	5/-	12	60/-						
		बांकीपुर एचओ	मार्च, 99	2/-	2	4/-						
6.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	जून, 99	20/-	2	40/-	1	—	—	1	—	1
		ठाणे										
		मुम्बई	नवम्बर, 99	1,2,3,5, 10,20,50 और 1/- रु. की राजस्व टिकट	3,30,48	530/-	1	—	7	1	7	8
7.	उत्तर प्रदेश	नोएडा और मेरठ	मई, 2000	1,2,3, 5,10/-	एनए	32,100/-	—	—	3	—	3	3
		तेतरी बाजार बस्ती		5/-	86	430/-	2	—	—	2	—	2
8.	उत्तर-पूर्व	दीमापुर	सितम्बर, 99	5/-	72	360/-	2	—	—	—	—	—
	कुल					3,30,89, 253/-	18	4	19	13	19	32

[हिन्दी]

सड़क दुर्घटनाएं

*112. डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री ओरा सिंह मान :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सड़कों की लम्बाई के दृष्टिकोण से विश्व के अन्य देशों की तुलना में देश में वाहनों की संख्या कम है;

(ख) यदि हां, तो जापान, अमेरिका, हांगकांग, पाकिस्तान और मलेशिया की तुलना में भारत की क्या स्थिति है;

(ग) क्या देश मे उपरोक्त देशों की तुलना में गाड़ियों की संख्या कम होने के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं के मामले अधिक हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भारत में सड़क दुर्घटनाओं की औसत वार्षिक संख्या कितनी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : (क) और (ख) भारत में प्रति कि.मी. सड़क लम्बाई के हिसाब से मोटर वाहनों की कुल संख्या यू एस ए, जापान, हांगकांग और मलेशिया की तुलना में कम है। पाकिस्तान और भारत में सड़कों की कुल लम्बाई, प्रयोग में लाए जा रहे मोटर वाहनों की कुल संख्या और प्रति कि.मी. सड़क लम्बाई के हिसाब से प्रयुक्त मोटर वाहनों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) अन्य देशों से संबंधित मोटर वाहनों की संख्या के संदर्भ में सड़क दुर्घटनाओं के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। भारत में सड़क दुर्घटनाओं की वार्षिक औसत संख्या लगभग 3 लाख प्रतिवर्ष है।

विवरण

विभिन्न देशों में सड़कों की कुल लम्बाई, प्रयोग में लाए जा रहे मोटर वाहनों की कुल संख्या और प्रति कि.मी. सड़क लम्बाई के हिसाब से मोटर वाहनों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	देश का नाम	वर्ष	सड़कों की कुल लम्बाई (कि.मी.)	प्रयोग में लाए जा रहे मोटर वाहनों की कुल संख्या	प्रति कि.मी. सड़क लम्बाई के हिसाब से मोटर वाहनों की संख्या (मो.वा./सड़क)
1	2	3	4	5	6
1.	भारत	1997	2465877	37231000	15.10
		1996	2367062	33783000	14.27
2.	यू एस ए	1996	6307584	210225288	33.33
3.	जापान	1996	1147532	84191360	73.37
4.	हांगकांग	1997	1760	531739	302.12
5.	पाकिस्तान	1997	229934	3133776	13.63
		1996	224774	2896919	12.89
6.	मलेशिया	1996	94500	7686684	81.89

स्रोत : 1. अंतर्राष्ट्रीय सड़क संघ, जिनके द्वारा प्रकाशित विश्व सड़क आंकड़े, 1999

2. भारत के मोटर परिवहन आंकड़े 1996-97

3. भारत के मूल सड़क आंकड़े 1996-97

नोट : भारत में मोटर वाहनों की संख्या संबंधी आंकड़े कुल पंजीकृत मोटर वाहनों पर आधारित हैं क्योंकि प्रयोग में लाए जा रहे मोटर वाहनों की कुल संख्या संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

बाघों की मौत

*113. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर स्थित नन्दन कानन प्राणी उद्यान में हाल ही में अनेक बाघ और दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों की मौत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान उक्त उद्यान में कुल कितने बाघ/पक्षियों की मौत हुई;

(घ) क्या इस मामले की कोई प्रारंभिक जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या भविष्य में इन संरक्षित वन्यजीवों को बचाने के लिए राज्यों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं/जारी किए जाने का प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) प्राणि उद्यानों में दुर्लभ वन्यजीवों को बचाने के लिए राज्यों को कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं/जारी किए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ज) 23 जून, 2000 को नंदन कानन चिड़ियाघर में एक सामान्य रंग के

बाघ की मृत्यु हो गई थी। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हुई कि उक्त बाघ की मृत्यु ट्राइपैनोसोमियासिस नामक रोग के कारण हुई थी। एक अन्य बाघ में भी 2 जुलाई, 2000 को इसी तरह की बीमारी के लक्षण देखे गए। इसलिए, चिड़ियाघर के प्राधिकारियों ने आस-पास के बाड़ों के 16 बाघों को तंग पिंजरों में ले जाने के बाद उन्हें "बेरेनिल" के इंजेक्शन दिए। जिस बाघ में 2 जुलाई को बीमारी के लक्षण दिखाई दिए थे, उसकी 4 जुलाई को मौत हो गई। शेष 15 बाघों में से जिन्हें 3 जुलाई को इंजेक्शन दिए गए थे, 8 बाघों की (छः सफेद और 2 रंगदार) 4 और 5 जुलाई, 2000 के बीच मौत हो गई। क्रमशः 6 और 7 जुलाई, 2000 को एक-एक सफेद बाघ की मृत्यु हो गई। यह भी पता चला है कि 1999 में भी 5 बाघों को इसी तरह की बीमारी लगी थी जिनमें से 3 बाघों की मृत्यु हो गई थी। 1999 में रोगग्रस्त बाघों में से जीवित बचा एक बाघ 23 जून से 7 जुलाई, 2000 की अवधि के बीच मरने वाले 12 बाघों में शामिल था। नन्दन कानन चिड़ियाघर में वर्ष 1999-2000 के दौरान अन्य सामान्य पक्षियों के साथ पांच धनेश (हॉर्न बिल) मरे हैं।

पिछले एक वर्ष के दौरान (जनवरी 1999 से दिसम्बर 1999) नन्दन कानन चिड़ियाघर में बाघ के छः शावकों सहित 11 बाघ मरे हैं। इसी चिड़ियाघर में पिछले एक वर्ष के दौरान (जनवरी, 1999 से दिसम्बर 1999) 108 पक्षी भी मर चुके हैं। इसमें महाचक्रवात की वजह से मरने वाले 61 पक्षी भी शामिल हैं।

केन्द्रीय सरकार को इन मौतों के बारे में सूचना 5 जुलाई, 2000 की सुबह दी गई थी। मंत्रालय ने बाघों की मृत्यु के कारणों का पता लगाने और इस तरह की घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के संबंध में उपाय सुझाने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। उक्त समिति को 7 जुलाई, से अपना कार्य आरम्भ करने और 15 जुलाई, 2000 तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। अन्तरिम अवधि में मंत्रालय ने 19 और 20 जुलाई, 2000 को नंदन कानन चिड़ियाघर में हुई घटनाओं पर चर्चा के लिए विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने का भी निर्णय किया। केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिकारियों ने 21 जुलाई, 2000 को मुख्य सचिव, उड़ीसा सरकार, मुख्यमंत्री, उड़ीसा सरकार के सचिव, प्रधान सचिव (वन) और मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), उड़ीसा सरकार के साथ एक बैठक की थी।

उक्त रोग फैलने के कई कारण रहे होंगे जिनमें बाड़ों के अन्दर जानवरों की अधिक संख्या, चारदीवारी में दरार पड़ने के कारण चिड़ियाघर में पशुधन का प्रवेश, सफेद बाघ सफारी की बाड़ जो चक्रवात के कारण नष्ट हो गई थी, की मरम्मत न होना, भोजन देते समय साफ-सफाई न बरतना, मलजल निकासी की अपर्याप्त व्यवस्था, बाड़ों के आसपास के क्षेत्र में झाड़ियों के कारण रोगाणु वाहकों की बढ़ी हुई संख्या आदि है।

मंत्रालय का यह स्पष्ट विचार है कि स्थिति का सामना करने में चिड़ियाघर के प्रशासन द्वारा बरती गई व्यवस्था अपर्याप्त थी। 1999 के दौरान 3 बाघों की इसी बीमारी के कारण हुई मौतों और दोबारा 23 जून, 2000 को पहले बाघ की मौत के बाद चिड़ियाघर के प्राधिकारी उपयुक्त समस्या के समाधान हेतु उपाय ढूंढने में नाकाम रहे। इस अवधि के दौरान बाघों के रक्त में परजीवियों की संख्या का पता लगाने के लिए और 23 जून से 2 जुलाई, 2000 की अवधि के बीच बीमार जानवरों को प्रोफिलैस्टिक उपचार मुहैया कराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस लापरवाही के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को इन विचारों से अवगत करा दिया गया है।

भारत सरकार ने चिड़ियाघर नियमावली 1992, मान्यता के तहत देश के सभी चिड़ियाघरों को रख-रखाव, स्वास्थ्य देख-भाल, स्वच्छता, भोजन खिलाने और सफाई संबंधी न्यूनतम मानकों के पालन किए जाने संबंधी स्थायी दिशा निर्देश जारी किए हैं।

इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श करके एक विस्तृत योजना तैयार की गई है और इस कार्य योजना को राज्य सरकार के माध्यम से क्रियान्वित करने के लिए मंत्रालय द्वारा ध्यानपूर्वक मॉनीटरी की जा रही है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए प्रस्तावित सुरक्षा उपाय निम्नलिखित हैं-

(क) जानवरों के रहने के स्थान और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की सुविधाओं का उन्नयन।

- सभी बड़े मांसभक्षी जानवरों में परजीवी रोगाणुओं की संख्या का पता लगाकर आवश्यकतानुसार प्रोफिलैटिक की मात्रा देना।
- चार दीवारी और सफारी की सुरक्षा बाड़ की मरम्मत का काम प्राथमिकता के आधार पर करना।
- प्रत्येक बाघ के लिए अलग से भोजन खिलाने के लिए सैल मुहैया कराना तथा इसके साथ ही प्रत्येक तंग पिंजरों की आवधिक जांच और नियमित समय पर उपचार भी मुहैया कराना।
- बाड़ों की खंदकों को सूखा रखना।
- प्रत्येक बाड़े के भोजन कक्ष में पेयजल की व्यवस्था के साथ-साथ जल कुण्डों की व्यवस्था करना।

(ख) रोग का निवारण :-

- चिड़ियाघर से 5 कि.मी. की दूरी के भीतर सभी तरह के पशुधन का टीकाकरण।
- चिड़ियाघर के जानवरों को आपूर्ति करने के प्रयोजनार्थ मारे गए सभी जानवरों का एन्टीमार्टम और पोस्टमार्टम करना।
- चिड़ियाघर के पशु चिकित्सकों द्वारा जानवरों का दिए जाने वाले मांस की नियमित आधार पर गुणवत्ता जांच करना।
- जानवरों को दिया जाने वाला मांस साफ-सफाई का ध्यान रखते हुए एवं संकरे पात्रों में देना।

– चिड़ियाघर में जीवनरक्षक औषधियों का आवश्यक भंडार रखना और नियमित रूप से इसका पुनर्भरण करना।

(ग) प्रशासनिक और वित्तीय मामले :-

– निधियों को सीधे केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से चिड़ियाघर प्रशासन को मुहैया कराने की राज्य सरकार द्वारा अनुमति देना।

– चिड़ियाघर के लिए एक पूर्णकालिक निदेशक की व्यवस्था करना।

– चिड़ियाघर में कम से कम 5 वर्षों के लिए प्रशिक्षित पशुचिकित्सकों की नियुक्ति करना।

(घ) सामान्य :-

– राज्य सरकार चिड़ियाघर के क्रियाकलापों के पर्यवेक्षण के लिए एक प्रबंध समिति का गठन करेगी और तीन माह में कम से कम एक बार उसकी बैठक आयोजित करेगी।

– केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा एक विशेषज्ञ दल का गठन किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को आवधिक मूल्यांकन के आधार पर चिड़ियाघर का दौरा करेगा। उक्त दल द्वारा बिल्ली प्रजाति के ऐसे सभी बड़े जानवरों की पोस्टमार्टम रिपोर्टों की जांच भी की जाएगी जो बीच की अवधि के दौरान मौत का शिकार हुए हैं।

– चिड़ियाघर में एक उपयुक्त स्थान पर एक आगन्तुक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें चिड़ियाघर के प्रबंधन के इच्छुक लोग अपने सुझाव दे सकते हैं और इन सुझावों पर प्रबंधन समिति द्वारा समुचित ध्यान दिया जाएगा।

[हिन्दी]

नई स्वास्थ्य नीति

*114. **श्री जय प्रकाश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी के लिए स्वास्थ्य के कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र हेतु लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्राप्त सुझावों पर अध्ययन पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, 1983 की वर्तमान स्वास्थ्य नीति को कब तक घोषित किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (ग) 'सब के लिए स्वास्थ्य' देश की स्वास्थ्य नीति का समग्र लक्ष्य है जिसमें विशेष रूप से गरीबों और लाभ से वंचित लोगों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं पहुंचाने की परिकल्पना है सरकार विविध राष्ट्रीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सीय जनशक्ति में वृद्धि करने सहित अनेक उपायों के जरिए बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही है।

देश में 1983 से, जब पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई गई थी, आए महत्वपूर्ण जानपदिक रोग विज्ञानी और जनांकिकीय परिवर्तनों को देखते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को संशोधित करने की कार्रवाई शुरू की है।

एक अध्ययन समूह गठित किया गया है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को तैयार करने की प्रक्रिया में है। कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे राज्य स्तर पर जन-स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना, आयुर्विज्ञान शिक्षा सहित मानव संसाधन विकास, अन्तर क्षेत्रीय समन्वय और देशी तथा आधुनिक चिकित्सा के बीच अंत:क्रिया क्षेत्र (इंटरफेस) के बारे में सुझाव प्राप्त करने हेतु चार कार्य समूह भी गठित किए गए हैं कार्य समूहों के सुझावों (इनपुट्स) को संशोधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा शुल्क-वृद्धि

*115. **श्री दिनेश चन्द्र यादव :**
श्री रामजीवन सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने विभागों में शुल्क को हाल ही में इतना अधिक बढ़ा दिया है कि वह वस्तुत: आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस शुल्क को उचित स्तर पर लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (ग) संस्थान ने कुछ क्लिनिकल प्रक्रियाओं और नैदानिक परीक्षणों के प्रभारों में वृद्धि की है। लेकिन ये बहुत चयनात्मक रूप से किये गये हैं और ऐसा बहुत कम प्रतिशत रोगियों के लिए किया गया है जो इनको वहन कर सकते हैं। प्रमुख प्रभार प्राइवेट वार्ड धारिता (अक्यूपेंसी) एवं जांच प्रभार से संबंधित हैं। फिर भी, इस वृद्धि के बाद भी मरीजों से लिये जाने वाले प्रभार अन्य तुलनीय ऐसे ही अस्पतालों/नैदानिक केंद्रों की मौजूदा दरों के कम से कम एक तिहाई ही हैं।

संस्थान ने पहले से लगाए गए कुछ प्रभारों की भी समीक्षा की है और उनमें भारी कमी की है जैसे एमआरआई, सीएआरटी (एंजीओग्राफी), बाइपास सर्जरी आदि के लिए। वास्तविक रूप से निर्धन लोगों की जरूरतों को पूरा करने के संस्थान के मौलिक अधिदेश (मैंडेट) के अनुरूप बाह्य रोगी के पंजीकरण प्रभार को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं निर्धन और जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

*116. **श्री टी०एम० सेल्वागनपति** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का वित्त-पोषण करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार किस प्रकार इस अनुमानित धनराशि को जुटाने का है;

(ग) दक्षिण-उत्तर और पूर्व-पश्चिम मार्ग के निर्माण कार्य में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अनुमानित धनराशि उपकर कोष, बाजार ऋण, विदेश सहायता और गैर सरकारी वित्तपोषण से एकत्रित की जाएगी।

(ग) उत्तर दक्षिण और पूर्व-पश्चिम कारीडोर की कुल 7300 कि.मी. की लम्बाई में से 630 कि.मी. की लम्बाई पूरी कर ली गई है।

वाहनों से होने वाला प्रदूषण

*117. **श्रीमति कान्ति सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण वाहन अधिक प्रदूषण फैलाते हैं और प्रवर्तन में ढील होने के कारण देश के तालुका/खण्ड विकास कस्बों के ग्रामीण क्षेत्रों को वाहनों के भारी प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या बैलगाड़ी/घोड़ागाड़ी, आदि जैसे गैर-मोटर परिवहन के साधन, मोटर वाहनों के लिए आसान ऋण प्राप्त होने के कारण तेजी से समाप्त हो रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-मोटर वाहनों के लिए ऐसे ऋण नहीं दिए जाते;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में यूरो-II, III मानकों वाले ट्रैक्टर और अन्य मोटर परिवहन चलाने का निर्देश देने और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले गैर-मोटर वाहनों के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) सभी मोटर वाहनों द्वारा विनिर्माण की अवस्था में निर्धारित उत्सर्जन मानकों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों की कम संख्या होने के कारण वहां वाहन जनित प्रदूषण की समस्या अधिक गंभीर नहीं है।

(ख) सरकार के पास ऋण देने संबंधी मामले में मोटर वाहनों और गैर-मोटर वाहनों में भेदभाव संबंधी कोई नीति नहीं है।

(ग) से (ङ) सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों के लिए यूरो-II और III उत्सर्जन मानक निर्धारित करने संबंधी ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है। फिर भी, सरकार ने ट्रैक्टरों के लिए अलग से उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए हैं जोकि 1.10.1999 से प्रभावी हैं। चूंकि ट्रैक्टरों का प्रयोग अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में होता है इसलिए गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं पर विचार नहीं किया गया है।

नागर विमानन प्राधिकरण

*118. **श्री दिनशा पटेल** :
श्री जी०बे० जावीया :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित नई नागर विमानन नीति में नागर विमानन प्राधिकरण की स्थापना के बारे में काफी मतभेद है;

(ख) यदि हां, तो नागर विमानन प्राधिकरण की स्थापना होने पर नागर विमानन महानिदेशालय और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की क्या भूमिका होगी;

(ग) क्या नागर विमानन महानिदेशालय और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के विलय को अब अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) जी, नहीं। नागर विमानन नीति के मसौदे के अंतर्गत विमान परिवहन में क्रमिक वृद्धि के मद्देनजर कारगर, लागत प्रभावी व्यवस्था तथा अर्न्तराष्ट्रीय मानकों के अनुसार संरक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धात्मक नागर विमानन वातावरण तैयार करने हेतु एक नीति संबंधी फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जो देश के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में सहायक होगा। नीति संबंधी इस दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसकी घोषणा निकट भविष्य में कर दी जाएगी।

नई राष्ट्रीय खेलकूद नीति

*119. **श्री नरेश पुगलिया** :
श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु एक नई राष्ट्रीय खेलकूद नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संबंधित सभी राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघों, राज्य सरकारों तथा विशिष्ट खिलाड़ियों के साथ विचार विमर्श पूरा कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) उक्त नीति को कब तक घोषित और क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) भारत सरकार खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करने तथा प्रदर्शन में उत्कृष्टता हासिल करने पर बल देने की दृष्टि से एक नई राष्ट्रीय खेल नीति तैयार कर रही है। निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है :

1. खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करना तथा उत्कृष्टता हासिल करना;
2. अवस्थापना का उन्नयन तथा विकास;
3. राष्ट्रीय खेल परिसंघों तथा अन्य उपयुक्त निकायों को सहायता प्रदान करना;
4. खेलों को वैज्ञानिक समर्थन प्रदान करना तथा प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाना;
5. खिलाड़ियों को प्रोत्साहन;
6. महिलाओं, जनजातीय लोगों तथा ग्रामीण युवाओं की सहभागिता को बढ़ावा देना;
7. निगमित क्षेत्रों को खेल संवर्धन में शामिल करना; तथा
8. लोगों में बड़े पैमाने पर खेल भावना के संवर्धन के लिए अधिक जागरूकता सूचित करना।

(ग) से (ङ) अभी तक खेलों से जुड़ी संस्थाओं/व्यक्तियों के प्रतिनिधि मंडल, भारतीय ओलम्पिक संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय खेल परिसंघों तथा राज्य सरकारों से भी विचार-विमर्श कर लिया गया है। सभी वर्गों से प्राप्त सुझावों की सावधानीपूर्वक जांच की गई और जहां संभव हुआ, इनको राष्ट्रीय खेल नीति के मसौदे में शामिल किया गया। हाल ही में 11 जुलाई, 2000 को आयोजित की गई संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की कार्यसूची में *नई राष्ट्रीय खेल नीति* चर्चा हेतु शामिल थी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल नीति के मसौदे पर अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के संघ की टिप्पणियां मांगी हैं तथा टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद इनके साथ बैठक में इन पर चर्चा की जाएगी। नई राष्ट्रीय खेल नीति यथा संभव शीघ्र घोषित कर दी जाएगी।

एयर इंडिया और वर्जिन अटलांटिक के बीच समझौता

*120. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :**
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जुलाई, 2000 के दि हिन्दुस्तान टाइम्स में वर्जिन अटलांटिक ए ब्रेट टु एअर इंडिया शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिसंबर, 1999 में एयर इंडिया और वर्जिन अटलांटिक के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एयर इंडिया और वर्जिन अटलांटिक के बीच हुए कूट अंश समझौते में अधिकांशत: ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनका पूर्णत: अनुपालन किए जाने से एयर इंडिया पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ सकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्जिन एटलांटिक और एयर इंडिया की उड़ानों का समय क्या है;

(च) क्या वर्जिन अटलांटिक का उड़ान समय एयर इंडिया से अच्छा है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इससे एयर इंडिया पर किस तरह का प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) इस करार में वर्जिन अटलांटिक को एयर इंडिया द्वारा उपयोग न किए गए यातायात अधिकारों का उपयोग करते हुए लन्दन-दिल्ली-लन्दन मार्ग पर 3 सेवाएं/सप्ताह के प्रचालन की अनुमति है। ये उड़ानें कोड शेयर/ब्लॉक स्पेस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रचालित की जाएंगी। अभी तक केवल दो सेवाएं सप्ताह में प्रचालित की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मौजूदा उड़ान समयावलियां इस प्रकार हैं :-

वर्जिन अटलांटिक समयावली

दिल्ली/लन्दन	वीरवार/शनिवार	प्रस्थान 1405/आगमन 1825
लन्दन/दिल्ली	बुद्धवार/शुक्रवार	प्रस्थान 2230/आगमन 1135+1

एयर इंडिया समयावली

दिल्ली/लन्दन	सोमवार/बुद्धवार/रविवार	प्रस्थान 0645/आगमन 1130
	मंगलवार	प्रस्थान 0530/आगमन 1015
लन्दन/दिल्ली	सोमवार/मंगलवार/वीरवार	प्रस्थान 0945/आगमन 2240
	शनिवार	प्रस्थान 1200/आगमन 0055+1

(च) और (छ) दिल्ली से चलने वाली एयर इंडिया की उड़ाने लन्दन में सुबह पहुंचती है और आगे जाने वाली उड़ानों के लिए यात्रियों को बेहतर संपर्क-सुविधाएं देती हैं। वर्जिन अटलांटिक की उड़ानें लंदन में शाम को पहुंचती हैं जिससे भारत आने वाले यात्रियों को लाने के लिए रात को लन्दन में ही ठहरना पड़ता है।

प्रायोगिक परियोजना

1092. **श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिक्किम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के सभी प्रखंड-मुख्यालयों को इंटरनेट से जोड़ने की कोई प्रायोगिक परियोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रायोगिक परियोजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) मार्च, 2001 तक सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में इंटरनेट-सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

रबड़ बागान

1093. **श्री समर चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की स्वीकृति न मिलने के कारण त्रिपुरा में आदिवासी लोगों के पुनर्वास हेतु 7500 हैक्टेयर भूमि को रबड़ बागान के अंतर्गत लाने संबंधी एक प्रस्ताव लंबित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) वर्ष 1992 में मंत्रालय को झुमियाओं के पुनर्वास के लिए रबड़ वृक्षारोपण हेतु 9019.52 हैक्टेयर और 343.21 हैक्टेयर वन भूमि को हस्तांतरित करने के लिए त्रिपुरा सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। 9019.52 हैक्टेयर के पहले प्रस्ताव पर मंत्रालय द्वारा विचार किया गया और प्रथम चरण में 1500 हैक्टेयर को 23.12.1997 को मंजूरी प्रदान की गई। राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में सफलतापूर्वक रबड़ वृक्षारोपण करने और इसकी रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत करने के पश्चात ही बकाया क्षेत्र पर विचार किया जाएगा। राज्य सरकार ने अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद भी अभी तक प्रगति रिपोर्ट नहीं भेजी है।

राज्य सरकार से ऊपर उल्लिखित प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा में 343.21 हैक्टेयर के दूसरे प्रस्ताव पर निर्णय लेना संभव नहीं हो सका।

सिक्किम में दूरसंचार-सुविधाएं

1094. **श्री सुरेश चन्देल : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गंगटोक में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग, वायरलैस टेलीफोनी उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सिक्किम में एस.टी.डी.-सर्किट अत्यधिक कम हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग जैसी आईएसडीएन-सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए गंगटोक टेलीफोन-एक्सचेंज का उन्नयन करने की योजना है। वर्ष 2001-2002 के दौरान गंगटोक में वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल)-प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) एसटीडी-सेवाओं में और सुधार लाने के लिए अधिकांश एक्सचेंजों में ऑप्टिकल फाइबर संपर्कता प्रदान की जा रही है।

[हिन्दी]

पूर्णिया में राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपमार्ग का निर्माण

1095. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पूर्णिया में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक उपमार्ग का निर्माण किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है ताकि उक्त मार्ग पर भारी यातायात को नियंत्रित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान इसके लिए कितना बजटीय आबंटन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो पूर्णिया के लोगों की आवश्यकताओं को कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी नहीं, पूर्णिया में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइपास बहुत पहले बन चुका है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इअर इंडिया द्वारा सम्पत्ति की बिक्री

1096. **श्री सिमरनजीत सिंह मान : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया ने गत वर्ष के अपने तुलन-पत्र में आंकड़े को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया है; और

(ख) गत एक वर्ष के दौरान भारत और विदेश, दोनों में एअर इंडियाा द्वारा बेची गई सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) एअर इंडिया ने वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान, भारत और विदेशों में किसी भी परिसम्पत्ति का निपटान नहीं किया है।

केरल में सबरीमाला मंदिर

1097. **श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में सबरीमाला मंदिर के विकास हेतु केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सबरीमाला का दौरा करने और भूमि के उपयोग संबंधी आंकलन करने हेतु कोई अध्ययन दल भेजा है;

(घ) यदि हां, तो क्या केरल सरकार ने अतिरिक्त भूमि के लिए कोई वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मंराडी) : (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार ने 1993 में सबरीमाला मंदिर के तीर्थयात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 115.60 हैक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जब इस प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही थी, राज्य सरकार ने दिसम्बर, 1995 में इसी प्रयोजन के लिए 20 हैक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाने का दूसरा प्रस्ताव भेजा था। राज्य सरकार से एक अध्ययन करने का अनुरोध किया गया था ताकि क्षेत्र में विकास गतिविधियों के किसी भी प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सके और एक दीर्घकालीन मास्टर योजना तैयार की जा सके क्योंकि अधिकांश वन क्षेत्र पेरियार बाघ रिजर्व का भाग है। बार-बार अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद भी राज्य सरकार ने सभी अपेक्षित सूचना नहीं भेजी। इसी बीच मंत्रालय ने चेरियनोबाटम में मलजल शोधन संयंत्र के निर्माण के लिए 26.11.1998 को 0.4225 हैक्टेयर क्षेत्र को उपयोग में लाने की मंजूरी दे दी थी क्योंकि यह स्थल विशिष्ट एवं पारिस्थितिकी अनुकूल उपयोग के लिए था तथा जल में वृद्धि करने के लिए कुन्नार में एक चैक बाघ के निर्माण के लिए 0.20 हैक्टेयर और 2.2.2000 को पार्किंग सुविधाओं के लिए पाम्बा में 5.00 हैक्टेयर के उपयोग की अस्थायी मंजूरी प्रदान की गई।

(ग) जी, हां। श्री ओ. राजगोपाल, माननीय विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्री के नेतृत्व में एक समिति तथा श्री रमेश चेनिथला, संसद सदस्य ने 26 और 27 मार्च, 2000 को स्थल का निरीक्षण किया। समिति ने विस्तृत टिप्पणी की और पाम्बा से अनाधिकृत निर्माण तथा वहां से कूड़ा-कचरे के हटाने, सम्पूर्ण परिसर की एक दीर्घकालीन विस्तृत मास्टर योजना तैयार करने, पाम्बा नदी के प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्य योजना आदि तैयार करने का सुझाव दिया था। राज्य सरकार को 8.6.2000 को लिखा गया था कि उपर्युक्त सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू कर दें और तद्नुसार मंत्रालय के नए सिरे से विचारार्थ एक प्रस्ताव तैयार करें। इसे ध्यान में रखते हुए, शेष क्षेत्र के लिए पहले से भेजे गए प्रस्ताव को बंद कर दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेश संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और दूरसंचार विभाग का निजीकरण

1098. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेश संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और दूरसंचार विभाग का निजीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चित्रकूट, सतना और जबलपुर के लिए विमान सेवाएं

1099. **श्री रामानन्द सिंह** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का मध्य प्रदेश के चित्रकूट, सतना और जबलपुर को विमान सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस जबलपुर के लिए/से प्रति सप्ताह 3 सेवाओं का प्रचालन कर रही है। कोई भी एयरलाइन चित्रकूट और सतना से/के लिए कोई विमान सेवा का प्रचालन नहीं कर रही है। एयरलाइनें, मार्ग वितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के आधार पर, जिनमें मार्गों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों में न्यूनतम प्रचालनों की व्यवस्था है, यातायात मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं।

युवा समन्वयनकर्ताओं हेतु परीक्षा

1100. **श्री रिजवान जहीर :** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1996-97 में युवा समन्वयनकर्ताओं के पद के लिए कोई परीक्षा आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इन पदों पर नियुक्तियां की गयी हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में युवा समन्वयनकर्ताओं की भर्ती के लिए सरकार की क्या योजना है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, जो कि युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है, ने नवम्बर 1997 महीने में युवा समन्वयकों के पद के लिए लिखित परीक्षा/साक्षात्कार का आयोजन किया था।

(ख) से (घ) नियुक्तियां नहीं की गई हैं क्योंकि इन पदों के सृजन के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

सामान्य बिक्री अभिकर्ताओं की जगह परामर्शदाताओं को रखना

1101. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वितरण लागत का कम करने की दृष्टि से, एअर इंडिया ने सामान्य बिक्री अभिकर्ताओं (जी.एस.ए.) की जगह परामर्शदाता (कंसलर्टेंट्स) रख लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय एअर इंडिया सामान्य बिक्री अभिकर्ताओं को कितना कमीशन दे रही है;

(घ) इस परिवर्तन से एअर इंडिया को प्रतिवर्ष कितनी राशि की बचत होगी;

(ङ) क्या इस निर्णय को सभी वायुमार्गों पर लागू किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (च) यात्री तथा माल के परिवहन से संबंधित विमानन उद्योग कार्यविधियों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, एअर इंडिया ने प्रत्येक क्षेत्र के लिए कुछ कंसोलिडेटर्स के साथ बड़े राज्य क्षेत्रों में सामान्य बिक्री एजेंटों को बदलने के लिए कार्रवाई करने का निर्णय किया है। इससे न केवल व्यापक मार्केट कवरेज होगी बल्कि उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा प्रोत्साहित होगी जिससे एयरलाइनों तथा उपभोक्ता दोनों को लाभ होगा। सामान्यतया 9 प्रतिशत एजेंसी कमीशन के अतिरिक्त सामान्य बिक्री एजेंट (अभिकर्ता) ओवरराइडिंग कमीशन के भी अधिकारी होते हैं जो 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होता। एयर इंडिया द्वारा बचाए जाने वाली राशि को मात्रात्मक रूप से बताना संभव नहीं है क्योंकि यह एक राज्यक्षेत्र से दूसरे राज्यक्षेत्र में अलग-अलग होगी तथा यह नए नियुक्त किए गए कंसोलिडेटर्स की उनके लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य निष्पादन पर निर्भर करेगा।

खेतड़ी ताम्र परियोजना

1102. **श्री साहिब सिंह :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतड़ी तांबा परियोजना किस तारीख को शुरू, नियोजित, विकसित और निर्मित हुई थी और इसने कब से काम करना शुरू किया;

(ख) इस परियोजना को शुरू करने के समय क्या लक्ष्य और उद्देश्य रखे गये थे;

(ग) इन लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस सीमा तक पूरा कर लिया गया है;

(घ) गत पांच वर्षों में इसका औसत उत्पादन कितना है;

(ङ) आगामी पांच वर्षों में संभावित उत्पादन कितना होगा;

(च) क्या खेतड़ी तांबा परियोजना ठप्प पड़ी है और घाटे में चल रही है; और

(छ) यदि हां, तो इस इकाई को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने हेतु विस्तृत मुख्य आदान क्या हैं ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव हिंडसा) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने खेतड़ी पट्टी, में 1954 में, पूर्वेक्षण प्रारंभ किया। भारतीय खान ब्यूरो द्वारा 1957 में इस क्षेत्र में गवेषणात्मक खनन शुरू किया गया। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा 1961 में खेतड़ी ताम्र परियोजना की शुरुआत की गई। खेतड़ी कॉपर काम्प्लैक्स (के.सी.सी.) को, 9 नवम्बर, 1967 को, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एच.सी.एल.) को हस्तांतरित किया गया तथा 1970 के अंत में ताम्र अयस्क का उत्पादन शुरू हुआ। 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में, के.सी.सी. में विभिन्न संयंत्रों की अभिकल्पना तथा निर्माण किया गया। सांद्रक को 1973 में चालू किया गया जबकि प्रगालक तथा शोधनशाला को 1974 में चालू किया गया।

(ख) और (ग) के.सी.सी. इकाई, मूलतः रक्षा, विद्युत, दूरसंचार आदि में बहु-प्रकार से प्रयोग होने वाली तांबा जैसी एक महत्वपूर्ण धातु का स्वदेशी स्रोत प्राप्त करने तथा बाह्य देशों से इस महत्वपूर्ण धातु की प्राप्ति में निर्भरता को कम करने के लिए शुरू की गई। उपरोक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिन्दुस्तान कॉपर लि० की स्थापना की गई तथा ताम्र अयस्क में निहित बहुमूल्य धातु की प्राप्ति सहित, ताम्र खनिज, उत्खनन तथा धातु निर्माण और अन्य संबंद्ध उपोत्पादों हेतु गवेषण, पूर्वेक्षण और खनन गतिविधि का कार्य इसे सौंपा गया।

अपनी स्थापना के 25 वर्षों के बाद भी, के.सी.सी. उस उद्देश्य, जिसके लिए इसकी स्थापना हुई थी, को आंशिक रूप से ही प्राप्त कर सका है। के.सी.सी. खनन तथा प्रगालन दोनों कार्यों में आधुनिक प्रौद्योगिकी को शुरू करने तथा सम्मिलित करने में समर्थ रहा है। के.सी.सी. का उत्पाद, कॉपर कैथोड, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है तथा खेतड़ी शोधनशाला में उत्पादित कैथोड से हिन्दुस्तान कॉपर लि० अपने तालोजा, कॉपर प्रोजेक्ट में अच्छी किस्म की कंटीन्युअस कास्ट रॉड का उत्पादन करने वाली, देश की प्रथम कंपनी है।

(घ) खेतड़ी कॉपर काम्प्लैक्स में पिछले पांच वर्षों के दौरान, कॉपर कैथोड का उत्पादन निम्नवत रहा है:-

मद	95-96	96-97	97-98	98-99	99-2000
कैथोड (टन में)	29544	20756	26120	25489	23670

(ङ) खेतड़ी कॉपर काम्प्लैक्स में, अगले पांच वर्षों के दौरान कॉपर कैथोड का उत्पादन लगभग 28,000 टन प्रति वर्ष होने का अनुमान है।

(च) से (छ) खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट चालू हालत में है जबकि किसी अन्य औद्योगिक/खनन उपक्रम की तरह इसमें नियोजित/अनियोजित शटडाउन होते रहते हैं।

सरकार ने हिन्दुस्तान कॉपर लि० (के.सी.सी. सहित) को व्यवहार्य बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें 31.3.98 को 180.73 करोड़ रुपये के बकाया ऋण का इक्विटी में बदलना, 167.43 करोड़ के बकाया ब्याज को माफ करना तथा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना की मार्फत अधिशेष श्रमशक्ति कम करने के लिए 1998-99 से 2001-2002 के दौरान 414 करोड़ रुपये के गैर-योजना ऋण को सिद्धांत रूप में मंजूरी देना शामिल है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से 150 करोड़ रुपए के कार्यशील पूंजी आवधिक ऋण प्राप्त करने के लिए हिन्दुस्तान कॉपर लि० को सरकार की तरफ से गारंटी उपलब्ध कराई गई। इन सभी उपायों के बावजूद, तांबे की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों (एल.एम.आई.) में तीव्र गिरावट, निजी ताम्र उत्पादकों द्वारा प्रतिस्पर्धा जिनकी सस्ते आयातित सांद्र तक पहुंच है, कुछ तांबा खानों में घटिया अयस्क ग्रेड का होना, आदि प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान कॉपर लि० को हानि उठानी पड़ी है।

आप्टिकल फाइबर केबल्स

1103. **श्री अशोक ना० मोहोल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा टेलीफोन केन्द्रों को आप्टिकल फाइबर केबल्स प्रदान करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किया गया है;

(ख) महाराष्ट्र के पुणे और खेड़ जिलों और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में किन-किन टेलीफोन केन्द्रों में आप्टिकल फाइबर केबल्स के बिना 1000 अथवा 1000 से अधिक लाइनें हैं;

(ग) क्या सरकार को दूसरे केन्द्रों को जाने वाली कॉलों और दूसरे केन्द्रों से आने वाली कॉलों, जिसमें एसटीडी/आईएसडी कॉलें भी शामिल हैं, के लिए लाइनों की उपलब्धता के बारे में उन टेलीफोन केन्द्रों विशेषकर ताल (हमीरपुर) टेलीफोन केन्द्र के उपभोक्ताओं के समक्ष आ रही समस्याओं की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो इन टेलीफोन केन्द्रों, जिनमें 1000 लाइनें हैं, विशेषकर ताल (हमीरपुर) और पुणे टेलीफोन केन्द्र को आप्टिकल फाइबर केबल प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) उक्त आप्टिकल फाइबर केबल्स कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) मार्च, 2002 तक सभी टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए उत्तरोत्तर रूप से विश्वसनीय माध्यम उपलब्ध कराने की योजना है। एक्सचेंजों की क्षमता और तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए माध्यम का चयन किया जाता है, आप्टिकल फाइबर मुख्य रूप से मैदानी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

(ख) महाराष्ट्र के पुणे और खेड़ जिलों में 1000 लाइनों व 1000 लाइनों से अधिक के सभी एक्सचेंजों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है।

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के उन एक्सचेंजों की सूची निम्नानुसार है जिन्हें ऑप्टिकल फाइबर से नहीं जोड़ा गया है।

क्र.सं.	स्टेशन
1.	ताल
2.	बरसार
3.	भोंरज
4.	गलोर

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) इस समय ताल एक्सचेंज जंक्शन केबल के साथ भोटा से 18 सर्किटों से जुड़ा हुआ है और भोटा एक्सचेंज आगे हमीरपुर से ऑप्टिकल फाइबर माध्यम से जुड़ा है। वर्ष 2000-2001 के दौरान, ताल एक्सचेंज को माइक्रोवेव सिस्टम से हमीरपुर से जोड़े जाने की योजना है बशर्ते कि उपस्कर समय पर उपलब्ध हों। गलोर, बरसार और भोरंज पहले ही माइक्रोवेव माध्यम से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार इन एक्सचेंजों को आप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

डाकघर

1104. **श्री मानसिंह पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मांडवी क्षेत्र के कितने गांवों में डाकघर की सुविधा है;

(ख) क्या इस क्षेत्र के बहुत सारे गांवों में इस सुविधा का अभाव है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस क्षेत्र के सभी गांवों में उक्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय में राजय मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) वडोदरा क्षेत्र के सूरत डाक डिवीजन के अंतर्गत मांडवी तालुका में 447 गांवों में पंचायत संचार सेवा केन्द्र सहित डाकघर की सुविधाएं सुलभ हैं।

(ख) मांडवी तालुका में 203 गांवों में डाकघर नहीं है। तथापि, उन्हें निकटवर्ती डाकघरों से सेवा प्रदान की जाती है।

(ग) उपर्युक्त 'ख' में उल्लिखित 203 गांव नया डाकघर खोलने के लिए मौजूदा विभागीय मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।

(घ) मांडवी तालुका के सभी गांवों में दैनिक डाक वितरण और लैटर बॉक्सों से प्रतिदिन डाक निकालने की सुविधा है। उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए डाकघर खोलने का औचित्य नहीं है।

[अनुवाद]

हाकी प्रशिक्षण केन्द्र

1105. **श्री सुनील खां** : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाकी खेल के विकास के लिए देश के सभी जिलों में एक हाकी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासियों के अधिकारों को सुदृढ़ करना

1106. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **पर्यावरण एवं वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के वनों की रक्षा के लिए आदिवासियों को साथ में लेकर काम करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या वन अधिनियम के कुछ खण्ड राष्ट्रीय अधिकारों और वनों में रहने वाले आदिवासियों के हितों के खिलाफ हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन खण्डों का संशोधन करने और आदिवासियों के अधिकारों को सुदृढ़ करने का है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय वन नीति 1988 में अनुसूचित जनजाति के लोगों का वनों के साथ जो सहजीवी संबंध है उसे ध्यान में रखते हुए वन विकास निगमों सहित वन प्रबंधन के लिए जिम्मेदार सभी एजेंसियों को वनों के संरक्षण, पुनरुद्धार और विकास के साथ-साथ वनों में और वनों के आस-पास रहने वाले लोगों को लाभदायक रोजगार उपलब्ध कराने में अनुसूचित जनजाति के लोगों को भली भांति शामिल करने का विचार किया गया है अनुसूचित जनजाति के लोगों और ग्रामीण गरीब लोगों के सहयोग से अवक्रमित वन भूमियों के पुनर्वास के लिए "भोगाधिकार हिस्सेदारी के आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित जनजाति और ग्रामीण गरीब लोगों को शामिल करने" पर एक 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम भी कार्यान्वित की है। वन अधिनियमों में वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों के हितों को पूर्ण संरक्षण दिया गया है और यह राष्ट्र के हित में है।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कुपोषण

1107. **श्री राजो सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में, हाल में कुपोषण के संबंध में कोई सम्मेलन आयोजित किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार समाज के गरीब तबकों में व्याप्त कुपोषण की समस्या पर काबू पाने के लिए कोई उपाय करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास हाल ही में बिहार में हुए ऐसे किसी सम्मेलन की कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार ने जनता की कुपोषण स्थिति में सुधार करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए हैं जो इस प्रकार हैं :-

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आर्थिक सहायता वाली लागत पर आवश्यक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता।
2. आय उत्पादक स्कीमों के माध्यम से लोगों की क्रय शक्ति में सुधार करना।

3. स्तनपान को बढ़ावा देने सहित जागरूकता बढ़ाने और खान-पान की आदतों में वांछित बदलाव लाने के बारे में पोषण शिक्षा।

4. अनुपूरक आहार कार्यक्रम जैसे :-

(i) समेकित बाल विकास सेवाएं

(ii) विशेष पोषण कार्यक्रम

(iii) बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम

(iv) गेहूं आधारित अनुपूरक पोषण कार्यक्रम

(v) मध्याह्न आहार कार्यक्रम

उपर्युक्त के अलावा, विशिष्ट सूक्ष्मपोषक कमियों को रोकने हेतु कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं :-

(i) राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम।

(ii) राष्ट्रीय पोषण रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम और विटामिन "ए" की कमी को रोकने संबंधी कार्यक्रम; ये दोनों प्रजनक बाल स्वास्थ्य स्कीम के अंतर्गत आते हैं।

(iii) सूक्ष्म-पोषक कमियों के लिए प्रायोगिक परियोजना।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधा

1108. **प्रो० रासासिंह रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की दूरसंचार आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के क्या कारण हैं;

(ख) किन-किन राज्यों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्राइवेट कम्पनियों को ठेके दिए गए थे और ये ठेके किस-किस तारीख को दिए गए हैं;

(ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन के इच्छुक आवेदकों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(घ) ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के उचित कार्यकरण के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों की दूरसंचार आवश्यकताएं पूरी न होने के कारण इस प्रकार है :

- उचित प्रौद्योगिकी उपलब्ध न होना क्योंकि एमएआरआर प्रौद्योगिकी विश्वसनीय सिद्ध नहीं हुई है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिर पॉवर सप्लाई, सुचारू रोड व्यवस्था आदि जैसी बुनियादी, सुविधाओं की कमी।
- देश के कुछ भागों में अगम्य, कठिन और दुर्गम क्षेत्र।
- कुछ राज्यों में विद्रोह और कड़े कानून तथा व्यवस्था की स्थिति।
- प्राइवेट फिक्स्ड सेवा प्रदाताओं द्वारा कोई सहयोग न दिया जाना।

(ख) बुनियादी दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्राइवेट कंपनियों को 30.9.1997 को आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए तथा 14.3.1998 को राजस्थान के लिए लाइसेंस जारी किए गए थे।

(ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों के इच्छुक आवेदकों की संख्या 18,86,070 है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदम इस प्रकार है :

- ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) और सीधी एक्सचेंज लाइनें (डीईएल) प्रदान करने के लिए डब्ल्यूएलएल और सी-डॉट पीएमपी प्रणालियों की योजना बनाई गई है। देश के दूरस्थ और अलग-थलग गांवों में वीपीटी प्रदान करने के लिए उपग्रह आधारित टेलीफोन का प्रस्ताव है।
- एमएआरआर प्रणालियों पर कार्यरत दोषपूर्ण ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को नई प्रौद्योगिकियां लगाकर चरणबद्ध रूप से बदले जाने की योजना है।
- सभी एक्सचेंजों में विश्वसनीय पारेषण माध्यम उत्तरोत्तर रूप से प्रदान किया जा रहा है।
- प्रणालियों के आपूर्तिकर्ताओं के साथ वार्षिक अनुरक्षण ठेका किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	सर्किल	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	अंडमान निकोबार	1468
2.	आन्ध्र प्रदेश	260595
3.	असम	7011
4.	बिहार	50217
5.	गुजरात	59416
6.	हरियाणा	45526
7.	हिमाचल प्रदेश	28753
8.	जम्मू-कश्मीर	5502

1	2	3
9.	कर्नाटक	193274
10.	केरल	517754
11.	मध्य प्रदेश	8468
12.	महाराष्ट्र	158118
13.	पूर्वोत्तर	9847
14.	उड़ीसा	20647
15.	पंजाब	111965
16.	राजस्थान	75175
17.	तमिलनाडु	125482
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	66155
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	24564
20.	पश्चिम बंगाल	116133
21.	मुंबई	0
22.	कलकत्ता	0
23.	दिल्ली	0
24.	चेन्नई	0
	जोड़	18,86,070

[अनुवाद]

पवई झील

1109. श्री जी०एम० बनातवाला : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पवई झील मुम्बई के जल स्तर में गंदगी और प्रदूषण के कारण अत्यधिक कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र की पारिस्थितिकीय स्थिति में वहां चल रहे खनन कार्य और अन्य गतिविधियों के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पर्यावरण के संरक्षण हेतु किन-किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) जी, हां। पवई झील में घरेलू सीवेज और कैचमेंट क्षेत्र से अन्य अपशेष गिर रहे हैं। जल निकाय के आस-पास खुले में शौच करना, झील में वाहनों की धुलाई आदि करना झील में प्रदूषण के अन्य गैर बिन्दु स्रोत है, झील में अनुपचारित घरेलू अपशिष्ट जल प्रवाहित करने और प्रदूषण के अन्य गैर बिन्दु स्रोतों के परिणामस्वरूप शैवाल और जलकुभी की प्रचुरता हो जाती है झील के कैचमेंट क्षेत्र में भारी संख्या में निर्माण कार्य के कारण झील में गाद जमा हो रहा है।

(घ) पवई झील राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत संरक्षण के लिए अभिनिर्धारित दस झीलों में से एक है। इस योजना की अनुमानित लागत 637 करोड़ रुपये है। सरकार ने राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना का अभी तक अनुमोदन नहीं किया है।

विदेशी कम्पनियों के लिए खनन क्षेत्र का खोला जाना

1110. श्री अनन्त गुडे : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में खनन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए विदेशी निवेश हेतु खनन क्षेत्र खोल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) सामान्य रूप से खनन क्षेत्र हेतु अब तक प्राप्त और स्वीकृत विदेशी निवेश प्रस्तावों का राज्यवार और विशेषकर विदर्भ क्षेत्र अथवा महाराष्ट्र का ब्यौरा क्या है; और

(घ) नौवीं योजना के दौरान और सामान्य रूप से भारत विशेषकर महाराष्ट्र के खनन क्षेत्र में अनुमानित विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (घ) सरकार सभी खनिजों (हीरे और कीमती पत्थरों को छोड़कर) के लिए स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी होल्डिंग की अनुमति प्रदान करती है। इसमें गवेषण, खनन, खनिज प्रसंस्करण और धातुकर्म शामिल हैं। हीरे और कीमती पत्थरों के मामलों में गवेषण और खनन प्रचालन दोनों के लिए 74% तक विदेशी इक्विटी को स्वचालित मार्ग से अनुमति दी जाती है। 74% से अधिक विदेशी इक्विटी वाले प्रस्तावों को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) को अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 में भी उपयुक्त संशोधित किया गया है और राज्य सरकारों को और अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। हाल ही में, अधिनियम में किए गए परिवर्तनों से, राज्य सरकारों से खनिज रियायतों को प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल और कारगर हो जाएगी ऐसी उम्मीद है। ये परिवर्तन निवेशकों को पर्याप्त अवधि सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। यह आशा की जाती है कि इन नीतिगत परिवर्तनों से भारतीय खनिज क्षेत्र की तीव्र वृद्धि और विकास होगा तथा इस क्षेत्र में, विश्वस्तरीय खनन प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग भी बढ़ेगा।

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने खान मंत्रालय के परामर्श से अभी तक खनन क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के 65 प्रस्तावों को

अनुमोदित किया है। इन प्रस्तावों से लगभग 3650 करोड़ रुपए के निवेश होने की संभावना है। इनमें से अधिकांश प्रस्ताव केवल अपनी निवेश योजना को बनाते हैं परंतु यह विनिर्दिष्ट नहीं करते हैं कि वे किस क्षेत्र में प्रचालन करेंगे। यह आवेदक कम्पनी के लिए अनिवार्य नहीं है कि वह उस क्षेत्र/राज्य को विनिर्दिष्ट करे जहां वे प्रचालन करेंगे। एफ.आई.पी.बी. द्वारा प्रदान किया गया अनुमोदन, भारत में निगमित एक कंपनी में विदेशी इक्विटी भागीदारी के बारे में ही होता है। एफ.आई.पी.बी. का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, इन कंपनियों को खनिज रियायतों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को आवेदन करना होता है जो कि अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में खनिजों के मालिक होते हैं। खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित खनिजों के लिए ही केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होता है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई खनिज रियायतों के आंकड़े नहीं रखती है।

महाराष्ट्र सरकार को पूर्वेक्षण लाइसेंस के लिए अभी तक दो विदेशी कंपनियों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। मैसर्स जियो मैसूर सर्विसिज (मैसर्स आस्ट्रेलियन इंडियन रिसोर्सिज एन.एल. आस्ट्रेलिया की एक अनुषंगी कंपनी) को महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में, नागपुर, भण्डारा, गोंदिया और गडचिरौली जिलों में, 3482 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में स्वर्ण, तांबा, टंगस्टन इत्यादि के पूर्वेक्षण हेतु, तीन वर्षों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस (हवाई सर्वेक्षण) प्रदान किया गया है। मैसर्स डायमंड प्रोसपैक्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (मैसर्स डी० बीयर्स कन्सोलिडेटिड माइंस लिमिटेड, दक्षिण अफ्रीका के पूर्ण स्वामित्व वाली एक अनुषंगी कंपनी) ने भी महाराष्ट्र के गड़चिटौली और चन्द्रपुर जिलों में 10,000 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में हीरे के लिए टोही परमिट के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पट्टे पर भूमि का आवंटन

1111. श्री अशोक अर्गल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें हैंगर के निर्माण हेतु पट्टे पर भूमि आवंटित की गई है और उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पट्टे पर हैंगर दिए गए हैं;

(ख) कंपनियों को पट्टे पर दिए गए भूक्षेत्र/हैंगर का ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा प्राप्त पट्टे की दर का ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न कम्पनियों द्वारा प्रभारित पट्टे की दर संबंधी मानदंड क्या हैं; और

(घ) विभिन्न उड्डयन/विमानन कंपनियों के लिए समान दरें रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

डाकघर

1112. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99 के दौरान और मई, 2000 तक महाराष्ट्र में, विशेषकर विदर्भ (वसीम) जिले में खोले गए डाकघरों और तारघरों की जिलेवार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त जिले में स्थान-वार वे कौन-कौन से स्थान हैं जहां ऐसे कार्यालयों को खोला गया है; और

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्यों में विशेषकर उक्त जिलों में स्थानवार कितने नए डाकघरों और तारघरों को खोले जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) महाराष्ट्र में 1998-99 के दौरान दो विभागीय उप डाकघर (डीएसओ) तथा 68 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ईडीबीओ) खोले गए तथा 1999-2000 के दौरान दो विभागीय उप डाकघर और 46 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोले गए। वाशिम जिले में 1998-99 और 1999-2000 के दौरान कोई विभागीय उप डाकघर/अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर नहीं खोला गया। तथापि, कोंडाना गांव में 27.3.99 को एक पंचायत संचार सेवा केन्द्र (पीएसएसके) खोला गया और एक अन्य 25.11.99 को वाडप गांव में खोला गया। महाराष्ट्र में 1.4.2000 से मई 2000 तक कोई नया विभागीय उप डाकघर/अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर नहीं खोला गया।

महाराष्ट्र में 1998-99 के दौरान, 4 दूरसंचार केन्द्र तथा 4 संयुक्त डाक-तारघर खोले गए। 1999-2000 के दौरान (मई, 2000 तक) एक तारघर, 3 दूरसंचार केन्द्र और 5 संयुक्त डाक-तारघर खोले गये। उक्त अवधियों के दौरान विदर्भ (वाशिम) जिले में कोई तारघर नहीं खोला गया।

(ख) उक्त जिले में, जिन स्थानों पर ऐसे कार्यालय खोले गए, उनका स्थानवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) महाराष्ट्र में चालू वार्षिक योजना 2000-2001 में दो नये विभागीय उप डाकघर, 60 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 85 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। विशेषकर वाशिम जिले में इस समय डाकघर खोलने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल में 2000-2001 के दौरान निम्नलिखित तारघर खोलने की योजना है :

तारघर	—	1
दूरसंचार केन्द्र	—	2
संयुक्त डाकतार घर	—	10

स्थानों का निर्धारण मांग और औचित्य के आधार पर किया जायेगा।

विवरण-I

क्र. सं.	जिले का नाम	1998-1999		1999-2000	
		वि.उ.डा.	अ.वि.-शा.डा.	वि.उ.डा.	अ.वि.-शा.डा.
1	2	3	4	5	6
1.	औरंगाबाद	0	1	0	1
2.	जलाना	0	0	0	1
3.	बीड	0	0	0	2
4.	धुले	0	5	0	0
5.	नन्दुरबार	0	1	0	3
6.	नासिक	1	0	0	1
7.	नांदेड़	0	2	0	5
8.	परभनी	0	0	0	1
9.	हिंगोली	0	0	0	0
10.	लातूर	0	1	0	0
11.	जलगांव	0	3	0	2
12.	ओसमानाबाद	0	6	0	0
13.	रत्नागिरी	0	6	0	6
14.	कोल्हापुर	0	6	0	0
15.	सांगली	0	4	0	1
16.	सिंधुदुर्ग	0	7	0	3
17.	थाणे	0	2	0	4
18.	रायगढ़	0	7	0	2
19.	मुम्बई	0	0	1	0
20.	सतारा	0	2	0	1
21.	शोलापुर	1	1	0	0
22.	अहमदनगर	0	4	0	2
23.	पुणे	0	1	1	1
24.	अकोला	0	3	0	0
25.	अमरावती	0	1	0	2
26.	वाशिम	0	0	0	0
27.	बुलडाणा	0	1	0	1
28.	चन्द्रपुर	0	1	0	2
29.	गढ़चिरौली	0	0	0	0
30.	नागपुर	0	1	0	4
31.	वर्धा	0	0	0	0
32.	यवतमाल	0	1	0	1
33.	भंडारा	0	1	0	0
	कुल	2	68	2	46

वि.उ.डा.—विभागीय उप डाकघर

अ.वि.शा.डा.—अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर

विवरण-II

1998-99 तथा 1999-2000 (31 मई, 2000 तक) के दौरान खोले गए तारघरों का स्थानवार ब्यौरा

जिला	स्थान	टाइप	खोलने की तारीख
नागपुर	नागपुर औद्योगिक क्षेत्र	दूरसंचार केन्द्र	27.10.98
	तितूर	संयुक्त डाक-तारघर	1.9.98
	बोरखेड़ी	संयुक्त डाक-तारघर	1.9.98
	पिपरा	संयुक्त डाक-तारघर	1.9.98
पुणे	पुणे नानापीठ	दूरसंचार केन्द्र	1.12.98
	पुणे रेलवे स्टेशन	दूरसंचार केन्द्र	2.1.99
	पुणे भोसारी	दूरसंचार केन्द्र	1.4.99
	कोरेगांवभीमा	संयुक्त डाक-तारघर	31.3.99
	पाइत	संयुक्त डाक-तारघर	23.10.99
	शिरशुपाल	संयुक्त डाक-तारघर	23.10.99
थाणे	भिवंडी	दूरसंचार केन्द्र	5.11.99
	मीरा रोड	संयुक्त डाक-तारघर	1.6.99
मुम्बई	अंधेरी (पश्चिम)	तारघर	24.8.99
अकोला	अकोला सिविल लाइंस	दूरसंचार केन्द्र	8.6.99
कोल्हापुर	गाधिंगलाज	दूरसंचार केन्द्र	27.1.2000
	दौलत शुगर फैक्टी हलकरणी	संयुक्त डाक-तारघर	1.2.99
रत्नागिरि	भू	संयुक्त डाक-तारघर	25.9.98

[अनुवाद]

स्वास्थ्य बीमा कम्पनियों के लिए मार्गनिर्देश

1113. श्री ए० नरेन्द्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए मार्गनिर्देश जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मार्गनिर्देशों से आम आदमी को कितना लाभ पहुंचेगा;

(ग) इन मार्गनिर्देशों को कब तक प्रभावी बना दिया जाएगा; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (घ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण सूचित किया है कि जब कभी नए उद्यमी विशेष रूप से स्वास्थ्य में आएंगे तो सरकार द्वारा अलग स्वास्थ्य बीमा नीति तैयार की जानी होगी। इस समय स्वास्थ्य बीमा के लिए ऐसे दिशानिर्देश जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सतत् वन प्रबंधन

1114. डा० एस० जगतरक्षकन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनों की बेहतर स्थिति के लिए गठित कृतक बल ने सतत् वन प्रबंधन हेतु अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं;

(ग) क्या सतत् वन प्रबंधन के लिए स्थानीय और राष्ट्रीय प्रगति की निगरानी हेतु किसी रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे किस एजेन्सी के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, हां।

(ख) कार्य बल ने भारत में सतत् वन प्रबंधन (एस.एफ. एफ.) के लिए इसके संचालन संबंधी मानदण्ड तथा सूचकों (सी एंड आई) के अंगीकरण के लिए एक द्वि-आयामी (टू-प्रोंग्ड) कार्यनीति की सिफारिश की है। पहली जो राष्ट्रीय स्तर की है, इसमें एक राष्ट्रीय कार्यनीति का मसौदा तैयार किया जाना है, जिसमें अन्य के साथ निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

1. सी. एंड आई. के प्रयोग के लिए नीति आदेश;
2. राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना को एन एफ ए पी की मॉनीटरिंग और इसके क्रियान्वयन के लिए सी एंड आई तंत्र का प्रयोग करना चाहिए।
3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में एक सतत् वन प्रबंधन (एस. एफ.एम.) कोष्ठ का सृजन।
4. एस.एफ.एम. से संबंधित गतिविधियों के नियोजन और समन्वय के लिए नोडल एजेंसियों की पहचान; और
5. क्षेत्रीय सेमीनारों/कार्यशालाओं के माध्यम से जागरूकता पैदा करना।

दूसरी कार्यनीति में राज्य और स्थानीय स्तरों पर कार्य किया जाना है, इसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. प्रत्येक राज्य में सतत् विकास प्रबंधन (एस एफ एम) कोष्ठ का सृजन।
2. वन प्रबंधन इकाई स्तर पर सी एंड आई के कार्यान्वयन संबंधी योजनाओं का विकास।
3. स्थानीय/संयुक्त वन प्रबंधन संस्थानों को सुदृढ़ करना और प्रोत्साहन देना।
4. प्रत्येक राज्य में प्रायोगिक अध्ययन; और
5. प्रत्येक राज्य में एक ''मॉडल'' वन का विकास।

(ग) और (घ) इस प्रकार के किसी तंत्र को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) इन मानदण्डों और सूचकों का विभिन्न सरकारी और अन्य संस्थानों तथा राज्य वन विभागों के माध्यम से मूल्यांकन किए जाने पर विचार किया गया है।

गर्भ निरोधक विधियां

1115. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अधिकांश महिलाओं को गर्भनिरोधक विधियों की जानकारी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गर्भनिरोधक विधियों का प्रयोग करने के बारे में महिलाओं को जानकारी देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1992-93 के अनुसार, हाल में विवाहित 96 प्रतिशत महिलाओं को गर्भ-निरोधक की कम से कम एक विधि की जानकारी है, 95 प्रतिशत महिलाएं बन्ध्यीकरण के बारे में जानती हैं तथा 58 से 66 प्रतिशत महिलाएं अस्थायी विधियों के बारे में जानती हैं।

(ग) स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा तृणमूल स्तर पर परामर्श देने की एक नियमित प्रणाली है। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, गैर-सरकारी संगठनों के जरिये तथा महिला स्वास्थ्य संघ, नेहरू युवक केन्द्र, जिला साक्षरता समितियों इत्यादि के जरिये सूचना, शिक्षा एवं संचार की एक देशव्यापी प्रणाली अपनायी जा रही है। इसके अतिरिक्त, सूचना, शिक्षा एवं संचार के प्रयोजन के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का गीत एवं नाटक प्रभाग तथा क्षेत्र प्रचार इकाइयों का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सोन चिरैया अभयारण्य

1116. **श्री जयभान सिंह पवैया** : क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के ग्वालियर और शिवपुरी जिलों में सोन चिरैया अभयारण्य विकसित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन अभयारण्यों पर कुल कितना व्यय हुआ और इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर जिले में घाटीगांव ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य तथा शिवपुरी जिले में करेरा अभयारण्य विकसित किए हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित धनराशि खर्च की है :-

वर्ष	घाटी गांव ग्रेड इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य	करेरा अभयारण्य
1997-98	14.71	7.01
1998-99	14.21	16.29
1999-2000	21.07	16.90

उपरोक्त खर्च वास स्थलों में सुधार, पैट्रोलिंग कैम्प, वायरलैस टावर, स्टाफ क्वार्टर्स, सड़कों में सुधार, घास का विकास, सामुदायिक और संरक्षण शिक्षा केन्द्र का निर्माण तथा कर्मचारियों के वेतन और भत्ते पर किया गया है।

[अनुवाद]

सीजीएचएस में होम्योपैथिक फारमेसिस्ट पदों का भरा जाना

1117. **श्री विष्णुदेव साय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीजीएचएस में होम्योपैथिक फारमेसिस्टों के कुछ पद जून, 1999 से रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) इन पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (घ) पदधारियों की मृत्यु हो जाने के कारण केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के अन्तर्गत मार्च, 1999 और जुलाई, 2000 से होम्योपैथी-फार्मासिस्टों के दो पद रिक्त पड़े हैं। उक्त रिक्तियों को भरने के लिए सक्रिय कार्यवाई चल रही है।

[हिन्दी]

अग्रोहा मेडिकल कालेज

1118. **श्री अजय सिंह चौटाला** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हरियाणा के अग्रोहा मेडिकल कालेज का निर्माण कर इसे पुन: शुरू करने तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा उसे मान्यता दिलाने का प्रयास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा कब तक मान्यता प्रदान कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित नहीं है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

इंडियन एयरलाइंस कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

1119. **श्री ए० ब्रह्मनैया** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के लिए कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इंडियन एयरलाइंस के कितने कर्मचारियों ने उक्त योजना के लिए इच्छा व्यक्त की है;

(घ) क्या अधिक व्यक्तियों द्वारा उक्त योजना को अपनाए जाने हेतु इसे अधिक आकर्षित बनाया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ङ) इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना आरंभ करने का प्रस्ताव अभी भी प्रक्रियाधीन है।

विमानपत्तनों के रख-रखाव स्तर में गिरावट

1120. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विमानपत्तनों पर यात्रियों की बढ़ती संख्या के अनुसार दृश्यमानता में सुधार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी विमानपत्तनों के रख-रखाव स्तर में भारी गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उन सभी विमानपत्तनों में जहां सरकार ने भारी निवेश किया है वहां विमानपत्तनों के रख-रखाव के महत्व को समझा है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रबंधकों को कोई प्रशिक्षण दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे प्रशिक्षण के क्या परिणाम निकले तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रबंधकों को कितने अंतराल में प्रशिक्षण दिया जाता है ?

नागर **विमानन मंत्री (श्री शरद यादव)** : (क) से (ग) ग्राहक ...ट के स्तर की जांच करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से विमानपत्तनों पर व्यवस्थित सुविधाओं पर किए गए कार्यों का आवधिक सर्वेक्षण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया गया है। इसके अलावा, हवाई अड्डों पर विभिन्न प्रकार की यात्री सुविधाओं का उन्नयन तथा सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण संसाधनों की उपलब्धता और मांग को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के मार्गदर्शी सिद्धांतों और मानकों के अनुरूप अपने हवाई अड्डों पर बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था करने का निरन्तर प्रयास करता है।

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अपने कर्मचारियों और प्रबंधकों को अपने राष्ट्रीय विमानन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान (एनआईए एमएआर) नई दिल्ली और नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र (सीएटीसी) इलाहाबाद में नियमित प्रशिक्षण देता है। इसके अलावा प्रबंधकों को विभिन्न पाठ्यक्रमों/सेमिनारों में भी भेजा जाता है जहां नैमी अनुरक्षण प्रक्रियाओं से अलग उन्हें कार्य क्षमता के सुधार के लिए नई तकनीक बताई जाती है।

(ङ) प्रशिक्षण के बाद प्रबंधकों के कार्य-निष्पादन के स्तर में सुधार आया है।

पूर्व सांसदों को सीजीएचएस की सुविधा

1121. श्री अमर राय प्रधान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के उन पेंशन भोगियों को सीसीएस (एमए) नियमावली, 1994 का लाभ देने के लिए सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया है जिसके निवास क्षेत्र में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या यह सुविधा पूर्व-सासंदों को भी मिलती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन नियमों में कब तक संशोधन कर लिए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोई ऐसा नियम अर्थात सी सी एस (एम ए) नियम, 1994 लागू नहीं किया जा रहा है।

(ख) से (ङ) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

स्थानीय टेलीफोन सुविधा

1122. श्री जयवंत सिंह बिश्नोई : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जोधपुर डिवीजन विशेषकर फलौदी टाउन में सभी टेलीफोन एक्सचेजों को स्थानीय टेलीफोन कॉल की सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सुविधा कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी नहीं, तथापि फलौदी एसडीसीए के सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में स्थानीय कॉल सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

मेडिकल कालेजों का खोला जाना

1123. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ और मेडिकल कालेज खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार खोले गए मेडिकल कालेजों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में मेडिकल कालेज खोलने के लिए कोई विशेष विचार किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार को राज्य सरकारों की ओर से विशेषत: उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में मेडिकल कालेज खोलने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(झ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) इस समय केन्द्र सरकार के पास राज्यों में मेडिकल कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव है।

(ग) केन्द्र सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 और इसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों के तहत नए मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति दे रही है। इन उपबन्धों के अन्तर्गत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(घ) 1993 में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम में संशोधन करने के पश्चात् सरकार ने नीचे बताए अनुसार नए मेडिकल कालेजों की स्थापना की अनुमति दी है :-

आठवीं योजना (1992-1997)

महाराष्ट्र	–	2
जम्मू और कश्मीर	–	1
उत्तर प्रदेश	–	2
तमिलनाडु	–	1
पांडिचेरी	–	1
केरल	–	1
गुजरात	–	2

नौवीं योजना (1997-2002)

पंजाब	–	1
आंध्र प्रदेश	–	4
तमिलनाडु	–	2
हिमाचल प्रदेश	–	1
कर्नाटक	–	4

(ङ) और (च) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों में इस प्रकार की किसी भी छूट की अनुमति नहीं है।

(छ) और (ज) जी, नहीं।

(झ) उपरोक्त (छ) और (ज) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

जनसंख्या वृद्धि

1124. **श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक जनसंख्या विशेषज्ञ ने चार उत्तरी बीमारू राज्यों, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में विशेष परिवार नियोजन सेवाओं की तत्काल आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) इन राज्यों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के निष्पादन की समीक्षा मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति द्वारा त्रैमासिक आधार पर की जा रही है।

इसके अतिरिक्त फरवरी, 2000 में अपनाई गई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में चार राज्यों बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन सेवाओं को सुदृढ़ किए जाने का उल्लेख है।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की पहली बैठक में प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में ही एक शक्तिसम्पन्न कार्य दल के गठन की घोषणा की है जो खासकर कम राष्ट्रीय सामाजिक-जनांकिकीय सूचकों वाले इन राज्यों पर ध्यान केन्द्रित करेगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग-7 और राष्ट्रीय राजमार्ग-47 को जोड़ने के लिए बाई-पास का निर्माण

1125. **श्री पोन राधाकृष्णन् : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दस वर्षों के दौरान नगेरकोइल में यातायात 800 प्रतिशत तक बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग-7 और राष्ट्रीय राजमार्ग-47 को जोड़ने के लिए एक बाई-पास सड़क बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त कार्य के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानें

1126. **श्री पी०सी० थामस :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस की ओर से कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ानें भरने और कोचीन हवाई अड्डे से उड़ाने भरने की अनुमति देने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कितना यातायात होने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, बहरीन, आस्ट्रिया, यूएई, श्रीलंका, तुर्कमेनिस्तान तथा यमन की सरकारों से उनकी नामित विमानकंपनियों के लिए कोचीन को एक अवतरण स्थल के रूप में स्वीकृति दिए जाने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। चूंकि अब कोचीन विमानपत्तन को अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया जा चुका है, इसलिए उपर्युक्त मांग पर संबंधित देशों के साथ विमान यातायात अधिकारों की समीक्षा के लिए द्विपक्षीय समझौते के अगले दौर में विचार किया जाएगा।

(ग) चूंकि यातायात की मात्रा में एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक अंतर होगा, इसलिए कोई निश्चित मात्रा नहीं बताई जा सकती।

पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली

1127. **श्री ब्रजमोहन राम :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेषकर महिलाओं, बच्चों और आदिवासियों को बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के अलावा विभिन्न राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने वाले किसी योजना को तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विश्व बैंक से कोई ऋण प्राप्त किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) सरकार पहले ही विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और जनजातियों को बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के अलावा विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य पद्धतियों को कार्यक्षम और प्रभावकारी बनाने के लिए योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

(ख) विश्व बैंक वित्त पोषित प्रजनक एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना सभी राज्यों में कार्यान्वित है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा, मिजोरम और मणिपुर राज्यों में कार्यक्षमता में सुधार करना, लागत सार्थकता और महिलाओं, बच्चों और जनजातियों से संबंधित प्राथमिक और रैफरल परिचर्या को बनाए रखने के उद्देश्य वाला यूरोपियन आयोग सहायता प्राप्त क्षेत्र निवेश कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त दो विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई.पी.पी.-VIII और आई पीपी-IX परियोजनाएं क्रमशः अगस्त, 1993 और जून, 1994 से जून, 2001 और दिसम्बर, 2001 तक कार्यान्वयनाधीन हैं। इसके अलावा, 283.88 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 17 राज्यों में अक्तूबर, 1997 से चुनिंदा पिछड़े जिलों/पता लगाए गए शहरों में 24 विश्व बैंक सहायता प्राप्त प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य उप-परियोजनाएं भी कार्यान्वयनाधीन हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत सरकार को प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना के लिए 1997 में विश्व बैंक द्वारा 179.7 मिलियन एस डी आर का एक ऋण मंजूर किया गया है। मई, 2000 में विश्व बैंक द्वारा देश में प्रतिरक्षण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए 106.5 मिलियन एसडीआर का एक ऋण मंजूर किया गया था।

टेलीफोन प्रभार

1128. **श्री राशिद अलवी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में टेलीफोन प्रभार विकासशील देशों तथा विकसित देशों दोनों से सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 10 विकासशील देशों और 10 विकसित देशों में मासिक किराया प्रभारों का ब्यौरा क्या है और उनकी औसत राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय कितनी है;

(घ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय संचार यूनियन जिसका भारत सदस्य है ने इस संबंध में कोई मानक निर्धारित किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी नहीं। एक देश से दूसरे देश के बीच टेलीफोन कॉलों आदि की दरों में सीधी तुलना से लागत संबंधी सामाजिक आर्थिक स्थितियां और अन्य बातों में विभिन्नताओं के कारण विश्लेषणात्मक तर्कसंगत निष्कर्ष नहीं निकल सकता। उदाहरणार्थ, अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू)-1998 की विश्व दूरसंचार विकास रिपोर्ट के अनुसार, 1996 में विभिन्न देशों में टैरिफ ढांचा इस प्रकार था :

देश का नाम	आवासीय टेलीफोन		
	कनेक्शन प्रभार	किराया (मासिक) (अमरीकी डालर में)	स्थानीय कॉल प्रभार
1	2	3	4
भारत	23	5.4	0.02
बांग्ला देश	256	3.7	0.04

1	2	3	4
इथियोपिया	48	1.3	0.03
कीन्या	37	4.5	0.06
मोजाम्बीक	87	5.1	0.04
नेपाल	40	3.7	0.02
तंजानिया	59	4.4	0.08
ताजिकिस्तान	10	1.0	—
उगांडा	132	5.7	0.19
वियतनाम	243	6.1	0.11
आस्ट्रेलिया	94	9.1	—
बोल्जियम	143	18.8	0.20
कनाडा	42	13.2	—
फ्रांस	60	10.3	0.14
जर्मनी	66	16.3	0.16
इटली	154	10.1	0.20
जापान	669	16.1	0.09
सिंगापुर	56	6.0	0.03
यू०के०	181	12.9	—
संयुक्त राज्य अमरीका	43	12.2	0.09

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि कुल मिलाकर भारत में टेलीफोन प्रभार अन्य देशों के मुकाबले कम हैं।

(ग) आईटीयू की विश्व दूरसंचार विकास रिपोर्ट 1998 के अनुसार 1996 के 10 विकासशील और 10 विकसित देशों के मासिक किराया प्रभारों के ब्यौरे और उनके प्रति व्यक्ति मासिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) निम्न प्रकार है :-

देश का नाम	1996 में आवासीय किराया प्रभार (अमरीकी डालर में) (मासिक)	(अमरीकी डालर) में प्रति व्यक्ति प्रति मास औसत जीडीपी
1	2	3
कम आय/विकासशील देश		
भारत	5.4	27.97
बांग्ला देश	3.7	20.10
इथियोपिया	1.3	7.87
कीन्या	4.5	25.14
मोजाम्बीक	5.1	7.17
नेपाल	3.7	15.74
तंजानिया	4.4	18.80
ताजिकिस्तान	1.0	3.09
उगांडा	5.7	24.15
वियतनाम	6.1	22.67
उच्च आय/विकसित देश		
आस्ट्रेलिया	9.1	1820
बोल्जियम	18.8	2350
कनाडा	13.2	2640
फ्रांस	10.3	2575
जर्मनी	16.3	2328
इटली	10.1	2020
जापान	16.1	3220
सिंगापुर	6.0	3000
यू०के०	12.9	1612
संयुक्त राज्य अमरीका	12.2	2440

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विभागेत्तर डाककर्मी

1129. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने विभागेत्तर डाककर्मी, पोस्टमास्टर और डाकिये हैं;

(ख) इन्हें पृथकत: क्या वेतन और सुविधाएं दी गई हैं;

(ग) क्या इन कर्मचारियों की दशा इनके वेतन में कुछ बढ़ोत्तरी को छोड़कर स्वतंत्रता पूर्व की इनकी दशा जैसी ही है;

(घ) यदि हां, तो इनकी दशा में सुधार हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ङ) क्या इन कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु कोई नियम है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार ईडी डाकघरों, ईडी पोस्टमास्टरों तथा ईडी पोस्टमैनों की संख्या इस प्रकार थी :

1.	ईडी डाकघर (ईडीबीओ और ईडीएसओ)	1,28,193
2.	ईडी पोस्टमास्टर (ईडीबीपीएम और ईडीएसपीएम)	1,27,502
3.	ईडी पोस्टमैन	78,628

(ख) अतिरिक्त विभागीय एजेंट टाइम रिलेटिड कन्टीन्युटी एलाउंस (टीआरसीए) तथा नीचे दिये गये विवरण के अनुसार अन्य सुविधाओं तथा लाभ के पात्र हैं :

1. *ईडीएमसी/ईडी पैकर/ईडी रनर, ईडी मैसेंजर तथा ईडी एजेंटों की सभी अन्य श्रेणियों के लिए टीआरसीए :*

3 घंटे 45 मिनट तक कार्य-भार वालों के लिए	रु० 1220-20-1600
3 घंटे 45 मिनट से अधिक कार्यभार वालों के लिए	रु० 1545-25-2020

ईडीडीए/ईडीएसवी के लिए टीआरसीए:

3 घंटे 45 मिनट तक कार्य-भार वालों के लिए	रु० 1375-25-2125
3 घंटे 45 मिनट से अधिक कार्यभार वालों के लिए	रु० 1740-30-2640

ईडीबीपीएम के लिए टीआरसीए :

3 घंटे 45 मिनट तक कार्य-भार वालों के लिए	रु० 1280-35-1980
3 घंटे 45 मिनट से अधिक कार्यभार वालों के लिए	रु० 1600-40-2400

ईडीएसपीएम के लिए टीआरसीए :

प्रतिदिन 5 घंटे तक कार्यभार के लिए	रु० 2125-50-3125

2. *अन्य सुविधाएं और लाभ :*

न्यायमूर्ति तलवार समिति की सिफारिशों पर सभी संबद्ध लंबित मांगों के पूर्ण एवं अंतिम निपटान के रूप में सरकार के निर्णय के फलस्वरूप ईडी एजेंटों को दिनांक 17.12.1998 के आदेश के तहत एक लाभ-पैकेज दिया गया जिसमें 1.1.96 से 28.2.98 तक की अवधि के बकाया का भुगतान करने के अलावा, ऊपर उल्लिखित टाइम रिलेटिड कन्टीन्युटी एलाउंस की शुरुआत अनुग्रह उपदान राशि की सीमा को रु० 6000/- से बढ़ाकर रु० 18000/- करना, प्रत्येक छह महीनों में वेतनसहित 10 दिन की छुट्टी जो आगे के लिए जमा नहीं होगी, ईडीबीपीएम के लिए कार्यालय रखरखाव भत्ते की राशि को 25 रु० प्रतिमाह से बढ़ाकर 50 रु० प्रतिमाह करना, 65 वर्ष की आयु होने पर पद से मुक्त होने अथवा नियमित पद पर खपाये जाने के उपरांत, नौकरी के पश्चात के लाभ के रूप में, ईडी एजेंटों को रोजगार की अवधि के आधार पर 20000/- रु० अथवा 30000/- रु० की एक मुश्त वियोजन-राशि का भुगतान शामिल हैं। इनके अलावा, ईडी एजेंटों को उत्पादकता से जुड़ा प्रोत्साहन (बोनस), मंहगाई भत्ता, वितरण भत्ता, संयुक्त ड्यूटी भत्ता और साइकिल भत्ता भी दिया जाता है। किसी ईडी एजेंट की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर, उसके आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देने के बारे में विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) जी नहीं। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों की जांच करने के लिए गठित वेतन आयोग की तरह ही ईडी एजेंटों की रोजगार की शर्तों और वेतन ढांचे की जांच करने के लिए डाक ईडी प्रणाली पर समितियां गठित की गई हैं और इन समितियों की सिफारिशों के अनुसरण में भर्त्तों में वृद्धि करने के अलावा विगत वर्षों में ईडी एजेंटों को कई तरह की सुविधायें एवं लाभ प्रदान किये गये हैं। ईडी एजेंटों की रोजगार की शर्तों में सुधार करने सहित उनके उन्नति के अवसर बढ़ाना एक अनवरत प्रक्रिया है।

(ङ) और (च) जी हां। ग्रुप 'घ', पोस्टमैन और डाक सहायक/छंटाई सहायक संवर्गों के भर्ती नियमों में ऐसे ईडी एजेंटों को विशेष रूप से वरीयता देने का प्रावधान पहले से ही है जो पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं।

योग संस्थान

1130. योगी आदित्यनाथ : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में योग संस्थान खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए संबंधित राज्य सरकार अपनी परस्पर प्राथमिकता और वित्तीय संसाधनों को देखते हुए ऐसे संस्थान स्थापित करती है। तथापि केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली जो इस मंत्रालय के नियंत्रण में एक स्वायतशासी संगठन है, की योग केन्द्रों को सहायता अनुदान प्रदान करने की योजनाएं हैं।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि संरक्षण योजना

1131. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कई रसायन उद्योग चम्बल, शिप्रा और बेतवा जैसी बड़ी नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में नदियों की सफाई करने के लिए एक राष्ट्रीय निधि संरक्षण योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) नागदा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मुख्यता ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लि०, ग्वालियर कैमिकल इंडस्ट्रीज लि० और अरोनी कैमिकल (नया नाम : मैसर्स एल्फ एटोकैम कैटालिस्ट इंडिया लि०) में से रासायनिक बहिस्राव उचित शोधन के बाद ही चम्बल नदी में आता है। पूर्व में रायसेन स्थित सोम डिस्टलरी से भी बहिस्राव बेतवा नदी में निस्तारित किया जा रहा था लेकिन बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने और लैगून बनाने के उपरान्त यह इकाई बेतवा नदी में किसी बहिस्राव का निस्तारण नहीं कर रही है। कैमिकल उद्योगों से शिप्रा नदी में किसी प्रकार का निस्तारण नहीं किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी नहीं। लेकिन देश की प्रदूषित नदियों को साफ करने हेतु पहले से ही राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना में मध्य प्रदेश की सात नदियां सम्मिलित की गई हैं। जिनके नाम खान, क्षिप्रा, वैनगंगा, चम्बल, नर्मदा, बेतवा और ताप्ती है। इन नदियों के किनारे स्थित 11 शहरों में 101.19 करोड़ रुपए की अनुमोदित राशि से प्रदूषण उपशमन स्कीमें शुरू की जा रही है। अब तक 54 स्कीमों के लिए 36.48 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी गई है। 21.11 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार को रिलीज कर दी गई है जिसमें से इस योजना पर मई 2000 तक 15.01 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

ग्रेनाइट क्षेत्रों की खोज

1132. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर तमिलनाडु और कर्नाटक में उच्च गुणवत्ता वाले ग्रेनाइट क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) देश में राज्य-वार उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां उच्च गुणवत्ता वाले ग्रेनाइट मिलते हैं ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंढसा) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) ने वर्ष 1994 और उसके बाद के वर्षों में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में आयामी पत्थर ग्रेनाइट (डी एस जी) के व्यवस्थित क्षेत्रीय आकलन का कार्य किया है। जी.एस.आई. के अलावा विभिन्न राज्य सरकारों के खान और भू-विज्ञान के कई निदेशालय भी डीएसजी के लिए सर्वेक्षण कर रहे हैं।

जी.एस.आई. ने बंगलूर जिले के कनकपुरा तालुका और कर्नाटक के टुमकुर, चमराजनगर, गुलबर्गा, कोपाल, बगालकोल और बीजापुर जिलों के भागों को कवर किया है। इन क्षेत्रों में, डी.एस.जी. के कुल 202,986,000 क्यूविक मी० प्राप्ति योग्य भण्डार होने का अनुमान लगाया गया है।

जी.एस.आई. द्वारा तमिलनाडु में कवर किए गए क्षेत्र बिल्लूपुरम, तिरूचिरापल्ली, सेलम, धर्मपुरा और मदुरई-पुदुकोटाई जिलों में ही स्थित है। इन क्षेत्रों में डी.एस.जी. के कुल 20,340,000 क्यूविक मी० प्राप्ति योग्य भण्डार होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) यद्यपि, ग्रेनाइट भारत के विभिन्न राज्यों में पाया जाता है तथापि, ग्रेनाइट/ड्रेसड ग्रेनाइट ब्लाकों और स्लेबों का उत्पादन मुख्यत: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों तक ही सीमित है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाने वाला ग्रेनाइट उच्च कोटि (क्वालिटी) का होता है। जिन स्थानों पर ग्रेनाइट पाया जाता है उनमें महत्वपूर्ण स्थान इस प्रकार हैं :-

आंध्र प्रदेश – खम्माम, चित्तूर, अनंतपुर, गुंटूर, कुरनूल, करीमनगर, ओनगोले, वारांगल, नालगोंडा और प्रकाशम जिले।

कर्नाटक – बगालकोट, गाडग, कोप्पाल, गुलबर्गा, हासन, चमराजनगर, बंगलूर, चिकमंगलूर, हासन, कोलार, मैसूर टुमकुर, उत्तर कन्नाड, बेलारी, बीजापुर और रायचूर जिले।

राजस्थान – जालौर, अजमेर, अलवर, वाड़मेर, भीलवाड़ा, झुनझुनू, पाली, सिरोही और नागौर जिले।

तमिलनाडु – विल्लूपुरम, तिरुचिरापल्ली, कन्याकुमारी, साऊथ आरकोट, इरोड, धर्मपुरी, सेलम, कोयम्बटूर और उत्तरी आरकोट जिले।

कार्गो पर बिना दावे वाला सामान

1133. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की तिथि के अनुसार विभिन्न हवाई अड्डों पर कार्गो में कितना बिना दावे वाला/विवादित सामान पड़ा हुआ है और इनका मूल्य कितना है;

(ख) कार्गो से ऐसे सामान की डिलीवरी न किए जाने के क्या कारण हैं और यह कब से वहां पड़ा हुआ है; और

(ग) सरकार द्वारा कार्गो के निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता तथा चेन्नई हवाई अड्डों पर 30 दिनों से अधिक पड़े लावारिस/अन-क्लीयर्ड कार्गो का हवाई अड्डा-वार विवरण निम्न प्रकार है :-

दिल्ली - 56487 पैकेज, मुम्बई - 1371 पैकेज, कलकत्ता - 11420 पैकेज तथा चेन्नई - 3012 पैकेज।

आयातकों द्वारा फाइल करते समय घोषणा के आधार पर या नामित मूल्यकों द्वारा मूल्यन पूरा होने पर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लावारिस/अन-क्लीयर्ड कार्गो के मूल्य का अंदाजा लगा सकता है।

माल पाने वालों ने अभी भी उनकी डिलीवरी के लिए उन्हें सीमा-शुल्क से क्लीयर करा कर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सम्पर्क नहीं किया है।

(ग) सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार 45 दिनों से अधिक लावारिस पड़े किसी भी कार्गो की नीलामी की जा सकती है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पहले भी ऐसे कार्गो के 110134 पैकेजों का निपटान किया है। इस समय लावारिस पड़े कार्गो की नीलामी द्वारा निपटान किए जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

हरियाणा में टेलीफोन सलाहकार-समिति

1134. **श्री रतनलाल कटारिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में टेलीफोन सलाहकार-समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस समिति को कब तक गठित किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी हां।

(ख) संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार हरियाणा राज्य में 10 (दस) दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियां (टीएसी) हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र. सं.	टीएसी का नाम	टीएसी के अध्यक्ष	वर्तमान सदस्य	टीएसी की अवधि
1.	हरियाणा (सर्किल)	सीजीएम	03	31.7.2002
2.	अम्बाला	जीएम	06	31.7.2002
3.	फरीदाबाद	जीएम	44	31.3.2001
4.	हिसार	जीएम	04	31.7.2002
5.	करनाल	जीएम	66	31.5.2001
6.	रोहतक	जीएम	11	31.7.2002
7.	जींद	टीडीएम	08	31.7.2002
8.	सोनीपत	टीडीएम	02	31.7.2002
9.	गुड़गांव	जीएम	54	30.4.2001
10.	नारनौल (रिवाड़ी)	टीडीएम	08	31.3.2002

*माननीय संसद सदस्यों को छोड़कर जो अपने निर्वाचन क्षेत्र/विकल्प के अनुसार एक अथवा अन्य टीएसी के सदस्य भी हैं।

पूरा नाम :

सीजीएम : मुख्य महाप्रबंधक

जीएम : महाप्रबंधक

टीडीएम : दूरसंचार जिला प्रबंधक

बारामूला में टेलीफोन

1135. **श्री अब्दुल राशिद शाहीन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर के बारामूला क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न दूरभाष केन्द्रों में टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी दूरभाष केन्द्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों को तत्काल टेलीफोन कनेक्शन देने तथा राज्य में दूरभाष केन्द्रों का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 30.6.2000 की स्थिति के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के बारामूला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल प्रतीक्षा-सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या 4145 है।

(ख) प्रतीक्षा सूची का एक्सचेंज-वार ब्यौरा इस प्रकार है :

बारामूला	1092	बंदीपुर	202
फतेहगढ़	132	गढ़खुड	126
गुलमर्ग	10	गुरेज	60
सिंहपुरा	142	पाटन	142
वगूरा	170	वत्रीगम	182
सोपोर	1635	गोशबुग	130
उरी	38	संबल	84

(ग) 31.3.2001 तक अधिकांश मौजूदा प्रतीक्षा सूची का निपटान कर दिए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए नए एक्सचेंज खोलने/मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार करने और आवश्यक बाह्य संयंत्र नेटवर्क प्रदान करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

डी आई जेड एरिया, दिल्ली में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय में रोग विज्ञान परीक्षण

1136. डॉ० बलिराम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी आई जेड एरिया, नई दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय सं. 76 में विभिन्न रोग विज्ञान परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) इस औषधालय में उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) जी, नहीं। इस केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के लाभार्थी विकृति विज्ञानी जांच सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए चित्र गुप्ता रोड औषधालय से संबद्ध हैं।

(घ) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर्नाटक में मलेरिया के मामले

1137. श्री आर.एल. जालप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कर्नाटक में अनेक कस्बों/ शहरों में मलेरिया के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में उक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला और मलेरिया से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम और शहरी मलेरिया योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) कर्नाटक स्वास्थ्य प्राधिकरणों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पूरे राज्य में मलेरिया की घटना में कमी हुई है। तथापि, राज्य में 30 जिलों में से 5 ने मलेरिया के मामलों में मामूली वृद्धि दर्शायी है।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

(घ) 1999-2000 के दौरान कर्नाटक को राष्ट्रीय मलेरिया-रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत 146.00 लाख रुपये तक की तथा शहरी मलेरिया योजना के अंतर्गत 83.29 लाख रुपये की वस्तुगत केन्द्रीय सहायता दी जा चुकी है।

विवरण-I

मलेरिया के पौजिटीव मामलों को दर्शाने वाला विवरण (जिलावार)

		1997	1998	1999
1	2	3	4	5
कर्नाटक	बंगलौर (ग्रामीण)	237	391	373
	बंगलौर (शहरी)	1669	4427	1792
	कोलार	33448	14108	5076
	टुमकुर	4023	2910	4167
	चित्रदुर्ग	11664	4488	3044
	देवनगिरी	*	91	184
	शिमोगा	525	390	177
	बेलगांव	2102	6336	4343
	बीजापुर	24105	8086	9239
	बगलकोट	*	7133	5393
	धारवाड़	1276	291	234
	गड़ग	*	336	343
	हवेरी	*	486	180
	उत्तर कन्नडा	652	268	161
	गुलबर्गा	6427	6422	8313
	भीदर	3007	1823	1563
	बेल्लारी	19149	11990	7160

1	2	3	4	5
कर्नाटक	रायचूर	18147	9130	14828
	कोप्पल	*	5398	3946
	मैसूर	5744	2790	1704
	चमा राज नगर	*	125	125
	मांडया	19787	10929	12126
	हसन	9899	2270	1942
	डी. कन्नडा	10057	7994	4438
	यू. डूपी	*	840	622
	चिकमंगलूर	951	475	480
	कोडागू	134	145	52
	यू.के.पी.एन. पुरा	4196	3752	2612
	यू.के.पी. केमबाहरी	389	457	684
	यू.के.पी अल्माटी	3693	4303	1828
	यू.के.पी बी.आर. गुडी	169	169	139
	कुल	183447	120751	99273

*1998 से नये जिले।

विवरण-II

पहचान किए गए

वर्ष	रोगियों की संख्या	मौतों की संख्या
1997	181450	7
1998	118753	3
1999	97274	11
2000*	17284	5
1999*	22140	2

*अप्रैल तक

छोटे विमानों की कमी

1138. श्री दिलीप संघाणी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम सवारी क्षमता वाले विमानों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कांडला हवाई अड्डा केवल छोटे विमानों की क्षमता वाला है

(घ) यदि हां, तो क्या कोडला हवाई अड्डे की क्षमता को बड़े विमानों के लिए सक्षम बनाए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) एयरलाइनों के पास अधिक क्षमता वाले विमान की तुलना में कम क्षमता वाले विमानों की संख्या बहुत कम है। साधारणत: कम क्षमता वाले विमानों की रेंज सीमित है तथा इनके प्रचालन को व्यवहार्य बनाने के लिए उच्च किराया ढांचे की आवश्यकता होती है।

(ग) जी, हां। यह 50 सीटों वाले विमानों के लिए प्रचालनयोग्य है।

(घ) और (ङ) यातायात मांग की कमी के कारण कांडला हवाई अड्डे के स्तरोन्नयन की भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की कोई योजना नहीं है।

श्रीनगर हवाई अड्डे का उन्नयन

1139. श्री अली मोहम्मद नायक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू-कश्मीर सरकार ने केन्द्र सरकार से हज यात्रियों के लिए यातायात जरूरतों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए श्रीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में उन्नयन का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) श्रीनगर हवाई अड्डे पर हज तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाओं को उन्नत करने हेतु राज्य सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनुरोध किया है। श्रीनगर का हवाई अड्डा रक्षा मन्त्रालय का है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक सिविल एन्कलेव का रख-रखाव करता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने श्रीनगर हवाई अड्डे को उन्नत करने के लिए निम्नलिखित निमार्ण कार्यों को पूरा किया है/योजना बनाई है:-

i) श्रीनगर हवाई अड्डे में हज चार्टरों के प्रचालन के समय हज तीर्थयात्रियों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए सभी यात्री सुख-सुविधा सहित एक अतिरिक्त शैड का निर्माण।

ii) सीमित अंतरराष्ट्रीय चार्टर उड़ानों को हैंडल करने के लिए हवाई अड्डे को उपयुक्त बनाने हेतु सीमा शुल्क और आप्रवासन सुविधाओं की व्यवस्था।

पत्तनों से किया जाने वाला आयात और निर्यात

1140. श्री चिंतामन वनगा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की बहुत लंबी तटरेखा है;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्य और संघ राज्य-क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान मूल्य-वार आयात और निर्यात की मात्रा कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पत्तनवार किए गए सभी आयात और निर्यात का प्रतिशत क्या है;

(घ) क्या एशियाई क्षेत्र के अन्य पत्तनों की तुलना में भारतीय पत्तनों से किया जाने वाला आयात और निर्यात का प्रतिशत कम है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भविष्य में उपरोक्त प्रतिशत बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) भारत की मुख्य तटरेखा 5660 कि०मी० लम्बी है जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी से होकर गुजरती है। गत तीन वार्षों के दौरान राज्यवार और मूल्यवार आयात एवं निर्यात के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

राज्य/महापत्तन	मूल्यवार आयात एवं निर्यात*		
	1997-98	1998-99 (करोड़ रु०)	1999-2000
1	2	3	4
पश्चिम बंगाल			
कलकत्ता	9194.05	10967.01	11065.62
हल्दिया	1883.84	3083.12	3778.73
उड़ीसा			
पारादीप	1885.44	1939.21	2011.53
आंध्र प्रदेश			
विशाखापत्तनम	6660.29	5900.28	5800.94
तमिलनाडु			
चेन्नई	22367.70	24667.02	24502.07
तूतीकोरिन	6352.89	7766.16	10197.16
केरल			
कोचीन	6574.96	8042.32	7558.67
कर्नाटक			
नव मंगलूर	2077.04	2758.75	2941.95
गोवा			
मुरगांव	1533.27	1715.16	1545.63
महाराष्ट्र			
जवाहर लाल नेहरू	26982.55	26860.38	40631.94
मुंबई	49092.97	44402.39	38107.25
गुजरात			
कांडला	10459.11	12863.65	10651.29

*अनंतिम आंकड़े

(ग) देश में कार्गो का समग्र आयात एवं निर्यात समुद्री पत्तनों और विमान पत्तनों के जरिए हैंडल किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान मात्रा वार कुल आयात एवं निर्यात का लगभग 95% समुद्री पत्तनों के जरिए हैंडल किया गया है तथा शेष कार्गो विमान पत्तनों के जरिए हैंडल किया गया।

(घ) जी नहीं।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

संचार प्रणाली

1141. **श्री एन० जनार्दन रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग का विचार देश के उग्रवादियों से भरे पड़े क्षेत्रों में संचार प्रणाली विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में पता लगाए गए उग्रवादियों से भरे पड़े क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और ऐसे क्षेत्रों को कब तक दूरसंचार सुविधाओं से सुसज्जित किए जाने की संभावना है; और

(घ) ऐसी सुविधाओं से उग्रवादियों को धर पकड़ करने में लोगों को किस हद तक सहायता मिलेगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) देश के सभी क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं का विकास करने का प्रस्ताव है। उग्रवादियों से ग्रस्त क्षेत्रों का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है। दूरसंचार सुविधाएं मांग के आधार पर प्रदान की जा रही हैं। तथापि, जहां तक ग्रामिण सार्वजनिक टेलीफोन के प्रावधान का संबंध है, देश के प्रत्येक गांव में एक टेलीफोन प्रदान करने की योजना है।

मिनरल-वाटर और पान-मसाले में मिलावट

1142. **श्री शंकर प्रसाद जायसवाल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बेचे जाने वाले मिनरल-वाटर में 71 से 86 प्रतिशत तक मिलावट है और पान-मसाले में यह स्तर 50 प्रतिशत तक है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में पान मसालों और मिनरल-वाटर के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार खनिजयुक्त जल (मिनरल वाटर) के 46 नमूने वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान दिल्ली में उठाए गए थे जिनमें से एक भी नमूना अपमिश्रण वाला नहीं पाया गया था तथापि, 16 मामलों में लेबल लगाने संबंधी अवहेलना के कारण विनिर्माताओं के खिलाफ गलत ब्रान्ड के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

पान मसाला/गुटका के 16 नमूने वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान उठाये गये थे जिनमें से 11 नमूने अपमिश्रण वाले पाए गए हैं।

(ख) प्रेस और एलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए जनता में जागरुकता पैदा करके पान मसाला और गुटका के इस्तेमाल की रोकथाम करने के जोरदार प्रयत्न किए जा रहे हैं।

बेचे गए खनिजयुक्त जल की गुणता का नियमित रूप से अनुवीक्षण करने की खातिर भी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

क्रिकेट खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार

1143. **श्री अनिल बसु** : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार देने हेतु विचार और सिफारिश की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) इस वर्ष भारतीय ओलम्पिक संघ, राष्ट्रीय खेल परिसंघों, राज्य सरकारों अथवा किसी अन्य निकाय द्वारा अर्जुन पुरस्कारों के लिए चयन समिति के विचारार्थ किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी के नाम की सिफारिश नहीं की गई थी।

[हिन्दी]

बंगलौर विमानपत्तन पर अंधेरा

1144. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सभी विमानपत्तनों की धावन पट्टियों पर बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो 9 मई, 2000 को बंगलौर विमानपत्तन पर पूर्ण अंधेरा हो जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सभी विमानपत्तनों पर 24 घंटे बिजली व्यवस्था हेतु आधारभूत संरचना मुहैया कराने हेतु क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) देश में सभी विमानपत्तनों पर वैकल्पिक डीजल जनरेटरों की व्यवस्था की गई है। इन जनरेटरों की व्यवस्था न केवल मुख्य तथा वैकल्पिक धावनपथ प्रकाश के लिए की जाती है अपितु यह व्यवस्था विमानपत्तन पर अन्य अनिवार्य सुविधाओं तथा उपकरणों के कार्यकरण के लिए भी की जाती है। देश में बंगलौर सहित 27 विमानपत्तनों पर वैकल्पिक धावनपथ प्रकाश व्यवस्था भी की गयी है।

(ख) और (ग) बंगलौर विमानपत्तन पर मुख्य तथा वैकल्पिक धावनपथ प्रकाश व्यवस्था की गयी है। मुख्य सर्किट 1987 में लगाया गया था तथा वैकल्पिक सर्किट 1995 में लगाया गया था। मुख्य सर्किट का परिवर्धन किया जा रहा था जब कुछ तारें क्षतिग्रस्त हो गयी थी जिसके परिणामस्वरूप 9 मई, 2000 को मुख्य तथा वैकल्पिक सर्किटों दोनों ने काम करना बन्द कर दिया। तत्काल ही इसकी मरम्मत की गयी तथा इसे प्रचालनात्मक बना दिया गया था।

[हिन्दी]

विदेश संचार निगम लिमिटेड

1145. **डॉ० अशोक पटेल** :
श्री सुरेश पासी :

क्या **संचार मंत्री** कृपा बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार के क्षेत्र में विदेश संचार निगम लि० के लाइसेंस और एकाधिकार को इसकी निर्धारित अवधि के समाप्त होने से पूर्व वापस लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नही उठता।

"वनों में पेड़ों को काटा जाना"

1146. **श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर** : क्या **पर्यावरण एवं वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के बड़ोदरा जिले में वनों के पूर्वी भाग में वृक्षों की अवैध कटाई जोरों पर है क्योंकि बाजार में सागवान, खेम, शीशम और महुआ की लकड़ी सरकार द्वारा वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगा देने के बावजूद भी निर्धारित कीमत के आधी दर पर उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में तथ्यों का अभिनिश्चय करने के लिए कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा वनों की अवैध कटाई पर रोक लगाने के लिए कौन से प्रभावी कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) जी, नहीं। संघ सरकार के पास इस प्रकार की अवैध कटाई के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) वनों की अवैध कटाई को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम हैं :-

1. संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से वनों की सुरक्षा और पुनरूद्धार में ग्रामीण समुदायों को शामिल करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

2. वन भूमि के अपवर्तन को नियंत्रित करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को अधिनियमित किया गया है।

3. आग से वनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए "आधुनिक दावानल नियंत्रण प्रविधियां" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रायोजित की जा रही है।

4. बाघों और हाथियों तथा उनके वासस्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं।

5. वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात के संरक्षण के लिए वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

6. वनीकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

नए क्षेत्रों के लिए इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया की उड़ानें

1147. **डा० (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया का विचार नए क्षेत्रों के लिए अपना उड़ान समय बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बढ़ाये गए उड़ान स्थानों को कब तक अंतिम रूप दे दिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) विमान क्षमता की कमी के कारण अपने प्रचालन के विस्तार की एअर इंडिया की कोई तत्काल योजना नहीं है। इंडियन एयरलाइंस की हैदराबाद-कोचीन-दोहा मार्ग पर शीघ्र ही सेवा आरंभ करने की योजनाएं हैं।

विमान दुर्घटनाएं

1148. **श्री बाबु भाई के० कटारा :**
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने नागरिक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए;

(ख) इनमें से प्रत्येक दुर्घटना के संबंध में की गई जांच और निर्धारित की गई जिम्मेदारी का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक दुर्घटना में कुल कितने जान और माल की हानि हुई; और

(घ) प्रभावित परिवारों को कितनी राशि मुआवजे के रूप में दी गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क), से (ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 27.7.97 से 26.7.2000 तक के दौरान देश मे रजिस्टर्ड भारतीय सिविल विमानों की 10 दुर्घटनाएं हुई। दुर्घटनाओं के संभावित कारणों मृतकों की संख्या तथा विमान को हुई क्षति सहित दुर्घटनावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजे की भरपाई संबंधित आपरेटर द्वारा की जाती है।

विवरण

27.7.97 से 26.7.2000 तक की अवधि के दौरान हुई दुर्घटनाएं

क्र. सं.	तारीख/स्थान	विमान	प्रचालक	मृतकों की संख्या	विमान में क्षति	दुर्घटना के संभावित कारण
1	2	3	4	5	6	7
1.	2.2.98 भिलाई	किंग एयर सी-90 वीटी-ईएलजेड	एसएआईएल	6	नष्ट हो गया	खराब मौसम के परिनौसंचालन में तथा भूमि के साथ दृश्य सम्पर्क बनाए रखते हुए गंतव्य स्थान पर पहुंचने की कोशिश के दौरान

1	2	3	4	5	6	7
						जब पायलट ने विमान को पहाड़ी की ऊंचाई से नीचे उड़ाया तब उड़ानरत विमान पहाड़ी के ऊंचे भू-भाग से टकरा गया।
2.	15.6.98 रांची	सेसना-152	टाटा नगर एविएशन प्रा.लि	2	नष्ट हो गया	पायलट द्वारा विमान की गैर-इरादतन चालबाजी जिसके कारण आकस्मिक डाइव हुआ और दुर्घटना हुई।
3.	30.7.98 कोचीन	डोर्नियर डीओ-228	इंडियन एयरलाइंस	9	नष्ट हो गया	अपेक्षित हाई-लॉक फास्टेनर की गैर-संस्थापन के कारण इसके एक्चुएटर फॉरवर्ड बीयरिंग सपोर्ट फिटिंग के आंशिक अलगाव के कारण दुर्घटना हुई।
4.	1.11.98 हैदराबाद	बेल 206 हेलीकॉप्टर	डेक्कन एविएशन	1	नष्ट हो गया	विमान से उतरने के बाद एक यात्री द्वारा सुरक्षा की अनभिज्ञता तथा हेलीकॉप्टर के रोटेटिंग टेल रोटर ब्लेड्स के खतरे के क्षेत्र में जाने से दुर्घटना हुई।
5.	15.3.99 पटना	स्वाति बीटी-एस टी डी	पटना फ्लाइंग क्लब	2	नष्ट हो गया	जांच रिपोर्ट परीक्षाधीन है।
6.	29.3.99 गुंड घाटी	चीता हेलीकॉप्टर वीटी-ई.यू.आई.	जम्मू-कश्मीर सरकार	शून्य	भारी क्षति हुई	जांच रिपोर्ट परीक्षाधीन है।
7.	11.6.99 गाजीपुर	टीबी-20 वीटी-ई ए जी	इग्नुआ	4	भारी क्षति हुई	जांच रिपोर्ट परीक्षाधीन है।
8.	7.6.99 जयपुर	वीटी-जीएलएम	जयपुर ग्लाइडिंग क्लब	शून्य	भारी क्षति हुई	जांच रिपोर्ट परीक्षाधीन है।
9.	17.4.2000 मेनपुरी उत्तर प्रदेश	बेल-206बी जेट रेंजर	इंडिया इंटरनैशनल एयरवेज	शून्य	नष्ट हो गया	दुर्घटना की जांच की जा रही है
10.	17.7.2000 पटना	बी-737-200	एलायंस एयर	58	नष्ट हो गया	दुर्घटना की जांच की जा रही है

[अनुवाद]

क्योंझर में दूरसंचार-जिला

1149. श्री अनन्त नायक : क्या संचार मंत्री 15.5.2000, के अतारांकित प्रश्न सं० 7497 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार क्योंझर हेतु एक दूरसंचार-जिला स्थापित करने का है;

(ख) क्या यह प्रस्ताव काफी समय से लंबित पड़ा है; औ

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु क्या कदम उठ गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) (ग) जी, नहीं। इस समय क्योंझर राजस्व-जिला, धेनकनाल एसएस का हिस्सा है, जिसके प्रभारी वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-अधिकारी हैं त उनका मुख्यालय धेनकनाल में है। चूंकि, प्रत्येक सैकण्डरी स्विचन-क्षे (एसएसए) प्रशासन, चार्जिंग, रूटिंग और नम्बरिंग-योजना के लिए प्रचा

की बुनियादी यूनिट है, इसलिए इसे प्रचालनात्मक और प्रशासनिक कारणों से अलग नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए विश्व बैंक ऋण

1150. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल :**
श्री योगी आदित्यनाथ :
श्री मोहम्मद अनवारूल हक :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक/एशियाई बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 51 करोड़ डॉलर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश और बिहार के इन राष्ट्रीय राजमार्गों की पहचान कर ली गयी है;

(ग) यदि हां, तो दोनों राज्यों में पहचान किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार इन सभी परियोजनाओं पर पूरी राशि को कब तक व्यय कर देगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में आगरा और बरवा अड्डा के बीच रा० रा० 2 के लगभग 477 कि. मी. लम्बे खंड में रा० रा० 2 के उन्नयन के लिए 51.6 करोड़ रु० के ऋण को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस ऋण राशि का 30 जून, 2000 की समापन तारीख से पहले उपयोग किया जाना है। तथापि, इस कार्य को दिसम्बर, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

आप्टिकल फाइबर बैंडविथ

1151. **डा० संजय पासवान** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंटरनेट के ग्राहकों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर "ऑप्टिकल फाइबर बैंडविथ" में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) दूरसंचार सेवा विभाग (डीटीएस) मार्च, 2001 तक लगभग सभी जिला मुख्यालयों तक मांग पर बैंडविड्थ उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है, बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों। दूरसंचार सेवा विभाग 2.5 जेगाबिट्स प्रति सैकण्ड (जीबीपीएस) क्षमता के सिन्क्रोनस डिजिटल हायरार्की (एसडीएच) का 14,000 रूट कि.मी. आप्टिकल फाइबर नेटवर्क चालू कर चुका है तथा अगर सामग्री समय से उपलब्ध हो जाए, तो मार्च, 2001 तक 2.5 जीबीपीएस क्षमता का 39,000 किमी. की एक अन्य एसडीएच नेटवर्क चालू करने की प्रक्रिया चल रही हैं।

वीएसएनएल के पास इंटरनेट के लिए लगभग 310 मेगाबिट्स प्रति सैकण्ड (एमबीपीएस) की अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ है तथा जल्दी ही 500 एमबीपीएस क्षमता का प्रापण और करने के उपाय किए जा रहे हैं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आइ०एस०एम० एंड एच० के तहत सी०जी० एच०एस० औषधालय

1152. **श्री होलखोमांग हौकिप :**
श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी के तहत स्थान-वार कितने सी.जी.एच.एस. औषधालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या ये औषधालय पूरी तरह सुसज्जित हैं तथा इनमें पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों ने देश में विशेषकर दिल्ली में विद्यमान नीति के तहत सी.जी.एच.एस. औषधालय/भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी की और अधिक नई इकाइयां खोलने की कोई मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

(ख) जी, हां।

(ग) ब्यौरे संलगन विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी हां। भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी के नए औषधालय खोलने संबंधी अनुरोध पर उसके औचित्य और संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन चरणबद्ध ढंग से विचार किया जाता है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध औषधालयों/यूनिटों की अवस्थिति-वार सूची

आयुर्वेदिक

क्र.सं.	औषधालय/यूनिट का नाम
1	2
1.	जनकपुरी औषधालय

1	2
2.	कालीबाड़ी औषधालय
3.	नार्थ एवेन्यू औषधालय
4.	आर.के. पुरम सेक्टर 12 औषधालय
5.	किदवई नगर औषधालय
6.	देवनगर युनिट
7.	दिल्ली कैन्ट यूनिट
8.	पश्चिम बिहार यूनिट
9.	गुडगांव यूनिट
10.	जंगपुरा यूनिट
11.	किंग्सवे केम्प यूनिट
12.	एम.बी. रोड यूनिट
13.	लक्ष्मी नगर यूनिट
14.	आयुर्वेदिक अस्पताल लोदी रोड
होम्योपैथी	
1.	देव नगर औषधालय
2.	कालीबाड़ी औषधालय
3.	आर के पुरम सेक्टर 12 औषधालय
4.	राजौरी गार्डन यूनिट
5.	तिलक नगर यूनिट
6.	दरियागंज यूनिट
7.	मानसरोवर पार्क (शाहदरा) यूनिट
8.	कालकाजी यूनिट
9.	कस्तुरबा नगर। यूनिट
10.	पुस्प विहार यूनिट
11.	आर के पुरम-6 (सेक्टर-3) यूनिट
12.	तिमारपुर यूनिट
13.	साउथ एवेन्यू यूनिट
यूनानी	
1.	सरोजनी नगर औषधालय
2.	दरियागंज यूनिट
3.	नारायणा यूनिट
4.	साउथ एवेन्यू यूनिट
सिद्ध	
1.	सिद्ध यूनिट, लोदी रोड

दिल्ली को छोड़कर विभिन्न नगरों में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी वाले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों/यूनिटों की सूची

क्र. सं.	नगर	चिकित्सा पद्धति	पता
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	आयुर्वेद (यू)	कश्वीश महादेव ट्रस्ट, बिल्डिंग शाहपुर गेट अहमदाबाद।
		होमियोपैथी (यू)	तदैव
2.	इलाहाबाद	आयुर्वेद (डी)	संगम पैलेस, 2, सिविल लाइन्स, सिविल रोड, इलाहाबाद।
		होमियेपैथी (डी)	तदैव
3.	बंगलौर	आयुर्वेद (यू)	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 1, इंफैन्ट्री रोड, शिवाजी नगर, बंगलौर
		होमियोपैथी (यू)	तदैव
		यूनानी (यू)	तदैव
4.	कलकत्ता	आयुर्वेद (यू)	आईसी ब्लाक पालिक्लिनिक, साल्ट लेक, नगर ट्रस्ट रोड नं. 14. कलकत्ता
		होमियोपैथी (यू)	तदैव
		होमियोपैथी (यू)	शतीश मुखर्जी रोड़, भवानी पुर, काली घाट, कलकत्ता।
5.	चेन्नई	आयुर्वेद (यू)	क्वाटर नं. 125, बीसीजी वैक्सीन लैबक्वाटर, सरदार पटेल रोड, गिन्डी, चेन्नई
		होमियोपैथी (यू)	सीजीएचएस डिस्पेंसरी सं. 15, रंगनाथन गार्डन, सेन्ट्रल रिवेन्यू क्वाटर, अन्ना नगर, चेन्नई।
		सिद्ध (यू)	के.के. नगर कामराज, सलई, चेन्नई।

1	2	3	4
		सिद्ध (यू)	मालापुर, 1 स्ट्रीट, गोपालपुरम, चेन्नई
6.	हैदराबाद	आयुर्वेद (यू)	केन्द्रीय स्वास्थ्य भवन, बेगमपेट, हैदराबाद।
		आयुर्वेद (यू)	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 2, नं. 10.3.273/10, हुमायू नगर, हैदराबाद
		होमियोपैथी (यू)	केन्द्रीय स्वास्थ्य भवन, बेगम पेट, हैदराबाद।
		होमियोपैथी (यू)	ए जी स्टाफ क्वाटर, वसंत गुड्डे, हैदराबाद
		यूनानी (यू)	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 1, 23.1.693/1/1 मुगलपुरा, हैदराबाद
		यूनानी (यू)	सीजीएचएस डिस्पेंसरी सं. 7, ए एंड वी गवर्नमेंट ह्रास्पिटल काम्प्लेक्स, मलकापेट, हैदराबाद
7.	जयपुर	आयुर्वेद (यू)	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं.4, डी-143/ए-7, कौशल्या मार्ग, बानी पार्क, जयपुर
		होमियोपैथी (यू)	तदैव
8.	कानपुर	आयुर्वेद (यू)	सीजीएचएस डिस्पेंसरी सं. 1,126/टी/9, गोविन्द नगर, कानपुर
		होमियोपैथी (यू)	तदैव
9.	लखनऊ	आयुर्वेद (यू)	स्काईलार्क बिल्डिंग, नवलकिशोर रोड, लखनऊ
		होमियोपैथी (यू)	9-ए, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ
		यूनान (यू)	58, नजर बिल्डिंग, नखास, लखनऊ
10.	मेरठ	आयुर्वेद (यू)	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 1, 171-डी, अबूलेन, मेरठ
		होमियोपैथी (यू)	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 4, डब्ल्यू के रोड, मेरठ
11.	मुम्बई	आयुर्वेद (डी)	न्यू एयरपोर्ट कालोनी, सातांकुज, मुम्बई
		आयुर्वेद (डी)	सेन्ट्रल गवर्नमेंट बिल्डिंग नं. 36, सेक्टर 7, मुम्बई
		होमियोपैथी (डी)	सेन्ट्रल गवर्नमेंट बिल्डिंग, ग्राउन्ड फलोर, एम.के. रोड, मुम्बई
		होमियोपैथी (डी)	सेन्ट्रल गवर्नमेंट बिल्डिंग, सं. 36, सेक्टर 7, मुम्बई
		होमियोपैथी (डी)	सेन्ट्रल गवर्नमेंट स्टाफ क्वाटर सं. 25, ग्राउंड तल घाटकोपर, मुम्बई
12.	नागपुर	आयुर्वेद (यू)	सीजीएचएस डिस्पेंसरी सं. 2, टाइप 3 क्वाटर सीपीडब्यूडी कालोनी, सिविल लाइन्स नागपुर
		होमियोपैथी (यू)	तदैव
		आयुर्वेद (यू)	सीजीएचएस डिस्पेंसरी सं. 5, श्री एस. एन. पटेल बिल्डिंग, रामबाग रोड, मेडिकल कालेज चौक, नागपुर
13.	पुणे	आयुर्वेद (यू)	स्वास्थ्य सदन, मुकुन्द नगर, पुणे
		होमियोपैथी (यू)	तदैव
		होमियोपैथी (यू)	बोयल बटालियन आर्मामेंट कालोनी, गनेश खिन्द पुणे
14.	पटना	आयुर्वेद (यू)	सीजीएचएस डिस्पेंसरी सं. 2, 39 पीपल क्वापरेटिव कालोनी, कंकडबाग, पटना
		होमियोपैथी (यू)	तदैव

टिप्पण : (डी) औषधालयों तथा (यू) यूनिटों के द्योतक हैं।

विवरण-II

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के स्टाफ का ब्यौरा

कें.स.स्वा.यो. आयुर्वेदिक

क्रम सं.	औषधालयों/यूनिटों का नाम	डाक्टर	फार्मासिस्ट	अवर श्रेणी लिपिक	एन.ए.	एफ.ए.	चपरासी	सफाईवाला	चौकीदार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जनकपुरी-1 (डिस्पैंसरी)	2	2	1	2	1	—	1	—
2.	काली बाड़ी (डिस्पैंसरी)	2	2	1	1	1	—	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	नार्थ एवेन्यू (डिस्पैंसरी)	2	2	1	1	1	1	1	1
4.	आर.के.पुरम (सेक्टर 12) (डिस्पै.)	3	2	1	1	1	–	1	1
5.	किदवाई नगर (डिस्पैंसरी)	3	2	1	2	–	–	1	1
6.	देव नगर यूनिट	1	1	–	1	–	–	–	–
7.	दिल्ली कैंट यूनिट	1	2	–	1	1	–	–	–
8.	पश्चिम विहार यूनिट	2	1	–	–	1	–	–	–
9.	गुड़गांव यूनिट	2	1	–	–	1	–	–	–
10.	जंगपुरा यूनिट	2	1	–	–	–	1	–	–
11.	किंगस्वे कैंप यूनिट	2	1	–	1	–	1	–	–
12.	एम.बी.रोड़ यूनिट	2	1	–	–	–	1	–	–
13.	लक्ष्मी नगर	2	1	–	1	–	1	1	–
सिद्धा यूनिट									
1.	लोदी रोड़	1	1	–	–	–	–		–
यूनानी									
1.	सरोजिनी नगर–(डिस्पैंसरी)	2	3	1	1	1	1	1	1
2.	दरियागंज यूनिट	2	1	–	–	–	1	1	–
3.	नारायणा यूनिट	2	1	–	1	–	–	1	–
4.	साऊथ एवेन्यू यूनिट	2	2	–	1	–	–	1	–

होम्योपैथीक

क्रम सं.	औषधालयों/यूनिटों का नाम	डाक्टर	फार्मासिस्ट	अवर श्रेणी-लिपिक	एफ.ए.	सफाईवाला	चौकीदार	एन.ए.	चपरासी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	देव नगर डिस्पैंसरी	2	2	1	1	1	1	–	2
2.	काली बाड़ी डिस्पैंसरी	2	3	1	1	1	–	1	–
3.	आर.के.पुरम सेक्टर 12 डिस्पै.	3	2	1	1	1	1	1	–
4.	राजौरी गार्डन यूनिट	2	1	–	–	–	–	1	–
5.	तिलक नगर यूनिट	1	1	–	1	1	–	–	–
6.	दरियागंज यूनिट	1	1	–	–	–	–	1	1
7.	शाहदरा यूनिट	1	1	–	–	1	–	1	–
8.	कालकाजी यूनिट	2	1	–	–	1	–	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	कस्तूरबा नगर यूनिट	2	1	–	–	1	–	1	–
10.	पुष्प विहार	1	1	–	–	1	–	1	–
11.	आर.के.पुरम-VI/1, सैक्टर-3 (यूनिट)	2	1	–	2	–	–	–	–
12.	तिमारपुर यूनिट	1	1	–	–	–	–	–	1
13.	साऊथ एवेन्यू यूनिट	2	2 (स्थानांतर पर हैं।)	–	–	1	–	1	–

भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी के दिल्ली बाहय औषधालयों/यूनिटों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के परामेडिकल स्टाफ के लिए मंजूर और कार्यरत संख्या

क्र. सं.	नगर का नाम	आयुर्वेदक			होमियोपैथी			यूनानी			सिद्धा		
		मंजूर	कार्यरत	रिक्त	मंजूर	कार्यरत	रिक्त	मंजूर	कार्यरत	रिक्त	मंजूर	कार्यरत	रिक्त
1.	अहमदाबाद	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
2.	इलाहाबाद	2	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
3.	बंगलौर	3	2	1	2	2	–	1	1	–	–	–	–
4.	कलकत्ता	4	4	–	5	5	–	–	–	–	–	–	–
5.	चेन्नई	2	2	–	2	2	–	–	–	–	1	–	1
6.	हैदराबाद	3	3	–	3	3	–	3	3	–	–	–	–
7.	जयपुर	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
8.	कानपुर	2	2	–	3	3	–	–	–	1	–	–	–
9.	लखनऊ	1	1	–	1	1	–	2	2	–		–	–
10.	मेरठ	2	2	–	2	2	–	–	–	–			–
11.	मुम्बई	4	4	–	5	5	–	–	–	1	-		7
12.	नागपुर	3	2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–
13.	पटना	2	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–
14.	पुणे	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
	कुल:	31	27	4	33	32	1	6	6	–	1	–	1

भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी के लिए डाक्टरों की मंजूर तथा कार्यरत संख्या

यूनिटों का नाम	मंजूर संख्या					कार्यरत संख्या					रिक्त संख्या				
	आयु.	होमि.	यू.	सि.	कुल	आयु.	होमि.	यू.	सि.	कुल	आयु.	होमि.	यू.	सि.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
अहमदाबाद	2	2	–		4	2	2	–	•	4					शून्य
इलाहाबाद	2	2	–		4	2	2	–		4					शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
बंगलौर	4	2	1		7	4	2	1		7					शून्य
बीबीएसआर	शून्य	—	—		—	—	—	—		—					शून्य
कलकत्ता	2	4	2		8	1	3	1		5	1	1	1		3
चेन्नै	2	2	—	2	6	2	2	—	2	6	—	—			शून्य
दिल्ली	40	30	9	1	80	38	25	9	1	73	2	5			7
गुवाहाटी	शून्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
हैदराबाद	4	4	4		12	4	4	4		12					शून्य
जबलपुर	शून्य	—	—	—	—	—	—	—		—					—
जयपुर	2	2	—		4	2	1	—		3		1			1
कानपुर	—	—	—	—	—	—	—	—		—					—
लखनऊ	2	2	2		6	1	2	2		5	1				1
मेरठ	2	2	—		4	1	1			2	1	1			2
मुम्बई	4	6	—		10	2	6			8	2				2
नागपुर	4	2			6	2	2			4	2				2
पटना	2	2			4	1	2			3	1				1
पुणे	2	4			6	2	4			6					शून्य
रांची	शून्य	शून्य			शून्य	शून्य	शून्य			6					शून्य
त्रिवेन्द्रम	शून्य	शून्य			शून्य	शून्य	शून्य								शून्य

नए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की स्थापना

1153. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ नए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कितने नए हवाई अड्डों की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन नए हवाई अड्डों की स्थापना हेतु किन-किन स्थानों की पहचान की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क), से (ग) जी, हां। राज्य सरकार ने (1) हैदराबाद के निकट शमशाबाद (2) बंगलौर के निकट देवनहल्ली तथा (3) गोवा में मोपा में निजी भागीदारी से संयुक्त उद्यम आधार पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के नये विमानपत्तनों के निर्माण के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावों को सिद्धांत रूप से अनुमोदित कर दिया है।

तूतीकोरिन विमानपत्तन

1154. **डॉ० ए०डी० के० जयशीलन:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तुतीकोरिन विमानपत्तन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार तूतीकोरिन विमानपत्तन से उड़ान सेवा शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) तूतीकोरिन हवाई अड्डा साफ मौसम में 50 सीटों वाले विमान के लिए प्रचालन-योग्य है। इस समय इस हवाई अड्डे से होकर किसी भी अनुसूचित उड़ान का प्रचालन नहीं किया जा रहा है।

(ख), से (घ) एयरलाइनें अपने वाणिज्यिक निर्णय तथा विमान की उपलब्धता के आधार पर उड़ानें प्रचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

चिकित्सा और दंत कालेजों को मान्यता

1155. मोहम्मद अनवारूल हक :
प्रो. दुखा भगत :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मान्यता प्राप्त चिकित्सा और दंत चिकित्सा कालेजों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में चिकित्सा और दंत कालेजों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है जबकि इस राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 10 प्रतिशत है;

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार में चिकित्सा/दंत कालेजों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में विशेषकर बिहार राज्य में और अधिक चिकित्सा और दंत कालेज खोलने हेतु किन उपायों पर विचार किया जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने सूचित किया है कि देश में 147 मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज कार्य कर रहे हैं। मेडिकल कालेजों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-I पर दी गई है। भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद ने सूचित किया है कि देश में 124 मान्यता प्राप्त/अनुमोदित डेंटल कालेज हैं। डेंटल कालेजों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-II पर दी गई है।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार बिहार में 11 मेडिकल कालेज हैं जिनमें से 9 मान्यता प्राप्त हैं। भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार बिहार में 7 मान्यता प्राप्त /अनुमोदित डेंटल कालेज हैं। जनसंख्या मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए किसी भी कालेज में कोई मेडिकल /डेंटल कालेज नहीं खोला गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1993 और दन्त चिकित्सक (संशोधन) अनिधनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी मेडिकल/डेंटल कालेज नहीं खोला जा सकता।

(ग) और (घ) "स्वास्थ्य" राज्य का विषय है, अत: केन्द्र सरकार के पास किसी भी राज्य में मेडिकल/डेंटल कालेज खोलने की कोई स्कीम नहीं है।

(ङ) भरतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशाधन) अधिनियम, 1993 और दन्त चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 और इनके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अधीन नए मेडिकल और डेंटल कालेज खोलने की अनुमति दी जाती है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद और भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद विनियमों में निर्धारित पात्रता मानदण्ड और अर्हक मानदण्ड पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति केन्द्र सरकार को नया मेडिकल/डेन्टल कालेज खोलने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकता है।

विवरण-I

जुलाई 2000 तक संशोधित

भारत में मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों की सूची

क्र. सं.	कालेज/विश्वविद्यालय/ राज्य का नाम	प्रारंभ होने का वर्ष	प्रबंध
1	2	3	4
I.	आंध्र प्रदेश		
1.	**एन.टी.आर. यूनिवर्सिटी आफ हैल्थ साइन्सेज, विजयवाड़ा**		
1.	आंध्र मेडिकल कालेज, विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश)	1923	सरकारी
2.	रंगराया मेडिकल कालेज, काकीनाडा (आं.प्र.)	1958	सरकारी
3.	गुन्टूर मेडिकल कालेज, गुन्टूर (आं.प्र.)	1946	सरकारी
4.	सिद्धार्थ मेडिकल कालेज. विजयबाडा (आं.प्र.)	1980	सरकारी
5.	उस्मानिया मेडिकल कालेज, हैदराबाद (आं.प्र.)	1946	सरकारी
6.	गांधी मेडिकल कालेज, हैदराबाद (आं.प्र.)	1954	सरकारी
7.	काकातिया मेडिकल कालेज, वारंगल (आं.प्र.)	1959	सरकारी
8.	कुरनूल मेडिकल कालेज, कूरनूल (आं.प्र.)	1957	सरकारी
9.	एस.वी.मेडिकल कालेज, तिरूपति (आं.प्र.)	1969	सरकारी
10.	डेक्कन कालेज आफ मेडिकल साइन्सेज, हैदराबाद (आं.प्र)	1985	ट्रस्ट
II.	असम		
2.	**गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी**		
II.	गुवाहटी मेडिकल कालेज, गुवाहाटी (असम)	1960	सरकारी
3.	**असम यूनिवर्सिटी, सिल्चर (असम)**		
	(पूर्व में गुवाहाटी विश्वविद्यालय से संबद्ध)		
	(अधिसूचना की प्रतीक्षा है।		
12.	सिल्चर मेडिकल कालेज, सिल्चर (असम)	1968	सरकारी

1	2	3	4
4	**डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़**		
13.	असम मेडिकल कालेज, डिब्रूगढ़ (असम)	1947	सरकारी
III.	बिहार		
5.	**एल.एन. मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा**		
14.	दरभंगा मेडिकल कालेज, लहेरिया सराय (बिहार)	1946	सरकारी
6.	**बाबासाहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर**		
15.	श्री कृष्णा मेडिकल कालेज, मुजफ्फपुर	1979	सरकारी
7.	**पटना यूनिवर्सिटी, पटना**		
16.	पटना मेडिकल कालेज, पटना	1925	सरकारी
8.	**रांची यूनिवर्सिटी, रांची**		
	राजेन्द्र मेडिकल कालेज, रांची	1960	सरकारी
18.	एम.जी.एम. मेडिकल कालेज, जमशेदपुर	1961	सरकारी
9.	**भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर**		
19.	जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज, भागलपुर	1971	सरकारी
10.	**मगध यूनिवर्सिटी, बोध गया**		
20.	ए.एन. मगध मेडिकल कालेज, गया	1970	सरकारी
21.	नालंदा मेडिकल कालेज, पटना	1970	सरकारी
11.	**विनोवा भावे यूनिवर्सिटी, धनवाद**		
22.	पाटलीपुत्र मेडिकल कालेज, धनवाद	1969	सरकारी
नोट :	पूर्व में रांची विश्वविद्यालय से मान्यताप्राप्त		
IV.	चंडीगढ़		
12.	**पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़**		
23.	मेडिकल कालेज, चंडीगढ़	1991	सरकारी
V.	दिल्ली		
24.	आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली	1956	सरकारी
13.	**दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली**		
25.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	1916	सरकारी
26.	मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	1958	सरकारी
27.	यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेज, दिल्ली	1971	विश्व-विद्यालय
VI.	गोवा		
14.	**गोवा यूनिवर्सिटी**		
28.	गोवा मेडिकल कालेज, पणजी	1963	सरकारी
VII.	गुजरात		
15.	**गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद**		
29.	बी.जे. मेडिकल कालेज, अहमदाबाद	1946	सरकारी
30.	म्यूनिसिपल मेडिकल कालेज, अहमदाबाद	1963	नगर निगम
16.	**एम०एस०यूनिवर्सिटी आफ बड़ौदा, बड़ौदा**		
31.	मेडिकल कालेज, बड़ौदा	1949	सरकारी
17.	**सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, राजकोट**		
32.	एम.पी.शह मेडिकल कालेज, जामनगर	1955	सरकारी
33.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, राजकोट	1955	सरकारी
18.	**साऊथ गुजरात यूनिवर्सिटी, सूरत**		
34.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, सूरत	1964	सरकारी
19.	**सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, बल्लभ विद्यानगर, गुजरात**		
35.	प्रमुखस्वामी मेडिकल कालेज, कर्मसाड	1987	ट्रस्ट
VIII.	हरियाणा		
20.	**महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक**		
38.	पंडित भागवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक	1960	सरकारी
IX.	हिमाचल प्रदेश		
21.	**हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला**		
37.	इन्दिरा गांधी मेडिकल कालेज, शिमला	1966	सरकारी
X.	जम्मू व कश्मीर		
22.	**कश्मीर यूनिवर्सिटी, श्रीनगर**		
38.	गवर्नमेंट मडिकल कालेज, श्रीनगर	1959	सरकारी
23.	**जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू**		
39.	**गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, जम्मू**	1972	सरकारी

1	2	3	4
XI.	**कर्नाटक**		
24.	**मनीपाल अकादमी आफ हायर एजूकेशन**		
40.	कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मनीपाल	1953	ट्रस्ट
41.	कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मुंगलौर	1955	ट्रस्ट
25.	**बंगलौर यूनिवर्सिटी, बंगलौर**		
42.	बंगलौर मेडिकल कालेज, बंगलौर	1955	सरकारी
43.	सेंट जान्स मेडिकल कालेज, बंगलौर	1963	सोसायटी
44.	एम०एस० रमैया मेडिकल कालेज, बंगलौर	1979	ट्रस्ट
45.	डा० बी०आर अम्बेडकर मेडिकल कालेज, बंगलौर	1980	ट्रस्ट
46.	केम्पेगौड़ा इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बंगलौर	1980	सोसायटी
47.	सिद्धार्थ मेडिकल कालेज, तुमकूर	1988	ट्रस्ट
48.	श्री देवराज अर्स मेडिकल कालेज, तमाका, कोलार	1986	ट्रस्ट
26.	**मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर**		
49.	मैसूर मेडिकल कालेज, मैसूर	1924	सरकारी
50	जे०एस०एस० मेडिकल कालेज, मैसूर	1984	ट्रस्ट
51.	आदिचंचलागिरी इन्स्टीट्यूट आफ मेडि० साइंसेज, बेल्लूर	1985	ट्रस्ट
27	**कुवेम्पु यूनिवर्सिटी, कर्नाटक**		
52.	जे०जे०एम० मेडिकल कालेज, देवनगेरे, कर्नाटक	1965	ट्रस्ट
28.	**कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़**		
53.	कर्नाटक इनस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, हुबली	1957	सरकारी
54.	जे०एन० मेडिकल कालेज, बेलगाम	1963	ट्रस्ट
55.	बी०एल०डी०ई०एल श्री बी०एम०पाटिल मेडिकल कालेज, हास्पीटल एंड रिसर्च सेंटर, बीजापुर	1986	ट्रस्ट
56.	अल-अमीन मेडिकल कालेज, बीजापुर	1984	ट्रस्ट
29.	**गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा**		
57.	एम०आर० मेडिकल कालेज, गुलबर्गा	1963	ट्रस्ट
58.	विजयनगर इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, बेल्लारी	1961	सरकारी
XII	केरल		
30.	**केरल यूनिवर्सिटी त्रिवेन्द्रम**		
59.	मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम	1951	सरकारी
60.	टी०डी० मेडिकल कालेज, अलप्पी (अलाहुझा)	1963	सरकारी
31.	**महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, कोट्टायम**		
61.	मेडिकल कालेज, कोट्टायम	1960	सरकारी
32.	**कालीकट यूनिवर्सिटी, कालीकट**		
62.	मेडीकल कालेज, कालीकट	1957	सरकारी
63.	मेडीकल कालेज, त्रिचूर	1981	सरकारी
XIII	मध्य प्रदेश		
33.	**रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर**		
64.	नेताजी सभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज, जबलपुर	1955	सरकारी
34.	**जीबाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर**		
65.	जी०आर० मेडिकल कालेज, ग्वालियर	1946	सरकारी
35.	**देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर**		
66.	एम०जी०एम० मेडिकल कालेज, इन्दौर	1948	सरकारी
36.	**बरउल्लाह यूनिवर्सिटी, भोपाल**		
67.	गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल	1955	सरकारी
37.	**ए०पी० सिंह यूनिवर्सिटी, रीवा**		
68.	एस०एस० मेडिकल कालेज, रीवा	1963	सरकारी
38.	**रविशंकर यूनिवर्सिटी, रायपुर**		
69.	पं० जे०एल०एन० मेडिकल कालेज, रायपुर	1963	सरकारी
XIV.	महाराष्ट्र		
39.	**मुम्बई यूनिवर्सिटी, मुम्बई**		
70.	ग्रांट मेडिकल कालेज, मुम्बई	1845	सरकारी
71.	सेठ जी०एस०मेडिकल कालेज, मुम्बई	1925	बृहत मुंबई महा नगर पालिका

1	2	3	4
72.	टी०एन०मेडिकल कालेज, मुम्बई	1964	बृहत मुम्बई महानगर पालिका
73.	एल०टी०एम० मेडिकल कालेज, मुम्बई	1964	-तदैव-
74.	पदम श्री डा० डी०वाई० पाटिल मेडिकल कालेज, नई मुम्बई	1989	ट्रस्ट
75.	महात्मा गांधी मिशन्स मेडिकल कालेज, नई मुम्बई	1989	ट्रस्ट
76.	के०जी० सोमाया मेडिकल कालेज एंड रिसर्च सेन्टर, मुम्बई	1991	ट्रस्ट
77.	राजीव गांधी मेडिकल कालेज और छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल, थाणे	1992	नगर निगम
78.	तेरना मेडिकल कालेज, तेरना, नवी, मुम्बई	1991	ट्रस्ट
40.	**पुणे विश्वविद्यालय, पुणे**		
	बी०जे० मेडिकल कालेज, पुणे	1964	सरकारी
80.	आर्म्ड फोर्स मेडिकल कालेज, पुणे	1962	सरकारी (रक्षा मंत्रालय)
81.	ग्रामीण मेडिकल कालेज, लोनी।	1984	ट्रस्ट
82.	एन०डी०एम०वी०पी० समाज मेडिकल कालेज, नासिक	1990	-तदैव-
41.	**भारती विद्यापीठ समविश्वविद्यालय, पुणे**		
83.	भारती विद्यापीठ मेडिकल कालेज, पुणे (पहले पुणे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध)	1989	ट्रस्ट
42.	**उत्तरी महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगांव**		
84.	जवाहार मेडिकल फांउडेशन ए.सी.पी.एम. मेडिकल कालेज, धूले (पहले पुणे विश्व-विद्यालय से सम्बद्ध)	1980	निजी
85.	श्री भाऊसाहब हायर राजकीय मेडिकल कालेज, धूले (पहले पुणे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध)	1988	सरकारी
43.	**शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर**		
86.	मिराज मेडिकल कालेज, मिराज	1962	सरकारी
87.	डा० वी०एम० मेडिकल कालेज, सोलापुर	1963	सरकारी
88.	कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कारद	1984	ट्रस्ट
89.	डी०वाई पाटील एजूकेशन सोसायटी, डी० वाई० पाटील, मेडिकल कालेज, कोल्हापुर	1989	सोसायटी
44.	**डा० बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद**		
90.	राजकीय मेडिकल कालेज, औरंगाबाद	1956	सरकारी
91.	एस०आर०टी०आर०, मेडिकल कालेज, अम्बाजोगई	1974	सरकारी
92.	महात्मा गांधी मिशन मेडिकल काजेल, औरंगाबाद	1989	निजी
45.	**स्वामी रामानन्द तीर्थ विश्वविद्यालय, नांदेड**		
93.	राजकीय मेडिकल कालेज, नांदेड (पहले डा० वी०ए०एम० विश्वविद्यालय, औरंगाबाद से सम्बद्ध)	1988	सरकारी
94.	महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, एण्ड रिसर्च लातूर (पहले डा० बी०ए०एम० विश्वविद्यालय, औरंगाबाद से सम्बद्ध)	1990	सोसायटी
46.	**नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर**		
95.	राजकीय मेडिकल कालेज, नागपुर	1947	सरकारी
96.	इंदिरागांधी मेडिकल कालेज, नागपुर	1968	-तदेव-
97.	महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, सेवाग्राम वर्धा	1969	कस्तूरबा हैल्थ सोसायटी
98.	ऐ०एन० मेडिकल कालेज, स्वांगी, वर्धा	1990	ट्रस्ट
99.	एन०के०पी० साल्वे, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, नागपुर	1990	सोसायटी
47.	**अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती**		
100.	डा० पंजाबराव उर्फ भाउसाहेब देशमुख मेमोरियल मेडिकल कालेज, अमरावती	1984	सोसायटी
101.	श्री वसन्तराव नाईक राजकीय मेडिकल कालेज, (यवतमाल)	1989	सरकारी
XV	मणिपुर		
48.	**मणिपुर विश्वविद्यालय, मणिपुर**		
102	क्षेत्रीय मेडिकल साइंसेज संस्थान, इम्फाल	1972	सोसायटी
XVI	उड़ीसा		
49.	**उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर**		
103.	एस०सी०बी०, मेडिकल कालेज, कटक	1944	सरकारी
50.	**बरहमपुर विश्वविद्यालय, बरहमपुर**		
104.	एम०के०सी०जी०, मेडिकल कालेज, बरहमपुर	1962	सरकारी

1	2	3	4
51.	**सम्बलपुर, विश्वविद्यालय, सम्बलपुर**		
105.	वी०एस०एस० मेडिकल कालेज, बुरला	1959	सरकारी
XVII.	पांडिचेरी		
52.	**पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी**		
106.	जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च, पांडिचेरी	1956	सरकारी
XVIII.	पंजाब		
53.	**पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला**		
107.	राजकीय मेडिकल कालेज पटियाला	1953	सरकारी
108.	गुरूगोविन्द सिंह मेडिकल कालेज, फरीदकोट	1973	सरकारी
54.	**पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़**		
109.	क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, लुधियाना	1953	ट्रस्ट
110.	दयानन्द मेडिकल कालेज, लुधियाना	1963	सोसायटी
55.	**गुरूनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर**		
111.	राजकीय मेडिकल कालेज, अमृतसर	1943	सरकारी
XIX.	राजस्थान		
56.	**राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर**		
112.	एस०एम०एस० मेडिकल कालेज जयपुर	1947	सरकारी
113.	एस०पी० मेडिकल कोलज, बिकानेर	1959	सरकारी
114.	आर०एम०टी० मेडिकल कालेज, उदयपुर	1961	सरकारी
115.	डा० एस०एन० मेडिकल कालेज, जोधपुर	1965	सरकारी
116.	जे०एल०एन० मेडिकल कालेज, अजमेर	1965	सरकारी
117.	राजकीय मेडिकल कालेज, कोटा	1992	सरकारी
XX.	तमिलनाडु		
57.	**डा० एम०जी०आर० मेडिकल विश्वविद्यालय मद्रास (तमिलनाडु)**		
118.	चेन्नई मेडिकल कालेज, चेन्नई	1835	सरकारी
119.	स्टेनली मेडिकल कालेज, मद्रास	1838	सरकारी
120.	किलपौक मेडिकल कालेज, मद्रास	1960	सरकारी
121.	क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, बेल्लौर	1942	ट्रस्ट
122.	चेंगलपट्टु मेडिकल कालेज, चेंगपट्टु	1965	सरकारी
123.	थंजावुर मेडिकल कालेज, थंजावुर	1959	सरकारी
124.	कोयम्बटुर मेडिकल कालेज, कोयम्बटुर	1966	सरकारी
125.	तिरूनेलवेली मेडिकल कालेज, तिरूमेलवेली	1965	सरकारी
126.	मदुरई मेडिकल कालेज, मदुरई	1954	सरकारी
127.	मोहन कुमारमंगलम मेडिकल कालेज, सलेम	1986	सरकारी
128.	पी०एस०जी० इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, कोम्बटुर	1985	ट्रस्ट
129.	*पेरून्थुरई मेडिकल कालेज, पेरून्थुरई	1992	सरकारी

*नोट: यह मान्यता माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 9779-9786/98 में दिए जाने वाले अन्तिम आदेशों के अध्यधीन है।

58.	**श्री रामचन्द्र सम विश्वविद्यालय, मद्रास**		
130.	श्री रामचन्द्र मेडिकल कालेज, एवं रिर्सज इंस्टीट्यूट पोरूर, चेन्नई (पहले डा० एम० जी०आर० मेडिकल विश्वविद्यालय, मद्रास से सम्बद्ध)	1985	ट्रस्ट
59.	**अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर**		
131.	राजा मुथैया मेडिकल कालेज, अन्नामलाई नगर	1985	ट्रस्ट
XXI.	उत्तर प्रदेश		
60.	**डा० भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा**		
132.	एस०एन० मेडिकल कालेज, आगरा	1939	सरकारी
61.	**इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद**		
133.	एम०एल०एन० मेडिकल कालेज, इलाहाबाद	1961	सरकारी
62.	**अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़**		
134.	जे०एन० मेडिकल कालेज, अलीगढ़	1961	विश्व-विद्यालय
63.	**बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी**		
135.	इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसन्सेज, बी०एच०यू० वाराणसी	1960	विश्व-विद्यालय
64.	**कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर**		
136.	जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर	1955	सरकारी

1	2	3	4
65.	**बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी**		
137.	एम०एल०बी० मेडिकल, कालेज झांसी	1968	सरकारी
66.	**लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ**		
138.	के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ	1911	सरकारी
67.	**चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ**		
139.	एल०एल०आर०एम० मेडिकल कालेज, मेरठ	1966	सरकारी
68.	**गौरखपुर विश्वविद्यालय, गौरखपुर**		
140.	बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर	1972	सरकारी
XXII.	पश्चिम बंगाल		
69.	**कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता**		
141.	मेडिकल कालेज, कलकत्ता	1838	सरकारी
142.	आर०जी० कार मेडिकल कालेज, कलकत्ता	1916	सरकारी
143.	एन०आर०एस० मेडिकल कालेज, कलकत्ता	1948	सरकारी
144.	कलकत्ता राष्ट्रीय मेडिकल कालेज, कलकत्ता	1948	सरकारी
145.	बी०एस० मेडिकल कालेज, बांकपुरा बांकुरा	1956	सरकारी
70.	**उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय, सुश्रुतनगर**		
146.	उत्तरी बंगाल मेडिकल कालेज, दार्जिलिंग (सिलिगुड़ी)	1968	सरकारी
71.	**वर्द्धवान विश्वविद्यालय, वर्द्धवान**		
147.	वर्द्धवान मेडिकल कालेज, वर्द्धवान	1969	सरकारी

विवरण-II

डेंटल कालेजों की सूची

क्र. सं.	संस्था का नाम व पता	मान्यता प्राप्त/ अनुमोदित	सरकारी/ निजी	स्वीकृत सीटों की संख्या	स्थापना का वर्ष
1	2	3	4	5	6
	आन्ध्र प्रदेश				
1.	सरकारी डेंटल कालेज और हॉस्पीटल, अफजलगंज हैदराबाद-500012 (आन्ध्र प्रदेश)	मान्यता प्राप्त	सरकारी	40	1960
2.	एनटीआर यूएचएस डेंटल कालेज, आन्ध्र प्रदेश, विजयवाड़ा-520008.	मान्यता प्राप्त	सरकारी	40	1990
3.	सी०बी०एस, कृष्णामूर्ति तैजा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च, 14/182, पद्मावती पुरम, तिरूपति-517501.	अनु-मोदित	निजी	60	2000
	असम				
1.	रीजनल डेंटल कालेज, गोवाहाटी-781002 (असम)	मान्यता प्राप्त	सरकारी	40	1981
	बिहार				
1.	पटना डेंटल कालेज एंड हॉस्पिटल, अशोक राज पथ, पी०ओ०.-बांकीपुर, पटना-800004. (बिहार)	मान्यता प्राप्त	सरकारी	40	1980
2.	बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज पटराकरनगर, कंकरबाग, पटना-800020. (बिहार)	मान्यता प्राप्त	प्राइवेट	40	1985
3.	सरजुग डेंटल कालेज, अस्पताल रोड, लेहरिया सराय, दरभंगा (बिहार)	अनुमोदित	प्राईवेट	40	1988
4.	डा० बी०आर०अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल-साइन्सेजएंड हॉस्पिटल, न्यू बेलि रोड पटना-801503.	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	40	1992
5.	डा० एस०एम० नकवी इमाम डेंटल कालेज एंड हॉस्पिटल, बेहरा-847201 (बिहार)	अनुमोदित	प्राईवेट	60	1989-9

1	2	3	4	5	6
6.	दरभंगा डेंटल कालेज, खान देवरी, फैसुल्ला खान, दरभंगा (बिहार)	अनुमोदित	प्रईवेट	40	1990-91
7.	मिथिला माइनोरिटी डेंटल कालेज एंड हॉस्पिटल, समस्तीपुर रोड़ मनसुख नगर (एक्मीघाट) लेहरिया सराय, दरभंगा (बिहार)	"	"	60	1989-90
	दिल्ली				
1.	डेंटल विंग मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली-110002.	मान्यता प्राप्त	सरकारी	20	1983
	गोवा				
1.	गोवा डेंटल कालेज एंड हॉस्पिटल,पी०ओ० बम्बोलिम, गोवा-403202	"	"	40	1980
	गुजरात				
1.	सरकारी डेंटल कालेज एंड हॉस्पिटल, न्यूसिविल हॉस्पिटल कम्पाउंड, असारवा, अहमदाबाद गुजरात-380016	मान्यता प्राप्त	सरकारी	50	1963
2.	सरकारी डेंटल कालेज जाम नगर-361008 (गुजरात)	"	"	40	1991
3.	के०एच०शाह डेंटल कालेज, बड़ौदा-16, उद्योग नगर सोसाइटी, आर्युवेदिक कालेज के पीछे, आऊट साइड पानी गेट, बड़ौदा-390019.	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	40	1999
	हरियाणा				
1.	डेंटल कालेज, मेडिकल कैंपस, रोहतक-124001, हरियाणा	मान्यता प्राप्त	सरकारी	20	1977
2.	डी०ए०वी० सेंटीनरी डेंटल कालेज, माडल टाउन, यमुना नगर-135001, हरियाणा	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	40	1988
3.	ई०आर०एस० डेंटल कालेज एंड हॉस्पिटल, गेटबीला, पंचकुला जिला पंचकुला-134118 हरियाणा	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	60	1993
4.	श्री बाबा मस्तनाथ डेंटल कालेज एंड हॉस्पिटल अस्थल बोहर, रोहतक-124021 हरियाणा	अनुमोदित	प्राईवेट	60	1997
	हिमाचल प्रदेश				
1.	हिमाचल डेंटल कालेज, सुन्दर नगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश	अनुमोदित	प्राईवेट	60	1995
2.	एम०एन०डी०ए०वी० डेंटल कालेज एंड हॉस्पिटल, तातुल पोस्ट बाक्स न०34 सोलन-173212 (हिमाचल प्रदेश)	"	"	60	1996
3.	हिमाचल प्रदेश सरकारी डेंटल कालेज एंड हॉस्पिटल, शिमला, (हिमाचल प्रदेश)	"	सरकारी	20	1995
4.	भोजिया डेंटल कालेज एंड हॉस्पिटल, बुद्ध., तहसील नालागढ़ (हिमाचल)	"	प्राईवेट	60	1999
	जम्मू और कश्मीर				
1.	सरकारी डेंटल कालेज, एस०एम०एच०एस० हॉस्पिटल प्रेमिसिज श्री नगर (कश्मीर)	मान्यता प्राप्त	सरकारी	10	1961
	कर्नाटक				
1.	सरकारी डेंटल कालेज, फोर्ट, बंगलौर-580002 कर्नाटक	"	"	60	1959
2.	कालेज ऑफ डेंटल सर्जरी कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मणिपाल-576119 (कर्नाटक)	"	प्राईवेट	100	1966

1	2	3	4	5	6
3.	बापूजी डेंटल कालेज एंड हॉस्पिटल, दावण गिरी-577004 कर्नाटक	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	100	1971
4.	के०एल०ई० सोसाइटीज डेंटल कालेज, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज, कैम्पस, नेहरू नगर, बेलगाँव-590010 (कर्नाटक)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	100	1991
5.	ए०बी० सेठी मैमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंन्सेज, मेडिकल काम्पलैक्स, देरल कट्टा-574160 कर्नाटक	"	"	100	1985
6.	जगतगुरू श्री शिवरथरूस्वरा डेंटल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, श्री शिवरथरूस्वरा नगर, मैसूर-570015 (कर्नाटक)	"	"	60	1985
7.	एस०डी०एम० कालेज ऑफ डेंटल साइंसेज, धवलगिरी, धारबाड़-580002 (कर्नाटक)	"	"	100	1985
8.	एस०जे०एम० डेंटल कालेज एंड हॉस्पिटल, चित्रदुर्ग-577502 कर्नाटक	"	"	60	1987
9.	एच०के०ई०सोसाइटीज डेंटल कालेज, गुलबर्गा-585105 कर्नाटक	"	"	40	1987
10.	कालेज ऑफ डेंटल सर्जरी लाइट हाऊस, हिल रोड, मंगलौर-5750001, कर्नाटक	"	"	100	1987
11.	बी०एस०डेंटल कालेज, के०आर०रोड, बी०बी०पुरम, बंगलौर-560004, कर्नाटक	"	"	60	1987
12.	एम०आर०ए० डेंटल कालेज 1/36, क्लीन रोड, कोक टाउन, बंगलौर-560005, (कर्नाटक)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	100	1987
13.	पी०एम०नदागुदा डेंटल कालेज एंड हॉस्पिटल, बगालकोट-587101, जिला-बीजापुर, कर्नाटक	"	"	60	1988
14.	कालेज ऑफ डेंटल साइंसिज दवनगिरी-577004, कर्नाटक	"	"	100	1992
15.	के०बी०जी० डेंटल कालेज एंड हॉस्पिटल कुरूंजीबाग, सुलिया-574237 डी०के०कर्नाटक	"	"	40 60 100	1992 1995-96 1996-97
16.	यूनिपोया डेंटल कालेज जूलेखा कॉम्पलैक्स, बी०बी० अल्लाबाई रोड, मंगलौर-5750001, कर्नाटक	"	"	60 100	1992 1997
17.	बंगलौर इंस्टी. ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हॉस्पिटल, 5/3, होसूर मेन रोड, विलसन गार्डन बंगलौर-580029, कर्नाटक	"	"	60	1991-92
18.	दयानन्द सागर कालेज ऑफ डेंटल साइंसेज, सिर्विजी मालवेयर हिल्स, कुमार स्वामी ले आउट, बंगलौर-78 (कर्नाटक)	"	"	40	1991-9
19.	श्री हसननंबा डेंटल कालेज, दिदया नगर, हसन-573201 (कर्नाटक)	"	"	40	1991-9
20.	एम०एस० रम्मैया डेंटल कालेज एम०एस० रम्मैया नगर, एम०एस०आर०आई०टी०पोस्ट, बंगलौर-560054, (कर्नाटक)	"	"	40	1991-9

1	2	3	4	5	6
21	के०जी०एफ०कालेज ऑफ डेंटल साइंसेज, नं. 36, टेम्पल रोड, बीईएमएल नगर, कोलर गोल्ड, कोलर गोल्ड फिल्ड-563115, (कर्नाटक)	मान्यता प्राप्त	प्राईवेट	40	1991-92
22.	एस०बी०पाटील इंस्टीट्यूट फॉर डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च, नौबाद पी०बी०नं.52, बिदर-586402, (कर्नाटक)	"	"	40	1992
23.	अल अमीन डेंटल कालेज 3, मिलर टैंक बंद रोड, बिजापुर-586108 (कर्नाटक)	"	"	40	1992
24.	श्री राजीव गांधी कालेज ऑफ डेंटल साइंसिज, चोलानगर, हवाई, बंगलौर-560032 (कर्नाटक)	अनुमोदित	"	60	1992
25.	आक्सफोर्ड डेंटल कालेज 1, फेज, जे०पी० नगर, बंगलौर-560078 (कर्नाटक)	"	"	40 100	1995-96 1996-97
26.	डा० श्यामला रेड्डी डेंटल कालेज, 298, 7 क्रास, डोमलूर लेआउट, बंगलौर-560071, (कर्नाटक)	"	"	40	1991-92
27.	आर०वी० डेंटल कालेज नं. सीए 2/83-3,9 मेन, 4 ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर-560011 (कर्नाटक)	अनुमोदित	प्राइवेट	40	1986
28.	एच०के०डी०ई०टी० डेंटल कालेज एंड हॉस्पिटल, हुमनाबाद-585330 (कर्नाटक)	मान्यता प्राप्त	"	40	1992
29.	अल-बदर रूरल डेंटल कालेज एंड हॉस्पिटल, एम०एस०के०मिल रोड, गुलबर्गा-585102, (कर्नाटक)	"	"	40	1992
30.	फारूकिया डेंटल कालेज उमर खय्याम रोड, ईदगाह, तिलक नगर, मैसूर	अनुमोदित	प्राईवेट	40	1992
31.	श्री सिद्धार्थ डेंटल काजेज, बी०एच०रोड़, अगलकेट, तुमकुर-572107, (कर्नाटक)	"	"	40	1990
32.	कृष्णादेवराय कालेज ऑफ डेंटल साइंसेज, हुनसमरानहली, वाई येलाहंका, बंगलौर-562157, (कर्नाटक)	"	"	40	1996
33.	सरवर्ती डेंटल कालेज अलकोला, टी०एच०रोड, सिमोगा-577201, (कर्नाटक)	"	"	40	1997-98
34.	केएलई सोसाइटीज डेंटल कालेज, नं. 20, यशवंतपुर सुबुरर्ब, एच स्टेज, टुमकुर रोड, बंगलौर-560022	"	"	40	1997
35.	मराठा मंडल डेंटल कालेज एंड रिसर्च सेन्टर, 1007, मालमरूती एक्टे., पुलिस बरादा ग्राउंड के सामने, बेलगाँव-590016, (कर्नाटक)	"	"	40	1997
36.	राजाराजेश्वरी डेंटल-कालेज एंड हॉस्पिटल, नं. 14, रामोहली क्रॉस, कुमबलगुडु, बंगलौर-560074	"	"	40	1997
37.	मारुति कालेज ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च, नं. 6 एवं 7, बिलेकहली गेट, बन्नरघट्टा रोड, बंगलौर-560076.	"	"	40	1998
38.	एनएसवीके श्री वेंकेटेश्वर डेंटल कालेज एंड हॉस्पिटल, उत्तरहली मेन रोड, बंगलौर-61.	"	"	40	1996

1	2	3	4	5	6
39.	कोरग इंस्टीट्यूट ऑफ- डेंटल साइंसेज कांजीथंड हाऊस, एफएम करिअप्पा रोड, विराजपेट, कोरग-571218, (कर्नाटक)	अनुमोदित	प्राइवेट	40	1999
40.	एएमई डेंटल कालेज- रायचुर-584101 (कर्नाटक)	मान्यता प्राप्त	"	40	1992
	केरल				
1.	डेंटल कालेज, मेडिकल कैम्पस, तिरुवेन्द्रम-835001	"	सरकारी	40	1958
2.	डेंटल कालेज मेडिकल कालेज पी०ओ०, कालीकट-637008.	"	"	40	1981
	मध्य प्रदेश				
1.	कालेज आफ डेन्टिस्ट्री इन्दौर-452001 (एम०पी०)	मान्यता प्राप्त	सरकारी	40	1961
2.	स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज एवं हॉस्पिटल, 10/11,वाई० एन० रोड, इन्दौर (म०प्र०)	अनुमोदित	निजी	60	1999-2000
3.	माडर्न डेंटल कालेज एवं हास्पिटल, 8, जमुना कालोनी, लाल बाग रोड, इन्दौर-452007.	अनुमोदित	निजी	100	1999-2000
	महाराष्ट्र				
1.	नायर हॉस्पिटल डेंटल कालेज, डा० ए०एल० नायर रोड,बाईकुला, मूम्बई-400008. (महाराष्ट्र)	मान्यता प्राप्त	सरकारी	60	1954
2.	राजकीय डेंटल कालेज एवं हॉस्पिटल, 1, पी०डी० मेलो रोड, फोर्ट, मुम्बई-400001 (महाराष्ट्र)	मान्यता प्राप्त	सरकारी	100	1950
3.	राजकीय डेंटल कालेज एवं हॉस्पिटल, नागपुर-440003 (महाराष्ट्र)	मान्यता प्राप्त	सरकारी	40	1966
4.	राजकीय डेंटल कालेज एवं हा० मेडिकल कालेज कैम्पस, औरंगाबाद-431001 (महाराष्ट्र)	मान्यता प्राप्त	सरकारी	40	1977
5.	भारतीय विद्यापीठ डेंटल कालेज एवं हॉस्पिटल, कटराज धांकावादी एजूकेशनल काम्प्लेक्स, पुणे सतारा रोड, पुणे-411043.	मान्यता प्राप्त	निजी	100	1989
6.	रूरल डेंटल कालेज ऑफ परवरा मेडिकल ट्रस्ट पी०ओ० लोनी, टाल रहता, जिला अहमदनगर (एमएस) पिन-413736	मान्यता प्राप्त	निजी	60	1990
7.	विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी डेंटल कालेज एवं हास्पिटल, तपोवन, वाडली रोड कैम्प, अमरावती-444602. (महाराष्ट्र)	मान्यता प्राप्त	निजी	50	199?
8.	महात्मा गांधी विद्या मंदिर डेंटल कालेज एवं हास्पिटल, पंचवटी, नासिक-422003 (महाराष्ट्र)	मान्यता प्राप्त	निजी	40 100	199?
9.	पद्मश्री डा० डी०वाई० पाटिल डेंटल कालेज एवं हास्पिटल डा० डी०वाई० पाटिल वैद्या नगर, सेक्टर-7, नेरूल नोडा, न्यू बाम्बे-400706 (महाराष्ट्र)	मान्यता प्राप्त	निजी	60	1990-?
10.	वसंतदादा पाटिल डेंटल कालेज एंड हास्पिटल, साठय शिवाजी नगर, सांगली-416416. (महाराष्ट्र)	मान्यता प्राप्त	निजी	40	198?

1	2	3	4	5	6
11.	जमनलाल गोइंका डेंटल कालेज एवं हास्पिटल, गोराक्सन रोड पी०ओ० बाक्स नं. 153, अकोला-444004 (महाराष्ट्र)	मान्यता प्राप्त	निजी	40	1989
12.	श्रीमती राधिकाबाई मेघे मेमोरियल मेडिकल ट्रस्ट सरद पवार डेंटल कालेज एवं हास्पिटल सवांगी (मेघे) यैवोटनेल रोड, वर्धा-442001. (महाराष्ट्र)	मान्यता प्राप्त	निजी	100	1991
13.	क्षत्रपति साहू महराज शिक्षण संस्थान डेंटल कालेज एवं हास्पिटल, प्लाट नं. 4, लक्ष्मी निरमल बिल्डिंग, प्लाट नं. 4, सीआईडीसीओ, औरंगाबाद-431003.	मान्यता प्राप्त	निजी	60	1991
14.	विद्या शिक्षण प्रसारक मंडल डेंटल कालेज एंड रिसर्च सेंटर, डिगदोह हिल्स, हिगना रोड, नागपुर-440001. (महाराष्ट्र)	अनुमोदित	निजी	60	1996-97
15.	ऐरला मेडिकल डेंटल कालेज, सेक्टर नं. 4, प्लाट नं. 18 खारघर रेलवे स्टे. के सामने खारघर, नवी मुम्बई	अनुमोदित	प्राइवेट	100	1999-2000
उड़ीसा					
1.	डेंटल विंग, एससीबी मेडिकल कालेज, कटक 753007 (उड़ीसा)	मान्यता प्राप्त	सरकारी	20	1983
2.	वी०एम०लार्ड जगंनाथ इस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसिज, तोसाली प्लाजा, ब्लाक नं. ए-1 और बी-1 सत्यानगर, भुवनेश्वर-751007 (उड़ीसा)	अनुमोदित	प्राइवेट	60	1997
पांडिचेरी					
1.	माहत्मा गांधी डेंटल कालेज एवं हास्पिटल, ओल्ड सेक्रेट्रिएट बिल्डिंग, इन्दरा नगर, गोरीमेड, पांडिचेरी-605006	मान्यता प्राप्त	सरकारी	40	1958
पंजाब					
1.	पंजाब गवर्नमेंट डेंटल कालेज एवं हास्पिटल, अमृतसर-143001. (पंजाब)	मान्यता प्राप्त	सरकारी	40	1952
2.	गवर्नमेंट डेंटल कालेज एवं हास्पिटल, पटियाला-147001. (पंजाब)	मान्यता प्राप्त	सरकारी	40	1958
3.	क्रिश्चियन डेंटल कालेज, पो०बाक्स नं. 109, सीएमसी, लुधियाना, (पंजाब)	अनुमोदित	निजी	40	1992
4.	श्री गुरूरामदास इंस्टीट्यूट आफ डेंटल सांइसिज एंड रिसर्च श्री अमृतसर-143006 (पंजाब)	मान्यता प्राप्त	निजी	60	1995
5.	दसमेश इंस्टीट्यूट आफ रिसर्च एवं डेंटल साइंसेज फरीदकोट-151203 (पंजाब)	अनुमोदित	निजी	60	1996
6.	गुरू नानकदेव डेंटल कालेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखमीरवाला रोड, सूनम-148028. (पंजाब)	अनुमोदित	निजी	60	1997
7.	बाबा जसवन्त सिंह डेंटल कालेज, हास्पिटल व रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेक्टर-40, अरबन स्टेट, चंडीगढ़ रोड, लूधियाना (पंजाब)	अनुमोदित	निजी	100	1998
8.	खालसा डेंटल कालेज एंड हास्पिटल वीपीओ नांगल कालन, जिला-मांसा (पंजाब)	अनुमोदित	निजी	60	1998

1	2	3	4	5	6
9.	देश भगत डेंटल कालेज, जलालाबाद रोड, मुक्तसर-152026	अनुमोदित	निजी	60	2000-2001
राजस्थान					
1.	डेंटल विंग, एसएमएस मेडिकल कालेज, जयपुर-302001 (राजस्थान)	मान्यता प्राप्त	सरकारी	20	1993
2.	दर्शन डेंटल कालेज, उदयपुर, (राजस्थान)	अनुमोदित	निजी	100	2000-2001
तमिलनाडु					
1.	तमिलनाडु गवर्नमेंट डेंटल कालेज, फोर्ट रेलवे स्टे. के सामने चेन्नई-600003. (तमिलनाडु)	मान्यता प्राप्त	सरकारी	60	1953
2.	राजामुथैया डेंटल कालेज व अस्पताल, अन्नामलाई नगर-808002. (तमिलनाडु)	मान्यता प्राप्त	निजी	60	1980
3.	विनायका मिशन शंकराचार्य डेंटल कालेज, 44-दूसरा अग्रचारण सलेम-636001. (तमिलनाडु)	मान्यता प्राप्त	निजी	100	1985
4.	जेकेके नटराजा डेंटल कालेज, कोमारपल्यम-6388183. (तमिलनाडु)	मान्यता प्राप्त	निजी	40	1985
5.	राजा डेंटल कालेज, नया राजा नगर, वादकंगुलम-627118. (तिरूनैवली जिला) (तमिलनाडु)	मान्यता प्राप्त	निजी	100	1987
6.	रागा डेंटल कालेज, 166, डा० राधाकृष्णन सलई, चेन्नई-600004. (तमिलनाडु)	मान्यता प्राप्त	निजी	60	1988
7.	सविता डेंटल कालेज व अस्पताल नं. 112 पूनामल्ली हाई रोड, वेला पंचावडी, चेन्नई-600077. (तमिलनाडु)	मान्यता प्राप्त	निजी	60 100	1988 1997
8.	श्री बालाजी डेंटल कालेज व अस्पताल, वालाचेरी मेन रोड, बालाजी नगर, नारायण पुरम, चेन्नई-(तमिलनाडु)	मान्यता प्राप्त	निजी	40 60	1980
9.	मीनाक्षी अम्मल डेंटल कालेज व अस्पताल अलपक्कम रोड, मदुरावोयल, चेन्नई-602102. (तमिलानाडु)	मान्यता प्राप्त	निजी	40 60	1990
10.	श्री रामचन्द्र डेंटल कालेज, 1, रामचन्द्र नगर, पोरर चेन्नई-600116. (तमिलनाडु)	अनुमोदित	निजी	60 100	1995 1997
11.	थाई मुगाम्बीगाई डेंटल कालेज व अस्पताल तिरूमति कन्नामल एजूकेशनल ट्रस्ट, 121, जी०एन० चेट्टी रोड, टी० नगर, चेन्नई-600017. (तमिलनाडु)	अनुमोदित	निजी	40	1991-92
12.	एस आर एम डेंटल कालेज, भारती सलई, रामापुरम, मद्रास-800089	अनुमोदित	निजी	100	1997
13.	मुकाम्बिका इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसेज, कुलासेखर्म, के०के० जिला, तमिलनाडु	अनुमोदित	निजी	60	2000
उत्तर प्रदेश					
1.	डेंटल कालेज एवं अस्पताल, के०जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ-226003.	मान्यता प्राप्त	सरकारी	40	1955
2.	रामा डेंटल कालेज, एवं ह्रास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ए/1, लखनपुर (नियर शाहू जी महराज विश्वविद्यालय) कानपुर-208024 (उ०प्र०)	अनुमोदित	निजी	100	1996-97

1	2	3	4	5	6
3.	सुभारती डेंटल कालेज आनन्द मेडिकल काम्प्लेक्स, ए-5, सम्राट पैलेस, गार्ह रोड, मेरठ-250003	अनुमोदित	निजी	100	1997
4.	वी०एम०एस० इंटर-नेशनल डेंटल कालेज, आर्या नगर, सीतापुर-261001 (उ०प्र०)	अनुमोदित	निजी	60	1997
5.	सरस्वती डेंटल कालेज, 16, गोयल प्लेस, संजय गांधी पुरम, फैजाबाद रोड, लखनऊ-226006 (उ०प्र०)	अनुमोदित	निजी	60	1998
6.	चौ. मुल्तान सिंह रूरल डेंटल कालेज, मेन रोड, टुंडला-283205 (उ.प्र.)	अनुमोदित	निजी	60	1998-99
7.	सरदार पटेल इंस्टीट्यूट आफ डेंटल एंड मेडिकल साइंसेज, चौधरी विहार, उतराथिया, रायबरेली रोड, लखनऊ-226025(उ०प्र०)	अनुमोदित	निजी	60	1996
	संतोष डेंटल कालेज, नं. 1 संतोष नगर, प्रताप विहार, गाजियाबाद,-201009 (उ०प्र०)	अनुमोदित	निजी	40	1996
	कोठीवाल डेंटल कालेज एंड रिसर्च सेंटर, मोहरा मुस्तकीन, कंठ रोड, मुरादाबाद (उ०प्र०)	अनुमोदित	निजी	100	1999-2000
0.	डी०जे० कालेज आफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च, अजीत महल, निवारी रोड, मोदी नगर, (उ०प्र०)	अनुमोदित	निजी	100	2000-2001
	श्चिम बंगाल				
	डा० आर० अहमद डेंटल कालेज एंड हास्पिटल, 114, आचार्य जगदीशचन्द बोस रोड, कलकत्ता-700014. (पश्चिम बंगाल)	मान्यता प्राप्त	सरकारी	50	1952
2.	द नार्थ बंगाल डेंटल कालेज नार्थ बंगाल मेडिकल कालेज, एंड हास्पिटल कैम्पस, सुश्रुत नगर, सिलीगुडी, जिला-दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)	मान्यता प्राप्त	सरकारी	40	1991

सेवा प्रभार

1156. श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजिनिक टेलीफोन बूथ/एसटीडी/आई एस डी आपरेटरों द्वारा प्रत्येक फैक्स के लिए टेलीफोन बिल के अलावा 20 रुपये के सेवा प्रभार का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग की किसी एजेन्सी को इन मामलों की जांच और मानदण्ड निर्धारण का कार्य सौंपा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) ग्राहकों को फैक्स सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा कोई प्रभार निर्धारित नहीं किया गया है तथा इसे पी सी ओ ऑपरेटरों/बाजार की ताकतों पर छोड़ा गया है। तथापि, विभाग पी सी ओ ऑपरेटर से पल्स दर आधार पर वसूली करता है तथा फैक्स सेवा के लिए पी सी ओ ऑपरेटर से कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाता है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि, विभाग के फील्ड कार्यालयों में आमतौर पर पीसीओ फ्रेंचाइजियों के खिलाफ अधिक वसूली / अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त होती हैं। इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होते ही, प्राथमिकता आधार पर उनकी ओर ध्यान दिया जाता है।

इंडियन एयरलाइन्स के किरायों में वृद्धि

1157. श्री के०पी० सिंह देव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स घाटों की पूर्ति के लिए किरायों में वृद्धि करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो घाटे होने के वास्तविक क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं। इंडियन एयरलाइन्स में घाटे को पूरा करने अर्थात कम्पनी के बॉटमलाइन में सुधार के लिए कभी भी किराया नहीं बढ़ाया गया। किराया केवल उन लागतों में प्रतिसंतुलन वृद्धि के लिए बढ़ाया गया है, जो कम्पनी द्वारा अन्यथा नहीं खपाया जा सकता है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

बुढ़लाड़ा में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

1158. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के बुढ़लाड़ा में टेलीफोन एक्सचेंज के विस्तार का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे स्वीकृति न दिए जाने का क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। मार्च, 2000 में बुढ़लाड़ा एक्सचेंज की क्षमता 2400 लाइनों से बढ़ाकर 4400 लाइनें तक कर दी गयी थी। वर्ष 2000-01 के दौरान इसका 1000 लाइनों से और विस्तार करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

पेट्रोल/एच०एस०डी० पर उपकर के द्वारा निधियों की स्थापना

1159. **श्री पी०एस०गढ़वी** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल/एच०एस०डी० पर उपकर के माध्यम से काफी कोष इकट्ठा किया है,

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान एकत्रित कोष का वर्षवार/राज्यवार ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की योजना देश में राजमार्गों के विकास में इस कोष का निवेश करने/लगाने का है, और

(घ) यदि हां, तो देश में, विशेषकर गुजरात में सड़कों के विकास की क्या योजना है और इस विकास पर कितनी अनुमानित लागत आयेगी?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छुम्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी हां। कोष की रूपरेखाओं को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। अत: इस स्तर पर और कोई ब्यौरे नहीं दिए जा सकते।

(ग) जी हां।

(घ) देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को चरणबद्ध ढंग से विकसित किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम कारीडोरों पर चार/छह लेन के निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं। जिन पर 54,000 करोड़ रु० की लागत आने का अनुमान है। इनमें गुजरात में 1164 कि०मी० लम्बे राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास शामिल है जिसकी लागत लगभग 3000 करोड़ रु० है।

एलायंस एयरलाइन्स द्वारा इंडियन एयरलाइन्स को भुगतान

1160. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या नगर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एलायंस एयरलाइन्स इंडियन एयरलाइन्स को इसके द्वारा प्रदत्त की गयी सेवाओं के लिए भुगतान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एलायंस एयरलाइन्स ने अपने स्वंय के सहायक प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु किसी समानान्तर विभाग का सृजन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइन्स को इस प्रकार के भुगतान के क्या कारण है और इसका क्या औचित्य है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स ने अप्रैल, 1996 से अपने 12 बोइंग 737 के विमान बेड़े को एलायंस एयर को हस्तांतरित कर दिया है। विमानों का स्वामित्व इंडियन एयरलाइन्स के पास है तथा विमान एलायंस एयर को पट्टे पर दिए गए हैं। दोनों एयरलाइनों के बोर्ड के अनुमोदन से इंडियन एयरलाइन्स तथा एलांयस एयर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं। इसमें एलायंस एयर द्वारा इंडियन एयरलाइन्स को निम्नलिखित प्रभारों का भुगतान शामिल है:-

1. लीज प्रभार।
2. उड़ान रिजील प्रमाण-पत्र के परे विमान अनुरक्षण।
3. इंडियन एयरलाइन्स द्वारा यात्रा अभिकर्ताओं को भुगतान किए गए कमीशन की प्रतिपूर्ति सहित, टिकटों की बिक्री, अन्य विपणन तथा वाणिज्यिक सहायता।
4. यात्री आरक्षण।
5. ग्राउंड हैंडलिंग।
6. पायलट तथा अन्य प्रशिक्षण।
7. एलायंस एयर में प्रतिनियुक्ति पर जनशक्ति के वेतन और भत्तों की प्रतिपूर्ति।

एलायंस एयर में कर्मचारियों की कुल क्षमता 681 है। जिसमें से 79 कर्मचारी इंडियन एयरलाइन्स से प्रतिनियुक्ति पर हैं। प्रबंध-निदेशक तथा अन्य वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक भी इंडियन एयरलाइन्स से प्रतिनियुक्ति पर हैं। एलायंस एयर के अनुरक्षण संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण इंडियन एयरलाइन्स के इंजीनियरों द्वारा किया जाता है। 10 इंजीनियर इंडियन एयरलाइन्स से एलायंस एयर में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

इंडियन एयरलाइन्स ने 17 पायलटों को भी प्रतिनियुक्ति पर एलायंस एयर भेजा है।

अन्य सभी लागतों का वहन एलायंस एयर द्वारा किया जाता है।

(ग) एलांयस एयर सभी क्रिया-कलापों के लिए इंडियन एयरलाइन्स की सेवाओं का उपयोग करती है सिवाय उनके जो अनुसूचित एयरलाइन होने के नाते या एक स्वायत्त कंपनी होने के लिए कंपनी अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन करने हेतु इसके लिए आवश्यक हो। तद्नुसार एलायंस एयर फ्लाइट रिलीज तक विमानों का अनुरक्षण करता है, उड़ान संबंधी योजनाएं तैयार करता है, तत्संबंधी लेखे तैयार करता है तथा अपने रोल में कार्मिकों का रिकार्ड रखता है। इंडियन एयरलाइन्स द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए एलायंस एयर ने कोई समान्तर-विभाग का सृजन नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मुंबई में एमटीएनएल की सेल्यूलर टेलीफोन नीति

1161. **श्री किरीट सोमैया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर संचार विभाग ने एमटीएनएल की सेल्यूलर टेलीफोन नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एमटीएनएल 15 अगस्त, 2000 से मुंबई में सेल्यूलर सेवाएं शुरू करने जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एमटीएनएल को मुंबई में 1999 में सेल्यूलर सेवा शुरू करनी थी;

(ङ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(च) मुंबई में सेल्यूलर सेवा उपलब्ध कराने के लिए लागत और एमटीएनएल प्रभारों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) मुबंई में एमटीएनएल को ऐसे कितने कनेक्शनों की आशा है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) दिल्ली और मुंबई शहरों में सेल्युलर सेवाएं ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकरण दूरसंचार विभाग द्वारा एमटीएनएल को एक लाइसेंस प्रदान कर दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। एमटीएनएल, 15 अगस्त, 2000 को मुम्बई में अपनी सेल्युलर सेवाएं आरंभ नहीं कर रहा है। यह सेवा नवम्बर, 2000 में आरंभ किए जाने की आशा है।

(घ) जी, हां।

(ङ) सेल्युलर मोबाइल उपस्कर के लिए पूर्व निविदा रद्द कर दी गई थी क्योंकि सेल्युलर सेवा के लिए एमटीएनएल के लाइसेंस का मामला माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में लम्बित पड़ा था। चूंकि निविदा की बढ़ाई गई मान्य अवधि में भी माननीय उच्च न्यायालय से कोई अंतिम निर्णय नहीं आया था और सेल्युलर मोबाइल उपस्कर की गिरती हुई कीमतों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि पहली निविदा को रद्द कर दिया जाए और दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकृति के बाद नई निविदाएं आमंत्रित की जाएं।

(च) टीआरए आई (भारतीय दूरसंचार विनियामक प्रधिकरण) को रिर्पोटिंग आवश्यकता पूरी करने के बाद सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए प्रभारों/टैरिफ की घोषणा की जाएगी।

(छ) एमटीएनएल को मुम्बई में अपनी सेवा आरंभ होने के पहले वर्ष में 50,000 उपभोक्ता दर्ज करने की आशा है, जबकि सज्जित क्षमता 100,1000 उपभोक्ताओं की होगी

[हिन्दी]

परिवहन क्षेत्र में विदेशी निवेश

1162. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान परिवहन क्षेत्र में विदेशी निवेश काफी घट गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं,

(घ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और

(ङ) वर्ष 1998 के मुकाबले वर्ष 1999-2000 के दौरान इस क्षेत्र में कुल कितना विदेशी निवेश हुआ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नयन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (वि.प्र.नि.), जिसमें परिवहन क्षेत्र के लिए किया गया विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी शामिल है, को अनुमोदन प्रदान करता है और उसकी निगरानी करता है। औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नयन विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में परिवहन क्षेत्र में वि०प्र०नि० के लिए निम्नलिखित अनुमोदन प्रदान किया गया और उनका अंतर्वाह हुआ।

(करोड़ रु०)

	1997	1998	1999	2000 (मई तक)
वि०प्र०नि० के अनुमोदन	3790.07	1562.88	6220.70	108.28
अंतर्वाह	1513.83	1476.92	1130.20	715.12

2. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने के लिए किए गए नए सूत्रपातों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

प्रमुख सूत्रपात्र (जुलाई, 2000 तक अद्यतन)

विभिन्न कार्य-कलापों में भारतीय उद्योग के लिए निर्बाध रूप से कार्य करना और अधिक आसान करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसरण में सरकार ने एक नकारात्मक सूची को छोड़कर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के स्वचालित मार्ग का अनुसरण करने की अनुमति दे दी है। स्वचालित मार्ग का सरल अर्थ यह है कि विदेशी निवेशकों को अपना निवेश करने के 30 दिन के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करना होगा और यदि कोई शेयर जारी किए जाएं तो उसके 30 दिन के भीतर पुन: भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करना होगा। नकारात्मक सूची में निम्नलिखित शामिल हैं:-

I. वे सभी प्रस्ताव जिसमें औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यता होती है क्योंकि इस कार्य के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंस होना चाहिए, वे मामले जहां लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों का विनिर्माण कर रही इकाइयों की इक्विटी पूंजी में विदेशी निवेश 24% से अधिक है और वे सभी कार्य जिनमें 1991 की औद्योगिक नीति के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित अवस्थिति संबंधी नीति के संदर्भ में औद्योगिक लाइसेंस आवश्यक है।

II. वे सभी प्रस्ताव जिनमें विदेशी सहयोगकर्ता का भारत में पहले से ही उद्यम/गठबंधन विद्यमान है।

III. वे सभी प्रस्ताव जिनका संबंध विदेशी/अनिवासी भारतीय (एन आर आई)/ओवरसीज कार्पोरेट बॉडी (ओ सी बी) निवेशक के पक्ष में किसी मौजूदा भारतीय कंपनी में शेयरों के अधिग्रहण से है।

IV वे सभी प्रस्ताव जो अधिसूचित क्षेत्रीय नीति/ऊपरी सीमा से बाहर आते हैं अथवा उन क्षेत्रों के अधीन आते हैं जिनमें एफ डी आई की अनुमति नहीं है और/अथवा जब कभी कोई निवेशक विदेशी निवेश प्रोन्नयन बोर्ड का स्वचालित मार्ग का लाभ न उठाने का आवेदन करता है।

औद्योगिक उत्पादन को अविनियमित और विनियंत्रित करने के उद्देश्य से छह उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों को लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है। ये छह उद्योग, जिनके लिए पर्यावरणी, सामरिक और सुरक्षा कारणों से लाइसेंस अनिवार्य है, इस प्रकार हैं :-

(i) अल्कोहल युक्त द्रव्यों का किण्वन और आसवन।

(ii) तंबाकू और तंबाकू के स्थान पर विनिर्मित पदार्थों वाले सिगार और सिगरेट।

(iii) सभी प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक एयरोस्पेस और रक्षा उपस्कर।

(iv) औद्योगिक विस्फोटक सामग्री जिसमें डिटोनेटिंग क्यूज, सेफटी क्यूज, गन पाउडर, पाइट्रोसेलुलोज और माचिस शामिल है।

(v) जोखिम वाले रसायन।

(vi) औषधियां (सितम्बर, 1994 में जारी की गई संशोधित औषधि नीति के अनुसार)

गैर-नीधि आधारित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी कार्यों के संबंध में न्यूनतम पंजीकरण मानकों में उन कार्यों के लिए जो निधि आधारित नहीं है और स्वरूप में केवल सलाह अथवा परामर्श देने पर आधारित हैं जैसेकि (i) निवेश सलाह सेवा (ii) वित्तीय परामर्श (iii) क्रेडिट रेफेरेंस एजेंसी (iv) क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (v) फोरेक्स ब्रोकिंग और (vi) मनी चेजिंग बिजनेस, छूट 0.5 मिलियन अमरीकी डॉलर तक कर दी गई है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां 100% तक विदेशी इक्विटी रख सकती हैं यदि ये होल्डिंग कंपनियां है। तथापि, उनकी सहायक कंपनियां जो प्रचालन कंपनियां हैं, केवल 75% तक विदेशी इक्विटी रख सकती हैं। ऐसी सहायक कंपनियों की स्थापना और प्रचालन आसान करने के लिए सरकार ने 50 मिलियन अमरीकी डॉलर की न्यूनतम पूंजी वाली होल्डिंग कंपनियों को 5 मिलियन अमरीकी डॉलर की न्यूनतम पूंजी के साथ विशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कार्य करने के लिए 100% डाउनस्ट्रीम सहायक कंपनियां स्थापित करने की अनुमति दे दी है। तथापि, ऐसी सहायक कंपनी को 3 वर्ष की अवधि के भीतर केवल सार्वजनिक पेशकश के जरिए अपनी इक्विटी के 25% की न्यूनतम सीमा तक विनिवेश करना होगा।

सरकारी निर्णय से अवगत कराने के लिए प्र० वि० नि० के प्रस्तावों पर विचार करने की समय अवधि को 6 सप्ताह से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है।

विदेशी स्वामित्व वाली भारतीय होल्डिंग कंपनियों के लिए प्राथमिकता वाले कार्य-कलापों में डाउनस्ट्रीम निवेश के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड/सरकार का पूर्व और विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता विशेष शर्तों के अध्यधीन हटा दी गई है।

विगत/मौजूदा संयुक्त उद्यमों वाले विदेशी वित्तीय/तकनीकी सहयोगकर्ता को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड/सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है यदि वे उसी अथवा संबद्ध कार्य-कलापों में नए संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण रूप से स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे मामलों में स्वचालित मार्ग का अनुसरण करने पर रोक है ताकि प्रत्येक प्रस्ताव पर गुणावगुण आधार पर विचार किया जा सके। सरकार की यह नीति है कि वह पूर्व-अनुमत उन्हीं कार्य-कलापों के लिए नए विदेशी निवेश की इजाजत नहीं देती। इसके स्थान पर मंशा यह है कि ऐसे सभी मामलों पर विचार-विमर्श किया जाए और सभी मुद्दों को पहले ही सुलझा लिया जाए ताकि वास्तव में निवेश करने से पहले संभावित मतान्तरों को पहले ही निपटा लिया जाए।

केन्द्र और राज्य के स्तर पर विदेशी निवेशकों और सरकारी मशीनरी के बीच संपर्क के एक साधन के रूप में विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। प्राधिकरण का अल्पकालिक उद्देश्य परियोजना स्थापित करने में प्रक्रियात्मक विलम्ब को दूर करना है। दीर्घकालिक उद्देश्य विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना है।

सरकार ने एफ डी आई/एन आर आई/ओ सी बी निवेश के लिए मौजूदा क्षेत्रीय नीति और क्षेत्रीय इक्विटी ऊपरी सीमा की आगे भी समीक्षा की है और (i) कतिपय शर्तों के अध्यधीन ई-कॉमर्स कार्यों के लिए 100% तक एफ डी आई की अनुमति दी है (ii) लाभांश संतुलन की शर्त हटा दी है जो 22 विनिर्दिष्ट उपभोक्ता वस्तुओं से संबंधित उद्योगों पर लागू थी (iii) स्वचालित मार्ग के तहत विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण (परमाणु रिएक्टर विद्युत संयंत्र से इतर) से संबंधित परियोजना के लिए 1500 करोड़ रु० की एफ डी आई की ऊपरी सीमा हटा दी है और (iv) स्वचालित मार्ग के तहत तेल शोधन क्षेत्र में एफ डी आई का स्तर मौजूदा 49% से बढ़ाकर 100% कर दिया है।

वित्तीय सहायता

1163. **श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दूरसंचार क्षेत्र की सरकारी एजेंसियों और रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रबंधन के आधुनिकीकरण और सेल्यूलर सैटलाइट संचार सेवा को और प्रभावी बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या उक्त कार्य के समुचित कार्यान्वयन के लिये सरकार को कोई विदेशी सहायता मिली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सहायता कब तक मिल जायेगी तथा उक्त सहायता कितनी धनराशि की है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) विभिन्न संबंधित इकाइयों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संथाल परगना तथा छोटानागपुर में वनाच्छादन

1164. **श्री प्रो० दुखा भगत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के संथाल परगना तथा छोटा-नागपुर में वनाच्छादन की घटनाओं में वृद्धि हो रही है,

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान इस तरह की कितनी घटनाएं हुई, और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में नए टेलीफोन कनेक्शन

1165. **श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में प्रायोजित की गई नवीन योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कितने नए टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए गए;

(ख) इन नए कनेक्शनों के लिए कितने नए मॉडल के टेलीफोन उपकरणों की सप्लाई की गई;

(ग) क्या नए टेलीफोन-उपकरणों में खामियों की वजह से बड़ी संख्या में नए टेलीफोन-कनेक्शन काम नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो खामी वाले उपकरणों की शिकायतों का निपटान किस प्रकार किया जा रहा है या किए जाने का विचार है; और

(ङ) 2000-2002 की अवधि के लिए टी०ए०सी०, इटावा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) नई स्कीम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 1,45,979 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

(ख) टेलीफोनों के 9 मॉडल यथा मैसर्स बी पी एल, आई टी आई, वेब को. एक्सीकॉम, बीटल, सेमीकॉम, भारतीय टेलीकॉम एच एफ सी एल/गोवा टेली सिस्ट्मस लिमिटिड, प्रदान किए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त "ग" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि, दोषपूर्ण उपस्करों की मरम्मत की जा रही है। उन्हें उच्छे उपकरणों से बदला जा रहा है।

(ङ) 30.4.2001 तक की अवधि के लिए इटावा में टी ए सी के 43 सदस्य हैं।

[अनुवाद]

स्टर्लिंग टेलीकॉम

1166. **श्री सुशील कुमार शिंदे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टर्लिंग टेलीकॉम ने उपभोक्ताओं से लिए जाने वाले शून्य किराए के आधार पर दिल्ली क्षेत्र के लिए निविदा प्राप्त कर ली थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कम्पनी उपभोक्ताओं से अपनी प्रतिबद्धता के बावजूद अत्यधिक किराया ले रही है;

(ग) इस प्रकार लिए गए किराए की दरें क्या हैं और इसके क्या कारण बताए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त फर्म के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) दिल्ली सहित मेट्रो शहरों में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए लाइसेंस देने के लिए आमंत्रित निविदाओं का मूल्यांकन बोलीदाताओं द्वारा कोट किए गए रैंटल सहित अनेक पैरामीटरों के आधार पर किया गया। रैंटल, प्रतिभूति जमा तथा उस पर ब्याज इत्यादि जैसे पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए बराबर रैंटल निर्धारित किया गया था। मेट्रो शहरों के लिए लाइसेंस करार में टैरिफ की अधिकतम सीमा

निर्धारित की गई थी विवरण संलग्न है। टैरिफ ढांचे सहित लाईसेंसों की शर्तों की अन्य बातों के साथ-साथ जनहित में लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षा की जानी थी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुसार अब टैरिफ टी आर ए आई द्वारा निर्धारित/ विनियमित होता है।

विवरण

टैरिफ की अधिकतम सीमा

1. सेवा के लिए मासिक रेंटल - 156/-रु० प्रतिमाह
2. प्रतिभूति जमा - 3000/-रु०
3. संस्थापना प्रभार - 1200/-रु०

4. **कॉल प्रभार :-**

4.1 मोबाइल उपभोक्ता द्वारा किए गए कॉलों के लिए:

10 सैकण्ड प्रति यूनिट कॉल दर पर एयर टाइम प्रभार के साथ स्थानीय, एसटीडी और आईएसडी कॉलों हेतु फिक्स्ड नेटवर्क के लिए लागू कॉल प्रभार लिए जाएंगे एक ही सेल्यूलर सेवा क्षेत्र में मोबाइल से मोबाइल पर किए जाने वाले कॉलों के लिए केवल एयर टाइम प्रभार लिए जाएंगे।

4.2 मोबाइल उपभोक्ता के पास आने वाले कॉलों के लिए: 10 सैकण्ड प्रति कॉल यूनिट की दर से एयरटाइम प्रभार लिया जाएगा। मोबाइल उपभोक्ता यदि इनकमिंग कॉलको की 5 सैकण्ड के अंदर खत्म कर देता है, तो उससे कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा।

5. टैरिफ संबंधी टिप्पणी

5.1 मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए कॉल की अवधि एयर टाइम आधार पर होगी।

5.2 एयर टाइम यूनिट कॉल का प्रभार दूरसंचार विभाग के फिक्स्ड नेटवर्क के लिए लागू अधिकतम स्लैब की यूनिट दर पर लिया जाएगा (वर्तमान में 1.40 रु० प्रति यूनिट) यह यूनिट दर सभी कॉलों के लिए उपर्युक्त अनुसार लागू होगी तथा कोई टेलीस्कोपिक दरें नहीं होंगी।

5.3 व्यस्ततम घंटों के दौरान एयर टाइम के लिए कॉल प्रभार, ऊपर पैरा 4 में निर्धारित दरों के दुगुने से अनधिक दरों पर निर्धारित किया जाएगा। व्यस्ततम घंटों की अवधि प्रति दिन अधिकतम 4 घंटे तक सीमित की जाएगी।

5.4 शनिवार और तीन राष्ट्रीय अवकाशों (15 आगस्त, 26 जनवरी तथा 2 अक्तूबर) के दौरान एयर टाइम के लिए कॉल प्रभार ऊपर पैरा 4 में निर्धारित दरों का आधा होगा।

5.5 मोबाइल उपभोक्ता से फिक्स्ड नेटवर्क में किए गए कॉलों के लिए लाइसेंसधारक मोबाइल उपभोक्ता से कॉल के समय और दिन के अनुसार दूरसंचार प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरों पर प्रभार लेगा। ऐसे कालों के लिए यूनिट दरें दूर संचार विभाग के फिक्स्ड नेटवर्क की अधिकतम स्लैब दर (इस समय 1.40 रु०) होगी। उपर्युक्त यूनिट दर सभी कॉलों के लिए लागू होगी तथा कोई टेलीस्कोपिक दरें नहीं होंगी।

5.6 एयर टाइम में कोई नि:शुल्क कॉल नहीं है।

5.7 फिक्स्ड नेटवर्क से मोबाइल पर किए गए कॉलों के लिए मोबाइल उपभोक्ता से एयर टाइम लिया जाएगा तथा दूरसंचार विभाग सेल्यूलर ऑपरेटर को किसी प्रकार का अभिगम्यता (एक्सेस) शुल्क नहीं देगा। एयर टाइम प्रभार सेल्यूलर ऑपरेटर द्वारा लिए जाएंगे।

5.8 मोबाइल से मोबाइल पर किए जाने वाले कॉलों के लिए कॉल करने वाले तथा कॉल पाने वाले, दोनों पक्षों से प्रभार लिया जाएगा।

6. सभी टैरिफ वृद्धि के लिए (दूरसंचार) प्राधिकारी का पूर्वानुमोदन लेना होगा। तथापि, लाइसेंसधारक उपभोक्ताओं से सेवा के लिए कम दर की वसूली प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना कर सकता है।

राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंज तथा वी०पी०टी० सुविधा

1167. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के थार, बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त जिलों में प्रतीक्षा सूची को कब तक निपटा लिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या राजस्थान में नए वी०पी०टी०/पी०सी०ओ० स्थापित करने के कार्य का ठेका कुछ फर्मों को दिया गया था तथा उक्त फर्मों ने यू०पी०टी० स्थापित करने का कार्य आरंभ नहीं किया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) थार के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित स्थानों पर बाड़मेर जिले में 20 एक्सचेंज तथा जैसलमेर जिले में 10 एक्सचेंज स्थापित करने की योजना है।

बाड़मेर जिला :- नीम्बालकोट, बटाला, कुंडाल, भूका, सैला, दाखा, कलवा, थोरियान की धानी, रूपजी राजा बेरी, परेआ, गिराब, चवा, धरना, रामजी का गोले, धूधा, गोले, सिनली जागीर, मियानो, भुनिया तथा भनकाली।

जैसलमेर जिला :- रंधा, मियाजलेर, चयन, डांगरी, श्री भद्रिया, भाबरा, (कॉन) हाबुर, अवाई, खुईयाला तथा सेयुवा।

(घ) 9वीं योजना के उद्देश्यों के अनुसार, वर्ष 2002 तक ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों मे मांग पर टेलीफोन प्रदान किए जाएंगे।

(ङ) जी, नहीं, तथापि राजस्थान में शेष वी पी टी निजी ऑपरेटर द्वारा प्रदान किए जाने हैं।

(च) और (छ) उपर्युक्त पैरा (ङ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेश संचार निगम लि० के लाभ में कमी

1168. **श्री तूफानी सरोज :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश संचार निगम लि० के लाभ में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा निगम के लाभ में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) निवल लाभ पिछले वर्ष 1998-99 के 1324.90 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1999-2000 में घटकर 840 करोड़ रु० रह गया है। लाभों में कमी के मुख्य कारण आई सी ओ ग्लोबल कम्युनिकेशंस में किए गए निवेश की 512.70 करोड़ रुपये की सीमा तक बट्टे खाते में डालना है।

(ग) वित्त वर्ष 1999-2000 में निगम के लाभ को उपर्युक्त असाधारण मद के कारण क्षति पहुंची थी। तथापि, वित्त वर्ष 2000-2001 के लिए निगम के बेहतर लाभप्रदता की स्थिति में होने की संभावना है।

गंगा में प्रदूषण

1169. **श्री जयभद्र सिंह :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गंगा नदी की सफाई करने हेतु आबंटित निधियों को उचित रूप से उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सहयोग देने वाले राज्य कौन-कौन से हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां। गंगा कार्य योजना का कार्य दो चरणों में किया गया है। 1985 में प्रारम्भ किए गए प्रथम चरण में 462.04 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था। जिसमें से 451.70 करोड़ रुपये की राशि भागीदारी राज्यों नामत: उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को जारी की गई और जिसका उन्होंने प्रयोग किया। गंगा कार्य योजना चरण-1 को 31.3.2000 से बंद घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1993 और 1996 के बीच चरणों में अनुमोदित गंगा कार्य योजना के चरण दो के लिए आबंटित 1276.26 करोड़ रुपये की राशि में से अब तक 522.81 करोड़ रुपये प्रयोग किए गए हैं।

(ग) इस संबंध में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली एवं हरियाण राज्य अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

क्रिकेट खिलाड़ी के लॉकर पर सी०बी०आई० का छापा

1170. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई के जिमखाना क्लब में एक क्रिकेट खिलाड़ी के लॉकर पर सी० बी० आई० द्वारा छापा मारा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस लॉकर में बड़ी संख्या में भारतीय और विदेशी मुद्रा पायी गयी;

(ग) यदि हां, तो सी० बी० आई० द्वारा इस क्लब में सील किये गये अन्य लॉकरों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन लॉकरों में विदेशी मुद्रा सहित कुल कितनी मुद्रा छिपा रखी पायी गयी और इन लॉकरों को रखने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ङ) इन लॉकरों को रखने के लिए जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी/करने का विचार है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जिमखाना क्लब, मुम्बई में किसी भी लॉकर पर छापा नहीं मारा गया था।

(ख) से (ङ) चूंकि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सी० बी० आई०) ने जिमखाना क्लब, मुम्बई में किसी भी लॉकर पर छापा नहीं मारा, अत: सी० बी० आई० के पास अन्य विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

वनारोपण कार्यक्रम

1171. **श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :** क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए वनारोपण कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर चलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान व्यय की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना की धनराशि का दुर्विनियोग हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत किए गए कार्य और व्यय का कोई आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार इसमें क्या उपलब्धि रही है;

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा हेतु कोई आयोग गठित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ङ.) वृक्षारोपण केन्द्रीय मंत्रालयों की विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों तथा राज्य सरकारों की स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। इन क्रिया कलापों की प्रगति की 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 16 के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निगरानी की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस से जुड़े लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के पास इन रोपणों का मूल्यांकन करने के लिए अपने अपने निगरानी तंत्र हैं इसके अतिरिक्त पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जांच के लिए चुने गए 50 जिलों में हर वर्ष इनका स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा बड़ी केन्द्रीय प्रायोजित वनीकरण स्कीमों के अंतर्गत राज्यवार दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण II में दिया गया है इन स्कीमों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग लगभग 88 प्रतिशत तक है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्यों द्वारा इन स्कीमों के अंतर्गत दी गई निधियों का दुर्विनियोग किए जाने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

नौंवी योजना (1997-98) से 1999-2000) के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत वनीकरण गतिविधियों के लिए वन रोपण कार्यक्रम के लक्ष्य /उपलब्धियां

(क्षेत्र हेक्टेयर में-पौध लाख में)

क्र सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	1997-98				1998-99				1999-2000			
		लक्ष्य		उपलब्धियां		लक्ष्य		उपलब्धियां		लक्ष्य		उपलब्धियां	
		पौध वितरण (निजी भूमियों पर वृक्षारोपण के लिए)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	पौध वितरण (निजी भूमियों पर वृक्षारोपण के लिए)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	पौध वितरण (निजी भूमियों पर वृक्षारोपण के लिए)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	पौध वितरण (निजी भूमियों पर वृक्षारोपण के लिए)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	पौध वितरण (निजी भूमियों पर वृक्षारोपण के लिए)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	पौध वितरण (निजी भूमियों पर वृक्षारोपण के लिए)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	1100.00	50000	2027.29	135185.00	1100.00	55000	2040.64	160881.00	2000.00	150000	2962.15	226165.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.00	10000	16.00	6317.00	7.00	10000	3.85	729.00	7.00	10000	6.00	1542.00
3.	असम	25.00	27000	25.00	3642.00	25.00	27000	25.00	5963.00	25.00	27000	18.54	7727.00
4.	बिहार	500.00	40000	110.33	14222.00	500.00	40000	148.30	10177.00	500.00	40000	111.86	13382.00
5.	गोवा	30.00	1800	13.74	1123.30	30.00	1800	11.13	777.00	10.00	600	8.32	710.00
6.	गुजरात	1900.00	65000	1919.04	62866.00	1900.00	70000	1920.00	70414.00	1900.00	70000	1822.21	64649.00
7.	हरियाणा	200.00	32000	33.57	17931.00	200.00	32000.	35.82	17905.00	200.00	32000	36.74	12236.00
8.	हिमाचल प्रदेश	20.00	30000	30.38	28000.00	20.00	30000	39.05	31300.00	20.00	30000	20.66	30510.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	जम्मू और कश्मीर	60.00	24000	60.00	22125.00	60.00	24000	91.16	16323.00	60.00	24000	21.53	3786.00
10.	कर्नाटक	400.00	65000	256.35	52423.05	400.00	68000	613.93	93028.00	500.00	90000	755.33	94512.25
11.	केरल	180.00	19000	10.98	3350.00	180.00	19000	1.22	21187.00	180.00	19000	2.87	9194.00
12.	मध्य प्रदेश	450.00	150000	457.73	139211.00	450.00	150000	475.62	188216.00	450.00	150000	276.44	129190.00
13.	महाराष्ट्र	1150.00	126000	938.02	91910.23	1150.00	126000	837.99	92288.46	1150.00	126000	850.82	99068.25
14.	मणिपुर	25.00	12000	7.06	4403.00	25.00	12000	16.45	6197.00	25.00	12000	0.00	0.00
15.	मेघालय	40.00	18000	71.33	3978.00	40.00	18000	39.00	2324.00	40.00	18000	27.95	244.00
16.	मिजोरम	22.00	19800	10.97	8589.00	22.00	19800	7.41	6450.00	22.00	19800	47.08	4270.00
17.	नागालैण्ड	60.00	8000			60.00	8000	0.00	0.00	60.00	8000	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	300.00	79000	436.70	83825.00	300.00	87000	234.12	62243.00	300.00	87000	65.20	71023.00
19.	पंजाब	52.00	20000	65.86	5046.00	52.00	20000	49.92	10439.00	52.00	20000	31.68	15697.00
20.	राजस्थान	400.00	83000	370.64	58166.00	400.00	85000	385.17	65651.00	400.00	85000	310.72	36298.00
21.	सिक्किम	22.00	11000	22.58	9966.86	22.00	11000	15.20	6254.00	22.00	11000	22.11	11106.00
22.	तमिलनाडु	1100.00	85000	1146.10	94325.00	1100.00	90000	498.51	122650.00	1100.00	120000	1384.17.	258776.00
23.	त्रिपुरा	40.00	10000	78.58	8650.00	40.00	10000	28.50	8903.00	40.00	10000	22.48	7241.58
24.	उत्तर प्रदेश	2200.00	110000	1977.70	88052.00	2200.00	110000	1620.73	93167.91	2200.00	110000	1145.36	87918.00
25.	पश्चिम बंगाल	825.00	44000	228.00	18285.00	825.00	44000	203.00	7901.00	825.00	44000	80.00	7200.00
26.	अंडमान निकोबार द्वी०स०	5.00	4500	1.38	3462.00	5.00	4700	1.70	3304.18	2.00	3500	0.73	3374.95
27.	चंडीगढ़	0.10	500	0.56	66.00	0.10	500	0.47	103.00	0.10	100	0.50	100.00
28.	दादरा और नगर हवेली	16.00	1000	7.00	300.00	16.00	1000	3.20	310.00	5.00	300	5.00	370.00
29.	दमन और दीव	2.00	50	0.40	138.00	2.00	50	0.03	4.00	0.25	30	0.26	145.00
30.	दिल्ली	25.00	1000	3.64		25.00	1000	20.92	0.00	25.00	1000	17.25	80.00
31	लक्ष्यद्वीप	5.00	75	1.97	22.00	5.00	75	5.00	90.00	5.00	75	0.00	0.00
32	पांडिचेरी	5.00	75	6.73	58.71	5.00	75	4.82	96.12	5.00	75	4.96	69.26
	कुल	11166.10	1146800	10335.63	965638.15	11166.10	1175000	9377.86	1105275.67	12130.35	1318480	10059.19	1196584.29
	राष्ट्रीय क्षेत्र मिलियन हेक्टे.में		1.71		1.48		1.73		1.57		1.92		1.70

(2000 पौध=1 हेक्टेयर) *अनन्तिम

विवरण-II

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की प्रमुख वनीकरण स्कीमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों (1997-98 से 1999-2000) के दौरान राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता दर्शाते हुए विवरण

राज्य	पिछले तीन वर्षों के दौरान रिलीज की गई धनराशि (1997-98, 1998-99 और 1999-00) (लाख रु० में)			
	आई ए ई पी एस	ए ओ एफ एफ पी एस	एन टी एफ पी	ए एस टी आर पी
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	319.75	304.69	202.38	26.21
अरुणाचल प्रदेश	141.67	13.00	35.00	8.18
असम	197.19	243.64	52.50	
बिहार	210.75	245.52	28.00	66.95
गोवा	0.36	13.69	31.22	
गुजरात	126.60	505.53	232.99	29.04
हरियाणा	259.97	721.07	103.99	
हिमाचल प्रदेश	107.20	382.06	64.82	
जम्मू और कश्मीर	828.57	162.64	436.25	28.17
कर्नाटक	368.57	423.46	148.21	63.14
केरल	682.02	269.74	27.45	
मध्य प्रदेश	934.65	1098.81	218.30	149.08
महाराष्ट्र	213.33	223.82	87.17	21.51
मणिपुर	852.93	356.29	119.18	19.36
मेघालय	15.69	0.00	12.00	
मिजोरम	321.63	629.25	96.35	24.57
नागालैण्ड	39.82	15.10	5.00	6.00
उड़ीसा	463.25	276.88	236.96	
पंजाब	136.42	190.12	33.50	
राजस्थान	910.10	727.96	305.22	47.97
सिक्किम	415.96	206.69	195.81	
तमिलनाडु	33.84	310.72	33.00	
त्रिपुरा	162.20	127.49	33.75	12.55
उत्तर प्रदेश	1050.93	747.08	58.00	
पश्चिम बंगाल	349.79	500.77	152.91	
कुल	9143.19	8696.02	2949.96	502.73

आई ए ई पी एस:- एकीकृत वनीकरण एवं पारि विकास परियोजना स्कीम

ए ओ एफ एफ पी एस:- क्षेत्रोन्मुखी ईधन एवं चारा परियोजना स्कीम

एन टी एफ पी:- औषधीय पादप योजना सहित गैर इमारती वनोत्पाद का संरक्षण और विकास।

ए एस टी आर पी:- भोगाधिकार हिस्सेदारी के आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरूद्भव में अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण व्यक्तियों को शामिल करना।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विमान

1172. **श्री चंद्र विजय सिंह :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पूर्वोतर क्षेत्र में चलने वाले विमान की औसत आयु कितनी होती है;

(ख) इस उच्च-विक्षोभ वाले क्षेत्र में नवीनतम विमान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) पुराने विमानों को कब तक बदले जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रचालन के लिए किसी विशेष विमान को ही नहीं लगाया जाता है। अन्तर्देशीय एयरलाइन द्वारा लगाए गए विमानों की औसत आयु संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) एयरलाइनों द्वारा प्रचालित सभी विमान उच्च-विक्षोभ वाले क्षेत्र का मुकाबला करने योग्य है।

(ग) एयरलाइनें पुराने विमानों को अपने बेड़े में बदलने के लिए एक सतत् प्रक्रिया अपनाती है। इंडियन एयरलाइन्स ने अपने बी-737 और एयरबस ए-300 विमानों को बदलने के लिए पहले से ही एक तकनीकी-आर्थिक अध्ययन शुरू किया है। 21 अगस्त, 2000 तक विमान निर्माताओं से तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के बाद इंडियन एयरलाइन्स के निदेशक-मण्डल के विचारार्थ एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।

विवरण

एयरलाइनों के विमान बेड़े में विमानों की औसत आयु

प्रचालक का नाम	विमान का प्रकार	विमान की औसत आयु (वर्ष)
इंडियन एयरलाइन्स	एयरबस ए-300	20.17
	एयरबस ए-320	08.94
	बोइंग 737	18.90
	डोर्नियर डीओ-228	15.01
एलायंस एयर	बोइंग 737	19.00
जेट एयरवेज	बोइंग 737	3.28
	एटीआर-72	1.00
सहारा एयरलाइन्स	बोइंग 737	8.00

निर्माण हेतु निर्धारित शर्तों में अंतर

1173. **श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : क्या जल भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित (राष्ट्रीय) राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण तथा इनके प्रत्यक्ष निर्माण की शर्तों में कोई अंतर है,

(ख) यदि हां, तो निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार को इन भेद-भावपूर्ण मानदंडों के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) विश्व बैंक और घरेलू तौर पर वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं हैं। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के मामले में परियोजनाओं के विभिन्न स्तरों जैसे परियोजनाएं और निविदा दस्तावेज तैयार करने, परामर्शदाताओं की नियुक्ति, ठेके देने आदि पर उनकी अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है और प्रत्येक स्तर पर नीतिगत दिशा निर्देशों और ऋण की शर्तों को पूरा करना होता है।

(ग) से (ङ) विश्व बैंक की सहायता को सामान्य तौर पर स्वीकार किया गया है। तथापि, पूर्व अर्हता मानदंडों के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और इन मानदंडों में विश्व बैंक के परामर्श से कुछ सीमा तक छूट दी गई थी।

विद्युत संयत्रों में प्रदूषण

1174. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार निजी क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों, विशेष रूप से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के नाम क्या हैं, जिनके बारे में पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाने की शिकायत दर्ज करायी गई है,

(ख) इस मुद्दे के हल के लिये राज्य पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित मंत्रालय के बीच क्या प्रक्रिया अपनाई गई, और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां यह समस्या गंभीर किस्म की है और सरकार द्वारा इस मुद्दे को हल करने के लिये उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) निमनलिखित कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के संबंध में पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई थीं:-

(i) टीटागढ़ विद्युत स्टेशन, पश्चिम बंगाल

(ii) पतरातु विद्युत स्टेशन, बिहार

(iii) बोकारो विद्युत स्टेशन, बिहार

(iv) अनपारा विद्युत स्टेशन, मध्य प्रदेश

(v) कोरबा (पूर्व) विद्युत स्टेशन, मध्य प्रदेश

(vi) चन्द्रपाड़ा विद्युत स्टेशन, बिहार

(ख) प्रदूषण से संबंधित मामलों को हल करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया शामिल है:-

- संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संपर्क।

  राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरीक्षण।

- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को रिपोर्टें प्रस्तुत करना।

- सुधारात्मक उपायों को अपनाने के लिए दोषी इकाइयों/नियामक प्राधिकारियों को निर्देश देना।

(ग) बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल वे प्रमुख राज्य हैं जहाँ ताप विद्युत संयंत्रों से पर्यावरण समस्याएँ पैदा हुई हैं। किए गए सुधारात्मक उपायों में निर्मलिखित शामिल हैं:-

(i) वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रिसीपिटेटर स्थापित करना/बढ़ोतरी करना।

(ii) कम राख वाले कोयले के प्रयोग को बढ़ाना।

(iii) फ्लाई ऐश के प्रयोग पर बल देना।

(iv) विद्युत संयंत्र तथा राख निपटान पौंड के चारों ओर हरित पट्टी बढ़ाना।

(v) निपटान से पहले निर्धारित मानदण्डों के लिए तरल बहिस्त्रावों का उपचार।

[हिन्दी]

ईंधन की लकड़ी और चारा योजना

1175. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गयी ईंधन की लकड़ी और चारा योजना के अंतर्गत अपने हिस्से का भुगतान करने की कोई व्यवस्था की है, और

(ख) यदि हां, तो इसमें केन्द्र सरकार द्वारा अपने हिस्से का भुगतान कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) बिहार सरकार ने नौंवी योजना के दौरान राज्य की समान हिस्सेदारी के लिए निम्नलिखित प्रावधान दिए हैं:-

(लाख रुपये में)

वर्ष	स्वीकृत की गई केन्द्रीय सहायता	बिहार सरकार द्वारा दी गई समान हिस्सेदारी की राशि	बिहार सरकार को जारी की गई केन्द्रीय सहायता*
1997-98	162.12	472.44	146.51
1998-99	168.90	224.72	142.59
1999-2000	199.50	198.00	190.94
2000-2001	210.18	200.00	0.00

*जारी की गई केन्द्रीय सहायता में पहले वर्षों के दौरान खर्च न की गई शेष राशि भी शामिल है।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान बिहार सरकार ने 200.00 लाख रुपये की राज्य की समान हिस्सेदारी की राशि के उपलब्ध होने की पुष्टि की है परन्तु उसने वर्ष 1999-2000 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट और उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं। वर्ष 2000-2001 के दौरान बिहार को आगामी केन्द्रीय सहायता का जारी करना उपर्युक्त दस्तावेजों की प्राप्ति और राज्य सरकार द्वारा निधियों का सन्तोषजनक ढंग से उपयोग किए जाने पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

विश्व आपदा रिपोर्ट

1176. श्री सुरेश कुरूप : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व आपदा रिपोर्ट, 2000 की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि हाल ही के वर्षों में देश में चिकित्सा देखभाल का खर्च ग्रामीण ऋणग्रस्तता के दूसरे सबसे बड़े कारण के रूप में उभर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रिपोर्ट के अनुसार देश के स्वास्थ्य की देखभाल का दो तिहाई हिस्सा निजी क्षेत्र के हाथों में है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) विश्व आपदा रिपोर्ट - 2000 "जनस्वास्थ्य पर बल" के अनुसार भारत में राष्ट्र की स्वास्थ्य परिचर्या का तीन-चौथाई भाग गैर-सरकारी क्षेत्र के पास है और चिकित्सा परिचर्या की लागत ग्रामीण ऋणग्रस्तता के दूसरे सबसे बड़े कारण के रूप में ऊभर रही है।

(ग) लोगों की स्वास्थ्य देखभाल संबंधी जरूरतें पूरी करने की दृष्टि से 31.12.1998 तक की स्थिति के अनुसार 1,37,006 उप केंद्र, 23,179 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 2,913 समुदाय स्वास्थ्य केंद्र वाले ग्रामीण स्वास्थ्य आधार भूत ढांचे का एक व्यापक नेटवर्क समग्र देश में स्थापित किया गया है ताकि ग्रामीण इलाकों में निवारक, संवर्धक तथा रोगहर स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान की जा सके।

राष्ट्रीय एड्स मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठ, दृष्टिहीनता, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभिकरणों से बाह्य सहायता जुटा करके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्रों के लिए संसाधनों में बढ़ोतरी करने हेतु सरकार हर संभव प्रयास करती रही है। इसके अलावा, चुनिंदा राज्यों में ग्रामीण अस्पतालों का दर्जा बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व बैंक की सहायता का लाभ उठाया गया है जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदानगी में और भी सुधार होगा।

पत्तन क्षेत्र में निजी निवेश

1177. श्री सी० कुप्पुसामी :
श्रीमती रेनु कुमारी :
श्री प्रभात सामन्तराय :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय पत्तनों के आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु निजी क्षेत्र से निवेश आमंत्रित करने हेतु कोई योजना तैयार की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) अब तक कौन-कौन सी पत्तन परियोजनाओं को निजी क्षेत्र को सौंपा गया है और वे कौन-कौन सी नई परियोजनाएं हैं जिन्हें उन्हें सौंपे जाने की संभावना है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) पत्तन क्षेत्र में गैर सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों का पता लगाया गया है :-

(i) पत्तन की विद्यमान परिसम्पत्तियों को पट्टे पर देना।

(ii) अतिरिक्त परिसम्पत्तियों का निर्माण/स्थापना जैसे कि :

(क) कन्टेनर टर्मिनलों का निर्माण और प्रचालन।

(ख) बल्क, ब्रेक बल्क, बहुउद्देश्यीय एवं विशिष्ट कार्गो बर्थों का निर्माण और प्रचालन।

(ग) भंडारण, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, संग्रहण सुविधाएं और टैंक फार्म।

(घ) क्रेनेज/हैंडलिंग उपस्कर।

(ङ) आबद्ध ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना।

(च) ड्राई डाकिंग और पोत मरम्मत सुविधाएं।

(i) पत्तन हैंडलिंग के लिए उपस्कर पट्टे पर देना और निजी क्षेत्र से फ्लोटिंग क्राफ्ट पट्टे पर लेना।

(ii) पाइलटेज।

(iii) पत्तन आधारित उद्योगों के लिए आबद्ध सुविधाएं।

(ग) अब तक 14 गैर सरकारी क्षेत्र/आबद्ध पत्तन परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं :-

क्र. सं०	परियोजना	पत्तन
1	2	3
1.	कन्टेनर टर्मिनल (2 बर्थें)	जवाहर लाल नेहरू (जे एन पी)
2.	तरल कार्गो बर्थ	जे एन पी
3.	पांचवीं तेल जैटी	कांडला
4.	तेल जैटी और संबंधित सुविधाएं	वाडीनार (कांडला)
5.	तेल जैाटी	कांडला
6.	कन्टेनर टर्मिनल	तूतीकोरिन
7.	तेल जैटी	कांडला
8.	तेल जैटी	कांडला
9.	बहुउद्देश्यीय बर्थ 5ए एवं 6ए	मुरगांव
10.	एस पी आई सी इलैक्ट्रिक कार्पोरेशन के लिए आबद्ध कोयला बर्थ	तूतीकोरिन
11.	ओसवाल फर्टिलाइजर्स लि० के लिए आबद्ध बर्थ	पारादीप
12.	कन्टेनर टर्मिनल	कांडला
13.	पीर पाऊ, मुंबई में आबद्ध कोयला और सामान्य कार्गो बर्थ	मुंबई
14.	कन्टेनर टर्मिनल	चेन्नै

निम्नलिखित 7 परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है :-

क्र. सं.	परियोजना	पत्तन
1.	दो बहुउद्देश्यीय बर्थ	विशाखापत्तनम
2.	कन्टेनर/ट्रांशिपमेंट टर्मिनल	कोचीन
3.	हल्दिया में बहु उद्देश्यीय बर्थ सं० 4ए	कलकत्ता
4.	कोयला बर्थ	नव मंगलूर
5.	मेरिन केमीकल टर्मिनल	जवाहर लाल नेहरू
6.	कन्टेनर टर्मिनल	मुंबई
7.	सामान्य कार्गो टर्मिनल	मुंबई

पूर्व तटीय सड़क परियोजना को पर्यावरण संबंधी मंजूरी

1178. श्री कृष्णमराजू : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेन्नई से कुड्डालोर तक सुरक्षित पूर्व तटीय सड़क के लिए तैयार किया गया कोई ब्लू प्रिंट पर्यावरण संबंधी मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विशेषकर इस समय जिस परियोजना हेतु निविदाएं पहले ही आमंत्रित की जा चुकी है इसे शीघ्रातिशीघ्र मंजूरी देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नही उठता।

तमिलनाडु में पर्यावरण और वन संरक्षण

1179. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु में पर्यावरण और वन संरक्षण हेतु कितनी राशि नियत की गई है;

(ख) राज्य में गत तीन वर्ष के दौरान वन उत्पादनों की कितनी मात्रा प्राप्त हुई और इनका मूल्य कितना था, और

(ग) सरकार वन उत्पादों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मंत्रालय की विभिन्न योजना स्कीमों के अंतर्गत उन्हें प्रतिवर्ष धनराशि आबंटित की जाती है। पर्यावरण और वनों की सुरक्षा के लिए विभिन्न योजना स्कीमों के अंतर्गत नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तमिलनाडु राज्य को अब तक 2790.27 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई है।

(ख) राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान 3303.78 लाख रुपए मूल्य की 961.06 टन चन्दन की लकड़ी जब्त की गई थी।

(ग) वन उत्पादों की तस्करी रोकने के लिए राज्य में 3 उड़न दस्ते, 21 वन स्टेशन, 11 रोइंग चैक पोस्ट तथा 10 वन सुरक्षा दस्ते कार्य कर रहे हैं। सख्त प्रवर्तन के लिए तमिलनाडु वन अधिनियम, 1982 की धारा 55(3) में भी उपयुक्त संशोधन किया गया है।

पादप संरक्षण

1180. **श्री अखिलेश यादव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पौधे की कितनी प्रजातियां और उप-प्रजातियां पाई जाती हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वनों में पादपों की सुरक्षा हेतु कोई विधान बनाने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने देश में अभी तक लगभग 46,000 पौध प्रजातियों को सूचीबद्ध किया है।

(ख) और (ग) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में अधिसूचित अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में वनस्पति जात और प्राणिजात के संरक्षण का प्रावधान है। अधिनियम की अनुसूची-VI में विनिर्दिष्ट पौध प्रजातियों को काटना और उखाड़ना निषिद्ध है।

[अनुवाद]

एड्स के प्रचार पर व्यय

1181. **श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान एड्स संबंधी जागरूकता के प्रचार पर कुल कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) क्या इस संबंध में व्यापक प्रचार के बावजूद इस रोग पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो देश से इस रोग के उन्मूलन हेतु क्या उपाय किये गये हैं/किये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा एड्स जागरूकता कार्यकलापों के लिए नियत आबंटन इस प्रकार हैं:-

1997-98	1998-99	1999-2000
	(रुपए लाख में)	
3907.32	3955.39	6347.27

(ख) जी, नहीं। विभिन्न कार्यकलापों के परिणामस्वरूप आम जनता के बीच जागरूकता का स्तर बढ़ा है जिससे संक्रमण के फैलाव में कमी आई है। हाल के एक सर्वेक्षण के अनुसार जागरूकता स्तर कुछ शहरी क्षेत्रों में 68% से बढ़कर 94% और ग्रामीण क्षेत्रों में 9% से बढ़कर 35% हो गया है।

(ग) भारत में एचआईवी/एड्स के फैलाव के निवारण तथा नियंत्रण के लिए, हाल ही में देशभर में एक व्यापक कार्यक्रम, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके मुख्य घटकों में शामिल हैं:-

- एक रक्त निरापदता पद्धति स्थापित की गई है जिसमें रक्त बैंकों को विनियमित करके आधुनिक बनाया गया है एचआईवी के लिए जांच को अनिवार्य बना दिया गया है और व्यावसायिक रक्ताधान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रक्त के माध्यम से होने वाले संक्रमणों में तीव्र गिरावट आई है और यह 1992 में 15.3% से घटकर 1999 में 5% रह गयी है।
- लक्ष्यित जनसंख्या की पहचान करके और पीयर काउन्सलिंग देकर, कन्डोम को बढ़ावा देकर, यौन संचारित संक्रमणों का उपचार करके उच्च खतरे वाले समूहों में एचआईवी के फैलाव में कमी लाना।
- सूचना शिक्षा व संचार और जागरूकता अभियान, स्वैच्छिक जांच व परामर्श सुविधाओं निरापद रक्त आधान सेवाओं की व्यवस्था करके तथा व्यावसायिक प्रभाव के निवारण द्वारा आम जनता के लिए निवारक उपाय।
- अवसरवादी संक्रमणों, घरेलू और समुदाय आधारित परिचर्या के लिए वित्तीय सहायता देना।
- राष्ट्रीय, राज्य तथा नगरीय स्तरों पर प्रभावकारिता और तकनीकी, प्रबंधकीय, वित्तीय उपलब्धता को सुदृढ़ करना।
- सरकारी, निजी तथा स्वैच्छिक क्षेत्रों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना।

सेल्युलर फीस पर टी०आर०ए०आई० की सिफारिशें

1182. **श्री ताराचंद भगौरा :**
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री दीपक कुमार :
श्री अशोक अर्गल :

क्या **संचार मंत्री** 15.5.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7567 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लाइसेंस फीस के रूप में सेल्युलर कम्पनियों से वसूल किए जाने वाले राजस्व शेयर के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी०आर०ए०आई०) से सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक प्रस्तुत और क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या ''एस्सार'' जैसी कुछ सेल्युलर टेलीफोन कम्पनियों ने उपभोक्ताओं द्वारा कॉल का ब्यौरा उपलब्ध कराने से इंकार कर दिया है और कॉल का ब्यौरा भेजने हेतु 100 रुपए की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) जी हां। सैल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा-प्रदाताओं से वसूले जाने वाले राजस्व शेयर के बारे में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशें 23.6.2000 को प्राप्त हो गई हैं। टी०आर०ए०आई० की सिफारिशों के अनुसार, अंडमान निकोबार, व जम्मू कश्मीर सर्किलों में समायोजित सकल राजस्व का 10% राजस्व-शेयर वसूला जाना चाहिए। देश के सैल्यूलर-ऑपरेटरों से समायोजित सकल राजस्व का 17% राजस्व-शेयर वसूला जाए।

(घ) और (ङ) एस्सार-सरीखी कम्पनियों यदि मैसर्स एयर टेलडिजीलिंक इंडिया लि० व मैसर्स स्टर्लिंग सैल्यूलर लि० ने बताया है कि वे उपभोक्ताओं द्वारा की गई कॉलों के ब्यौरे देने से इन्कार नहीं करते ; उन सभी उपभोक्ताओं को ये कंपनियां मदवार बिल देती हैं जो ऐसी मांग करते हैं। मैं स्टर्लिंग सैल्यूलर लि० व मैं० एयर टेल डिजीलिंक लि० अपने एसटीडी/आईएसडी सुविधा रहित ग्राहकों से मदवार बिल के क्रमश 100/रुपये तथा 49/- रुपये वसूल रहे हैं। इसके अलावा, ये कंपनियां एसटीडी/आईएसडी सुविधाओं का प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं से इसके लिए अलग-से कोई राशि न लेकर उन्हें मदवार बिल दे देती है। ''ट्राई'' के टैरिफ-आदेश ''99 के अनुसार, सभी ऑपरेटरों को अपने सभी वैकल्पिक टैरिफों की योजनाएँ उपभोक्ताओं को पेश करने से कम से कम पाँच कार्य दिवस पूर्व ''ट्राई'' के पास दर्ज करना अपेक्षित होता है। इन ऑपरेटरों ने बताया है कि वे मदवार बिलों के प्रभारों से जुड़ी उक्त अपेक्षाओं का पूर्णत: पालन कर रहे हैं। ''ट्राई'' ने ऐसे प्रभारों को मंजूरी दे दी है।

[हिन्दी]

मलेरिया उन्मूलन के लिए नई औषधियां

1183. **डा० जसवंत सिंह यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान ने मलेरिया के उन्मूलन के लिए कोई नई औषधि तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त औषधि के बाजार में कब तक आ जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त औषधि मलेरिया का उन्मूलन/रोकथाम करने में किस हद तक प्रभावशाली सिद्ध होगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, हाँ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ने मलेरिया रोगियों का उपचार करने के लिए 2 नई औषधियां नामत: अर्टीथर और बुलेक्वीन का विकास किया है।

(ग) व्यापारिक नाम ''ई-माल'' से ज्ञात अर्टीथर बाजार में पहले से ही उपलब्ध है।

(घ) अर्टीथर से पी०फाल्सीपेरम वाले मलेरिया तथा दूसरे प्रकार के जटिल मलेरिया के फैलाव की रोकथाम करने में मदद मिलेगी क्योंकि इस औषधि का असर तेज होता है और इसकी प्रभावकारिता बेहतर है। बुलेक्वीन पी०विवेक्स मलेरिया की रोकथाम करने में प्रभावकारी पायी गयी है।

महाराष्ट्र में लोमार झील

1184. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में ''लोमार'' झील के आसपास के क्षेत्र के पर्यावरण की सुरक्षा हेतु कोई उपाय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है, और

(घ) इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत 637 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कुल 10 शहरी झीलों का संरक्षण के लिए अभिनिर्धारण किया गया है। अभी सरकार द्वारा इस योजना को अनुमोदित किया जाना है। इन अभिनिर्धारित 10 झीलों में महाराष्ट्र की लोमार झील शामिल नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर में इंटरनेट

1185. **श्री के०ए० सांगतम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए अलग एंटीना लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल) भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए गुवाहाटी में एक डेडीकैटेड उपग्रह ऐंटीना स्थापित करने की कार्रवाई कर रहा है। सरकार की, अगस्त 2000 से प्रस्तावित ऐन्टीना का इस्तेमाल करते हुए ग्राहकों को इंटरनेट लीज्ड लाइन सेवा प्रदान करने की योजना है।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

अखिल भारतीय स्त्री रोग और स्त्री रोग-विज्ञान संस्थान

1186. **डा० वी० सरोजा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय वाक् और श्रवण संस्थान की तरह अखिल भारतीय स्त्री रोग और स्त्री रोग-विज्ञान संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश में मौजूदा चिकित्सा संस्थाएं जो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत हैं, के पास महिलाओं की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान के विशिष्ट विभाग हैं।

[हिन्दी]

सर्पदंश रोधी औषधियों की अनुपलब्धता

1187. **श्री उत्तमराव पाटील** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान राज्य-वार ग्रामीण क्षेत्रों के औषधालयों में सर्पदंश रोधी औषधियों की अनुपलब्धता के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अनेक औषधालयों में सर्पदंश रोधी औषधियों की कमी के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) देश में ये औषधियां सभी औषधालयों/अस्पतालों में कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) सामान्य तौर पर देश में एंटि-स्नेक वेनम सीरम (एएसवीएस) की कमी नहीं है और देश में इसका उत्पादन पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। एंटि स्नेक वेनम सीरम की खरीद राज्य सरकारों द्वारा की जाती है और इसकी राज्यों के स्वास्थ्य केन्द्रों को आपूर्ति की जाती है।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है। केन्द्र सरकार उन मौतों के बारे में आंकड़े नहीं रखती है जो एंटि स्नेक बाइट औषधों की अनुपलब्धता के कारण हुई हो।

(ग) और (घ) देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा सांप द्वारा काटे जाने के लिए एंटि स्नेक वेनम सीरम को स्टाक किए जाने की आशा है। यह मंत्रालय राज्य सरकारों को समय-समय पर यह देखने की सलाह देता है कि ऐसी औषधों की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बना रहे।

[अनुवाद]

शिशु मृत्यु दर

1188. **श्री एम० चिन्नासामी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राष्ट्रीय औसत शिशु मृत्यु दर कितनी है;

(ख) तमिलनाडु में इस समय पांच वर्ष से कम आयु के बालकों की तुलना में बालिकाओं का अनुपात कितना है; और

(ग) बालिका भ्रूण हत्या कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) नमूना पंजीकरण पद्धति के अनुसार 1998 में राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर का अनुमान प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 7 लगाया गया था।

(ख) जनसंख्या प्रक्षेपण संबंधी तकनीकी समिति के अनुमानों के अनुसार 1 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु में 5 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों की जनसंख्या को 4815 हजार होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें 2473 हजार बालक और 2343 हजार बालिकायें हैं और लड़के व लड़कियों का अनुपात 947:1000 है।

(ग) शिशु हत्या एक संज्ञेय अपराध है और इस पर मौजूदा कानूनों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है। लिंग अनुपात, जो बालिकाओं के प्रतिकूल है, को उलटने के लिए सरकार ने 1 जनवरी, 1996 को प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (दुरूपयोग विनियमन और निवारण) अधिनियम, 1994 बनाया था। यह अधिनियम बालिका भ्रूण का चयनात्मक गर्भपात करने की आधुनिक प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीकों के दुरूपयोग को विनियमित करता है और रोकता है। बालिका हत्या और शिशु हत्या को कम करने के लिए मास मीडिया और अन्य माध्यमों से एक अभियान भी चलाया जा रहा है।

[हिन्दी]

भारत और मोरक्को के बीच समझौता

1189. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार क्षेत्र में भारत और मोरक्को के बीच हाल ही में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे तत्काल लाभान्वित होनेवाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अयोध्या-श्रावस्ती सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

1190. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :** क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने से संबंधित नीति क्या है,

(ख) क्या सरकार ने उस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का निर्णय किया है जिस पर स्वर्गीय राजेश पायलट की दुर्घटना हुई थी, और

(ग) यदि हां, तो अयोध्या-श्रावस्ती सड़क को कब तक राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नत करने का विचार है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए मानदंड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जिस सड़क पर दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में श्री राजेश पायलट की अकाल मृत्यु हुई है वह पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्ग है। नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा से संबंधित प्रस्ताव प्रारंभिक अवस्था में हैं अतः इस समय और अधिक ब्यौरे नहीं दिए जा सकते।

विवरण

राज्य सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए मानदंड इस प्रकार हैं। :-

(i) ऐसी सड़के जो पूरे देश से होकर गुजरती हैं।

(ii) निकटवर्ती देशों को जोड़ने वाली सड़कें।

(iii) राष्ट्रीय राजधानी को राज्य की राजधानी से जोड़ने वाली सड़कें और राज्य की राजधानियों को आपस में जोड़ने वाली सड़कें।

(iv) महापत्तनों, बड़े औद्योगिक केन्द्रों अथवा पर्यटन सड़कों को जोड़ने वाली सड़कें।

(v) अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सड़कें।

(vi) मुख्य सड़कें जिनसे यात्रा की दूरी में अत्यधिक कमी हो जाती है और इससे उनकी अत्यधिक आर्थिक संवृद्धि भी होती है।

(vii) पिछड़े क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों के बड़े भूभागों को खोलने में जो सड़कें मदद करती हैं।

(viii) 100 कि०मी० का राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड पूरा होता है।

नोट : राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा पर समग्र देश की आवश्यकताओं के आधार पर विचार किया जाता है न कि विशेष रूप से किसी स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर

1191. **श्री चन्द्र भूषण सिंह :**
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए और अधिक धनराशि जुटाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में पथकर लगाने का निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) इस पथकर के संग्रह का कार्य किस प्राधिकारी को सौंपा जाएगा,

(घ) क्या अपेक्षित पथकर राशि पथकर संग्रह हेतु संभावित व्यय के अनुरूप होगी, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, चार लेन वाले सभी खंडों और बाइपासों पर पथकर वसूल करने और उसका उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए करने का निर्णय लिया गया है। इसके

अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कुछ खंड निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) स्कीम के अंतर्गत गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी से विकसित किए जाएंगे और इन पर पथकर लगाया जाएगा। अनुमानत: बी ओ टी स्कीम के अंतर्गत लगभग 6000 करोड़ रु० मूल्य की परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा।

(ग) बजट से बित्त पोषित परियोजनाओं के मामले में राज्य सरकारें और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जैसी कार्यान्वयन एजेंसियां तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के मामले में बी ओ टी प्रचालक पथकर वसूली के लिए जिम्मेदार होंगे।

(घ) और (ङ) बजटगत परियोजनाओं के लिए पथकर वसूली व्यय सामान्यत: राजस्व के 1/8 से अधिक नहीं होता है।

[हिन्दी]

पर्यटक स्थलों के लिए विमान सेवाएं

1192. **श्री राम सिंह करवां : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के पर्यटक स्थलों को विमान सेवाओं से जोड़ने के लिए कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस हेतु कितनी धनराशि के आबंटन का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क), से (ग) मार्ग वितरण संबंधी दिशा-निर्देशों, जिसमें विनिर्दिष्ट मार्गों की श्रेणी में कुछ न्यूनतम प्रचालन शामिल हैं, का अनुसरण करते हुए यातायात मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर एयरलाइनें विनिर्दिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, छोटे विमान (टर्बो-प्रॉप) प्रचालनों द्वारा पर्यटक स्थलों सहित छोटे तथा गैर-महानगरीय शहरों, जहाँ हवाई पट्टी उपलब्ध हैं, को जोड़ने के लिए ऐसे विमान को अन्तरराष्ट्रीय मूल्य पर विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) प्रदान करने तथा 4% की दर से बिक्री कर लेवी करके केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन एटीएफ को 'घोषित सामग्री' के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है। तथापि इस उद्देश्य के लिए कोई भी राशि आबंटित करने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

टेलीफोन एक्सचेंज

1193. **श्रीमति रानी नरह : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में दूरसचार जिला प्रबंधक, तेजपुर के अधीन गूगामुख और हिलमारा के टेलीफोन एक्सचेंजों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) गूगामुख और हिलामारा टेलीफोन एक्सचेंज में अनियमितताओं और इसके काम न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त टेलीफोन एक्सचेंज का कार्यकरण सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) टी डी एम, तेजपुर के अंतर्गत हिलामारा और गूगामुख टेलीफोन एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहे थे जिसका कारण अविश्वनीय पारेषण माध्यम था। गूगामुख टेलीफोन एक्सचेंज के ओवरहैड केरियर सिस्टम को हाल ही में जून, 2000 में ऑपटिकल फाइबर केबल प्रणाली में बदल दिया गया है और इस एक्सचेंज के कार्य निष्पादन में काफी सुधार आया है। इस समय धिलामारा एक्सचेंज वीएचएफ प्रणाली पर कार्य कर रहा है, इसलिए इसका कार्यकरण बहुत संतोषजनक नहीं है। इस वीएचएफ प्रणाली को शीघ्र ही 30 चैनल डिजिटल की यूएचएफ प्रणाली में बदला जाएगा और इससे इस एक्सचेंज के कार्य-निष्पादन में भी सुधार आएगा।

[हिन्दी]

गुर्दा रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

1194. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और अन्य सरकारी अस्पतालों में गुर्दा रोगियों के उपचार हेतु डायलिसिस और अन्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो अस्पताल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का गुर्दा रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क), से (घ) गुर्दा के रोगियों के उपचार के लिए वृक्कपात को छोड़ कर सभी प्रकार की निदान और उपचार सुविधाएं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उपलब्ध हैं।

जो रोगी वृक्कपात से पीड़ित है केवल उन्हें डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हेमोडायलिसीस सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। गुर्दा के रोगियों का उपचार करने हेतु डायलिसीस तथा अन्य चिकित्सा सुविधाएं सफदरजंग अस्पताल में उपलब्ध हैं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और सम्बद्ध अस्पताल में प्रतिरोपण और डायलिसीस के लिए अपेक्षित सुविधाओं को छोड़ कर और आवश्यक उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीनस्थ अस्पतालों का जहां तक संबंध है, गुर्दा प्रतिरोपण को छोड़ कर डायलिसीस तथा अन्य सुविधाएं लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में गुर्दा के रोगियों के उपचार के लिए उपलब्ध हैं। दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में जीवन रक्षक डायलिसीस की आपाती सुविधा है। गुरू तेग बहादूर अस्पताल में हेमोडायलिसीस सुविधा भी उपलब्ध हैं।

उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधाओं का दर्जा बढ़ाना चलती रहने वाली प्रक्रिया हैं।

[अनुवाद]

फर्जी प्राइवेट मेडिकल कालेज

1195. **श्री समीक लाहिड़ी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अनेक प्राइवेट मेडिकल कालेज कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कालेज-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनमें से अनेक कालेज रोगियों को अपेक्षित मूलभूत सुविधाएं और पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए बिना केवल लाभ कमा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो कालेज-वार अवैध और फर्जी मेडिकल कालेजों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) भारतीय चिकित्सा परिषद और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त की गई कालेजों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा चिकित्सा शिक्षा के वाणिज्यिकरण को रोकने और ऐसे कालेजों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। देश में 58 प्राइवेट मेडिकल कालेज चल रहे हैं। मेडिकल कालेजों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) से (घ) प्राइवेट मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज अपने संलग्न अस्पतालों के जरिए रोगियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। आयुर्विज्ञान शिक्षा प्रदान कर रहे मेडिकल कालेज संस्था पर मान्यता देने के लिए तभी विचार किया जाता है जब वह भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के निर्धारित मानदण्डों को पूरा कर लेते हैं।

(ङ) और (च) किसी कालेज/संस्था की आयुर्विज्ञान अर्हता को प्रदान की गई मान्यता को वापिस लेने की शक्ति भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 19 के उपबन्धों के अनुसार केन्द्र सरकार के पास है। किसी भी मेडिकल कालेज की एम०बी०बी०एस० अर्हता की मान्यता समाप्त नहीं की गई है।

विवरण

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद

परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट मेडिकल कालेजों की सूची:

(I) आन्ध्र प्रदेश

(1) एन०टी०आर० यूनिवरसिटी आफ हेल्थ साईन्सेज, विजयवाड़ा

1. दखन कालेज आफ मेडिकल साईन्सेज, हैदराबाद, (आन्ध्र प्रदेश)

(II) गुजरात

(2) सरदार पटेल यूनिवरसीटी बल्लभ विद्यानगर, गुजरात

2. प्रमुख स्वामी मेडिकल कालेज, करमसद

(III) कर्नाटक

(3) मणिपाल एकादमी आफ हायर एजूकेशन

3. कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मणिपाल

4. कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मेंगलौर

(4) बेंगलौर विश्वविद्यालय, बेंगलौर

5. सेन्ट जॉन मेडिकल कालेज बेंगलौर

6. एम०एस० रमैया मेडिकल कालेज, बेंगलौर

7. डा० बी०आर० अम्बेडकर मेडिकल कालेज, बेंगलौर

8. केम्पगोड़ा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, बेंगलौर

9. सिद्धार्थ मेडिकल कालेज, तुमकूर

10. श्री देवराज ऊर्फ मेडिकल कालेज, तमका, कोलार

(5) मैसूर यूनिवरसिटी, मैसूर

11. जे०एस०एस० मेडिकल कालेज, मैसूर

12. आधीचूनचनगिरी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंन्सेज, बेल्लोर

(6) कूवेम्पू विश्वविद्यालय, कर्नाटक

13. जे०जे०एम० मेडिकल कालेज, देवेनगिरी (कर्नाटक)

(7) कर्नाटक विवविद्यालय, धारवाड़

14. जे०एन० मेडिकल कालेज, बेलगांव

15. बी०एल०डी०ई०ए० ज श्री बी०एम० पाटील मेडिकल कालेज, अस्पताल, एण्ड रिसर्च सेन्टर, विजापुर

16. अलअमीन मेडिकल कालेज विजापुर

(8) गुलवर्गा विश्वविद्यालय, गुलवर्गा

17. एम० आर० मेडिकल कालेज, गुलवर्गा।

(IV) महाराष्ट्र

(9) बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई

18. पदम श्री डा० बी० वाई० पाटील मेडिकल कालेज, नवीं बम्बई

19. महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कालेज नवीं बम्बई

20. के० जे० समैया मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर नवीं बम्बई

21. तेरना मेडिकल कालेज, तेरना नवीं मुम्बई

(10) पूणा विश्वविद्यालय, पूणा

22. ग्रामीण मेडिकल कालेज, लोनी

23. एन०डी०एम० वी०पी० समाज मेडिकल कालेज नासिक

(11) भारतीय विद्यापीठ समविश्वविद्यालयल पूणे

24. भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कालेज, पूणे
(पहले पूणे विश्वविद्यालय से समबद्ध था)

(12) नार्थ महाराष्ट्रा विश्वविद्यालय, जलगांव

25. जवाहर मेडिकल फाउन्डेशन ए०सी०पी०एम० मेडिकल कालेज, धूले
(पहले पूणे विश्वविद्यालय, से समबद्ध था)

(13) शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापूर

26. कृष्णा इस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, कराड़

27. डी०वाई० पाटील, एजूकेशन सोसायटी "ज डी०वाई० पाटील मेडिकल कालेज, कोल्हापुर।

(14) डा० बाबा साहेब अम्बेडकर मराठा वाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद।

28. महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कालेज, औरंगाबाद।

(15) स्वामी रामानन्द तीर्थ विश्वविद्यालय, नादेड़

29. महाराष्ट्र इस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज एण्ड रिसर्च लातूर
(पहले डा० बी०ए०एम० विश्वविद्यालय औरंगाबाद से सम्बद्ध था)

(16) नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर

30. महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, सेवाग्राम वर्दा।

31. जे०एन० मेडिकल कालेज, स्वांगी, वर्दा

32. एन०के०पी० साल्वे इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, नागपुर

(17) अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती

33. डा० पंजाबराव ऊर्फ भाई सजेन देशमुख मेमोरियल मेडिकल कालेज अमरावती

V मणिपुर

(18) मणिपुर विश्वविद्यालय मणिपुर

34. रिजनल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, इम्फाल

VI पंजाब

(19) पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़

35. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, लुधियाना

36. दयानन्द मेडिकल कालेज, लुधियाना

VII तमिलनाडु

(20) डा० एम०जी०आर० मेडिकल, यूनिवरसीटी, मद्रास, तमिलनाडु

37. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वेल्लोर

38. पी०एस०जी० इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, कोयम्बटूर

(21) श्री रामचन्दर सम विश्वविद्यालय, मद्रास

39. श्री रामचन्दर मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पोरूर, चेन्नई
(पहले डा० एम०जी०आर० मेडिकल यूनिवरसीटी, मद्रास से सम्बद्ध था)

(22) अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर

40. राजा मुथैया मेडिकल कालेज, अन्नामलाईनगर।

बिहार में गैर-मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज

(1) वी० एन० मंडल विश्वविद्यालय, मादीपुर

1. माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कालेज, किशनगंज

2. कटिहार मेडिकल कालेज, कटिहार।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10क के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा अनुमत मेडिकल कालेज

क्र. सं.	कालेज/विश्वविद्यालय/राज्य का नाम
1	2
I.	जम्मू व कश्मीर
(1)	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू
1.	आचार्य श्री चन्दर कालेज आफ मेडिकल साइंसेज एण्ड अस्पताल, जम्मू।
II.	महाराष्ट्र
(2)	पूना विश्वविद्यालय
2.	महाराष्ट्र इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च तेलगांव, डाभड़े पूणे
3.	डा० डी० वाई पाटील, प्रतीस्थान मेडिकल कालेज, फार वीमेन पीम्परी, पुणे
III.	तमिलनाडु
(3)	एम०जी०आर० विश्वविद्यालय
4.	विनायक मिशन मेडिकल कालेज, सलेम

1	2
IV.	उत्तर प्रदेश
(4)	चौधरी चरण सिंह विश्वविधालय मेरठ
	5. पी०वी० नरसिंहा राव मेडिकल कालेज, जोलीगरान्ट, देहरादून
	6. सन्तोष मेडिकल कालेज, गाजियाबाद।
V	पांडिचेरी
(5)	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी
	7. विनायक मिशन मेडिकल कालेज, करईकाल, पांडिचेरी
VI	पंजाब
(6)	श्री गुरूनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर
	8. श्री गुरू रामदास इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज एण्ड रिसर्च श्री अमृतसर।
VII	आन्ध्र प्रदेश
(7)	एन०टी०आर० यूनिवरसिटी आफ हेल्थ साइन्सेज, विजयवाड़ा
	9. मेडिकल कालेज, खामम
	10. मेडिकल कालेज मारकेटपल्ली, नालगोंडा, आन्ध्र प्रदेश
	11. मेडिकल कालेज, महबूबनगर, आन्ध्र प्रदेश।
	12. नारायणा मेडिकल कालेज, नेल्लोर, आन्ध्र प्रदेश
VIII	कर्नाटक
(8)	राजीव गांधी यूनिवरसीटी आफ हेल्थ साइन्सेज, बंगलौर
	13. फादरमूलर मेडिकल कालेज, कन्नौरी, मेंगलौर
	14. के० एस० हेगड़े मेडिकल एकादमी मेंगलौर
	15. येनेपोया मेडिकल कालेज, मेंगलौर
	16. खाजा बन्दा नवाज इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, गुलबर्गा

[हिन्दी]

दूरसंचार विभाग द्वारा उपकरणों की खरीद

1196. **कुंवर अखिलेश सिंह :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान दूरसंचार विभाग द्वारा खरीदे गए उपकरणों की संख्या कितनी है और दूरसंचार कारखाना और निजी कारखाना द्वारा की गई खरीद की मात्रा कितनी है; और

(ख) दूरसंचार कारखाना के अलावा निजी कारखाना से उपकरणों को खरीदने के क्या कारण हैं जबकि ऐसे उपकरणों का दूरसंचार कारखाने में भी उत्पादन हो रहा है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। 1998-99 के दौरान, दूरसंचार विभाग (मुख्यालय) ने निजी फैक्टरियों से 3986.17 करोड़ रुपये की कीमत की 33 मदें खरीदी हैं तथा दूरसंचार फैक्टरी से 237.11 करोड़ रु० की कीमत की सामग्री खरीदी है। जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 1999-2000 के दौरान, 6368.495 करोड़ रु० की कीमत की 51 मदें निजी फैक्टरियों से खरीदी गई थीं तथा 278.5 करोड़ रु० की कीमत की सामग्री दूरसंचार फैक्टरी से खरीदी गई थीं जिसका ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ख) दूरसंचार फैक्टरियां डी पी बॉक्सों सी टी बॉक्सों, लाइन जैक यूनिटों इत्यादि जैसी कम कीमत की मदें बना रही है। यद्यपि उनका उत्पादन वर्ष प्रति वर्ष बढ़ रहा है, फिर भी वे विभाग की कुल आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाती हैं। यह उल्लेखनीय है कि दूरसंचार फैक्टरियों द्वारा विनिर्मित अधिकांश मदों के लिए, क्षमता का पूरा उपयोग कर लिया गया है विवरण-III संलग्न है।

विवरण-I

क्र. सं.	मद	1998-99	
		वह मात्रा, जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गई	धनराशि (करोड़ रु० में)
1	2	3	4
1.	400 वाट एच पी ए	36	5
2.	6 एफ ओ एफ सी	13,000 के एम एस	61.5
3.	12 एफ ओ एफ सी	18,000 के एम एस एस	108.31
4.	24 एफ ओ एफ सी	4,000 के एम एस	36.58
5.	8 एम बी/एस ओएलटीई	5,390 सं०	63.5
6.	2-34 एमबी सी ऑप्टिमस	2,310 एस वाई एस	23.98
7.	ई पी बी टी	24.20 लाख	103
8.	एस एस यू	15 सं०	3
9.	बॉस सचिव प्रणाली	38,000 मॉडल I	12.4
		12,000 मॉडल II	
10.	7 जीएच 34 एम बी/एस	350 टी आर एस	18
11.	10 चैनल डिजिटल यू एच एफ प्रणाली		29
12.	प्रोटोकॉल एनालाइसर		12

1	2	3	4
13.	एन आई बी		85
14.	दूरसंचार सेवाओं की मात्रा का मूल्य निर्धारण		0.13
15.	सी-डॉट मैक्स-एल	3.705 लाख लाइनें	153
16.	2 जे०ह० 8 एमबी/एस डिज एम/डब्ल्यू	292 टी आर एस	25
17.	डी टी ए	572	21.7
18.	2-140 एमबी/एस ऑप्टिमस	770	30.7
19.	डी डी एफ	2,100	10
20.	मल्टी पाथ स्टिमुलेटर	25	1.25
21.	सी-डॉट 256 पी रैक्स		85
22.	जी पी एस रिसीवर	1	0.12
23.	एस बी एम एक्सचेंज		290
24.	पीआईजेएफ यू/ जी केबल	288 एल सी के एम	1978.5
25.	40 एम नैरो बस टावर		28
26.	एसटीएम-1 एसवाईएस मल्टीप्लेक्सर	2118	114.5
27.	34/140 एमबी/एस मक्स उपस्कर	276	143
28.	6 एफ एनियल ऑप्टिकल फाइबर केबल	2292 के एम एस	10
29.	एस टी एम-16	280	196
30.	6 एफ ओ एफ सी	1,042 के एम एस	30
31.	2-140 ऑप्टिमक्स	1.925	74
32.	ओटीडीआर एंड ओ एफ परीक्षण उपस्करण	167	74
33.	एसटीएम-4 टीएमएल एडीएम रीजेनेरेटर	604	160
	कुल		3,986.17

विवरण-II

क्र. सं.	मद	1999-2000	
		वह मात्रा, जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गई	धनराशि (करोड़ रु० में)
1	2	3	4
1.	स्थानीय डिजिटल एक्सचेंज (एनटी)	13.0 लाख लाइनें	723.900
2.	सी-डॉट मैक्सल + एक्स एल एक्सचेंज	11.38 लाख लाइनें	398.500
3.	पी आई जे एफ केबल	366.5 एलसीकेएम	2740.300
4.	एच डी एस एल उपस्कर	1941 सं०	23.725
5.	डी एल सी उपस्कर	325 एस वाई एस 65 साईटें	97.310
6.	एन आई बी के लिए उपस्कर	ए नोड-14 बी नोड-31	86.000
7.	एनआईबी के विस्तार के लिए उपस्कर	ए नोड-14 बी नोड-36	93.400
8.	800 में०ह० आवृत्ति बैंड (शहरी) में डब्ल्यू एल एल	56 लाख लाइनें	140.000
9.	1880 में०ह० आवृत्ति बैंड में डब्ल्यू एल एल (कौरडेक्ट)	25 लाख लाइनें	37.000
10.	इंटरनेट बेतार स्थानीय लूप	1500 लाइनें	2.250
11.	आई पी उपस्कर (वी ओ ओई पी)	—	—
12.	मैनेज्ड लीज्ड लाइन प्रणाली	—	—
13.	ए डी एस एल	—	—
14	सी-डॉट एसबीएम एक्सचेंज	12.017 लाख लाइनें	340.00
15	800 में०ह० आवृत्ति बैंड में ग्रामीण नेटवर्क के लिए डब्ल्यू एल एल (मैक्रो सेल)	20 हजार लाइनें 40 एस वाई एस	80.000
16.	उपग्रह आधारित वी पी टी (इन्मरसाट) मिनी-एम (एल ए एम एम)	1000 सं०	17.000

1	2	3	4
17.	सी-डॉट पी एम पी (टीडीएमए)	300 सं० 76.8 हजार लाइनें	20.00
18.	डिजिटल टैक्स	320 के सी	150.000
19.	2-34 एमबी/एस ऑप्टिमक्स	4704 टी एम एस एल	34.780
20.	2-140 एमबी/एस ऑप्टिमक्स	1925 टी एम एल एस	74.000
	योग		5238.165
21.	एस टी एम-1 मक्स तथा रीजेनरेटर	टीएमएल 218 एडीएम 592 आर ई जी 312	144.500
22.	एस टी एम 4 मक्स तथा रीजेनरेटर	टीएमएल 604 एडीएम 677 आरईजी 858 एन एम 68	160.000
23.	एस टी एम-16 मक्स तथा रीजेनरेटर	एडीएम 280 आरईजी 700 एन एम 28	196.000
24.	12 एफ ओ एफ केबल	53,000 के एम एस	284.00
25.	24 एफ ओ एफ केबल	9,000 के एम एस	72.330
26.	6 एफ आरमर्ड ओ एफ केबल	5,000 के एम एस	30.000
27.	2 जे०ह 2 एमबीएस डिजिटल एम/डब्ल्यू उपस्कर	1,050 टी एम एल	51.000
28.	2 जे०ह 8 एमबीएस डिजिटल एम/डब्ल्यू उपस्कर	420 टी एम एल	
29.	6 जे०ह डिजिटल एम/डब्ल्यू उपस्कर (एम डी एच)		
30.	ओ एफ सी परीक्षण उपकरण-1	ओटीडीआर 334 सोर्स 358 पी मीटर 220	30.000
31.	ओ एफ सी स्प्लाइसिंग मशीन	208 सं०	12.980
32.	ओ एफ सी परीक्षण उपकरण		
33.	एसटीएम 1/4/16 के लिए एस डी एच अनालाइसर	350 सं०	45.000
34.	सिंक्रोनाइजेशन सप्लाई यूनिट (एसएसयू)	50 सं०	6.000
35.	6 जे०ह एम/डब्ल्यू ऐंटीना	716 सं०	22.000
36.	6/7/11/13 जे०ह वेवगाइड	116.88 के एम	9.700
	योग		1063.510
37.	7/11/13 जे०ह डिजिटल एम/डब्ल्यू		
38.	10 जी बी/एस डी डब्ल्यू डी एम		
39.	डिजिटल क्रॉस-कनेक्ट		
40.	एम-सीपीसी वीएसएटी तथा हब उपस्कर	हब-2 टीएमएल 120	23.080
41.	आई डी आर उपस्कर	137 स्ट्रीम 38 एसटीएन	13.240
41.	400 वाट एच पी ए	23 सं०	4.090
42.	100 वाट एस एस पी ए	26 सीट्स	6.270
43.	50 डिग्री के एल०एन०ए	46 सं०	1.100
44.	उपग्रह ऐंटीना 7 एम, 11 एम	24 सं० 1 सं०	10.600
45.	2 एम बी/एस इंको कैंसलेर	257 सं०	3.5000
46.	डी सी एम ई	45 सं०	24.020
47.	40 हजार लाइनों के लिए प्रभारण मॉनिटर केन्द्र	1 सं०	0.800
48.	फोटोकॉपीइंग मशीन के लिए ए एम सी	—	0.120
49.	एकीकृत उपग्रह नेटवर्क मॉनीटरिंग प्रणाली	—	—
50.	एच डी पी ई पाइप 40 एम एम/30 एम एम	—	—
51.	स्पलाइसिंग मशीन	—	—
	योग		85.820
	सकल योग		6368.4

विवरण-III

वर्ष 1999-2000 के दौरान दूरसंचार फैक्टरियों की क्षमता का उपयोग

क्र. सं	मद	उत्पादन 1998-99	लक्ष्य 1999-2000	उत्पादन 1999-2000	प्रतिशत क्षमता उपयोग	उत्पादन के कम होने के कारण
1.	ब्रैकेट०सी एच०आई आर 4 वाट	1283000	1200000	1322746	110	
2.	बट्टेनस्की टेलीफोन	4500	10000	14327	143	
3.	सी बी टी-95	6383	15000	12089	81	उत्पादन अर्हता परीक्षण में विलंब के कारण
4.	सी०डी कैबिनेट	17204	17000	20006	118	
5.	सी०टी० बक्सें 100 पेयर	137020	150000	161014	107	
6.	डी०पी० बॉक्सें	389472	450000	577674	128	
7.	लाइन जैक यूनिट	2046285	2200000	2625812	119	
8.	एम डी एफ एस	3674	5325	5195	98	
9.	मॉडम	550	1500	3096	206	
10.	माइक्रोवेव टॉवर (एमटी में)	6968	7600	10442	137	
11.	मास्ट एस एस 15 एम (संख्या)	9872	1500	5212	347	
12.	सैडल ए और बी	37275	800000	485000	61	
13.	सॉकेट बी	37500	30000	27500	92	अक्सर बिजली चले जाने के कारण उत्पादन घट गया था
14.	सोल प्लेट बी और सी	85	125000	60000	48	
15.	स्टाल्क्स	682000	600000	547650	91	
16.	सपोर्ट ब्रैकेट	1071000	1800000	1326350	74	क्षेत्र की आवश्यकता में कमी के कारण सुधारात्मक कार्रवाई की गई
17.	सॉटों की ट्यूब	679427	785000	1030120	131	
18.	यू-बैक	1168000	900000	1100322	122	
19.	मास्ट एस एस 40 एम (प. बंगाल) (सं)	160	150	81	54	क्षेत्र की आवश्यकता में कमी के कारण सुधारात्मक कार्रवाई की गई।

दूरसंचार फैक्टरियों का वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रु० में)

दूरसंचार फैक्टरी	लक्ष्य 1998-99	उपलब्धि 1998-99	लक्ष्य 1999-2000	उपलब्धि 1999-2000
1	2	3	4	5
मुंबई	55.00	50.20	80.00	37.02
कलकत्ता तथा गोपालपुर	70.00	72.90	80.00	81.18
खड़गपुर	5.00	2.71	5.00	4.09
जबलपुर	65.00	73.87	70.00	70.99
रिच्वाई	35.00	24.64	31.50	30.04
भिलाई	12.00	12.79	12.00	13.32
कुल	242.00	237.11	278.50	271.62

दूरसंचार फैक्टरियों का उत्पादन निष्पादन
(1998-99, 1999-2000)

क्र. सं.	मद	लक्ष्य 1998-99	उपलब्धि 1998-99	लक्ष्य 1999-2000	उपलब्धि 1999-2000
1.	ब्रेकेट चैनल आयरन 4 वाट	1300000	1283000	1200000	1322746
2.	बंटस्की टेलीफोन	10000	4500	10000	14327
3.	सी बी टी-95	12000	6383	15000	12089
4.	सी डी केबिनैट्स	16500	17204	17000	20006
5.	सी टी बक्सें 100 पेयर	150000	137020	150000	161014
6.	डी पी बक्सें	500000	389472	450000	577674
7.	लाइन जैक यूनिट	2400000	2046285	2200000	2625812
8.	एम डी एफ एस	3500	3674	5325	5195
9.	मोडैम्स	1500	550	1500	3096
10.	माइक्रोवेव टॉवर्स (एमटी में)	8000	6968	7600	10442
	मास्ट्स एस.एस. 15 एम (सं.)	12000	9872	1500	5212
12.	मैडल ए व बी	1000000	37275	800000	485000
13.	मॉकेट बी	40000	37500	30000	27500
14.	सोल प्लेट (बी व सी)	200000	85	125000	60000
15.	स्टाल्क्स	800000	682000	600000	547650
16.	सपोर्ट ब्रेकेट	1500000	1071000	1800000	1326850
17.	सोर्टस ट्यूब	732000	679427	785000	1030120
18.	यू-बैक	1750000	1168000	900000	1100322
19.	मास्ट एस.एस. 40 एम (पं. बंगाल) (नं.)	12000	9872	150	81

[अनुवाद]

कर्नाटक में विमान उड़ाने संबंधी प्रशिक्षण स्कूल/क्लबों को सहायता

1197. श्री कोलूर बसवनगौड़ : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्नाटक में गवर्नमेंट फ्लाईंग ट्रेनिंग स्कूल, बंगलौर और विमान उड़ाने संबंधी अन्य निजी प्रशिक्षण क्लबों को वित्तीय सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 के दौरान कर्नाटक में गवर्नमेंट फ्लाईंग ट्रेनिंग स्कूल, बंगलौर और विमान उड़ाने संबंधी अन्य निजी प्रशिक्षण क्लबों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार (नागर विमानन महानिदेशालय) की आर्थिक सहायता (सहायता) योजना के अधीन, प्रशिक्षु विमानचालकों को मासिक आधार पर सहायतार्थ उड़ान लागत की प्रतिपूर्ति हेतु सहायता सीमित है। गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, बंगलौर ने 1999-2000 के दौरान आर्थिक सहायता के लिए कोई दावा पेश नहीं किया है। कर्नाटक में किसी भी निजी उड़ान क्लब को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

विमान सुरक्षा हेतु प्रशिक्षण अकादमी

1198. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विमान सुरक्षा हेतु एक अलग प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी अकादमी की स्थापना से विभाग का खर्चा इसके बजट से भी ज्यादा हो जाएगा;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी संस्था की स्थापना से प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों की गुणवत्ता बढ़ेगी जैसा कि अभी अर्द्ध सैनिक बलों द्वारा संचालित प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण और औचित्य क्या हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

तेंदु पत्तों की निधियों में हेराफेरी

1199. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जून, 2000 को ''पंजाब केसरी'' में ''तेंदु पत्ता शाख कतरन के नाम पर प्रतिवर्ष लाखों का चूना'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वन विभाग और तेंदु पत्ता समिति ने राज्य में तेंदु पत्ता वृक्षों की छंटाई के नाम प्रतिवर्ष सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में तथ्यों की सही जानकारी के लिए राज्य में कोई जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 21 जून, 2000 के पंजाब केसरी में यह समाचार छपा था।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारों द्वारा तेंदु पत्तों का संग्रहण और पर्यवेक्षण किया जाता है। वन संरक्षक, शिवपुरी के माध्यम से जांच पड़ताल की जा रही है जो अभी पूरी नहीं हुई है।

विमान चालकों के लिए संस्थान

1200. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री जे.एस. बराड़ :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपने विमानों हेतु सक्षम और कशल विमान चालकों को प्रशिक्षण देने के लिए कोई संस्थान चला रही है

(ख) यदि हां, तो ये संस्थान कहां-कहां स्थित हैं और इन संस्थानों की स्थापना कब हुई थी;

(ग) क्या इन संस्थानों में वर्ष वार पंजीकृत किए जाने वाले विमान चालकों की संख्या के संबंध में कोई सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन संस्थानों को चलाने के लिए प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की गई ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी हां। इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1985 में नागर विमानन मत्रालय के अधीन स्थापित केवल एक संस्थान है अर्थात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्नुआ)। यह संस्थान फुरसतगंज, जिला–रायबरेली, उत्तर प्रदेश में स्थित है।

(ग) और (घ) इग्नुआ में प्रतिवर्ष अधिक से अधिक 2 वाणिज्यिक विमानचालक पाठ्यक्रमों का सचालन किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक में 20 से अधिक प्रशिक्षु विमानचालक नहीं होते हैं।

(ङ) अकादमी एक स्वायत्त निकाय संस्थान है। सरकार ने वर्ष 1999 2000 के दौरान योजना और गैर योजना व्यय दोनों के लिए 8.70 करोड़ रुपए दिए हैं।

सेल्युलर टेलीफोन कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई

1201. **श्री उत्तमराव ढिकले :**
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सेल्युलर टेलीफोन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने बहुत पहले लाइसेंस लेने के बावजूद अभी तक अपना काम आरंभ नहीं किया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार इन आपरेटरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) मौजूदा सेल्यूलर टेलीफोन सेवा लाइसेंस धारक कंपनियों में से केवल एक कम्पनी नामत: मै. हैक्साकॉम इंडिया लिमिटेड ने उत्तर पूर्वी दूरसंचार सर्किल में अपनी सेल्यूलर सेवा अभी तक आरम्भ नहीं की है। मै. हैक्साकॉम ने सूचित किया है कि वे उत्तर-पूर्व में कड़ी कानून व्यवस्था होने के कारण अपनी प्रचालन सेवा अभी तक आरम्भ नहीं कर पाए हैं। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, सेवा आरंभ करने के लिए, जैसा कि लाइसेंस धारक कंपनी ने अपेक्षा की है, अतिरिक्त समय की अनुमति देने का निर्णय लिया गया था।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति

1202. **श्री निखिल कुमार चौधरी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनसंख्या नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पंचायत राज संस्थाओं का सहयोग लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो देश में इस प्रस्ताव को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) सरकार द्वारा फरवरी, 2000 में अनुमोदित की गई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में विकेन्द्रीकृत योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन का उल्लेख है जिसमें पंचायती राज संस्थाएं मुख्य भागीदार हैं।

(ख) सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में पंचायती राज सस्थाओं के जरिए ग्रामीण स्तरों पर एक जगह पर सेवा प्रदानगी शुरू करने का उल्लेख है जो ग्राम पंचायतों से शुरू होगा। यह उल्लेख है कि ग्राम पंचायत महिला सदस्यों की अध्यक्षता में प्रतिनिधि समिति बनाई जाएगी। ये समितियां प्रजनक स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी नहीं की गई क्षेत्र विशिष्ट जरूरतों का पता लगाएंगी और वे ग्रामीण स्तरों पर आवश्यकता आधारित माग पैदा करने वाली सामाजिक जनांकिकीय योजनाएं तैयार करेंगी। ये योजनाए जन केन्द्रित और एकीकृत बुनियादी प्रजनक और बाल स्वास्थ्य परिचर्या का पता लगाएगी।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में आगे यह उल्लेख है कि स्वावलम्बी समूह सेवाओं को घरेलू तक पहुंचाने को बढ़ावा देगे। ग्रामीण स्तरों पर इन स्वावलम्बी समूहों के जरिए और सेवाओं को एक जगह उपलब्ध करवाकर एक एकस्थलीय एकीकृत सेवा प्रदानगी शुरू करने का विचार है।

ग्राम पंचायत और उससे ऊपर की पंचायती राज संस्थाओ को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का और प्रत्यायोजन करके सुदृढ़ करने की आवश्यकता होगी।

मध्य प्रदेश में वन बंजर भूमि

1203. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितनी वन भूमि बंजर है;

(ख) क्या सरकार की इस बंजर भूमि पर पौधरोपण हेतु कोई व्यापक योजना है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने में लोगों को शामिल करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) स्टेट फारेस्ट रिपोर्ट, 1997 के अनुसार मध्य प्रदेश में 3,32,000 है० बंजर भूमि है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

[अनुवाद]

कर्नाटक में अस्पताल, औषधालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

1204. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौडा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में चल रहे केन्द्र सरकार के अस्पतालों, सी.जी.एच.एस. औषधालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का स्थान वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार किसी भी स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों में ऐसे और अधिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन अस्पतालों में उच्च विशेषज्ञता, सी०टी० स्कैन इत्यादि जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और

(ङ) यदि नहीं, तो राज्य में स्थित केन्द्र सरकार के अस्पतालों में इन सुविधाओं को कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) कर्नाटक में कोई भी केन्द्रीय सरकारी अस्पताल नहीं है तथापि कर्नाटक में दो स्वायत संस्थान नामत: राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर और अखिल भारतीय वाक और श्रवण संस्थान, मैसूर स्थित हैं। कर्नाटक में स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची क्रमश: विवरण-I और विवरण II पर दी गई है।

(ख) और (ग) भारत के संविधान के अंतर्गत स्वास्थ्य राज्य विषय है और यह संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है कि वे अपने पास उपलब्ध संसाधनों के अनुसार लोगों की आवश्यकता के अनुसार उनको चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करें।

(घ) और (ङ) इन दोनों संस्थानों में उपयुक्त चिकित्सा उपस्कर/सुविधाएं/विशेषज्ञताएं उपलब्ध हैं।

विवरण-I

बंगलौर, कर्नाटक में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों की सूची:

औषधालय संख्या 18 एण्ड 19/1 इनफेन्टरी रोड, शिवाजी नगर, बंगलौर।

2. औषधालय संख्या 2, मेलीसेवरम कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड मंडोगा रोड, बंगलौर।

3. औषधालय स० 3, 5-क, आराध्या काम्पलेक्स वेनिविलास रोड, भृसवानागुडी बंगलौर

4. औषधालय संख्या 4, 27 (प्रथम तल), कार स्ट्रीट, अल्सूर, बंगलौर।

5. औषधालय संख्या 5, एन, 5/2, इन्नल इनृज, पहला मेन रोड, IV ब्लाक, राजाजी नगर, बंगलौर।

6. औषधालय संख्या 6, संख्या 21/2, 15 क्रास, IV ब्लाक वेस्ट, जया नगर, बंगलौर।

7. औषधालय संख्या 9, 256 पहला क्रास, गंगा नगर बंगलौर।

8. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पोलीक्लीनिक, संख्या 119/1 2, इन्फेन्टरी रोड, शिवाजी नगर, बंगलौर।

9. औषधालय संख्या 7, सी.एच.एस.डी., क्वार्टस, कोरमंगलम, बंगलौर।

10. औषधालय संख्या 8, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कालोनी डोमलूज, बंगलौर।

11. औषधालय संख्या 10, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन टाउनशिप, सी०वी० रमन नगर, बंगलौर।

औषधालय संख्या 1 के साथ एक आयुर्वेद यूनिट, एक होम्योपैथी यूनिट और एक यूनानी यूनिट संलग्न है।

विवरण-II

कर्नाटक के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची

क्र सं	जिले का नाम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	बंगलौर ग्रामीण	31
2	बंगलौर शहरी	[illegible]
3.	चित्रादुर्गा	[illegible]

1	2	3
4.	कोलार	82
5.	शिमोगा	79
6.	टुमकुर	97
7.	बेलगांव	135
8.	बियापुर	111
9.	धारवाड़	107
10.	उत्तर कन्नड़ा	61
11.	बेल्लारी	67
12.	बिदर	41
13.	गुलबर्गा	105
14.	रायचूर	90
15.	चिकमंगलूर	51
16.	दक्षिण कन्नड़ा	127
17.	हसन	81
18.	कोडागू	29
19.	मांडया	71
20.	मैसूर	149
	कुल	1676

ग्रामीण = 1591, शहरी = 85

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पी एच सी) की कुल संख्या 1676

[हिन्दी]

चीतों का संरक्षण

1205. **श्रीमती रेनु कुमारी :** क्या **पर्यावरण एवं वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में चीता की नस्ल लुप्त होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसकी खाल का प्रयोग औषधि निर्माण में करने के लिए चोरी छिपे इसका शिकार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय चीते की प्रजाति को लुप्त होने से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) सूचना है कि जंगली चीते भारत से लुप्त हो गए हैं। इनके लुप्त होने का मुख्य कारण इनके वास स्थलों का विनाश तथा शिकार बताया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भू-स्वामियों को नौकरी और मुआवजा

1206. **श्री रामशेठ ठाकुर :** क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास (जे एन पी टी) अभी भी देश का लाभकारी पत्तन है,

(ख) यदि हां, तो इस पत्तन के निजीकरण के क्या कारण हैं,

(ग) क्या उक्त पत्तन के वर्तमान कर्मचारियों को निजीकरण के बाद भी सब लाभ मिलते रहेंगे,

(घ) क्या पत्तन ने उन भू-स्वामियों को मुआवजा और नौकरियां दी हैं जिनकी भूमि का पत्तन बनाने के लिए सरकार ने अधिग्रहण किया है,

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(च) उक्त पत्तन हेतु भूमि अधिग्रहण के समय उक्त पत्तन न्यास द्वारा दिए गए वचन के अनुसार उक्त भू-स्वामियों को कब तक मुआवजा दे दिया जाएगा, और

(छ) क्या निजीकरण के बाद पत्तन प्राधिकरण द्वारा पत्तन न्यास के वचन को पूरा किया जाएगा?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास प्रचालन अधिशेष अर्जित नहीं करता है। तथापि, इस पत्तन पर भारी ऋण देयता है।

(ख) जी नहीं। इस पत्तन के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) पत्तन के विकास के लिए जिन व्यक्तियों से भूमि अधिग्रहण किया गया है, उन्हें मुआवजे की पूर्ण अदायगी कर दी गई है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में लगभग 2200 परिवार प्रभावित हुए। इसके मुकाबले में पत्तन ने लगभग 2500 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

मुम्बई-दमन-सूरत-दीव मार्ग पर विमान सेवाएं

1207. **श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मुम्बई-दमन-सूरत-दीव हवाई मार्ग पर उड़ान सेवा न होने के कारण यात्रा करने वाली जनता को हो रही परेशानी से अवगत है; और

(ख) यदि हां, तो इस मार्ग पर उड़ान कब तक शुरू किए जाने की उम्मीद है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) इस समय, कोई भी एयरलाइन मुम्बई-दमन-सूरत-दीव मार्ग पर प्रचालन नहीं कर रही है। तथापि, जेट एयरवेज मुम्बई-दीव सैक्टर पर एक दैनिक सेवा का प्रचालन कर रही है। एयरलाइनें, मार्ग वितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुपालन के आधार पर, जिनमें मार्गों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों में न्यूनतम प्रचालनों की व्यवस्था है, यातायात मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं।

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विमानों को पट्टे पर देना

1208. **श्री के० येरननायडू** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स का विचार अपने चार-चार विमानों को पट्टे पर देने हेतु निविदाएं आमंत्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो पट्टे पर दिए गए विमानों को तैनात करने हेतु विस्तृत योजनाएं क्या हैं; और

(ग) इन प्रस्तावित योजनाओं को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स दोनों, विमानों को ड्राइलीज पर लेने की योजना बना रहे हैं।

(ख) ये विमान कुल प्रचालन विमान-बेड़े का एक भाग होंगे तथा इन्हें एयरलाइनों के मार्ग नेटवर्क पर लगाया जाएगा।

(ग) एअर इंडिया लिमिटेड तथा इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड के निदेशक-मंडल के सम्मुख सिफारिशों को रखे जाने से पूर्व विभिन्न पार्टियों से प्राप्त कोटेशनों की जांच तथा मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी।

[हिन्दी]

बौद्ध तीर्थ स्थलों का वायु मार्ग से जोड़ा जाना

1209. **श्री रामशक्ल** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु बौद्ध तीर्थ स्थलों को वायु मार्ग से जोड़ने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में सारनाथ, कुशीनगर तथा लुम्बिनी को वायु मार्ग से जोड़ने की कोई योजना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) इस समय, इंडियन एयरलाइन्स पटना, वाराणसी और लखनऊ को नियमित अनुसूचित उड़ानें प्रचालित कर रहे हैं जो बौद्ध तीर्थयात्रा के स्थानों के लिए गेटवे है। तथापि, एयरलाइनें, मार्ग वितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुपालन के आधार पर, जिनमें मार्गों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों में न्यूनतम प्रचालनों की व्यवस्था है, यातायात मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे

1210. **श्री त्रिचोलन कानूनगो** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कितने हवाई अड्डे अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के रूप में कार्य कर रहे हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कब से इस रूप में कार्य कर रहे हैं;

(ख) हाल ही में किन-किन हवाई अड्डों के अन्तरराष्ट्रीय हवाई-अड्डों के रूप में उन्नयन करने की घोषणा की गई है;

(ग) यह हवाई अड्डे अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के रूप में कब से कार्य करना आरम्भ कर देंगे; और

(घ) अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की घोषणा किस आधार पर की जाती है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) दिल्ली, मुम्बई, चेन्ने तथा कलकत्ता के विमानपत्तन काफी समय से अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में कार्य कर रहे हैं। 1 अप्रैल, 1991 से त्रिवेन्द्रम के विमानपत्तन को अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित कर दिया गया था।

(ख) अहमादाबाद, अमृतसर, बंगलौर, हैदराबाद, गोवा, गुवाहाटी तथा नेदुम्बसेरी में नये कोचीन विमानपत्तन को हाल ही में अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया गया है।

(ग) बंगलौर, अमृतसर, अहमदाबाद, हैदराबाद, गोवा तथा नये कोचीन विमानपत्तन से अन्तरराष्ट्रीय उड़ानों का प्रचालन पहले ही किया जा रहा है। किसी भी एयरलाइन ने अभी तक गुवाहाटी विमानपत्तन से अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन आरंभ नहीं किए हैं।

(घ) अधिकांश एयरलाइनें अन्तरराष्ट्रीय प्रचालनों के लिए मध्यम क्षमता वाले लम्बी रेंज तथा छोटी क्षमता वाले लम्बी रेंज के विमानों का प्रयोग करती हैं। ये विमान 9000 फूट की लम्बाई वाले धावनपथ पर उतर सकते हैं। उन विमानपत्तनों को अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया जाता है जहां पर एससीएलआर तथा एमसीएलआर विमान के लिए सुविधाएं हैं।

[हिन्दी]

दूरभाष केन्द्रों का विस्तार

1211. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** :
श्री राजो सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान और बिहार में अलग-अलग जिला-वार कितने दूरभाष केन्द्रों का विस्तार किया गया और उनकी क्षमता क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान देश में विशेषत: राजस्थान और बिहार में मौजूदा दूरभाष केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितना धन आबंटित किया गया?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

वर्ष 2000-2001 के दौरान देश में मौजूदा एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए आबंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है। वर्ष 2001-2002 के लिए योजना को अभी अंन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण-I

राजस्थान सर्किल :-

क्र. सं०	जिले का नाम	विस्तारित एक्सचेंजों की सं० 1997-98	जोड़ी गई क्षमता 1997-98	विस्तारित एक्सचेंजों की सं० 98-99	जोड़ी गई क्षमता 1998-99	विस्तारित एक्सचेंजों की सं० 99-2000	जोड़ी गई क्षमता 1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	35	8276	42	17028	55	8956
2.	अलवर	53	8548	55	12204	55	14304
3.	बांसवाड़ा	16	2952	18	3224	18	4052
4.	बारान	10	1904	10	1392	14	1600
5.	बारमेड़	26	3256	30	3956	34	3620
6.	भरतपुर	23	3260	24	5488	19	2240
7.	भीलवाड़ा	32	3292	36	12708	25	5024
8.	बीकानेर	28	6472	30	6192	40	10536
9.	बूंदी	16	1364	18	1604	14	4552
10.	चित्तौड़गढ़	28	2000	28	8566	30	2712
11.	चुरू	25	2644	27	9688	35	8920
12.	डौसा	23	3500	24	552	22	4420
13.	धोलपुर	6	1024	7	804	5	688
14.	डुंगरपुर	12	1624	15	3032	11	2408
15.	हनुमानगढ़	20	4692	23	5132	27	7572
16.	जयपुर	63	18131	65	38641	71	29452
17.	जैसलमेर	9	1144	8	1044	12	1728
18.	जालौर	23	2076	24	4468	25	6368
19.	झालावार	10	608	13	4292	10	488

2	3	4	5	6	7	8
जोधपुर	36	7241	38	10048	37	11428
झुनझुन	41	9232	42	8460	43	23204
करौली	0	4080	12	3164	13	2984
कोटा	20	5604	20	12360	29	13552
नागौर	45	2872	48	9684	34	8764
पाली	60	6232	68	10168	75	9536
राजसामंद	29	1320	26	6100	23	3916
स्वाई माधोपुर	16	2080	17	8176	18	396
सीकर	50	9732	40	4088	32	9442
सिरोही	26	2416	24	5604	28	3400
श्रीगगांनगर	50	13580	46	8348	47	15908
टोंक	20	1156	22	4148	18	4844
उदयपुर	41	856	43	10068	18	12176
कुल	892	143168	943	240431	937	239190

विवरण-II

ार **सर्किल :-**

सं. जिले का नाम	विस्तारित एक्सचेंजों की सं०			जोड़ी गई क्षमता		
	1997-98	98-99	99-00	1997-98	98-99	99-00
2	3	4	5	6	7	8
भोजपुर	6	11	8	400	3160	2384
बक्सर	4	8	4	384	1024	504
भागलपुर	21	22	19	3480	2768	4464
बंका	6	8	9	776	664	1248
शरण	7	9	11	1924	2192	3640
गोपालगंज	3	2	6	436	304	1968
सिवान	5	3	11	756	2992	1888
पालमू	7	5	10	912	2928	1232
गढ़वा	3	4	6	168	920	1472
दरभंगा	10	11	13	1320	3496	5008
मधुबनी	11	5	19	1356	1386	6042

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	समस्तीपुर	10	6	13	1064	2800	1176
13.	धनबाद	5	9	8	1084	8592	6664
14.	बोकारो	2	3	5	500	3496	3816
15.	पकूर	2	2	3	280	888	480
16.	साहिबगंज	2	3	6	160	680	576
17.	गोड्डा	4	2	5	1360	128	1152
18.	दुमका	6	4	1	1480	1328	64
19.	देवघर	3	5	3	632	1064	816
20.	गया	5	6	4	3152	3712	2992
21.	औरंगाबाद	4	3	2	464	536	3000
22.	जहानाबाद	3	4	2	856	440	3104
23.	नवादा	8	6	3	852	488	2712
24.	वैशाली	9	11	6	1000	2304	2400
25.	हजारीबाग	11	12	8	1496	3120	4688
26.	गिरिदोह	3	5	5	356	1032	1608
27.	कोदरमा	2	5	7	304	848	1164
28.	छतरा	1	3	2	64	360	400
29.	वेस्ट सिंघभूम	5	6	11	1672	2256	3736
30.	ईस्ट सिंघभूम	8	5	13	17640	2912	5636
31.	कटिहार	6	4	8	1124	1376	2304
32.	किशनगंज	5	3	3	392	496	256
33.	अरारिया	4	4	8	488	496	2308
34.	पुर्निया	6	5	9	4092	1356	3748
35.	खगरिया	2	5	7	280	1112	2776
36.	बेगुसराय	2	4	6	280	1632	3520
37.	वेस्ट चम्पारन	5	6	7	1072	1752	2912
38.	ईस्ट चम्पारन	6	7	8	1428	1144	2956
39.	मुंगेर	2	5	6	484	3096	4052
40.	लखीसराय	2	3	6	488	364	2916
41.	शेखपुरा		3	4	768	1024	448

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	जमुई	4	5	5	1280	1080	1328
43.	मुजफ्फरपुर	7	8	6	3428	2568	848
44.	सीतामाढ़ी	8	3	7	1452	680	1112
45.	शेहर	2	2	3	304	192	656
46.	पटना	9	14	19	4032	15984	10896
47.	नालन्दा	4	6	18	960	736	3168
48.	रांची	13	14	17	4824	12208	7400
49.	गुमला	4	4	5	456	648	1248
50.	लुहारदंगा	2	5	3	128	544	992
51.	सहरसा	3	9	10	628	2888	1500
52.	माधेपुरा	3	8	5	464	1824	4856
53.	सुपौल	4	3	6	992	416	1384
54.	रोहतास	6	6	6	2624	1024	5976
55.	भभुआ	8	3	5	728	352	1864

विवरण-III

2000-2001 के दौरान देश में मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि

क्र. सं.	सर्किल का नाम	2000-2001 के दौरान क्षमता में प्रस्तावित वृद्धि
1	2	3
1.	अंडमान/निकोबार	10400
2.	आंध्र प्रदेश	829200
3.	असम	64200
4.	बिहार	343800
5.	गुजरात	474100
6.	हरियाणा	215700
7.	हिमाचल प्रदेश	93400
8.	जम्मू-कश्मीर	48500
9.	कर्नाटक	584300
10.	केरल	378200
11.	मध्य प्रदेश	186100
12.	महाराष्ट्र	781700
13.	पूर्वोत्तर	52600
14.	उड़ीसा	115400
15.	पंजाब	353700
16.	राजस्थान	295800
17.	तमिलनाडु	665301
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	288800
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	257299
20.	पश्चिम बंगाल	323700
21.	कलकत्ता	200100
22.	चेन्नई	137700
23.	दिल्ली	235000
24.	मुम्बई	300000
	कुल	7235000

विवरण-IV

2000-2001 के दौरान मौजूदा एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए आबंटित निधियों का ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

बजट प्राक्कलन प्रावधान 2000-2001 का विवरण

क्र.सं.	सर्किल का नाम	2000-2001 बीबी-2
1.	अंडमान निकोबार	14.61
2.	आंध्र प्रदेश	1254.62
3.	असम	124.88
4.	बिहार	543.72
5.	गुजरात	730.04
	हरियाणा	316.68
	हिमाचल प्रदेश	140.39
8.	जम्मू कश्मीर	104.13
9.	कर्नाटक	902.03
10.	केरल	906.85
11.	मध्य प्रदेश	337.97
12.	महाराष्ट्र	1274.57
13.	पूर्वोत्तर	128.87
14.	उड़ीसा	205.75
15.	पंजाब	600.08
16.	राजस्थान	489.09
17.	तमिलनाडु	1444.40
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	677.75
19.	उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	404.83
20.	पश्चिम बंगाल	895.40
21.	अन्य यूनिटें	0.00
	कुल	11496.66

स्थानीय कॉल की अवधि

1212. **श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्थानीय कॉल की अवधि को 3 मिनट से 5 मिनट तक बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-17 के लिए कालीकट उप-मार्ग का निर्माण

1213. **श्री के० मुरलीधरन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग-17 के लिए कालीकट उप-मार्ग के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है,

(ख) क्या कालीकट उप-मार्ग परियोजना जो दो दशक पहले शुरू की गई थी, के निर्माण कार्य में विलंब हुआ है, और

(ग) यदि हां, तो कालीकट उप-मार्ग को कब पूरा कर दिये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) कालीकट बाइपास का निर्माण चार चरणों में करने का प्रस्ताव है। अरापूजा पुल को छोड़कर जिसके मार्च, 2001 तक पूरे हो जाने की उम्मीद है चरण। पूरा हो गया है। धनराशि की कमी के कारण चरण II, III और IV का निर्माण कार्य निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) स्कीम के अंतर्गत करने का प्रस्ताव है। इसके लिए तकनीकी-साध्यता अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) चूंकि यह कार्य तकनीकी साध्यता स्तर पर है, इसके पूरा होने की तारीख बता पाना अभी संभव नहीं है।

पोलियो के मामले

1214. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या स्वास्थ्य और** परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में पोलियो के अनेक मामलों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार पोलियो के इलाज और इसका पता लगाने हेतु राज्यों को कुल कितनी धनराशि जारी की गई;

(घ) क्या देश में अभियान के माध्यम से पांच वर्षों से कम उम्र के बच्चों को अतिरिक्त खुराक दी जाएगी अथवा दी जा चुकी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) पोलियो की पहचान किए गए मामलों की राज्यवार एवं संघ राज्य क्षेत्रवार सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) केन्द्र सरकार विशिष्ट रूप से पोलियो की पहचान एवं उपचार के लिए निधियां प्रदान नहीं करती। पोलियो के मामलों की देशभर में पहचान के लिए राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना का गठन दाताओं की निधियों से किया गया है। यह परियोजना विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संचालित की जा रही है। मामलों की पहचान तथा परियोजना प्रतिष्ठान, जिसमें देश भर में 120 निगरानी चिकित्सा अधिकारी सम्मिलित हैं, के रखरखाव पर व्यय का वहन सीधे इस परियोजना के अन्तर्गत किया जा रहा है। पोलियो के मामलों का उपचार संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा संचालित स्वास्थ्य सुविधाओं में किया जाता है।

(घ) और (ङ) जी, हां। नैमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त तीव्रीकृत पल्स पोलियो कार्यक्रम 2000-2001 के दौरान जारी रहेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अपेक्षाकृत रोगों के उच्च बोझ वाले राज्यों पर जोर देते हुए, राष्ट्रव्यापी दौरों तथा उप-राष्ट्रीय दौरों दोनों सहित पल्स पोलियो प्रतिरक्षण के अनेक दौर होंगे। कार्यनीति के ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1998, 1999 एवं 2000 (8/7/2000) तक) के दौरान पुष्टि किए गए पोलियो के राज्यवार मामले

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पुष्टि किए गए मामले		
		98	99	00
1	2	3	4	5
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	96	21	0
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
4.	असम	1	0	0
5.	बिहार	158	123	31
6.	चण्डीगढ़	1	2	0
7.	दादरा और नगर हवेली	1	0	0
8.	दमन और दीव	5	0	0
9.	दिल्ली	47	73	0
10.	गोवा	2	0	0
11.	गुजरात	162	9	1
12.	हरियाणा	39	19	1
13.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
14.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0
15.	कर्नाटक	71	21	1
16.	केरल	0	0	0
17.	लक्षद्वीप	0	0	0
18.	मध्य प्रदेश	107	17	2
19.	महाराष्ट्र	121	18	3
20.	मणिपुर	0	0	0
21.	मेघालय	0	0	0
22.	मिजोरम	0	0	0
23.	नागालैण्ड	0	0	0
24.	उड़ीसा	49	0	0
25.	पांडिचेरी	2	0	0
26.	पंजाब	9	4	0
27.	राजस्थान	62	18	0
28.	सिक्किम	0	0	0
29.	तमिलनाडु	91	7	0
30.	त्रिपुरा	0	0	0
31.	उत्तर प्रदेश	881	773	42
32.	पश्चिम बंगाल	26	21	3
	कुल	1931	1126	84

वन्यजीव संरक्षण

1215. श्री रामचन्द्र पासवान :
श्री राम नायडू दग्गुबाटि :
श्री चन्द्र कांत खैरे :

क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वन्य जीव संरक्षण के संबंध में किसी नई नीति पर विचार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार वन्य जीव संरक्षण हेतु गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य/संघ राज्यों को आबंटित धनराशि उसी प्रयोजनार्थ खर्च की जा रही है के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) देश में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण I, II, और III में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जिन क्षेत्रों के लिए धनराशि जारी की गई है उनकी नियमित जाँच एवं क्षेत्र निरीक्षण भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा की जाती है जिनमें क्षेत्रीय उप-निदेशक (वन्य-जीव परिरक्षण) भी शामिल हैं।, इसके अतिरिक्त और धनराशि जारी करने से पहले राज्य सरकारों को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जोर डाला जाता है।

विवरण-I

''राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास'' योजना के अंतर्गत जारी निधियां (लाख रु० में)

क्र.सं.	राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	43.39	50.72	87.54
2.	अरूणाचल प्रदेश	27.953	57.91	50.983
3.	असम	54.62	58.05	53.44
4.	बिहार	6.00	शून्य	27.85
5.	गोवा	शून्य	11.07	21.305
6.	गुजरात	17.005	13.80	22.105
7.	हरियाणा	14.57	37.20	21.55
8.	हिमाचल प्रदेश	61.50	49.80	47.46
9.	जम्मू और कश्मीर	124.70	7.00	5.55
10.	कर्नाटक	78.17	84.12	100.319
11.	केरल	49.29	49.35	59.975
12.	मध्य प्रदेश	195.67	35.93	152.203
13.	महाराष्ट्र	48.845	27.783	123.43
14.	मणिपुर	13.50	19.64	13.28
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	13.48	8.45	12.30
17.	नगालैण्ड	15.29	9.00	9.70
18.	उड़ीसा	34.22	68.73	94.74
19.	पंजाब	14.03	8.65	11.57
20.	राजस्थान	82.34	89.52	66.54
21.	सिक्किम	12.51	11.00	12.00
22.	तमिलनाडु	61.284	74.63	61.18
23.	त्रिपुरा	29.81	शून्य	19.97
24.	उत्तर प्रदेश	112.11	89.57	117.81
25.	पश्चिम बंगाल	69.69	72.96	55.20
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	20.56	शून्य	22.00
27.	चंडीगढ़	12.00	शून्य	28.00
	कुल	1212.533	934.883	1298.00

विवरण-II

''बाघ परियोजना'' योजना के अंतर्गत जारी निधियां (लाख रु० में)

क्र.सं.	राज्य	97-98	98-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	10.70	18.01	18.495
2.	अरूणाचल प्रदेश	20.00	47.68	305.90
3.	असम	45.08	35	87.29
4.	बिहार	36.75	153.99	165.952
5.	कर्नाटक	25.00	69.34	167.079
6.	केरल	34.95	39.19	43.665
7.	मध्य प्रदेश	137.778	225.125	332.160
8.	महाराष्ट्र	60.53	110.74	134.765
9.	मिजोरम	12.45	9.65	21.43

1	2	3	4	5
10.	उड़ीसा	49.30	67.65	84.45
11.	राजस्थान	149.885	472.265	222.595
12.	तमिलनाडु	45.60	32.50	58.78
13.	उत्तर प्रदेश	125.012	199.75	234.23
14.	पश्चिम बंगाल	58.95	179.985	137.14
	कुल	807.985	1660.875	1749.162

विवरण-III

"हाथी परियोजना" योजना के अंतर्गत जारी निधियां
(लाख रु० में)

क्र.सं.	राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
1	आन्ध्र प्रदेश	18.90	30.21	11.86
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	10.08	19.303
3.	असम	—	29.60	25.15
4.	बिहार	—	40.00	26.00
5.	कर्नाटक	51.79	40.00	85.00
6.	केरल	76.87	143.40	63.55
7.	मेघालय	12.31	—	20.68
8.	नागालैण्ड	—	11.00	40.00
9.	उड़ीसा	48.40	—	25.00
10.	तमिलनाडु	30.60	69.28	48.21
11.	उत्तर प्रदेश	111.95	95.00	155.806
12.	पश्चिम बंगाल	84.72	78.44	76.011
	कुल	435.54	547.01	596.57

बच्चों में अन्धापन

1216. **श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों में अन्धापन बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या 5 से 10 वर्ष की आयु समूह वाले बच्चों की दृष्टि चली जाती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) बच्चों में दृष्टिहीनता की व्याप्तता का पता लगाने के लिए कोई राष्ट्रव्यापी अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) बच्चों में दृष्टिहीनता को रोकने/नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं;

1. प्रारम्भिक बाल्यावस्था में विटामिन ए - की खुराक देना।
2. विद्यालय जाने वाले बच्चों में अपवर्तक विकारों की पहचान तथा उन्हें ठीक करना।
3. कॉर्नियल दृष्टिहीनता के उपचार के लिए दान किए गए कार्निया के संग्रह के लिए नेत्र बैंकों को समर्थन देना।
4. चोटों की रोकथाम सहित सामान्य नेत्र की देखरेख पर सार्वजनिक जागरूकता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सुविधाएं

1217. **श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

उत्तर प्रदेश में उन जिलों का ब्यौरा क्या है जहां केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है।

जिले का नाम	औषधालयों की संख्या
इलाहाबाद	9
लखनऊ	9
कानपुर	12
मेरठ	8

[अनुवाद]

नालको हेतु विस्तार योजना

1218. **श्री प्रभात सामन्तराय : क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) के विस्तार हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नालको के विस्तार में किए जाने वाले अतिरिक्त निवेश का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम, और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क), से (ग) [illegible] ने दिसम्बर, 1996 में 16[illegible]

करोड़ रुपए (जून, 1996 का मूल्य स्तर) का निवेश करते हुए नालको की बॉक्साइट खानों की क्षमता 2.4 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 4.8 मिलियन टन प्रति वर्ष करने और उड़ीसा में दामनजोड़ी स्थित नालको की एल्यूमिना शोधनशाला की क्षमता को 0.8 मिलियन टन से बढ़ाकर 1.575 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने की विस्तार योजना को अनुमोदित किया है। सरकार द्वारा अनुमोदन देने की तारीख से 51 महीनों के अन्दर इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना है। सरकार ने फरवरी, 1998 में 2062 करोड़ रुपए (जून, 1997 का मूल्य स्तर) का निवेश करते हुए उड़ीसा में, नालको के अंगुल स्थित एल्यूमिनियम प्रगालक की क्षमता को 230,000 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकार 345000 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने तथा नालको के ग्रहीत विद्युत संयंत्र की क्षमता को 720 मेगावाट से बढ़ाकर 840 मेगावाट करने संबंधी नालको की विस्तार योजना को भी अनुमोदित कर दिया है। सरकार द्वारा अनुमोदन देने की तारीख से 51 महीने के अन्दर इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना है।

सी०जी०एच०एस० लाभार्थियों को सीपीएपी मशीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था

1219. **डा० एस० वेणुगोपाल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय उन सीजीएचएस लाभार्थियों को सीपीएपी मशीन का मूल्य अदा करने से इनकार कर रहा है जो स्लीप अपनीया सिंड्रोम नींद की गड़बड़ी से पीड़ित हैं जबकि विशेषज्ञ चिकित्सकों ने इस बीमारी के संबंध में स्पष्ट सलाह दे रखी है कि यदि इसका तुरन्त सही इलाज न किया गया तो यह जानलेवा हो सकती है,

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग के पास ऐसे कितने अनुरोध लंबित पड़े हैं/अस्वीकृत किए गए हैं और ये कितने समय से लम्बित पड़े हैं और किस वर्ष अस्वीकृत किए गए,

(ग) क्या श्रम मंत्रालय द्वारा लागू कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत सीपीएपी मशीन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है,

(घ) यदि हां, तो सीजीएचएस लाभार्थियों को यह सुविधा नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं,

(ङ) क्या सरकार का विचार उन सीजीएचएस लाभार्थियों को उक्त मशीन उपलब्ध कराने का है जो इस बीमारी से पीड़ित हैं या इस जानलेवा बीमारी के शिकार रोगियों को उनके भाग्य पर छोड़ दिया जाना चाहिए?

(च) यदि हां, तो सीजीएचएस लाभार्थियों को उक्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/प्रस्तावित है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जहां तक नीति का संबंध है, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को सी०पी०ए०पी० मशीन मंजूर नहीं की जाती है क्योंकि यह एक अस्पताल उपकरण है और इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञों की समिति ने इसे घरेलू उपयोग के लिए संस्तुत नहीं किया था।

(ख) सात मामले अर्थात 1996 में तीन, 1997 में एक, 1998 में एक और 2000 में दो मामले लम्बित हैं। एक मामले को 2000 में नामंजूर कर दिया गया है।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सी०पी०ए०पी० मशीन सुविधा की व्यवस्था नहीं की जाती है तथापि, सामान्य नीति के रूप में उपचार करने वाले विशेषज्ञों द्वारा संस्तुत सहायक उपकरणों को रोगियों को उपलब्ध कराया जाता है।

(घ) 1997 में विशेषज्ञों की समिति ने विचार व्यक्त किया था कि सी०पी०ए०पी०/बी०आई०पी०ए०पी० यूनिटों का उपयोग घर पर किया जाना जटिल है और सामान्यत: इसे चिकित्सीय पर्यवेक्षण में ही उपयोग किया जाता है, अत: इसे घर पर उपयोग के लिए संस्तुत नहीं किया जाता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

पी०जी०आई०, चंडीगढ़ के भंडार में गबन

1220. **श्री रामजी मांझी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी०जी०आई०, चंडीगढ़ के भंडार में बहीखातों में गड़बड़ी के फलस्वरूप वर्ष 1997 के दौरान भंडार में 3.55 लाख रुपयों के गबन का पता चला है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सिफारिशों पर संस्थान के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की गई है। एक दोषी अधिकारी के विरुद्ध न्यायालय में कानूनी कार्रवाई करने की स्वीकृति भी केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को दे दी गई है।

इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे एक्सचेंज

1221. **डा० एन० वेंकटस्वामी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश संचार निगम लि० को कितने इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे एक्सचेंज खोलने की अनुमति मिली है; और

(ख) ये एक्सचेंज कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे और प्रत्येक एक्सचेंज की क्षमता कितनी होगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) विदेश संचार निगम लि० दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, पुणे तथा बैंगलौर शहरों में अपने गेटवे के माध्यम से इन्टरनेट सेवाएं ऑपरेट कर रहा है। इस समय कुल क्षमता 12,00,000 उपभोक्ताओं

की है, जिसे आवश्यकता होने पर बढ़ाया जा सकता है। ब्यौरा निम्नानुसार है:

एक्सचेंज	उपभोक्ता संस्थापित क्षमता
मुंबई	5,00,000
नई दिल्ली	2,00,000
पुणे	1,00,000
चेन्नई	2,00,000
कलकत्ता	1,00,000
बैंगलौर	1,00,000
कुल	12,00,000

"बिग कैट्स" का संरक्षण

1222. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि :**
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विभिन्न आरक्षित वनों और अभ्यारण्यों में बाघ, शेर और चीतों जैसे "बिग कैट्स" के बारे में कोई गणना की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनकी संख्या में कोई कमी पायी गयी है;

(घ) यदि हां, तो इनकी संख्या कहां तक कम हुई है और प्रत्येक प्रजाति की संख्या क्या है, और

(ङ) वन्य जीवों विशेषकर "बिग कैट्स" को प्रभावी रूप से सुरक्षित रखने और इनकी वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) बाघों और चीतों के संबंध में आखिरी बार गणना 1997 में तथा शेरों के मामले में 1995 में की गई थी।

(ख) वर्ष 1995 की गणना के अनुसार शेरों की संख्या 304 है। अलग-अलग राज्यों में बाघों एवं चीतों की संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वन्यजीवों, विशेषकर, बाघों के प्रभावी संरक्षण और इनकी वृद्धि करने के लिए किए गए उपाय विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्यों का नाम	तेंदुए		बाघ	
		1993	1997	1993	1997
1.	तमिलनाडु	138	110	97	62
2.	महाराष्ट्र	417	431	276	257
3.	पश्चिम बंगाल	108	एन.आर.	335	361
4.	कर्नाटक	455	एन.आर.	305	350
5.	बिहार	203	एन.आर.	137	103
6.	असम	246	एन.आर.	325	458
7.	राजस्थान	475	474	64	58
8.	मध्य प्रदेश	1700	1851	912	927
9.	उत्तर प्रदेश	71	1412	465	475
10.	आंध्र प्रदेश	152	138	197	171
11.	मिजोरम	49	28	28	12
12.	गुजरात	772	832	5	1
13.	गोवा दमन व द्वीव	31	25	3	6
14.	उड़ीसा	378	412	226	194
	कुल			3375	3435
15.	केरल	16	एन.आर.	57	एन.आर.
16.	मेघालय	एन.आर.	एन.आर.	53	एन.आर.
17.	त्रिपुरा	18	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
18.	नागालैंड	—	एन.आर.	83	एन.आर.
19.	अरूणाचल प्रदेश	98	एन.आर.	180	एन.आर.
20.	सिक्किम	—	एन.आर.	2	एन.आर.
21.	हरियाणा	25	एन.आर.	—	—
22.	हिमाचल प्रदेश	821	एन.आर.	—	—
23.	दादर व नगर हवेली	15	15	—	—
	कुल	6828	5738	375	

एन.आर.-राज्यों द्वारा सूचित नहीं किया गया।

विवरण-II

भारत सरकार द्वारा बाघों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम

राष्ट्रीय स्तर :

1. सीमा शुल्क, राजस्व आसूचना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, तट रक्षक, राज्य पुलिस, उप निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण तथा वैज्ञानिक संगठन जैसे कि भारतीय प्राणि एवं वनस्पति सर्वेक्षण जैसी प्रवर्तन एजेंसियों के साथ वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार तथा अवैध व्यापार के नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय समन्वय समिति की स्थापना।

2. वन्यजीव उत्पादों के व्यापार एवं तस्करी को रोकने में उपर्युक्त विभागों को सुग्राही बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

3. वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के प्रयासों में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सचिव (पर्यावरण एवं वन), विशेष सचिव (गृह), निदेशक, सी०बी०आई० तथा अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के प्रतिनिधि क साथ एक विशेष समन्वय समिति बनाई गई है।

4. सशस्त्र दस्तों, वाहनों, संचार नेटवर्क तथा उद्यान प्रबंधों के बीच समन्वय सहित सुरक्षा अव-संरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

5. चोरी-छिपे शिकार का पता लगाने तथा उसकी सूचना देने के लिए उत्कृष्ट कार्य एवं बहादुरी के कार्य के लिए पुरस्कार देने की स्कीमें शुरू की गई हैं।

6. राज्य सरकारों को सतर्कता बढ़ाने तथा गश्त तेज करने की सलाह दी गई है।

7. वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों में सरकार की सहायता के लिए गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य को शामिल करने के लिए जन-जागरूकता कार्यक्रता चलाना।

8. बाघ के अंगों तथा उत्पादों के व्यापार मार्गों का पता लगाने में संस्थाओं तथा गैर-सरकारी संगठनों के कार्यक्रमों की सहायता करना तथा बाघ के अंगों तथा उत्पादों के लिए एक न्यायिक अभिनिर्धारण संदर्भ मैनुअल तैयार करना।

9. राज्य सरकारों को क्षेत्रों पर जैविक दबाव कम करने हेतु उनके पारि-विकास के लिए निधियां प्रदान की जा रही है।

10. बाघ परियोजना क्षेत्रों में स्थान विशिष्ट विशेष बल।

11. व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए पूरे देश में विशेष स्ट्राइक बल।

वन्यजीव व्यापार नियंत्रण ब्यूरो का सृजन।

अन्तरराष्ट्रीय स्तर :

1. बाघों के संरक्षण से संबंधित अन्तरराष्ट्रीय मामलों के समाधान के लिए बाघ रेंज देशों का एक मंच अर्थात विश्व बाघ मंच के सृजन के लिए कार्रवाई।

2. ट्रान्स बाउन्डरी व्यापार को नियंत्रित करना तथा बाघ संरक्षण में परस्पर सहयोग करना :-

   (i) चीन के साथ एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

   (ii) महामहिम की नेपाल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

   (iii) बंगलादेश के साथ बातचीत शुरू की गई है।

3. बाघ के अंगों और उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए साइटस के कई संकल्पों को भारत की पहल पर अपनाया गया है।

4. सहस्त्राब्दि बाघ कांफ्रेंस मार्च 1999 में आयोजित की गई थी कांफ्रेंस घोषणा में राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यों के सुझाव की घोषणा की गई।

जे०एन०पी० का "सैटेलाइट पोर्ट" के रूप में विकास

1223. **श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पहले "सैटेलाइट पोर्ट", जवाहर लाल नेहरू पत्तन में कंटेनरों को लाने ले जाने के लिए अधिक गहरी नौवहन सुविधाएं उपलब्ध कराकर उसे मुख्य पत्तन (हब पोर्ट) बनाने की कोई योजना है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, अनुमानित लागत कितनी है और यह किस स्थान पर स्थित है,

(ग) इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है,

(घ) क्या इस परियोजना में निजी क्षेत्र की सहभागिता पर भी विचार किया गया है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) जी हां। जवाहर लाल नेहरू पत्तन के नौचालन चैनल और हार्बर को गहरा करने के लिए कार्यान्वित की जाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने की योजना बनाई गई। इस परियोजना की लागत का मौटे तौर पर 600 करोड़ रु० का अनुमान लगाया गया है। परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने की स्वीकृति का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है।

(घ) और (ङ) चैनल और हार्थर को गहरा करने की परियोजना निजी क्षेत्र की सहभागिता का कोई इरादा नहीं है। तथापि, क्षमता वृद्धि करने में निजी क्षेत्र की सहभागिता की अपेक्षा की गई है। बर्थों का एक नया कंटेनर टर्मिनल निर्माण प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) के आधार पर तैयार हो चुका है और पूरी तरह प्रचालित है।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार

1224. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार की कोई योजना है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि निश्चित की गयी है,

(ग) क्या सरकार ने उक्त राज्य में सड़कों की स्थिति का अध्ययन करने हेतु किसी दल का गठन किया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) पश्चिम बंगाल में किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

यूनानी मेडिकल कालेज, कलकत्ता को सम्बद्ध करना

1225. **श्रीमती रीना चौधरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनानी मेडिकल कालेज, कलकत्ता को किसी विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध किया गया है,

(ख) यदि हां, तो उक्त विश्वविद्यालय का नाम क्या है और उसे किस वर्ष उसके साथ सम्बद्ध किया गया,

(ग) क्या सेन्ट्रल कांउसिल आफ इंडियन मेडिसिन द्वारा उसे मान्यता प्राप्त है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) यूनानी मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता, कलकत्ता विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 1998-99 से संबद्ध है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद ने कॉलेज को कामिल-ए-तिब-ओ-जारहट (बीयूएमएस) कोर्स संचालित करने की अनुमति दी है।

हज तीर्थयात्रियों को उपहार

1226. **श्री जी०एस० बसवराज** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान एअर इंडिया को लाभहानि रहित आधार पर हज-तीर्थयात्रियों को लाने ले जाने का कार्य सौंपा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या अनाधिकृत तौर पर सभी तीर्थयात्रियों को उपहार (छाते और थैले) देने के कारण एअर इंडिया को 70 करोड़ रुपए का घाटा हुआ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने अनधिकृत उपहारों के मामले की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं। हज चार्टर उड़ानों से यात्रा कर रहे हज तीर्थ यात्रियों को छाते तथा थैले देना एक नियमित प्रक्रिया है और इस पर होने वाले खर्च का वहन अब सरकार द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

संयुक्त वन प्रबंधन

1227. **श्री विजय हान्दिक** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1990 में संशोधित संयुक्त वन प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देशों को सभी राज्यों में क्रियान्वित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या चालू दशक के दौरान अतिरिक्त वन क्षेत्र की उपलब्धि और घटती वन सम्पदा के कारणों के संदर्भ में वन संरक्षण कार्यक्रम में जनता की भागीदारी का आकलन किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय वननीति, 1998 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार ने संयुक्त वन प्रबंधन के अन्तर्गत अवक्रमित वन भूमियों की बहाली एवं सुरक्षा के लिए ग्रामीण समुदायों को शामिल करके 1 जुलाई, 1990 को राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब तक 22 राज्यों ने संयुक्त वन प्रबंधन की संकल्पना को स्वीकार किया है। इस संबंध में सरकारी संकल्प जारी किए गए हैं। 21 फरवरी, 2000 पुनरीक्षण के पश्चात सरकार ने राज्य सरकारों को संयुक्त वन प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जैसाकि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है। अभी तक 10249 मिलियन हैक्टेयर वन क्षेत्र से वन प्रबंधन के अन्तर्गत प्रबंधित किया जा रहा है और 36130 संयुक्त वन प्रबंधन समितियां 22 राज्यों में गठित की गई हैं यद्यपि मौजूदा दशक में कोई मूल्यांकन इस दौरान प्राप्त किए गए अतिरिक्त वन आवरण के क्षेत्र के संदर्भ में नहीं किया गया है परन्तु इस दिशा में ऐसे संकेत मिले हैं। वन संपदा के कम होने के

मुख्य कारण हैं--बढ़ता हुआ जैवीय दबाव, झूम खेती और बढ़े हुए बाजार मूल्यों के कारण इमारती लकड़ी की तस्करी होना आदि। फिर भी सरकार ने इस प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए कदम उठाए हैं जिनमें वनों की सुरक्षा में समुदायों की भागीदारी, राज्य वन संरक्षण मशीनरी का सुदृढ़ीकरण आदि शामिल हैं।

नान्देड़ हवाई अड्डा

1228. **श्री शिवाजी माने** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कई वर्षों से नान्देड़ से कोई उड़ान नहीं भरी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस हवाई अड्डे से उड़ान कब से शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण हेतु उपलब्ध कराई गई अथवा कराई जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, हां। एयरलाइनें, मार्ग वितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुपालन के आधार पर, जिनमें मार्गों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों में न्यूनतम प्रचालनों की व्यवस्था है, यातायात मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(घ) नान्देड़ का विमानपत्तन महाराष्ट्र राज्य सरकार का है।

स्वयंसेवी युवा संगठनों को सहायता

1229. **श्री सी०पी० राधाकृष्णन** : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान स्वयंसेवी युवा संगठनों के लिए कितनी योजनाएं शुरू की गई; और

(ख) इन संगठनों को राज्य-वार कुल कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान, देश में इस प्रकार की कोई भी योजना शुरू नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दोहरी लेन वाली सड़क का उन्नयन

1230. **श्री समर चौधरी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार त्रिपुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 सहित सभी एक लेन वाली सड़कों का उन्नयन करने का है, और

(ख) उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित करने और पूरा होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिम्मेदार है और अन्य सभी सड़कों की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। त्रिपुरा में रा०रा०-44 सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का चरणबद्ध रूप में दो लेन मानकों में उन्नयन करने का प्रस्ताव है।

(ख) कोई निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है क्योंकि यह निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करती है।

औषधीय पादपों हेतु अतिरिक्त भूमि

1231. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार** : क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औषधीय गुणों वाले पादपों की खेती अतिरिक्त हैक्टेयर भूमि में कराने का है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में औषधीय गुणों वाले पादपों में वृद्धि लाने का प्रस्ताव है;

(ग) उक्त उद्देश्य हेतु केन्द्र सरकार द्वारा नौवीं योजना के दौरान क्या सहायता दिए जाने का विचार है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, हां। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 2000-01 में औषधीय पौधों की रोपाई को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र (थ्रस्ट एरिया) के रूप में पहचान की गई है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए परियोजनाओं के "औषधीय पौधों सहित गैर-इमारती लकड़ी वनोत्पाद का संरक्षण एवं विकास" (एन टी एफ पी) नामक वर्तमान स्कीम के तहत एक प्रायोगिक आधार पर स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

(ख) यह स्कीम देश के सभी राज्यों में क्रियान्वित की जानी है।

(ग) और (घ) नवीं योजना के शेष दो वर्षों के लिए वर्तमान एनटीएफपी स्कीम के तहत 10 करोड़ रु० अस्थायी तौर पर निर्धारित किए गए हैं। इस उद्देश्य से राज्यवार आबंटन नहीं किया गया है। अब तक 2525 है० भूमि के सुधार के लिए 419.16 लाख रुपए के परिव्यय से सात राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा सिक्किम की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। अब तक 140.14 लाख रुपए की धनराशि भी जारी की जा चुकी है।

कोल्लम बाइपास का निर्माण

1232. **श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल्लम बाईपास के द्वितीय चरण के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कोल्लम बाईपास पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(घ) कोल्लम बाईपास के द्वितीय चरण के निर्माण के लिए कुल कितनी धनराशि का अनुमान किया गया है; और

(ङ) इस निर्माण कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। आर ओ बी (रेल उपरि पुल) को छोड़कर कोल्लाम बाइपास के चरण-II का निर्माण पूरा हो गया है। आर ओ बी शीघ्र पूरा करने के लिए रेलवे के साथ कार्रवाई की जा रही है।

(ग) चरण-II पर मार्च, 2000 तक 5 करोड़ 82 लाख रु० व्यय किए गए हैं।

(घ) छह करोड़ तेरह लाख रु०।

(ङ) यह विलंब आर ओ बी का निर्माण पूरा होने में देरी के कारण हुआ।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन लाइनें

1233. **श्री साहिब सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4000 शहरी बस्तियों और 5.75 लाख ग्रामीण बस्तियों में से प्रथम श्रेणी की बस्तियों में 25-30 प्रतिशत जनसंख्या और बाकी जनसंख्या दूसरी श्रेणी की बस्तियों में रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण और शहरी बस्तियों में प्रति परिवार टेलीफोन कनेक्शन की औसत क्या है;

(घ) कितनी बस्तियों में टेलीफोन सुविधा नहीं है; और

(ङ) तीन और पांच वर्षों के भीतर ग्रामीण और शहरी बस्तियों में टेलीफोन लाइनें उपलब्ध कराने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) भारत की 1991 की जनगणना पुस्तक के अनुसार शहरी जिलों/कस्बों की संख्या 3768 है और देश में 6 लाख गांव हैं। 1991 की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 25.72% है।

(ग) शहरी और ग्रामीण स्थानों में प्रतिपरिवार टेलीफोन कनेक्शनों की औसत संख्या क्रमशः 0.472 और 0.0397 है।

(घ) सभी शहरी जिलों/कस्बों को टेलीफोन सुविधा प्राप्त है और 6 लाख गांवों में से 3.76 लाख गांवों के पास टेलीफोन सुविधा है।

(ङ) यह अनुमान है कि 2000-2003 के दौरान शहरी क्षेत्रों में मोबाइल फोन सहित लगभग 200 लाख अतिरिक्त टेलीफोन कनेक्शन शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जाएंगे और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 58 लाख टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे और यह अनुमान है कि 2000-2005 के दौरान मोबाइल टेलीफोन सहित लगभग 363 लाख अतिरिक्त टेलीफोन कनेक्शनस शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जाएंगे और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 130 लाख टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे।

[अनुवाद]

केरल में कुरिआर कुट्टी-करप्पारा परियोजना

1234. **श्री टी० गोविन्दन** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से केरल में प्रस्तावित कुरिआरकुट्अी-करप्पारा बहुउद्देशीय परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति देने के मामले पर पुनर्विचार करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी हां। केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने जुलाई 1999 में एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिस पर विचार नहीं किया गया था क्योंकि 76.369 हैक्टेयर वन भूमि को अन्य कार्यों हेतु प्रयोग का यह प्रस्ताव मंत्रालय द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत पहले ही 24.5.2000 को नामंजूर कर दिया गया था।

सौर ऊर्जा प्रणाली के अंतर्गत टेलीफोन

1235. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सौर ऊर्जा प्रणाली पर आधारित टेलीफोन सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर मराठवाड़ा क्षेत्र में उक्त प्रणाली की जगह स्थानीय बेतार लूप प्रणाली को लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा वर्ष 2001 तक महाराष्ट्र के प्रत्येक गांव में टेलीफोन लाइनें प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में संचार सेवा केन्द्रों/संचार ढाबों को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों हेतु लगायी गयी सोलर टावर्स (एमएआरआर) प्रणालियों का कार्य निष्पादन बहुत अधिक संतोषजनक नहीं हैं।

(ख) देश में सोलर टावर (एम ए आर आर) वी पी टी की स्थिति निम्नानुसार है :-

(i) चालू किये गये एम ए आर आर की कुल संख्या —211504

(ii) 30.6.2000 की स्थिति के अनुसार दोषयुक्त एम ए आर आर की कुल संख्या —43933

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार मरम्मत न किये जाने योग्य एम ए आर आर वी पी टी के स्थान पर डब्ल्यू एल एल प्रौद्योगिकी स्थापित करने के उपाय कर रही है।

मराठवाड़ा क्षेत्र को 10 अदद बी एस सी तथा 80 अदद बी एस (40,000 लाइनें) आबंटित की गई हैं। सभी गौण स्विचन क्षेत्रों तथा कम दूरी के प्रभारण क्षेत्रों में क्रमिक रूप से डब्ल्यू एल एल प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 50% एम ए आर आर वी पी टी प्रतिस्थापित कर दिये जाएंगे और शेष को आगामी वर्ष में प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में 1000 पंचायत संचार सेवा केन्द्र (पी एस एस के) खोले जाने का प्रस्ताव है। ऐसे ही 1000 केन्द्र वर्ष 2001-2002 के दौरान खोले जाने हेतु प्रस्तावित हैं। चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में ऐसे 85 केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य हैं।

[हिन्दी]

बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

1236. श्री राजो सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की दशा में सुधार हेतु धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000-2001 के लिए कितनी धनराशि की मांग की गई और इस प्रयोजनार्थ राज्य को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम/बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के अंतर्गत राज्य सरकारें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करती हैं और उनका रख-रखाव करती हैं। योजना आयोग इन कार्यकलापों के लिए राज्य सरकारों को आबंटन करता है। योजना आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए योजना परिव्यय के रूप में 832 करोड़ रुपए का आबंटन नियत किया है जिसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम/बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए आबंटन शामिल है।

राजस्थान में मूल्य वर्धित सेवाएं

1237. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में मूल्य वर्धित सेवाओं को लागू करने की दिशा में कितनी प्रगति हुई हैं;

(ख) राज्य में ये सेवाएं कहां कहां लागू की गयी है;

(ग) राज्य के शेष भागों में ये सुविधाएं कब तक प्रदान दिये जाने की संभावना है;

(घ) सरकार किस प्रकार मूल्य वर्धित सेवाओं के क्षेत्र में कर रही गैर-सरकारी कंपनियों पर नियंत्रण रखेगी;

(ङ) राजस्थान में ओप्टिकल फाइबर केबल्स (ओ.एफ.सी बिछाने में कितनी प्रगति हुई है और इस पर कितना खर्च हुआ और

(च) इस कार्य को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभाव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) भारत पंजीकृत कंपनियों को राजस्थान में निम्नलिखित मूल्यवर्धित दूरसंचार सेवा के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है :-

1. सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा
2. रेडियो पेजिंग सर्विस सेवा
3. सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सेवा
4. इन्टरनेट सेवा

उपर्युक्त के अलावा, अखिल भारतीय आधार पर (राजस्थान सहित) वीसेट (बेरी स्माल अपरचर सेटेलाइट टर्मिनल) क्लोज्ड यूजर ग्रुप को डाटा सर्विस और ई-मेल (इलैक्ट्रॉनिक मेल) सेवा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय पंजीकृत कंपनियों को लाइसेंस प्रदान किया गया है।

(ख) राजस्थान के उन स्थानों जहां लाइसेंस धारक कंपनियों द्वारा विभिन्न मूल्यवर्धित दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं का विवरण संलग्न है।

(ग) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के मामले में, प्राइवेट सेल्यूलर आपरेटरों को प्रदान किए गए लाइसेंस समझौते के अनुसार, जिला मुख्यालयों के कम से कम 10% को प्रथम वर्ष में शामिल किया जाएगा और जिला मुख्यालयों के 50% को लाइसेंस की प्रभावी तारीख से तीन वर्षों के भीतर शामिल किया जाएगा। लाइसेंसधारकों को जिला मुख्यालय के बदले में एक जिले में किसी अन्य शहर को शामिल करने की अनुमति भी दी गई हैं। शामिल किए जाने वाले जिला मुख्यालयों/कस्बों का चयन तथा जिला मुख्यालयों कस्बे के 50% से अधिक का और विस्तार लाइसेंस धारक कम्पनियों के पास है, जो उनके व्यवसायिक निर्णय पर आधारित है।

रेडियो पेजिंग सेवा के मामले में, सर्किल ऑपरेटरों को मूल सेवा क्षेत्र 1.6.2000 तक शामिल करना था। इस शर्त को पूरा करने पर जुर्माना लगा दिया गया है।

पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सर्विस के मामले में जयपुर में यह सेवा शुरू की गई है, केवल एक प्राइवेट ऑपरेटर लाइसेंस प्राप्त है।

इन्टरनेट सेवा के मामले में, शामिल करना लाइसेंसधारी के व्यवसायिक निर्णय पर छोड़ा जाता है।

(घ) विभिन्न मूल्य वर्धित दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंस प्राप्त कंपनियों को उनके साथ हस्ताक्षरित लाइसेंस की

की शर्तों के अनुसार सेवा उपलब्ध करानी होती है। किसी भी उल्लंघन पर लाइसेंस करार में दी गई शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) और (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्र. स.	सर्विस का नाम	शहरों में भारतीय पंजीकृत कंपनियों द्वारा सेवा उपलब्ध है
1.	सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस	जयपुर, जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, उदयपुर, कोटा, बीवर, मकराना, भीलवाड़ा, श्री गंगानगर, रामगंजमंडी।
2.	रेडियो पेजिंग सर्विस	जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, श्रीगंगानगर।
3.	पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकड सर्विस	जयपुर
4.	इन्टरनेट सर्विस	जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर.

[अनुवाद]

थैलसीमिया रोग

1238. **श्री जयप्रकाश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों में विशेषकर पश्चिम बंगाल थैलसीमिया जैसे घातक रोग के फैलने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे शुरू में ही रोकने लिए विवाह से पूर्व उक्त रोग संबंधी परीक्षण को अनिवार्य बनाने है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त रोग के निवारण हेतु क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा 3 केन्द्रों अर्थात: दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता में किए गए अध्ययन के अनुसार विभिन्न स्कूलों में जांचे गए 12047 बच्चों में बेटा-थैलसीमिया ट्रेट की व्याप्तता मुम्बई में 2.7 प्रतिशत दिल्ली में 5.5 प्रतिशत और कलकत्ता में 3.2 प्रतिशत पाई गई। अत: यह बात दावे से नहीं कही जा सकती कि थैलसीमिया फैल रहा है।

(ख) से (ङ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। तथापि, 1.3.2000 से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने थैलसीमिया सिन्ड्रोमों का सामुदायिक नियंत्रण-जागरूकता, आनुवंशिकी परामर्श और निवारण नामक एक अनुसंधान परियोजना शुरू की है।

इस परियोजना का उद्देश्य शिक्षा, जांच, परामर्श देना और थैलसीमिया बच्चों वाले दम्पत्तियों का पता लगाना है ताकि ऐसे बच्चों के जन्म रोके जा सकें और देश में थैलसीमिया प्रमुख के नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय रेफरल केन्द्र का विकास किया जा सके। कालेज छात्रों और गर्भवती महिलाओं पर अध्ययन किया जा रहा है। यह परियोजना छह राज्यों में शुरू की गई है जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब और कर्नाटक शामिल हैं। जांच केन्द्रों में रोग प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान संस्थान, मुम्बई (भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद), बड़ौदा मेडिकल कालेज, वडोदरा, आर.एम.आर.सी., दिबरूगढ़ (आई.सी.एम.आर.), कलकत्ता मेडिकल कालेज/एन.आर.एस. मेडिकल कालेज, कलकत्ता, क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, लुधियाना सेंट जॉन मेडिकल कालेज रोटरी रक्त बैंक, बंगलौर शामिल हैं। इन केन्द्रों की उत्तरदायिता में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :

1. इन क्षेत्रों में बी-थैलसीमिया ट्रेट का पता लगाना और व्याप्तता दर का अनुमान लगाने के लिए संबंधित राज्यों में उच्च जोखिम वाले समुदायों की जांच।

2. बेटा थैलसीमिया ट्रेट के लिए गर्भावस्था के शुरू में की जाने वाली गर्भवती महिलाओं की जांच। यदि गर्भवती महिला बेटा-थैलसीमिया ट्रेट सहित हेटेरोजिगस है तो पति की भी इस ट्रेट के लिए जांच की जायेगी। यदि पति-पत्नी दोनों पाजिटिव हैं तब प्रसवपूर्व जांच की जायेगी और तदनुसार परामर्श दिया जायेगा। यदि पति-पत्नी दोनों बेटा थैलसीमिया ट्रेट के वाहक हैं तो दम्पति को आनुवंशिक परामर्श और प्रसवपूर्व रोग निदान की उपलब्धता बताई जायेगी। इसके अतिरिक्त ये केन्द्र उच्च जोखिम वाले समुदायों में आम जनता को आनुवंशिक परामर्श भी प्रदान कर सकते हैं जो प्रजनन आयु वर्ग के न भी हों, लेकिन जानकारी के प्रसार, युवाओं को विवाह-पूर्व और विवाह के पश्चात् परामर्श देने तथा जोखिम वाले दम्पतियों को प्रसव-पूर्व और प्रसवोत्तर परामर्श देने के कार्य में सहायता कर सकते हैं। ये केन्द्र रक्ताधान कार्यक्रम की देखभाल भी करेंगे जिसमें सुरक्षित रक्त की उपलब्धता और रोगियों को इन्फ्यूजन पम्प अथवा चिकित्सा के लिए चेलेटिंग कारकों का उपयोग करना सिखाना शामिल है।

आंध्र प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

1239. **श्री ए० नरेन्द्र : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आन्ध्र प्रदेश में कार्य कर रहे टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलेवार श्रेणी और क्षमता क्या है;

(ख) इनमें से जिले-वार कितनों में एस०टी०डी० सुविधा है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस हेतु कितनी धनराशि व्यय की गई;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश के सभी डिवीजन मुख्यालयों में एसटीडी सुविधा वाले इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने एक्सचेंज स्थापित किए गए;

(च) कितने स्थानों पर अभी उक्त सुविधा नहीं है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) राज्य के बाकी एक्सचेंजों में उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) आंध्र प्रदेश में सभी टेलीफोन एक्सचेंज इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं। एक्सचेंजों की क्षमता का जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में एसटीडी सुविधा उपलब्ध है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों के विकास पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(हजार रुपयों में)

वर्ष	नकद	भण्डार	कुल
1997-98	4626306	251026	487332
1998-99	5874014	153647	6027661
1999-2000	8667479	756134	9423613

(घ) जिला/मण्डल मुख्यालयों में अवस्थित टेलीफोन एक्सचेंजों सहित सभी टेलीफोन एक्सचेंज एसटीडी सुविधायुक्त इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सभी जिला/मण्डल मुख्यालयों में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित है और उनमें 1.4.1997 से पूर्व ही एसटीडी सुविधा प्रदान कर दी गई थी।

(च) सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में एस टी डी सुविधा उपलब्ध है।

(छ) उपर्युक्त भाग (च) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	एक्सचेंजों की संख्या	30.6.2000 की स्थिति के अनुसार क्षमता	एसटीडी सुविधा युक्त एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	अदिलाबाद	81	50385	81
2.	अनंतपुर	143	81305	143
3.	चित्तूर	154	112719	154
4.	कुड्डापा	96	57589	96
5.	ईस्ट गोदावरी	133	152868	133
6.	गुन्टूर	148	145946	148
7.	हैदराबाद	66	772670	66
8.	रंगारेड्डी	72	45330	72
9.	करीमनगर	87	88782	87
10.	खम्माम	108	74908	108
11.	कृष्णा	142	185768	142
12.	कुर्नूल	159	78574	159
13.	महबूबनगर	116	47031	110
14.	मेडक	94	54243	94
15.	नालगोण्डा	111	65650	111
16.	नेल्लोर	109	72216	109
17.	निजामाबाद	74	65434	74
18.	प्रकाशम	101	67908	191
19.	श्रीकाकुलम	72	33632	72
20.	विशाखापट्टनम	79	142980	79
21.	विजयनगरम	61	35412	01
22.	वारंगल	60	65258	60
23.	वेस्ट गोदावरी	160	145222	160
	कुल	2426	2641940	2426

क्षयरोग किटों हेतु निविदा

1240. **श्री अजय चक्रवर्ती :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य घरेलू कम्पनियों की तुलना में एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा क्षयरोग किटों हेतु निम्नतम निविदा प्रस्तुत की गई है;

(ख) क्या उक्त बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने जापान से 2-साइनोपाइराजिन माइड की खरीद के बीजक में कम मूल्य के आधार पर पाइराजिनामाइड की कम खरीद मूल्य के परिणामस्वरूप निम्नतम कीमत दिखाने में कामयाब हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत में मूल्य बीजक की तुलना में जापान और कोरिया में 2 साइनोपाइराजीन का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कितना है;

(घ) क्या सरकार का विचार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के ऐसे अनुचित व्यापार व्यवहारों को रोकने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (च) अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के आधार पर कान्बी-पैक सहित क्षय रोग औषधें खरीदी जाती हैं जिसमें घरेलू और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां दोनों भाग ले सकती हैं बशर्ते कि वे पात्रता संबंधी मानदंड पूरा करें। दी गई निविदा के अनुसार विवरण-I में (क), से (ग) पर बताये गये कतिपय मानदंड के आधार पर तीन वर्गों में बोलियों को वर्गीकृत किया गया था। वर्ग-''ग'' श्रेणी में कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई थी। इस प्रयोजन के लिए निर्धारित विभिन्न तकनीकी और वाणिज्यिक पैरामीटरों के आधार पर निविदाओं का मूल्यांकन किया गया था और यह संविदा सबसे कम बोली (बिड) देने वाले व्यक्ति को दी गई। वर्ष 1999-2000 के लिए जिन बिडर्स को आदेश दिए गए उनका ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

(क) वर्ग क: खरीदार देश में निर्मित सामान पेश करने वाली बिड जिसके लिए (I) खरीदने वाले के देश के भीतर से श्रम, कच्चे माल और संघटकों की कीमत उद्योग से बाहर की कीमत 30 प्रतिशत से अधिक मूल्य की हो, और (II) उत्पादन केन्द्र, जिसमें उनको निर्मित अथवा लगाया जायेगा, को कम से कम बिड प्रस्तुत करने की तारीख से ऐसे माल को निर्मित करने अथवा लगाने के कार्य में लगा हुआ हो।

(ख) वर्ग ख: खरीदार के देश के भीतर से सामान प्रस्तुत करने वाली सभी अन्य बिडें।

(ग) वर्ग ग: खरीददार द्वारा सीधे अथवा सफल बिडर के स्थानीय एजेंट के माध्यम से आयात किए जाने वाले विदेशी मूल के सामान को प्रस्तुत करने वाली बिडें।

विवरण-II

क्षयरोग किटों के लिए जिन फर्मों को आदेश दिए गए उनका ब्यौरा

क्र. सं.	उत्पाद	फर्म का नाम
1	2	3
1.	ट्रीटमेंट बाक्स फार कैंट-I पेशन्ट	मैसर्स माइक्रोन फार्मास्युटीकल्स
2.	ट्रीटमेंट बाक्स फार कैंट-II पेशन्ट	मैसर्स लुपिन लेब्रोरेट्रीज लिमिटेड
3.	ट्रीटमेंट बाक्स फार कैंट-III पेशन्ट	मैसर्स नोवार्तिज इंडिया लिमिटेड
4.	ट्रीटमेंट बाक्स कैटफॉर प्रोलोंगेशन आफ इंटेंसिव फेस आफ कैट-I और कैट-II	मैसर्स लुपिन लेबोरेट्रीज लिमिटेड
5.	स्ट्रेप्टोमाइसिन वायल्स इन लूज पैक्स	मैसर्स हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स
6.	ब्लिस्टर स्ट्रिप पैक आफ 10 रिफेम्पिसिन कैप्सूल्स	मैसर्स लाइका लैबोरेट्रीज लिमिटेड
7.	ब्लिस्टर स्ट्रिप पैक आफ 10 आई एन एच टेब्लेट्स	मैसर्स नेस्टर फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड
8.	ब्लिस्टर स्ट्रिप पैक आफ 10 पाइरेजिनामाइड टेब्लेट्स	मैसर्स लुपिन लेबोरेट्रीज लिमिटेड
9.	7 ब्लिस्टर काम्बी-पैक्स इन वन पाऊच	मैसर्स माइक्रोन फार्मास्युटीकल्स
10.	ब्लिस्टर स्ट्रिप पैक और फोइल पैक आफ 10 इथाम्बुटोल टेब्लेट्स	मैसर्स नेस्टर फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड मैसर्स प्योर फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड
11.	ब्लिस्टर स्ट्रिप पैक आफ 10 आइसोनियाजिड टेब्लेट्स	मैसर्स अम्बुजा लेबोरेट्रीज लिमिटेड
12.	ब्लिस्टर स्ट्रिप पैक आफ 10 शिफैम्पिसिन कैप्सूलस	मैसर्स लाइका लैब्स. लिमिटेड

कुपोषण से निपटने हेतु योजना

1241. **श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए देश में कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय यह योजना राज्य-वार किन-किन राज्यों में चल रही है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ङ) उक्त योजना के दौरान राज्य-वार क्या उपलब्धियां रही हैं;

(च) क्या सरकार ने योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कोई कार्य योजना शुरू की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) जी, हां। बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवा योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। एकीकृत बाल विकास स्कीम चालू परियोजनाओं की राज्यवार संख्या विवरण-I में दी गई है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी (रिलीज) की गई धनराशि का ब्यौरा विवरण-II में है।

(ङ) एकीकृत बाल विकास स्कीम की उपलब्धियों बच्चों में गंभीर कुपोषण के स्तरों में आई गिरावट से परिलक्षित होती हैं। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की प्रतिशतता 1976-78 के दौरान 15.3 प्रतिशत से घटकर 1988-90 में 8.7 प्रतिशत हो गई है। 1975-79 तथा 1988-90 की अवधि में आठ राज्यों में बच्चों (1-5 वर्ष) की पोषण संबंधी स्थिति में आए परिवर्तन को दर्शाने वाली तालिका विवरण-III में दी गई है।

(च) और (छ) एकीकृत बाल विकास स्कीम के उद्देश्यों की प्रभावी प्राप्ति के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कई नई पहल की गई हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ आगामी तीन वर्षों के दौरान, चरणबद्ध ढंग से घरेलू सहायता से 390 परियोजनाओं में तथा विश्व बैंक की सहायता से 461 परियोजनाओं में एकीकृत बाल विकास स्कीम सेवाओं का विस्तार, 2000 समुदाय विकास (सी०डी) खण्डों को कवर करने के लिए किशोर बालिका स्कीम का विस्तार, तथा जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में 16000 लघु-आंगनबाड़ी केंन्द्रों की स्थापना शामिल है। बच्चों के ज्ञानात्मक और जन्मजात गुणों का विकास करने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी केंन्द्रों में कामचलाऊ स्कूल-पूर्व किटों की व्यवस्था के जरिए सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है। कार्यक्रम की मॉनिटरिंग में सुधार किया जा रहा है।

विवरण-I

देश में चालू एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की राज्यवार संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चालू एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाओं की कुल संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	251
2.	अरुणाचल प्रदेश	46
3.	असम	107
4.	बिहार	323
5.	गोवा	11
6.	गुजरात	203
7.	हरियाणा	116
8.	हिमाचल प्रदेश	72
9.	जम्मू व कश्मीर	113
10.	कर्नाटक	185
11.	केरल	120
12.	मध्य प्रदेश	421
13.	महाराष्ट्र	271
14.	मणिपुर	32
15.	मेघालय	30
16.	मिजोरम	21
17.	नागालैंड	46
18.	उड़ीसा	281
19.	पंजाब	142
20.	राजस्थान	191
21.	सिक्किम	5
22.	तमिलनाडु	431
23.	त्रिपुरा	31
24.	उत्तर प्रदेश	560
25.	पश्चिम बंगाल	294
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	5
27.	चंडीगढ़	3
28.	दिल्ली	28
29.	दादरा एवं नगर हवेली	1
30.	दमण व द्वीप	2
31.	लक्षद्वीप	1
32.	पांडिचेरी	5
	कुल	4348

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत राज्यवार जारी की गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98 जारी	1998-99 जारी	1999-2000 जारी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3135.53	3185.12	5402.87
2.	अरूणाचल प्रदेश	406.52	660.57	817.00
3.	असम	1634.35	1911.71	2211.00
4.	बिहार	1469.02	3691.13	4918.64
5.	गोवा	188.76	326.48	284.13
6.	गुजरात	5312.40	7488.12	5370.21
7.	हरियाणा	2203.65	2633.07	2754.12
8.	हिमाचल प्रदेश	904.24	1045.40	1640.09
9.	जम्मू व कश्मीर	511.86	1431.72	1963.00
10.	कर्नाटक	5158.03	5709.83	5111.35
11.	केरल	2380.62	3120.80	2641.82
12.	मध्य प्रदेश	4840.29	5131.48	4368.00
13.	महाराष्ट्र	6925.69	6792.45	6584.73
14.	मणिपुर	795.10	846.78	840.48
15.	मेघालय	524.81	350.60	535.00
16.	मिजोरम	413.11	542.12	535.66
17.	नागालैंड	543.85	1321.37	1245.00
18.	उड़ीसा	2158.13	6641.30	4042.97
19.	पंजाब	1525.90	2382.58	2413.14
20.	राजस्थान	3373.72	3512.19	4197.55
21.	सिक्किम	63.29	241.96	129.75
22.	तमिलनाडु	2513.24	7297.05	10704.77
23.	त्रिपुरा	447.67	463.68	646.06
24.	उत्तर प्रदेश	7401.73	7265.52	11349.00
25.	पश्चिम बंगाल	5151.28	6456.11	6088.00
26.	दिल्ली	565.98	1248.18	818.42
27.	पांडिचेरी	105.55	151.82	181.58
28.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	63.27	112.26	130.44
29.	चंडीगढ़	93.77	77.71	78.29
30.	दादरा एवं नगर हवेली	21.88	28.60	26.83
31.	दमण व दीव	26.79	28.17	42.00
32.	लक्षद्वीप	8.82	25.20	25.69
33.	विविध	14.64	0.00	0.00
34.	व्यावसायिक सेवाओं हेतु व्यय	0.00	208.00	44.00
35.	सेवा प्रभार	0.00	12.00	0.00
36.	मूल्य आधारित प्रभार	0.00	19.98	4.77
	कुल	60885.49	79661.06	88146.36

विवरण-III

पोषण संबंधी ग्रेडों के अनुसार बच्चों (1-5 वर्ष) का प्रतिशत वितरण)*

राज्य	अवधि	संख्या	सामान्य	कम	औसत	गंभीर
1	2	3	4	5	6	7
केरल	1975—79	737	7.5	35.7	46.5	10.3
	1988—90	882	17.7	47.4	32.9	2.0
तमिलनाडु	1975—79	1183	6.2	34.2	47.0	12.6
	1988—90	3337	8.0	42.0	45.8	4.2

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उसको कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क), से (ग) इस बारे में निम्नलिखित निर्णय किए गए हैं:-

(i) शार्ट हॉल आपरेशन विभाग के कर्मचारियों को सिर्फ स्वैच्छिक आधार पर इंडियन एयरलाइन्स की मुख्य धारा में बिलय होने का ऑफर दिया जाए जो सभी पक्षों पर विचार करते हुए इंडियन एयरलाइंस द्वारा परिभाषित शर्तों/मापदंडों के बाबत होगी।

(ii) जो विलय के विरुद्ध हैं उन्हें एसएचओडी में ही रहने दिया जाए और एसएचओडी के अंतर्गत उनको सेवाप्रोन्नति के अनुसार उनकी कालबद्ध प्रोन्नति इंडियन एयरलाइंस प्रबंधन द्वारा तत्काल रिलीज की जाए।

(iii) एसएचओडी के कर्मचारियों के विलय की तारीख एक समान रूप से 10.3.1998 रखी जाए।

स्तनपान

1248. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्तनपान प्रोत्साहन नेटवर्क, जो विभिन्न राज्यों में स्तनपान संबंधी संरक्षण, प्रोत्साहन और समर्थनकारी गतिविधियों में संलग्न है, के अनुसार शिशु दुग्धाहार के विकल्प, दुग्धपान की बोतलें और शिशु आहार बनाने वाली कई कंपनियां अपने उत्पादों का प्रचार इस ढंग से कर रही हैं जिससे मां के दूध की महत्ता कम हो और ऐसी आचारहीन कार्यविधियां अपना रही हैं। जिससे शिशुआहार विकल्प अधिनियम, 1992 का उल्लंघन कर रही है,

(ख) यदि हां तो क्या दूरदर्शन ने देश में इस प्रकार की कंपनियों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, और

(ग) यदि हां, तो इन कम्पनियों की ऐसी कदाचारपूर्ण गतिविधियों को बढ़ावा देने संबंधी व्यवहारों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां। भारतीय स्तनपान प्रोत्साहन नेटवर्क, दिल्ली जो शिशु दृध स्थानापन्न, दूधपान बोतल एवं शिशु भोजन उत्पादन, आपूर्ति और वितरण (अधिनियम, 1992) (शिशु दूध स्थानापन्न अधिनियम के रूप में ज्ञात) की धारा 21 (1) (ग) के अंतर्गत अधिकृत स्वैच्छिक एजेंसियों में से एक है। ने सूचित किया है कि कुछ कंपनियां अपने उत्पादों का अनैतिक तरीके से प्रचार कर रही हैं और किसी न किसी रूप में शिशु दृध स्थानापन्न अधिनियम का उल्लंघन करती हुई पाई गई हैं।

(ख) दूरदर्शन की मौजूदा विज्ञापन संहिता के अनुसार शिशु दूध स्थानापन्न के विज्ञापनों को इसके चैनलों पर दिखाए जाने की अनुमति नहीं है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

टेलीफोन एक्सचेंज

1249. **श्री पोन राधाकृष्णन्** : **क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में नागरकोइल तारघर रात-दिन कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) किसी तार घर के कार्य-घंटे उसके कार्यभार तथा उसे चौबीसों घंटे खोले रखने की व्यवहार्यता पर निर्भर करते हैं। नागरकोइल तार-घर को चौबीसों घंटे खोले रखने का औचित्य नहीं है।

(ग) उक्त तार-घर को चौबीसों घंटे खोले रखने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 8 में सुधार

1250. **श्री शीश राम सिंह रवि** : **क्या जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 8 में सुधार कर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का कब तक बना दिए जाने की संभावना है, और

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहन चालकों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 1 के जालंधर-अमृतसर खंड को छोड़कर पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 को जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का हिस्सा है, दिसम्बर 2003 तक 4 लेन मानकों तक विकसित करने का लक्ष्य है।

(ख) 21 स्थानों पर यात्री प्रधान मार्गस्थ सुविधाएं प्रचालन में हैं और ये सरकार तथा निजी क्षेत्र द्वारा विकसित की गई हैं। इनमें रेस्तरां, पार्किंग, फिलिंग स्टेशन, शौचालय आदि जैसी मानक सुविधाएं हैं। इसके अतिरिक्त, गैर सरकारी पक्षों/अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा भिन्न-भिन्न मानकों की अनेक अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

[हिन्दी]

वन सम्पदा

1251. **श्री अजय सिंह चौटाला** : **क्या पर्यावरण एवं वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी पश्चिमी राज्यों में वन सम्पदा की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) वनों की कटाई को रोकने और वनों में वृद्धि करने के लिए तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित 1997 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र गुजरात तथा राजस्थान राज्यों में रिजर्व वन निम्नलिखित हैं-

राज्य	आरक्षित वन (वर्ग कि०मी० में)
गुजरात	13,819
महाराष्ट्र	48,373
राजस्थान	11,585

(ख) वनों में वृद्धि करने और अवैध कटाई रोकने के लिए तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा निम्नलिखित है-

1. राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र सरकारों द्वारा अपने संसाधनों तथा भारत सरकार की वित्तीय सहायता से वनीकरण कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं।
2. वनों के विकास एवं परिरक्षण के लिए बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।
3. ग्राम समुदायों को अवक्रमित वनों की सुरक्षा और पुनर्जनन में शामिल करने हेतु सभी राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र सरकारों को दिशा-निर्देश।
4. वन भूमि के उपयोग को नियमित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अधिनियमित किया गया है।
5. सुरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।
6. वृक्षों की अवैध कटाई रोकने हेतु राज्य वन सुरक्षा कर्मियों को लगाा रहे हैं जैसा कि राज्य वन अधिनियमों में व्यवस्था है।
7. मंत्रालय ने हाल ही में एक राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना तैयार की है ताकि वन संसाधनों के संरक्षण एवं विकास के लिए निवेश में सुधार के माध्यम से पारिस्थितिकीय स्थिरता हेतु उनके योगदान में वृद्धि की जा सके और जन-केन्द्रित विकास किया जा सके।

[अनुवाद]

भारत और नेपाल के बीच विमान सेवा पुन: चालू करना

1252. **मोहम्मद शहाबुद्दीन :**
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल के बीच विमान सेवाएं पुन: चालू हो गई हैं, और

(ख) यदि हां, तो जिन नियम और शर्तों पर यह विमान सेवा शुरू की गई है उनका ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) काठमांडु से उड़ान भरने वाली इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों के संबंध में इंडियन एयरलाइंस ने नेपाल के नागर विमानन प्राधिकरण के साथ एक समझौता किया है। इसमें निम्न शामिल हैं:-

(i) इंडियन एयरलाइंस द्वारा भूमि पर विमान तक पहुंच-नियंत्रण।

(ii) इंडियन एयरलाइंस द्वारा यात्रियों तथा उनके हैंड बैगेज की एक विशेष रूप से निर्मित प्लेटफार्म में लैंडर-प्वाइंट तलाशी।

(iii) जांच किए हुए बैगेजों की बैगेज मेक-अप क्षेत्र में सेकेण्डरी एक्स-रे जांच।

कर्नाटक में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना अस्पतालों की स्थापना

1253. **श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक में विभिन्न जिलों में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अस्पतालों की स्थापना हेतु राज्य से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) इस संबंध में कर्नाटक सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, सरकार की नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर राज्यों में कोई अस्पताल नहीं चलाया जा रहा है क्योंकि इसके अंतर्गत सिर्फ औषधालयों के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान की जाती है।

कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1254. **श्री पी० राजेन्द्रन :**
डॉ० बलिराम :
श्री रामदास आठवले :
श्री उत्तमराव पाटील :
श्री तरूण गोगोई :
श्री जय प्रकाश :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 जुलाई, 2000 की स्थिति के अनुसार और गत तीन महीनों के दौरान दूरसंचार और डाक क्षेत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों ने कितनी बार हड़तालें की हैं और उनकी हड़तालें कितने घंटों की थी;

(ख) हड़ताल के क्या कारण थे और इसके परिणामस्वरूप सरकार को कुल कितना घाटा हुआ है;

(ग) कर्मचारियों की मांगों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) अब तक किन-किन विषयों पर समझौते हुए हैं; और

(ङ) कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने और भविष्य में ऐसी हड़तालों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या निवारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्वास्थ्य पर मोबाइल टेलीफोनों का दुष्प्रभाव

1255. **श्री रघुनाथ झा :**
श्री जी०एम० बनातवाला :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मोबाइल-फोनों के उपयोग से स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों, इन फोनों के बेस-स्टेशनों के स्थापन-स्थलों और इनकी रेडियो-आवृत्तियों की निश्चितता के संबध में कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अस्पतालों, बालविहारों, विद्यालयों और खेल के मैदानों के आस-पास इन फोनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा देने का है;

(घ) यदि हां, तो सरकार मोबाइल-फोन उपयोगकर्ताओं को भी इनसे स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देने का विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और फोनों के इस्तेमाल पर कब से प्रतिबंध लगाया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) मोबाइल फोन के उपयोग के बारे में दिनांक 28.6.2000 की विश्व स्वास्थ्य संगठन की संशोधित संस्तुति मोबाइल फोनों के इस्तेमाल करने के फलस्वरूप मानवों पर किसी निर्णायक प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव को इंगित नहीं करती है। तथापि इस बात की जांच करने कि क्या मोबाइल फोन के उपयोग का सिर तथा गर्दन के कैंसरों में कोई संबंध है, विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतरराष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान अभिकरण के माध्यम से 10 देशों में अनुसंधान कर रहा है।

(ग) से (च) दूरसंचार विभाग में सेल्यूलर फोनों के इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

दूरसंचार-सुविधाएं

1256. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :**
श्री माणिकराव होडल्या गावित :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक महाराष्ट्र की जिलावार कितनी ग्राम-पंचायतों में टेलीफोन-सुविधा उपलब्ध है;

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान स्थानवार कितनी ग्राम-पंचायतों में इस प्रकार की सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इस पर कितना खर्च किया गया और राज्य में कितने और किस प्रकार के दूरभाष केन्द्र खेले जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषत: अहमदनगर और नंदुरबार-क्षेत्रों में बड़ी संख्या में दूरभाष-केन्द्र खराब पड़े हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर महाराष्ट्र और उक्त क्षेत्रों में संचार-प्रणाली को प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गये है;

(छ) क्या सरकार का विचार नंदुरबार क्षेत्र में सुपर इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली स्थापित करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र-राज्य में निम्नलिखित ग्राम पंचायतों को दूरसंचार-सुविधा प्रदान की गई है। जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है:-

वर्ष	ग्राम पंचायतों की संख्या, जिन्हें दूरसंचार सुविधा प्रदान की गई है।
1997-1998	1645
1998-1999	1360
1999-2000	79

(ख) वर्ष 2000-2001 के लिए महाराष्ट्र में दूरसंचार-सुविधाएं प्रदान करने का दूरसंचार-सेवा विभाग का कोई लक्ष्य नहीं है। शेष सभी ग्राम-पंचायतों को प्राइवेट फिक्सड सेवा-प्रदाताओं द्वारा टेलीफोन-सुविधाएं प्रदान की जाएगी।

(ग) ग्राम-पंचायतों में वी पी टी पर 204.6 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वर्ष 2000-01 के दौरान महाराष्ट्र में 800 नए इलैक्ट्रॉनिक ग्रामीण एक्सचेंज की योजना बनाई गई है।

(घ) जी, नहीं

(ङ) उक्त "घ" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) टेलीफोन-एक्सचेंजों को ओ एफ सी/माइक्रोवेव-प्रणालियों पर विश्वसनीय पारेषण माध्यम प्रदान किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डब्ल्यूएलएल प्रणालियों की योजना है।

(छ) और (ज) ग्रामीण क्षेत्रों को सेवा प्रदान करने वाले सभी एक्सचेंज इलैक्ट्रॉनिक हैं। नंदुरबार में अगस्त, 2000 तक इंटरनेट नोड चालू करने की योजना बनाई गई है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान सामशेपुर, कोथाली, चौपाले, रनजानी, प्रतापपुर और काथरडे डिगार में नए एक्सचेंज खोलने तथा नईगांव, चिंचपाड़ा, विसरवाड़ी, कोलडा, नंदुरबार, शाहडे तथा अकालकुवा में ओ एफ सी प्रदान करने की योजना है।

विवरण

क्र. सं.	एसएस का नाम	निम्न वर्षों के दौरान ग्राम-पंचायतों को टेलीफोन-सुविधा प्रदान की गई			आज तक जिन ग्राम-पंचायतों के पास टेलीफोन-सुविधा उपलब्ध है
		1997-98	1998-99	99-2000	
1	2	3	4	5	6
1.	अहमदनगर	21	15	0	1141
2.	अकोला	19	27	0	439
3.	वाशिम	17	31	0	481
4.	अमरावती	12	5	0	731
5.	औरंगाबाद	85	60	0	693
6.	बीड	86	35	8	893
7.	भंडारा	44	26	0	569
8.	गोंदिया	39	43	0	423
9.	बुलढाना	56	100	17	783
10.	चन्द्रपुर	63	37	0	756
11.	धुले	10	7	0	478
12.	नंदुरबार	0	17	0	417
13.	गढ़चिरौली	12	32	0	363
14.	जलगांव	28	32	0	1062
15.	जालना	88	60	3	557
16.	कल्याण	31	24	0	787
17.	कोल्हापुर	57	51	2	913
18.	लातूर	116	6	0	582
19.	नागपुर	11	12	4	687
20.	नांदेड़	18	26	16	1100
21.	नासिक	46	70	0	1224
22.	उस्मानाबाद	70	108	0	468
23.	परभनी	202	100	0	504
24.	हिंगोली	0	0	14	478
25.	पुणे	63	28	1	1032
26.	रायगढ़	60	61	0	585
27.	रत्नागिरी	56	54	7	453
28.	सागंली	22	12	0	610
29.	सतारा	20	63	0	894
30.	सिंधुदुर्ग	95	24	0	220
31.	सोलापुर	39	18	0	931
32.	वरधा	91	120	0	456
33.	यवतमाल	68	56	7	1042
	कुल	1645	1360	79	22732

बिहार में डाकघर

1257. **डा० मदन प्रसाद जायसवाल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में ऐसे कितने गांव और ग्रामपंचायतें हैं जो डाकघर खोले जाने के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हैं;

(ख) कितने गांवों/ग्रामपंचायतों में अभी तक डाकघर नहीं खोले गए हैं;

(ग) कहां-कहां और कितने डाकघर खोलने के प्रस्ताव विभाग के पास लंबित पड़े हैं; और

(घ) इन डाकघरों को कब तक खोले जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) बिहार में इस समय 47 (सैंतालीस) गांव और ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जो डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं।

(ख) बिहार में 1528 गांव और 1324 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जो दूरी और जनसंख्या के मानदंडों के आधार पर डाकघर खोलने के औचित्य को पूरा करती हैं।

(ग) चालू वार्षिक योजना 2000-2001 में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के लिए 47 (सैंतालीस) प्रस्तावों की विभाग द्वारा जांच की जा रही है। इन प्रस्तावों की स्थानवार सूची विवरण में दी गई है।

(घ) ऊपर उल्लिखित 47 प्रस्तावों में डाकघर तभी खोले जा सकते हैं, जब वे दूरी, जनसंख्या तथा वित्तीय व्यवहार्यता संबंधी मानदंड पूरे करते हों और साथ ही वित्त मंत्रालय द्वारा पदों की मंजूरी दी जाए।

विवरण

चालू वार्षिक योजना 2000-2001 के लिए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	प्रस्तावित डाकघर का नाम	जिला
1	2	3
1.	मुबारकपुर	शेखपुरा
2.	काम्ता	शेखपुरा
3.	भदौसी	शेखपुरा
4.	नेन्हा	वैशाली
5.	जुरावनपुर बरारी	वैशाली
6.	बसन्तपुर	वैशाली
7.	सैस्तापुर	वैशाली
8.	बिशनपुर	वैशाली
9.	दिलावरपुर गोबर्धन	वैशाली
10.	गोविन्दपुर गोखला	वैशाली
11.	रमौली वेफ बिशनपुर टेकनारी	वैशाली
12.	बेलातार	वैशाली
13.	भीखपुर	सिवान
14.	सुल्तानपुर काला	सिवान
15.	सुसारी	दरभंगा
16.	शहरी	दरभंगा
17.	कोल्लम	दरभंगा
18.	मोहबा	दरभंगा
19.	पंथारी	दरभंगा
20.	कामरौही	दरभंगा
21.	शहगोली	दरभंगा
22.	तारवारा	दरभंगा
23.	बिल्टी	दरभंगा
24.	सिस्सेधीह	दरभंगा
25.	चाकला	दरभंगा
26.	रतनपुर वैस्ट	दरभंगा
27.	नारायणपुर	ईस्ट चंपारण
28.	अकौना	समस्तीपुर
29.	पाकरी बसन्त	मुजफ्फरपुर
30.	पगहिया	मुजफ्फरपुर
31.	केडला नगर	हजारीबाग
32.	तपिन नार्थ प्रोजेक्ट	हजारीबाग
33.	मसौना	रोहतास
34.	पररिया	रोहतास
35.	भटखीजारी	लोहारदगा
36.	सेमरडीह	लोहारदगा
37.	परतापुर	गिरिडीह
38.	लक्खीबाद	दुमका
39.	परशिमला	दुमका
40.	हैते	रांची
41.	हुन्ट	रांची
42.	आजमगढ़	औरंगाबाद
43.	रूगरी	वैस्ट सिंहभूम
44.	दोमा	पटना
45.	कालानौर	गया
46.	अमीनी	खगड़िया
47.	कुमारी	भागलपुर

डाकघरों के लिए भवन

1258. डा० बलिराम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषरूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और मऊ जिलों तथा महाराष्ट्र के मुम्बई में किराए के भवनों में चलने वाले डाकघरों का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा 1999-2000 के दौरान इन भवनों के किराए के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त स्थानों पर कार्यरत डाकघरों के लिए विभागीय भवन निर्मित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) उत्तर प्रदेश में किराए के भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों की कुल संख्या 2599 तथा मुम्बई शहर में किराए के भवनों में काम कर रहे डाकघरों की संख्या 228 है। उत्तर प्रदेश के, विशेषकर आजमगढ़ और मऊ जिलों में तथा महाराष्ट्र में मुम्बई में किराए के भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों जिलावार ब्योरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) किराए के इन भवनों के लिए सरकार द्वारा किराए के बतौर अदा की गई राशि संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित स्थानों पर विभागीय भवन बनाने का तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए उत्तर अपेक्षित नहीं है।

विवरण-I

आजमगढ़ जिले में काम कर रहे डाकघरों का ब्यौरा

अहरौला	दीदारगंज
अम्बारी	गंभीरपुर,
अतरौलिया	जहानागंज,
आजमगढ़ सिटी	कांधोरपुर,
आजमगढ़ कोतवाली	कियोलसा
आजमगढ़ आरएस,	लालगंज,
आजमगढ़	लतघाट
एस्टेट	महराजगंज,
बनकट,	माहौल
वरधा	मेहनगर
बाजार गसैन	मेहनाजपुर
बिलारीगंज	मिथुपुर
चन्देसर	मोहमदपुर
देवगांव	मुबारकपुर
टीकमपुर	सन्जारपुर,
पवई	सराय मीर
फूलपुर	सारडीहा
टाऊन	तरवा,
पुष्पानगर	टेरही,
रानीसराय,	थेकमा
रौनापार	बांसगांव
सगारी	

मऊ जिले में काम कर रहे डाकघरों का ब्यौरा :

अवीला	कोपागंज
भोपुरा	मधुबन
पिरायाकोट	मरियादपुर
दोहरीघाट	मऊ आरएस
दुबारी	मऊ टाउन
घोसी	मिर्जा हाजीपुर
हलधरपुर,	चौक
इन्दारा	एम०बी० गोहनाचौक
जमाल मिर्जापुर	रतनपुरा
कराहन	सूरजपुर
कोईरियापार	वालिदपुर

मुम्बई शहर में काम कर रहे डाकघरों का ब्यौरा :

बासवे नगर	मुलुन्द (पश्चिम)
देवनार म्यूनिसीपल कालोनी	मुलुन्द (पूर्व)
नेहरू नगर	मुलुन्द कोलोनी
नेहरू रोड	नाहौर
नेताजी नगर	नेहरू नगर कुरला (पूर्व)
नितई	कन्नावार नगर
पन्त नगर	पीएसडी का बैग आफिस
पार्क साइट म्यून्सिपल कोलोनी	कुरला उत्तर
पुवई हाऊसिंग कालोनी	मुलुन्द देवीदयाल रोड
आई आई टी पुवई	गोवान्दी
एम जी रोड	जंगल मंगल रोड
मुलुन्द रोड	भन्डूप इंडस्ट्रीयल एस्टेट

भन्डूप (पश्चिम)

भन्डूप कॉम्पलेक्स वाटर वर्क के चीट कैम्प

चेम्बूर आर०एस०पी०ओ०

चूनाभट्टी

बेस्ट स्टाफ कालोनी

बारू

अन्सुकथई नगर

राइफल रेन्ज

दादा साहिब फालके रोड

दादर कालेनी

डोकयार्ड

हाफकिन इन्स्टयूट्यूट

कालाचौक

कातरक रोड

किदवई नगर

एल०बी०एस०एन०ई०कालेज

लालबाग

मजगांव

मजगांव रोड

मजगांव डोक

नल बाजार

नूरबाग

नाईगांव रोड

प्रिंसिज रोड

पारेल नाका

पारेल रेलवे वर्कशॉप

रेय रोड

सेवरी

सेवरी नाका

वदगाडी

वदाला

वदाला रेलवे स्टेशन

वी०जे०बी० उद्यान

नमजिद

बिक्रीकर भवन

एच०आर०ओ०चैकिंग० वयचुला० स्टेज०

एल डिवीजन और बी डिवीजन के लिए रेस्ट हाउस

एसएसआरएम, मुंबई छंटाई

डिवीजन कार्यालय एसटी टीएमओ मुंबई सेन्ट्रल

ग्रांट रोड

हंस रोड

हाजी अली

लाडी जमशेदजी रोड

जे०जे० हॉस्पिटल

काम्ठीपुरा

कपाड बाजार पीओ

महीम बाजारापीओ

माहीम पूर्व

एम०ए० मार्ग

मोरी रोड

न्यू प्रभादेवी रोड

एन०एस० पतकर मार्ग

प्रभादेवी

राजभवन

रानाडे रोड

सावरकर मार्ग

सेनापति बेपट मार्ग

शामराव विट्ठल मार्ग

शिवाजी पार्क

तारदेव

तुलसीवाडी

वाल्केश्वर रोड

वोर्ली

वोर्ली कालेनी

वोर्ली पुलिस कैम्प

वोर्ली सीफेश

धारवी

धारवी रोड

मातुंगा रेलवे वर्कशाप

एनबीएसओ मेल ऑफिस

एसएसआरएम, डीबीओ

कल्यान आरएमएस

भाजीपाला लेन

बी०पी०टी०कालोनी

बी०ई०एस०टी०स्टाफ कालोनी

बाइकुला भाजी बाजार

वामर बौग

कॉटन एक्सचेंज

इन्टरनेशनल एयरपोर्ट

विलपारले (पश्चिम)

कालीना

एच०एम०पी० स्कूल

नागरदास रोड

सान्ताक्रूज (सेंट्रल)

वी०पी० रोड

डांडा

मान्डवी एचओ

भानवानी शंकर रोड

चिंकपोकली (पश्चिम)

कुम्बाला सीफेस

गोखले रोड

ओशीवाड़ा

शर्मा एस्टेट

डीएमसी

बजारगेट

चौपाटी

कुलावा बाजार

मेरिन लाइन्स

मुंबई पोस्ट ट्रस्ट

पल्टन रोड

एसएसपीओ कार्यालय साउथ डिवीजन

टाउन हाल

खार कालोनी

एयर इंडिया स्टाफ कालोनी

शंकर भवन

सिंधी सोसायटी

स्वदेशी मिल्स रोड

उषा नगर

वीएस भवन

बीरीविली ईस्ट

डहीसर आरएसपीओ

गोरेगांव

आईएनएस हमला

कान्डीविली (ई)

मलाड (ई)

मन्डापेसवर

कारगो कॉम्पलेक्स

खेरवाडी

एयर टर्मिनल

कलानिकेतन बिल्डिंग
चाकला
हनुमान रोड
विलेपार्ले (ई)
विद्यानगरी
भारतनगर
सेंचुरी मिल्स
कुम्बाला हिल
डेलिसले रोड
गावालिया टैंक
राजेन्द्र नगर
एस०के० नगर
एसआरपीएफ गोरेगांव
बीएमसी
कुलावा डिलीवरी
सेंट्रल बिल्डिंग
मंत्रालय
माधव बौग
रामवाड़ी
एससी कोर्ट
ठाकुर द्वारा
वकोला
राजावाडी
साकीनाका
सियोन रेलवे स्टेशन पीओ
टैगौर नगर
विहार रोड पीओ
एएम कालोनी
बोरीविली वैस्ट
दौलतनगर
गोरेगांव (ई)
जोगेश्वरी (ई)
खरोदी
मलाड (डब्ल्यू)
गोरेगांव (डब्ल्यू)
खार
सीपज
अंधेरी (ई)
मारोल बाजार
बांद्रा (ई)
गवर्नमेंट कालेनी क्वार्टर
वेसावा
बीएन भवन
भवानी शंकर डीली
चिंचपोकली
डॉ० देशमुक्त मार्ग
फाल्कलेंड रोड
ओरलेम
मलाड (ई)
गोरेगांव (डब्ल्यू)
अम्बेवाडी
चारनी रोड
चर्चगेट
हाई कोर्ट बिल्डिंग
न्यू योगक्षमा
ओपरा हाउस
एसबी प्रेस
स्टाक एक्सचेंज
वी०डब्ल्यू०टी०सी०
आजाद नगर (ओल्ड)
रौली कैंप
शिवाजी नगर
एसबी रोड
ट्रंजिट कैंप
विखरोली
बांगुर नगर
चारको
गोरेगांव एनडी
गोरेगांव आरएस
जोगेश्वरी (डब्ल्यू)
लिबरटी गार्डन
मलाड एनओ डिलीवरी

विवरण-II

	अदा की गई राशि (रुपये में)
मुम्बई सिटी	1,62,00,000
समस्त उत्तर प्रदेश	1,78,98,385.75
आजमगढ़	2,79,645.00
मऊ	1,45,947.20

[अनुवाद]

चादरों हेतु निविदायें

1259. **श्री प्रभुनाथ सिंह :**
श्री रामजी मांझी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान डॉ० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और दिल्ली/नई दिल्ली के अन्य अस्पतालों ने प्रत्येक वर्ष चादरों सहित विभिन्न मदों की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित की थीं;

(ख) यदि हां, तो अस्पताल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन निविदाओं पर अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो अस्पताल-वार और मद-वार चादरों सहित ये मदें किन दरों पर खरीदी गई हैं और इन चादरों का आकार क्या है और ये कौन-कौन सी कम्पनियों की हैं;

(ङ) केन्द्रीय भंडार, एन सी सी एफ और सुपर बाजार से निविदाएं आमंत्रित करने और उनकी मदें न खरीदने के क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सफदरजंग अस्पताल और डॉ० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उक्त अवधि के दौरान उच्च दरों पर घटिया मदें खरीदी गई हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

1260. डॉ० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री जोरा सिंह मान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु कोई योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना किस तारीख को शुरू की गई थी और इस पर अब तक कितना खर्च आया है;

(ग) आज की तारीख तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोला गया है; और

(घ) देश के शेष ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे केन्द्रों को कब तक खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में सामुदायिक विकास खण्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करने के लिए एक योजना शुरू की गई है।

(ख) यह योजना 2 अक्तूबर, 1952 को शुरू की गई थी। संबंधित राज्य सरकारें इन केन्द्रों की स्थापना और रख-रखाव राज्य बजटों और बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम, जो सरकारों को सात बुनियादी न्यूनतम सेवाओं में अपनी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का चयन करने की अनुमति देता है, के अंतर्गत आबंटित धनराशि से करती हैं।

(ग) इस समय देश में कार्य कर रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में है।

(घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना सुस्थापित जनसंख्या मानदंडों के आधार पर होती है अर्थात् मैदानी क्षेत्रों में 30,000 की आबादी और पहाड़ी/आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 की आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी स्थिर नहीं रहती है इसलिए पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करने के पहले नए केन्द्रों के बारे में स्थिति की समीक्षा की जाती है और वित्तीय सीमा को ध्यान में रखते हुए नए केन्द्रों हेतु लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 1521 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विवरण

देश में चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रा०स्वा०केन्द्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1636
2.	अरूणाचल प्रदेश	45
3.	असम	619
4.	बिहार	2209
5.	गोवा	17
6.	गुजरात	967
7.	हिरयाणा	401
8.	हिमाचल प्रदेश	312
9.	जम्मू व कश्मीर	337
10.	कर्नाटक	1676
11.	केरल	962
12.	मध्य प्रदेश	1690
13.	महाराष्ट्र	1699
14.	मणिपुर	69
15.	मेघालय	85
16.	मिजोरम	55
17.	नागालैंड	33
18.	उड़ीसा	1352
19.	पंजाब	484
20.	राजस्थान	1662
21.	सिक्किम	24
22.	तमिलनाडु	1436
23.	त्रिपुरा	58
24.	उत्तर प्रदेश	3808
25.	पश्चिम बंगाल	1262
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	17
27.	चंडीगढ़	–
28.	दादरा व नगर हवेली	6
29.	दमण व दीव	3
30.	दिल्ली	8
31.	लक्षद्वीप	4
32.	पांडिचेरी	39
	अखिल भारत	22975

अनुवाद]

राज्यों की सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में स्तरोन्नत किया जाना

1261. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री नरेश पुगलिया :
डॉ० जसवन्त सिंह यादव :
श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्री नवल किशोर राय :
श्री जोरा सिंह मान :
श्रीमती रेनु कुमारी :
श्री हरीभाऊ शंकर महाले :
श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री जी०जे० जावीया :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विभिन्न राज्यों की 30 और अन्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में परिवर्तित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या योजना आयोग ने उक्त प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ङ) सरकार द्वारा इन सड़कों पर कितनी अनुमानित राशि लगाए जाने का प्रस्ताव है और इन सड़कों को कब तक राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप यातायात योग्य बना दिया जाएगा, और

(च) सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में लाने के लिए सरकार ने और कौन से कदम उठाए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक अवस्था में है और इसलिए इस समय कोई ब्यौरे नहीं दिए जा सकते।

(च) निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात-योग्य स्थिति में रखने के प्रयास किए जाते हैं।

भुवनेश्वर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया जाना

1262. **श्री भर्तृहरि महताब :**
श्री प्रभात सामन्तराय :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलांइस ने भुवनेश्वर हवाई अड्डे का नाम बीजू पटनायक हवाई अड्डा रखे जाने के बाद से उड़ीसा के लिए कोई उड़ान आयोजित नहीं की है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या भुवनेश्वर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना में भुवनेश्वर हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाए जाने के लिए कितनी निधियां नियत की गई हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 17.77 करोड़ रुपए की लागत से एक ही समय में 500 यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी आधुनिक यात्री सुविधाओं सहित एक नया टर्मिनल भवन चालू किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 12.62 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से धावनपथ के 7360 फुट से बढ़ाकर 9000 फुट करने के विस्तार कार्य को भी अपने हाथ में ले लिया है राज्य सरकार द्वारा सड़क के मार्ग परिवर्तन किए जाने के अध्यधीन कार्य के दिसम्बर, 2001 तक पूरा हो जाने की संभावना है। कार्य पूरा हो जाने पर विमानपत्तन ए-300 श्रेणी के विशालकाय विमानों के प्रचालन के लिए उपयुक्त हो जाएगा तथा वह सीमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के हैंडलिंग के लिए भी सक्षम हो जाएगा।

(ङ) नौवीं योजना में 27.46 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

ग्राहक-सेवा प्रकोष्ठ

1263. **श्री आर० एल० जालप्पा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकबालापुर क्षेत्र की समस्त तालुकों में ग्राहक-सेवा प्रकोष्ठ हैं;

(ख) यदि नहीं, तो यहां अभी तक कितने तालुकों में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) इस क्षेत्र के सभी तालुकों में उक्त सुविधा को कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख)और (ग) चिकबालापुर क्षेत्र के पांच तालुकों में से तीन तालुकों, यथा चिकबालापुर, गोवरीबिदनुर और बागेपल्ली में ग्राहक सेवा केन्द्र हैं। गुडीबन्दा तालुक चूंकि चिकबालापुर एसडीसीए का एक भाग है, इसलिए चिकबालापुर स्थित सेवा केन्द्र, गुडीबन्दा के ग्राहकों को भी सेवा प्रदान करेगा।

मार्च 2001 तक सिदलागट्टा तालुक में भी एक ग्राहक सेवा केन्द्र स्थापित कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन कनेक्शन

1264. श्री दिनेश चन्द्र यादव :
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 2000 की स्थिति के अनुसार बिहार के सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, वैशाली और सीतामढ़ी जिलों के दूरभाष केन्द्रों में केन्द्र वार कितने व्यक्ति टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षारत हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त केन्द्रों में केन्द्र-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए; और

(ग) इन केन्द्रों में प्रतीक्षा सूची का निपटान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) 30 जून, 2000 की स्थिति के अनुसार बिहार के सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, वैशाली और सीतामढ़ी जिले के टेलीफोन एक्सचेंजों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या और पिछले तीन वर्ष के दौरान उक्त जिलों में प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की एक्सचेंज-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) विभाग द्वारा, नए एक्सचेंज खोलने, मौजूदा एक्सचोंजों की क्षमता का विस्तार करने तथा इन एक्सचेंजों की प्रतीक्षा सूची का निपटान करने के लिए यथावश्यक उपभोक्ता एक्सेस नेटवर्क प्रदान करने के लिए, कदम उठाए जा रहे हैं।

विवरण

जिला	एक्सचेंज का नाम	30.6.2000 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची	प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या		
			1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6
मुजफ्फरपुर	ओरई	200	20	06	46
	बोचाहा	180	01	08	12
	धोली	600	46	16	103
	जमालबाद	140	38	0	14
	करमा	122	06	07	11
	कुरहानी	230	34	50	78
	मीनापुर	125	01	24	33
	नरमा	178	0	0	06
	पचदाही	190	01	02	22
	सरफुद्दीनपुर	165	37	13	22
	टुरकी	200	35	08	32
	देरधा	140	0	0	91
	बेनीबाद	50	0	0	65
	एम०आई०टी, एम जेड	788	849	550	723
	रतवारा, एमजेड	215	735	826	689
	गोशाला एमजेड ई-10बी, मेन,	45	0	0	1473
	एम जेड	1744	1895	820	688
	कटरा	30	0	0	14
	बरकागांव	127	27	18	46
	देवरिया	120	17	01	0
	जेतपुर	135	0	01	01
	कान्ती	460	53	115	124
	करनौल	132	08	0	10
	मोतीपुर	310	46	60	35
	सरैया	136	0	25	31
	पारू	138	0	0	108
	करजा	80	0	0	30
वैशाली	बिदुपुर	417	07	84	90
	बासूदेवपुर चंदेल	7	0	0	50
	चकसिकंदर	167	17	14	32
	दूसारी	269	19	31	35
	कंचनपुर, धरमपुर	93	62	31	41
	महानर	231	113	04	22
	साहदेई	97	01	01	18
	बेलसर	93	25	0	10
	भगवानपुर	260	13	107	263
	घटारो	73	38	20	31

1	2	3	4	5	6
	हाजीपुर	1343	61	1435	1536
	लालगंज	170	13	11	243
	फुल्हारा	64	11	01	117
	खराए	320	07	08	135
	वैशाली	173	72	08	123
	बिरना लखनसेन	136	17	22	44
	चैनपुर	107	01	06	0
	छपरा खुर्द		0	0	0
	गोरॉल	222	01	45	31
	हारपुर बेलवा	127	08	0	128
	जनदाहा	255	0	44	16
	कन्हौली	45	0	0	120
	महुआ	550	20	103	223
	पाटेपुर	259	0	04	47
	प्रेमराज	123	0	0	0
सीतामढ़ी	बैरगनिया	210	51	48	12
	भुटाही	37	37	0	60
	बेलसंद	129	05	03	32
	धेंग	63	05	01	06
	मजहॉलिया	16	17	16	42
	मेजरगंज	38	13	31	57
	परिहार	103	15	41	25
	परसोनी	36	17	03	40
	राइन	75	18	01	61
	रूनीसैदपुर	35	06	06	48
	सीतामढ़ी	2173	104	848	1000
	सोनबरसा	34	0	0	34
	कोरलहिया	08	0	15	60
	प्रेमनगर	70	0	0	40
	बाजपट्टी	85	08	05	28
	जनकपुर रोड	250	79	13	415
	रायपुर	53	0	0	17
	सूरसंद	41	01	26	37
सहरसा	बैजनाथपुर	66	20	07	29
	बालूआहाट	73	54	35	25
	बालूहा	03	33	12	0
	बंगांव	178	44	101	0
	भावतिया	40	27	17	06
	विरतपुर	17	15	08	0
	धबोली	18	08	01	37
	गोलमा	06	18	0	27
	हरीपुर	52	15	06	07
	कपासिया	11	06	10	04
	मेना राजहनपुर	05	03	04	16
	मंगुआर	49	19	09	48
	मुराजपुर	02	09	31	28
	नौहट्टा	38	25	06	23
	पंचगछिया	127	67	41	28
	रहुआ तुलसिया	13	11	04	28
	एस०बखिआरपुर	17	83	106	263
	सहरसा	25	103	840	1356
	सल्कुआ	10	03	05	0
	सौर बाजार	09	10	12	18
मधेपुरा	अलामनगर	16	05	19	45
	बिहारीगंज	16	29	39	07
	चौसा	79	0	0	140
	गमहरिया	27	50	03	23
	ग्वालपारा	30	0	07	43
	कुमारखंड		0	0	20
	मधेपुरा	46	171	405	409

1	2	3	4	5	6
	मुरलीगंज	36	82	64	73
	पुरैनी	30	18	57	35
	एस०अस्थान	46	57	81	83
	किशनगंज	106	19	48	87
	जदिया	52	0	0	92
	तेलिया हाट	12	0	0	52
सुपौल	बालूआ बाजार	13	5	9	18
	बेटा तेरहा	9	16	57	19
	बिना-भगामा	41	0	64	36
	बीरपुर	1	109	278	145
	छटापुर	8	5	3	70
	जे०राधोपुर	7	45	50	39
	करजेन बाजार	24	10	15	52
	किशनपुर	31	16	11	23
	पिपरा	50	14	31	78
	प्रतापगंज	55	20	21	64
	सरायगढ़	23	4	2	35
	शंकरपुर	—	0	0	25
	सोनबरसराज	53	17	10	107
	सुखपुर	100	14	40	36
	सुपौल	61	224	117	248
	त्रिवेणीगंज	46	82	91	59

[अनुवाद]

एम०ए०आर०आर० प्रणाली के स्थान पर अन्य प्रणाली स्थापित करना

1265. **श्री टी०एम० सेल्वागनपति :**
श्री विष्णुदेव साय :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम०ए०आर०आर० प्रणाली के तहत तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान किए गए टेलीफोनों का कार्य निष्पादन असंतोषजनक है और दोष दर भी बहुत ज्यादा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त राज्यों में इ एम०ए०आर०आर० प्रणाली पर आधारित टेलीफोनों के स्थान पर स्थानं लूप प्रणाली में बेतार (डब्ल्यू०एल०एल०) लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) की राष्ट्रीय दोष दर की तुलना में तमिलनाडु तथा मध्य प्रदेश औसत दोष दर क्रमशः 8.6% तथा 25% हैं।

(ख) से (घ) जी, हां। सरकार वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू एलएल) प्रौद्योगिकी से ठीक ना किए जा सकने वाले खराब एमएआरआर ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को बदलने के लिए कदम उठा रही है। सरकार मार्च, 2002 तक एमएआरआर प्रौद्योगिकी आधारित सभी खराब तथा मियाद समाप्त ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को बदलने की योजना बना रही हैं।

(ङ) लागू नहीं होता।

यूरोपीय संघ के साथ संयुक्त नागर विमानन समझौता

1266. **श्री दिनशा पटेल :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ न नागर विमानन परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं

(ख) यदि हां, तो समझौते की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) भा ने हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ एक संयुक्त नागर विमानन परियो के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें विमानन सुरक्षा हवाई प्रबन्धन विमान यातायात प्रबन्धन, विमान क्षेत्र कार्यकलाप, विमानचा अनुदेशक प्रशिक्षण, एयरलाइन उद्योग इत्यादि में कारोबार सहायता अनुरक्षण जैसे नागर विमानन के विभिन्न पहलुओं पर कार्यशाल संगोष्ठियों तथा पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाना है।

पवन हंस लिमिटेड से अभ्यावेदन

1267. **श्री जी०जे० जावीया :** क्या **नागर विमानन मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पवन हंस लिमिटेड से ब्याज समेत करोड़ रुपये के ऋण को माफ करने के संबंध में कोई अनुरोध हुआ है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रस्ताव की जांच की जा रही है

नागपुर के लिए हवाई उड़ान

1268. श्री नरेश पुगलिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि नागपुर-दिल्ली उड़ान बहुत ही असुविधाजनक है और असमय और सामान्यत: बहुत देरी से जाती है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) क्या सरकार का विचार नागपुर को इंडियन एयरलइंस की दिल्ली-हैदराबाद/ दिल्ली-बंगलौर/दिल्ली-चेन्नई से उड़ान और इनकी वापसी उड़ान से जोड़ने का है,

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिए जाने की संभावना है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइंस को माननीय संसद सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों से नागपुर-दिल्ली सेवा की असुविधाजनक समयसारणी के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, अनुसूची संबंधी/प्रचालनात्मक कठिनाइयों के कारण उड़ानों के समय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दिल्ली-हैदराबाद, दिल्ली-बंगलौर, दिल्ली-चेन्नई मार्ग पर प्रचालित की जा रही इंडियन एयरलाइंस की सेवाएं इन ट्रंक तथा प्रतियोगी मार्गों पर नॉन-स्टॉप ट्रेवल की सुविधा प्रदान करती है।

रेबीज के निवारण तथा नियंत्रण पर सम्मेलन

1269. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेबीज के निवारण और नियंत्रण के संबंध में हाल ही में बंगलौर में एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों ने इस संबंध में क्या सुझाव दिए और उनका क्या परिणाम निकला; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां। यह सम्मेलन 8-9 जुलाई को बंगलौर में हुआ था।

(ख) सम्मेलन की सिफारिश अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रेस राजमार्ग

1270. श्री दिलीप संघाणी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रेस राजमार्ग को किस वर्ष मंजूरी प्रदान की गई थी,

(ख) इस राजमार्ग की अनुमानित लागत कितनी है,

(ग) क्या इस परियोजना को अभी तक पूरा नहीं किया गया है,

(घ) यदि हां, तो इसमें विलंब होने के क्या कारण हैं और फलस्वरूप उक्त राजमार्ग की लागत में कितनी वृद्धि हुई है, और

(ङ) उक्त राजमार्ग को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) गुजरात में अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रेस मार्ग परियोजना 1986 में 137.19 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से स्वीकृत की गई थी।

(ग) से (ङ) संयुक्त उद्यम विफल हो जाने और मूल ठेकेदारों को उनके घटिया कार्य निष्पादन के कारण हटा दिए जाने के कारण परियोजना अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इसे शीघ्रता से पूरा करने के लिए शेष कार्य का कार्यान्वयन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है। अहमदाबाद से नाडियाड खंड के बीच का शेष कार्य (चरण-I) सौंप दिया गया जबकि नाडियाड-बड़ोदरा खंड (चरण-II) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। परियोजना को अब दिसम्बर, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अभी इस स्तर पर परियोजना की बढ़ी हुई लागत नहीं बताई जा सकती है।

वन्य भूमि पर अवैध कब्जे

1271. श्री एन० जनार्दन रेड्डी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कुल कितना वन भूमि क्षेत्र अवैध कब्जों में है;

(ख) अवैध कब्जाधारियों का ब्यौरा क्या है और उन्होंने ऐसी वन भूमि पर कब से अवैध कब्जा कर रखा है;

(ग) क्या इस तरह के अवैध कब्जों को नियमित करने के सरकार के निर्णय से वन भूमि की कुल उपलब्धता पर प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) वन विषय समवर्ती सूची में होने के कारण केन्द्र सरकार की भूमिका अधिकतर नीति मुद्दों से संबंधित है जबकि इसके वास्तविक प्रबंधन और संरक्षण का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। वन भूमि पर अवैध कब्जों का विषय राज्य सरकारों का है। वन भूमि पर अवैध कब्जों का विषय राज्य वन विभाग द्वारा देखा जाता है। इसी प्रकार अवैध कब्जों के विस्तार से आंकड़े मंत्रालय में तैयार एवं संगृहीत नहीं किए जाते हैं।

(ग) और (घ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत बनाए गए दिशा-निर्देशों और नियमों के अनुसार 1980 के पूर्व के उन अवैध कब्जों को नियमित करने का प्रावधन मौजूद है, जहां राज्य सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 बनने के पूर्व स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कुछ मानदंडों के अनुसार पात्रता की श्रेणी में आने वाले कब्जों को नियमित करने का निर्णय तो लिया हो, परन्तु वह इस अधिनियम को लागू होने से पूर्व अपने निर्णय को लागू न कर सकी हो।

ऐसे अवैध कब्जों का नियमन वन भूमि की कुल उपलब्धता को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। तथापि, हानि को पूरा करने के लिए मंत्रालय सामान्य तौर पर इसके बराबर की वनेतर वन भूमि पर और इसके उपलब्ध न होने पर अवक्रमित वन भूमि पर पूरक वनीकरण की शर्त निर्धारित करता है।

[हिन्दी]

औषधीय पौधे

1272. **श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :**
श्री अन्नासाहेब एम० के० पाटील :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में औषधीय गुणवत्ता वाली जड़ी-बुटियों की अति मूल्यावान 217 प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं।

(ख) यदि हां तो सरकार द्वारा इन प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है,

(ग) क्या सरकार का विचार किसानों को जड़ी-बुटियों के इन मूल्यवान पौधों की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार करने का है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ङ) यदि नहीं तो उसके कारण क्या है, और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 29 पादप दुर्लभ/विलुप्त होने वालों में बताए गए हैं। वन्य जीवन मृगवनों (सैन्कटयू आरियों) राष्ट्रीय उद्यानों, जीव मण्डल आरक्षित क्षेत्रों और वनस्पति उद्यानों का ऐसे पादपों के संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। पादपों के संरक्षण में सहायता करने के लिए जीन वैंक भी स्थापित किए गए हैं।

(ग) से (च) औषधीय पादपों की खेती-बाड़ी के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने केन्द्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित की है। स्थान से बाहर (एक्स-सीटू) खेती करने के लिए कृषि तकनीकों का विकास किया जा रहा है। औषधीय और सुगन्धित पादपों की कई किस्मों को तैयार किया गया है और किसानों को उनकी खेती करने के लिए उपलब्ध कराया गया है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची

1273. **श्री अनिल बसु** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतीक्षा सूची में दर्ज बड़ी संख्या में आवेदकों को अब तक टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की स्थिति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी हां। 30.6.2000 की स्थिति के अनुसार, पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में 93,566 आवेदक प्रतीक्षा-सूची में दर्ज थे। जिला-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

बिजली के अभाव में योजनानुसार नए एक्सचेंज चालू न होना, भूमिगत केवल बिछाने में, स्थानीय समस्याएं इस प्रतीक्षा-सूची के मुख्य कारण रहे हैं। जिससे बाहरी नेटवर्क कार्य पर्याप्त नहीं हो पायी है।

(ग) और (घ) जी, हां। 30.6.2000 की स्थिति के अनुसार, सर्किल-वार ग्रामीण प्रतीक्षा-सूची संलग्न विवरण-II में है।

(ङ) नौवीं योजना के लक्ष्यानुसार, 2002 तक ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, आवश्यक ढांचा व उपकरण आदि जुटाने की कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी हैं।

पश्चिम बंगाल सर्किल के ग्रामीण क्षेत्रों के वर्ष 2000-01 के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं :-

नए टेलीफोन एक्सचेंज	-	210
सीधी एक्सचेंज लाइनें	-	1,04,000

विवरण-I

30.6.2000 की स्थिति के अनुसार, पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों की जिला-वार प्रतीक्षा - सूची

जिले का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतीक्षा सूची
24 परगना (एन)	7,259
24 परगना (एस)	3,777
बुर्दवान	14,104
बंकुरा	3,223
बरहामपुर	4,632
कृचबेहार	2,890
दक्षिण दिनाजपुर	1,445
दार्जिलिंग	7,833
हूगली	9,362
हावड़ा	2,041
जलपाईगुड़ी	3,797
माल्दा	2,122
मिदनापुर	10,235
मुर्शीदाबाद	7,467
नादिया	11,120
पुरूलिया	1,051
उत्तर दिनाजपुर	1,208
कुल	93,566

विवरण-II

30.6.2000 की स्थिति के अनुसार सर्किल वार ग्रामीण प्रतीक्षा सूची

सर्किल	ग्रामीण प्रतीक्षा-सूची
2	3
आंध्र प्रदेश	2,60,595
अंडमान व निकोबार	1,468
असम	7,011
बिहार	50,217
गुजरात	59,416
हरियाणा	45,526
हिमाचल प्रदेश	28,753
जम्मू व कशमीर	5,502
कर्नाटक	1,93,274
केरल	5,17,754
मध्य प्रदेश	8,468
महाराष्ट्र	1,58,118
उत्तर पूर्व	9,847
उड़ीसा	20,647
पंजाब	1,11,965
राजस्थान	75,175
तमिलनाडु	1,25,482
उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	66,155
उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	24,564
पश्चिम बंगाल	1,16,133
कुल	18,86,070

[हिन्दी]

अस्पतालों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्देश

1274. **डा० अशोक पटेल :**
श्री सुरेश पासी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अस्पताल के अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने के संबंध में निर्देश दिए हैं ताकि इससे एड्स जैसी जान लेवा बीमारी न फैले;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार

सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को उन अस्पतालों/निर्सिंग होम आदि, जो जैव चिकित्सा अपशेष (प्रबंध एवं रखरखाव) नियम,1998 का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रायल ने यह मामला संबंधित राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के साथ उठाया है।

विदेशी निवेश

1275. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निवेशकों ने गत दो वर्षों के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में निवेश करने में कम रुचि दिखाई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारत में गत तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में कुल कितना निवेश किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में निवेशकों की रुचि बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। वास्तव में, सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से सीधे विदेशी निवेश की अनुमति भी शामिल हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में कुल सीधा विदेशी निवेश निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	सीधा विदेशी निवेश (रु० करोड़ में)
1997	1245.19
1998	1775.64
1999	212.67
कुल	3233.50

(घ) नई दूरसंचार नीति (एन टी पी) की घोषणा से दूरसंचार क्षेत्र भारत में विदेशी निवेशकों सहित निवेशकों के लिए निवेश के बहुत से अवसरों की पेशकश की गई हैं। दूरसंचार सेवाओं की पेशकश करने वाली कम्पनियों में 49% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) अनुमत्य है। दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण के क्षेत्र में 100% विदेशी इक्विटी की अनुमति है। आशा है कि निवेश के नए अवसरों की घोषणा के साथ राष्ट्रीय स्तर की लम्बी दूरी, बुनियादि, सेल्यूलर मोबाइल तथा अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं जैसी सेवाओं से प्रस्ताव आमंत्रित होंगे तब विदेशी निवेशकों की अच्छी प्रतिक्रिया होगी।

चिड़ियाघरों में बाघ और चीतों की मौत

1276. श्री बाबू भाई के० कटारा :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान आज तक विभिन्न चिड़ियाघरों/वन्यजीव अभयारण्यों/टाइगर पार्कों में कितने बाघों और चीतों की मृत्यु हुई/मारे गए;

(ख) इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम क्या-क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) वर्ष 1995-1999 के दौरान विभिन्न चिड़ियाघरों/वन्यजीव अभयारण्यों में मरे शेर और बाघों की संख्या नीचे दी गई है:-

	चिड़ियाघरों में मरे शेर और बाघ	
वर्ष	मरे शेरों की संख्या	मरे बाघों की संख
1995-96	60	41
1996-97	38	36
1997-98	31	74
1998-99	35	44
1999-2000	11	31

	अभयारण्यों में मरे शेर और बाघ	
वर्ष	मरे शेरों की संख्या	मरे बाघों की संख
1995-96	12	21
1996-97	13	17
1997-98	05	24
1998-99	09	35
1999-2000	02	27
2000-2001	05	18

*आंकड़े वर्षवार दिए गए हैं।

(ख) भारत सरकार द्वारा सूचना का संकलन और मिलान किया जाता है।

(ग) चिड़ियाघरों के बारे में भारत सरकार अपनी ओर से केंद्र चिड़ियाघर प्राधिकरण के माध्यम से चिड़ियाघरों को पशु शरणालय के सुधार और पशु चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए वित्त देते हैं। पशुशरणास्थलों, अनुरक्षण, पशुचिकित्सा देखभाल आदि के

ड़ियाघर को मान्यता नियमावली'' के अंतर्गत अनिवार्य मानक निर्धारित ए गए हैं। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो वन्यजीव संरक्षण धनियम, 1972 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा गठित एक सांविधिक ाय है, द्वारा चिड़ियाघरों का आवधिक मूल्यांकन किया जाता है। ापि, मूल्यांकन द्वारा यह पाया गया है कि पशुचिकित्सा तथा अन्य नीकी कर्मचारी उपलब्ध न होने तथा राज्य सरकार के स्तर पर ाधन की कमी के कारण अधिकतर चिड़ियाघर इन मानकों को बनाए ने में असमर्थ हैं। चिड़ियाघर के पशुओं में बीमारी फैलने की बारम्बारता कम करने के लिए नियमित जांच सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों दिशा निर्देश जारी किए गए है। वनों में बाघों के संरक्षण के ए किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए है।

विवरण

भारत सरकार द्वारा बाघों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम

ीय स्तर :

सीमा शुल्क, राजस्व आसूचना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, तट रक्षक, राज्य पुलिस, उप निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण तथा वैज्ञानिक संगठन जैसे कि भारतीय प्राणि एवं वनस्पति सर्वेक्षण जैसी प्रवर्तन एजेंसियों के साथ वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार तथा अवैध व्यापार के नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय समन्वय समिति की स्थापना।

वन्यजीव उत्पादों के व्यापार एवं तस्करी को रोकने में उपर्युक्त विभागों को सुग्राही बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के प्रयासों में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सचिव (पर्यावरण एवं वन), विशेष सचिव (गृह), निदेशक, सी०बी०आई० तथा अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के प्रतिनिधि के साथ एक विशेष समन्वय समिति बनाई गई है।

सशस्त्र दस्तों, वाहनों, संचार नेटवर्क तथा उद्यान प्रबंधों के बीच समन्वय सहित सुरक्षा अब-संरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

चोरी-छिपे शिकार का पता लगाने तथा उसकी सूचना देने के लिए उत्कृष्ट कार्य एवं बहादुरी के कार्य के लिए पुरस्कार देने की स्कीमें शुरू की गई हैं।

राज्य सरकारों को सतर्कता बढ़ाने तथा गश्त तेज करने की सलाह दी गई है।

वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों में सरकार की सहायता के लिए गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य को शामिल करने के लिए जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाना।

बाघ के अंगों तथा उत्पादों के व्यापार मार्गों का पता लगाने में संस्थाओं तथा गैर-सरकारी संगठनों के कार्यक्रमों की सहायता करना तथा बाघ के अंगों तथा उत्पादों के लिए एक न्यायिक अभिनिर्धारण संदर्भ मैनुअल तैयार करना।

9. राज्य सरकारों को क्षेत्रों पर जैविक दवाब कम करने हेतु उनके पारि-विकास के लिए निधियां प्रदान की जा रही है।

10. बाघ परियोजना क्षेत्रों में स्थान विशिष्ट विशेष बल।

11. व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए पूरे देश में विशेष स्ट्राइक बल।

12. वन्यजीव व्यापार नियंत्रण ब्यूरों का सृजन

अन्तरराष्ट्रीय स्तर :

1. बाघों के संरक्षण से संबंधित अन्तरराष्ट्रीय मामलों के समाधान के लिए बाघ रेंज देशों का एक मंच अर्थात विश्व बाघ मंच के सृजन के लिए कार्रवाई।

2. ट्रान्स बाउन्डरी व्यापार को नियंत्रित करना तथा बाघ संरक्षण में परस्पर सहयोग करना :-

(1) चीन के साथ एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(2) महामहिम की नेपाल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(3) बंगलादेश के साथ बातचीत शुरू की गई है।

3. बाघ के अंगों और उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए साइटस के कई संकल्पों को भारत की पहल पर अपनाया गया है।

4. सहस्त्राब्दि बाघ कांफ्रेंस मार्च 1999 में आयोजित की गई थी कांफ्रेंस घोषणा में राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यों के सुझाव की घोषणा की गई।

[अनुवाद]

दो बच्चों के परिवार के लिए नियम हेतु मानदंड संबंधी विधेयक

1277. श्री सुनील खां : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दो बच्चों के परिवार हेतु विधेयक लाने का है,

(ख) यदि हां तो उक्त विधेयक कब तक पेश किया जायेगा, और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) दो बच्चे के आदर्श को अपनाने के कोई विधान पुनस्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वैच्छिक प्रकृति का है जो दम्पति को अपने परिवार के आकार के बारे में निर्णय लेने और परिवार नियोजन विधियां, जो उन्हें सबसे अधिक उपयुक्त लगें, अपनी इच्छानुसार बिना किसी दबाव के अपनाने के लिए समर्थ बनाता है।

सड़क का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नयन

1278. श्री अनन्त नायक : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाणिकोयली से राजामुंडा तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिए जाने के बावजूद उक्त सड़क के स्तर का उन्नयन नहीं किया गया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये/उठाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) पानीकोइली से राजमुंडा तक की सड़क को हाल में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है और उसे उड़ीसा सरकार के राज्य लोक निर्माण विभाग की राष्ट्रीय राजमार्ग शाखा द्वारा मार्च, 2000 को अधिकार में ले लिया गया है। इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग स्तर तक उन्नत करने के कार्य को मंत्रालय द्वारा वार्षिक योजना 2000-2001 में शुरू कर दिया गया है।

(ग) इस राष्ट्रीय राजमार्ग का स्तर बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :-

(i) वार्षिक योजना 2000-2001 के वाहन चालन गुणता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 19.7 कि०मी० की लम्बाई के लिए 5.94 करोड़ रु० के प्राक्कलन स्वीकृत किए गए हैं।

(ii) इस राष्ट्रीय राजमार्ग के सुधार के साध्यता अध्ययन की 3.00 करोड़ रु० की राशि को वार्षिक योजना 2000-2001 में शामिल कर लिया गया है।

(iii) 1999-2000 के चक्रवात के कारण हुई क्षतियों को स्थायी रूप से ठीक करने और कुसेई पुल के निर्माण के लिए 10 करोड़ रु० की लागत के कार्य वार्षिक योजना 2000-2001 में शामिल किए गए हैं।

[हिन्दी]

अपोलो अस्पताल के लिए भूमि के आबंटन हेतु नियम व शर्तें

1279. डा० संजय पासवान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपोलो अस्पताल (नई दिल्ली) और अन्य धर्मार्थ अस्पतालों को रियायती दरों पर भूमि आबंटित की थी,

(ख) यदि हां, तो किन नियमों व शर्तों पर इन अस्पतालों को भूखंडों का आबंटन किया गया था,

(ग) क्या इन अस्पतालों में 40 प्रतिशत बिस्तर गरीब मरीजों और कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित हैं तथा क्या इसका अनुपालन किया जा रहा है,

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं तो सरकार द्वारा उक्त अस्पतालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

डाक और संचार नेटवर्क का विस्तार

1280. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में डाक और संचार सेवाओं के विस्तार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी हां।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना की चालू वार्षिक योजना में 500 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ईडीबीओ), 50 विभागीय उप डाकघर (डीएसओ) तथा 1000 पंचायत संचार सेवा केन्द्र (पीएसएसके) का लक्ष्य आबंटित किया गया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना की वार्षिक योजना 2001-2002 में भी 500 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर, 50 विभागीय उप डाकघर तथा 1000 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

देश में 2000-2001 के दौरान 57.9 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन देने की योजना बनाई गई है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया जा रहा है तथा नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले जा रहे हैं। इसके अलावा, जहां-कहीं अपेक्षित है, कस्टमर एक्सेस नेटवर्क का भी विस्तार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए उत्तर अपेक्षित नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा का विस्तार

1281. श्री कालवा श्री निवासुलु :
डा० वी० सरोजा

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा के अन्तर्गत जिला-वार कितने गांवों को शामिल किया गया है और विशेषकर आन्ध्र

प्रदेश और तमिलनाडु के पिछड़े क्षेत्रों में उक्त सुविधा कितने गांवों में उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के गांवों में टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार करने हेतु कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा युक्त एवं सुविधा रहित ग्रामों की संख्या नीचे दी गई है :- जिले-वार ब्यौरा विवरण-I तथा II में दिया गया है।

क्र० सं०	राज्य	ग्रामों की कुल सं०	वीपीटी सुविधा युक्त ग्रामों की संख्या	वीपीटी सुविधा रहित ग्रामों की सं०
1.	आंध्र प्रदेश	29460	23379	6081
2.	तमिलनाडु	17900	17847	53

(ख) और (ग) जी हां, तमिलनाडु में शेष 53 ग्रामों को दूरसंचार सुविधा अगस्त 2000 तक प्रदान करने की योजना है तथा आंध्र प्रदेश के शेष 6081 ग्रामों में प्राइवेट फिक्सड सेवा प्रदाता (एफ एस सी) द्वारा यह सुविधा प्रदान किए जाने की योजना है।

विवरण-I

आंध्र प्रदेश में दूरसंचार सुविधा रहित ग्रामों की सूची

आंध्र प्रदेश :-

क्र. सं.	जिले का नाम	ग्रामों की कुल सं०	दूरसंचार सामान्य	सुविधा रहित जनजातीय	ग्राम कुल	दूरसंचार सुविधा युक्त ग्राम
1	2	3	4	5	6	7
1.	अदीलाबाद	1627	386	175	561	1066
2.	अनंतपुर	1071	74	0	74	997
3.	चितौड़	1766	378	0	378	1388
4.	कुड्डप्पा	1041	63	0	63	978
5.	ईस्ट गोदावरी	1457	7	433	440	1017
6.	गुंटूर	1019	0	0	0	1019
7.	हैदराबाद	0	0	0	0	0
8.	करीमनगर	1215	129	0	129	1086
9.	खम्माम	1168	0	261	261	907
10.	कृष्णा	1098	33	0	33	1065
11.	करनूल	971	20	0	20	951
12.	महबूब नगर	1530	62	13	75	1455
13.	मेढ़क	1238	69	0	69	1169
14.	नलगोंडा	1221	89	0	89	1132
15.	नेल्लूर	1269	129	0	129	1140
16.	निजामाबाद	885	156	0	156	729
17.	प्रकाशम	1222	178	0	178	1044
18.	रंगारेड्डी	916	2	0	2	914

1	2	3	4	5	6	7
19.	श्रीकाकुलम	1841	303	98	401	1440
20.	विशाखापट्टनम	3227	0	2287	2287	940
21.	विजयानगरम	1552	91	241	332	1220
22.	वारांगल	1072	229	150	379	693
23.	पश्चिम गोदावरी	1054	0	25	25	1029
	कुल	29460	2398	3683	6081	23379

विवरण-II

तमिलनाडु में दूरसंचार सुविधा रहित ग्रामों की सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	ग्रामों की कुल सं०	दूरसंचार सुविधा रहित ग्राम	दूरसचांर सुविधा युक्त ग्राम
1	2	3	4	5
1.	कांचीपुरम	1100	0	1100
2.	कोयम्बटुर	488	0	488
3.	कुड्डालूर	790	0	790
4.	धर्मापुरी	1170	15	1155
5.	डिंडंगुल	399	1	398
6.	एरोड	531	3	528
7.	कन्याकुमारो	183	0	183
8.	करूर	189	0	189
9.	मदुरै	631	0	631
10.	नागापट्टनम	338	0	338
11.	नामाक्कल	451	1	450
12.	पेरम्बलूर	402	0	402
13.	पेरियाकुलम	173	0	173
14.	पुडुकोट्टे	816	0	816
15.	रमनाड	554	0	554
16.	सेलम	652	0	652
17.	शिवगंगा	635	0	635
18.	तंजावर	846	0	846
19.	पेनीगिरीज	55	1	54
20.	तिरूनेलवेलि	590	0	590
21.	तिरूवल्लूर	630	0	630
22.	तिरूवरूर	714	0	714
23.	तिरूवन्नामल्लै	1125	13	1112
24.	त्रिची	546	0	546
25.	ट्यूटीकोरिनेम	507	0	507
26.	वेल्लूर	907	4	903
27.	विल्लेपुरम	1561	15	1546
28.	विरूद्धनगर	651	0	651
29.	पांडिचेरी	266	0	266
	कुल	17900	53	17847

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नए आयुर्वेदिक कालेज खोलना

1282. योगी आदित्यनाथ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में नए आयुर्वेदिक कालेज खोलने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद से 1999-2000 और अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

अनुवाद]

जनसंख्या नियंत्रण

1283. **डा० ए०डी०के० जयशीलन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनसंख्या नियंत्रण के लिए अलग विभाग बनाने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता र्मा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को मानीटर रने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में पहले से एक थक विभाग नामत: परिवार कल्याण विभाग है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चालू राजमार्ग-परियोजना की समीक्षा का प्रस्ताव

1284. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का "बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो" ओ०टी०) कार्यविधि के तहत चल रहीं राजमार्ग परियोजनाओं समीक्षा करने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार के पास ऐसी समीक्षा करने के लिए कोई आई है, और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण ।) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दी]

पोलीथीन की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध

1285. **मोहम्मद अनवारूल हक :**
श्री तरूण गोगोई :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र-तटों के आस-पास पोलीथीन की थैलियों के ोग से न केवल पारिस्थितिकीय संतुलन पर प्रभाव पड़ता है बल्कि समुद्री जीव-जन्तुओं के लिए भी नुकसानदेह है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को समुद्र तटों के आस-पास समुद्री जीव जन्तुओं पर पॉलीथीन की थैलियों और पारिस्थितिकीय संतुलन को बिगाड़ने के नुकसानदेह प्रभाव संबंधी वैज्ञानिक अध्ययन की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्लास्टिक पॉलीबेगों एवं अन्य प्लास्टिक पैकिंग सामग्रियों द्वारा कूड़ा-कचरा बिखेरने को हतोत्साहित करने और उनकी रिसाइकलिंग को प्रोत्साहन देने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स मैन्युफेक्चर एंड यूसेज नियमावली, 1999 को प्रकाशित किया है। इन नियमों में उल्लेख है कि अप्रयुक्त या रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बने कैरिबैगों की कम से कम मोटाई 20 माइक्रोन होनी चाहिए। ये नियम खाद्य सामग्रियों के भण्डारण, ढोने, वितरण या पैकेजिंग के लिए रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बने कैरिबैगों और डिब्बों के उपयोग को भी निषद्ध करते हैं। इसके अतिरिक्त गोवा जैसे तटीय राज्यों सहित कई राज्य सरकारों ने पालीबैगों को कूड़े में डालने से रोकने के लिए स्वयं द्वारा बनाए गए कानून अधिसूचित किए हैं।

[अनुवाद]

विभिन्न विमान सेवाओं द्वारा बढाया गया किराया

1286. **श्री चन्द्रकांत खैरे :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में घरेलू मार्गों पर किराया बढ़ाने हेतु विभिन्न विमान सेवाओं को अनुमति दी है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या किराये में बढोतरी प्रति यात्री, प्रति मील उतनी हीं होगी जितनी की ईंधन लागत में बढोतरी हुई,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है कि ईंधन की बढी हुई लागत के नाम पर कैरियर्स किराया नही बढा सकते?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ङ) अन्तर्देशीय विमान किराए नियमित नहीं होते हैं और निवेश लागत तथा समय-समय पर मार्किट से प्राप्त उनकी जानकारी के अनुसार एयरलाइनें अपने किरायों का समायोजन करती रहती हैं। एयरलाइन बाजार में प्रतिस्पर्धा का रूख स्वस्थ होना यात्रियों के लिए लाभकारी होता है राज्य सरकारों द्वारा एटीएफ की लागत में वृद्धि करने से एटीएफ के बिक्री कर में बढोतरी, विमानपत्तन प्राधिकारियों द्वारा अवरतरण और दिक्चालन शुल्कों में वृद्धि, विनिमय आदि की दर में वृद्धि से एयरलाइनों के प्रचालनों की लागत में प्रयाप्त रूप से वृद्धि हुई है। अत: एयरलाइनें निवेश लागत में प्रति वृद्धि से किराए में वृद्धि सहित विभिन्न उपायों पर विचार कर सकती है।

सड़क सुरक्षा के संबंध में एकीकृत प्राधिकरण का गठन

1287. **श्री के०पी० सिंह देव :**
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सड़क सुरक्षा के संबंध में राज्यों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से युक्त एक एकीकृत प्राधिकरण का गठन करने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार मृतप्राय सड़क सुरक्षा संबंधी समिति के पुनर्गठन पर विचार कर रही है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) नई दिल्ली में 12 जून, 2000 को सम्पन्न राज्य लोक निर्माण विभाग के मंत्रियों के सम्मेलन में राजमार्ग गश्त और राजमार्ग परिसम्पति की सुरक्षा के लिए राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य पुलिस और परिवहन विभागों को शामिल करते हुए एक एकीकृत प्राधिकरण के गठन पर विचार-विमर्श किया गया तथा सभी राज्य सरकारों ने इसका एक मत से समर्थन किया। इस मामले की जांच के लिए तथा उपयुक्त सिफारिश करने के लिए जल-भूतल परिवहन राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने 17 मई, 2000 के संकल्प सं० आर टी-25014/3/97-आर एस सी के तहत राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन कर दिया है (प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

भारत का राजपत्र
असाधारण
भाग I—खण्ड 1
प्राधिकार से प्रकाशित

सं० 98] नई दिल्ली, बुधवार, मई 17, 2000/वैशाख 27, 1992
No. 98]

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)
संकल्प
नई दिल्ली, 17 मई, 2000

सं० आर टी-25014/3/97-आर एस सी — अध्यक्ष, राष्ट्रीय संड़क सुरक्षा परिषद मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 16 मई, 1991 के संकल्प सं० आर टी-23019/3/88-टी का अधिक्रमण करते हुए परिषद का निम्न प्रकार प्रनर्गठन करते हैं :-

क्र.सं.	विवरण	संख्या	संक्षिप्त टिप्पणियां
1	2	3	4
क.	**सरकारी सदस्य**		
1.	केन्द्रीय जल-भूतल परिवहन मंत्री	1	अध्यक्ष
2.	जल-भूतल परिवहन राज्य मंत्री	1	उपाध्यक्ष
3.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सड़क परिवहन के प्रभारी मंत्री (अथवा कोई प्रतिनिधि जिसका पद सचिव से कम के स्तर का न हो)		
4.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशक (अथवा कोई प्रतिनिधि जिसका पद अपर महानिदेशक से कम के स्तर का न हो)	32	
5.	केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों के प्रतिनिधि	7	(i) गृह मंत्रालय (ii) मानव संसाध (iii) रेलवे (iv) रसायन और पेट्री रसायन वि (v) औद्योगिक वि विभाग (vi) योजना आयो (vii) पर्यावरण वि
6.	महानिदेशक (सड़क विकास) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	1	सड़क पक्ष
7.	सदस्य सचिव	1	संयुक्त सचिव (परिव
ख.	**सहयोजित संस्थागत/वैयक्तिक सदस्य**		
8.	एसोसिएशन ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरंस अध्यक्ष/सचिव, कोर-4 बी जोन-IV, पांचवा तल, इंडिया हैबि सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली।		
9.	ऑटो मोबाइल एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया के अध्यक्ष/सचि सी-8, इस्टीच्यूशनल एरिया, कुतुब होटल के पीछे, नई दिल		
10.	ऑटो मोबाइल एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया के अध्यक्ष/सचि 38-ए, माउट रोड, चेन्नै		
11.	ऑटो मोबाइल एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया के अध्यक्ष/सचि 76 वीर नरीमन रोड, चर्च रिक्लेमेशन, मुंबई		
12.	ऑटो मोबउइल एसोसिएशन ऑफ इस्टर्न इंडिया के अध्यक्ष/सचि 13 प्रोमोथेश, बरवा सरनी, कलकत्ता		
13.	एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट, अंडरटेकिंग्स के अध्य सचिव, 7/6 सिरी फोर्ट, इस्टीच्यूशनल एरिया, खेल गांव मार्ग दिल्ली-110049		
14.	निदेशक, इंस्टीच्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, तारामनी, चैन्ने-600		

अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 1-ए इस्टर्न एवेन्यू, महारानी बाग, नई दिल्ली-110025

निदेशक, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, दिल्ली मथुरा रोड, दिल्ली

निदेशक, केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान, नासिक रोड, भोसारी, पुणे

अध्यक्ष, आटोमोटिव कपोनेन्ट मेन्यूफैक्चर्रस एसोसिएशन, 203-205, कीर्ति दीप बिल्डिंग, नागलराय बिजनेस सेंटर, नई दिल्ली-110046

अध्यक्ष ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस 16-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली

इस्टीच्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एज्यूकेशन के अध्यक्ष/सचिव, बी-128, डी डी ए शेड्स, ओखला इंस्डस्ट्रीयल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली

अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम, नई दिल्ली

परिषद के विचारार्थ विषय और कार्य इस प्रकार होंगे:-

(i) सड़क परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा की नीतियों, पद्धतियों, मानकों की योजना बनाने और समन्वित करने से संबधित सभी मामलों के संबंध में सलाह देना;

(ii) सड़क सुरक्षा संगठन तथा सड़क परिवहन की प्रभारी अन्य एजेंसियों का गठन करना और तत्संबंधी सिफारिश करना;

(iii) सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के रख-रखाव और उनके विश्लेषण सहित सड़क परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा पहलुओं में सुधार लाने के लिए अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों का सुझाव देना;

(iv) केन्द्रीय स्तर पर सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा किए गए सड़क सुरक्षा उपायों का सामान्य तौर पर पर्यवेक्षण और निगरानी रखना।

परिषद अपने कार्यकरण के लिए अपनाए जाने वाली प्रक्रिया और पद्धतियों का निर्णय करेगी।

परिषद वर्ष में न्यूनतम अपनी एक बैठक आयोजित करेगी।

उपर्युक्त सहयोजित संस्थागत/वैयक्तिक सदस्यों की कार्यावधि इस संकल्प के जारी होने की तारीख से दो वर्ष होगी।

गुजरात में नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा

1288. **श्री पी०एस० गढ़वी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने कुछ राजमार्गों को नए राष्ट्रीय मार्गों के रूप में घोषित करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजे हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या कुछ मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित ने और राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त ान दिया गया है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी नहीं। क्योंकि इस वर्ष गुजरात में कोई नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं किया गया है।

विवरण

गुजरात सरकार से प्राप्त प्रस्ताव

क्र. सं.	रूट	कि०मी०
1.	बगोदरा-वाटामन-तारापुर-बोरसाड-पाड़ा करजन सड़क	131
2.	राजकोट-जामनगर-वाडीनार सड़क	150
3.	शामलाजी-मोडासा-मोधरा-हलोल-राजपीपला-वापी ईस्टर्न स्टेट हाइवे सं० 5	505
4.	सरखेज-सानन्द-वीरमगाम-मालवान-धरंगधरा-हलवाड-मलिया-राज्यीय राजमार्ग सं० 5 और 17 जो अहमदाबाद के निकट रा०रा० 8 ग और मलिया के निकट रा०रा०-8क के साथ जुड़ते हैं।	187
5.	रा०रा०-14 पर पालनपुर से गांधी नगर-अहमदाबाद रा०रा० सं० - 8 तक लिंक रोड	150
6.	मेहसाना-चानास्मा-राधापुर	165
7.	रा०रा० सं० 8 क और 8 ख पर राजकोट को जोड़ने वाला राज्यीय राजमार्ग सं० 14-नवलखी पत्तन तक विस्तार	109
8.	रा०रा०-8 को रा०रा०-6 के साथ जोड़ने वाली वडोदरा- पोर-सिनोर-नेटरंग-व्यारा-अहवा-सतपुड़ा-नासिक सड़क	245
9.	भारतीय सीमा तक भुज-कनावडा-इंडिया ब्रिज-धर्मशाला तक रा०रा०-15 का विस्तार	170
10.	वडोदरा के निकट और रा०रा०-8 के साथ जुड़ने वाली मलिया-जामनगर-ओखा-पोरबंदर-वेरावल-दिय्-भावनगर-कजरा सड़क	765
11.	मांडवी-नारायण सरोवर	125
12.	नाडियाड-कपाडवांज-मोडासा	135
13.	अहमदाबाद-धोलका-भावनगर	150
14.	सूरत-कालीकट-मुम्बई धाया नागपुर	—

[हिन्दी]

वनरोपण कार्यक्रम

1289. श्रीमति शीला गौतम : क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में वनरोपण कार्यक्रम हेतु गैर-सरकारी संगठनों/संस्थानों को लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और इन संगठनों/संस्थानों को किस प्रकार इस काम में लगाया जाएगा और राज्यवार आबंटन का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए एक सहायता अनुदान स्कीम चलाता है जिसके तहत गैर-सरकारी संगठनों को वनीकरण संबंधी गतिविधियों के लिए वित्तिय सहायता प्रदान कराई जाती है। स्कीम के तहत पौद उगाने तथा पौध रोपण आदि कार्यों के लिए अनुमोदित लागत नियमों और स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार धनराशि प्रदान की जाती है। इस स्कीम के तहत आबंटन राज्यवार न होकर प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है। नौंवी योजना में अब तक गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की गई धनराशि राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता अनुदान देने से संबंधित पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की योजना के अंतर्गत नौवीं योजना के दौरान अब तक राज्यवार, गैर सरकारी संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	उन गैर सरकारी संगठनों की संख्या जिन्हें नौवीं योजना के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं	दी गई कुल धनराशि (लाख रुपए)
1	2	3
राज्य प्रदेश	47	123.12
अरूणाचल	3	12.75
असम	–	–
बिहार	18	44.91
गोवा	–	–
गुजरात	2	8.20
हरियाणा	–	–
हिमाचल प्रदेश	3	10.06
जम्मू और कश्मीर	2	7.79
कर्नाटक	26	80.30
केरल	–	–
मध्य प्रदेश	3	8.51
महाराष्ट्र	–	–
मणिपुर	12	47.75
मेघालय	1	1.09
मिजोरम	–	–
नागालैण्ड	20	63.46
उड़ीसा	4	13.20
पंजाब	–	–
राजस्थान	–	–
सिक्किम	1	1.00
तमिलनाडु	17	35.66
त्रिपुरा	–	–
उत्तर प्रदेश	20	68.38
पश्चिम बंगाल	19	36.82
कुल	198	563.00

देवभोग हीरा खानों में उत्खनन कार्य

1290. श्री धावर चन्द गेहलोत : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश की देवभोग हीरा खानों में उत्खनन कार्य की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त खानों में अवैध रूप से उत्खनन कार्य करने के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश सरकार हीरक सामग्री की जांच करने के बहाने आस्ट्रेलिया को कच्ची हीरक सामग्री भेज रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय देश और राज्य के हित में है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा हीरक सामग्री की जांच करने के बहाने उसे बाहर भेजने की प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (ङ) मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में, मैसर्स बी० विजयकुमार छत्तीसगढ़ एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड

(बी०वी०सी०इ०एल०) रायपुर को बेहराडीह ब्लाक में, 4600 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में हीरे के निक्षेपों के हवाई सर्वेक्षण, गवेषण और मूल्यांकन के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार के दिनांक 16.12.99 के आदेश द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए, पूर्वेक्षण लाइसेंस दिया गया है और दिनांक 25.1.2000 को पूर्वेक्षण लाइसेंस डीड निष्पादित की गई। रायपुर जिले का देवभोग क्षेत्र, बेहराडीह ब्लाक का एक भाग है।

2. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार हीरे या सम्बद्ध खनिजों के उत्खनन और खनन के लिए, क्षेत्र में, किसी को भी कोई अनुमति नहीं दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार को, देवभोग क्षेत्र में, हीरे या सम्बद्ध खनिजों के अवैध उत्खनन की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

3. राज्य सरकार के दिनांक 19.4.2000 और दिनांक 4.7.2000 के पत्रों द्वारा बी०वी०सी०इ०एल० को पर्थ (पश्चिमी आस्ट्रेलिया) और जोहानसबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) स्थित प्रयोगशालाओं में, परीक्षण के लिए 5000 कि०ग्रा० किम्बरलाइट रॉक और साइल सैम्पलों को दो चरणों में भेजने की अनुमति प्रदान की गई थी। राज्य सरकार के अनुसार पहली क्षेप के अभी तक प्राप्त परीक्षण परिणाम बहुत उत्साहजनक हैं और इनसे रायपुर जिले के बेहराडीह ब्लाक में डायमंड फैरिस किम्बरलाइट पाइपों के होने की संभावनाओं का पता चला है।

[अनुवाद]

दिल्ली में केन्द्रीकृत दुर्घटना और संघात सेवाएं (केट्स) आरम्भ किया जाना

1291. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमति रेणुका चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 13 जून, 1997 को हुई उपहार सिनेमा दुर्घटना में हताहतों को पर्याप्त चिकित्सा और अन्य सुविधाओं को प्रदान करने में हुए विलम्ब के कारण बहुत सी मौतों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में केन्द्रीकृत दुर्घटना और संघात सेवाएं (केट्स) आरम्भ की है अथवा करने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो यह सुविधा कब तक लागू कर दिये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क), से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत एक केन्द्रीकृत दुर्घटना एवं आघात सेवा (केट्स) है। टेलीफोन नं० 1099 " या 102" के जरिए दुर्घटना की सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। दिल्ली पुलिस और दिल्ली अग्नि सेवाओं के माध्यम से भी वायरलेस सेटों पर सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। केट्स के पास 23 एंबुलेंस हैं जो 23 विभिन्न स्थानों पर तैनात हैं।

एंबुलेंस वायरलेस उपकरणों तथा अन्य परिष्कृत प्राथमिक उपचार उपकरणों से लेस हैं। परा-चिकित्सीय कार्मिकों (पैरा-मेडिक्स) के लिए रिफ्रेशर कार्यों की व्यवस्था की गई। ताकि वे किसी भी आपात संभाव्यताओं से निपट सकें।

इंडियन एयरलाइंस/एअर इंडिया की उड़ानों में विलंब

1292. कर्नल (सेवानिवृत) सोना राम चौधरी :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया की बहुत सी उड़ानें तकनीकी कारणों या पायलटों द्वारा इंकार करने के फलस्वरूप विलम्ब और रद्द हुई हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी एयरलाइन-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई,

(ग) क्या सरकार का विचार अपने सम्माननीय यात्रियों को भविष्य में असुविधा और परेशानी से बचाने के लिए ऐसी स्थिति से बचने हेतु सुधारात्मक उपाय करने का है,

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेवार कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का है,

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विलंब की अवधि के लिए विमान यात्रियों को प्रतिपूर्ति का भुगतान करने का है,

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जबकि पायलटों की मनाही के कारण इंडियन एयरलाइंस की किसी भी उड़ान में विलंब नहीं हुआ, वहीं पिछले तीन वर्षों के दौरान एअर इंडिया के कुछ पायलटों की विमान उड़ानें में गैर-उत्तरदायी कृत्यों के कारण एअर इंडिया की कुछ उड़ानें विलम्बित हुई/रद्द की गई। इसके अतिरिक्त तकनीकी कारणों से एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस की कुछ उड़ानों में विलम्ब हुआ।

(ग), से (छ) उड़ानों में हुए विलम्बों का पूरा पता लगाया जाता है तथा जहां भी आवश्यक हो सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। यहां विलम्ब के लिए स्टाफ दोषी पाया जाता है, गलती करने वाले स्टाफ के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाती है। अनुसूचित ग्राउंड समय में कटौति करने या कोशिश करने में हुए विलम्ब के समय स्टेशनों पर उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त यदि आवश्यक हो, यात्रियों की आवश्यकताएं जैसे नाश्ता, भोजन, होटल आवास तथा परिवहन की भी व्यवस्था की जाती हैं। इसके आगे यदि विलम्बित प्रस्थान से पहले कोई वैकल्पिक उड़ान उपलब्ध होती है तो, यात्रियों को इसकी भी पेशकश की जाती है। यात्रियों के वैयक्तिक संदेश को इंडियन एयरलाइंस के संचार चैनलों के प्रयोग से उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया जाता है। इसके अतिरिक्त, कुछ विदेशी स्टेशनों पर विलम्बित उड़ान की यात्रियों को डिनाइड बोर्डिंग प्रतिपूर्ति भी दी जाती है।

[हिन्दी]

गंगोत्री घाटी में पर्यावरण संरक्षण

1293. श्री तूफानी सरोज : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 जून, 2000 के जनसत्ता में गंगोत्री घाटी में पर्यावरण संरक्षण के नाम पर फरेब ही फरेब शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ स्वयंसेवी संगठन काम कर रहे हैं और वे सरकार तथा विदेशों से धन प्राप्त करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन संगठनों द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त की गई;

(च) क्या सरकार ने अपनी कार्य-प्रणाली की समीक्षा की है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ज) सरकार द्वारा गंगोत्री घाटी में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां। हाल ही में कुछ समय से पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि होने से गंगोत्री घाटी प्रदूषित हो रही है।

(ग) और (घ) ज्ञात हुआ है कि हिमालय पर्यावरण ट्रस्ट जो एक स्वैच्छिक संगठन है, जून 1994 में शुरू की गई गंगोत्री संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत गंगोत्री संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहा है। वन संरक्षण इस परियोजना के अन्तर्गत एक घटक है। संरक्षण गतिविधियों के लिए हिमालय पर्यावरण ट्रस्ट को 1994 में निम्नलिखित एजेंसियों द्वारा निधियां दी गई थीं:

1.	भारत सरकार	15 लाख रुपए
2.	उत्तर प्रदेश सरकार	15 लाख रुपए
3.	अमरीकन हिमालयन फाउंडेशन	50,000 अमरीकी डालर

(ङ) भारत सरकार द्वारा संरक्षण कार्यकलापों के लिए वर्ष 1997 में 6.325 लाख रुपये की और राशि उपलब्ध करवाई गई थी।

(च) और (छ) इस स्वैच्छिक संगठन के कार्यों की जिला वन अधिकारी, उत्तरकाशी और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा आवधिक पुनरीक्षा की जाती है। यह पाया गया कि इन संगठनों द्वारा किया जा रहा कार्यान्वयन संतोषजनक था।

(ज) गंगोत्री घाटी में हिमालयन पर्यावरण ट्रस्ट के माध्यम से किए जा रहे पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कार्यों का कार्यान्वयन किया गया था।

1. सामूहिक शौचालयों का निर्माण
2. वनीकरण
3. ठोस अपशेष प्रबंध
4. जन जागरूकता।

[अनुवाद]

वन्यजीवों का संरक्षण

1294. श्री जयभद्र सिंह :
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सर्कसों में वन्यजीवों की जीवन दशा बिगड़ती जा रही है और इन्हें क्रूर व्यवहार से त्रस्त होकर रिंग मास्टर के अनुदेशों का पालन करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में सर्कस मालिकों को जो मार्गनिर्देश जारी किए हैं, उनका ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी हां।

(ख) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने जानवरों के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 14.10.1998 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भालुओं, बन्दरों, बाघों, चीतों और शेरों को कला दिखाने वाले जानवरों के रूप में प्रदर्शित या प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, केरल उच्च न्यायालय द्वारा ओ पी सं० 155/99 तथा सर्कसों से संबंधित अन्य मामलों में दिनांक 6.6.2000 को जारी किए गए आदेश के अनुसरण में सभी मुख्य वन्यजीव संरक्षकों को सर्कसों द्वारा सौंपे जाने वाले जानवरों को प्राप्त करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार ने जानवरों के लिए तिरूपति विशाखापत्तनम, बंगलौर, जयपुर और वन्डलूर (चेन्नई) में पांच पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए हैं।

दूरसंचार और सूचना प्रोद्योगिकी-एकीकरण के संबंध में दल की सिफारिशें

1295. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार और सूचना प्रोद्योगिकी के एकीकरण के लिए गठित दल ने दोनों क्षेत्रों के सामने आ रही कुछ प्रमुख समस्याओं के समाधान से संबंधित अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं;

(ख) यदि हां, तो दल ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं;

(ग) क्या सरकार ने सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उनमें से एक सिफारिश पेजिंग के लिए राजस्व बंटवारे की भी थी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार उन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) **जी, हां। दूरसंचार व सूचना प्रौद्योगिकी समाभिरूपता दल (जी ओ टी आई टी) द्वारा अब तक की गई सिफारिशें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित से संबंधित हैं :-**

(i) **बेसिक व सैल्यूलर, मोबाइल टेलीफोन सेवा-प्रदाताओं के संबंध में माइग्रेशन पैकेज के तहत लाइसेंस-शुल्क की अदायगी की अंतिम तारीख, 31.1.2000 को आगे बढ़ाना। इसे सरकार ने पहले ही मान लिया है,**

(ii) **स्पोंसर-ईक्विटी की पंचवर्षीय लोक-इन अवधि,**

(iii) **रेडियो पेजिंग-उद्योग की समस्याएं**

(iv) **इंटरनेट सेवा-प्रदाताओं द्वारा अंतरराष्ट्रीय बैण्डविड्थ- की उपलब्धता में सुधार हेतु, गेटवे स्थापित करने के लिए ''समुद्री फाइबर ऑप्टिक केबल'' का उपयोग,**

(v) **माइग्रेशन पैकेज के अनुरूप, बेसिक व सैल्यूलर मोबाइल सेवा-प्रदाताओं की ओर बकाया 31 जुलाई 99 से बाद के लाइसेंस-शुल्क पर ब्याज की गणना के तरीके।**

उल्लिखित पैरों (ii) से (v) की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

(ङ) से (छ) जी, हां। दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी समाभिरूपता दल ने सिफारिश की थी कि 1 अगस्त' 99 से पेजिंग-उद्योग को राजस्व भागीदारी में माइग्रेशन की अनुमति दी जाए। उनकी यह सिफारिश भी सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

लम्बित परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति

1296. **श्री सुरेश चन्देल :**
श्री सुबोध मोहिते :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लम्बित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप राज्य-वार कितनी अनुमानित हानि हुई है; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र पर्यावरणीय स्वीकृति या अस्वीकृति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम प्रस्तावित है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) 15.7.2000 की स्थिति दर्शाने वाला **विवरण संलग्न** है पूरी सूचना प्राप्त होने पर 90 दिनों के भीतर पर्यावरणीय **मंजूरी के** लिए प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उद्योग क्षेत्र

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	**आन्ध्र प्रदेश**	
1.	**मैसर्स नागार्जुन एग्रीकैम लि० द्वारा सिरकाकुलम जिले में कीटनाशक इकाई का विस्तार**	5.5.2000 को मांगी गई अतिरिक्त सूचना हाल ही में प्राप्त हुई। अंतिम निर्णय के लिए फाइल प्रस्तुत की जा रही है।
2.	**मैसर्स भागीरथ कैमीकल और इन्डस्ट्रीज लि० द्वारा चेरूवुकोमुपालन गांव, ओंगोल मण्डल प्रकाशन जिले में 300 ही पी ए से 1000 टी पी ए क्लोरपायरीफास की उत्पादन क्षमता का विस्तार**	अतिरिक्त सूचना 25.5.2000 को प्राप्त हुई और इसे विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।
3.	**मैसर्स एल एंड टी लि० द्वारा आनंतपुर, ताड़ीपत्री में सीमेन्ट प्लांट का विस्तार**	अतिरिक्त सूचना 29.6.2000 को प्राप्त हुई। खनन परियोजना से भी जुड़ी हुई है।
4.	**मेसर्स कृष्णा गोदावरी पावर यूटिलिटीज लिमिटेड का वाडापाली, नलगोंडा जिले में 2×30 मे०वा० कोल बेस्ड पावर प्लांट**	19.5.2000 को मांगी गई अतिरिक्त सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

1	2	3
5.	मेसर्स जी०वी०के० इन्डस्ट्रीज लि०, हैदराबाद द्वारा जेगुरूपाडू पूर्वी गोदावरी में 390 मे०वा० (आई०एस०ओ०) विस्तार (चरण-2)	प्रस्ताव 14.6.2000 को प्राप्त हुआ।
6.	मेसर्स एल एण्ड टी०लि० द्वारा जिला कुरनूल में तुमालापेटा चूना पत्थर खान का विस्तार एम०एल० क्षेत्र-153.0 हेक्टेयर उत्पादन 0.22 एम०टी०पी०ए० क्षमता	अतिरिक्त सूचना 20.6.2000 को प्राप्त हुई थी।
	अरूणाचल प्रदेश	
7.	सीमा सड़क संगठन द्वारा 0.00 किमी से 57 किमी (एम०एस०जी० सड़क) तक हयनलिआंग-चांगलागोन सड़क का निर्माण	जन सुनवाई रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
8.	सीमा सड़क संगठन द्वारा हटपोलिजोरम-सारलि-हुरी सड़क का निर्माण	- वही -
9.	सीमा सड़क संगठन द्वारा टोंगीकोरला यारलुंग सड़क का निर्माण	- वही -
10.	सीमा सड़क संगठन द्वारा मानिगोंग टाड़डेगी सड़क का निर्माण	- वही -
	गोवा	
11.	मैसर्स पिंकी शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सानकोली गाँव, सलसटी तालूका के सर्वेक्षण संख्या 209/2 में ड्राइ डॉक एवं शेड का प्रस्तावित निर्माण	10.7.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई।
गुजरात		
12.	मैसर्स टाटा कैमीकल द्वारा मीठापुर में कलिंकारीजेशन प्लांट का विस्तार	अतिरिक्त सूचना 7.7.2000 को प्राप्त हुई है।
13.	मैसर्स फिकाम (एफ आई सी ओ एम) द्वारा जी आई डी सी औद्योगिक क्षेत्र अकंलेश्वर भरूच में वर्तमान कीटनाशक संयंत्र में वैकल्पिक उत्पाद का प्रस्ताव	9.6.2000 को विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिश की गई है। अंतिम निर्णय के लिए फाइल प्रस्तुत की गई है।
14.	मैसर्स पैस्टीसाइड इण्डिया लि० द्वारा जी आई डी सी, पनौली जिला भरूच में कीटनाशक उत्पाद इकाई का विस्तार	प्रस्तावक ने आस्थगन मांगा है।
15.	मैसर्स गुजरात अदानि पोर्ट लिमिटेड द्वारा मुद्रा पोर्ट जिला कच्छ में कनर्टेर, ड्राई/ब्रेक वल्क टर्मिनल, रेलवे लिंक और संबंधित एनसेलेरी और ब्रेक अप सुविधाएं सहित पोर्ट विस्तार परियोजना	अतिरिक्त सूचना प्राप्त होने पर विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिश की गई जो कि 29.6.2000 को प्राप्त हुई।

1	2	3
कर्नाटक		
16.	मैसर्स अगर शुगर वर्क्स द्वारा 30,000 से 45,000 मि०लि० प्रतिदिन तक के लिए डिस्टलिरी का विस्तार	विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिश की गई है और अंतिम निर्णय के लिए फाइल प्रस्तुत की गई है।
17.	मैसर्स ए०सी०सी०लि० द्वारा वाडी में 1.75 एम टी पी ए से 6.00 एम टी - पी ए तक ए सी वर्क का विस्तार	खनन परियोजना से संबंधित
18.	मैसर्स कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लि० का कुदितिनी गांव, जिला बेरारी में 1×500 मे० वा० विजयनगर ताप विद्युत परियोजना	अतिरिक्त सूचना 13.7.2000 को प्राप्त हुई।
19.	अपर कृष्णा परियोजना स्टेज 2 मेसर्स कृष्णा भाग्य जल निगम लि०	इस प्रस्ताव को 19.6.2000 को पुनः खोला गया था।
20.	अपर कृष्णा परियोजना स्टेज - 1 चरण 3 मेसर्स कृष्णा भाग्य जल निगम लि०	विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिश की गई अंतिम निर्णय के लिए फाइल प्रस्तुत की गई है।
21.	अपर कृष्णा पावर परियोजना अल्माती बांध पावर हाउस और नारायणपुर तमनकल कास्केड पावर हाउस मेसर्स चौमंडी पावर कार्पोरेशन	प्रस्ताव को 19.6.2000 को पुनः खोला गया था
22.	मेसर्स एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लि० की बाड़ी सीमेंट ओपन कास्ट चूना पत्थर खान का विस्तार एम एल क्षेत्र 471.03 हेक्टेयर उत्पादन 12.55 लाख एम टी पी ए क्षमता	विशेषज्ञ समिति द्वारा 28.6.2000 को सिफारिश की गई अंतिम निर्णय हेतु फाइल प्रस्तुत कर दी गई है।
23.	मैसर्स स्मिथ को-जेनरेशन इंडिया प्राइवेट अनलिमिटेड द्वारा मंगलौर दक्षिण कन्नड़ जिले में 170 मेगावाट बारऊ माँउनटिड पावर परियोजना	18.1.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई जो अभी प्राप्त होनी है।
24.	एरनाकुल्लम में करूड आयल रीसीप्ट मैसर्स कोचीन रीफाइनरीज लिमिटेड का शोर करूड़ आयल फार्म	7.3.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी जो कि 3.7.2000 को प्राप्त हुई।
25.	मैसर्स जोय दी बीच रिर्जोट द्वारा तिरूवनंथापुरम जिले के कोटटुकल गांव नीयटिनकारा तालूक के छावारा में	3.7.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई, जो अभी प्राप्त होनी है।
26.	मैसर्स अगारटया आर्युवेदा गार्डन द्वारा नीयराटिटनकारा तालूक जिला तिरूवनंथापुरम जिले के गाँव कोटटुकल के सर्वेक्षण संख्या 355/8, 352/3 और 352/5 में बीच रिजोर्ट की स्थापना	हाल ही में 12.6.2000 को प्राप्त हुआ।
27.	मैससं मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा मंगघाट जिला उमरिया (म०प्र०) में 1×500 मे० वा० संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र, चरण-2	अतिरिक्त सूचना 13.7.2000 को प्राप्त हुई।

1	2	3
28.	मैसर्स भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का ओपनकास्ट बोडई-दल्दाली बाक्साइट एम एल क्षेत्र-626.117 हैक्टेयर उत्पादन क्षमता 0.3 एम टी पी ए	6.6.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई। परियोजना प्रस्तावक ने सूचित किया है कि यह जुलाई 2000 के अंत तक ही उपलब्ध कराई जायेगी।
29.	मैसर्स प्राइस्म सीमेंट लि० द्वारा जिला सतना में ओपन कास्ट खान-एम एल क्षेत्र - 66.434 हैक्टेयर उत्पादन क्षमता- 0.3 एम टी पी ए	अतिरिक्त सूचना 10.7.2000 को मांगी गई।
महाराष्ट्र		
30.	मैसर्स इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लि० द्वारा कोल्हपुर में फाऊंडरी इकाई	विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिश की गई है अंतिम निर्णय के लिए फाईल प्रस्तुत की जा चुकी है।
31.	मैसर्स शैल मोनटैल-नोसिल द्वारा ठाणे बेलापुर रोड घनसौली नवी मुबई में नोसिल (एन ओ सी आई एल) की पोलीओलेफिन्स परियोजना	-9.6.2000 को मांगी गई अतिरिक्त सूचना अभी तक प्राप्त नही हुई है।
32.	मैसर्स कल्याणी ब्रेक द्वारा नानकारवाड़ी तालुका खेड जिला पुणे में आटोमोटिव ब्रेक प्रणाली निर्माण संयंत्र	- 26.4.200 को मांगी गई अतिरिक्त सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
33.	मैसर्स कैलक्स कैमीकूल एंड फर्मस्युटिकल प्राईवेट लि० द्वारा एम आई डी सी औद्योगिक क्षेत्र, तरापुर तहसील पालघर जिला ठाणे में बल्क ड्रग एंड कैमीकल इकाई	-अतिरिक्त सूचना हाल ही में 27.6.2000 को प्राप्त हुई है।
34.	मैसर्स अनी डैरीटैड लि० द्वारा गांव शिण्दे जिला नासिक में 900 टी पी ए की फांऊडरी इकाई	अतिरिक्त सूचना हाल ही में 23.6.2000 को प्राप्त हुई है।
35.	मैसर्स पंजाब राज्य बिजली बोर्ड द्वारा लहरा मोहबाट, भटिंडा, पंजाब में 2x250 मे०वा० गुरू हरगोबिन्द ताप विद्युत परियोजना	प्रस्ताव 12.6.2000 को प्राप्त हुआ
36.	मैसर्स वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा चन्द्रपुर जिले में नवीन कुनाड़ा ओ सी पी चरण एम एल क्षेत्र-153.0 हैक्टेयर उत्पादन क्षमता-0.22 एम टी पी ए	-वही-
मेघालय		
37.	मेंटडू (ले-शका) पन विद्युत परियोजना, चरण-I (2x42 मे०वा०)	6.4.2000 को मांगी गई अतिरिक्त सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।
उड़ीसा		
38.	अपर इन्द्रावती सिंचाई परियोजनाएं, जल संसाधन विभाग, उड़ीसा सरकार	26.5.2000 को मांगी गई अतिरिक्त सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।
39.	मैसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा सुन्दरगढ़ जिले में गरजानमाला ओ०सी०पी० एम एल क्षेत्र-603.45 हैक्टेयर उत्पादन क्षमता-10.0 एम०टी०पी०ए०	-वही-

1	2	3
40.	मैसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा अंगुल जिले में नंद्रि यू०जी एगयुमेंटेशन प्रोजेक्ट एम एल क्षेत्र 341.84 हैक्टेयर उत्पादन क्षमता-0.33 एम टी पी,	26.5.2000 को मांगी गई अतिरिक्त सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।
41.	मैसर्स एम एंड टी लिमिटेड का रायगढ़ जिले में सिजिमाती ओपन कास्ट बॉक्साइट माइन एम एल क्षेत्र-1551.031 हैक्टेयर उत्पादन क्षमता-3.0 एम टी पी ए	12.6.2000 को माँगी गई अतिरिक्त सूचना अभी प्राप्त होनी है।
पंजाब		
42.	मैसर्स चंडीगढ़ डिस्टलिरीज एंड बोटलरस द्वारा गांव बनुर, तहसील राजपुर, जिला पटियाला में वर्तमान डिस्टलिरी इकाई का 55 कि०ली० प्रतिदिन से 110 कि०ली०प्रतिदिन का विस्तार	अतिरिक्त सूचना हाल ही में 27.6.2000 को प्राप्त हुई है।
43.	मैसर्स पंजाब राज्य बिजली बोर्ड द्वारा लहरा मोहाबाट, भटिंडा, पंजाब में 2x500 मे०वा० गुरू हरगोबिन्द ताप विद्युत परियोजना	प्रस्ताव 12.6.2000 को प्राप्त हुआ।
राजस्थान		
44.	मैर्सस ओरियंट सीमेंट लि० द्वारा चितौड़गढ में 1.0 एम एम टी पी ए का सीमंट प्लांट	विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिश की गई है और अंतिम निर्णय के लिए फाइल प्रस्तुत की जा रही है।
45.	मैसर्स राजस्थान खनन एवं खनिज लिमिटेड का कासनाड-मातासुख ओपनकास्ट लिगनाइट माइन प्रोजेक्ट एम एल क्षेत्र-1062.00 हैक्टेयर उत्पादन क्षमता-1.0 एम टी पी ए	26.6.2000 को अतिरिक्त सूचना प्राप्त हुई। अंतिम निर्णय के लिए फाइल प्रस्तुत की गई है।
46.	मैसर्स खेतान उद्योग लिमिटेड द्वारा उदयपुर जिले में ओपनकास्ट सोपस्टोन माइन एम एल क्षेत्र-127.27 हैक्टेयर उत्पादन क्षमता-0.06 एम टी पी ए	विशेषज्ञ समिति द्वारा 26.6.2000 को सिफारिश की गई। अतिम निर्णय के लिए फाइल प्रस्तुत की गई है।
47.	श्री गोपाल चौहान का जिला अजमेर, गाँव बोराड़ा में फीस्पर और स्पाटस माइन एम एल क्षेत्र-9.65 हैक्टेयर क्षमता उत्पादन-6000 टी पी ए	मई और जून 2000 में अतिरिक्त सूचना माँगी गई थी जो अभी प्राप्त होनी है।
48.	एन एच ए आई द्वारा जयपुर और अजमेर जिले में एन०एच०8 (273 किमो से 366.2 कि०मी० तक) के जयपुर किशनगढ़ सैक्शन का अपग्रेडेशन	अतिरिक्त सूचना 8.6.2000 को प्राप्त हुई, जिससे विशेषज्ञ समिति के सामने रखा जा रहा है।
तमिलनाडु		
49.	मैसर्स श्री रंगनाथर इंडस्ट्रीज प्रा लि० द्वारा गांव अरासुर, कोयम्बटूर तमिलनाडु में फाउंडरी इकाई	11.7.2000 को मांगी गई अतिरिक्त सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
50.	मैसर्स शसुन कैमीकल्स लि० द्वारा कायम्बटूर में बल्क ड्रग इकाई का विस्तार	-अतिरिक्त मांगी गई सूचना हाल ही में अप्रैल, 2000 को प्राप्त हुई है। प्रस्ताव को विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
51.	मैसर्स टेटैक एग्रोकैमिकल लि० का एस आई पी सी ओ टी औद्योगिक एस्टेट, कुडालोर में पेस्टिसाइड का विस्तार	– 19.5.2000 को मांगी गई अतिरिक्त सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

1	2	3
52.	मैसर्स ग्रेसिम इन्डस्टीज लि० द्वारा गांव रेडिपलायम तालुका अरियालुर जिला पिराम्बलुर में सीमेंट संयंत्र का विस्तार	—14.6.2000 को मांगी गई अतिरिक्त सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।
53.	मेसर्स जेवियर इलैक्ट्रोस द्वारा एस आई पी सी ओ टी औद्योगिक काम्पलैक्स इंदिरा नगर नायूपन्नी गांव पुडोकोट्ई तालुका में निकल क्रोमियम प्लेटिंग वर्क्स का साइकिल एक्सरीज़ तथा एलेक्ट्रोप्लेटिंग का विनियम इकाई	—13.6.2000 को मंगी गई अतिरिक्त सूचना अभी प्राप्त नही हुई है।
54.	मैसर्स ब्राइट गून साइकल इन्डस्ट्रीज द्वारा एस आई पी सी ओ टी औद्योगिक काम्पलैक्स गांव इंदिरा नगर नायमपन्नी तालुका पुडाकोटई में निकल क्रोमियम प्लेटिंग वर्क्स की साइकिल एक्ससरीज एवं एलेक्ट्रोप्लेरिंग की निर्याय इकाई	13.6.2000 को मांगी गई अतिरिक्त सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।
55.	मेसर्स विनो इंजीनियरिंग द्वारा एस आई पी ओ टी औद्योगिक काम्पलैस इंदिरा नगर, गांव नाथमपन्नतालुका पुडोकोटई में निकल क्रोमियम प्लेटिंग वर्क्स की साइकिल एक्ससट्रीज एवं एलेक्ट्रोप्लेटिंग की निर्याय इकाई	13.6.2000 को मांगी गई अतिरिक्त सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।
56.	मैसर्स अबान विद्युत कम्पनी लिमिटेड द्वारा वेल्लूर गांव इन्नौर, नार्थ चेन्नई, तमिलनाडु में 109 मे०वा०नेपथा बेसिड कम्बाशीनड साइकल गैस टरबाइन पावर प्लॉट	19.5.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी जो अभी प्राप्त होनी है।
57.	मैसर्स कल्याणी ब्रेक द्वारा नानकारबाड़ीतालुका खेड जिला पुणे में आटोमोटिव ब्रेक प्रणाली निर्माण संयंत्र	26.4.2000 को मांगी गई अतिरिक्त सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
58.	मैसर्स जेम ग्रेफाइट प्राइवेट लिमिटेड का ओपन कास्ट ग्रेफाइट माइन एम एल क्षेत्र 27.33 हैक्टेयर उत्पादन क्षमता-7000 टी.पी.ए.	10.7.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई, जो अभी प्राप्त होनी है।
59.	पेरम्बलुर जिले में मैसर्स डालमिया सीमेंट (बहरेन) लिमिटेड का ओपन कास्ट लाइमस्टोन माइन एम एल क्षेत्र-60.605 हैक्टेयर उत्पादन क्षमता-0.3 एम टी पी ए	-वही-
60.	तमिलनाडु हाइवेज एंड रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा तमिलनाडु ग्रेड सैक्टर प्रोजेक्ट फेज आई ए (नार्दरन कोरिडोर)	परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध पर विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार करना अस्थगित किया गया।
61.	इंडियन गैस लिमिटेड द्वारा मानाप्पाड से बेमबर तक मानाप्पाड और नेच्युरल गैस पाइपटाउन के नजदीक एल एन जी टर्मिनल, मेरिन सुविधाएं स्थापित करना	अतिरिक्त सूचना 12 और 26 मई 2000 को मांगी गई थी जो अभी प्राप्त होनी है।
पश्चिम बंगाल		
62.	मैसर्स जिमस इंजीनियरिंग लि० द्वारा हावड़ा कलकत्ता डाक्टाइल आइरन फाउन्ड्री	14.6.2000 को मांगी गई अतिरिक्त सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

1	2	3
63.	मेसर्स इंडिया आयल कार्पोरेशन लि० का गांव हलदिया जिला मिदनापुर में हल्दिया रिफाइनरी में 7.5 एम एम टी पी ए क्रुड प्रोसेसिंग स्तर में दूसरी वैक्यूम डिस्टिलेशन इकाई तथा कैटेलिटिक एस ओ डिवैक्सिंग यूनिट सी आई डी यू	अतिरिक्त सूचना 29.6.2000 को प्राप्त हुई।
	केन्द्र शासित	
	लक्षद्वीप	
64.	(मैसर्स यू०बी रिजॉट) पयकाला सोसाइटी फॉर टूरिज्म द्वारा टिनंकारा आयलैंड में टिन्ना बीज रिजॉट की स्थापना	28.1.2000 को ई आई ए रिपोर्ट मांगी गई, जोकि अभी प्राप्त होनी है।
	एक राज/संघशासित से अधिक कवर करने वाली ऑफ शोर परियोजनाएं	
65.	मेसर्स ओ एन जी सी द्वारा बम्बई हाई साउथ आयल फील्ड में जैड ए-प्लेटफार्म	21.6.2000 को मांगी गई अतिरिक्त सूचना 5.7.2000 को प्राप्त हो गई है।
66.	मेसर्स ओ एन जी सी द्वारा पश्चिमी तट आफशोर क्षेत्र में हीरा प्रोसेस काम्पलैक्स में अतिरिक्त गैस कम्प्रेशर	14.6.2000 को मांगी गई अतिरिक्त सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
67.	जटिपडार से लौहगारा तक एस पी एम सबमरिन/आनशोर पाइपलाइन क्रुड आयल टर्मिनल सी ओ टी एंड सी सी पी एल के साथ उड़ीसा में जाटिपाड़ार में क्रुड आयल स्टोरेज एंड ट्रांसपोटेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी-यू०पी० रिफाइनरी प्रोजेक्ट।	21.6.2000 को प्राप्त हुआ।

एअर इंडिया के उड़ान मार्गों को भाड़े पर देना

1297. **श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :**
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या एअर इंडिया के उड़न मार्ग अन्य एअर लाइन्सों के भाड़े पर दिए गए हैं,**

(ख) **यदि हां, तो अब तक भाड़े पर दिए गए मार्गों का ब्यौरा क्या है,**

(ग) **क्या सरकार इन कार्गों पर एअर इंडिया की उड़ान फिर से आरंभ करने पर विचार कर रही है; और**

(घ) **यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?**

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) वर्तमान में, भारत तथा पेरिस, कुआलालम्पुर, लंदन तथा सालना (यमन) के बीच मार्गों पर एअर इंडिया के अप्रयुक्त यातायात अधिकारों के कुछ हिस्से का प्रयोग संबंधित देशों की नामित एयरलाइनों द्वारा एअर इंडिया के साथ एक वाणिज्यिक करार के अधीन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) एअर इंडिया पहले से ही पेरिस, कुआलालम्पुर तथा लंदन के लिए अपनी सेवाओं का प्रचालन कर रहा है तथा अभी भी इन प्रचालनों में वृद्धि करने के लिए उड़ानें/हकदारी शेष हैं। निकट भविष्य में यमन के लिए प्रचालन आंरभ करने की, एअर इंडिया की कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

चिकित्सा और अनुषंगी स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों हेतु शैक्षिक बुनियादी ढांचा

1298. **श्री अनंत गुढ़े : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या चिकित्सा और अनुषंगी स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों तथा सहयोगी अर्थ चिकित्सा संस्थानों के शैक्षिक ढांचों के संबंध में भारतीय राज्यों के बीच असामान्य असंतुलन है,**

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनमें क्या-क्या असंतुलन है तथा खामियों को पूरा करने के लिए राज्यवार क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं/दिए जाने का विचार है,

(ग) क्या महाराष्ट्र की तुलना में आंध्र प्रदेश के सरकारी चिकित्सा कालेजों में फिजियोथेरेपिस्टों तथा पेशेवर थेरेपिस्टों का अनुपात मात्र 10 प्रतिशत है, और यदि हां, तो प्रत्येक राज्य की वास्तविकताओं और संदर्शी आवश्यकताओं के मुल्यांकन हेतु बनाई जाने वाली नई नीति का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) प्रत्येक राज्य में कार्य कर रहे मेडिकल कालेजों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। किसी राज्य में मेडिकल/डैंटल कालेज खोलने के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास कोई स्कीम नहीं है। तथापि, केन्द्रीय सरकार आवेदन करने वाले राज्य सरकारों को मेडिकल/डैंटल कालेज खोलने की अनुमति प्रदान करती है, बशर्ते कि वे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद और भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित अपेक्षित सभी मानदण्डों को पूरा करते हों। स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण चिकित्सा और सहायक स्वास्थ्य विषयों तथा सहायक परा-चिकित्सा संस्थाओं आदि के लिए शैक्षिक ढांचे के संबंध में यदि कोई असंतुलन है तो यह देखना सम्बन्धित राज्य सरकारों का काम है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद

जून 2000 की स्थिति के अनुसार देश में मेडिकल कालेजों की राज्यवार संख्या

	मान्यता प्राप्त			गैरमान्यता प्राप्त			धारा 10क के अन्तर्गत अनुमति			
राज्य/संघ राज्य	स०	वि०	प्रा०	स०	वि०	प्रा०	स०	वि०	प्रा०	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	9	—	1	—	—	—	—	—	4	14
असम	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3
बिहार	9	—	—	—	—	2	—	—	—	11
चण्डीगढ़	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
दिल्ली	3	1	—	—	—	—	—	—	—	4
गोवा	1		—	—	—	—	—	—	—	1
गुजरात	6	—	1	—	—	—	1	—	—	8
हरियाणा	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
हिमाचल प्रदेश	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2
जम्मू व कश्मीर	2	—	—	1	—	—	—	—	1	4
कर्नाटक	4	—	15	—	—	—	—	—	4	23
केरल	5	—	—	—	—	—	1	—	—	6
मध्य प्रदेश	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6
महाराष्ट्र	16	—	16	—	—	—	—	—	2	34
मणिपुर	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
उड़ीसा	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पांडिचेरी	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2
पंजाब	3	—	2	—	—	—	—	—	1	6
राजस्थान	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6
तमिलनाडु	10	—	4	—	—	—	2	—	1	17
उत्तर प्रदेश	7	2	—	—	—	—	—	—	2	11
प० बंगाल	7	—	—	—	—	—	—	—	—	7
योग	104	3	40	1	—	2	5	—	16	171
कुल योग		147			3			21		171

स– सरकारी
वि– विश्वविद्यालय
प्रा–प्राइवेट

प्राइवेट फिक्सड लाइन-ऑपरेटर

1299. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिक्सड लाइन-सेवादाताओं ने दूरसंचार विभाग से गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए एक निश्चित योजना प्रस्तुत करने हेतु दस दिन का समय मांगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या फिक्सड लाइन-सेवा द्वारा दूरसंचार विभाग को समयबद्ध योजना प्रस्तुत करनी थी ताकि, 30 अप्रैल, 2000 तक ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक टेलीफोन लगाए जा सकें;

(ग) यदि हां, तो क्या अनुज्ञप्ति-करार की शर्तों के अनुसार, निजी ऑपरेटरों के लिए यह आवश्यक है कि वे गांवों में सार्वजनिक टेलिफोनों के रूप में कम से कम 10 प्रतिशत सीधी एक्सचेंज लाइनें उपलब्ध कराएं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनके द्वारा देश भर में गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) बोली-दस्तावेज में फिक्सड सेवा-प्रदाताओं द्वारा किए गए वायदे के अनुसार तथा अपने लाइसेंस-करारों में यथा निर्धारित रूप से उन्हें समयबद्ध रोल आउट योजना में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) उपलब्ध कराने थे।

(ङ) उन्होंने ऐसी किसी समय-सीमा का कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है।

एन०आर०आई० परामर्शदात्री समिति

1300. श्री अन्नासाहेब एम० के० पाटील : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपने दूरसंचार क्षेत्र के लाभ के लिए अनिवासी भारतीय परामर्शदात्री समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को दूरसंचार क्षेत्र के विकास से जोड़ने तथा निवेश एवं आधुनिक प्रोद्योगिकी को आकर्षित करने में उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए एक अनिवासी भारतीय सलाहकार समिति का गठन शीघ्र ही किया जाएगा।

(ग) नई दूरसंचार नीति की घोषणा के साथ भारत का दूरसंचार सेक्टर विदेशी निवेशकों सहित, निवेशकों के लिए निवेश के विशाल अवसर की पेशकश करता है। दूरसंचार सेवाओं की पेशकश करने वाली कंपनियों में एफडीआई की 49% तक की अनुमति दी गई है। दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण के क्षेत्र में 100% विदेशी इक्विटी की अनुमति दी गई है। यह आशा की जाती है कि जब राष्ट्रीय स्तर की लंबी दूरी, बुनियादि, सेल्युलर मोबाइल तथा अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए नए निवेश के अवसरों की घोषणा की जाएगी, और प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे तो विदेशी निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी।

[हिन्दी]

वन रोपण कार्यक्रम

1301. **श्री जयभान सिंह पवैया** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आरक्षित और अनारक्षित वन क्षेत्रों में प्रभावकारी वनरोपण कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए वनरोपण गतिविधियों में और गैर-सरकारी संगठन, संस्थान, व्यक्ति और निजी कम्पनियों को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम में इन संगठनों को किस तरह शामिल किए जाने की संभावना है और इस संबंध में राज्यवार कितना आंबटन किया गया; और

(घ) इस संबंध में पहले से कितनी उपलब्धि हासिल की गई और इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : क) से (घ) वनों के विकास और संरक्षण को लोगों के सहयोग और उदार सहायता के बिना सफलता नहीं मिल सकती। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में गैर वन क्षेत्रों तथा वन क्षेत्रों में आरक्षित एवं अनारक्षित वन क्षेत्रों में विशेषकर खाली पड़ी अवक्रमित एवं अनुत्पादक भूमियों पर वनीकरण एवं सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से देश वन/वृक्ष आवरण की पर्याप्त रूप से वृद्धि करने में महिलाओं की भागीदारी सहित एक व्यापक जन आंदोलन के सृजन की परिकल्पना की गई है। वनीकरण कार्यक्रमों में जनभागीदारी ग्रामीण वन समितियों के माध्यम से की जाती है जिसमें संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत ग्रामीण समुदायों के सदस्य शामिल होते हैं, जहां पर गैर सरकारी संगठन मदद के रूप में कार्य करते हैं और धनराशि परियोजना आधार पर प्रदान की जाती है। गैर-सरकारी संगठनों के साथ कम्पनियां और वन विभाग, वन उत्पादों अथवा वन भूमियों पर अपने किसी दावे के बिना ही अपने ही संसाधनों से अवक्रमित वन भूमियों पर वनीकरण में भाग भी लेते हैं। वनों के विकास के लिए सरकार द्वारा सीधे कोई भी धनराशि किसी भी गैर सरकारी संगठन को नहीं दी गई है। केवल पुणे स्थित बी.ए.आई.एफ. डेवलपमेंट नामक गैर सरकारी संगठन ने 200 हैक्टेयर अवक्रमित वन भूमि के विकास करने की सीधे जिम्मेदारी, अपने संसाधनों से किसी भी स्थान पर वन भूमि अथवा वन उत्पादों पर अपना दावा किए बिना ले रखी है। जहाँ तक गैर वन भूमियों का संबंध है, इन भूमियों के विकास के लिए गैर सरकारी संगठन सीधे कार्य कर रहे हैं।

[अनुवाद]

परिवार कल्याण कार्यक्रम

1302. **डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह :**
श्रीमति रेणु कुमारी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कौन-कौन से केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के तहत बिहार सरकार को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर ज्यादा जोर दिया जाएगा; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) बिहार राज्य में कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम और 1997-98 से 2000-01 के दौरान इन कार्यक्रमों को आवंटित धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप विभिन्न रोगों के कारण होने वाली रूग्णता और मृत्यु दर में काफी कमी आई है। बिहार राज्य में वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रमुख स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों में हुई उपलब्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) इन कार्यक्रमों को विभिन्न रोगों की स्थानिकता के अनुसार देश भर में ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

विवरण-I

बिहार राज्य में कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें और वर्ष 1997-98 से 2000-2001 के दौरान आबंटन/रिलीज

क्र० सं०	कार्यक्रम का नाम	आबंटन/रिलीज (योजना) 1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001 (रुपए लाख में)
1	2	3	4	5	6
1.	राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम	348.98	403.05	659.67	383.07
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम	826.66	1005.00	1354.11	480.80*
3.	राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	626.00	298.79	1054.73	1029.88

1	2	3	4	5	6
4.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	174.94	204.00	154.00	••
5.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	50.00	110.00	55.00	96.00
6.	राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम	12621.82	12817.90	33304.28	12091.15

• चालू वर्ष के दौरान जिला समितियों को अतिरिक्त राशि आवश्यकतानुसार दी जाएगी।

•• 2000-01 के दौरान राज्य को 132.50 लाख रुपए नकद अनुदान के रूप में आबंटित किए गए हैं जिसमें से 116.26 लाख रुपए पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं। जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण समितियों को जी आई ए आवश्यकता अनुसार रिलीज की जाती है।

विवरण-II

बिहार राज्य में प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की उपलब्धियां

1. राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम

वर्ष	पॉजीटिव मामले	पी एफ मामले	पी एफ प्रतिशत
1999	131898	79881	60.56 प्र०श०

2. राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम

वर्ष	पता लगाए गए मामले
1999-2000	1.72 लाख

3. राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (1999-2000) (उपलब्धियां)

I. स्प्यूटम जांच कराने वाले रोगी 12447

II. स्मीयर स्प्यूटम पॉजीटिव पाए गए मामले 1255

4. राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम :

मोतियाबिंद के किए गए आपरेशन

वर्ष	उपलब्धियां
1999-2000	117869

5. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम :

- आंचलिक रक्त परीक्षण केन्द्रों की स्थापना 9
- रक्त परीक्षण केन्द्रों की स्थापना 10
- रक्त घटक पृथक्करण सुविधा 3
- एस टी डी क्लिनिकों का आधुनिकीकरण 17
- इसके अतिरिक्त राज्य भर में परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान और प्रहरी निगरानी की जा रही है।

6. राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम (1999-2000)

प्रतिरक्षण कवरेज		परिवार नियोजन कवरेज	
टेटनस (गर्भवती महिलाएं)	725206	बंध्यकरण	152831
डी पी टी	1042520	अंतर्गर्भाशय युक्ति-निर्वेशन	181593
पोलियो	1163327	कंडोम प्रयोगकर्ता	53415
बी सी जी	1484654	मुखीय गोली के उपयोगकर्ता	39380
खसरा	868411		

एड्स की रोकथाम हेतु अमरीका से समझौता

1303. **श्री रामदास आठवले :**
श्री उत्तमराव ढिकले :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका ने एड्स की रोकभाग तथा जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु पारस्परिक सहयोग के कार्यक्रमों को बढ़ाने की दृष्टि से दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी समझौतों का ब्यौरा क्या है,

(ग) उक्त समझौतों के तहत महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में एड्स की रोकथाम संबंधी कार्यक्रमों के लिए अमरीका द्वारा कुल कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराई गई,

(घ) क्या सरकार ने इस रोग के नियंत्रण हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है,

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है, और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) समझौते के अंतर्गत संयुक्त राज्य और भारत, दोनों के वैज्ञानिकों की विभिन्न कार्य नीतियां बनाने और उनकी जांच करने सहित एड्स की रोकथाम संबंधी अनुसंधान प्रयास शुरू करने और उसका विस्तार करने की योजना है।

मातृ और बाल स्वास्थ्य संबंधी संयुक्त प्रयासों में पोषण संबंधी अनुसंधान और मां से उनके बच्चों में एच आई वी के संचरण को रोकने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

दोनों संयुक्त वक्तव्यों के लिए नोडल या कार्यान्वित करने वाली एजेन्सियां संयुक्त राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान और भारत में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद हैं।

(ग) इस समझौते के अंतर्गत अभी तक कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(घ), से (च) भारत में एच आई वी/एड्स को फैलने से रोकने और नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में एक व्यापक कार्यक्रम इस समय देश भर में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं।

- लक्षित लोगों की पहचान करके और प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा परामर्श देने की व्यवस्था करके कण्डोम के प्रयोग को बढावा देकर यौन संचारित संक्रमणों के लिए उपचार प्रदान करके उच्च जोखिम वाले समूहों में एच आई वी के फैलने को कम करना।
- सूचना, शिक्षा और संचार तथा जागरूकता अभियान, स्वैच्छिक परीक्षण और परामर्श, निरापद रक्ताधान सेवाओं और व्यवसायिक प्रभावन (एक्सपोजर) की रोकथाम द्वारा जन सामान्य के लिए निवारात्मक उपाय।
- अवसरवादी संक्रमणों, एच आई वी/ एड्स से ग्रस्त लोगों के लिए गृह (होम) और समुदाय आधारित परिचर्या हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- राष्ट्रीय, राज्य और नगरपालिका स्तरों पर प्रभावकारिता तथा तकनीकी प्रबंधकीय, वित्तीय समर्थन (ससटेनाबिलिटी) को सुदृढ करना।
- सार्वजनिक, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच सहायेग बढाना।

महानगर टेलीफोननिगम लिमिटेड के मुनाफे में गिरावट

1304. **श्री कृष्णमराजू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लम्बी दूरी की घरेलू शुल्क दर में कमी होने की वजह से महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के मुनाफे में कमी आई है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। पिछली तिमाही की तुलना में कर पश्चात निवल लाभ में वृद्धि हुई है।

(ख) उक्त "क" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

खसरे का टीका

1305. **श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खसरे और दस्त के कारण बच्चों की मौतों की घटनाएँ बढ़ रही हैं,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार पता चला ऐसी मौतों का ब्यौरा क्या है,

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्यों को ऐसी बीमारियों की रोकथाम के लिए कितनी सहायता प्रदान की गयी,

(ङ) क्या सरकार का विचार पोलियो की तर्ज पर खसरा टीकाकरण का कोई विशेष अभियान शुरू करने का है, और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क), से (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो द्वारा सूचित तीव्र अतिसार और खसरा के रोगियों और इससे हुई मौतों के बारे में वर्ष 1996, 1997 और 1998 की राज्यवार सूचना उपलब्ध है और यह संलग्न विवरण में दी गयी है।

(घ) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को खसरा वैक्सीन, कोल्ड चेन उपस्कर, कोल्ड चेन उपस्करों के रखरखाव के लिए धन के रूप में सहायता प्रदान की जाती है और अतिसार रोगों के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट साल्यूशन की आपूर्ति की जाती है। चिकित्सा तथा परा-चिकित्सा कार्मिकों को टीकाकरण तकनीकों और अतिसार रोगों के इलाज के बारे में नियमित रूप से अद्यतन जानकारी दी जाती है।

(ङ) जी नहीं।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारत में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संचारी रोग के रोगियों और मौतों की संख्या–1996

		तीव्र अतिसार	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोगी	मौतें
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1290761	476
2.	अरूणाचल प्रदेश	30265	9

1	2	3	4
3.	असम	585370	150
4.	बिहार	—	—
5.	गोवा	9791	27
6.	गुजरात	239357	81
7.	हरियाणा	312492	72
8.	हिमाचल प्रदेश	377839	40
9.	जम्मू व कश्मीर	491824	33
10.	कर्नाटका	664389	256
11.	केरल	610563	110
12.	मध्य प्रदेश	336013	97
13.	महाराष्ट्र	601811	367
14.	मणिपुर	26164	5
15.	मेघालय	82996	3
16.	मिजोरम	10649	13
17.	नागालैंड	4517	2
18.	उड़ीसा	747610	431
19.	पंजाब	134735	19
20.	राजस्थान	164592	32
21.	सिक्किम	45128	10
22.	तमिलनाडु	140564	221
23.	त्रिपुरा	68236	25
24.	उत्तर प्रदेश	1396469	671
25.	पश्चिम बंगाल	296531	1055
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	27274	2
27.	चण्डीगढ	5582	16
28.	दादर व नगर हवेली	63983	10
29.	दमन व द्वीप	2307	0
30.	दिल्ली	264792	39
31.	लक्षद्वीप	6097	6
32.	पांडिचेरी	83107	
	कुल	9130608	4279

भारत में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संचारी रोगों के रोगियों और मौतों की संख्या - 1997

		तीव्र अतिसार	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोगी	मौतें
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश$	1450994	273
2.	अरूणाचल प्रदेश	723	0
3.	असम	572959	136
4.	बिहार	—	—
5.	गोवा	7583	4
6.	गुजरात	212230	50
7.	हरियाणा	315853	56
8.	हिमाचल प्रदेश	430636	38
9.	जम्मू व कश्मीर$$	137168	0
10.	कर्नाटका	600889	355
11.	केरल	563885	41
12.	मध्य प्रदेश	449265	203
13.	महाराष्ट्र	802093	179
14.	मणिपुर	24884	11
15.	मेघालय	143476	9
16.	मिजोरम	12318	6
17.	नागालैंड	15437	0
18.	उड़ीसा	747321	263
19.	पंजाब	—	—
20.	राजस्थान	179974	39
21.	सिक्किम	43764	11
22.	तमिलनाडु	70612	121
23.	त्रिपुरा	112636	27
24.	उत्तर प्रदेश	258136	115
25.	पश्चिम बंगाल	540176	1413
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	22984	6

1	2	3	4
27.	चण्डीगढ	4782	31
28.	दादर व नगर हवेली	50843	2
29.	दमन व द्वीप	3297	0
30.	दिल्ली	176275	5
31.	लक्ष द्वीप	8106	5
32.	पांडिचेरी	106389	19
	योग	8065688	3418

''अप्राप्त @ सूचित नहीं $ जनवरी 1997 तक

$$ केवल कश्मीर प्रभाग

स्रोत:-मासिक स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

भारत में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संचारी रोगों के रोगियों और मौतों की सख्या-1998

		तीव्र अतिसार	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोगी	मौतें
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1852642	674
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—
3.	असम	596176	121
4.	बिहार	—	—
5.	गोवा	11175	3
6.	गुजरात	207027	50
7.	हरियाणा	375113	85
8.	हिमाचल प्रदेश	433182	58
9.	जम्मू व कश्मीर$$	137653	0
10.	कर्नाटका	674805	366
11.	केरल	550768	49
12.	मध्य प्रदेश$	479073	260
13.	महाराष्ट्र	1098750	556
14.	मणिपुर	31531	12
15.	मेघालय	152285	42
16.	मिजोरम	8925	12
17.	नागालैंड	4428	8
18.	उड़ीसा	793442	453
19.	पंजाब	196398	57
20.	राजस्थान	211710	64
21.	सिक्किम	40539	9
22.	तमिलनाडु	47307	414
23.	त्रिपुरा	108492	74
24.	उत्तर प्रदेश	564587	405
25.	पश्चिम बंगाल	—	—
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	22963	9
27.	चण्डीगढ	—	—
28.	दादर व नगर हवेली*	43544	7
29.	दमन व द्वीप	3503	0
30.	दिल्ली	133089	8
31.	लक्षद्वीप	5124	2
32.	पांडिचेरी	120304	21
	योग	8914435	3517

'' अप्राप्त @ अक्तूबर 98 के आकड़े प्राप्त नहीं हुए

$$ केवल कश्मीर प्रभाग

* जुलाई और अगस्त 1998 के आकड़े प्राप्त नहीं हुए

स्रोत : मासिक स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

भारत में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संचारी रोगों के रोगियों और मौतों की संख्या-1996

		खसरा	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोगी	मौतें
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1274	10
2.	अरूणाचल प्रदेश	382	0
3.	असम	3518	0

1	2	3	4
4.	बिहार	—	—
5.	गोवा	56	0
6.	गुजरात	1676	37
7.	हरियाणा	115	2
8.	हिमाचल प्रदेश	568	0
9.	जम्मू व कश्मीर	2001	8
10.	कर्नाटका	3596	3
11.	केरल	6525	0
12.	मध्य प्रदेश	39237	21
13.	महाराष्ट्र	5248	15
14.	मणिपुर	167	0
15.	मेघालय	1431	0
16.	मिजोरम	67	0
17.	नागालैंड	448	0
18.	उड़ीसा	1845	1
19.	पंजाब	48	0
20.	राजस्थान	1401	6
21.	सिक्किम	859	0
22.	तमिलनाडु	662	6
23.	त्रिपुरा	1608	0
24.	उत्तर प्रदेश	2256	82
25.	पश्चिम बंगाल	8761	35
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	69	0
27.	चण्डीगढ	34	0
28.	दादर व नगर हवेली	203	0
29.	दमन व द्वीप	22	0
30.	दिल्ली	1812	64
31.	लक्षद्वीप	25	0
32.	पांडिचेरी	0	0
	योग	85914	290

भारत में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संचारी रोगों के रोगियों और मौतों की संख्या-1997

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खसरा	
		रोगी	मौतें
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2563	8
2.	अरूणाचल प्रदेश$	16	0
3.	असम	2100	0
4.	बिहार	—	—
5.	गोवा	267	0
6.	गुजरात	1822	25
7.	हरियाणा	72	0
8.	हिमाचल प्रदेश	802	0
9.	जम्मू व कश्मीर$$	3145	@
10.	कर्नाटका	2086	4
11.	केरल	6312	2
12.	मध्य प्रदेश	7121	26
13.	महाराष्ट्र	4525	22
14.	मणिपुर	1216	1
15.	मेघालय	2435	1
16.	मिजोरम	347	0
17.	नागालैंड	741	0
18.	उड़ीसा	2473	3
19.	पंजाब	—	—
20.	राजस्थान	1775	7
21.	सिक्किम	421	0
22.	तमिलनाडु	426	4
23.	त्रिपुरा	3621	0
24.	उत्तर प्रदेश	2105	37
25.	पश्चिम बंगाल	12674	36
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	48	1

1	2	3	4
27.	चण्डीगढ	45	0
28.	दादर व नगर हवेली	267	0
29.	दमन व द्वीप	27	0
30.	दिल्ली	3961	20
31.	लक्षद्वीप	95	0
32.	पांडिचेरी	0	0
	योग	63508	197

// अप्राप्त @ सूचित नहीं

$ जनवरी 1997 तक $$ केवल कश्मीर प्रभाग

स्रोत : मासिक स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

भारत में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संचारी रोगों के रोगियों और मौतों की संख्या-1998

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खसरा	
		रोगी	मौतें
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2365	4
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—
3.	असम	1125	0
4.	बिहार	—	—
5.	गोवा	259	0
6.	गुजरात	788	12
7.	हरियाणा	93	0
8.	हिमाचल प्रदेश	650	1
9.	जम्मू व कश्मीर	11142	0
10.	कर्नाटका	5296	7
11.	केरल	5135	1
12.	मध्य प्रदेश	1054	11
13.	महाराष्ट्र	3899	19
14.	मणिपुर	287	0
15.	मेघालय	1314	1
16.	मिजोरम	301	0
17.	नागालैंड	1320	0
18.	उड़ीसा	1592	7
19.	पंजाब	29	0
20.	राजस्थान	453	3
21.	सिक्किम	44	0
22.	तमिलनाडु	33	0
23.	त्रिपुरा	387	0
24.	उत्तर प्रदेश	1473	16
25.	पश्चिम बंगाल	—	—
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	91	0
27.	चण्डीगढ	—	—
28.	दादर व नगर हवेली	83	0
29.	दमन व द्वीप	100	0
30.	दिल्ली	796	41
31.	लक्षद्वीप	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0
	योग	40108	123

// अनुपलब्ध @ अक्तूबर 1998 के आकड़े प्राप्त नहीं हुए

* केवल कश्मीर प्रभाग

$$जनवरी 1998 के आकड़े प्राप्त नहीं हुए

स्रोत : मासिक स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

[हिन्दी]

विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता

1306. डा० जसवंत सिंह यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत में संचार तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए ऋण देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना का कार्यान्वयन करने के लिए भारत को विश्व बैंक द्वारा कितना ऋण उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(ग) इस परियोजना से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने और सेल्यूलर-उपग्रह संचार सुविधाओं तथा लम्बी दूरी की दूरभाष सेवाओं के सुधार में कहां तक सहायता मिलेगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी हां।

(ख) विश्व बैंक ने टेलीकोम सेक्टर रिफार्म टेक्निकल असिस्टैंस परियोजना के लिए 62 मिलियन यूएस डोलर का ऋण स्वीकृत किया है। इस ऋण में, बेतार आयोजन और समन्वय स्कन्ध (डब्लूपीसी) की फोटोमेटिड स्पैक्ट्रम मैनेजमैंट प्रणाली और दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी) तथा दूरसंचार विभाग (मुख्यालय) में क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) के लिए 57 मिलियन यूएस डोलर का घटक है। इसके अलावा, भारतीय दूरसंचार नियामन प्राधिकरण (टी आर ए आई) दूरसंचार विवाद समाधान अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) के लिए 5 मिलियन यूएस डोलर का एक घटक उपलब्ध होगा।

(ग) टीआरएआई ने बड़ी संख्या में परामर्शी परियोजनाओं की भी पहचान की है, जिन्हें विश्व बैंक तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत लाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली परियोजनाएं, एक उदार वातावरण में दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करने के लिए, सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रचलनों के बारे मे टीआर ए आई को जानकारी हासिल कराने में समर्थ करेंगी और इस प्रकार विनियामक, सौंपे गए कार्यों को अधिक प्रभावी रूप से पूरा करने में भी समर्थ हो सकेगा।

महाराष्ट्र में ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज

1307. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जिला-वार अब तक कितने ग्रामीण एक्सचेंज स्थापित किए गए;

(ख) क्या अधिकतर उक्त टेलीफोन एक्सचेंज संतोषजनक कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा संतोषजनक टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) महाराष्ट्र सर्किल के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कुल 3520 ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित कर दिए गए हैं। जिले-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी टेलीफोन एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

विवरण

30.6.2000 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र सर्किल में ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों की जिले-वार स्थिति

क्र० सं०	जिला	ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	अहमदनगर	202
2.	अकोला	61
3.	अमरावती	65
4.	औरंगाबाद	97
5.	बोड	73
6.	भंडारा	40
7.	बुल्दाना	88
8.	चन्द्रपुर	59
9.	धुले	69
10.	गढ़चिरोली	29
11.	गोआ (उत्तरी)	33
12.	गोआ (दक्षिणी)	14
13.	गोंडिया	43
14.	हंगोली	30
15.	जलगांव	156
16.	जालना	60
17.	कल्याण	76
18.	कोल्हापुर	154
19.	लातूर	83
20.	नगिपुर	95
21.	नंदेड़	81
22.	नंदरबार	40
23.	नासिक	190
24.	उसमानाबाद	64
25.	परभनी	36
26.	पुणे	135
27.	रायगढ़	113
28.	रत्नागिरि	107
29.	सांगली	206
30.	सतारा	134

1	2	3
31.	सिंधुदुर्ग	71
32.	शोलापुर	138
33.	वारधा	54
34.	वाशिम	34
35.	यवतमाल	59
	कुल	2989

[अनुवाद]

व्याघ्र चर्म सिझाई कार्य

1308. श्री एम० चिन्नासामी : क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में घर बैठे व्याघ्र चर्म सिझाई का धंधा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पेशे का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे पेशेवरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है; और

(घ) 1999-2000 के दौरान जब्त किए गए व्याघ्र चर्म का संबंधित ब्यौरा क्या है और इसका मूल्य कितना था?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क), से (ग) गैर-कानूनी रूप से चल रहा व्याघ्र चर्म सिझाई धंधे का जनवरी, 2000 के दौरान उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के खागा शहर में पता लगाया गया था। गैर कानूनी गतिविधियों के संबंध में छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था तथा मामले की आगे जांच करने हेतु इसे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया गया है।

(घ) 1999-2000 के दौरान तथा आज तक जब्त व्याघ्र चर्म का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। व्याघ्र चर्मों की लागत बताना कठिन है क्योंकि बाघ, चीता तथा शेर उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निषिद्ध है।

विवरण

क्र.सं.	दिनांक	माह	वर्ष	प्रजातियां	अंग	संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	24	9	1999	बाघ	चर्म	1
2.	19	12	1999	तेंदुआ	"	50
3.	19	12	1999	बाघ	"	3
4.	2	1	2000	तेंदुआ	"	1
5.	7	1	2000	बाघ	"	1
6.	12	1	2000	तेंदुआ	"	70
7.	12	1	2000	बाघ	"	4
8.	13	1	2000	तेंदुआ	"	1
9.	21	1	2000	बाघ	"	1
10.	22	1	2000	तेंदुआ	"	2
11.	2	2	2000	तेंदुआ	"	4
12.	10	2	2000	तेंदुआ	"	1
13.	10	2	2000	"	"	1
14.	13	2	2000	"	"	1
15.	21	2	2000	"	"	1
16.	22	2	2000	बाघ	"	1
17.	22	2	2000	"	"	2
18.	24	2	2000	तेंदुआ	"	1
19.	31	3	2000	"	"	2
20.	1	4	2000	"	"	6
21.	1	4	2000	बाघ	"	1
22.	20	4	2000	तेंदुआ	"	1
23.	6	5	2000	"	चर्म	50
24.	8	5	2000	"	चर्म	3
25.	15	5	2000	"	चर्म	1
26.	19	5	2000	"	चर्म	7
27.	21	5	2000	"	चर्म	30
28.	21	5	2000	"	चर्म	8
29.	21	5	2000	बाघ	चर्म	1
30.	21	5	2000	तेंदुआ	चर्म	1
31.	26	2	2000	तेंदुआ	चर्म	4

भारत और मोरक्को के बीच समझौता

1309. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष परिवहन के क्षेत्र में भारत और मोरक्को के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या अब तक इसका कार्यान्वयन किया जा चुका है,

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं, और

(घ) यदि नहीं, तो इसका कार्यान्वयन कब तक कर दिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी हां।

(ख) मोरक्को सरकार और भारत गणराज्य के प्रतिनिधियों के बीच "वाणिज्यिक नौवहन और संबंधित मेरीटाइम मामले" संबंधी करार पर 22 फरवरी, 2000 को हस्ताक्षर किए गए । इस करार में समान शर्तों पर दोनों पक्षकारों के जलयानों के संविदाकारी पक्षकारों के बंदरगाह और पत्तनों में आने-जाने की व्यवस्था है। इस करार में संविदाकारी पक्षकारों के पत्तनों में जलयानों का शीघ्र आवागमन सुलभ बनाने, जलयान की राष्ट्रीयता के पर्याप्त प्रमाण के तौर पर संबोधित संविदाकारी पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी रजिस्ट्री प्रमाण पत्रों को मान्यता प्रदान करना, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी संविदाकारी पक्षकारों के कर्मीदल सदस्यों के पहचान दस्तावेजों को स्वीकार करने, एक-दूसरे के पत्तन में जलयान के ठहरने की अवधि में दोनों संविदाकारी पक्षकारों के कर्मीदल सदस्यों को अपने जलयानों से उतरने और तट पर जाने की अनुमति देने, किसी भी संविदाकारी पक्षकार के नौवहन उद्यमियों द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्षकार के क्षेत्र में हुई आय को दूसरे संविदाकारी पक्षकार के क्षेत्र जिसमें राजस्व प्राप्त हुआ है, के विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुसार दोनों संविदाकारी पक्षकारों को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य मुक्त रूप से विनियमय योग्य मुद्रा में स्वदेश भेजने की अनुमति देने, किसी देश के क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त अथवा विपदग्रस्त जलयानों को सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। इसमें समुद्र में जीवन और सम्पति की सुरक्षा सहित नाजुक मामलों पर सूचना के आदान प्रदान, जलयानों द्वारा समुद्र के प्रदूषण से बचाव और उसका मुकाबला करने, कार्मिकों और कर्मीदल सदस्यों की खोज बचाव और प्रशिक्षण, वाणिज्यिक नौवहन के क्षेत्र में संविदाकारी पक्षकारों के बीच सहयोग बढ़ाने और संविदाकारी पक्षकारों से सिफारिश करके इस करार के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए एक द्विपक्षीय वाणिज्यिक नौवहन संपर्क समिति के गठन की भी व्यवस्था है।

इसे अभी लागू नहीं किया गया है क्योंकि संवैधानिक जरूरतें पूरी करने के लिए अपेक्षित औपचारिकताएं अभी पूरी नहीं हुई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) करार लागू करने के लिए संविदाकारी पक्षकारों के राष्ट्रों में संवैधानिक अपेक्षाओं के अनुपालन की प्रक्रिया भिन्न-भिन्न है। अत: यह केवल भारत द्वारा ही नहीं बल्कि मोरक्को की कानूनी अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए मोरक्को सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर भी निर्भर करता है। अत: इस संबंध में भारत सरकार द्वारा कोई समय सीमा नियत करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

टेलीफोन, डाक एवं तार सुविधाओं में सुधार

1310. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल, जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र के विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में टेलीफोन, डाक तथा तार सुविधाओं में सुधार लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या निर्देश जारी किए गए है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों से राज्य वार कितना राजस्व अर्जित किया गया; और

(ङ) विभिन्न राज्यों द्वारा इन सेवाओं पर उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितनी राशि व्यय की गई?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : टेलीफोन :

(क) और (ख) सरकार ने केरल, जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र राज्यों सहित देश में टेलीफोन सुविधाओं में सुधार लाने का निर्णय लिया है। एमटीएन एल मुंबई को छोड़कर केरल, जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र राज्यों के लिए वर्ष 2000-2001 की निवल स्विचन क्षमता, सीधी एक्सचेंज लाइनें और ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के लक्ष्य संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। केरल और महाराष्ट्र राज्यों के जनजाति क्षेत्रों में उपर्युक्त मदों के लिए लक्ष्य भी संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। जम्मू-कश्मीर दूरसंचार जनजाति उप-योजना में शामिल नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान तार सेवाओं सहित अर्जित राजस्व की राज्य-वार राशि विवरण-II में दी गई है।

(ङ) उक्त अवधि के दौरान तार सेवाओं सहित इन सेवाओं पर विभिन्न राज्यों द्वारा खर्च की गई राशि विवरण-III में दी गई है।

डाक

(क) डाक सुविधाओं का सुधार एक सतत प्रक्रिया है। डाक प्रचालन में जांच और मानिटरिंग कार्य शामिल है। आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है और किए गए उपचारात्मक उपायों से न केवल त्रुटियों को ठीक किया जाता है बल्कि किसी कमी के पता चलने

पर उसमें सुधार भी किया जाता है। इस प्रकार सुधार के लिए ऐसी कोई विशेष योजना नहीं है जो केवल केरल, जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र राज्यों के लिए लागू है।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्न राज्यों के जनजाति क्षेत्रों में अब तक निम्नलिखित शाखा डाक घर खोले गए हैं :-

क्र.सं.	सर्किल का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	जम्मू-कश्मीर	0	8	0
2.	केरल	0	0	0
3.	महाराष्ट्र	10	13	9

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए इस भाग के उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

(घ) ब्यौरा विवरण-IV और V में दिया गया है।

(ङ) उपरोक्तानुसार।

तार:-

(क) और (ख) सामान्यत: केरल, जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र राज्यों में स्टोर एवं फोरवार्ड मेसेज स्विचन प्रणालियों (एसएफ़एम एसएस) और इलेक्ट्रॉनिक की बोर्ड कर्सेट्रेटर्स (ईकेबीसी) जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेसेज ...ों पर आधारित माइक्रो प्रोसेसर प्रदान करके तार सुविधाओं में सुधार लाया गया है। ब्यौरा अनुबंध -I में दिया गया है। ये प्रणालियां तारों के शीघ्र पारेषण हेतु तार घरों में संपर्कता और नेटवर्क के लिए प्रदान की गई हैं, इसके साथ-साथ तारों के शीघ्र वितरण हेतु, तारवाहकों की प्रोत्साहन राशि की दर भी बढ़ायी गई है। तथापि इन राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के लिए कोई विशेष योजना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सूचना, विवरण-II में दी गई है।

(ङ) सूचना, विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

टेलीफोन

वर्ष 2000-2001 के लिए निवल स्विचिंग क्षमता, सीधी एक्सचेंज लाइनों और ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के लिए लक्ष्य।

क्र० सं०	सर्किल का नाम	नेटनिवल स्विचिंग क्षमता	सीधी एक्सचेंज लाइनें	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन्स
1	2	3	4	5
1.	केरल	378200	450000	0
2.	जम्मू-कश्मीर	48500	50000	2000
3.	महाराष्ट्र	781700	600000	0

जनजाति क्षेत्र:-

वर्ष 2000-2001 के लिए निवल स्विचिंग क्षमता, सीधी एक्सचेंज लाइनों और ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के लिए लक्ष्य :-

क्र.सं.	2	3	4	5
1.	केरल	37348	24300	0
2.	महाराष्ट्र	2500	1500	0

तार:-

केरल जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र राज्यों में कार्यरत तार प्रणालियों की सूची।

क्र० सं०	राज्य का नाम		कार्यरत प्रणालियां
1	केरल	(क)	स्टोर और फॉरवार्ड मैसेज स्विचिंग सिस्टम्स (एसएफएमएसएस) 128 लाइनें (एक), 64 लाइनें (एक) ओर 32 लाइनें (एक)
		(ख)	इलैक्ट्रॉनिक की बोर्ड कंन्सन्ट्रेटर्स (ईकेबीसी)-18
2.	जम्मू-कश्मीर		इलैक्ट्रॉनिक की बोर्ड कन्सन्ट्रेटर्स (ईके बी सी)-2
3.	महाराष्ट्र	(क)	स्टोर एंड फारवर्ड मैसेज स्विचिंग प्रणालियां (एसएफएमएसएस) 128 लाइनें (दो), 64 लाइनें (दो) और 32 लाइनें (तीन),
		(ख)	इलैक्ट्रॉनिक बी बोर्ड कन्सन्ट्रेटर्स (ईके बी सी)-42

विवरण-II

टेलीफोन और तार :-

1998-99 और 1999-2000 के दौरान अर्जित राजस्व (हजार रु०) को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	अर्जित राजस्व (हजार रु० में)	
		1998-99	1999-2000
1	2	3	4
1.	अंडमान व निकोबार	96090	106342
2.	आंध्र प्रदेश	12547853	14538398
3.	असम	1544287	1918250

1	2	3	4
4.	बिहार	4247205	4646647
5.	गुजरात	13801780	14952129
6.	हरियाणा	3909581	4414543
7.	हिमाचल प्रदेश	984041	1129483
8.	जम्मू व कश्मीर	944810	1080690
9.	कनार्टका	13504682	14627529
10.	केरल	7864604	8879774
11.	मध्य प्रदेश	6614882	6920815
12.	महाराष्ट्र	15508477	16533999
13.	नार्थ ईस्ट	983716	1182458
14.	उड़ीसा	2161521	2273458
15.	पंजाब	7930621	8814066
16.	राजस्थान	6331961	6909487
17.	तामिलनाडु	19450410	22222285
18.	उत्तर प्रदेश	11892758	13445754
19.	पश्चिम बंगाल	9934801	10486026
	कुल	140254080	155082133

टिप्पणी:- गुजरात राज्य में दादर, दीव, दमन व नगर हवेली (संघ शासित क्षेत्र) शामिल हैं।

केरल राज्य में लक्ष्यद्वीप (संघ शासित क्षेत्र) शामिल हैं।

महाराष्ट्र राजय में गोवा शामिल है।

उत्तर-पूर्वी दूरसंचार सर्किल में अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय शामिल हैं।

मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य।

पंजाब राजय में चंडीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं।

तमिलनाडु राज्य में चेन्नई और पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र) शामिल हैं।

पश्चिमी बंगाल राज्य में कलकत्ता और सिक्किम राज्य शामिल हैं।

विवरण-III

टेलीफोन और तार

1998-99 से 1999-2000 तक हुए वास्तविक व्यय के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	व्यय (करोड़ रुपयों में)	
		1998-99	1999-2000
1.	अंडमान व निकोबार	16.47	27.26
2.	आंध्र प्रदेश	696.94	1122.64
3.	असम	112.86	166.45
4.	बिहार	325.45	390.12
5.	गुजरात	552.24	819.92
6.	हरियाणा	207.17	301.03
7.	हिमाचल प्रदेश	119.87	170.96
8.	जम्मु व कश्मीर	51.04	87.08
9.	कर्नाटक	714.02	962.52
10.	केरल	731.50	923.31
11.	मध्य प्रदेश	390.54	481.84
12.	महाराष्ट्र	865.52	1230.62
13.	उत्तर पूर्व	182.03	201.14
14.	उड़ीसा	174.44	224.44
15.	पंजाब	525.99	584.27
16.	राजस्थान	374.81	557.29
17.	तामिलनाडु	756.35	979.69
18.	उत्तर प्रदेश	1014.20	1167.41
19.	पश्चिमी बंगाल	306.58	477.64
20.	अन्य यूनिटें	1332.32	1635.14
	कुल जोड़	9450.34	12510.77

टिप्पणी :- गुजरात राज्य में दादर, दीव, दमन व नगर हवेली (संघ शासित क्षेत्र) शामिल हैं।

केरल राज्य में लक्ष्यद्वीप (संघ शासित क्षेत्र) शामिल हैं।

महाराष्ट्र राज्य में गोवा शामिल हैं।

उत्तर-पूर्वी दूरसंचार सर्किल में अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय शामिल हैं।

मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य।

पंजाब राजय में (चंडीगढ़) संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं।

तमिलनाडु राज्य में चेन्नई और पांडीचेरी (संघ शासित क्षेत्र) शामिल हैं।

पश्चिमी बंगाल राज्य में कलकत्ता और सिक्किम राज्य शामिल हैं।

विवरण-IV

डाक:-

वर्ष 1998-99 के वास्तविक आँकड़े (करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	सर्किल का नाम	कुल एम.एच. 1201 डाक प्राप्तियां	कुल एम.एच. 3201 राजस्व व्यय	कुल एम.एच. 5201 पूंजीगत व्यय
1	2	3	4	5
	आंध्र प्रदेश	118.44	312.21	2.47
2.	असम	16.57	84.97	2.67
3.	बिहार	41.92	240.62	0.98
4.	बेस	17.90	4.31	0.00
5.	दिल्ली	152.66	247.01	17.31
6.	गुजरात	99.19	237.88	2.62
7.	हरियाणा	28.74	80.83	0.58
8.	हिमाचल प्रदेश	15.66	54.12	0.93
9.	जम्मू व कश्मीर	9.88	29.90	0.44
10.	कर्नाटक	114.28	240.78	3.33
11.	केरल	130.99	206.45	2.03
12.	महाराष्ट्र	310.40	555.87	3.65
13.	मध्य प्रदेश	56.62	207.39	2.13
14.	उत्तर प्रदेश	11.88	44.61	0.92
15.	उड़ीसा	25.94	157.33	3.99
16.	पंजाब	59.90	122.01	0.87
17.	राजस्थान	52.44	163.12	0.15
18.	तमिलनाडु	211.85	443.81	2.36
19.	उत्तर प्रदेश	121.61	514.51	4.33
20.	पश्चिमी बंगाल	88.30	345.16	3.55

विवरण-V

डाक:-

वर्ष 1999-2000 के लिए वास्तविक आँकड़े (करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	सर्किल का नाम	कुल एम.एच. 1201 डाक प्राप्तियां	कुल एम.एच. 3201 राजस्व व्यय	कुल एम.एच. 5201 पूंजीगत व्यय
1.	आंध्र प्रदेश	145.20	336.83	2.20
2.	असम	19.98	131.24	1.89
3.	बिहार	51.39	331.33	1.55
4.	बेस	26.38	3.58	0.00
5.	दिल्ली	190.84	226.66	34.05
6.	गुजरात	115.22	267.37	1.68
7.	हरियाणा	35.31	87.55	0.95
8.	हिमाचल प्रदेश	19.20	56.67	1.05
9.	जम्मू व कश्मीर	11.16	33.65	0.44
10.	कर्नाटक	136.59	258.48	2.57
11.	केरल	156.72	230.55	1.37
12.	महाराष्ट्र	370.12	586.87	3.30
13.	मध्य प्रदेश	65.46	231.69	2.25
14.	उत्तर प्रदेश	14.64	55.50	2.50
15.	उड़ीसा	29.20	169.23	2.16
16.	पंजाब	69.87	125.17	0.87
17.	राजस्थान	62.92	175.00	0.28
18.	तमिलनाडु	253.46	472.38	1.90
19.	उत्तर प्रदेश	138.86	547.29	3.74
20.	पश्चिमी बंगाल	106.80	352.96	3.14

एम०टी०एन०एल० द्वारा दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

1311. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार दिल्ली में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न दूरभाष केन्द्रों द्वारा टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने में कितना समय लिया जा रहा है;

(ख) दिसम्बर 1999 से आज की तिथि तक दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदनों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) एमटीएनएल के सभी टेलीफोन-एक्सचेंजों में ओबी जारी होने के बाद, निम्नलिखित कारणों को छोड़कर दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों, अर्थात् 15 दिनों के भीतर नए टेलीफोन-कनेक्शन प्राय: उपलब्ध करा दिए जाते है :

(i) कुछेक पॉकेट् तकनीकी रूप से अवाहार्य, अर्थात् भूमिगत केबल-पेयर की अनुपलब्धता के कारण,

(ii) एक्सचेंज-क्षमता में दबाव के कारण,

(iii) उपभोक्ताओं से जुड़े कारणों से

(ख) (i) 1.7.2000 की स्थिति के अनुसार, प्रतीक्षारत व्यक्तियों की संख्या, 2391 थी।

(ii) 14.7.2000 की स्थिति के अनुसार नए टेलीफोन-कनेक्शनों लगाने हेतु दिसंबर'99 से लंबित 56,223 ओ बी जारी की गई। इनमें से 46, 791 कनैक्शन फिलहाल तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं हैं।

(ग) लंबित ओबी को निपटाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

- तकनीकी रूप से व्यवहार्य ओ०बी० के संबंध में कार्य तेजी से चल रहा है और इसके शीघ्र ही पूरा हो जाने की संभावना है।
- मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार;
- तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्रों में भूमिगत केबल बिछानउ;
- 'पेयर गेन-प्रणाली' का उपयोग;
- 'सैकंड रिमोट-स्विचों (सीएनई) का उपयोग;
- 'कॉपर-बेस्ड केबलों' के बजाए 'डीएलसी' का उपयोग;
- 'वायरलैस इन लोकल लूप' (डब्ल्यूएलएल) के जरिए टेलीफोन-कनैक्शन देना।

खराब पड़े पीसीओ

1312. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मुजफ्फरपुर के डाकखाने की सभी शाखाओं के पीसीओ खराब पड़े हैं?

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें काम करने योग्य बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। यह सही नहीं है कि मुजफ्फरपुर के शाखा डाकघरों स्थित सभी पीसीओ खराब पड़े हैं। फिर भी, एमएआरआर पर कुछ ग्रामीण पीसीओ दोषयुक्त हैं।

(ख) (1) वीपीटी धारक द्वारा बैटरी और सोलर पैनल का दुरुपयोग।

(2) बैटरी तथा सोलर पैनल इत्यादि की चोरी।

(ग) उपस्कर के विनिर्माता /आपूर्तिदाता को वार्षिक अनुरक्षण ठेका दिया गया है।

सड़क हेतु भारत और फ्रांस के बीच समझौता

1313. **श्री जोरा सिंह मान**
श्री नवल किशोर राय
श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी
श्रीमती जयश्री बैनर्जी

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रांस ने भारतीय सड़कों के विकास हेतु हाल ही में ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं,

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते के अंतर्गत भारतीय सड़कों के विकास हेतु फ्रांस द्वारा किस तरह की सहायता उपलब्ध कराये जाने की संभावना है,

(ग) फ्रांस के साथ हुए समझौते के अंतर्गत सहायता हेतु किन क्षेत्रों/सड़कों का चयन किया गया है,

(घ) क्या इस सहायता के बदले में किसी अन्य तरह से भारत को भी फ्रास की सहायता करने को कहा गया है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जून, 2000 में हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन में दोनों देशों के प्राधिकरणों के बीच आपसी हित के मुद्दों पर सहयोग करना और सड़क नीति, सड़कों के निर्माण, रख-रखाव और प्रबंध

के क्षेत्रों में तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग को संस्थागत रूप से करने की अपेक्षा की गई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

1314. श्री नवल किशोर राय : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा 14,000 किलोमीटर लम्बे एक अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किये जाने की आवश्यकता है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अपेक्षित राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु राज्यों की पहचान कर ली है,

(ग) यदि हां, तो ये राज्य कौन-कौन से हैं तथा वहां कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है, और

(घ) प्रत्येक राज्य में इसके निर्माण पर कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) माननीय सदस्य संभवत: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग निगम करण को सौंपी गई राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और पत्तन को जोड़ने वाली परियोजनाओं का उल्लेख कर रहे हैं जिनकी कुल लम्बाई लगभग 14250 कि०मी० है। मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों को 13250 कि०मी० लम्बाई में चार/छह लेन के स्तरों तक उन्नत करने और 1000 कि०मी० की कुल लम्बाई में महापत्तनों के साथ संपर्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इसमें किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना शामिल नहीं है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(घ) अनुमानत: 58,000 करोड़ रु० की राशि खर्च की जानी है।

विवरण

उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम कारीडोरों और स्वर्णिम चतुर्भुज पर चार/छह लेनों में परिवर्तित किए जाने वाले प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्यौरे

लम्बाई कि०मी० में

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वर्णिम चतुर्भुज	कारीडोर		कारीडोर जोड़
			उत्तर-दक्षिण	पूर्व-पश्चिम	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1,011	753	–	753
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–
3.	असम	–	–	758	758
4.	बिहार	396	–	517	517
5.	चंडीगढ	–	–	–	–
6.	दिल्ली	25	34	–	34
7.	गोवा	–	–	–	–
8.	गुजरात	510	–	654	654
9.	हरियाणा	175	180	–	180
10.	हिमाचल प्रदेश	–	14	–	14
11.	जम्मू एवं कश्मीर	–	405	–	405
12.	कर्नाटक	690	125	–	125
13.	केरल	–	160	–	160
14.	मध्य प्रदेश	–	524	142	666
15.	महाराष्ट्र	506	232	–	232
16.	मणिपुर	–	–	–	–
17.	मेघालय	–	–	–	–
18.	नागालैंड	–	–	–	–
19.	पांडिचेरी	–	–	–	–
20.	उड़ीसा	442	–	–	–
21.	पंजाब	–	296	–	296
22.	राजस्थान	688	32	480	512
23.	तमिलनाडु	263	851	–	851
24.	उत्तर प्रदेश	777	268	548	816
25.	पश्चिम बंगाल	469	–	366	366
	जोड़	5,952	3,874	3,465	7,339

गुजरात में स्पीड पोस्ट केन्द्र

1315. श्री मानसिंह पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में और अधिक स्पीड पोस्ट केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क), से (ग) इस समय, गुजरात में 4 राष्ट्रीय स्पीड केन्द्र, 5 राज्य स्तर के प्वाइंट-टू-प्वाइंट स्पीड पोस्ट केन्द्र हैं। स्पीड पोस्ट सेवा एक प्रीमियम उत्पाद है तथा व्यावसायिक आधार पर चलाई जाती है। हालांकि, कोई स्पीड पोस्ट केन्द्र खोलने की तत्काल कोई योजना नहीं है, फिर भी, इस नेटवर्क का विस्तार एक अनवरत प्रक्रिया है जो बाजार की स्थिति, मांग के आकलन, अनुमानित राजस्व और परिवहन नेटवर्क पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों से वित्तीय सहायता

1316. **श्री उत्तमराव ढिकले :**
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान क्या प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य जागरुकता के क्षेत्र में कार्य के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि इनमें से कुछ गैर-सरकारी संगठनों की विश्वसनीयता संदिग्ध है,

(ग) यदि हां, तो उन गैर-सरकारी संगठनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध वित्तीय गड़बड़ी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और

(घ) इन गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एकल परिवार नियोजन कार्यक्रम

1317. **श्री आर० एल० भाटिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एकल परिवार कल्याण कार्यक्रम और परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने का है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में ऐसे कार्यक्रमों हेतु कोई विदेशी सहायता मांगी है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) भारत ने 1952 में सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाया जिसका नाम बदलकर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम रखा गया है।

(ख) और (ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2000-2001 के दौरान योजना बजट परिव्यय 3520 करोड़ रुपए है जिसमें से 1279 करोड़ रुपए वाह्य सहायता घटक के रूप में है।

[हिन्दी]

औषधीय पादपों को सुरक्षित रखने हेतु राष्ट्रीय योजनाएं

1318. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में समस्त प्राकृतिक उत्पाद उद्योग की गुणवत्ता सुधारने और सुनियोजित तरीके से उनका उन्नयन करने हेतु सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या सरकार का विचार देश में उन्हें सुरक्षित रखने और उन्हें लुप्त-प्राय होने से बचाने हेतु किसी राष्ट्रीय नीति को तैयार करने का है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्याा है,

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय स्तर पर औषधीय पादपों के दीर्घावधि परिरक्षण तथा प्रबंधन के लिए वन और वन्य जीव प्रबंधन संबंधी संपूर्ण तंत्र को आपस में जोड़ने का भी है,

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) यदि नहीं तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) सरकार ने आयुर्वेद सिद्ध और यूनानी औषधियों के लिए औषधि एवं प्रसाधन विनियम 1954 की अनुसूची "टी" में संशोधित किया है और अच्छी विनिर्माण पद्धति को अधिसूचित किया है। इसके अलावा प्रत्येक प्रणाली के एकल और मिश्रित औषधियों को तैयार करने के लिए व्यापक मानक भी बनाये जा रहे हैं और उन्हें समय-समय पर औषध कोश में शामिल किया जा रहा है।

(ख) से (च) औषधीय पादपों के संरक्षण और सतत् उपयोग पर एक कार्यदल ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें औषधीय पादप क्षेत्र की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बताया गया है विशेषज्ञ एजेंसियों के द्वारा भी बहुत से कदम शुरू किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं :-

– जड़ी बूटी उद्यानों की स्थापना।

– जीन बैंकों के नेटवर्क की स्थापना।

– राष्ट्रीय वानिकी कार्य कार्यक्रम को अपनाना जिसमें औषधीय पादपों का विकास भी शामिल है।

– राष्ट्रीय पार्कों और अभयरणों की स्थापना जिसमें औषधीय पादपों की व्यापक किस्में हों।

– राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के अंतर्गत औषधीय पादपों के उसके एक अनिवार्य घटक के रूप में कृषि जैवविविधता के संरक्षण पर एक परियोजना तैयार करना।

– एक औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना का भी प्रस्ताव है जो औषधीय पादपों के विकास से संबंधित सभी पहलुओं का संयोजन भी करेगा।

ट्राइपेनोसोमिसिस दवाओं की कमी

1319. **श्री रिजवान जहीर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले 10 वर्षों से देश में महत्वपूर्ण दवाई ट्राइपेनोसोमिसिस उपलब्ध नहीं हैं के कारण दुर्लभ प्रजाति के 11 चीतों की मौत हो गई,

ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) उक्त दवा के उत्पादन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) ट्राइपेनोसोमिसिस दवाई नहीं है। यह ट्राइपेनोसोम वंश के प्रोटोजॉन जनित रोगों के समूह का नाम है। इस रोग के कई नाम है जो रोग पैदा करने वाले एजेन्ट, प्रभावित प्रजाति और इसके विस्तार पर निर्भर करता है। पशुओं में ट्राइपेनोसोमिसिस का नियंत्रण अन्य बातों के साथ-साथ कुछ औषधों के रोगनिरोधी प्रयोग द्वारा किया जाता है। पशुओं में ट्राइपेनोसोमिसिस के उपचार के लिए किसी महत्वपूर्ण दवाई की कमी के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

औषध पादपों का रोपण

1320. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी :** क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने आच्छादित हो रहे वनों में औषध पादपों के रोपण हेतु केन्द्र सरकार के पास कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत किन क्षेत्रों का चयन किया गया है;

(घ) क्या ऐसे रोपण से अर्जित राजस्व के माध्यम से केन्द्र सरकार को भी लाभ पहुंचेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मई, 2000 में अवक्रमित वनों में औषधीय महत्ता वाली चिरस्थायी जड़ी-बूटियों तथा झाड़ियों के पुनरुद्धार के संबंध में एक पंचवर्षीय प्रायोगिक परियोजना प्रस्ताव भेजा गया था।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत 242.00 लाख रु० थी जिसमें 352 है० क्षेत्र का सुधार (तीन वर्षों तक रख-रखाव सहित) किया जाना था। प्रस्ताव की जांच स्कीम के दिशा-निर्देशों और लागत संबंधी मानकों के अनुसार की गई थी तथा नवीं योजना के शेष दो वर्षों में 325 है० क्षेत्र में सुधार के लिए 59.70 लाख रु० मंजूर किए गए हैं। वर्ष 2000-01 के दौरान पहली किस्त के रूप में 20.00 लाख रु० जारी किए जा चुके हैं।

(ग) परियोजना पन्ना और छतरपुर जिलों के 23 गांवों में क्रियान्वित की जानी है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं के बीच खेल गति-विधियों को प्रोत्साहन

1321. **श्रीमती रेनु कुमारी :** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं के बीच खेलों को प्रोत्साहन देने के लिये देश में इस समय राज्यवार कितनी खेल संस्थाएं काम कर रही हैं अथवा नौवीं योजना अवधि के दौरान स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या नई संस्थाओं की स्थापना के लिये स्थानों की पहचान कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नई प्रतिभाओं की खोज के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) ऐसी कोई संस्था नहीं है जो सरकार द्वारा केवल महिलाओं के बीच खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए स्थापित की गई हो। तथापि, सरकार द्वारा पूर्णत: वित्त-पोषित एक स्वायत्तशासी संगठन-भारतीय खेल प्राधिकरण की निम्नलिखित संस्थाएँ हैं जो महिलाओं की आवश्यकताओं को भी पूरा करती हैं:-

नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला (पंजाब), क्षेत्रीय केन्द्र, बंगलौर (कर्नाटक) तथा कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) स्थित अपने अकादमिक प्रभागों सहित खेलों की प्रमुख अकादमिक संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए, उत्कृष्ट भारतीय खिलाड़ियों (महिला एवं पुरुष दोनों) के प्रशिक्षण के लिए मुख्य केन्द्र के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा, विभिन्न

अंचलों के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के छः क्षेत्रीय केन्द्र तथा एक उप केन्द्र है, जो निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं:

1. भारतीय खेल प्राधिकरण नेताजी सुभाष उत्तरी केन्द्र, चण्डीगढ़
2. भारतीय खेल प्राधिकरण नेताजी सुभाष पश्चिमी केन्द्र, गांधी नगर
3. भारतीय खेल प्राधिकरण नेताजी सुभाष मध्य केन्द्र, दिल्ली
4. भारतीय खेल प्राधिकरण नेताजी सुभाष दक्षिणी केन्द्र, बंगलौर
5. भारतीय खेल प्राधिकरण नेताजी सुभाष पूर्वी केन्द्र, कलकत्ता
6. भारतीय खेल प्राधिकरण नेताजी सुभाष उत्तर पूर्वी केन्द्र, इम्फाल
7. भारतीय खेल प्राधिकरण नेताजी सुभाष उत्तर पूर्वी उप केन्द्र गुवाहटी

इस समय, इसी प्रकार के और संस्थानों की स्थापना करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला और क्षेत्रीय केन्द्रों में महिलाओं सहित उत्कृष्ट खिलाड़ियों की शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है।

उपर्युक्त के अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण अनेक योजनाओं को कार्यन्वित करता है जिनके माध्यम से यह पुरुषों और महिलाओं दोनों में खेलों का संवर्धन करता है। इन योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

(क) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता-29 विद्यालय और 2 अखाड़े

(ख) सेना बाल खेल कम्पनी - 8 केन्द्र

(ग) विशेष क्षेत्र खेल-7 केन्द्र और 1 सम्बद्ध केन्द्र

(घ) भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र-43 केन्द्र

(ङ) उत्कृष्टता केन्द्र-6 केन्द्र

तथापि, कुछ ऐसे केन्द्र हैं जो केवल लड़कियों के लिए हैं। वे निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं:

(1) एस०टी०सी० मेडीकेरी (कर्नाटक)

(2) एस०टी०सी० चण्डीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)

(3) एस०टी०सी० धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश)

(4) महादेवी कन्या पाठशाला इंटर कालेज (उ०प्र०)

(5) माउण्ट कारमेल कान्वेट, कोट्टायम (केरल)

(5) माउण्ट कारमेल कान्वेट, कोट्टायम (केरल)

(6) राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, रांची (बिहार)

(7) राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, किशनगढ़ (पश्चिम बंगाल)

(8) सेंट मैरी गर्ल्स हाई स्कूल, सुंदरगढ़

(9) डाउनहिल गर्ल्स हाई स्कूल, कुर्सियांग

(10) महारानी लक्ष्मी बाई बहुउद्देशीय उच्च विद्यालय, जबलपुर (म०प्र०)

(11) राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जालंधर (पंजाब)

इसके अलावा, महिलाओं में खेलों के संवर्धन संबंधी केन्द्रों की स्थापना के लिए कुछ स्थानों की पहचान की गई है। ये स्थान निम्नलिखित हैं:

(क) एस०टी०सी० कोटवार (उ०प्र०)

(ख) एस०टी०सी० बादल (पंजाब)

(ग) एस०टी०सी० लखनऊ (उ०प्र०)

विचाराधीन

(घ) एस०ए०जी० अगरतला (त्रिपुरा)

विचाराधीन

(घ) लड़कियों सहित प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए भा०खे०प्र० की विभिन्न योजनाओं का समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

प्रशिक्षणार्थी लड़कों और लड़कियों के बीच अनुपात सुधारने के लिए, वर्तमान 6:1 के अनुपात को सुधार कर 2:1 करने हेतु लड़कियों का अनुपात बढ़ाने की योजना है।

उपरोक्त योजनाओं के अलावा, निम्नलिखित सरकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं में प्रतिभा की खोज और खेल संवर्धन का कार्य किया जा रहा है:

1) महीलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल महोत्सव

2) अखिल भारतीय ग्रामीण खेल टूर्नामेंट

3) उत्तर पूर्वी खेल महोत्सव

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल महोत्सव केवल महिलाओं में प्रतिभा की खोज और खेलों के संवर्धन पर केन्द्रित है। इन उद्देश्यों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। सहभागियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए, प्रतियोगी खेल विधाओं की संख्या वर्तमान 10 से बढ़ाकर 14 करने का प्रस्ताव है। 1999-2000 में आयोजित महोत्सव की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 1608 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया था।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

हिन्दी

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय तार (पहला संशोधन) नियम, 2000, जो 2 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०कि०नि० 214(अ) में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल०टी०-2124/2000]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) जी०बी० पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इंनवाइरनमेंट एण्ड डेवलपमेंट, कोसी के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जी०बी० पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इनवाइरनमेंट एण्ड डेवलपमेंट, कोसी के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी-2125/2000]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) नियम 2000, जो 27 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 566(अ) में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल०टी०-2126/2000]

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(एक) सा०का०नि० 509 (अ) जो 31 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 1999 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा०का०नि० 510 (अ) जो 31 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2000 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा०का०नि० 511 (अ) जो 31 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास (विभागों के प्रमुखों की भर्ती) संशोधन विनियम, 2000 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा०का०नि० 512 (अ) जो 31 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलोर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2000 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा०का०नि० 513 (अ) जो 31 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन कर्मचारी (छुट्टी) विनियम, 2000 का अनुमोदन किया गया है।

(छह) सा०का०नि० 531 (अ) जो 8 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवानिवृत्ति) संशोधन विनियम, 1999 का अनुमोदन किया गया है।

(सात) सा०का०नि० 557 (अ) जो 22 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलोर पत्तन कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2000 का अनुमोदन किया गया है।

(आठ) सा०का०नि० 508 (अ) जो 31 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (नौभरकों का अनुज्ञापन और आनुषंगिक मामले) संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल०टी० 2127/2000]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अरुण कुमार, अब हम शून्य काल लेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस तरह का व्यवहार करेंगे, तो शून्य काल को स्थगित करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प न होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके बोलने की अनुमति दूँगा। अब, श्री अरुण कुमार बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में सिनारी गाँव...

श्री कान्ति लाल भूरिया (झाबुआ) : अध्यक्ष महोदय. मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अगली बार बोलने की अनुमति दूँगा।

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें। मैं नोटिस दे चुका हूँ. . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझें कि मैंने श्री अरुण कुमार जी को बोलने की अनुमति प्रदान की है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, आप को भी बोलने की अनुमति दी जायेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही एक नाम बोल चुका हूँ।

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार : अध्यक्ष महोदय, बिहार में पिछले वर्ष, सिनारी में 34 लोगों की हत्या हुई थी। वह गांव बिलकुल अनाथ है और विधवाओं का ही गांव हो गया है। पिछली 28 तारीख को जिस तरह से वहां के डी०एस०पी० श्री संजय रंजन और कुछ पुलिस पदाधिकारी मियांपुर कांड के कुछ अभियुक्तों को पकड़ने के लिये गये और उसके जाने के बाद सी०आर०पी०एफ० ने सारे गांव में रेड किया और सी०आर०पी०एफ० लौट आई। कहीं कोई अभियुक्त नहीं था। डी०एस०पी० सिनारी कांड के समय वहां पोस्टेड था, वह अपने गुंडों के साथ काले कपड़े में अपने चेहरे को ढंककर उस गांव में गया। महिलाओं की गोद से 6 वर्ष तक के बच्चों को खींचकर फैंक दिया और महिलाओं की इज्जत लूटने का प्रयास किया। जहानाबाद के अस्पताल में 35 महिलायें भर्ती हैं जिन्हे प्रेस वाले देखने गये तो उन्हें बताया गया कि महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स पर राइफल के कुंदों से मारने का ऐसा काम किया कि ऐसी घटना को देखकर कोई भी शर्मशार हो सकता है। ये सारी बातें अखबारों में छपी हैं। बिहार सरकार और वहां के डी०जी०पी० कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है। मेरे पास जो अखबार है, उसमें यह लिखा है कि "जैकब साहब, यह पुलिस ज्यादती नहीं तो और क्या है?" इसमें सिनारी की पीड़ित महिलायें संकोच के साथ अपने ज़ख्म दिखाती हुई नजर आ रही हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में पूरी खबर आई है . . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बंगरप्पा के कथन के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह पूरा स्टेट का मैटर है, फिर भी हमने आपको अलाऊ किया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार की ओर से कुछ बात है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेट का मामला है, फिर भी हमने आपको अलाऊ किया है, आप क्या कर रहे हैं।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्लीज आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।. . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु, शून्य काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप गवर्नमैंट का रिप्लाई नहीं सुनेंगे, आप क्या कर रहे हैं।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : गांव में रणवीर सेना छुपी हुई है...*(व्यवधान)* इसके लिए केन्द्र सरकार कसूरवार है।...*(व्यवधान)* सरकार की तरफ से क्यों खड़े हो जाते हैं, यह कानून के खिलाफ नियमों के खिलाफ है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह जी, कृपया आप अपने स्थान पर बैठिये। माननीय मंत्री जी उत्तर देने वाले हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, आप अपनी सीटों पर जाइये। जीरो ऑवर में क्या हो रहा है। सारा देश आपको देख रहा है कि हाउस में क्या चल रहा है। आप क्या कर रहे हैं। रघुवंश प्रसाद जी आप अपनी सीट पर बैठिये। आप बार-बार हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप पैनल ऑफ चेयरमैन में भी हैं। आप हाउस को बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप एक सीनियर मैम्बर हैं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मंत्री महोदय जी, यह क्या है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय जी, यह सब क्या है? आपके सदस्य आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : वे क्या कर सकते हैं? दूसरी ओर के सदस्य मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं...*(व्यवधान)* महोदय, अब आप यह देख सकते हैं कि कौन-कौन से सदस्य मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अखबार में जो खबर छपी है क्या यह असत्य है?

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : इसमें भारत सरकार को क्या लगता है जो यह खड़े हो जाते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत मे सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब, संसदीय कार्य मंत्री जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : अगर जवाब चाहते हैं तो आप बैठ जाएं। आप भी उनकी मदद कर रहे हैं।. . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठें।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु : महोदय, आपका विनिर्णय क्या है?... *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती श्यामा सिंह जी बोलना चाहती हैं।...*(व्यवधान)* यह विषय उनके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। उन्हे बोलने का एक अवसर दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्यामा जी, क्या यह आपकी कांस्टीट्यूएंसी का मामला है?

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार) : जी हां, महोदय। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, श्रीमती श्यामा सिंह बोलेंगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : ये कैसे बोलेंगी, पहले कांग्रेस बिहार सरकार से समर्थन वापस लें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनका नाम बोला है। आप उन्हें रोकने वाले कौन होते हैं? यह सब क्या है?

(व्यवधान)

अपराह्न 12.11 बजे

इस समय श्री अरुण कुमार तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.12 बजे

इस समय श्री अरुण कुमार तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती श्यामा सिंह के कथन के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती श्यामा सिंह कृपया आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें न कि सदस्यों को।

(व्यवधान)

श्रीमती श्यामा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सभा के ध्यान में यह तथ्य लाना चाहती हूँ कि एक महीने पहले औरंगाबाद के मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बहुत खून-खराबा हुआ था। मेरे इस निर्वाचन क्षेत्र में चालीस लोग मारे गए और सीमावर्ती क्षेत्र सिनारी पड़ता है।...*(व्यवधान)* औरंगाबाद में सिनारी के लोगों ने ही यह हत्याकांड किया।...*(व्यवधान)* मैं व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव करती हूँ कि औरंगाबाद के इस निर्वाचन क्षेत्र में इस हत्याकांड के लिए यही लोग जिम्मेदार थे।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मनोज सिन्हा (गाज़ीपुर) : हम सरकार से जवाब सुनना चाहते हैं। इसमें कांग्रेस के लोग ही उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी बिहार सरकार हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए प्लीज।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल श्रीमती श्यामा सिंह जी की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह जी, कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। श्री रघुनाथ झा, कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। यह सब क्या हैं? कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हुआ हूँ। कृपया समझने का प्रयास करें। यह सब क्या है? श्री रघुनाथ झा मैं आपके विरुद्ध कार्रवाई करूँगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रघुनाथ झा, मैं आपके विरुद्ध कार्रवाई करूँगा। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। यह सब क्या है?

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, क्या यह आपके निर्वाचन क्षेत्र का मामला है? क्या यह घटना आपके निर्वाचन क्षेत्र में हुई?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम खड़े हैं इसलिए आप बैठ जाइए। यह सब क्या है?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदया, मैं आपसे यह पूछ रहा हूँ कि यह मामला आपके निर्वाचन क्षेत्र का है या नहीं।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : यह घटना इनके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं उनसे यह पूछ रहा हूँ। मैडम, श्यामा क्या यह आपके निर्वाचन क्षेत्र का मामला है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैडम श्यामा सिंह जी, क्या यह आपके निर्वाचन क्षेत्र का मामला है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर झा, आप हाउस को बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैडम आप कृपया सदस्यों को संबोधित न करके अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सब क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैडम कृपया आप अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठें और अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

(व्यवधान)

श्रीमती श्यामा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहती हूँ...*(व्यवधान)* माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विचार से अत्यधिक दु:खी हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सिनारी क्षेत्र में बहुत सी स्त्रियाँ मार दी गईं अथवा उनकी नृशंस हत्या कर दी गयी। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहती हूँ कि कुछ समय पहले औरंगाबाद में हत्याकांड हुआ जिसमें 35 लोगों की हत्या कर दी गयी। वे सभी पिछड़ा समुदाय के थे। उन सभी की उसी रणवीर सेना द्वारा निर्दयापूर्वक नृशंस हत्या कर दी गयी जो औरंगाबाद के हत्याकांड के लिए जिम्मेदार है। आज, उन्होंने बहुत भयानक तरीके से, औरंगाबाद के सिनारी क्षेत्र में प्रतिशोध लिया।...*(व्यवधान)* ये वही लोग थे जिन्होंने औरंगाबाद के सिनारी में खून-खराबा शुरू किया था। आज, सिनारी में लोगों को इन्हीं का सामना करना पड़ा। वे.... के बारे में बात कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मुझे बहुत दु:ख है।...*(व्यवधान)* स्त्रियाँ भागने में असमर्थ थीं, इसी कारण उन्हें मौत का सामना करना पड़ा। यह हमारे समाज पर गंभीर लांछन हैं। मैं सिनारी की घटनाओं की भर्त्सना करती हूँ। वहां की स्त्रियों के प्रति मेरी सहानुभूति है। लेकिन यदि इस प्रकार खून-खराबा होता रहा, तो कोई भी व्यक्ति केवल एक पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। ऐसी घटनाओं में निर्दोष लोगों की हत्या कर दी जाती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी। कृपया मंत्री जी को बोलने दीजिए। मैडम् कृपया आप अपने स्थान पर बैठें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये शब्द कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह तो अति है। यह सब क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये शब्द कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। अब, मंत्री जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को बोलने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये शब्द कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किये जा रहे हैं। कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इन शब्दों को पहले से ही कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया है। अब मंत्री जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): पश्चिम बंगाल में कई लोगों की हत्या कर दी गयी। हमारा बोलने, का अधिकार बनता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझिए कि सभी लोग इस सभा में राज्य का ही मामला उठा रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभी लोग केवल राज्य का ही मामला उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, सामान्य रूप से राज्यों में जो कानून और व्यवस्थाओं की घटनाएँ होती हैं, उसकी चर्चा हम इस सदन में नही करते, लेकिन जब महिलाओं पर, दलितों पर या अल्प-संख्यकों पर अत्याचार की घटना दुर्भाग्य से किसी राज्य में होती है ...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : जैसा पश्चिम बंगाल में हो गया।. . .*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : तो स्वाभाविक रूप से सदस्य अपनी भावनाएँ व्यक्त करते हैं...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जो कह रहे हैं उसे छोड़कर कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : आप चिल्लाकर उनकी मदद क्यों कर रहे हैं। यह कोई जुगलबंदी-चल रही है क्या?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, मैडम। ये रिप्लाई दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : श्यामा जी, मुझे बोलने दें। अध्यक्ष जी, जहानाबाद में हुई घटना...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री सत्ता पक्ष में बैठे सभी-सदस्यों की ओर से टिप्पणी कर रहे हैं या वे संसदीय प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण दे रहें हैं? यदि वे स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो श्रीमती श्यामा सिंह को भी मौका दिया जाना चाहिए। उनको उसी तरह ध्यान से सुना जाना चाहिए जिस तरह हम लोगों ने इनको ध्यान से सुना हैं। तभी हम माननीय संसदीय कार्य मंत्री को बोलने देंगे...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : आप मुझे अनुमति मत दीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : मंत्री महोदय, कृपया आप यह सुनिश्चित करें कि उन्हें भी ध्यान से सुना जाए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, मैं यह मानता हूँ कि-जहानाबाद जिले के सेनारी-गाँव की महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ है, वह मानवता पर कलंक है...*(व्यवधान)* इस प्रकार का अत्याचार वहां नहीं होना चाहिए था। इस अत्याचार के पीछे कौन लोग हैं।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती श्यामा सिंह : आप गलत बोल रहे हैं।

श्री प्रमोद महाजन : इसमें क्या गलत है? यह मानवता पर कलंक नहीं है क्या ?...*(व्यवधान)* मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। यह किसने किया, इसकी जाँच किये बिना, मैं किसी दल या राजनैतिक व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं पर अत्याचार होना अपने आप में गलत घटना है। गृह मंत्रालय की ओर से हम इसकी जाँच जरूर करेंगे और जाँच करके इस पर उचित निर्णय लिया जायेगा।

दो बातें मैं और कहना चाहता हूं कि सदन में किसी भी सम्माननीय सदस्य का और खासकर विपक्ष की नेत्री का उल्लेख अत्यन्त सम्मानजनक स्थिति में होना चाहिए और अगर किसी ने...*(व्यवधान)* सम्मानपूर्वक उल्लेख नहीं किया है तो उसने वह गलती की है। इस प्रकार का उल्लेख सदन की कार्यवाही में नहीं होना चाहिए, सब का सम्मान रखना चाहिए। अंतिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात का दुख हुआ कि सदन में यह कहना कि क्योंकि औरंगाबाद जिले में कोई घटना हुई थी और उसके बदले के कारण यहां यह घटना हुई है. मैं नहीं समझता कि यह कोई अच्छी प्रवृति है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार : महोदय, आप प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की अनुमति दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु : महोदय, आप इस सभा के अभिरक्षक हैं

(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार : ...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री जी कृपया आप अपने सदस्यों को भी नियंत्रित रखें। मैं सभी दलों के नेताओं से भी निवेदन कर रहा हूं कि वे अपने सदस्यों को नियंत्रित रखें, नहीं तो इस सभा को चलाना बहुत कठिन होगा।

(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : कृपा करके मुझे बोलने की अनुमति दी जाए *(व्यवधान)*

महोदय वे कह रहे हैं कि अध्यक्ष ईश्वर नहीं है। वे अध्यक्ष पीठ पर आरोप लगा रहे हैं *(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री तरित बरण तोपदार: ...*(व्यवधान)**

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : इसे कार्यवाही-वृतांत से निकाल दिया जाना चाहिए, महोदय,...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी दलों के नेताओं से भी निवेदन कर रहा हूं कि वे अपने सदस्यों को नियंत्रित रखें। कृपया सभा को नियंत्रित रखने में अध्यक्ष पीठ की मदद करें।

(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, वे संसदीय जनतंत्र प्रणाली को दोषी ठहरा रहे हैं। वे अध्यक्षपीठ को दोषी ठहरा रहे हैं। वे लोग संसदीय जनतंत्र प्रणाली को ध्वस्त कर रहे हैं। कहां गया अध्यक्षपीठ के प्रति सम्मान, महोदय *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि अध्यक्षपीठ के विरुद्ध कुछ भी कहा गया है तो यह बहुत ही अनुचित है। कृपया इस बात को समझिए। आप सभी वही सदस्य हैं। अध्यक्षपीठ के खिलाफ टिप्पणी करना अति है। अब श्री-सोमनाथ चटर्जी बोलेंगे।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, अध्यक्षपीठ पर लगाए गए किसी भी प्रकार के आक्षेप को कार्यवाही-वृतांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हाँ, बिल्कुल।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं कि हम यथोचित परंपरा को बनाए रखने के प्रति वचनबद्ध हैं। जहां तक अध्यक्ष पीठ का सवाल है, तो इनके प्रति हमारे सम्मान को आप जानते हैं और हम इसके प्रति वचनबद्ध हैं। लेकिन, यहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। हम यह सवाल उठाते रहे हैं कि राज्य के मामले किस हद तक उठाए जाएं और कुछ मामलों में इन्हें उठाया जाए या नहीं। इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा और कोई न कोई मानदंड निर्धारित करने ही पड़ेंगे। यदि ऐसी घटनाएं हों कि कुछ सदस्य ऐसा महसूस करें कि इन्हें यहां उठाया जाना आवश्यक है तो इसे इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि कुछ प्रभावी कदम उठाए जा सकें। किन्तु, यह प्रत्येक के लिए समान होना चाहिए। इसलिए महोदय, प्रत्येक पक्ष से विचार-विमर्श के बाद आपके द्वारा कुछ मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिए। आज यह महसूस किया जा रहा है कि दुर्भाग्य से राजनीति चाहे-अनचाहे हमारी व्यवस्था के प्रत्येक भाग में प्रवेश कर गयी है। इसलिए प्रत्येक मुद्दे पर पक्षपातपूर्ण राजनीति चल रही है। मैं किसी को दोषमुक्त नहीं कर रहा हूं और न ही अपने आप को दोषमुक्त कर रहा हूं या किसी व्यक्ति विशेष पर दोषारोपण कर रहा हूं। लेकिन, मैं जो निवेदन कर रहा हूं वह यह कि अगर सत्ता पक्ष, विशेषकर माननीय मंत्रीगण। यहां पक्षपातपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, तो इससे समस्याएं खड़ी होती हैं। *(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें । यह क्या हो रहा है? माननीय सदस्यगण, अगर आप में धैर्य नहीं है, तो आप सभा से बाहर जा सकते हैं। कृपया सभा में बाधा उत्पन्न न करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मुझे इसमें संदेह नहीं कि माननीय मंत्री जी अपने विचारों को तीक्ष्ण ढंग से रख सकते हैं जैसा कि वे कर रहे हैं लेकिन, मुझे बताया गया है कि उस उल्लिखित घटना की न्यायिक जाँच के आदेश दे दिए गए हैं इस संबंध में केन्द्रीय मंत्री की ओर से टिप्पणी की गई है। अत: महोदय, उन्हें. . .के नाम पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अरुण कुमार, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो उनके बाद ही आप बोल सकेंगे, अभी नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, प्रथमत: जैसा कि मैंने पहले ही आपके और सभा के प्रत्येक पक्ष के सामने एक विनम्र निवेदन किया है कि अगर राज्य के प्रत्येक मामले उठाए जाएंगे तो पूरा दिन हम इन्हीं मामलों पर चर्चा करते रहेंगे। विभिन्न राज्यों में मुद्दों की कमी नहीं है, चाहे उन राज्यों में उनकी पार्टी-की सरकार हो या किसी अन्य पार्टी की सरकार। अगर-यही कारण है तो फिर इसी तरह हम लोग मामला उठाते रहें। अगर-सत्ता पक्ष यही चाहता है, तो इसी तरह चलता रहे। मैं यह सुझाव देने की कोशिश कर रहा था कि यह बड़े दुख की बात है कि सुबह से लेकर अभी तक, तकरीबन डेढ़ घंटे गुजर गए और लगातार वही-मुद्दा चल रहा है। यह सब राज्य के मामले हैं..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी नहीं जाएगा सिवाय उसके जो श्री सोमनाथ चटर्जी कह रहे हैं।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ मानक बनाए जाए। पक्षपातपूर्ण रवैये नहीं अपनाए जानें चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : महोदय, क्या यह सही है? उनके राज्य में. . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री-खारबेल स्वाइं, बहुत हो गया। जब एक वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं, तो आप क्यों अनावश्यक बाधा उत्पन्न कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दी जाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी बोलेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह देश का सबसे बड़ा निकाय है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि. . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। यह क्या हो रहा है? हर चीज की एक सीमा होती है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार के पास भी ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे। यदि हर आदमी. . .*(व्यवधान)* तो ऐसा ही होगा। सत्ताधारी-दल के सदस्यों को एक रास्ता निकालना चाहिए. . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, सत्तापक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री जवाब देंगे। आपको व्यवधान डालने की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, सत्तारूढ़ दल के सदस्य नियंत्रण में नहीं हैं।...*(व्यवधान)* मैं यह सुझाव देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सभा की कार्यवाही चल सके...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन का समय व्यर्थ हो रहा है। यह क्या बोल रहे हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, आपका व्यवहार अत्यंत अशोभनीय है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, उन्हें बोलने दिया जाए। सभा को चलाना उन्हीं की जवाबदेही है। उन्हें कहने दीजिए...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, आपने मुझे कहा था कि श्री सोमनाथ चटर्जी के बाद मुझे ही अनुमति दी जाएगी *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह हाउस के बारे में बोल रहे हैं। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारी बात भी सुन लीजिए। संसदीय कार्य मंत्री उधर से धमक कर भारत सरकार के मामले में खड़े हो जाते हैं।...*(व्यवधान)* हमारी बात भी सुन लीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बार-बार हाउस को डिसटर्ब कर रहे हैं। आप क्या कर रहे है? हम खड़े हैं। आप पहले बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बोलने के लिए चेयर की परमिशन ले लीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठ जाएं। अध्यक्ष की अनुमति के बगैर आप कैसे बोल सकते हैं?

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : यह उस बारे में बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक और बात पर बोल रहे हैं। उस पर नहीं है। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : यही तो उकसाते हैं।...*(व्यवधान)* हमारी बात भी सुन लीजिए। यह संसदीय कार्य मंत्री भारत सरकार के मामले में धमक कर खड़े हो जाते हैं।...*(व्यवधान)* सारे उपद्रव की जड़ संसदीय कार्य मंत्री जी हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि सदस्य इस प्रकार का बर्ताव करेंगे, तो सभा का संचालन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, यह सही है कि सभा में अनेक बार राज्य के विषय उठाए जाते हैं, जैसा कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने सही कहा, हम इसके लिए केवल एक ही राजनीतिक दल को दोष नहीं दे सकते। सभा का एक वर्ग हर दम कभी न कभी इस विषय को उठाता है, मैं आप से अनुरोध करूंगा कि कार्य मंत्रणा समिति या नेताओं की बैठक बुलाकर- इस बात पर दिशा-निर्देश जारी करें कि किस विषय पर चर्चा की जाए और किस पर नहीं। यदि इन मार्ग निर्देशों पर निर्णय लिया जाता है तो मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि सत्ता पक्ष वाले इन मार्ग निर्देशों का पालन करेंगे और यदि सभा सहमत होती है तो हमें इसका पालन करने में कोई परेशानी नहीं है।

दूसरा, यह आरोप कि मैं विभेदात्मक प्रतिक्रिया करता हूं, मैं इसको पूर्णत: खारिज करता हूं, मैं सबसे कम हस्तक्षेप करता हूं मगर माननीय सदस्य विषय को समाप्त ही नहीं करते, चाहे विषय कोई, भी हो, जब तक मैं हस्तक्षेप न करूं। जब तक मैं हस्तक्षेप न करूं आप एक विषय को पूरा कर दूसरे विषय पर नही जा सकते-चाहे यह नारियल के किसानों की समस्या हो या गन्ना संबंधी या ऐसी ही कोई गंभीर समस्या, अत: जब मैं हस्तक्षेप करता हूं तो केवल इसलिए कि अन्य विषयों पर भी चर्चा हो सके।

यदि मैं चुप रहता हूं, तो एक ही विषय पर चर्चा हो सकेगी और सदस्य अपना भाषण कभी समाप्त नहीं करेंगे मैं इसलिए हस्तक्षेप करता हूं। मैं विभेदात्मक प्रतिक्रिया नहीं करता हूं *(व्यवधान)*

अंत में, महोदय, मैंने इस घटना पर चल रही न्यायिक जांच पर कोई टिप्पणी नहीं की *(व्यवधान)* मगर मैं नहीं मानता हूं कि यह कहना गलत होगा कि जहानाबाद में जो हुआ वह मानवता के विरुद्ध अपराध है मैं यह दोहराता हूं और ऐसा करके मैं कोई अपराध नहीं कर रहा हूं। *(व्यवधान)*

श्रीमती श्यामा सिंह : महोदय, मुझे बोलने का मौका चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : महोदया, समय समाप्त हो चुका है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती श्यामा सिंह : महोदय, कृपया मुझे मौका दें *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब श्री दासमुंशी बोलेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, सही बात कही गई है और इसका सही उत्तर दिया गया है, मैं माननीय संसदीय मामलों के मंत्री को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। मैं "विभेदात्मक प्रतिक्रिया" पर प्रश्न नहीं कर रहा हूं। मैं केवल उन्हें याद दिलाउंगा कि उस दिन सभा, में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज का मामला उठाया तो उन्होंने सभा को आश्वासन दिया कि वह माननीय गृह मंत्री से विचार-विमर्श करके शाम को वापस आकर रिपोर्ट देंगे।

मैं सभा में अन्त तक बैठा रहा। वह वापस नहीं आए। उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी। उन्होंने गृह मंत्री का रवैया का खुलासा नहीं किया। क्या यह "विभेदात्मक प्रतिक्रिया" नहीं था?

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने अध्यक्ष पीठ को उत्तर दे दिया है।

श्री प्रियरंजन दासमुशी : उन्हें सभा को सूचित करना है।

श्री प्रमोद महाजन : आप कार्यवाही को पढ़ें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन्होने जो मुझे या सभा को कहा अध्यक्ष पीठ ने वह नहीं बताया...*(व्यवधान)*

श्रीमती श्यामा सिंह : महोदय, कृपया मुझे औरंगाबाद के बारे में बोलने का मौका दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं। अब श्री एस० बंगरप्पा बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, मुझे कहा गया था कि मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री एस० बंगरप्पा।

श्री एस० बंगरप्पा (शिमोगा) : अध्यक्ष महोदय, कल रात तमिल नाडु में, कर्नाटक राज्य की सीमा पर स्थित एक गांव से बहुत ही मशहूर फिल्म अभिनेता के अपहरण संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उनका नाम डा० राजकुमार है, वह एक मशहूर अभिनेता और जाने-माने गायक हैं जो समस्त कर्नाटक में तथा राज्य के बाहर विख्यात हैं। उन्हे दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 55 वर्षों में सैकड़ों फिल्मों में काम किया है तथा अब भी कर रहें हैं। कर्नाटक में तथा बाहर समाज के सभी वर्गों द्वारा समान रूप से उनकी इज्जत की जाती है।

महोदय, कल रात 9.30 तथा 10 बजे के बीच वह कजनूर गांव में अपने घर में थे। यह गांव तमिल नाडु में है और कर्नाटक राज्य की सीमा से लगा है, वह इसी गांव के हैं। वह अपनी पत्नी, दामाद तथा परिचरों के साथ खाना खा रहे थे। उनके आस-पास बहुत सारे लोग थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस समय कुख्यात व्यक्ति श्री वीरप्पन अपने आठ, दस या बारह व्यक्तियों के साथ हथियार समेत उस घर में प्रवेश क्रिया जो गांव के बाहर है। वो अपने घर में थे जो एक फार्म हाउस भी है।

वह डा० राजकुमार, उनके दामाद, श्री गोविन्द तथा उनके दो या तीन परिचरों को अपने साथ ले गया। ऐसा लगता है कि उसने डा० राजकुमार की पत्नी को कहा कि वह उन्हें ले जा रहा है और उन्हें इसका कारण मालूम हो जाएगा। तब उसने उन्हें एक कैसेट दिया और बाद में जब वह डा० राजकुमार को घर से बाहर ले गया उनकी पत्नी ने कैसेट को सुना।

अध्यक्ष महोदय : शून्य काल में आप घटना को संक्षेप में कह सकते हैं। अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

श्री एस० बंगरप्पा : महोदय, मुझे खेद है, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा।

तब उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया। पिछली रात इस घटना की जानकारी कर्नाटक के माननीय मुख्य मंत्री श्री एस० एम० कृष्णा तथा तमिल नाडु सरकार को दी गई। पूरे कर्नाटक में अत्यन्त तनाव है। कर्नाटक सरकार ने राज्य के सारे स्कूलों तथा कालेजों में अवकाश घोषित कर दिया है। उन्होंने आज किया है। न केवल बंगलौर शहर में बल्कि शहर के बाहर भी अनेक स्थानों में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। यह बहुत ही गंभीर तथा चिंता का विषय है।

इसके बाद आज सुबह मैंने अपने माननीय मुख्य मत्री श्री एस० एम० कृष्णा से बात की। वो विचार-विमर्श के लिए तमिल नाडु के मुख्य मंत्री डा० करूणानिधि से मिलने जा चुके हैं। महोदय, राज्य के मंत्रीमंडल ने अनौपचारिक रूप से इस पर विचार-विमर्श किया है, गृह मंत्री तथा श्री एस० एम० कृष्णा स्थिति पर नजर रखें हुए हैं। राज्य सरकार तथा कर्नाटक को जनता इस घटना से चिंतित है।

महोदय, वीरप्पन के मुद्दे पर मैं इस प्रतिष्ठित सभा का बहुमूल्य वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। केन्द्र सरकार की सहायता से जो अनेक राजनीतिक दलों की गठबंधन सरकार थी, ने तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्य सरकारों को मदद देकर उसे पकड़ने के लिए संयुक्त अभियान आंरभ किया था। वीरप्पन को पकड़ने में केन्द्रीय बल शामिल थे और केन्द्र ने तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्यों को पूर्ण सहायता दी थी। मगर वीरप्पन को पकड़ने के सारे प्रयास विफल हो गए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मुनियप्पा, चुंकि आपने इसी मामले पर नोटिस दिया है इसलिए आप अपना नाम उनके साथ सम्बद्ध कर सकते हैं।

श्री एस० बंगरप्पा : अब, यह बड़ा मुद्दा बन गया है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने कोई सूचना नहीं दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल), (बीजापुर): महोदय, हमने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: आपका नोटिस नहीं है।

[अनुवाद]

श्री एस० बंगरप्पा: महोदय, मेरे विचार से केन्द्र सरकार को भी यह पता है चल गया है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसनगौडा पाटिल चुंकि विषय एक ही है अत: आप भी अपना नाम उनके साथ सम्बद्ध कर सकते हैं।

श्री एस० बंगरप्पा : मैं जानता हूँ महोदय, केन्द्र सरकार को यह जानकारी मिल गई है और वह तमिल नाडु तथा कर्नाटक सरकार से सम्पर्क में है। गृह मंत्री यहां नहीं हैं। हम जानना चाहेंगे कि डा० राजकुमार के अपहरण के पश्चात वहां की स्थिति क्या है।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार इस पर कुछ कहना चाहेगी।

श्री एस० बंगरप्पा : महोदय, मैं यह मुद्दा केवल कर्नाटक की स्थिति को बताने के लिए उठा रहा हूँ। आप की आज्ञा से मैं आज बंगलौर जा रहा हूँ। कर्नाटक राज्य में स्थिति गंभीर होती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बंगरप्पा, कृपया अन्य सदस्यों की भावना को भी समझें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री बसनगौडा पाटिल आप भी उनके साथ अपने सम्बद्ध कर सकते हैं

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, यह राज्य का मामला है या अन्तरराष्ट्रिय मामला है?

[अनुवाद]

श्री के०एच० मुनियप्पा (कोलार): महोदय मैंने नोटिस दिया है। मेरा अनुरोध है कि डा० राजकुमार की रिहाई हेतु जो भी सहायता तमिल नाडु तथा कर्नाटक राज्य सरकारों को चाहिए वह उपलब्ध कराई जानी चाहिए, और केन्द्र को अर्द्ध सैनिक बलों की नियुक्ति भी की जानी चाहिए *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसनगौडा पाटिल आप भी अपने को श्री मुनियप्पा के साथ सम्बद्ध कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल): अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक के सुप्रसिद्ध डा० राजकुमार का अपहरण हो गया है। *(व्यवधान)* सरकार वीरप्पन को गिरफ्तार करने में विफल हो गई है, इसलिए कर्नाटक में तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है। *(व्यवधान)* दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। *(व्यवधान)* कल रात कर्नाटक में डा० राजकुमार का अपहरण होने के बाद बहुत तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इसके बारे में सदन को उत्तर दें। *(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : महोदय, यह राज्य का मामला है, राष्ट्र का मामला है या अंतरराष्ट्रीय मामला है, यह जरा बता दिया जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: झा जी, आपका बिहेवियर हाउस में अच्छा नहीं है। हम बार-बार बोल रहें हैं कि आपका बिहेवियर हाउस में अच्छा नहीं है, आप समझ लें।

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, श्री बंगरप्पा, श्री बसनगौडा पाटिल, श्री मुनियप्पा, श्री पुट्टा स्वामी गौड़ा द्वारा उठाया गया मुद्दा बहुत ही गंभीर है। दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग, विशेषत: कन्नड़ फिल्मों के जानकारों को मालूम है कि डा० राजकुमार महान कलाकार हैं। अत: कुख्यात तस्कर वीरप्पन द्वारा उनके अपहरण के दहलाने वाले समाचार से कर्नाटक और तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि फिल्म उद्योग में रूचि रखने वाले सभी लोगों के दिलों में दुख की लहर दौड़ जाएगी।

महोदय, इस सदन में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त क्षोभ और चिन्ता से मैं सहमत हूँ। केंद्रीय गृहमंत्री ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के साथ इस मुद्दे को उठाया है। उन्होने सुबह बात की थी। केन्द्रीय गृहमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से भी बात की है। श्री बंगारप्पा के कथनानुसार कर्नाटक के मुख्य मंत्री चेन्नई रवाना हो गए हैं ताकि दोनों मुख्यमंत्री मिलकर संयुक्त रणनीति तैयार कर सकें।

महोदय, केंद्र सरकार की ओर से मेरे साथी मंत्री श्री अनन्त कुमार आज चेन्नई जा रहे हैं, वे शाम तक पहुँच जाएंगे और अपने विचार, जिम्मेवारियां शेयर करने और, श्री राजकुमार को यथाशीघ्र वापिस लाने के लिए प्रयास करेंगे।

जैसा कि मैं कह चुका हूँ केंद्र सरकार की ओर से मैंने केंद्रीय गृहमंत्री से बात की है। मैं उनकी ओर से कह सकता हूँ कि केंद्र सरकार श्री राजकुमार को यथाशीघ्र सुरक्षित वापिस लाने के लिए दोनों मुख्यमंत्रियों को किसी भी प्रकार की सहायता देने के लिए तैयार है।

महोदय, साथ ही सदन की अनुमति से मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए सदन की ओर से कर्नाटक और तमिलनाडु की जनता से अपील करता हूँ कि हालांकि घटना बहुत गंभीर है और उन्हें इससे बहुत चोट पहुँची है शांति और सामंजस्य बनाए रखना हमारा उत्तरदायित्व

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है और केंद्र सरकार, कर्नाटक सरकार और तमिलनाडु सरकार तीनों ही मिलकर श्री राजकुमार को वापिस लाने का प्रयास कर रही हैं। सभी से हमारी अपील है कि शांति बनाए रखें इससे हम सबको मदद मिलेगी। धन्यवाद *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सुदीप बंद्योपाध्याय।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): अध्यक्ष जी, वीरप्पन को केंद्र सरकार गिरफतार क्यों नहीं करती है। वह हिंदुस्तान के बाहर तो नहीं है। *(व्यवधान)* उसने पुलिस अधिकरियों की हत्याएं की हैं। एक आदमी सबको नचा रहा है। *(व्यवधान)* कर्नाटक पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करती। क्या वह भी उसमें इन्वोल्व है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री सुदीप बंद्योपाध्याय का नाम पुकारा है। कृपया, बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री एस० बंगरप्पा: मंत्री महोदय अगर आपको सदन में वक्तव्य देना था *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बंगरप्पा, मंत्री महोदय स्पष्ट तौर पर जवाब दे चुके हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री सुदीप बंद्योपाध्याय, आपने इसी विषय पर 28 जुलाई के लिए सूचना दी थी। आपने उस दिन इसे उठाया था। आप इसे दुबारा कैसे उठा सकते हैं?

(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, मैंने उन ग्यारह लोगों की सूची दी है जो घटना में मारे गए हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: लेकिन आपने इसी विषय पर सूचना दी थी।

(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय, मैंने मारे गए ग्यारह लोगों के नाम दिए हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं उसी विषय पर फिर से बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: अध्यक्ष महोदय, मैं श्री सोमनाथ बाबू द्वारा इस विषय पर दिए गए वक्तव्य के उत्तर में कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने बिहार की घटना की न्यायिक जाँच की मांग की थी और बिहार की घटना के बारे में संतोष जताया है *(व्यवधान)* महोदय, इसी बिना पर मैं कहना चाहता हूं कि बंगाल की घटना की भी न्यायिक जाँच की आवश्यकता है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। कृपया आप कार्यवाही वृतांत देखें।

(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय, उन्होंने जो कुछ कहा है, मैं उसी के उत्तर में बोलना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आपको कोई संदेह है तो आप कृपया कार्यवाही वृतान्त देख लें। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है।

(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: अध्यक्ष महोदय, मैं नानूर की घटना की न्यायिक जाँच की माँग कर रहा हूं। यह 'शून्य काल' का मेरा विषय नहीं है। *(व्यवधान)* महोदय, उन्होंने बिहार की घटना की न्यायिक जाँच के आदेश पर संतोष जाहिर किया है। *(व्यवधान)* महोदय, मेरी मांग है कि बंगाल में नानूर की घटना की भी न्यायिक जाँच की जाए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने न्यायिक जांच की बात नहीं की।

(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, हम वीरभूम की घटना की भी जांच कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश द्वारा कराए जाने की मांग करते हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : अध्यक्ष जी, हम भी बोलना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: उसके बाद।

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : अध्यक्ष जी, हम भी अपनी बात कहना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप ऐसे ही डिस्टर्ब करते रहेंगे, तो आपको नहीं बुलाएंगे।

[अनुवाद]

श्री के० येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, ग्यारहवें वित्त आयेग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और माननीय वित्त मंत्री ने भी रिपोर्ट सभा-पटल पर रख दी है।

[श्री के० येरननायडू]

महोदय, रिपोर्ट के अनुसार ग्यारहवें वित्त आयोग ने अनुच्छेद 275 के अधीन राज्यों के खर्च और राजस्व के अन्तर को पूरा करने हेतु 35,000 करोड़ रुपये अनुदान हेतु रखे हैं। कुछ राज्य राजकोषीय कुप्रबंधन वाले राज्य हैं और कुछ राज्यों को पार्याप्त राजकोषीय सहायता नहीं मिलती। सभी राज्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अन्तर को पूरा करने के लिए अनुदान का अनुमान लगाते हैं। लेकिन कुछ राज्य ही अच्छा काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आदि जैसे राज्य अच्छा काम कर रहे हैं। ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा रखे गए 35,000 करोड़ रुपये में से इन राज्यों को एक पैसा भी नहीं मिल रहा है। आयोग न केवल पर्याप्त राजकोषीय सहायता न पाने वाले राज्यों की मदद कर रहा है बल्कि राजकोषीय कुप्रबंधन करने वाले राजयों को भी सहायता दे रहा है। यदि यही चलता रहा तो भविष्य में कोई राज्य अच्छा काम क्यों करेगा? दसवें वित्त आयोग ने भी ऐसी ही सिफारिश की थी। यदि राजकोषीय कुप्रबंधन करने वाले राज्यों को भविष्य में अतिरिक्त सहायता जारी रही, तो विकास की कौन परवाह करेगा। इस विसंगति को सुधारना होगा। सरकार यह देखने के लिए कोई नीति तैयार करे कि कौन से राज्य बेहतर काम कर रहे हैं और विकास के लिए नई-नई योजनाएं लागू कर रहे हैं।

आपके माध्यम से, केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि केंद्र सरकार ग्यारहवें वित्त आयोग की इस सिफारिश को लागू करने से पहले इसकी समीक्षा करे। *(व्यवधान)*

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : यह बहुत गंभीर मुद्दा हैं। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री के० येरननायडू : महोदय, माननीय वित्तमंत्री यहां बैठे हैं। *(व्यवधान)* मैं ग्यारहवें वित्त आयोग की पूरी रिपोर्ट को पढ़ता हूँ। यह भविष्य में विकास के रास्ते में बाधा बनेगी। हम किसी राज्य विशेष को दोष नहीं दे रहे। *(व्यवधान)* सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए सक्षम है। *(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैंने भी इस संबंध में सूचना दी है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय उत्तर देना चाहेंगे।

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, 11वें वित्त आयोग ने बिहार की उपेक्षा की है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश बाबू, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है। ऐसा बिहेवियर हाउस में नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। यह अच्छी बात नहीं है। आप सीनियर मैम्बर हैं और मंत्री भी रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अपनी बात कहने के लिए पहले चेयर की परमिशन लेनी चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

वित्तमंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री येरननायडू ने जो मुद्दा उठाया है। *(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : कृपया केरल के बारे में जवाब दें। मैंने भी इस विषय पर सूचना दी है।

प्रो० ए०के० प्रेमाजम (बडागरा) : मैंने भी आज के लिए इस विषय पर सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : जब मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं तो आप बीच में उन्हें रोकते क्यों हैं?

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। यह देश के विभिन्न राज्यों के बीच बराबरी का प्रश्न है। सदन के सभी सदस्यों को याद होगा, पिछले सप्ताह राज्यों की राजकोषीय स्थिति संबंधी एक प्रश्न का उत्तर देते समय शुक्रवार को मैंने इसका उल्लेख किया था। मैंने कहा था कि व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी राज्य के पिछड़ेपन और गरीबी से निहित स्वार्थों की पूर्ति हो।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने पिछले वित्त आयोगों की तरह राज्य सरकारों को अभ्यावेदन देने के पर्याप्त अवसर दिए थे। इसने अन्य विभिन्न संगठनों को खुला अवसर प्रदान किया था और जैसा कि रिपोर्ट में व्यक्त किया गया है उन्होंने स्पष्टत: अवमूल्यन का एक वैकल्पिक फार्मूला निकाल लिया है जिससे राज्यों के बीच पहले किया गया आबंटन बदल गया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रत्येक वित्त आयोग की रिपोर्ट में जिसका हमने अध्ययन किया है ऐसे बदलाव हुए हैं लेकिन मैं इस सुझाव का जिक्र करूंगा जिससे अन्तर्राज्यीय समानता बाधित न हो। आपके निर्देशानुसार यदि सभा ग्यारहवीं वित्त आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करना ही चाहती है तो सरकार इस पर बिल्कुल अमल करेगी और रिपोर्ट पर चर्चा करेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय यह विषय ग्यारहवें वित्त आयोग से संबंधित है और यह एक महत्वपूर्ण विषय है। मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने मांग पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है फिर भी, मुझे यह उम्मीद थी कि मंत्री महोदय रिपोर्ट पर चर्चा हेतु समुचित प्रस्ताव लाएंगे। चाहे कोई एक राज्य हो अथवा कोई अन्य राज्य अथवा चाहे

गरीबी अथवा पिछड़ेपन का स्वार्थ निहित हो या न हो। इन विषयों को अलग अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए।

अपराह्न 1.00 बजे

हर कोई जानता है कि यह देश असंतुलित विकास से ग्रस्त है। यदि यह सोचा गया था कि एक वित्त आयोग की रिपोर्ट आने तक वह सुधार करेंगे और प्रत्येक राज्यों को उचित कार्यकाल के मोड़ पर ले आयेंगे तो फिर चर्चाएं करना आवश्यक हो जायेगा।

इसलिए वित्त मंत्री महोदय मैं समझता हूँ हम सब को लापरवाह प्रतिक्रिया के बदले इस ज्वलंत मुद्दे पर समय देने के लिए आपसे निवेदन करना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपने को उनके द्वारा कही गई बातों से सम्बद्ध कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय मैं इस मुद्दे को लेकर श्री सोमनाथ चटर्जी के साथ नहीं होना चाहता लेकिन वह जानते हैं कि जब सभा में कोई मुद्दा उठाया जाता है तो हमें शीघ्र प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कहा जाता है और वह प्रतिक्रिया संक्षिप्त ही होनी चाहिए। यह हड़बड़ाहट में किया गया काम भी हो सकता है। लेकिन मैं श्री सोमनाथ चटर्जी और पूरी सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि यदि सभा ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा करती तो सरकार इसका पूरा-पूरा जवाब देती।

अध्यक्ष महोदय : हम कार्य-मंत्रणा समिति में भी यह निर्णय करेंगे।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा तथा सरकार का ध्यान इस बहुत ही गम्भीर स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस देश के मजदूर और कर्मचारी भविष्य निधि में एक प्रतिशत ब्याज दर कम करने के केन्द्र सरकार के हाल के एकपक्षीय निर्णय से दु:खी और आंदोलित हैं, कर्मचारी भविष्य निधि बोर्ड भी इस निर्णय से सहमत नहीं हुआ। ट्रेड यूनियनों ने इसका विरोध किया है। उन्होंने इस मुद्दे पर यदि आवश्यक हुआ तो न्यायालय जाने का भी निर्णय लिया है।

महोदय, हाल ही में सम्पन्न एक विशेष बैठक में बोर्ड ने माननीय श्रम मंत्री से इस अनुरोध के साथ सम्पर्क किया कि वह वित्त मंत्री से सम्पर्क करके भारतीय रिजर्व बैंक के एक प्रतिशत बैंक दर बढ़ाने और नकद जमा अनुपात को घटाने के हाल के निर्णय के दृष्टिकोण से कर्मचारी भविष्य निधि में कटौती को पुन: स्थापित करने का अनुरोध करें। यह कटौती वापिस होनी चाहिए और 12 प्रतिशत ब्याज जैसा कि इसका कर्मचारी भविष्य निधि के संबंध में उपयोग किया जाता है, को बहाल किया जाना चाहिए।

यह इस देश के कर्मचारियों और मजदूरों की प्रतिबद्धता है।

महोदय, मैं आशा करता हूँ कि वित्त मंत्री यहां उपस्थित हैं और इसका जवाब दे सकते हैं।

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ कि एम्प्लाइज के पी०एफ० पर जो इंट्रेस्ट रेट कम करके 11% किया है, उसे 12% होना चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम इस पर माननीय वित्त मंत्री से प्रतिक्रिया व्यक्त करने का आग्रह करेंगे *(व्यवधान)* महोदय, उन्होंने पूर्व के मुद्दे पर भी अपना विचार व्यक्त किया था। उन्होंने इस पर अपना विचार क्यों नहीं व्यक्त किया? *(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, पूरा सदन इसका समर्थन कर रहा है, उन्हें इस पर अपना विचार व्यक्त करना चाहिए *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, जिन सरकारी कर्मचारियों को सुविधा मिल रही है, उनके पी०एफ० का इंट्रेस्ट रेट कम नहीं होना चाहिये।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इसके खुलासा होने में ज्यादा समय नहीं लगा आज, वे कैसे कार्य कर रहे हैं, इसका खुलासा अपने आप हो गया *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्री बनर्जी (जबलपुर) : अध्यक्ष, महोदय, जबलपुर में रिछाई औद्योगक क्षेत्र की छोटी इकाईयां बंद होने लगी हैं जिसके कारण हजारों श्रमिक बेरोजगार हो रहे हैं क्योंकि व्हीकल फैक्टरी, जबलपुर में सप्लाई अब जमशेदपुर, बंगलौर एवं अन्य शहरों से किया जा रहा है जिसके कारण वहां के उद्योगों को काम मिलना बंद हो गया है। मेरा निवेदन है कि जबलपुर से बाहर की सप्लाई बंद होना चाहिये।

श्री कान्ति लाल भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न उठा रहा हूं। मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम द्वारा जो चावल भेजा जा रहा है, वह बहुत ही घटिया किस्म का है। उसे मवेशी भी नहीं खा सकते हैं। मेरा संसदीय क्षेत्र 87 प्रतिशत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में लगभग 87 परसेंट ट्राइबल लोग हैं और वहां इस तरह का चावल दिया जा रहा है जो भूसे के समान

[श्री कान्ति लाल भूरिया]

है। उसे मवेशी भी नहीं खा सकते हैं, ऐसा चावल वहां सप्लाई किया जा रहा है। इस कारण वहां के आदिवासी बीमार और परेशान हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें कि झाबुआ, रतलाम, धार और खरगौन आदि क्षेत्र, जहां भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी सीधे गांव में माल ले जाते हैं और वहा जो सोसाइटी की दुकाने या एजेन्सीज हैं, वहां माल खाली करके आ जाते हैं और दबाव डालते हैं कि आपको यही चीज बांटनी पड़ेगी। वहां कर्मचारी कह रहे हैं कि आदिवासी इसे नहीं ले रहे हैं। आदिवासी लोग इससे मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। वहां मुसीबत खड़ी हो गई है, लेकिन उन पर दबाव डालकर माल खाली करवा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां वित्त मंत्री जी भी हैं और संसदीय कार्य मंत्री जी भी हैं। मैं चाहता हूं कि आप शासन को निर्देशित करें कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लोगों को कम से कम मवेशी न समझे, पशु न समझें। वहां इतना घटिया चावल, जिसे कोई खा नहीं सकता, निगम से लाकर बांट रहे हैं, जिसके कारण वहां के लोग मारे जा रहे हैं, मौत के मुंह में जा रहे हैं। इस कारण आदिवासी क्षेत्र आज लावारिस हो गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां जितना भी चावल भेजा जा रहा है, उसके ऊपर रोक लगायें और वहां अच्छे किस्म का चावल भेजा जाए। उस क्षेत्र के लोग मक्का आदि मोटा अनाज खाते हैं, लेकिन उन्हें ठीक अनाज नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि घटिया सामान भेजा जा रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लोगों को पशु न समझें, उनके लिए अच्छे किस्म का खाद्यान्न भेजा जाए। यही मेरा आपसे अनुरोध है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री राशिद अलवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं आपने इतने उपद्रव के बावजूद मुझे बोलने का समय दिया।

अध्यक्ष महोदय : इनक्रोचमैंट और डिमोलीशन का मैटर पहले भी हाउस में रेज किया जा चुका है।

श्री राशिद अलवी : सर, मैंने रेज नहीं किया है।

इस मुद्दे को इस सदन में मैं पहली बार उठा रहा हूं। आज पूरी दिल्ली परेशान है, जिस तरीके से यहां इनक्रोचमैंट का डिमोलीशन हो रहा है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि कोई इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो तो उसे गिराया न जाय। लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार की क्या पालिसी है। क्या वह सारे इनक्रोचमैंट को गिराना चाहती है और अपनी मर्जी से गिराना चाहती है। चूंकि दिल्ली में यह हो रहा है कि जो गरीब आदमी हैं उनके मकान गिराये जा रहे हैं। लेकिन जो पैसा देने की हैसियत में हैं, उनके मकान नहीं गिराये जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सारे इनक्रोचमैंट्स का बगैर किसी डिसक्रिमिनेशन के डिमोलीशन होना चाहिए। लेकिन ऐसा दिल्ली में नहीं हो रहा है। जो गरीब आदमी हैं..

अध्यक्ष महोदय : दिल्ली में इनक्रोचमैंट के डिमोलीशन के बारे में लास्ट वीक मंत्री जी ने क्वश्चन ऑवर में समाधान दिया है।

श्री राशिद अलवी : नहीं सर, कोई समाधान नहीं दिया है। *(व्यवधान)* जो 25–25 साल से लोग बिजनेस कर रहे हैं, छोटी–छोटी दुकाने लेकर बैठे हैं, उन्हें डिमोलिश कर रहे हैं। लोगों की रोजी-रोटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वह कोई पालिसी बनाये कि किस तरीके से इनक्रोचमैंट को रोका जायेगा।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : ये गुरिल्ला वार की तरह उन पर अटैक करते हैं। *(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : दिल्ली में जो झुग्गी-झोंपड़ी वाले जो लोग हैं, वे दिल्ली में बाहर से आते हैं, गावों से आते हैं। जब तक सरकार उन्हें वहीं पर रोजगार नहीं देगी, उनका दिल्ली में आना बंद नहीं होगा। सरकार को चाहिए कि एक काम्प्रीहेन्सिव पालिसी बनाये और उन लोगों को वहीं रोजगार दे, ताकि वे लोग दिल्ली आना बंद करें। दिल्ली में लोग रोजी-रोटी के लिए आते हैं कि यहां आकर कोई छोटा-मोटा कारोबार करते हैं। लेकिन जो सरकार के मंत्री हैं, मैं बड़े अदब के साथ कहना चहता हूं कि उन्हें न्यूज में रहने की आदत पड़ गई है। वह इस तरीके से काम करते हैं ताकि अखबारात में उनका नाम आता रहे। ये गरीब आदमियों के खिलाफ हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि इस हाउस में सरकार की पालिसी को क्लियर करें और गरीब अदमियों तथा इनक्रोचमैंट के बारे में स्टेटमैंट दे। कुछ लोगों के बड़े–बड़े मकानात हैं, पांच-पांच हजार गज में इल्लीगल मकान बने हैं, उन्हें क्यों नहीं डिमोलिश किया जा रहा है। लोगों की बड़ी–बड़ी कोठियां हैं। *(व्यवधान)*

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : गरीबों के सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री क्यों चुप बैठे हैं, जवाब क्यों नहीं देते?

श्री राशिद अलवी : साउथ दिल्ली में इल्लीगल रूप से तीसरी मंजिलें बनी हुई हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि साउथ दिल्ली में अब तक कितनी तीसरी मंजिलें गिराई गई हैं। वहां तीसरी और चौथी मंजिलें पैसा लेकर बन रही हैं, जबकि एक भी मंजिल नहीं गिराई गई है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने स्नातक

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश पाने वाले छात्रों की फीस में बेतहाशा वृद्धि की है। इसके साथ–साथ स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में सीटों की संख्या को भी दो–तिहाई से ज्यादा घटा दिया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले महाविद्यालयों के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या में दो–तिहाई से ज्यादा कटौती करके वहां पर एक विकट स्थिति पैदा कर दी है। मैं अपने महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मात्र एक जवाहरलाल नेहरू स्मारक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे पी०जी० कॉलेज में पिछले साल स्नातक के अंतर्गत 2215 छात्रों ने प्रवेश प्राप्त किया था। इसी तरह से एम०ए० प्रथम वर्ष हिन्दी में 134 छात्रों ने और एम०ए० प्रथम वर्ष राजनीतिक शास्त्र में 120 छात्रों ने प्रवेश प्राप्त किया था। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा महाराजगंज पी०जी० कॉलेज में इस वर्ष स्नातक के लिए मात्र 650 छात्रों के प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है और राजनीति शास्त्र और हिन्दी के लिए मात्र 60-60 छात्रों के प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है इस घटना से महाराजगंज पी०जी०कॉलेज के छात्र आंदोलनरत हैं। पांच छात्र लागातार चार दिनों से महाराजगंज पी०जी० कालेज में अनशन पर बैठे हुए हैं जिससे एक विकट स्थिति पैदा हो गई है। जिला प्रशासन ने भी इस पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की है और विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह किया है कि वह सीटों की संख्या बढ़ाकर छात्रों की समस्या का निराकरण करे। आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि यह सरकार राज्य सरकार को गोरखपुर विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस विवेकहीन निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य करे और छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित कराए। छात्रों की फीस में जो बेतहाशा वृद्धि की गई है, इससे गरीब छात्र शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। इसलिए हम केन्द्रीय सरकार से आग्रह करते हैं कि राज्य सरकार को और विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करे कि जो बढ़ी हुई फीस है, उसको वापस लेने का काम करें और जो छात्र अनशनरत हैं, उनका अनशन उनकी मांगों को मनवाकर तुड़वाया जाए।

श्री ब्रजमोहन राम (पलामू) : अध्यक्ष महोदय, बिहार के पलामू और गढ़वा दोनों जिले मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। इस बार भी पिछली कई बार से दोनों जिलों में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस बार भी ओलावृष्टि के कारण भयंकर रूप से सुखाड़ आने की संभावना बनी हुई है और हमारे यहां किसी तरह का विकास का कोई काम नहीं हो पा रहा है जिसके चलते लोग पलायन करने की स्थिति में हैं। हम आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। बिहार सरकार की ओर से भेजी गई तीन परियोजनाएं केन्द्र सरकार में लंबित हैं। कन्हर सिंचाई योजना, औरंगा सिंचाई योजना तथा एक और योजना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह लंबित हैं। हम आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करते हैं कि इन तीनों योजनाओं को अगर लागू कर दिया जाए तो हमारे यहां हर वर्ष जो सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है, उससे बचा जा सकता है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह मामला लगातार चला आ रहा है। अभी उपायुक्त पलामू ने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को चिट्ठी लिखकर सूचना दी है जिसका ज्ञापनांक और पत्रांक मेरे पास है। दिनांक 2.7.2000 को ज्ञापनांक 1889 का पत्र लिखकर सूचना दी है कि अल्पवृष्टि के कारण होने वाले सूखे के कारण उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने के लिये तत्काल रोजगार मुहैया कराया जाए, लेकिन पैसे के अभाव में रोजगार मुहैया नहीं कराया जा रहा है और लोग पलायन करने की स्थिति में हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि जो भी लंबित योजनाएं हैं, उनको अविलम्ब लागू किया जाए और केन्द्र सरकार द्वारा सीधा पैसा भेजकर अविलम्ब राहत कार्य चलाया जाए जिससे वहां के लोगों को पलायन से बचाया जा सके।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, मैं खेल अवसंरचना के विकास से संबंधित मामला उठाना चाहता हूँ। जिला स्तर पर खेल के अवसंरचनात्मक विकास के लिए वर्तमान नियम यह है कि यदि राज्य सरकारें 50 प्रतिशत धनराशि देती हैं, तो केन्द्र सरकार बाकी 50 प्रतिशत धनराशि प्रदान करेगी। वर्तमान स्थिति यह है कि कोई भी राज्य सरकार इतनी बड़ी राशि प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। सासंद खेल के विकास हेतु धनराशि देने को तैयार हैं। लेकिन यह 50 प्रतिशत धनराशि प्रदान करने की जरूरत अधिक है। आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय कार्यमंत्री से अनुरोध करूँगा कि वह हमारी भावना से माननीय खेल और युवक कार्यक्रम मंत्री को अवगत करायें कि यह नियम बदला जाना चाहिए। यदि हम संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से 20 प्रतिशत की धनराशि प्रदान करें, तो भारत सरकार द्वारा बाकी 80 प्रतिशत की धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

***श्री टी० गोविन्दन** (कासगौड़) : पुन्नाप्रावलयार कय्यूर, करिवेल्लूर, मोराझा, और कबुम्बाई एम०एस०पी० की हड़तालें केरल राज्य के प्रमुख उपनिवेशवाद विरोधी ऐतिहासिक संघर्ष आंदोलनों में से एक थे। यद्यपि कुछ राजनीतिक ताकतों ने इन संघर्षों के उपेक्षा करने की कोशिश की थी, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहासवेत्ताओं ने इन्हें पूरा महत्व देते हुए इनका उल्लेख किया था। इतिहास यह बताता है कि इन संघर्षों में कई नेताओं को फांसी दे दी गई या जान से मार दिया गया था और अन्य को आजीवन कारावास की सजा दी गई। हमारे महान नेता श्री के०पी० आर० गोपालन जिन्हें मोराझा मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी, उन्हें गांधीजी के समयानुसार हस्तक्षेप के कारण छोड़ दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा उन सघर्षों में अपना जीवन अर्पण करने वालों के आश्रितों के लिए पेंशन स्वीकृत की गई थी। लेकिन कांग्रेस जब भी। केन्द्रीय सत्ता में रही थी, उनको पेंशन से वंचित करती रही। बाद में, 20.1.1998 को संयुक्त मोर्चा की सरकार में गृहमंत्री रहे श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इन संघर्षों को हमारी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष की मान्यता दी और स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को

*मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रुपांतर।

[श्री टी० गोविन्दन]

पेंशन स्वीकृत की। लेकिन आज उनमें से कम संख्या में लोग इसका दावा करने के लिए जीवित हैं। लेकिन इन मामलों में सकारात्मक तेजी लाने के बदले, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्र की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इसका गृह मंत्रालय भी प्रक्रियात्मक और तकनीकी औपचारिकताओं के नाम पर विलंब कर रहा है। वे संबंधित जेलों से कैद के बारे में कागजात की मांग कर रहे हैं जो करीब 60 वर्षों के बाद उपलब्ध कराना बहुत कठिन है। इसलिए महोदय, मैं यह निवेदन करता हूँ कि इस तरह का नकारात्मक रवैया बदलना चाहिए और राज्य सरकार द्वारा सिफारिश किए गए लोगों को पेंशन स्वीकृत कर स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों के साथ न्याय किया जाना चाहिए। मैं यह भी निवेदन करता हूँ कि जिला समाहर्ता के माध्यम से उनको रेलवे पास जारी किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जगमीत सिंह बराड़ (फरीदकोट) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ दिलाना चाहता हूं। वैसे तो इस सरकार के कार्यकाल में किसानों की हालत सारे देश में बहुत बदतर हो गई है इसलिए किसान खुदकुशी के लिए मजबूर हो गये हैं। मेरा कहना है कि फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से पंजाब सरकार को एक पत्र लिखा गया है। उस पत्र में कहा गया है कि केवल भारतीय खाद्य निगम को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदना चाहिए। इससे स्टेट में बुरी हालत हो जायेगी क्योंकि फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, पंजाब जो सैंट्रल पूल में सबसे ज्यादा व्हीट और पैडी देता है, उसको प्रोक्योर किया करते थे। पिछले वर्ष प्रोक्योरमैंट देर से होने से, बारिश पड़ने से किसान की पैडी मंडियों में कौड़ियों के भाव रुल गई और अब उनका यह बयान आता जिसके ऊपर भाजपा के मंत्री और मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी की है कि उन्होंने इसका वर्णन भारत सरकार के अनुत्तरदायी कार्य के रूप में किया है। यह बात पंजाब सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री ने कही है। मैं आपके जरिये सरकार को यह विनती करना चाहता हूं, चार सीनियर मंत्री यहां पर विराजमान हैं, कि यह देश के अन्नदाता का सवाल है और सबसे ज्यादा पंजाब का किसान देश के लिए अन्न देता है। इसलिए फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को यह हिदायत देनी चाहिए कि पंजाब की मंडियों में सितम्बर में जो पैडी आने वाली है, उसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर परचेज करे ताकि वहां के किसान की हालत जो पहले ही बहुत बुरी है, वह और ज्यादा न खराब हो।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : अध्यक्ष महोदय, भारत में माननीय राम विलास पासवान साहब ने दूर संचार विभाग से जल्दी से जल्दी मोबाइल सेवा शुरू की है। मेरा कहना है कि नासिक डिस्ट्रिक्ट बड़ा बाजार पैंठ है। वहां पर बड़ा मेला लगता है। इसके अलावा वह मिलिट्री एरिया है और वहां पर मिग विमान का कारखाना भी है। एशिया खंड में यह पहला बाजार पैंठ है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पासवान जी, यह आपके डिपार्टमैंट से संबंधित प्रश्न है। मोबाइल टेलीफोन सर्विस से संबंधित मैटर है।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती है कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में मोबाइल सेवा तुरंत शुरू की जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैडम, आप हाउस में भी गड़बड़ कर रही हैं और मंत्री जी को भी डिस्टर्ब कर रही हैं। मंत्री जी आप इस पर कुछ रिस्पांस देना चाहेंगे?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : श्री महाले जी हमारे पुराने साथी हैं, नेता भी हैं। वे हमसे मिले थे। हमने उसी समय अपने अधिकारी को बुलाकर कह दिया था।

अध्यक्ष महोदय : आपको मैम्बर्स को जल्दी से जल्दी मोबाइल सेवा देनी है।

श्री राम विलास पासवान : आज पहले नम्बर पर हमारा प्रश्न था। दुर्भाग्य से दोनों दिन हमारा प्रश्न पहले नम्बर पर आया। लेकिन एक दिन हाउस एडजर्न हो गया और एक दिन मैम्बर नहीं आये। मैं इसके संबध में डिटेल में बात करना चाहता था इसलिए मैं उसके लिए चिन्तित था।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अनुसार इस देश के श्रमिक बोनस पाने के अधिकारी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार, बोनस को विलंबित मजदूरी के रूप में घोषित किया था। इसलिए वे श्रमिक जो इस देश के विकास के लिए कार्य करते हैं उन्हें उनका बकाया राशि का भुगतान किया जाना चाहिए जो वे विलंबित मजदूरी के रूप में अर्जित करते हैं। वर्ष 1992 में, अधिनियम के अनुसार आय की उपरि सीमा 2500 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई थी और सीमा के रूप में 1600 रुपये प्रतिमाह बोनस की गणना की गई थी। पिछले आठ वर्षों से कीमत में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण इन सभी वर्षों में श्रमिकों को उनकी बकाया राशि नहीं मिल रही है और सीमा के रूप में बोनस की 1600 रुपये प्रतिमाह गणना की जा रही है।

मैं वित्त मंत्री और श्रम मंत्री से भी बोनस संदाय अधिनियम के अनुसार बोनस के भुगतान हेतु निर्धारित सीमा का पुनरीक्षण करने का निवेदन करूँगा। आय की अधिकम सीमा 6000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जा सकती है और बोनस की सीमा के रूप में 3500 रुपये प्रतिमाह गणना की जानी चाहिए। बड़ी संख्या में जूट श्रमिक, औद्योगिक श्रमिक और अभियंता एवं ट्रेड यूनियनें ने भी बोनस में बढ़ोतरी की मांग की हैं लेकिन केन्द्र सरकार ने अभी तक बोनस संदाय अधिनियम में संशोधन करने का मन नहीं बनाया है ताकि बोनस गणना हेतु निर्धारित सीमा को बढ़ाया जाए। मैं मंत्री महोदय से इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निवेदन करूँगा। बोनस गणना की सीमा 1600 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 3500 रुपये प्रतिमाह बनाया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी,

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगुसराय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कश्मीरी आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के युद्ध विराम की घोषणा के बाद भारतीय जनमानस में जगा विश्वास एक बार फिर विचलित हो रहा है। इस संगठन ने अपने तीन प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए भेजने की पेशकश की है। साथ ही शर्तों का अंबार लगा दिया है। कश्मीर जैसे उलझे मसले पर भारतीय सरकार की संविधान के दायरे में बातचीत की जिद और दूसरी तरफ आतंकवादी संगठन का इस तरह की बातचीत में शामिल होने से इन्कार करने से यह प्रक्रिया एक बार फिर विफल होती दिखाई दे रही है। कश्मीर जैसे उलझे मसले पर अड़ियल रुख से कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। बातचीत शुरू करने के लिए कोई शर्त किसी भी तरफ से न हो तो अच्छे परिणाम निकलते हैं। बात जब समाधान की हो तो उसमें अपनी नीति, जन भावना तथा जनहित को ध्यान में रख कर निर्णय लिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर सरकार को अपना रुख परिवर्तित कर बातचीत का आरंभ करना चाहिए। वैसे इस आतंकवादी संगठन की भावनाओं में परिवर्तन को भी कड़ी निगरानी में रखना चाहिए। साथ ही अन्य आतंकवादी संगठनों को भी इस प्रकार की नीति अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वैसे सर्वोत्तम स्थिति तो वह होती कि सभी बंदूकें शांत होती और तब बातचीत होती। इस संबंध में सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले इस सरकार ने कृषि नीति घोषित की है। आज हिन्दुस्तान का किसान बहुत परेशान है और उत्तर प्रदेश सरकार ने कल बिजली पर 37 फीसदी बढ़ोत्तरी की है। आलू किसान खुदकुशी कर रहे हैं और हालत यह है कि जो लागत मूल्य है, उतना भी आज आलू किसान को नहीं मिल रहा है। सरकार ने अपनी नीति में घोषणा की है कि 4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करेगी लेकिन पिछले कई दशकों में यह बढ़ोत्तरी एक या डेढ़ प्रतिशत रही है।

इस परिकल्पना के पीछे सरकार की मंशा क्या है सरकार इसको कैसे बढ़ाएगी, यह भी इस सदन में डिसकस होना चाहिए। मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि शोध और विकास के लिए हिन्दुस्तान में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और हिन्दुस्तान भर में 89 शोध संस्थान हैं, इसके बाद भी हम विदेशी कम्पनियों को शोध के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। दलहन और तिलहन की उपज बढ़ाने का कोई प्रयास इस देश में नहीं किया जा रहा है। खाद और बीज के दाम निरन्तर बढ़ रहे हैं। हिन्दुस्तान के किसानों की हालत इस समय अत्यधिक खराब है। मैं आपके मार्फत चाहूंगा कि इस सदन में कृषि नीति पर जमकर चर्चा होनी चाहिए, जिससे देश के किसानों को बचाया जा सके।

[अनुवाद]

श्री एम० चिन्नासामी (करूर) : महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। मेरे चुनाव क्षेत्र में एक कपड़ा मिल है जो करूर कताई मिल के नाम से लोकप्रिय है। यह 50 वर्ष पूर्व शुरू की गई थी और इस मिल में 1000 से अधिक श्रमिक नियोजित हैं। पिछले वर्ष श्रमिकों को बिना किसी पूर्व सूचना दिए, यह मिल बंद कर दी गई थी। प्रबंधन राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को अनेकों ज्ञापन देने के बावजूद और कई प्रदर्शन, रैलियों, धरने देने के बावजूद अब तक कुछ नहीं किया गया।

महोदय, 1000 से अधिक मजदूर परिवार परेशानियों और भुखमरी का सामना कर रहे हैं। वे अपने बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे पाते।

मैं भारत सरकार, विशेषकर वस्त्र मंत्री से अनुरोध करूँगा कि वे इस बन्द मिल को दोबारा खोलने और मजदूरों के परिवारो को बचाने के लिए कदम उठाएं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष महोदय, देश में आई०एस०आई० की हलचल बहुत तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र में भी आई०एस०आई० के बहुत से लोग उनके एजेण्ट के रूप में घूम रहे हैं। हिन्दुस्तान में वे जातीय दंगे, दंगे-फसाद आदि करके और इकोनोमिक कंडीशन बिगाड़कर इस देश के वातावरण को खराब करने का उनका कार्य शुरू हुआ है। परसों ही मुम्बई में एक करोड़ 22 लाख रुपये के बनावटी, जाली नोट पुलिस ने जब्त किये हैं। वे जाली नोट दुबई से दाऊद गेंग के माध्यम से हिन्दुस्तान के कई इलाकों में, जैसे बिहार, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, मुम्बई महाराष्ट्र में भी जाली नोटों का डिस्ट्रीब्यूशन का काम कई दिन से चालू था। जितने भी लोग पकड़े गये, उनका मुम्बई के जोगेश्वरी में एक अड्डा था। उन्होंने उसको केन्द्र बनाया हुआ था मैं यह कहना चाहता हूं, यहां वित्त मंत्री जी भी बैठे हैं, दिल्ली में भी 500 रुपये का नोट लोग लेते नहीं हैं, इस कारण से कि कहीं यह जाली नोट, डुप्लीकेट नोट तो नहीं है। ऐसा लगता है कि यह सब आई०एस०आई० का, पाकिस्तानवादियों का हिन्दुस्तान में एक षड़यन्त्र करके देश में एक बहुत बड़ी इकोनोमिक कंडीशन बिगाड़कर और जातीय दंगे भड़काने का कार्य कर रहे हैं। दूसरे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में एक चर्च को उड़ाने का बहुत बड़ा प्रयास किया। एक बहुत बड़ा बम वहां चर्च के पास रखा गया था, वह एक बॉडी में मिला। वहां एक आदमी को पुलिस ने पकड़ा, वह दाऊद और आई०एस०आई० का एजेण्ट बताया गया था, पकड़े गए आदमी के पास से ऐसे पोस्टर भी मिले जिनमें लिखा था कि यह कार्य बजरंग दल ने किया है। देश में जहां-जहां भी चर्च के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये हमले आई. एस.आई. के एजेंट करवा रहे हैं और नाम हिन्दुत्व संगठनों का हो रहा है, जैसे बजरंग दल, आर०एस०एस० और शिव सेना। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर को, मंत्री महोदय को दखल देकर यह कार्रवाई जो महाराष्ट्र और बाकी इधर के प्रान्तों में हो रही है, उसके बारे में एक बहुत बड़ा संज्ञान लेना चाहिए और इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : फाइनेंस मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि कितने जाली नोट आज हिन्दुस्तान में आये हुए हैं। लोग इससे डर गये हैं। हम फाइनेंस मिनिस्टर से अपेक्षा करते हैं, आप उन्हें स्टेटमेंट करने के लिए कह दीजिए। इससे पूरा कारोबार बिगड़ा जा रहा है। हमारे माननीय सदस्य चन्द्रकांत जी ने जो कहा है, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर रेडीमेड जवाब नहीं दे सकते।

श्री मोहन रावले : वहां कारोबार करना मुश्किल हो रहा है।

श्री चन्द्रकांत खैरे : वहां 1 करोड़ 22 लाख रुपए के जाली नोट पकड़े गए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सरकार की ओर से कुछ कहना है? मैं समझता हूं कि कुछ नहीं है। अब श्री वरकला राधाकृष्णन बोलेंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं भारत में सैनिक स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने वाले गरीब माता-पिता के बारे में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठा रहा हूँ। सैनिक स्कूलों की वार्षिक फीस को बढ़ाकर 14,000 रु० से 25,000 रु० कर दिया गया है। यह बहुत अधिक वृद्धि है। यही नहीं, इसे हर वर्ष दस प्रतिशत फिर से बढ़ाया जाएगा। अत: मां-बाप को अपने बच्चे को सैनिक स्कूल भेजने के लिए 35,000 रु० का भुगतान करना होगा।

इस प्रतिष्ठित संस्था की स्थापना भावी पीढ़ी को रक्षा प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से की गई थी। अगर सरकार का विचार यही है तो फीस बढ़ाकर 35,000 रु० करने का कोई औचित्य नहीं है। अत: मैं माननीय रक्षा मंत्री से इस वृद्धि को वापस लेने और भारत के सैनिक स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने वाले गरीब मां-बाप के प्रति न्याय करने का अनुरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा (जम्मू) : अध्यक्ष महोदय, मैं मानवता का प्रश्न उठाना चाहता हूं। जम्मू-कश्मीर के जम्मू प्रोवींस में कंडिका क्षेत्र है जो कि 200 मील लम्बा और 100 मील चौड़ा है। आजादी के 53 साल बीत जाने के बाद भी वहां के लोगों को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। जमीन के नीचे पानी नहीं है और बहते नाले भी नहीं है, जहां से लोग पानी ले सकें। इसलिए वहां के लोग तालाबों का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। मेरा केन्द्र के जल संसाधन मंत्रालय से अनुरोध है कि इस विषय की ओर ध्यान दे। राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग ने भी उस इलाके को नेग्लेक्ट किया है इसलिए पानी मुहैया कराना केन्द्र की प्राथमिकता है और वह जिम्मेदारी से जल संसाधन मंत्रालय के माध्यम से योजना बनाकर वहां के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराए।

[अनुवाद]

प्रो०ए०के०प्रेमाजम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ग्यारहवें वित्त आयोग के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती हूँ।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, मामला पहले उठाया जा चुका है और माननीय मंत्री ने इसका उत्तर भी दे दिया है। आप उन माननीय सदस्य के विचारों का समर्थन कर सकते हैं जिन्होंने इस मामले को शुरू में उठाया था।

प्रो०ए०के० प्रेमाजम : महोदय, मैं पूरे विषय की व्याख्या नहीं करूंगी। मैं केवल एक बात का उल्लेख करूंगी और माननीय सदस्य श्री येरननायडू के विचारों का समर्थन करूंगी जिन्होंने इस मुद्दे को पहले ही उठाया है। कृपया मुझे केवल एक चीज के बारे में बोलने की अनुमति दें।

जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले और विकास कार्यक्रमों, विशेषकर शिक्षा और साक्षरता में आगे आने वाले अग्रगामी, प्रगतिशील केरल, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों को ग्यारहवें वित्त आयोग के निर्णय से दरअसल हानि होती है। मै इस बात को सभा के समक्ष लाना चाहती थी। मैं बहुत प्रसन्न और आभारी हूँ कि माननीय वित्त मंत्री सभा में इस पर चर्चा के लिए सहमत हैं।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास धनराशि को क्षेत्र में तत्काल महत्व के विकास कार्य आरम्भ करने के लिए स्वीकृत किया जाता है। धनराशि को कलेक्टर को भेजा जाना अपेक्षित है ताकि जब संसद सदस्य धनराशि स्वीकृत करें तो कलेक्टर इसे क्रियान्वयन अभिकरण को दे दें।

प्रो० रासासिंह रावत (अजमेर) : महोदय, कृपया मुझे भी इस विषय पर बोलने का अवसर दीजिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको आज नहीं, कल मौका मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू : इस बात को सभा के ध्यान में लाना खेदजनक है कि उड़ीसा में जो धनराशि स्वीकृत की जाती है उसे क्रियान्वयन अभिकरण को भेजे जाने के बजाय राज्य के वित्त विभाग को दिया जाता है। वित्त विभाग क्रियान्वयन अभिकरण को ऋणपत्र जारी करके धनराशि स्वीकृत करता है। कभी-कभी मर्जी चलती है और जब मर्जी चलती है तो मनमानी आ ही जाती है। ऐसा देखा गया है कि उड़ीसा में मेरे उड़ीसा के मित्र अभी यहां मौजूद नहीं हैं राज्य सरकार के वित्त विभाग की ओर से देरी के कारण ही धनराशि का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है।

इसलिए मैं आपसे राज्य सरकार को वित्त विभाग में धनराशि न रखने और क्रियान्वयन अभिकरणों को ऋणपत्र जारी न करने का निर्देश देने की विनती करता हूँ। धनराशि सीधे कलेक्टर के पास और कलेक्टर से क्रियान्वयन अभिकरणों के पास जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : शून्य काल समाप्त हुआ। अब सभा विधायी कार्य सम्बंधी चर्चा आरम्भ करेगी। विधेयक पुर:स्थापन, श्री यशवन्त सिन्हा।

अपराह्न 1.35 बजे

राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 में और आगे संशोधन करने वाला विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 में और आगे संशोधन करने वाला विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूँ।

अपराह्न 1.36 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याहन भोजन के लिए अपराह्न 2 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.48 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराहन् 2 बजकर 48 मिनट पर पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 31.07.2000 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम भोपाल को वर्ष 2000-2001 के लिए देय अनुदान राशि जारी किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर) : महोदय, सामान्यतया ऊर्जा विकास निगम विभिन्न सामुदायिक शौचालयों-सह-बायो गैस संयंत्रों के निर्माण और विकास के लिए सभी राज्यों को राजसहायता देता है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, भोपाल को वर्ष 2000-2001 के लिए अनुदान नहीं दिया गया है। जबलपुर में स्वीकृत 12 लाख रु० की लागत वाली इस सामुदायिक परियोजना के लिए 50 प्रतिशत स्वीकृत धनराशि को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना और निगम निधि, जबलपुर में से व्यय किया गया है लेकिन ऊर्जा विकास निगम की केन्द्रीय राजसहायता की अभी प्रतीक्षा है। केन्द्रीय धनराशि के उतनी ही राशि के अनुदान की कमी के कारण इस कार्य को क्षति हो रही है।

मैं केन्द्र सरकार से शीघ्र धनराशि जारी करने का अनुरोध करती हूँ।

(दो) मध्य प्रदेश के बिलासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक मेडिकल कालेज खोलने के लिए स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : महोदय, निवेदन है कि मध्य प्रदेश राज्य के लोकसभा क्षेत्र बिलासपुर में मेडिकल कालेज खोलने की आवश्यकता है क्योंकि नया छत्तीसगढ़ राज्य बनाने जा रहे हैं तथा बिलासपुर में गुरू घासीदास विश्वविद्यालय भी है। रेलवे जोन मुख्यालय दगौरी उपज आयरन कारखाने सिरगिटी लाल खदान में कागज कारखाना एवं कोयले का मुख्यालय भी है। उक्त अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है, उनके एवं पिछड़े वर्गों के विकास के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बिलासपुर में मेडिकल कालेज को स्वीकृति दी जाए।

(तीन) चिनाब नदी पर पुल के निर्माण को शीघ्र पूरा करने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा (जम्मू) : महोदय, मैं इस वक्तव्य द्वारा जम्मू व कश्मीर प्रदेश के जिला जम्मू की तहसील अखनूर के दरिया चिनाव पर बने पुल की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। यह पुल इस सीमावर्ती क्षेत्र छम्ब, जेओडियां, पंलावाला, राजौरी व पुंछ के लिए एकमात्र पुल है। पिछले दिनों यह पुल भारी बरसात के कारण बह गया था, जिससे

[वैद्य विष्णु दत्त शर्मा]

स्थानीय निवासियों व सेना को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। श्रीमान् जी, भगवान न करे कि कभी आपात काल में ऐसा कुछ हो, हमें ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस दरिया पर दूसरे पुल का कार्य कई वर्षों से निर्माणाधीन पड़ा हुआ है। अब तक किसी भी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया, यह एक चिन्ता का विषय है। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से व सरकार से पुरजोर अपील करता हूं कि इस चिन्ताजनक विषय की ओर ध्यान दें व पुल निर्माण कार्य को जल्दी से जल्दी शुरू करने का आदेश दें ताकि भविष्य में आने वाले खतरे से बचा जा सके। इसके लिए राज्य सरकार को आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाए। सधन्यवाद।

(चार) उड़ीसा के क्योंझर जिले को दूरसंचार जिला घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त नायक (क्योंझर) : महोदय, क्योंझर को दूरसंचार जिला घोषित करने में हो रहे अत्यधिक विलम्ब के कारण वहां की जनता लंजित है। इस समय क्योंझर राजस्व जिले में 9000 से ज्यादा टेलीफोन उपभोक्ता हैं और 400 बी०पी०टी०, इसके साथ वाले दूरसंचार जिला ढेंकानाल से जुड़े हैं। क्योंझर और ढेंकानाल जिले में लगभग 200 किलोमीटर की दूरी है। इस दूरी के कारण क्योंझर के लोगों को अत्यधिक कठिनाईयां पेश आ रही हैं।

क्योंझर के टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या की तुलना में कम टेलीफोन उपभोक्ताओं वाले जिलों को दूरसंचार जिला बनाए रखने के उदाहरण हैं। क्योंझर को दूरसंचार जिला घोषित किए जाने का प्रस्ताव काफी लम्बे समय से बकाया पड़ा है। क्योंझर पारम्परिक रूप से पिछड़ा इलाका है। जहां मुख्यत: आदिवासी रहते हैं। यहां खनिजों के प्रचुर भण्डार हैं और कुछ भारी उद्योगों समेत कई उद्योग स्थापित किए गए हैं। अत: क्योंझर को दूरसंचार जिला बनाए जाने के पर्याप्त और उचित आधार हैं।

अत: मैं मांग करता हूं कि क्योंझर को अविलम्ब दूरसंचार जिला बनाया जाए।

(पांच) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के दोमकोल, लाल बाग और करीमपुर कस्बों में रसोई गैस के नए बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद) : महोदय, मेरा चुनाव क्षेत्र, मुर्शिदाबाद मूलतया ग्रामीण क्षेत्र के आधार वाला और करीब 11 लाख मतदाताओं वाला है। आर्थिक स्थिति में लगातार विकास के साथ जनता का जीवन स्तर भी बढ़ रहा है। इसलिए घरेलू रसोइ गैस कनेक्शनों के लिए मांग बढ़ रही है। लेकिन उपमण्डलीय मुख्यालय, लालबाग में ही एक रसोई गैस डीलरशिप है, जबकि वहां सात विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं। स्पष्ट है कि रसोई गैस की मांग में इस वृद्धि से मांग और आपूर्ति का वक्र गड़बड़ा गया है जिसके परिणामस्वरूप रसोई गैस की आपूर्ति में भारी कमी हुई है।

इस बीच, गत दिसम्बर में पश्चिम बंगाल सरकार ने दोमकोल उप-मण्डल नामक एक नए उप-मण्डल की स्थापना की जिसमें चार (ब्लाक) हैं और जिसका मुख्यालय दोमकोल है।

रसोई गैस कनेक्शन के लिए कई आवेदन वर्तमान डीलर के पास लम्बित हैं और अन्य कई लोग दूरी के कारण पंजीकरण हेतु डीलर तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए मैं सरकार से दोमकोल, लालबाग और करीमपुर नगरों में नई डीलरशिप की स्थापना का आग्रह करता हूं। इससे रसोई गैस कनेक्शन के लिए बढ़ती मांग की समस्या का अवश्य निदान हो जाएगा और रोजगार सृजन भी होगा और सबसे अधिक सरकार के लिए आय का अर्जन होगा।

(छह) उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 42 और 200 ए को जोड़ने वाली नीलकंठपुर भवन सड़क पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री के०पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : महोदय, उड़ीसा में मंदार-गोदिया, देवगांव वापिलास और ढेंकानाल को जोड़ने वाली और कलकत्ता तथा मद्रास के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 200 ए तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 को जोड़ने वाली नीलकंठपुर भुवनशेड पर ब्रह्माणी नदी के ऊपर पुल के निर्माण में अत्यधिक विलम्ब हुआ है। इस परियोजना को 1994 में प्रशासनिक अनुमति दी गई थी। इस परियोजना का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी 19 वर्षीय नौकाचालक बाजी राउत, जो सन 1938 में नीलकंठपुर गांव में पुलिस की फायरिंग में मारे गए थे और जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता साची राउत रे प्रसिद्ध उड़िया कवि द्वारा अमर-अजर किया गया है, के नाम से रखा गया है वहां के लोगों विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को पुल के अभाव में परिवहन का साधन न मिलने के कारण अपने उत्पादों को बेचने में अत्यधिक कठिनाई होती है। इस क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों का निर्माण इस आशा से किया जा रहा है कि इस पुल का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा हो जाएगा। यह पुल जिला मुख्यालय ढेंकानाल को जोड़ने के अलावा उन श्रृद्धालुओं के लिए सीधा सम्पर्क प्रदान करेगा जो भगवान चन्द्रशेखर के निवास स्थल, कपिलेश के पवित्र धाम की यात्रा पर जाते हैं। अत: यह पुल इस अल्प-विकसित और पिछड़े क्षेत्र के लिए जहां हालांकि प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, की प्रगति सामाजिक अधिकारिता और सामाजिक आवागमन के लिए अग्रदूत का काम करेगा। यदि इस पुल का निर्माण कार्य एक वर्ष के भीतर जबकि राष्ट्र इस नई सहस्राब्दी के उद्घाटक वर्ष को मना रहा है पूरा कर लिया जाता है तो स्वंतत्रता सेनानी बाजी राउत के लिए यह एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र ढेंकानाल में ब्राह्माणी नदी के ऊपर बाजी राउत सेतु का निर्माण अविलम्ब कराया जाए क्योंकि इसकी लागत दोगुनी होती जा रही है और इस पुल के निर्माण कार्य में विलम्ब करने का अर्थ स्वतंत्रता मिलने के 53 वर्ष के बाद भी आधारभूत सुविधाओं से इस क्षेत्र को वंचित रखना होगा।

(सात) बिहार के सहरसा शहर में एक उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री दिनेश चन्द्र यादव (सहरसा) : अध्यक्ष जी, मेरा संसदीय क्षेत्र सहरसा (बिहार) अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है। वह नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। उस क्षेत्र के लोगों को दूरदर्शन के कार्यक्रम देखने की सुविधा नियमित रूप से नहीं मिल रही है। उस क्षेत्र में जो एल०पी०टी० दूरदर्शन केन्द्र स्थापित है उसके कार्यक्रम को नेपाल एवं बंगला देश के उच्च शक्ति दूरदर्शन केन्द्र बाधित कर देते हैं। वर्ष 1997-98 में भारत सरकार द्वारा सहरसा में उच्च शक्ति का दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति हुई थी, लेकिन अभी तक उसका निर्माण शुरू नहीं किया गया है।

आग्रह है कि सरकार सहरसा में शीघ्र एच०पी०टी० दूरदर्शन केन्द्र स्थापित कराये।

(आठ) अमरनाथ यात्रियों को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : मुझे उन यात्रियों से कुछ शिकायतें और सुझाव प्राप्त हुए हैं जिन्होंने हाल ही में अमरनाथ की यात्रा की है। इस संबंध में मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहूंगा। सरकारी सदस्यों को इन सुझावों पर गौर करना चाहिए ताकि कोई अप्रिय दुर्घटना न हो।

बारह वर्ष से कम आयु के बच्चों और साठ वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों को यह यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यात्रियों से, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सक से स्वस्थता संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कहां जाना चाहिए। यात्रियों को पहचान पत्र भी दिए जाने चाहिए। पहलगांव और बालताल दोनों जगहों पर चिकित्सा संबंधी प्रमाण पत्र और पंजीकरण की समुचित रूप से जांच की जानी चाहिए। जो इस समय नहीं की जा रही है। सरकार द्वारा देशभर में और अधिक पंजीकरण काउंटर स्थापित किए जाने चाहिए। सरकार को उन्हें कम दूरी पर खाने के सामान के अधिक कांउटर खोलने आदि के लिए सहायक कर्मचारी प्रदान करने चाहिए। सरकार को प्रतिदिन 25000 से अधिक यात्रियों को अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, सरकार को वहां पर्याप्त संख्या में कम्बल लालटेन, बिस्तर आदि प्रदान करने चाहिए। थोड़ी-थोड़ी दूरी पर सेटलाइट फोन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। थोड़ी-थोड़ी दूरी पर आक्सीजन सिलेन्डर भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। खच्चरों के लिए एक अलग मार्ग बनाने की आवश्यकता है। जब तक इसका निर्माण किया जाता है, यह सुझाव है कि खच्चरों को सुबह 9.00 बजे से 7.00 बजे तक जाने और पवित्र गुफा से दोपहर 2.00 बजे से 4.00 बजे तक ही वापस आने की अनुमति दी जाए। इस अवधि के दौरान किसी भी यात्री को पैदल चलने की अनुमति न दी जाए। इसे अनिवार्य कर दिया जाए। प्रत्येक किलोमीटर की दूरी पर स्पष्ट रूप से पढ़े जाने वाले मील पत्थर स्थापित किए जाने चाहिए।

सरकार को वैष्णों देवीमंदिर की तरह इसके लिए भी एक ट्रस्ट स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगाना चाहिए।

अपराह्न 3.00 बजे

(नौ) बिहार के चहुंमुखी विकास के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की घोषणा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य की वित्तीय हालत इतनी दयनीय है कि वहां से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य का शेयर 25 प्रतिशत भी जुट नहीं पाता है। फलत: केन्द्र से योजना क्रियान्वयन के लिए आबंटित राशि बिना उपयोग के ही वापस हो जाती है। राज्य में 61.9 प्रतिशत पिछड़ापन है। देश के कुल गरीबों में से हर छ: गरीबों में से एक बिहारी आंका गया है। 1980-81 के मूल्यों के आधार पर 1996-97 में प्रति व्यक्ति आय 1245 रुपए थी जबकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में यह 1997 रुपए और 2533 रुपए है। यहां विकास की गति भी अलग है। अन्य राज्यों में प्रति व्यक्ति आय में जहां 4.4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होती है वहीं बिहार राज्य में यह 0.7 प्रतिशत ही है। 1998-99 में व्यावसायिक बैंकों की जमा राशि 27,750 करोड़ रुपए थी जबकि उनसे ऋण 7200 करोड़ रुपए ही था। ग्रामीण अंचलों में जमा राशि 3270 करोड़ रुपए थी जबकि ऋण 890 करोड़ रुपए ही था। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि फिलहाल राज्य में अन्दरूनी स्त्रोतों से आय प्राप्त नहीं की जा सकती है।

अत: यदि बिहार राज्य को अंधेरे से प्रकाश में लाना है तो उसकी विशेष रूप से सहायता करनी पड़ेगी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह बिहार राज्य के लिए विशेष सुविधाओं की तत्काल घोषणा करे।

(दस) पर्यटन स्थल वलपरई के चहुंमुखी विकास के लिए तमिलनाडु सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा० सी० कृष्णन (पोल्लाची) : महोदय, वालपरई तमिलनाडु का एक सुन्दर पर्वतीय स्थल है। यह क्षेत्र चाय और कॉफी बागानों से भरा पड़ा है यहां सदाबहार वन है। जहां सागवान के लम्बे वृक्ष और मनोहरी प्राकृतिक दृश्य है। यह तमिलनाडु और केरला की सीमाओं के निकट स्थित ठंडा स्थान है।

जून, 2000 में तमिलनाडु सरकार ने इस क्षेत्र में ''कोडाई तिज्ञा'' का आयोजन किया था।

[डा० सी० कृष्णन]

इस पर्वतीय स्थल में केवल एक ही सड़क है। वर्षा ऋतु में यहां इस सड़क पर एक भी वृक्ष गिर जाए तो सड़क यातायात में बाधा आती है। लोगों को पैदल ही इस क्षेत्र को पार करना पड़ता है।

कुछ वर्ष पहले "अश्व मार्ग" के नाम से एक मार्ग का निर्माण किया जा रहा था परन्तु किसी अज्ञात कारणवश उसे रोक दिया गया। इसलिए वलारई के लोगों की सुविधा के लिए एक वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए और "अश्व मार्ग" को वालपरई तक बढ़ाया जाए।

केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वालपरई के चंद्रमुखी विकास के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार को धनराशि उपलब्ध कराई जाए।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब मद संख्या 8 मध्य प्रदेश पुनगर्ठन विधेयक पर चर्चा करेगी और उसे पारित करेगी। इस विधेयक के लिए चार घंटे का समय निर्धारित किया गया है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या इस मामले में हमारी बात को सुना जाएगा?

अध्यक्ष महोदय : आपने इस बिल के इंट्रोडक्शन के समय अपोज करते हुए इसे रेज किया था।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : उस समय हमारी बात को कहां सुना गया था? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको पहले इस पर बोलने के लिए समय दिया गया था।

(व्यवधान)

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। आप अपनी पावर का इस्तेमाल करके इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेज दें। इसे जल्दबाजी में पास करने की क्या जरूरत है? देश की एक तिहाई आबादी से संबंधित विधेयक को सरकार झटपट में क्यों पास कर रही है? *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उत्तर प्रदेश) : इसके द्वारा आदिवासियों के हितों की खिल्ली उड़ाई गई है।

अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक लाया जा रहा है, आदिवासियों के हितों के खिलाफ है *(व्यवधान)* उनके हितों की खिल्ली उड़ा रहे हैं। यह सरकार आदिवासियों के खिलाफ है, दलितों की विरोधी है. . .

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेज तो हो गया है, अब कंसीडे्शन स्टेज है।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदय, मैं नियम 193 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के संबंध में मद संख्या 9 पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री अथवा माननीय गृह मंत्री से स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहूंगा। क्या वे हमें इस बारे में बताएंगे कि इस मामले पर कब विचार करने का प्रस्ताव है। क्या इस मद पर आज ही शाम को निर्धारित समय पर चर्चा होगी अथवा जम्मू कश्मीर के मामले में सरकार की मंशा क्या है।

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : हमने जम्मू-कश्मीर के मामले में चर्चा की है और इस पर अभी चर्चा लंबित पड़ी है। महोदय यदि सभा सहमत हो और यदि विपक्ष के नेता सहमत हो, जम्मू-कश्मीर में हालात तेजी से बदल रहे हैं और यदि हम इन तीनों पुनर्गठन विधेयकों को पारित कर दें तो गुरूवार तक जब इन विधेयकों से संबंधित कार्य पूरा हो जाएगा तो हम जम्मू-कश्मीर के मामले में अपूर्ण चर्चा को शुरू कर पाएगें। जैसाकि मैंने पहले ही कहा है कि वहां हालात में बहुत तेली से परिवर्तन हो रहा है तत्पश्चात सरकार भी इस विषय पर समुचित रूप से अपना मत व्यक्त कर सकेगी।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानि) : महोदय, इस तरह अल्पसंख्यकों के बारे से चर्चा शेष है। कृपया बताएं कि इस बारे में कब चर्चा की जाएगी। अल्पसंख्यकों पर लगातार आक्रमण किए जा रहे हैं।

श्री प्रमोद महाजन : हम इस पर अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी-अभी माननीय मंत्री महोदय ने स्थिति स्पष्ट की है।, सर्वप्रथम, आप उस बात को सुनें कि सभा में क्या कहा गया है। कोई भी सभा में कुछ नहीं सुन रहा है। हर कोई सभा में बोलना चाहता है।

अपराह्न 3.07 बजे

मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विद्यमान मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैं एक महत्वपूर्ण विधेयक संसद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बहुत वर्ष पहले राज्यों का पुनर्गठन हुआ था और उस राज्य पुनर्गठन के परिणामस्वरूप कुछ राज्य ऐसे थे जो आकार में इतने बड़े थे कि पूरे प्रदेश का संतुलित विकास नहीं हो सका। वहां पर मांग बनी रही और उस मांग को ध्यान में रखकर वहां की विधानसभा ने सिफारिश की थी कि यह अलग राज्य बनाया जाये अर्थात् यह मांग केवल उस हिस्से की जनता की मांग नहीं है लेकिन हम पूरे के पूरे प्रदेश के लोग उसका प्रतिनिधि मानते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ बन जाये, उत्तरांचल बन जाये, अगर झारखंड बन जाये तो हमारे प्रदेश का और उस क्षेत्र का भी भला होगा।

अध्यक्ष जी, हमने अपने घोषणा पत्र में यह बात लिखी थी और चुनाव के पहले जनता को वचन दिया था कि जब भी हमारी सरकार बनेगी तो 1994 में मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित किये इस प्रस्ताव को पूरा करेगी कि छत्तीसगढ़ नाम का एक अलग राज्य बनाया जाये। महामहिम राष्ट्रपति जी ने जब 25 अक्तूबर, 1999 को संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया था, तब उन्होंने अपने वक्तव्य में इस बात का जिक्र किया था कि यह सरकार छत्तीसगढ़ उत्तरांचल और वनांचनल राज्यों के निर्माण की दिशा में कदम उठायेगी। इस हेतु मैंने गत 25 जुलाई को सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ राज्य वाला विधेयक प्रस्तुत किया था जिसे आज विचारार्थ प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस विधेयक पर अभी तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन आपकी बातें सुनकर उसका उत्तर देते हुये कुछ बातों पर बल दूंगा।

इस समय तो मैं तथ्यों के रूप में इतना ही बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के 16 जिलों का यह छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा। आज जो मध्य प्रदेश के जिले हैं, उनमें से 16 जिले इस छत्तीसगढ़ राज्य का अंग होंगे और जनसंख्या की दृष्टि से एक चौथाई से अधिक जनसंख्या इस प्रदेश में होगी। लेकिन इसके स्वरूप की एक विशेषता है कि अधिकांश जो वनवासी क्षेत्र हैं, वे इस प्रदेश में आते हैं। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो इस समय कुल मिलाकर पूरे मध्य प्रदेश की जनसंख्या 661 लाख है जिसमें से छत्तीसगढ़ में 176 लाख होंगे। इसमें से 78 लाख वनवासी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के होंगे। इसीलिए इस नये प्रस्ताव का जो स्वरूप होगा वह एक प्रकार से विशिष्ट होगा, इस बात को ध्यान में रखकर वहां की प्रदेश की जनता को भी और हम सबको भी लगा कि इनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए और इतने बड़े राज्य में उनकी जो उपेक्षा होती रही है, वह समाप्त हो और इस क्षेत्र का भी संतुलित विकास हो, इस उद्देश्य से यह आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अध्यक्ष जी, इस समय मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मैं धन्यवाद जरूर दूंगा कि सदन ने पिछले सप्ताह इन तीनों विधेयकों को पेश होने दिया, अपने-अपने उनके मतभेद हैं कहीं-कहीं पर। छत्तीसगढ़ के बारे में तो बहुत कम मतभेद हैं, व्यावहारिक रूप से हैं ही नहीं। यहां तक कि एक संशोधन भी प्रस्तुत किया है तो मैंने देखा है कि वहां के जो दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के प्रतिनिधियों ने मिलकर एक संशोधन दिया है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दिक्कत आएगी क्योंकि वह व्यावहारिक है, लेकिन बाकी जो दो प्रस्ताव हैं जिनमें थोड़े-थोड़े मतभेद होते हुए भी मोटे तौर पर सब लोगों ने जिस प्रकार से उनका स्वागत किया है, उसके कारण उन क्षेत्रों की जनता इस सदन के प्रति बहुत-बहुत आभारी रहेगी, हमेशा कृतज्ञ रहेगी क्योंकि उनकी दशाब्दियों की रही एक आस पूरी होने वाली है।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : 20,000 आदिवासी इसके विरोध में आज दिल्ली की सड़कों पर हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे इस सबकी जानकारी है। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस मामले में कम से कम विवाद हो तो अच्छा है। इस समय तो मैं छत्तीसगढ़ विधेयक को सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि सदन सर्वसम्मति से इसे स्वीकार करेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव हुआ कि वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करने के बारे में विधेयक और इससे संबंधित मामलों पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या-1 श्री वरकला राधाकृष्णन क्या आप संशोधन पेश कर रहे हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस विधेयक को 29 दिसम्बर, 2000 तक राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए।" (1)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अमेण्डमेंट नम्बर 2, रघुवंश प्रसाद सिंह क्या आप मूव कर रहे हैं?

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक को उस पर 10 नवम्बर, 2000 तक राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए।" (2)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 3 श्री बसुदेव आचार्य, श्री स्वदेश चक्रवर्ती और श्री हन्नान मोल्लाह।

श्री स्वदेश चक्रवती : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस विधेयक को 15 नवम्बर, 2000 तक राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए। (3)

अध्यक्ष महोदय : सशोधन संख्या 4 श्री बसुदेव आचार्य, श्री स्वदेश चक्रवर्ती और श्री हन्नान मोल्लाह।

श्री स्वेदश चक्रवर्ती (हावड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मौजूदा मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बारे में विधेयक और उससे संबंधित मामले निम्नलिखित 9 सदस्यीय प्रवर समिति को अर्थात :

(1) श्री लाल कृष्ण आडवाणी

(2) श्री अजय चक्रवर्ती

(3) श्री सनत कुमार मंडल

(4) श्री रूपचंद पाल

(5) श्री अमर रायप्रधान

(6) डा० रघुवंश प्रसाद सिंह

(7) श्री हन्नान मोल्लाह

(8) श्री स्वदेश चक्रवर्ती

(9) श्री बसुदेव आचार्य

को इन निर्देशों के साथ सौंप दिया जाए कि बजट सत्र, 2001 के प्रथम सप्ताह के पहले दिन वे इसे प्रस्तुत करें। (4)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री श्यामाचरण शुक्ल।

[हिन्दी]

श्री श्यामाचरण शुक्ल (महासमुन्द) : अध्यक्ष महोदय, हमारी दृष्टि से आज एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है क्योंकि हमारे पूर्वी मध्य प्रदेश का जो हिस्सा प्राचीन समय में दंडकारण्य और दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, भारत गणराज्य को नयी ताकत और नयी चमक देने के लिए आज तैयार हो रहा है। वैसे हमें इस नये राज्य के बनने का बहुत हर्ष है और मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। थोड़ी कसक और थोड़ा दर्द इस बात का भी है कि हमारे बहुत से पुराने साथी छूट रहे हैं, बहुत से इलाके छूट रहे हैं जो हमारे साथ पिछले 44 साल तक रहे। लेकिन यह ऐतिहासिक प्रक्रिया है और ऐसा होना लाजिमी था। हमारे इस इलाके में जब अंग्रेजी राज था तब भयंकर गरीबी थी। यह इलाका ऐसा है जहां के लोग वन उपज के ऊपर निर्भर रहते थे या फिर जो एक फसल होती थी, पानी गिरता था, रेतीली जमीन, जल्दी सूखने वाली जमीन में हर दो-तीन साल बाद दुष्काल पड़ा करता था। धान और चावल के कोई दाम नहीं मिला करते थे। वह भयंकर गरीबी का इलाका था। उस जमाने में भी जहां गेहूं होता था, कपास होता था, जो काली मिट्टी के इलाके थे, वे फिर भी सम्पन्न थे लेकिन छत्तीसगढ़ बहुत गरीब था। बर्माराईज आता था और इसलिए किसान को चावल का दाम नहीं मिलता था। आजादी के बाद बहुत कुछ हुआ। पहले 10 वर्षों में जब नागपुर राजधानी थी तब छत्तीसगढ़ में एक भी सरकारी कालेज नहीं था। वहां तमाम इंजीनियरिंग कालेज, संस्कृत कालेज, आयुर्वेदिक कालेज आदि इंस्टीटयूशन्स खुले। सिंचाई के लिए बांध बने। भिलाई में इस्पात का कारखाना खुला। कोरबा में हसदू बांध बना। भिलाई इस्पात कारखाने के आने से चारों ओर स्टील बेस्ड इंडस्ट्री का विकास होना शुरू हुआ। रोलिंग मील और स्टील कास्टिंग के तमाम कारखाने आने शुरू हुए। साथ ही साथ नये भारत में जो नीतियां थीं, उनकी वहज से किसानों को धान के सही दाम मिलने लगे। हरित क्रांति का जमाना आने पर जो सिंचाई के भाग थे, सिंचित इलाके थे, वहां कुछ सम्पन्नता दिखाई देने लगी। नये मध्य प्रदेश में भोपाल राजधानी बनने के बाद काफी काम हुआ लेकिन पिछले दो दशकों से न मालूम क्या वजह थी कि सारा विकास थम गया। 1975-76 में जो सिंचाई योजनायें अधूरी थी।

अपराह्न 3.18 बजे

[डा० रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

वे आज तक अधूरी हैं। वहां कोई काम नहीं हुआ। किसी प्रकार से विकास के कामों में ध्यान नहीं दिया गया। इस वजह से यह सामान्य बात होने लगी कि अगर विकास होना है तो अलग प्रदेश जब बनेगा तभी यह संभव है अन्यथा यह जो उपेक्षा हो रही है, दुर्लक्ष्य हो रहा है, यह बंद नहीं हो पायेगा। प्रारंभिक दिनों में कांग्रेस पार्टी ने इसमें बढ़-चढ़कर भाग लिया। विधान सभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में भी इसे शामिल किया गया कि हम अलग राज्य बनायेंगे। इसी वजह से हमने 1994 में विधान सभा में इसका प्रस्ताव भी पारित किया। हमारे साथियों ने जो आज सामने बैठे हैं, लोक सभा के चुनाव के वक्त इस मुद्दे को अपनाया। इस तरह से यह मांग सर्वमान्य हो गई। हम सबको बहुत संतोष है कि आज वह मांग पूरी होने जा रही है। इसमें श्रेय की स्पर्धा की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे तो यह श्रेय मध्य प्रदेश की जनता और खासकर छत्तीसगढ़ की जनता का है जिसकी वजह से आज यह नया राज्य स्थापित होने जा रहा है। *(व्यवधान)* यह जरूर है कि हमारे आदिवासी भाइयों में कुछ ऐसी भावना है कि उनका इलाका दो टुकड़ों में बंट रहा है जो पुराना गोंडवाना कहलाता था।

उसके आस-पास के जिलों की तरफ से भी मांग उठती है कि हमें छत्तीसगढ़ में शामिल किया जाए। बालाघाट, शहडोल और सीधी तक के लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन आज इन मामलों में पड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि उड़ीसा के पश्चिमी जिले से भी मांग उठती है। वहां पर एक आंदोलन चलता है जो महाकौशल आंदोलन कहलाता है क्योंकि ये इलाका दक्षिण कौशल था, वह महाकौशल यानी ओल्ड सी०पी०एंड० बरार का हिन्दी बोलने वाला इलाका था। उड़ीसा के जो जिले लगे हुए हैं, वहां भी यह मांग उठती है कि हमें पूर्वी घाट से दूर जो पहाड़ हैं, उनको पार करके समुद्र किनारे जाने में दिक्कत

है। हमें छत्तीसगढ़ के साथ सब तरह की सहूलियत है। सम्बलपुर वगैरह की भाषा भी छत्तीसगढ़ बोलने वाली है। अंग्रेजी राज में तो रायपुर, बिलासपुर जिले के ये सब हिस्से भी थे। लेकिन इस तरह से हमें आज छत्तीसगढ़ के राज के निर्माण को उलझाना नहीं है। हम चाहते हैं कि पहले राज बन जाए और उसके बाद हमारे देश की दृष्टि से उसमें जो भी इजाफा करना है, उसे और बढ़ाना है, वे बातें बाद में ली जा सकती हैं। हम सबके लिए यह भी बहुत संतोष की बात है कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने आजादी की लड़ाई में बहुत बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उनके संस्कार आज भी ऐसे हैं कि वहां जात-पात का कोई ज्यादा झगड़ा नहीं है। वहां आदिवासी, गैर-आदिवासी का झगड़ा भी नहीं है, पिछड़े और अगड़े वर्ग का कोई झगड़ा नहीं है। वहां विधान सभा में ऐसे लोग चुनकर आते हैं जिनकी जाति का एक भी वोटर नहीं होता, केवल एक या दो घर होते हैं। लोक सभा में चुनकर आ जाते हैं और विधान सभा में भी चुनकर आ जाते हैं। यह हम सबके लिए बहुत ज्यादा संतोष और गौरव की बात है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ के लोग बहुत शांतिप्रिय हैं, वहां लड़ाई-झगड़े नहीं होते। आज के युग में सबसे बड़ा गुण यह है कि अगर विकास होना है, हमारे देश को ताकत देनी है, हमारे देश का एक इलाका आर्थिक और हर दृष्टि से बहुत समृद्ध हो जाए, विकसित हो जाए, उसके लिए शांति और आपसी सहयोग की जरूरत होती है और वह वहां पूरी तरह से है। हम चाहते हैं कि आगे भी वह उसी प्रकार बनी रहे। पश्चिमी बंगाल में आज भी इस प्रकार का वातावरण है जहां जात-पात का कुछ ज्यादा झगड़ा नहीं होता, उसी तरह हमारे यहां भी है। सी०पी०एंड बरार के पुराने हिस्से में आज भी खण्डवा से रायगढ़ तक इसी तरह का वातावरण है। इसलिए हम सबको पूरा विश्वास है कि अब यह राज्य जरूर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ सकेगा। लेकिन सर्वांगीण विकास करने के लिए नए राज्य को बहुत सारी मदद की जरूरत पड़ेगी। पहले राजधानी बनाने के लिए कम से कम 2000 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार को उदारमना होकर देने चाहिए और पूरे क्षेत्र के जो इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और बहुत सी कमियां हैं, उनके लिए कम से कम 8000-10,000 करोड़ रुपये का प्रोवीजन होना चाहिए। 2000 करोड़ रुपये राजधानी के लिए और 8000 करोड़ रुपये अतिरिक्त देंगे तब जाकर सही विकास के रास्ते पर हमारा छत्तीसगढ़ राज्य आगे बढ़ सकेगा। जो विधेयक आया है, उसमें स्वागत योग्य बात यह है कि उसमें आपने हाई कोर्ट का भी प्रावधान किया है जो पहले नहीं किया गया था। यह हम सबके लिए बहुत संतोष की बात है। लेकिन इसमें जो एक खामी है, इसमें इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में ठीक से प्रावधान नहीं किए गए हैं। ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बना रहे, इसके बारे में कोई धारा, सैक्शन और आर्टिकल नहीं है जबकि 1956 में जो राज्य विभाजन का कानून पार्लियामेंट में आया था, मध्य प्रदेश रीआर्गनाइजेशन ऐक्ट, 1956 की धारा 106 और 107 में जो प्रावधान थे, मैं समझता हूं कि सुओ-मोटो हमारे मंत्री जी को स्वयं उन दोनों धाराओं को इसमें शामिल करना चाहिए क्योंकि हम केवल रहमो-करम पर नहीं रहना चाहते कि नए राज्य के लोग या केन्द्र सरकार हमारी मदद करे। आज जो बिजली का प्रवाह हो रहा है, वह एकाएक बंद हो जाए। उसे रोकने के लिए जरूरी है कि इस तरह का एक आर्टिकल जैसे धारा 106 और 107 में प्रावधान था, रीऑर्गनाइजेशन एक्ट, 1956 में, उसे हमें लाना चाहिए।

धारा 106 कहती है :

[अनुवाद]

"कतिपय राज्य विद्युत बोर्डों के बारे में उपलब्ध और उनकी आस्तियों और दायित्वों का प्रभाजन।

विद्यमान मुम्बई, मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र राज्यों में से किसी के लिए विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अधीन गठित राज्य विद्युत् बोर्ड नियत दिन से उन क्षेत्रों में, जिनकी बाबत वह उस दिन के ठीक पूर्व कार्य कर रहा था, इस धारा के उपबन्धों और ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं, कार्य करता रहेगा।"

धारा 107 में है :

" विद्युत शक्ति के उत्पादन और प्रदाय तथा जल प्रदाय के बारे में ठहराव का बना रहना।

यदि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी क्षेत्र के लिए विद्युत् शक्ति के उत्पादन या प्रदाय या जल-प्रदाय के बारे में या ऐसे उत्पादन या प्रदाय के लिए किसी परियोजना के निष्पादन के बारे में ठहराव में उस क्षेत्र के लिए अहितकर रूप से उपान्तरण इस कारण हो गया है या होना संभाव्य है कि वह क्षेत्र भाग 2 के उपबन्धों के कारण उस राज्य से अन्तरित कर दिया गया है जिसमें, यथास्थिति, ऐसी शक्ति के उत्पादन और प्रदाय के लिए विद्युत् स्टेशन और अन्य संस्थापन अथवा जल-प्रदाय के लिए आवाह क्षेत्र, जलाशय और अन्य संकर्म स्थित हैं, तो केन्द्रीय सरकार पहले वाले ठहराव को यावत्साध्य बनाए रखने के लिए राज्य सरकार या अन्य सम्बद्ध प्राधिकारी को ऐसे निर्देश दे सकेगी, जो वह ठीक समझे।"

[हिन्दी]

हम लोग देख रहे थे कि अभी कुछ दिनों में जब से वहां पर बिजली की कमी हो रही थी तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में यद्यपि बहुत बड़े-बड़े बिजली पैदा करने वाले, बिजली का संचार करने वाले संयंत्र हैं, सब कुछ वहां है। कोरबा के कोयले से भी एन०टी०पी०सी० के बहुत बड़े-बड़े संयंत्र लगे हैं। मध्य प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के भी लगे हैं, लेकिन पावर कट छत्तीसगढ़ में मनमानी होती थी। यद्यपि वहां तमाम भरपुर बिजली पैदा हो रही है, इसलिए यह संभावना है कि आगे जाकर ये कठिनाइयां पैदा हों। इसलिए मैं आपसे यह जरूर

[श्री श्यामाचरण शुक्ल]

आग्रह करूंगा कि आडवाणी जी, एक्ट में यह सुधार जरूर करने की हम सब के ऊपर कृपा करें, अन्यथा बहुत कठिनाइयां हमारे सामने आएंगी। आप जानते हैं कि बिजली का कितना महत्वपूर्ण स्थान आज हमारे जीवन में है।

उसी तरह से जो असेट्स और लायबिलिटीज का बंटवारा है, उसमें आपने जो प्रावधान किया है कि जो जमीन जहां पर है, जिसकी लैंड है, वह वहीं पर रह जायेगी और वह उसकी हो जायेगी। लेकिन पिछले 46 वर्ष में पूरे मध्य प्रदेश की जनता का रुपया बहुत सी ऐसी इमारतों में लगा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के लोगों का करीब-करीब एक तिहाई हिस्सा है। जैसे कि मध्य प्रदेश का विधान सभा भवन भोपाल में है, वहां का सैक्रेट्रिएट, डायरैक्टर्स की जो इमारतें हैं, हैड ऑफ दि डिपार्टमेंट्स की जो इमारतें हैं, रेवेन्यू बोर्ड की जो इमारतें या आफिस ग्वालियर में है और जो आवासीय व्यवस्था है, जो घर भी बने हुए हैं, प्रान्तीय स्तर की जितनी भी संस्थाएं है, उसका बंटवारा, उसका मूल्यांकन करके फिर जैसा आपने यहां पर हमारी आबादी का जो अनुपात है, उस अनुपात के हिसाब से आप उसको हिसाब-किताब के लिए बांट दीजिए, जिससे कि हमारी जनता का जो खून-पसीने की कमाई लगी हुई है, पिछले 46 वर्षों में, उसका वाजिब हिस्सा नये राज्य को मिल सके, उसके लिए हैड ऑफ दि डिपार्टमेंट, डिप्टी डायरैक्टर, ज्योलोजी एंड माइनिंग का जो रायपुर में आफिस है, उसका हिस्सा भी हमें मिल जायेगा। इस तरह से यदि नहीं किया जायेगा तो केवल जमीन इधर-उधर हो जाने से तो काम नहीं चलेगा और जो मूवेबल असेट्स एंड गुड्स हैं उसका तो प्रावधान किया गया है, वह ठीक है, लेकिन जो फिक्स्ड असैट्स हैं, जो जमीन के साथ जुड़े हैं, उसका भी बंटवारा सही तरीके से न होने से बहुत भारी नुकसान छत्तीसगढ़ राज्य का होगा, जो बनने वाला है। हमारे इस एक्ट में और पुराने एक्ट में एक थोड़ा सा फर्क और भी है।

वहां सर्विसेज का ऑप्शन होना चाहिए। चाहे आई०ए०एस० हो, चाहे प्रोविंशयल सर्विस हो, कर्मचारी हों या अधिकारी हों, वे किस राज्य में जाना चाहते हैं, वे अपना ऑप्शन दें। यह भी वास्तविकता है कि हरेक को उसकी पसंद की जगह नहीं दी जा सकती। राज्य के बंटवारे में संतुलन नहीं है, धरती में संतुलन नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोग सर्विस में कम हैं इसलिए हो सकता है छत्तीसगढ़ में आने वाले कम हों, फिर भी पहले ऑप्शन ले लिया जाए। उसके बाद जो आपके डायरेक्टिव्स हों उसके तहत काम हो। इसलिए सभी व्यक्तियों से बात करके बंटवारा करें। 1956 में भी जब नये राज्य बने थे, यही प्रक्रिया अपनाई गई थी। जो महाराष्ट्र में जाना चाहते थे, उन्होंने अपना ऑप्शन दिया और जो नए राज्य में जाना चाहते थे, उन्होंने उसमें अपना ऑप्शन दिया। जो यहां नहीं आना चाहते थे और ऑप्शन नहीं दिया उनको वहीं रहने दिया गया। उस समय समस्या यह थी कि किस तरह उनको अपने राज्य में लें। लेकिन आज वह समस्या नहीं है, केवल बांटने की समस्या है। मैं आशा करता हूं इस ओर गृह मंत्री जी पर्याप्त ध्यान देंगे।

वाटर बोर्ड बनाने का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां एक भी ऐसी नदी नहीं है जो छत्तीसगढ़ के कटोरे से पुराने मध्य प्रदेश में बहती हो। सारी नदियां महानदी और शिवनाद में से होकर उड़ीसा की तरफ चली जाती हैं। मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है, उसके हमारी झगड़े की स्थिति इस कारण भी नहीं बनेगी। केवल रिहंद एक छोटी सी नदी है, वह सरगुजा से उत्तर प्रदेश जाती है। बाकी सारी नदियां उड़ीसा जाती हैं। एकाध प्रोजेक्ट हो सकता है मांडला जिले में नर्मदा की शाखा से बांध बनाकर पानी गिराकर बिजली पैदा हो सकती है। सिर्फ एक यह योजना है जो हाथ में ली जा सकती है। इसमें थोड़ा बहुत हमें एक-दूसरे से समझौता करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा अलगाव पूरी सद्भावना के साथ हो रहा है, किसी प्रकार की कटुता हमारे और शेष मध्य प्रदेश के बीच पैदा नहीं हुई है। इसलिए हम आशा करते हैं कि इस प्रकार की योजनओं के लिए अगर भविष्य में जरूरत होगी तो हम उनका सहयोग ले सकते हैं और उन्हें सहयोग दे सकते हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज पदार्थों की सम्पदा भारी मिकदार में है। दुनिया का शायद सबसे बड़ा आयरनओर का भंडार यहीं बैलाडीला में है। लाइम स्टोन और डोलोमाइट आदि बहुत सारे खनिज हैं, जिनसे तमाम उद्योग-धंधे चलाने में मदद मिलती है। नदियां ऐसी है कि सिंचाई योजनाओं को अगर हाथ में लिया जाए तो हर खेत में पानी पहुंच सकता है।

1975 के बाद केवल वन सुरक्षा कानून के नाम से हमारी बहुत अच्छी योजनाएं रुकी पड़ी हैं, कोई प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि केन्द्र ने कानून बना दिया था। यह हमारे पिछड़ेपन की निशानी है। अगर वहां जलाशय बन जाएं तो उनकी नमी से पर्यावरण को जंगलों को फायदा हो सकता है। जल संसाधन बढ़ाने के लिए इससे सम्बन्धित योजनाओं को नहीं रोका जाना चाहिए। यह हमारे पिछड़ेपन का हमारे दिमागी पिछड़ेपन का प्रतीक है। इसलिए इस तरफ भी हम आशा करते हैं कि सरकार ध्यान देगी।

किसानों की गरीबी दूर करने के लिए, हरित क्रांति का लाभ उठाने के लिए हम चाहते हैं कि सिंचाई योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करें। जो लम्बित योजनाएं है, मैंने मुख्य मंत्री रहते हुए जो योजनाएं शुरू की थी, उन सबको आगे बढ़ाने की जरूरत है, जो कि रुकी हुई हैं। दूसरी बात यह है कि हमें केन्द्र सरकार की ज्यादा मदद की जरूरत होगी।

मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी इस देश के लिए जो दुखद बात हुई है, इंद्रावती में जो बिजली बनाने की संभावना थी, बोधघाट के नीचे तीन जगह बिजली बनाने की संभावना थी, उस योजना को केवल दिमागी पिछड़ेपन ने पिछले बीस साल से रोककर रखा हुआ है। हम लोगों ने काम शुरू किया था। मैंने 1972 में मंजूर किया था और 1973 में बड़ी तेजी से काम शुरू किया था। 1500 मेगावाट मुफ्त में बिजली पैदा होती। वहां से बहुत कम लोगों को हटाना पड़ता और

वह नदी बस्तर के पहाड़ के नीचे उत्तर रही है और आन्ध्र प्रदेश तक जा रही है तथा चार जगह बिजली एक के बाद एक बार-बार बनती। उसका कोई खर्च भी नहीं आता। उसका हमने कोई उपयोग नहीं होने दिया। अभी थोड़े दिन पहले उड़ीसा को वन सुरक्षा कानून से छुट्टी मिल गई, बहुत बड़ा जलाशय इन्द्रावती के ऊपर बनाया और न केवल जलाशय बनाया बल्कि टनलिंग करके बोगदा बनाकर उस पानी को उतारकर बिजली पैदा कर रहे हैं इंद्रावती का पानी कम हो गया और बचा पानी बांध बनाकर एक नाले में डाइवर्ट कर दिया गया। इंद्रावती नदी जो बस गर्मी के दिनों में सूख जाती है, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर छत्तीसगढ़ में इंद्रावती पानी के लिए तरसने लगती है, जैसे ही अक्तूबर नवम्बर का महीना निकलता है। ये समस्याएं है। जिनमें हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। अगर छत्तीसगढ़ को राज्य बनाना चाहते हैं, अगर सचमुच छत्तीसगढ़ राज्य हमारे देश का आभूषण बनकर सारे देश को आर्थिक ताकत दे हर तरह की ताकत दे, उसमें अगर आपकी मदद मिलेगी तो अवश्य ही इन कामों को हम कर सकेंगे। उड़ीसा जितनी पन बिजली पैदा कर रहा है, शेधघाट योजना से हम उतनी बिजली पैदा करके दे सकते हैं बल्कि इस पानी से तीन जगह और भी बिजली पैदा हो जाएगी। जो पानी हम थोड़ी सी बिजली पैदा करने के लिए उड़ीसा में पानी दूसरी नदी घाटी में ले जा रहे हैं, तो इन बातों के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। बहुत से उद्योग भिलाई स्टील प्लांट के आसपास बंद हो रहे हैं, रोलिंग मिल्स बंद हो रही हैं, तमाम बेरोजगारी हो रही है और तेजी के साथ आर्थिक विकास में व्यवधान पैदा हो गया है। उसकी जड़ में जाकर उनके कारणों को ढूढना जरूरी है। छत्तीसगढ़ राज्य की नई सरकार तो करेगी साथ ही साथ हमारी केन्द्रीय सरकार भी पूरी मदद करे तो अच्छा है। भिलाई इस्पात कारखाना से आर्थिक विकास की गति में तेजी आई थी, वह आर्थिक विकास आज अवकुंठित हो गया है और उसे किस तरह से ठीक किया जाये और फिर उसे आगे कैसे बढ़ाया जाये, इस तरफ ध्यान जरूर दिया जाएगा। हमारे जो संसाधन हैं, उनका लाभ बराबर मिलता रहे, हम ऐसी आशा करते हैं।

जब कोरबा में कोयला खदानों का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू जी ने 1953-54 में किया था, उस समय राज्य सरकार से कहा गया था कि उसे एक तिहाई उसका लाभ दिया जाएगा। हम आशा करते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने पर सरकार उस तरफ ध्यान जरूर देगी। जो कोयला निकलता है, रॉयल्टी के सिवाय मुनाफे में भी हिस्सा दिया जाये तब जाकर पिछड़े राज्यों को सही मदद मिल सकेगी। आडवाणी जी ने कहा कि जहां इतनी बड़ी संख्या में आदिवासी, एस०सी० और पिछड़े लोग रहते हैं, उस इलाके में जबर्दस्त पोटेंशियल्टीज है। छत्तीसगढ़ राज्य इस देश का सबसे ज्यादा सम्पन्न और सुदृढ़ इलाका तथा सारे देश को ताकत देने वाला इलाका बन सकता है इसलिए इसकी पूरी मदद सरकार करेगी, हम ऐसा आशा करते हैं। आज मध्य प्रदेश का हिस्सा अलग हो रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य बन रहा है, हम वादा करते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी छत्तीसगढ़ राज्य को सारे देश का एक आभूषण बना देंगे, सारे देश को ताकत देंगे, भले ही आज वहां बर्फ पिघलने वाली नदियां न हों लेकिन फिर भी जो संसाधन हैं, उनसे छत्तीसगढ़ राज्य को ऐसा बनाएंगे जिससे सारे देश के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ताकत बन सके।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ भाषा में बात करूंगा। मैं आडवाणी जी, प्रधान मंत्री जी से और पूरे सदन के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं और छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से यहां विनती करता हूं कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बनाया जाये क्योंकि इससे छत्तीसगढ़ का विकास होगा। इससे हमारे बच्चों, भाई-बहनों, गरीब तबकों का फायदा हो, विकास हो, उनकी उन्नति हो, ऐसी मैं आशा करता हूं। हमारी सरकार अपने घोषणा पत्र में यह बात लेकर आई थी और एक ही साल के अन्दर में यह करके दिखा दिया। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे आम लोगों में शादी विवाह होता है और एक साल मे लड़का-लड़की भी पैदा नहीं होता लेकिन हमारी सरकार ने एक ही साल में लड़के के बराबर हमारे राज्य को बनाकर दिखा दिया। यह हमारी सरकार की उन्नति है। उन्होंने एक साल में करके दिखा दिया। बिलासपुर में आज रेल जोन एवं रायगढ़, रायपुर टर्मिनल बनाकर दिखा दिया, रेलवे जोन के बाद सड़क स्वीकृति दिया और 2000 करोड़ रु० की 120 कि०मी० की सड़क राष्ट्रीय मार्ग दिखा दी। यह हमारी सरकार की उन्नति का रास्ता है।

अब मैं हिन्दी में बोलूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य धान का कटोरा कहलाता है। परन्तु विपक्ष के नेता शुक्ला जी चले गये, अगर वह सुनते तो अच्छा होता धान नहीं कटोरा बाकी है वह यहां देश के विकास के बारे में बातें करते रहे, मैं बताना चाहता हूं शिक्षित बेरोजगार आज रोजगार की तलाश में भटक रहा है। उनको रोजी-रोटी की तलाश है और वह छीना-झपटी के काम में लगा हुआ है। नक्सली समस्या आज बस्तर से लेकर सरगुजा, गवर्धा तक छा गई है। वहां के मुख्य मंत्री जी के रहते कैबिनेट मंत्री जी की हत्या हो जाती है, वहां कृषि का उत्पादन नीचे गिर गया है। 72 प्रतिशत लोग कृषि से जीवन-यापन करते थे। विद्युत की कमी या सरकार की कमजोरी ने आर्थिक विकास का स्तर दबा दिया। ऐसी परिस्थिति में यहां की सरकार विद्युत तो देना बंद टयूबवैल के खनन के लिए किसानों एंव ग्रामिणों को विद्युत भी नहीं दे रही है, कनैक्शन भी नहीं दे रही है। दाने-दाने के लिए किसान मोहताज हैं। किसान की माली हालत बदतर हो गई है। किसान ऋण से दब चुका है। ऐसी परिस्थिति में सरकार ध्यान देने की बजाए मनमाने ढंग से राजकाज में लगी है। इन बातों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं इस सरकार की आलोचना नहीं करना चाहूंगा क्योंकि सभी लोग छत्तीसगढ़ राज्य बनाना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में राजस्व से तीस प्रतिशत, खनिज से 40 प्रतिशत, वन-संपदा से 36.42 प्रतिशत खनिज से 46 प्रतिशत का लाभ होता रहा परंतु सरकार उस पैसे को कहां देती रही? उदाहरण के लिए कोयले की रॉयल्टी से पिछले पांच-सात वर्षों से 450 करोड़ रुपये का लाभ होता रहा। अगर मैं दारू के ठेके की आबकारी बात करूं तो 500 करोड़ रुपये का लाभ होता रहा। इतना पैसा छत्तीसगढ़ के विकास में लगा होता तो छत्तीसगढ

[श्री पुन्नू लाल मोहले]

की उन्नति हुई होती। वहां की रोड की हालत देखिए। वहां गड्ढे हैं। वहां सिंचाई और किसान के लिए पर्याप्त साधनों की व्यवस्था अपर्याप्त है। शिक्षित बेरोजगार भटक रहा है। लोगों में असमंजस की स्थिति है। इस कारण सरकार ने छत्तीसगढ राज्य बनाना चाहा है। छत्तीसगढ धान का कटोरा है। वहां धान की खेती होती है। धान का कटोरा रह गया और धान चला गया। ऐसी परिस्थिति में किसान की माली हालत बदतर हो गई है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके विकास के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था छत्तीसगढ राज्य के गठन के बाद करे और इस पैकेज को बढ़ाया जाये। छत्तीसगढ नया राज्य बन रहा है तो नए राज्य को प्रतिक चिन्ह देने की आवश्यकता है, जैसे भारत में मयूर को राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह अशोक चक्र माना जाता है, इसी प्रकार छत्तीसगढ किसानों का देश है और किसान अधिकतर धान के भरोसे जीवित है तो धान की बाली को यहां के राज्य का प्रतीक चिन्ह माना जाये। सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे कि हमारी छत्तीसगढ बोली है। हमारा पूरा देश, समाज, संस्कृति रहन-सहन, वेषभूषा, हमारा जीवन इसी से संलग्न है।

मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करना चाहूंगा, अनुच्छेद 347 में प्रावधान है. अगर राष्ट्रपति सहमत हो जायें, तो छत्तीसगढ बोली को भाषा का दर्जा दिया जाए। जिन परिस्थितियों और वातावरण में केन्द्रीय सरकार छत्तीसगढ राज्य बनाने जा रही है, मैं मध्य प्रदेश की विधानसभा के कर्णधारों के बारे में कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ राज्य उपेक्षा, अवहेलना और नगण्य विकास तथा निराशा की कोख से जन्म लेते हुए छत्तीसगढ राज्य बनने जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में छत्तीसगढ राज्य का बंटवारा होने जा रहा है। जब दो भाइयों का बंटवारा होता है और बड़ा भाई चालाक होता है, जो वहां की परिस्थितियों को पहले से ही जानता है, खेती-बाड़ी और अन्य अचल सम्पत्ति को छिपाकर, सारे कर्ज का बोझा छोटे भाई पर लाद देता है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इस तरह का वातावरण न बनें। आडवाणी जी इस ओर ध्यान दें, छत्तीसगढ राज्य को बंटवारे में छोटे भाई को अनदेखा न कर दिया जाए। मध्य प्रदेश में तो वहां की विधान सभा है, विधायकों के ठहरने के लिए जगह है और अन्य प्रकार की सम्पत्ति मध्य प्रदेश में चली जाएगी, ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ में एक कुर्सी भी नहीं रहेगी, तो राज्य सरकार के अधिकारी, मुख्य मंत्री और वहां के विधायक तथा अन्य लोग कहां बैठेंगे। वहां पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और विशेष रख-रखाव की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं मांग करना चाहूंगा, नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को माना जाए, कहीं ऐसा न हो कि नए छत्तीसगढ राज्य को कर्ज के बोझ से लाद दिया जाए। हमारे यहां की परम्परा है, छोटे भाई को सम्मान के साथ बंटवारे का हिस्सा दिया जाए। हमारी संस्कृति है, अगर छोटा भाई कमाई नहीं कर सकता है, तो छोटे भाई को अधिक हिस्सा भी दिया जाता है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा, इन बातों को अनदेखा ने किया जाए। इस बात को माननीय गृह मंत्री जी ने बता दिया है कि वहां अनुसूचित जाति की आबादी अधिक है। पिछले पचास वर्षों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का विकास नहीं हुआ, वे लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन लोगों की भर्ती के लिए विशेष भर्ती अभियान भी नहीं चलाया गया है। इस तरह उन लोगों के विकास के दरवाजे बन्द कर दिए गए। मैं यह भी कहना चाहूंगा, ऐसी परिस्थिति में मध्य प्रदेश सरकार ने 16 हजार कर्मचारियों को निकाल दिया है। अनुसूचित जाति के कोटे को उन्होंने नगण्य कर दिया है। कई हजार कर्मचारी जो उन्होंने भर्ती किए थे, आर्थिक स्थिति कमजोर दर्शा कर उनको नौकरी से निकाल दिया है। वे लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और इधर-उधर भटक रहे हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जनसंख्या के आधार पर राशि का बंटवारा होना चाहिए। वहां की सरकार ने विधान सभा में बजट पेश किया है। नियम और प्रक्रिया के अनुसार तथा वर्तमान जनसंख्या के आधार पर राशि का बंटवारा होना चाहिए। बंटवारा होने की स्थिति में कहीं बजट का पैसा छत्तीसगढ को अनदेखा करके अन्य क्षेत्र में न खर्च कर दिया जाए। इस बात की ओर गृह मंत्री जी को ध्यान देना होगा। ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, उस रिपोर्ट में कौन से प्रावधान को सामने रख कर बंटवारा किया गया, यह जानने की आवश्यकता है। कुछ बातों को ध्यान में रखने के लिए मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरा यह कहना है कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ राज्य के बंटवारे पर लोक सेवा आयोग के गठन का जिक्र नहीं किया गया है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह छत्तीसगढ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। छत्तीसगढ में रेंजर प्रशिक्षण, थानेदार का प्रशिक्षण सेंटर, नटूमर के प्रशिक्षण के केन्द्र अन्य जगह हैं। इंदौर में पीएससी आफिस है, ग्वालियर में एर्जी आफिस है, कोषालय है, उसकी भी छत्तीसगढ राज्य में अलग ढंग से स्थापना की जाए। इस प्रकार से अन्य भी है- जैसे बैंकिग सेवा बोर्ड है। निगम भी दिया जाये। राज्य परिवहन की बसें खटारा पड़ी हुई हैं, ऐसा न हो कि मध्य प्रदेश खटारा बसों को दे दे और नई बसों को अपने पास रख ले, इस बात को सोचने की आवश्यकता है। इन बातों पर ध्यान दिया जाए।

महोदय, छत्तीसगढ के निवासियों के लिए उच्चतम न्यायालय का भी प्रावधान है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ की राजधानी में उच्चतम न्यायालय बनने जा रहा है। उच्चतम न्यायालय और राजधानी का नामकरण करते समय, बिलासपुर जिला एक बड़ा भाग है, मैं कहना चाहूंगा कि आबोहवा, जलवायु, पीने के पानी की व्यवस्था, पर्याप्त भूमि, आवागमन की सुविधा, देखते हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्ग को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से बिलासपुर को छत्तीसगढ राज्य की राजधानी एवं उच्च न्यायालय का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। इसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के विकास के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं इसमें कोई अन्य प्रकार की बातें या लफड़े

की बात नहीं करना चाहता। जिस तरह किसी भी प्रकार का किसी भी राज्य में सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाता है तो सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिए सभी प्रकार के निगम, बोर्ड, कोषालय या उच्चतम न्यायालय आफिस सभी उस जिले के प्रदेश में बनने चाहिए जिससे शायद लोगों में सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो।

मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसमें राज्य गठन के बाद जब छत्तीसगढ एवं राजधानी का उच्च न्यायालय का नामकरण करते समय बिलासपुर जिले को प्राथमिकता देने का कष्ट करेंगे। इन सब बातों को बोलते हुए अपने सभी माननीय सदस्यों को, प्रधानमंत्री जी, गठबंधन की सरकार को और गृह मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जयहिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ।

[अनुवाद]

श्री बाजूबन रियान (त्रिपुरा पूर्व) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम इस विधेयक का समर्थन नहीं करते।

महोदय, इस विधेयक पर मेरे और मेरी पार्टी के विचार हैं कि लोगों की समस्याओं और क्षेत्र की समस्याओं को नए राज्यों के गठन से सुलझाया नहीं जा सकता। स्वतंत्रता के पश्चात यह पहला अवसर नहीं है जब हम नए राज्यों का सृजन करने जा रहे हैं।

महोदय, मैं भारत के पूर्वोत्तर भाग से हूं। मैने देखा है कि असम को किस तरह चार भिन्न-भिन्न राज्यों में बांटा गया था। असम राज्य को तीन अन्य राज्यों नामत: अरूणाचल प्रदेश मेघालय और मणिपुर में बांटा गया था। लेकिन इस बंटवारे से लोगों की समस्याएं घटने की बजाय बढ़ी हैं। क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। यहां पर एक भी उद्योग स्थापित नहीं किया गया है। असम राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् से इन राज्यों में एक भी विकास परियोजना शुरू नहीं की गई है। हमारा यह अनुभव है कि यदि वह असम राज्य में रहते तो बेहतर होता। यह हमारा अनुभव हैं।

महोदय, पंजाब राज्य को भी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्यों में बांटा गया था।

मैं इस बात में विश्वास नहीं करता कि किसी क्षेत्र को राज्यों का पुनर्गठन करके विकसित किया जा सकता है। क्षेत्र का विकास करने के लिए किसी राज्य का पुनर्गठन राज्य का सृजन करना अथवा राज्य को बांटना जरूरी नहीं है। इससे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती। केन्द्र सरकार को उन क्षेत्रों का विकास करने के लिए उचित आर्थिक सहायता, योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ आगे आना चाहिए जिनका अभी विकास किया जाना है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बंधित लोग रहते हैं। इन क्षेत्रों की पहले ही पहचान कर ली गई है। यही तरीका है जिससे विशिष्ट क्षेत्रों को विकसित किया जा सकता है। मैं नहीं जानता सरकार इस विधेयक को क्यों लाई है। शायद कुछ राजनेताओं और पार्टियों को खुश करने अथवा उन्हे अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से लड़ाने के लिए इसे लाया गया है।

इस विधेयक से कोई भी यह अंदाजा लगा सकता है कि प्रस्तावित छत्तीसगढ राज्य को 16 जिले दिए जा रहे है। मध्य प्रदेश के कुछ लोग सिद्धि, मांडला, शहडोल और बालाघाट जैसे कुछ जिलां अथवा चुनाव क्षेत्रों की मांग कर रहे है। यदि इन चार क्षेत्रों को प्रस्तावित राज्य में शामिल कर लिया जाए तो अच्छा होगा।

नए राज्यों के सृजन के साथ हमें नई विधान सभाएं बनानी होंगी और कुछ नई राज्य परिषदों की पहचान करनी होंगी, कानून के अनुसार, संसदीय और विधान सभा चुनाव क्षेत्रों की चुनाव क्षेत्रों की पहचान परिसीमन की निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से होती है। तथापि, राज्य परिषदों के लिए कोई परिसीमन नहीं होता है। इस समय मध्य प्रदेश राज्य विधान परिषदों में 16 सदस्य शामिल है। अब प्रस्तुत प्रस्ताव में 16 में से 11 मध्य प्रदेश में रहेंगे और पांच प्रस्तावित छत्तीसगढ राज्य में चले जाएंगे। ये चुने हुए कांउसिलर्स सभी मध्य प्रदेश क्षेत्र से हो सकते हैं अथवा उनमें कुछ अन्य जगह से हो सकते हैं। यह स्पष्ट नही है। मुझे आशा है सरकार इस स्थिति को स्पष्ट करेगी।

प्रस्ताव के खंड 9 में, 40 संसदीय चुनाव क्षेत्रों में से केवल 11 चुनाव क्षेत्र छत्तीसगढ में चले जाएंगे और शेष 29 मध्य प्रदेश में रह जाएंगे। और 320 विधान सभा चुनाव क्षेत्रों में से, 230 मध्य प्रदेश में रहेंगे और 90 प्रस्तावित छत्तीसगढ में चले जाएंगे। जब नई विधानसभा और नई संसद के लिए अगले चुनावों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण ऐसा नहीं रहेगा जैसा यह अब है। प्रस्ताव में मैंने देखा है कि अगले संसदीय और विधान सभा चुनावों में चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा।

अपराह्न 4.00 बजे

मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि यह 1991 की जनगणना के अनुसार क्यों नहीं होनी चाहिए। नवीनतम उपलब्ध आंकड़े 1991 की जनगणना के अनुसार हैं। लेकिन यहां इस विधेयक में प्रस्ताव 1971 की जनगणना के अनुसार किया गया है। मैं नहीं समझता ऐसा क्यों किया गया है।

महोदय, इसी तरह, क्या अब वहां नौकरी कर रहे कर्मचारियों के आवास प्रस्तावित नए राज्य के भीतर होंगे अथवा मध्यप्रदेश में होंगे। उनकी भावी स्थिति क्या होगी। मेरे विचार में उन्हें इस सम्बंध में अपना विकल्प देने की अनुमति होनी चाहिए। कर्मचारी राज्य संवर्ग अथवा राष्ट्रीय संवर्ग से सम्बंधित हो सकते हैं। उन्हें अपना विकल्प देने की अनुमति होनी चाहिए कि उनमें से कौन कर्मचारी मध्य प्रदेश सरकार में बने रहना चाहते हैं अथवा नए राज्य की नवनिर्मित सरकार में जाना/रहना चाहते है।

[श्री बाजूबन रियान]

महोदय, मेरी राय में नए राज्य के सृजन के पश्चात् आदिवासियों की जनसंख्या वहां अधिक होगी और इसलिए इसे आदिवासी राज्य के नाम से भी पुकारा जा सकता है। लेकिन इसका विकास शेष मध्य प्रदेश से कहीं कम होगा। हालांकि प्रस्तावित छत्तीसगढ खनिज संसाधनों लौह अयस्क, और अन्य चीजों में धनी है लेकिन पूर्व सरकारों से उपेक्षित रहने के कारण यह सबसे अधिक अविकसित क्षेत्रों में से एक है। पहले यहां उस पार्टी द्वारा शासन किया जाता था जिसके प्रतिनिधि मेरी दायीं ओर बैठे हैं और कुछ समय यहां उनके द्वारा शासन किया जाता था जो मेरी बायीं और बैठे हैं। अब यहां फिर उस पार्टी द्वारा शासन किया जाता है जिसके प्रतिनिधि मेरी दायीं तरफ बैठे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ के विकास के लिए कुछ नहीं किया।

सभापति महोदय, मैंने सुना है कि बस्तर जैसे जिलों मे कुछ आदिवासी लोग अभी भी बिना कपड़े पहने रहते है। वे नगें रहते हैं। मैं नहीं जानता कि क्या यह सच है अथवा नहीं। इसलिए, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है। यदि यह सही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मुझे विश्वास नहीं है कि नंगे रहने वाले लोगों की दयनीय स्थिति में इस नए राज्य के गठन से सुधार होगा। इससे और राजनीतिक अनिश्चितता पैदा हो सकती है।

अब मध्य प्रदेश सरकार कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाई जा रही है इस नए राज्य के सृजन के पश्चात् प्रस्तावित 90 विधान सभा सदस्यों में से जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा वही नई सरकार बनाएगी। यदि यह कांग्रेस है तो वे सरकार बनाएगें अन्यथा, यह कोई और हो सकता है, जिसे बहुमत मिले। प्रारूप विधेयक में, मैंने विधान सभा सदस्यों और संसद सदस्यों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान की स्थिति देखी है। यह वैसी ही रहेगी जैसी पहले थी। इसी तरह, दो अन्य विधेयक नामत: उत्तर प्रदेश पुनर्गठन और बिहार पुनर्गठन विधेयक भी इस सभा में प्रस्तुत किए गए हैं।

महोदय, यह सरकार सोच रही है कि राज्यों के पुनर्गठन से वे क्षेत्रों के विकास की समस्या से निपटने में समर्थ होगें। वे सोचते हैं कि ऐसा करके अधिक विकास किया जा सकेगा।

मैं ऐसा नही समझता। इससे और अधिक समस्याएं पैदा होंगी। इससे और अव्यवस्था पैदा होगी। मुझे विश्वास है सरकार को इसकी जानकारी है।

पूर्वोत्तर के कुछ भागों से और नए राज्यों के सृजन की मांग की जा रही हैं यही मांग अब असम से है। वे असम और पश्चिम बगांल के सीमा क्षेत्रों में बोडोलैंड के सृजन की मांग कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि इस बोडोलैंड की रूपरेखा क्या होगी क्या यह यह भारत से बाहर होगा अथवा भारत में होगा। यदि यह भारत में होगा तो वे नया राज्य क्यों चाहिए?

वहां एक करबो आग्लॉग जिला है। करबो आग्लॉग के लोग नए राज्य की मांग कर रहे हैं। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि खासी और जैंटिया पर्वतीय जिलों को मिलाकर दो राज्यों का संविधान के अनुच्छेद 244 के अतंर्गत सृजन किया गया था। जिससे ऐसी स्थिति पैदा हुई जहां एक राज्य में दो राज्य थे। यह भारत के इतिहास में पहला ऐसा मामला था जहां राज्य के भीतर राज्य था। उन्होंने इन राज्यों को कुछ शक्तियां भी दी गई थी। लेकिन अंतत: यह देखा गया था कि एक राज्य में दूसरे राज्य के सृजन को उनकी इच्छा से इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाई और 1971 अथवा 1972 में मेघालय राज्य के रूप में इसे पुनर्गठित किया गया था। सरकार ने एक और नए राज्य-मेघालय का सृजन किया था।

स्वतंत्रता के पश्चात् जब भारत को राज्यों में बांटा गया था तो सम्भवत: यहां राज्य 25 से कम थे। ये 20 या 21 राज्य हो सकते थे। अब ये 30 से अधिक है, यदि हम इसे तीन श्रेणी में बांटे तो यह क, ख और ग श्रेणी के होंगे। अब ये 32 हो सकते हैं। हम कुछ और मुख्य मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी बना सकते हैं। लेकिन अविकसित क्षेत्र की समस्या हमेशा बनी रहेगी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारी पार्टी की राय यह है कि राज्यों के पुनर्गठन से यह समस्या हल नहीं होगी।

हम कुछ क्षेत्रों को छठी अनुसूची या कुछ विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत रख सकते हैं। हम ऐसे क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता दे सकते हैं। इसी के साथ ही साथ हम जम्मू-कश्मीर राज्य के स्वायत्तता के प्रश्न पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर और हर राज्य में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अविकसित हैं और हम उनके विकास के लिये कुछ स्वायत्तता दे सकते हैं। संविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत कुछ जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त हैं। त्रिपुरा में ऐसे क्षेत्र हैं, कर्बी अंगलांग जिला है, छठी अनुसूची के अन्तर्गत असम में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं। इसी तरह हम मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता दे सकते हैं। अत: मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि वह नये राज्य के प्रस्ताव को वापस ले।

नये राज्य में कुछ जिलों को कुछ स्वायत्तता दे कर हम इस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। हम उन्हें और सुविधायें दे सकते हैं। और सुविधायें देने तथा वहां उद्योगों के विकास में कोई रोक नहीं है। उस क्षेत्र को विकसित करने में कोई रोक नही हैं। अगर सरकार इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे, तो हम वहां की समस्याओं को हल कर सकते हैं। आशा है कि सरकार इस दिशा में काम करेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : सभापति महोदय, कुछ मिनट का समय मुझे भी देने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने कुछ ही मिनट मांगे थे क्योंकि मुझे थोड़ी शारीरिक परेशानी है और मैं अधिक समय तक नहीं बोलना चाहता हूं।

महोदय, मुझे लगता है कि यह हमारा एक ऐतिहासिक क्षण पर हैं। हम नये राज्यों के गठन की प्रसव पीड़ा के गवाह हैं। हम - मैं और मेरी पार्टी प्रस्तावित नये राज्य छत्तीसगढ़ के पूरे समर्थन में हैं।

एक मात्र तो नहीं पर एक प्रमुख कारण यह है कि नये राज्य में आदिवासी जनसंख्या बहुलता में हैं।

अलग राज्य का पूरा प्रश्न विकास के प्रश्न से जुड़ा है। जब तक अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र का विकास न हो, तब तक राज्य के लोगों के लिये चाहे राज्य अलग बने या उसे स्वायत्तता दी जाये, कोई अर्थ नहीं है। अगर इन दोनों के विकास पर ध्यान दिया जाये तभी अलग राज्य का कोई मतलब होगा।

अपराह्न 4.12 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*]

स्वायत्तता का प्रश्न एक और क्षेत्र हैं। मैं इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि स्वायत्तता के कई अर्थ हो सकते हैं। हम स्वायत्तता के मतलब और इसको शामिल विषय नहीं जानते। कुछ वर्ष पहले आजादी नारे के साथ कश्मीर में बड़ा आंदोलन हुआ था। लोगों ने कहा कि वे आजादी चाहते हैं। हम नहीं जानते कि आजादी से उनका आशय क्या था।

सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में अधिकांश या सभी राज्यों के लिये शक्तियों विशेषकर वित्तीय अधिकारों और वित्तीय संसाधनों के विकेन्द्रीकरण की सिफारिश की गई थी।

जम्मू-कश्मीर का इतिहास अधिकांश राज्यों के इतिहास से अलग है। समय नहीं होने के कारण मैं उस पर अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं। हम सभी उससे अवगत हैं। जम्मू-कश्मीर की पृष्ठभूमि अलग है। इसी कारण संविधान का अनुच्छेद 370 आस्तित्व में आया। भारत विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, भाषाओं और समस्याओं का देश है। यह कई तरह के असंतुलनों और असमान विकास का देश है।

इसी कारण सभी राज्य संसाधनों और शक्तिगों के और अधिक विकेन्द्रीकरण के लिये शोरगुल करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं खुश हूं कि यह हो रहा है। मध्य प्रदेश के साथ अधिक नहीं फिर भी कुछ मेरा परिचय है। मुझे बहुत खुशी है कि वहां अलग राज्य बन रहा है। नया राज्य किसी भी दृष्टिकोण से बहुत गरीब राज्य नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बड़े और अर्थक्षम उपक्रम मध्यप्रदेश में हैं। बस्तर जिले में लौह अयस्क की खानें हैं। यह जनजातीय जिला है और संभवत: देश में सर्वोत्तम लौह अयस्क वहां है। वहां स्थित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स देश और हमारी अर्थव्यवस्था की मूल्यवान परिसंम्पति है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी भी वहां है। इन सभी चीजों पर समुचित रूप से ध्यान देना है और इनसे निश्चित रूपेण नये राज्य की अर्थव्यवस्था की लाभप्रदता बढ़ेगी।

मैं एक प्रश्न पूछना चाहूगा जिसके बारे में प्रस्ताव रखने वाले के भाषण में कोई जिक्र नहीं था। मुझे नहीं मालूम कि इस संबंध में सरकार या माननीय मंत्री क्या सोच रहे हैं। मैं भोपाल में कुछ वर्षों पहले घटी एक भयंकर दुर्घटना का जिक्र कर रहा हूं जिससे वहां के लोग अब तक नहीं उबर पाये हैं मैं गैस रिसाव के बारे में बात कर रहा हूं उस दुर्घटना में हजारों लोग मारे गये। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक उस दुर्घटना में किसी को दोषी नहीं ठहराया गया है जबकि वहां के लोगों का विचार है कि इस घोर लापरवाही के लिये उस अमरीकी कंपनी के सी०एम०डी० को न्यायालय द्वारा सजा दिलाई जानी चाहिए। मुआवजा का प्रश्न अभी तक हल नहीं हुआ है। हर दिन हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। कई वर्षों से आंदोलन चला रहे विभिन्न संगठन इस भयानक दुर्घटना के पीड़ितों को उचित मुआवजा दिये जाने की मांग कर रहे हैं। यह भी अभी तक नहीं हुआ है। अब एक नया राज्य बनेगा। मेरा ख्याल है कि भोपाल छत्तीसगढ़ की राजधानी नहीं होगी बल्कि वर्तमान मध्यप्रदेश की होगी। वर्तमान मध्यप्रदेश में घटी दुर्घटना के पीड़ित अभी भी वहीं हैं। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने इस बारे में क्या सोचा है। क्या उन्होंने इस बारे में कुछ सोचा है। मैं जानना चाहूंगा कि हम मुआवजा और पुनर्वास के बारे में जो बोल रहे हैं उस चर्चा को जो हजारों लोग और परिवार सुन रहे हैं और हमारी चर्चा पड़ेगें, उन्हें कुछ राहत और सान्त्वना मिलेगी।

अत: मैं इस बारे में सरकार के दृष्टिकोण के बारे में जानना चाहूंगा। मुझे इस बारे में श्री श्यामाचरण शुल्क के विचार नहीं मालूम है। उन्होंने कुछ भी जिक्र नहीं किया। मुझे लगता है कि हमारे पिछले इतिहास पर यह सबसे बड़ा धब्बा है जिसके अन्तर्राष्ट्रीय दुष्परिणाम होते हैं। मुझे पक्का भरोसा है कि आप इसके बारे में जानते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना ने न केवल इस देश के लोगों बल्कि अन्य देशों के अनेक लोगों और संगठनों की आत्मा को झकझोरा है और वे भी उचित मुआवजा तथा दुर्घटना के लिए सही जिम्मेदारी निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं। इस दुर्घटना को अपराध समझा जा रहा है।

इसके अलावा हमें बहुत खुशी है कि छत्तीसगढ़ नामक नये राज्य का गठन किया जा रहा है। इस विधेयक को लाने हेतु मैं सरकार को बधाई देता हूं। मुझे आशा है कि हम सब मिलकर काम करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि नया राज्य समृद्ध हो और भारत के मानचित्र में एक उपयोगी और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करे।

[हिन्दी]

श्री पी०आर० खूंटे (सारंगढ़) : माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, देश के गृह मंत्री माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी, भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन दल की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा कि आजादी के पहले और आजादी के बाद छत्तीसगढ़ एक ऐसा अंचल रहा है जो शोषण का केन्द्र बना रहा है। इसे राजनैतिक शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे देश के गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने छत्तीसगढ़ की जनता के दुख-दर्द को दूर करने के लिए उस क्षेत्र के विकास को, जो वर्षों से धीमी पड़ गयी थी, इसे गति देने के लिए और इस देश में खासकर छत्तीसगढ़ प्रदेश को

[श्री पी०आर० खूंटे]

एक समृद्धिशाली प्रदेश बनाने की दिशा में अलग से राज्य बनाने का निर्णय लिया है देश को आजादी मिले लगभग 53 साल हो गए हैं। इस लम्बी अवधि में अगर कुछ सालों को छोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश से लेकर केन्द्र में कांग्रेस पार्टी का ही एकछत्र राज्य रहा है। यदि ये ईमानदारी से काम करते तो, जहां तक मैं समझता हूं, आज छत्तीसगढ़ राज्य, वनांचल या उत्तरांचल, बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। खासकर छत्तीसगढ़ अंचल जो अनुसूचित जाति, जनजाति और विकास की दृष्टि से देश में सबसे अधिक पिछड़े हुए अंचल के रूप में जाना-पहचाना जाता है, छत्तीसगढ़ में प्रकृति ने भरपूर भंडार दिया है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। वहां उपजाऊ मिट्टी है, मेहनतकश लोग हैं जो मेहनत से कभी जी नहीं चुराते। वन सम्पदा का छत्तीसगढ़ में भंडार है, खनिज सम्पदा का भी भंडार है।

वहां जल स्त्रोतों का भी भंडार है। छत्तीसगढ़ की धरती में लोहा, कोयला, सीमेंट से लेकर हीरे और सोने का भी भंडार है। उसके बाद भी आज छत्तीसगढ़ की जनता, खासकर वहां के जो मेहनतकश लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो वर्षों से वहां हैं। आजादी के पहले तो उनका शोषण होता रहा, आजादी के बाद जो सत्ता में उनके शोषण का वे केन्द्र रहे। वे भीख का कटोरा लेकर हिन्दुस्तान कोने-कोने में भटकते हैं। छत्तीसगढ़ की गरीब जनता मजदूरी कमाने के लिए अन्यत्र जाती है। यह उनकी एक नियति सी बन गई है कि केले के छिलके खाने के लिए उनके बच्चे मजबूर होते है। इस दर्द, इस पीड़ा को हमारे जन-जन के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे देश के गृह मंत्री माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी माननीय श्री लखी राम जी अग्रवाल, हमारे आदिवासी नेता श्री नन्द कुमार साय, हमारे रमेश बैस जी, हमारे छत्तीसगढ़ अंचल के डा० रमन जी, इसके अलावा अनेक छेटे बड़े पार्टी के नेताओं के ध्यान में यह बात आई तो उन्होने इस दर्द को, इस पीड़ा को करीब से समझा, खास कर अपने पौने तीन साल के भाजपा शासन में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री सुन्दर लाल पटवा ने इस बात को भी गम्भीरता से लिया, तब हमारे केन्द्रीय नेतृत्व के ध्यान को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने और खासकर छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आकर्षित किया, तब कहीं जाकर हमारे केन्द्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का निर्णय लिया। इस तरह से काफी समय तक इसके लिए एक आन्दोलन भी चलता रहा।

मुझे कभी-कभी आश्चर्य होता है कि जो लोग कल तक छत्तीसगढ़ के घोर शोषक थे, छत्तीसगढ़ को अपनी राजनैतिक चारागाह बनाकर चरते रहे, वहां वे अपने स्वार्थ की राजनीति करते रहे और कई पीढ़ियों के लिए धन जुटाते रहे। वे छत्तीसगढ़ के विकास को गति देने के बजाय वहां की जनता को पीछे धकेलते रहे। आज ऐसे लोग भी छत्तीसगढ़ के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। वह इसलिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए केन्द्र की अटल गठबंधन सरकार ने निर्णय ले लिया। अब उनके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रह गया, उनकी एक मजबूरी है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए समर्थन देना अब उनकी एक मजबूरी है। कल तक कांग्रेस पार्टी के लोग जो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आन्दोलन करने वाले लोग होते थे, उस आन्दोलन को दबाने का हर सम्भव कोशिश करते थे और उसे दबाने का प्रयास भी होता रहा है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए कमर कसी और छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का निर्णय लिया और इसे राष्ट्रीय एजेण्डा में भी शामिल किया, तब उन नेताओं को लगा कि अब तो भाजपा की गठबंधन सरकार छत्तीसगढ़ राज्य निश्चित रूप से बनाने जा रही है और राज्य निश्चित रूप से बनकर रहेगा तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के लोग विरोध करेंगे तो छत्तीसगढ़ के शहर से लेकर किसी गांव में घुसने नहीं देंगे। इसी डर से कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के निर्णय का समर्थन किया है। खैर, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, देर आयद, दुरूस्त आयद। मैं उनको इसलिए धन्यवाद देता हूं कि आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सोच के साथ उनकी सोच बदल सकी है। मैंने इसलिए यह कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक ऐतिहासिक और खुशी का दिन है। आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता लोक सभा की कार्यवाही को न जाने वे किस रूप में देख रही होगी। न जाने किस तरह वहां के लोग आज खुशियां मनाते होंगे। मैं तो इस सदन से सभी दल को नेताओं से, सभी सम्मानीय सांसदों से आग्रह करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की जनता को सही मायने में अगर उस अंचल को राजनैतिक शोषण से मुक्ति दिलानी है और उस अंचल को एक समृद्धिशाली, शक्तिशाली प्रदश के रूप में आत्मनिर्भर बनाना है, भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करने का विधेयक इस लोक सभा में पेश किया है, उसका सर्वानुमति से समर्थन करके एक सुदृढ़ प्रदेश बनाने के लिए आर्शीवाद प्रदान करें, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है।

छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार की कमी नहीं है। वह राज्य सभी संसाधनों से भरा हुआ है, लेकिन उनका दोहन नहीं हुआ है और ठीक ढंग से उपयोग नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में कुल राजस्व का 68 प्रतिशत हिस्सा छत्तीसगढ़ से आता है, जबकि उस क्षेत्र के विकास के लिए उस राजस्व में से केवल 12 प्रतिशत खर्च होता है। बाकी का पैसा अन्यत्र विकास में चला जाता है। इस कारण उस क्षेत्र का पूरा विकास नहीं हो पाया है।

छत्तीसगढ़ पर बोलने के लिए और भी मुद्दे हैं, लेकिन समयाभाव के कारण मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को लेकर यह विधेयक सदन में आया है और इसमें सार्वजनिक तौर पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। वहां की जनता में भी विरोध की भाषा नहीं उठ रही है। इसलिए किसी विवादित मुद्दे को नहीं जोड़ा गया है। जो कमी रह गई है इस विधेयक में, उसमें कुछ संशोधन लाकर ऐसा वातावरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें जिससे वहां की जनता को लाभ हो सके और देश के हित में भी लाभ हो।

छत्तीसगढ़ राज्य बनाया जा रहा है, इसका अच्छा दूरगामी परिणाम होगा और वह अच्छा निकलेगा। कुछ बंधुओ ने छोटे राज्यों का विरोध किया है, लेकिन जहां-जहां भी छोटे राज्य बने हैं, उसका लाभ वहां के लोगों को मिला है उदाहरण के लिए पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को ही ले लें। जब से इन तीनों प्रदेशों का बटंवारा हुआ, आर्थिक दृष्टि से और विकास की दृष्टि से यहां की जनता आत्मनिर्भर हुई है। इनको देश में अग्रणी राज्यों के रूप में जाना जाता है।

मेरा निवेदन है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने जा रहा है, लेकिन जिन परिस्थितियों में बनने जा रहा है, क्योंकि उस प्रदेश में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी मुख्य मंत्री हैं, उनके साढ़े छः साल के कार्यकाल में जो आर्थिक दशा पर बुरा प्रभाव पड़ा है, उसका असर छत्तीसगढ़ पर न पड़े। मेरा निवेदन है कि इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पहले कुछ आवश्यक संशोधन भी स्वीकार करें। एक-दो बिंदु हैं जो विधेयक में आए हैं, उन पर मै अपने विचार रखना चाहूंगा। खंड 34 में प्रावधान का रूप स्पष्ट होना चाहिए कि कौन से वित्त आयोग के द्वारा राज्य के लिए कल रकम का अंश निर्धारण होगा, क्योंकि 11वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है। यह आर्थिक समस्या आज नहीं तो कल जनता के सामने आएगी। इसी तरह से खंड 37 में उल्लिखित विषयों को तय करने के लिए प्रस्तावित राज्यों की तरह केन्द्र द्वारा शीघ्र ही आयोग का गठन कर देना सामयिक और न्यायोचित भी होगा। खंड 39 के प्रावधान के अनुसार जनसंख्या के आधार पर खजानों एवम् बैंकों में अतिशेषों का विभाजन होगा, जनसंख्या का आधार किस सन का होगा, यह भी निर्णय करना उचित होगा। कर्जों के बारे में भी मापदंड निर्धारित करना होगा। बेहतर होगा कि वर्तमान जनगणना के आधार माना जाए। खंड 44 में लोक ऋणों के लिए नए राज्यों पर बोझ न डाला जाए क्योंकि वे सभी ऋण पूरे राज्य के लिए व्यय किए गए हैं। मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर 32000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया है। यह पैसा निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए खर्च किया गया है, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं मिला है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस अनावश्यक खर्च का भार छत्तीसगढ राज्य बनने के बाद वहां की जनता पर न लादा जाए। इस पर एक प्रकार से गम्भीरता से विचार किया जाए।

खंड 68 के अनुसार तत्काल छत्तीसगढ़ राज्य सेवा गठित हो जाये, साथ ही अखिल भारतीय सिविल सेवा में भी छत्तीसगढ़ कैडर का निर्माण कर दिया जाये। सन् 1973 में छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग गठित करने का भी प्रावधान रखा जाये। यद्यपि इस विधेयक में लोक सभा आयोग को एक ही रखने का उल्लेख है, इसका एक कार्यालय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में किसी भी स्थान पर शुरू किया जाना चाहिए। विद्युत मंडल एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रम है, उसको पृथक रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित करने का भी प्रावधान जोड़ा जाये। रेलवे भर्ती बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर में खोला जाये। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही अल्प समय के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेलवे जोन, रायगढ़ में रेलवे टर्मिनल, रायपुर में रेल मंडल के गठन की स्वीकृति दी है। इसी प्रकार यह जो राजधानी का सवाल उठ रहा है, मेरा आग्रह है और हालांकि यह केन्द्र और राज्य सरकार का मसला हो सकता है, फिर भी केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी का दर्जा रायपुर को ही दिया जाये और खासकर बिलासपुर जो संभाग है, वहां के लिए हाई-कोर्ट का प्रावधान जो इस विधेयक में केन्द्र सरकार लेकर आई है, वह हाई-कोर्ट बिलासपुर में स्थापित किया जाये। यह भारत सरकार से मेरी पुरजोर मांग है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, जनजाति के संख्या के बल को देखते हुए वर्तमान में जो लोक सभा, राज्य सभा और विधान सभा में जो पद आरक्षित हैं, उसमें जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि की जाये जिससे वहां के लोगों को समुचित लोक सभा, राज्य सभा और विधान सभा में प्रतिनिधित्व मिल सके। इसी प्रकार इस छत्तीसगढ़ांचल में मेरे कुछ अन्य जिले के लोग भी छत्तीसगढ़ में शामिल होना चाहते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि खासकर शहडोल, सीधी मंडलावालाघाट, ढिढोरी, उमरिया को भी छत्तीसगढ़ में शामिल कर दिया जाये। इससे पूरे छत्तीसगढ़ में लोक सभा के 16 और जो वर्तमान विधान सभा के 90 है, उसमें करीब 120 विधान सभा का गठन होगा और अभी जो लोक सभा 11 है, वह 16 लोक सभा के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाएंगे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस नये राज्य का दर्जा छत्तीसगढ़ की जनता को दिया है जिसे अभी आज की तारीख में सदन से निवेदन करूंगा कि सर्वानुमति से इस विधेयक को पारित करके एक तश्तरी में छत्तीसगढ़ की जनता को छत्तीसगढ़ राज्य को भेंट करेंगे, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, जयहिन्द, जयभारत।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र) : महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार में बैठे हुए लोगों का कार्य ही बंटवारा करना, विभाजन करना रह गया है। मुझे अफसोस है विभाजन बंटवारे के दर्द का एहसास जितना माननीय गृह मंत्री जी आडवाणी जी को है, शायद बंटवारे विभाजन के दर्द का एहसास इस सदन में उतना बहुत कम लोगों को होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने निहित स्वार्थो की पूर्ति के लिए इंसान इंसान के बीच में बंटवारा किया। हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई के बीच में बंटवारा करने का कार्य किया और आज अपने राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न हिस्सों का बंटवारा करने का कार्य भी कर रही है। माननीय गृह मंत्री जी ने जब यह बिल इंट्रोडयूस किया तो उस वक्त उन्होंने तर्क दिये कि इन राज्यों के बंटवारे से छोटे राज्यों के गठन से उन क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास होगा। मैं माननीय गृह मंत्रीजी के इस तर्क से सहमत नहीं हूं। यदि इस देश के ही छोटे राज्यों की तरफ आप दृष्टि उठाकर देखें- नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय तो इस बात के ज्वंलत प्रमाण हैं कि मात्र छोटे राज्य के गठन से ही उन राज्यों का विकास आज तक संभव नहीं हो पाया है।

आज छत्तीसगढ़ उतरांचल और झारखंड राज्यों का गठन मात्र इसलिए करने जा रहे है। क्योंकि विगत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को उक्त क्षेत्र में आशातीत सफलता

[कुंवर अखिलेश सिंह]

मिली है। उसी सफलता को दृष्टि में रखते हुए, सरकार छत्तीसगढ़ झारखन्ड और उत्तरांचल के गठन के विधेयक को सदन में ले आई है। माननीय गृह मंत्री जी ने इन बिलों को इन्ट्रोडयुस करते समय कहा था कि हम राज्य की विधान सभाओं की भावनाओं का आदर करते हुए, इन राज्यों का गठन करने जा रहे हैं। हम मंत्री जी से जानना चाहेंगे, जम्मू-कश्मीर की विधान सभा ने भी दो-तिहाई बहुमत से स्वायत्तता का प्रस्ताव पारित किया है, क्या सरकार स्वायत्त का प्रस्ताव स्वीकार करेगी ? *(व्यवधान)* माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, यह मेरा विचार है, किसी भी कीमत पर स्वायत्तता का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और आप जो राज्यों के गठन का कार्य कर रहे हैं, यह देश के विभाजन का कार्य कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप आसन की तरफ मुखातिब होकर अपना भाषण करें।

कुंवर अखिलेश सिंह : महोदय, अगर ये बीच में हस्तक्षेप नहीं करते, तो मैं आपकी ही तरफ मुखातिब होकर अपनी बात कह रहा था।

इस प्रस्ताव के पक्ष में आदरणीय श्यामा चरण शुक्ल जी ने अपनी बात रखीं और तत्काल छत्तीसगढ़ क्षेत्र से हमारे एक माननीय सदस्य ने जिस तरह की बातें उनके परिवार के प्रति कहीं, वे निश्चित तौर पर निन्दनीय है। मैं कहना चाहता हूं, श्री श्यामा चरण शुक्ल जी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाने के लिए दो हजार करोड़ रुपए और वहां के सर्वांगीण विकास के लिए आठ हजार करोड़ रुपए की मांग की है। यानि दस हजार करोड़ रुपए की मांग की है और अभी हमारे माननीय सदस्य ने 32 हजार करोड़ रुपए की मांग की है। आज की वित्तीय स्थिति में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में नहीं है। होना तो यह चाहिए था कि देश का पैसा उत्पादक मदों पर खर्च हो, लेकिन नियोजन उत्पादकता की तरफ न हो कर अनुत्पादक मदों में नियोजित करने का काम सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने में दस हजार करोड़ रुपए की मांग माननीय श्यामा चरण शुक्ल जी कर चुके हैं।, लेकिन इन दस हजार करोड़ रुपए से न तो छत्तीसगढ़ के लोगों की बेकारी दूर होने वाली है, न भुखमरी दूर होने वाली है, न उनकी शिक्षा की समस्या का समाधान होने वाला है। राज्यों के पुनर्गठन के नाम पर आप देश के छोटे-छोटे टुकड़े बनाकर नए विवाद पैदा कर रहे हैं। आज देश की राजधानी में इसी मध्य प्रदेश के 20 हज़ार से भी ज्यादा आदिवासी लोग धरना दे रहे हैं, आन्दोलनरत हैं, और मांग कर रहे हैं कि गोंडवाना राज्य बनना चाहिए। अभी बीजेडी दल के नेता और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने धमकी दी है, अगर उड़ीया भाषी क्षेत्रों को हमें नहीं सौंपा, तो सरकार से समर्थन वापस लेने का काम करेंगे। अभी छत्तीसगढ़ भाषा की मांग इसी सदन के अन्दर हुई है, फिर भोजपुरी भाषा की मांग उठेगी, फिर अवधी भाषा की मांग उठेगी, इससे हमारी राष्ट्र भाषा के समक्ष एक नया खतरा पैदा हो जाएगा। मैं कहना चाहता हू कि आप अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। यह देश को तोड़ने की साजिश है। यह देश बहुत बड़ा देश है, कल अगर देश में मांग उठेगी कि देश के विकास के लिए देश को कई हिस्सों में बांट दिया जाए, तो आप देश के बंटवारे को कबूल करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि इस खिलवाड़ को आप बन्द करें। आज भाषा के सवाल पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जो लोग देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं, यह साजिश बन्द होनी चाहिए, तभी इस देश का भला होगा।

इस देश का बंटवारा 14 अगस्त, 1947 को हुआ और मैं समझता हूं कि बंटवारे की त्रासदी को आज तक भारत और पाकिस्तान झेलने का काम कर रहे हैं और दोनों देश भुगत रहे हैं। साथ ही दुनिया के साम्राज्यवादी देश दोनों देशों को कठपुतली के तौर पर प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ में जिन जिलों को लेकर आप नया राज्य बनाने जा रहे हैं, उन जिलों के लिए यदि आप दस हजार करोड़ रुपए बराबर-बराबर बांट दें, तो देश के सारे हिस्सों से ज्यादा उन क्षेत्रों का विकास हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आप कदम नहीं उठायेंगे।

कल जब उन कर्मचारियों को तनख्वाह देने की समस्या आएगी तो उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे। आज ये कहते हैं कि राज्य विधान सभाओं के प्रस्ताव का आदर करते हुए हम बंटवारा कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तराखंड बनाने जा रहे हैं, उसमें ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार के लिए भिन्न-भिन्न प्रस्ताव है। आप क्यों हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल करने की बात कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

महोदय, जब मुलायम सिंह यादव जी के समय उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने वह प्रस्ताव पारित किया था तब देश की वित्तीय स्थिति दूसरी थी, राजनैतिक परिस्थितियां दूसरी थीं लेकिन आज परिस्थितियां दूसरी हैं। *(व्यवधान)* क्या हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने का उत्तर प्रदेश विधान सभा ने प्रस्ताव पारित किया है। अगर हरिद्वार को उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने उत्तराखंड में सम्मिलित करने का प्रस्ताव पारित किया हो तो गृह मंत्री जी उसे सदन के पटल पर प्रस्तुत करें।

आज बिहार में एक करोड़ 29 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की बात आ रही है। आज नये-नये विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन राज्यों के पुनर्गठन का कहीं कोई अंत नहीं है। आज आप तीन राज्यों को देश में बांट रहे हैं, कल दस राज्यों के विभाजन की मांग उठेगी और परसों 20 राज्यों की उठेगी। आप जिन राज्यों का गठन कर रहे हो, वहीं के लोग आपकी मांगों से सहमत नहीं हैं, इसका ज्वलंत प्रमाण है। आज गोड़वाना क्षेत्र के 20 हजार से ऊपर आदिवासी इसी देश की राजधानी में धरना देकर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि हमें किसी भी कीमत पर छत्तीसगढ राज्य मंजुर नहीं है। आपको कम से कम जनभावनाओं का तो आदर करना चाहिए।

महोदय, मैं अपनी इन बातों के साथ छत्तीसगढ राज्य का विरोध करता हूं और मेरी सदन के माध्यम से मांग है कि इस राज्य पुनर्गठन विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए।

डा० चरणदास महंत (जांजगीर) : महादेय, मैं गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत पुनर्गठन विधेयक का समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। आज का दिन मेरे लिए परम सौभाग्य का दिन है कि भगवान महावीर, महात्मा गौतम, महात्मा कबीर, बापूगांधी और बाबा घासीदास जी के सपनों के अनुरूप और उन्हीं के अहिंसा और शांति के रास्ते पर चल कर छत्तीसगढ़ की दो करोड़ जनता को आज उनका राज्य मिल रहा है।

महोदय, मैं उन सभी पुण्यात्माओं को स्मरण करना चाहूंगा, जिन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया। उन्हें मैं सबसे पहले नमन करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ का इतिहास क्रांतिकारियों का इतिहास रहा है। अठारवीं, उन्नीसवीं एवं बीसवीं सदी में जो विद्रोह हुआ, उसने छत्तीसगढ़ के निवासियों के मन में अस्मिता और उनकी निजता की पहचान कराई। इसलिए छत्तीसगढ़ की मांग आज की नहीं है, 1924 में सबसे पहले त्रिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में उठा गई थी। छत्तीसगढ़ की मांग 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के दौरान उठाई गई थी और इस मांगलिक कार्य को मूर्त रूप देने में सदन में बैठे सांसद सदस्यों के अलावा हमारे उन सभी पूर्वजों, जिनमें मुख्यत: माधवराव जी सप्रे, वीर नारायण सिंह, पं० सुदरलाल शर्मा, पं० रविशंकर शुक्ला, ठा० रामकृष्ण सिंह, ठा० प्यारेलाल सिंह, डा० खूबचंद बघेल, बृजलाल वर्मा, विश्वनाथ तामस्कर, छेदीलाल बैरिस्टर, राघवेन्द्र राव, चंदूलाल चन्द्राकर, बिसाहूदास महंत, केयूर भूषण, लोचन प्रसाद पांडेय, पुरूषोत्तम कौशिक, पवन दीवान, विद्याचरण शुक्ला और दिग्विजय सिंह जी के साथ जिन सांसदों और विधायकों और साथ ही साथ जिन छत्तीसगढ़ महासभा, भ्रातृसंघ, संघर्ष मोर्चा, छत्तीसगढ़ पार्टी, छत्तीसगढ़ मंच, गोडवाना पार्टी विकास मंच, पिछड़ा वर्ग समाज पार्टी छत्तीसगढ़ फौज, छत्तीसगढ़ धरना देने वाले सभी सदस्यों ने अहिंसक एवं शांतिपूर्ण आंदोलन करके यह अवसर दिया है, आज मैं सबसे पहले उन सबको नमन करता हूं।

सभापति जी, माननीय बालेश्वर जी के लिए भी मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आज सावन मास की सोमवती अमावस्या है और यह सावन का महना श्रवण के नाम से, मातृ-पितृ भक्ति के नाम से जाना जाता है। मैं आज बाबा भोले नाथ जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज छत्तीसगढ़ के नवयुवकों को भी वे आशीर्वाद दें कि वे भी अपनी छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा श्रवण कुमार की भांति कर सकें।

आज का दिन वहां हरेली के नाम से जाना जाता है और हरेली का त्यौहार वहां मनाया जाता है। आज के दिन छत्तीसगढ़ के किसान अपनी बौनी समाप्त करके कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं और उल्लास मनाते हैं। आज इस गौरवशाली सदन में छत्तीसगढ़ का बीज रोपित हुआ है, इसलिए मैं कृषि यंत्रों की बजाए उन सभी महामनाओं की, जिन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया, पूजा करना चाहता हूं और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब छत्तीसगढ़ की माटी से समृद्धि के नये पुष्प खिलेंगे।

इस विधेयक की पुरस्थापना के समय और अब भी छोटे-छोटे राज्यों की खिलाफत की जा रही है। मैं उन सभी साथियों का ध्यान "त्रिपिटक गणतंत्र" के इस श्लोक की ओर आकृष्ट करना चाहूगा।

"लघुरपि गणतंत्र· समृद्धि प्राप्य शोभते। दुग्धधारिणी सवत्सा, या संपूज्यते सदा।"

जिस तरह से दूध देने वाली गाय अपने बछड़े सहित सर्वत्र पूजी जाती है उसी तरह से अगर गणतंत्र छोटा और समृद्धशाली हो तो वह भी पूजनीय है। छत्तीसगढ़ जो बनेगा वह समृद्धशाली बनेगा। हमारे पास उनकी समृद्धि के सभी मूलभूत अधिकार और साधन हैं। उसको हम नये, समृद्धशाली राज्य के रूप में इस देश के नक्शे में स्थापित करना चाहते हैं। भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ का विस्तार केरल से 6 गुना और हिमाचल प्रदेश से पांच गुना बड़ा है। सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ 1,35,194 वर्ग कि०मी० में फैला है और इसका भू-भाग मध्य प्रदेश का 30:52 प्रतिशत एवं देश का 4:14 प्रतिशत स्थान रखता है। इसका भू-भाग पंजाब, असम और वर्तमान हरियाणा से भी बड़ा है।

तीन प्राकृतिक खंडों सतपुड़ा की उच्चसम भूमि भाग, महानदी एवं सहायक नदियों का मध्य भाग एवं बस्तर का पठार, इनमें फैला हुआ है। छतीसगढ़ की जनसंख्या 1991 की जनगणना में 1,76,14,928 है। इसका घनत्व 127 व्यक्ति प्रति कि०मी० है। कृषि के क्षेत्र में हम 60 प्रतिशत से अधिक भूमि में कृषि करते हैं और 88 प्रतिशत छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कृषि से अपना जीवनयापन करती है जो मध्य प्रदेश का 33 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश की तुलना में हमारा उत्पादन 79.25 प्रतिशत और अनाज के उत्पादन में 29.93 प्रतिशत है जबकि लघु-सिंचित भूमि 19.5 प्रतिशत है हमने यदि अपनी नदियों का सही उपयोग किया, अपनी सिंचित भूमि को बढ़ाया, तो वह दिन दूर नहीं जब हम एक समृद्ध राज्य आपको दे पायेंगे।

सुप्रसिद्ध डॉ० वंदना सीमा ने छत्तीसगढ़ को केवल धान का कटौरा नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने कहा है कि धान की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ है और उन्होंने बड़े विश्वास से कहा है कि छत्तीसगढ़ की उन्नत किस्म की धान की प्रजातियां की चोरी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा की जा रही है।

विश्व प्रसिद्ध डा० रिछारिया के अनुसार विश्व में मात्र 12500 धान की प्रजातियां पाई जाती हैं। मुझे यह कहने में हर्ष है कि उनमें से 10,000 धान की प्रजातियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। वहां सोयाबीन, दलहन, तिलहन भी प्रचुर मात्रा में पैदा होता है। हम एक समृद्ध राज्य बनाने की कल्पना कर रहे हैं। वन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 43.85 प्रतिशत भाग है। छत्तीसगढ़ अच्छे वनों से आच्छादित है। वहां प्रमुख रूप से कीमती लकड़ी जैसे सागौन, साजा, सरई, बीजा पाई जाती है। इससे वहां के वन भरे रहते है। वहां का तेंदु पत्ता गुणवत्ता में सर्वश्रेष्ठ है। वहां बांस के प्रसिद्ध वन हैं। वहां जड़ी बुटियों का

[डा० चरणदास महंत]

अथाह भंडार है। आपको याद होगा कि जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था तो गंधमार्दन पर्वत से जड़ी बूटी लाई गई थी। ऐसा मानना है कि वह पर्वत भी छत्तीसगढ़ इलाके में है। आज वह अपार सम्पदा औषधि के रूप में वहां विद्यमान है जिन का दोहन होना बाकी है। यदि वन उपज की बात करें तो वहां गोंद, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, चिरौंजी, महुआ पुल, साल, सीड़ की प्रचुरता है। मध्य प्रदेश में बिजली का 35.66 प्रतिशत हिस्सा उत्पादित होता है जबकि खपत मात्र 23.86 प्रतिशत है। वहां कोरबा थर्मल पावर प्रोजैक्ट 1240 मेगावाट, हरदेव बांध हाइडल पावर प्रोजैक्ट 120 मेगावाट उत्पादन करने की क्षमता रखता है। हम भविष्य में 2641 मेगावाट और उत्पादन करने का प्रयास करने जा रहे हैं। हमारे यहां की नदियों में महानदी, हसदेव, जोंक, खारून, शिवनाथ, अरपा, पैरी का भविष्य में ठीक से दोहन किया गया तो आने वाले समय में हमारे यहां हाइडल पावर प्रोजैक्ट के माध्यम से बिजली का उत्पादन होगा और वह एक समृद्धिशाली प्रदेश को जन्म देगा।

छत्तीसगढ़ में खनिज की मात्रा के बारे में बहुत से साथियों ने कहा है कि हम हजारों करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश को प्रदान करते हैं। श्यामाचरण शुक्ल जी अपनी बात कहते समय शायद यह कहना भूल गए कि हीरे की खदान हमारे छत्तीसगढ़ में है। वह रायपुर और देवभोग में है। मध्य प्रदेश का 100 प्रतिशत हीरा छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश का 100 प्रतिशत टिन अयस्क, क्वार्ट जाइट, अलेक्जेन्ड्राइट्स छत्तीसगढ़ में है। वहां 59 परसैंट लौह अयस्क, डोलोमाइट 99.85 परसैंट, कोयला 46.11 परसैंट है। इस प्रकार लगभग 27 मूल्यवान खनिज हमारे छत्तीसगढ़ के भंडार में भरे पड़े हैं। पुरातन संस्कृति और प्रकृति की निकटता ही छत्तीसगढ़ की पूंजी है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ छोटा राज्य ही सही, मगर समृद्धशाली राज्य बनेगा।

कुछ साथियों ने इस बिल के इंट्रोडक्शन के समय और आज के दिन भी इस बात को कहा कि पिछले राज्य पुनर्गठन आयोग के समय जब प्रान्तों का बंटवारा हुआ था तो किसी भाषा को लेकर हुआ था। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग के विचार में भाषा का जो महत्व था। उसके पीछे दूसरा कारण था। सब यह चाहते थे कि हम अंग्रेजी के आधिपत्य को धीरे-धीरे समाप्त करें। इसलिए हम भाषा के आधार पर राज्य बना रहे थे। हमारी छत्तीसगढ़ भाषा पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाती है। यह 200 से 300 वर्ष पुरानी भाषा है। इसे मान्यता देना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के संत कबीर गोरखनाथ जी, धर्मदास और घासीदास जी ने इस भाषा का उपयोग अपनी कविताओं में किया है।

मैं संस्कृति और सभ्यता की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मनुष्य सभ्यता का जन्म स्थान छत्तीसगढ़ माना जाता है। यहां के पहाड़ों में जो चित्रकारियां मिली हैं, वह 50 हजार वर्ष पुरानी हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

ब्राह्मी लिपि इसी धरती पर हुई। मैं ज्यादा बात तो नहीं कहना चाहता लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूं कि दक्षिण कौशल फिर से कौशल के नाम से जाना जाने वाला यह छत्तीसगढ़ कौशल्या रानी का जन्म स्थान माना जाता है जहां हमारे राजा राम कौशल्या के गर्भ से पैदा हुये। उस रामचन्द्रजी की हम और आप सब पूजा करते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग श्री राम चन्द्र जी को अपने भांजे के रूप में मानते हैं। इसलिये छत्तीसगढ़ में भांजा रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है।

श्रीमती जयश्री बनर्जी (जबलपुर) : आपने कम से कम राम को तो याद किया।

डा० चरणदास महन्त : राम को तो सभी याद करते हैं सिर्फ आपने तो ठेका नहीं लिया है।

माननीय सभापति महोदय, 1741 से 1818 तक हम लोग भौंसलों के अधीन रहे और 1818 से आजादी तक हम लोग अंग्रेजों के अधीनस्थ रहे। बाद में सी०पी० एंड बरार के अधीन थे। फिर हमारी छटपटाहट जागृत हुई। आप एक शब्द सुनने का प्रयास करें।

यह सारा जिस्म झुककर बोझ से दुहरा हुआ है,
हम सजदे में नहीं हैं, आपको धोखा हुआ है।

आज छत्तीसगढ़ राज्य के अभ्युदय का समय आ गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक के लिये हमारे अनेक साथियों ने बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया है, उसके लिये मैं इनका बहुत आभार मानता हूं। आजादी के बाद छत्तीसगढ़ क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास हुआ है। बापू जी के ग्राम स्वराज्य के सपने को आदरणीय नेहरू जी ने हमारी पंचवर्षीय योजना के माध्यम से कार्यान्वित किया और स्व० इन्दिरा जी ने गरीब क्षेत्रों की उन्नति के लिये उसे सर्वोच्च स्थान दिया। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं कि स्व० राजीव जी ने इस बात को स्वीकार किया था कि दूरस्थ अंचलों में मात्र 10-15 प्रतिशत राशि ही पहुंच पाती है। हमारी नेता सोनिया जी ने इस दुख और पीड़ा को समझा है और इसमें सहयोग दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने इन आत्माओं की कल्पनाओं के सपनों को साकार होने का अवसर दिया।

सभापति महोदय : आप संत कबीर की परम्पराओं को अच्छी तरह जानते हैं। अब आप समाप्त कीजिये।

डा० चरणदास महन्त : सभापति महोदय, मैं पहली बार बोल रहा हूं, इसलिये दो मिनट का समय और दीजिये।

सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण होने जा रहा है। श्री जयशंकर प्रसाद ने कहा है:

जो कर्मयज्ञ से जीवन के सपनों का स्वर्ग मिलेगा,
इसी विपिन में मानस की आशा का कुसुम खिलेगा।

हमारे कुछ साथियों ने सीधी, शहडोल, मंडला और बालाघाट जिलों को इसमें शामिल करने की बात कही है लेकिन मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। ऐतिहासिक दृष्टि से न तो इनका मेल-मिलाप रहा है और न ही इस क्षेत्र के लोग छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम का प्रदर्शन कर सके हैं। इसलिये इन जिलों को छत्तीसगढ़ में न मिलाया जाये। मैं आपसे यह भी बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ का निर्माण न किसी धर्म के लिये, न किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिये है न कुर्सी के लिये है और न किसी राजनैतिक दल के लिये हो रहा है। इस छत्तीसगढ़ का निर्माण उस आदमी के लिये हो रहा है जो जमीन जोतता है, यह छत्तीसगढ़ उस आदमी के लिये हो रहा है, जो फसल उगाता है, उस आदमी के लिये हो रहा है जो फसल काटता है फिर भी अपने परिवार के लालन-पालन से वंचित रह जाता है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक आदमी के श्रम को सम्मान देने के लिये, उसके आर्थिक उत्थान के लिये, उसकी समृद्धि के लिये यह पवित्र सदन समर्पित करे।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये आभार मानता हूं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि छत्तीसगढ़ की माटी इतनी उर्वरा है कि आने वाले पांच वर्षों में हम भारत में समृद्धिशाली राज्य के रूप में आपके सामने उभरेंगें जो सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर होगा। जयहिंद जय छत्तीसगढ़।

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : माननीय सभापति जी, आज माननीय गृह मंत्री जी ने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने से संबंधित विधेयक सदन में विचार के लिए प्रस्तुत किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी को फिर से यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी पार्टी छोटे राज्यों के खिलाफ नहीं है, बल्कि छोटे राज्यों के पक्ष में है छत्तीसगढ़ राज्य बनाने से संबंधित जो विधेयक सदन में पास होने जा रहा है, इस विधेयक का मैं अपनी पार्टी की ओर से पुरजोर समर्थन करती हूं और साथ ही यह भी बताना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश में जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, वे काफी समय से उपेक्षित रहे हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद मध्यप्रदेश में लम्बे अरसे तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। कुछ समय के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही और आज वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है। लेकिन किसी भी पार्टी के शासनकाल में छत्तीसगढ़ के लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। मैंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र का दौरा किया है। मुझे उस क्षेत्र के बारे में अहसास है कि उस क्षेत्र में खनिजों का भंडार है, भूमि उपजाऊ है और हर प्रकार की फसल वहां पैदा होती है। इसके बावजूद भी उस क्षेत्र की जनता काफी पिछड़ी हुई है, इसका क्या कारण है। इसका कारण यह है। कि छत्तीसगढ़ के नाम से जो अब अलग से राज्य बनने जा रहा है, उसमें जिन 16 जिलों को सम्मिलित किया गया है, उनके बारे में मुझे इस बात का एहसास है कि उन जिलों में वैसे तो समाज के हर वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन वहां आदिवासी समाज काफी तादाद में रहता है और आदिवासी समाज के साथ-साथ वहां शेडयूल्ड कास्टस के लेग भी काफी तादाद में रहते हैं और पिछड़े वर्ग के लेग भी काफी तादाद में रहते हैं। ये लोग छत्तीसगढ़ इलाके में खनिजों को निकालने का काम करते हैं तथा हर प्रकार की फसल को तैयार कराने में इन लोगों की काफी अहम् भूमिका होती है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐसे लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यही मुख्य वजह थी कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने दुखी होकर वहां आंदोलन शुरू किया कि जब मध्य प्रदेश की सरकार हमारे उपेक्षा कर रही है और हमारे विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है तो फिर हमारा अलग से राज्य बनना चाहिए। इसके लिए छत्तीसगढ़ के लोगों ने लम्बे अरसे तक संघर्ष किया और संघर्ष के बाद यह मामला मध्य प्रदेश की असेम्बली में आया और हमारी पार्टी ने मध्य प्रदेश की असेम्बली में इसका विरोध नहीं किया बल्कि इसका स्वागत किया।

मध्य प्रदेश की असेम्बली में 1994 में जब यह विधेयक पास हुआ तो हमारी पार्टी ने इस विधेयक का समर्थन किया और उसके बाद यह विधेयक केन्द्र सरकार के पास आया। खुशी की बात है कि केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लोगों की भावनाओं को गंभारिता से लेते हुए इस विधेयक को पास करने में दिलचस्पी दिखाई। इसके लिए मैं केन्द्र सरकार का हार्दिक शुक्रिया अदा करती हूं।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करती हूं कि जब माननीय गृह मंत्री जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया तो आपने खुद यह कहा कि छत्तीसगढ़ में जिन 16 जिलों को सम्मिलित कर रहे हैं, उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की संख्या ज्यादा हैं। आपने भी इस बात को ऐडमिट किया है। मैं समझती हूं कि जब आपने भी इस बात को ऐडमिट किया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि वर्तमान जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण कोटा विधान सभा और लोक सभा में आबादी के अनुपात में होना चाहिए। इसकी तरफ आप जरूर ध्यान दें। छत्तीसगढ़ के नाम से जब नये राज्य का गठन होने जा रहा है और जब इस नये राज्य के लिए जो भी बजट का प्रावधान रखा जाएगा और आप सही मायने में चाहते हैं कि उस क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति का विकास हो तो आप इस बात की तरफ भी ध्यान दें कि जब इस नये राज्य का टोटल बजट आएगा तो उसमें से लगभग 21 प्रतिशत कुल बजट की धनराशि अनुसूचित जाति और जनजाति के वैलफेयर पर लगनी चाहिए। जब तक आप इसके लिए अलग से प्रावधान नहीं रखेंगे, मैं समझती हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का विकास नहीं होगा।

सभापति महोदय, मैंने इस विधेयक को पड़ा तो इसमें पेज 42 पर आप देखें जो सातवीं अनुसूची है, उसमें सरकारी कंपनियों की सूची और कुछ निगमों का जिक्र किया है। जिसमें क्रम संख्या 15 और 16 में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा वित्त एवं विकास निगम का प्रावधान है, मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम का प्रावधान है। उसमें कुल 28 निगमों या कंपनियों का या प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का जिक्र किया गया है। लेकिन कहीं भी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का जिक्र नहीं किया गया है। मेरा माननीय गृह मंत्री

[कुमारी मायावती]

जी से निवेदन है कि अनुसूचित जाति के विकास को ध्यान में रखकर, जिस प्रकार मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का प्रावधान है, मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम का प्रावधान है, इसी प्रकार अनुसूचित जाति के विकास को ध्यान में रखकर वहां पर अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का भी प्रावधान होना चाहिए। इसकी तरफ भी आपको ध्यान देने की काफी जरूरत है।

जब कोई भी नया राज्य बनता है तो नये राज्य में बहुत परेशानियां होती हैं। वैसे मध्य प्रदेश राज्य में भी कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी लेकिन ऐसी स्थिति में आपकी केन्द्र सरकार को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि मध्य प्रदेश के जिन 16 जिलों को मिलाकर छतीसगढ़ के नाम से अलग राज्य बनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश की सरकार फिर उसकी ज्यादा मदद नहीं करेगी।

लेकिन उसमें केन्द्र सस्कार की ज्यादा जिम्मेवारी बनती है कि नये राज्य में जो भी दिक्कतें आयें, उन दिक्कतों का समाधान करने आप कोशिश करें। इसी प्रकार विकास से संबंधित महत्वपूर्ण विभाग नये राज्य में अलग से होने चाहिए। इसके साथ-साथ जो महत्वपूर्ण उपकरण हैं, वे भी अलग से होने चाहिए क्योंकि यदि मध्य प्रदेश के साथ उनका मिक्सअप कर दिया गया तो उस क्षेत्र की काफी उपेक्षा होगी और वहां कंट्रोवर्सी बनी रहेगी। मेरा कहना है कि उनको जो भी सुविधायें मुहैया करानी हैं, उनका अलग से स्पष्टीकरण होना चाहिए ताकि छतीसगढ़ के लोगों को कोई दिक्कत न हो। इसके साथ-साथ छतीसगढ़ का जो एरिया है, छतीसगढ़ के नाम से जो राज्य बनने जा रहा है, वह भौगोलिक दृष्टि से काफी फैला हुआ क्षेत्र है। वर्तमान जनगणना के हिसाब से वहां आबादी भी काफी बढ़ चुकी है। इस नये राज्य में आपने 90 विधान सभा सीटों और 11 लोक सभा सीटों का प्रावधान रखा है। यदि वर्तमान जनगणना के आधार पर सोच विचार किया जाए तो मैं समझती हूं कि जनगणना और भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखकर विधान सभा और लोक सभा की सीटें बढ़ाई जा सकती हैं जिससे और वर्गों को इसमें फायदा मिल सकता है।

सभापति महोदय, गृह मंत्री जी ने जो विधेयक यहां बहस के लिए रखा है, छतीसगढ़ के नाम से जो अलग राज्य बनने जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी उसका समर्थन करती है और वह हमेशा छोटे राज्यों की पक्षधर रही है। इस राज्य को बनाने में आगे जो भी दिक्कतें आएंगी, हमारी पार्टी उन दिक्कतों और परेशानियों को हल करने में केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, मैं सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा और कुछ नहीं छिपाऊंगा। *(व्यवधान)* लेकिन बंधुआ मजदूर इससे मुक्त कब होगा यह भी मैं अभी खुलकर बताऊंगा। *(व्यवधान)* आदिवासी जंतर-मंतर में आ गए हैं और आपको खोज रहे हैं। 20,000 से ज्यादा की संख्या में आदिवासी यहां आए हुए हैं। वे आपको बता देंगे कि आदिवासी क्या होते हैं गरीब क्या होते हैं, वे बता देंगे कि जब आदिवासी एकजुट होता है तब क्या होता है।

सभापति महोदय : रघुवंश जी, आप अपना भाषण दीजिए।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति जी, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के इंट्रोडक्शन के समय माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि नया राज्य बने, आम तौर से इस पर सहमति है। लेकिन मैं ख्याल करूंगा कि लोग क्या कहना चाहते हैं और लोगों की क्या राय है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि गृह मंत्री और यह सरकार अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। क्यों झटपट बेचैनी है, क्यों जल्दबाजी है। यह महत्वूर्ण विधेयक है। केवल महत्वूर्ण विधेयक ही नहीं, यह संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक है। इसे लाने में जल्दबाजी क्यों की गई? सदन साक्षी है कि जब भी साधारण विधेयक आता है तो वह आम तौर से स्टैण्डिंग कमेटी में भेजा जाता है मेरा कहना है कि इसे भी क्यों नहीं भेजे गया? क्यों जल्दबाजी की गई? राजनीतिक स्वार्थ में आप क्यों इतने अंधे हो गए? राजनीतिक कारण के सिवा कोई औचित्य नहीं है इस विभाजन का। इससे कोई जनहित और फायदा होने वाला नहीं है, न आदिवासियों का, न गरीब का और न किसी का। मैं यह भी साबित करना चाहता हूं कि *(व्यवधान)* सभापति जी हमने संशोधन दिया है कि इसे परिचालित किया जाए। कानून में भी लिखा है कि राष्ट्रपति जी की अनुशंसा फर्मेटिव सदस्यों के बीच बंटनी चाहिए।

अभी तक नहीं बंटी है, कानून देख लीजिए। बुलेटिन में छप गया कि राष्ट्रपति जी की अनुशंसा मिल गई। नहीं, कानून में लिखते हैं कि राष्ट्रपति जी ने जो वर्बल अनुशंसा दी, वह चिट्ठी सदस्यों के बीच बंटनी चाहिए। कानून में है या नहीं, कोई उसे गलत साबित करे

कहते हैं कि गजट में छपना चाहिए। गजट में क्यों छपना चाहिए? क्या केवल गजट में छपने से कुछ होगा? आप दावा कीजिए कि गजट में छप गया। कितने माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति जी की अनुशंसा देखी है? एक ने भी नहीं देखी। सब लोग बैठ कर सुन रहे हैं देश में कानून चल रहा है। कह दिया कानून की जानकारी न होना क्षम्य नहीं है आम आदमी कानून नहीं जाने तो उसको माफी नहीं सजा हो जाएगी लेकिन कोर्ट में जज लोगों ने कहा कि यह मान गया है कि जज कानून नहीं जानते। इस तरह गड़बड़ी चलती है आप कानून का कितना प्रचार करते हैं। यह गजट में छपना है, लोगों के बीच प्रचारित करना है इसे कितने लोग जानते हैं, कितने लोगों ने गजट पढ़ा है? कानून कितने लोग जानते हैं। जब मल्होत्रा ब्रदर्स किताब छापते हैं तो लोग खरीद कर पढ़ते हैं। आम आदमी क्या जानता है कि संसद में क्या हुआ। बहुत से माननीय सदस्यों को भी नहीं मालूम कि कौन सा जिला कहां गया, अब पता लगा रहे हैं। गौरबाना प्रदेश में आदिवासियों की संस्कृति के हिसाब से वहां मांग है। ये बंटवारे से देश में आग लगवाना चाहते हैं। कहते हैं कि इससे विकास होगा। इससे विकास नहीं होने वाला है। इससे आन्दोलन भड़क रहा है। आज जन्तर-मन्तर में गौरबाना प्रदेश के लोग आए हुए हैं। हमें

देखा है, हम भी राजधानी से आए हैं। हमने देखा कि इतने ज्यादा आदिवासी लोग कहां से आ रहे हैं। जब उनसे पूछा कि आप कहां से आ रहे हैं तो वे कहने लगे कि गौरबाना प्रदेश है और हम लेकर रहेंगे। यदि आदिवासियों की आकांक्षा पूरी नहीं हुई तो एक और उग्रवाद बढ़ेगा। ये बंटवारा नहीं कर रहे हैं बल्कि उग्रवाद को न्यौता दे रहे हैं। कहते हैं कि हम आदिवासियों की भलाई करने वाले हैं।

हमारे हाथ में कागज है। एक पिटीशन लिखी है जिसमें सत्तारूढ़ के सदस्य, मैं आज उनका नाम पढ़ूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात की और कहा कि छत्तीसगढ किस कानून के हिसाब से बनाया है, किस नीति के तहत बनाया है। पहले स्टेट्स रीऔर्गनाईजेशन कमीशन में यह तय हुआ था कि भाषा के आधार पर बनाया जाएगा। यह किस आधार पर बना रहे हैं - संस्कृति, सभ्यता, जनसंख्या, विकास के आधार पर केवल राजनैतिक साधन के लिए बना रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों मिल गए हैं, मैं बता रहा हूं। *(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : बिहार में तो आपके ही साथ हैं।*(व्यवधान)*

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : शहडोल, मंडलावा, बालाघाट संसदीय क्षेत्र को छत्तीसगढ़ में शामिल करने के लिए किया है। उसमें दस्तखत किनके हैं। शहडोल के माननीय सांसद श्री दलपत सिंह परस्ते, क्या हमारी पार्टी के हैं, बिहार के हैं या उधर के हैं।*(व्यवधान)* गृह मंत्री इन्कार करें, लोग इनसे मिले हैं या नहीं। बस्तर क्षेत्र के सांसद, सोहनपट्टा क्षेत्र के सांसद, रामगढ़ क्षेत्र के सांसद, श्री पुन्नू लाल महाले *(व्यवधान)*

श्री ताराचन्द साहू (दुर्ग) : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

सभापति महोदय : प्वांइट ऑफ आर्डर नहीं प्वाइंट ऑफ इन्फौर्मेशन हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री ताराचन्द साहू : इन्होंने पिछली बार भी इस पत्र को लेकर सदन को गुमराह किया था, इस बार भी गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आपने माननीय सदस्य का नाम लिया है?

(व्यवधान)

श्री ताराचन्द साहू : श्री सोहन पोटाई मैं नहीं हूं, वे पीछे बैठे हैं। इसके बाद भी मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के सासंदों का नाम लेकर सदन को गुमराह करने का प्रयास पिछली बार इंट्रोडयूस करते समय किया गया, इस बार भी किया गया है।*(व्यवधान)* मुझे अपनी बात कहने दी जाए।*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी बात दर्ज हो गई है, आप बैठ जाइए। अब आपकी बात प्रोसीडिंग में नहीं लिखी जाएगी।

*(व्यवधान)**

श्री लाल मुनि चौबे (बक्सर) : यह मामला ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का है।*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य चौबे जी, आपको आसन की अनुमति नहीं है, आप बैठ जाइये।*(व्यवधान)*

श्री ताराचन्द साहू : मुझे अपनी बात कहने दी जाये। रघुवंश जी भाषण कर रहे थे तो मैं समझता था कि ये कम से कम हिन्दी पढ़ना तो जानते होंगे, पत्र तो पढ़ लें कि उसमें क्या लिखा है।*(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : कौन है, जो इसे चुनौती दे। आप इसकी जांच करा लें। आप सामने आकर इसकी जांच कराओ, हम इसके लिए तैयार हैं।*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे : आप जब बोलते हैं तो भूल जाते हैं कि बगल में कौन बैठा है।

सभापति महोदय : आप बिना आसन की अनुमति के बोल रहे हैं, आप बैठ जाइये।

श्री लाल मुनी चौबे : आप उनको भूल रहे हैं कि कौन हैं। आप बोलते हैं तो सुनते नहीं हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ये अगर गलत तरीके से बात को उठा रहे हैं*(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : ये बताने वाले कौन होते हैं?*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे : आप सीमा से बाहर जा रहे हैं।*(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : सीमा का ज्ञान कराने वाले आप कौन हैं।*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे : आप सीमा से बाहर जा रहे हैं, माननीय सदस्य को कहने दें।*(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : सीमा हमको मालूम है।*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपसे जीवन भर सीखना है।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : बंसल जी, आप पुराने सदस्य हैं। माननीय चौबे जी, माननीय सदस्य ने स्वयं अपना प्रतिवाद सदन की प्रोसीडिंग्स में दर्ज करा दिया है। डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह ने जिन माननीय सदस्य के नाम का उल्लेख किया है, वे सदन के सदस्य हैं और वे अपनी बात कहने में सक्षम हैं। उनको प्रतिवाद करने का पूरा अधिकार है।

श्री लाल मुनी चौबे : मगर उनके प्रतिवाद करते समय ये बैठते नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप आसन की अनुमति के बिना बोलते हैं, यह अच्छी परम्परा नहीं है। आप बैठ जाइये। रघुवंश प्रसाद सिंह जी के अलावा किसी की बात प्रोसीडिंग्स में दर्ज नहीं की जाये। अब कोई बात दर्ज नहीं हो रही है। माननीय रघुवंश प्रसाद जी की बात को छोड़कर किसी माननीय सदस्य की बात प्रोसीडिंग्स में दर्ज न की जाये।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, 17.05.2000 को माननीय प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री से कौन-कौन मिले - श्री नरेन्द्र सिंह, नेता, फग्गन सिंह कुलस्ते, जो भारत सरकार में राज्य हैं, नन्द कुमार साय, जो मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, बलिराम कश्यप सांसद हैं, दलपत सिंह परस्ते सांसद हैं, पुन्नू लाल मोहले सांसद हैं, पी०आर० खुंटे सांसद हैं, विष्णु देव साय सांसद हैं, चन्द्र प्रताप सिंह सांसद हैं, ज्ञान सिंह पूर्व सांसद, गोविन्द राम मीरी, पूर्व सांसद, सन्त कुमार, युवा नेता, आदिवासी विकास परिषद आदि नेताओं ने प्रधान मंत्री से मिलकर प्रस्तावित विधेयक की विसंगतियों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया और सीधी, शहडोल, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट जिलों को प्रस्तावित छत्तीसगढ़ राज्य में जनभावनाओं के अनुरूप मिलाने की मांग की। माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं, ये इन्कार कर दें कि ये लोग उनसे नहीं मिले हैं तो हम मान लेंगे।...*(व्यवधान)* हम कहां विरोध की बात कर रहे हैं, यह विरोध की बात नहीं है। इन छः जिलों की जनता की जनभावना है, वहां के आदिवासियों का कहना है कि इन जिलों को छत्तीसगढ़ में रखा जाये, यह उनकी मांग है। हम विरोध की बात नहीं कह रहे हैं, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। इतना ही नहीं, मोहन लाल झिकराम पूर्व सांसद हैं, उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी जी को लिखा है कि छः जिलों को छत्तीसगढ़ में रखा जाये। जगन्नाथ सिंह पूर्व सांसद हैं, उन्होंने माननीय अटल जी को लिखा है, मोती लाल जी माननीय पूर्व सांसद हैं, इन्होंने भी प्रार्थना की है कि इन छः जिलों को छत्तीसगढ़ में रखा जाये। राधाकिशन मालवीय जी हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अपनी बात कहिये न। आप इस पर अपने विचार रखिये। जो विषय सामने है, उस पर आप अपने विचार रखिये।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : यह सरकार वहां की जनभावना के अनुसार काम नहीं कर रही है। वहां के विधायक, वहां के एम०पी० सब लोग आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी बातों को लोग इनकार कर रहे हैं। पचासों विधायकों के हस्ताक्षर हैं। सोहन लाल सामरी, संजीव सहाय...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उनका प्रतिवाद वहां की विधान सभा की प्रोसीडिंग में होगा, उसका जिक्र यहां करने की जरूरत नहीं है।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : वहां के विधायक भी मांग कर रहे हैं, उनमें कांग्रेस पार्टी के भी हैं। कांग्रेस पार्टी की सांसद श्रीमती गमंग का संशोधन है, कागज में लिखा हुआ है।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : पर्सनल होता है।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं कब कह रहा हूं कि पार्टी का है। श्रीमती हेमा गमंग का संशोधन है, 15, 16, 17 और 19 से 23 तक उनका संशोधन है- ऐसा लिखा हुआ है।

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, आप पुराने सदस्य हैं, आप अपनी बात रखें।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : हमें जो कागज मिला है, वह हम कह रहे है।

सभापति महोदय : वह तो हो गया, आपने कह दिया।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : कांग्रेस पार्टी की भी एक माननीय सदस्य ने संशोधन दिया है। उधर के भी माननीय सदस्यों ने दिया है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : कांग्रेस पार्टी की माननीय सदस्य ने संशोधन दिया था, वह वापस ले लिया है। अब कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है।

सभापति महोदय : बात खत्म हुई, क्योंकि इस पार्टी के सचेतक महोदय कह रहे हैं कि कोई संशोधन नहीं है।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : हमें कागज मिला है, उसमें है। क्या बंधुआ मजदूरी खत्म हो गई है, वह इधर भी है।

सभापति महोदय : बहुत हो गया, आप अपनी बात कहें और समाप्त करें।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अपनी बात कह रहा हूं। हमें कागज मिला है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक में सांसद श्रीमती हेमा गमंग ने मांग की है, संशोधन प्रस्तुत किया है कि बीधी, गोलमंडलाघाट छत्तीसगढ़ में रखा जाए। यह लिखा हुआ है, इसको कैसे इनकार कर सकते हैं। माननीय सदस्यों का संशोधन मिलता है, हमें भी मिला है, उसी को कह रहा हूं। यह सरकार राजनीतिक स्वार्थ में अंधे होकर काम कर रही है। कानून को ताक पर रख कर काम कर रही है। यह

सरकार वहां की जनभावनाओं का, वहां के माननीय सदस्यों का भी ख्याल नहीं कर रही है। यह सरकार वचन भंग कर रही है। गृह मंत्री जी ने विधेयक के इंट्रोडक्शन के समय कहा था कि हम सबकी राय लेंगे और उनका ख्याल रखेंगे। लेकिन हमारी राय का क्या ख्याल किया, उसके विपरीत कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी के लोगों का भी ख्याल करें। उन आदिवासियों का भी ख्याल करें जो मांग कर रहे हैं कि छः जिले जो कि आदिवासी बाहुल्य हैं, उनको मध्य प्रदेश में क्यों छोड़ रहे हो, हमें भी छत्तीसगढ़ में रखिए *(व्यवधान)* ये लोग जब उस समय यह बन रहा था, इन्होंने नहीं बनने दिया। आदिवासियों को सत्ता में नहीं जाने दिया। इससे आदिवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा और उग्रवाद बढ़ेगा। असम का बंटवारा हुआ, कहते हैं विभाजन होने से विकास होता है।

कौन यह साबित कर सकता है कि विभाजन से विकास होता है? वहां उग्रवाद हुआ है। त्रिपुरा को बांटा गया। वहां के लोगों के हाथ में शासन नहीं गया। वहां उग्रवाद हो रहा है, वहां मार-काट हो रही है। बोडोलैंड रोज बोल रहे हैं, इस तरह से हमने कहा था कि सम्यक विचार करके इस पर होना चाहिए। देश भर में स्टेट री-ऑरगेनाइजेशन कमीशन का गठन होना चाहिए और तब सबकी भावना को देखते हुए एक सम्यक रिपोर्ट आती लेकिन यह मानने वाले नहीं हैं। इसलिए गाड़ी का स्टेयरिंग इन लोगों के हाथ में है। हम पिछली सीट पर बैठे हुए हैं हम तो यह कहेंगे कि ड्राईवर, ठीक से चलो, बांये तरफ चट्टान है, दांये तरफ खाई है, कहीं एक्सीडेंट न हो जाये। लेकिन पिछली सीट पर बैठे हुए आदमी की बात कोई नहीं सुनेगा तो एक्सीडेंट होगा, सब कोई उसमें जाएगा, देश को उसमें भुगतना पड़ेगा, इसीलिए मैं चेतावनी देता हूं कि जन भावना से खासकर आदिवासी, हरिजन, अनुसूचित जाति, जनजाति की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और अपनी पार्टी से पहले बंधुवा मजदूरी खत्म करवाइए। इसमें चौबे जी खड़े हो गये। चौबे जी छब्बे बनना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अपनी बात कहें, दूसरे माननीय सदस्यों के नाम न लें।

(व्यवधान)

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : आदिवासियों की भावनाओं को दबाने की कोशिश हो रही है, इसीलिए सड़क पर लोग आ गये हैं और लड़ाई जारी होगी, गरीब जब उठ खड़ा होगा तो सारा विध्वंस होगा। छत्तीसगढ़ उसका नाम है, चौबीसगढ़ और बारहगढ़ आप लोगों ने कहां छिपाया? आप लोगों ने छल किया। नाम छत्तीसगढ़ और बारहगढ़ को गायब करा दिया। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कंक्लूड कीजिए।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : इसीलिए जल का दीप न जल पाएगा, छल का राज न चल पाएगा, यह मैं इस विधेयक के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जल में जाने के लिए जाने कौन कहां रहेंगे, वहां लोग सड़क पर आ गये हैं, आंदोलन चलेगा। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप पैनल आफ चेयरमैन भी हैं। बैठ जाइए। सदन की मर्यादा का ख्याल रखिए। सदन में और भी काम हैं, कई और भी माननीय सदस्य बोलेंगे। अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : आप तो मध्य प्रदेश में पानी छुड़ा रहे हैं और पसीना भी छुड़ा देंगे, इसीलिए *(व्यवधान)*

श्री कड़िया मुडा (खूंटी) : बिहार के लिए बचाकर रखिए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप क्यों टोकाटोकी में फंसते हैं? अपना भाषण समाप्त करिए।

(व्यवधान)

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं बार-बार कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के हित के साथ खिलवाड़ न करिए। संस्कृति, भाषा, रहन-सहन और इतिहास-भूगोल के हिसाब से इन छः जिलों को वहां के जन प्रतिनिधियों की मांग के हिसाब से, जनता के समर्थन के हिसाब से इन छः जिलों को छत्तीसगढ़ में जोड़ा जाना चाहिए, उस पर भी हमारा अमेंडमेंट है। इसलिए बार-बार कह रहे हैं कि इसमें सुधार करिए और देश को चलाने का काम ठीक से करिए, हम बार-बार आपको चेता रहे हैं।

श्री चन्द्र प्रताप सिंह (सिधी) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक, 2000 का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य पर आज चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, वहां की जनता के लिए यह प्रसन्नता और उल्लास का विषय है। छत्तीसगढ़ जनता के लिए आज का दिन सुखद दिन भी है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पर्याप्त वन संपदा और खनिज भंडार के रहते हुए भी उस क्षेत्र में रहने वाले जो वनवासी, गिरिवासी हैं, उस क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए था, वह समुचित विकास नहीं हुआ है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा आदिवासियों के विकास के लिए जो राशि दी जाती रही है, उस राशि का उपयोग अन्दरूणी क्षेत्रों में समुचित रूप से नहीं हुआ है, इस कारण उस क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ राज्य की परिकल्पना को कार्यरूप में परिणित किया जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ राज्य में सौलह जिले मिलाए गए हैं, लेकिन अधिकांश जिले जिनमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों

[श्री चन्द्र प्रताप सिंह]

का बाहुल्य है, उनको छोड़ दिया गया है, जैसे शहडोल, सीधी मडला और बालघाट आदि। मेरे विचार से इन जिलों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

इतना कहते हुए, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा) : सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 प्रस्तुत किया है, यह निश्चय ही सराहनीय कदम है और मैं इस कदम का समर्थन करता हूं। हमारा दल इस विधेयक का पूरी शक्ति के साथ समर्थन कर रहा है।

महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की मांग लम्बे समय से चली आ रही थी और इस संबंध में कई बार आन्दोलन भी हुए। कई बार आन्दोलन की गति धीमी हुई और तेज हुई तथा विभिन्न दलों के लोगों ने अपनी-अपनी मांगे रखी, लेकिन सभी लोगों ने पृथक छत्तीसगढ़ की की। मैं एक विशेष पार्टी के बारे में नहीं कहना चाहता हूं। ...सगढ़ राज्य की मांग जनभावना से जुड़ी हुई मांग थी, इसमें सभी दलों के लोग शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं और दलों के लोग भी हैं। यह जरूर है कि इस मांग की गति कभी धीमी हुई और कभी तेज हुई। वहां जनता एक पृथक राज्य चाहती थी और उनकी परिकल्पना अब पूरी होने जा रही है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार, हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी जी निश्चित रूप से कृतज्ञता के पात्र हैं। इसके लिए हम गृह मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने यह प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रस्ताव जरूर माननीय गृह मंत्री जी की ओर से आया है, लेकिन मध्य प्रदेश की कांग्रेस की वर्तमान सरकार और इसके पहले पूर्व की सरकार, जो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में थी, उस सरकार ने भी पूरी ताकत के साथ इस बात का प्रयास किया कि छत्तीसगढ़ राज्य बनें। केन्द्र की मांग को उन्होंने आगे बढ़कर पूरा करने में सहयोग दिया। यहां तक कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की राजधानी की घोषणा की और उन्होंने इस बात की भी कोशिश की, छत्तीसगढ़ का निर्माण जल्दी से जल्दी हो। मैं अपने प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री दिग्विजय सिंह जी का भी आभारी हूं और यह एक ऐतिहासिक प्रश्न है, चाहे वह मध्य प्रदेश की विधान सभा का मामला हो और चाहे लोकसभा के सदन का मामला है, यह देखा गया है कि छत्तीसगढ़ के मामले में सर्वसम्मति प्रतीत हो रही है।

छुटपुट थोड़ा विरोध हो रहा है लेकिन 1994 में मध्य प्रदेश की विधान सभा ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद मध्य प्रदेश विधान सभा ने 1998 में सर्वसम्मति से पारित किया और 30 मार्च, 2000 को भी मध्य प्रदेश विधान सभा ने पारित किया। महोदय, एक नयी संस्कृति का उदय हुआ। यह जो एक नयी राजनैतिक संस्कृति सर्वसम्मति की उत्पन्न हुई है, जो हमें देखने को मिली है वह इस विधेयक से मिली है। इसलिए इसमें किसी विशेष व्यक्ति के श्रेय का प्रश्न नहीं है कि हम किसी विशेष पार्टी को या किसी विशेष नेता को ज्यादा श्रेय दें। इसमें सीधा सा प्रश्न है कि इसमें सभी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं।

महोदय, आडवाणी जी ने कहा कि जनभावनाओं को देखते हुए और वहां की विधान सभा ने जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया उसे देखते हुए यह विधेयक लाया गया है। यह जो विधेयक लाया गया है इसके लिए मैं पूर्व में भी धन्यवाद दे चुका हूं, लेकिन यहां बहुत सारे वक्ता, लगभग भारतीय जनता पार्टी के दो-तीन वक्ताओं को हमने सुना, जो हमारे साथी हैं, उनकी वाणी, उनके वक्तव्य में विरोध सा दिखाई दिया। वे बोलने लगे कि मध्य प्रदेश में रहने से हमारा विकास नहीं हुआ। मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं कि हम और आप एक परिवार के सदस्य के रूप में रहे। हमने अगर एक घर में रोटी सूखी खाई तो आपने भी खाई, अगर रोटी में घी लगा हुआ खाया है तो दोनों ने खाया है। आज हर्ष का समय है और इसके साथ इस बात का दुख भी हो रहा है, आज हम एक-दूसरे के बारे में कुछ कहें, यह उचित नहीं होगा, क्योंकि सर्वसम्मत का उदय हुआ है। समूचे मध्य प्रदेश का सदन छत्तीसगढ़ के पक्ष में है, एक अच्छा वातावरण निर्मित हुआ है। हम चाहते हैं कि इस अच्छे वातावरण को और आगे बढ़ाया जाए। अगर हमसे कोई गलती हुई है, मध्य प्रदेश में 45 वर्षों तक हमारा और आपका योगदान रहा, हम इतने वर्षों तक निरंतर एक साथ उठे-बैठे हम लोगों ने अच्छे-बुरे सभी तरह के काम किए। हमारी अच्छे काम में भी आपके साथ भागीदार रही और बुरे काम में भी रही। अगर विकास नहीं हुआ है तो उसमें भी आपकी भागीदारी है, लेकिन जैसे श्यामाचरण जी ने कहा कि जो आज मध्य प्रदेश में असेट्स हैं उनका वेल्यूएशन करके उन्हें पैसा दिया जाए। हमारी भावना कतई दूषित नहीं है। अगर हमारे भाई का हिस्सा मध्य प्रदेश के अंदर है तो हम चाहेंगे कि हमारा भाई उसे ले। अगर उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि कुछ देने में कमी हो रही है तो आप मांगिए। अगर आप अपने को बड़ा मानते हैं तो आप ले जाइए, छोटे भाई के रूप में देखते हैं तो आप कहिए, आपका हिस्सा आपके घर में पहुंचेगा, क्योंकि हम आपकी उन्नति चाहते हैं। 45 वर्षों तक हम लोगों ने साथ काम किया है। हमें दुख है और हर्ष भी है, क्योंकि आपकी भावनाओं की और इच्छाओं की आज कद्र हो रही है। आज आप जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग इस बात के लिए संघर्ष करते चले आए हैं, आज वह लड़ाई आपने जीती है। आज हमारा भाई जब जीता है तो मुझे हर्ष हो रहा है। लेकिन हम इस तरह का वातावरण सदन में निश्चित रूप से नहीं चाहेंगे कि एक छोटी सी श्रेय की भावना को लेकर हम एक-दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालें।

महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात मंत्री जी से कहना चाहता हूं और इस तरफ मैं आपका विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना

चाहता हूं। आपने जनभावनओं की बात की है, आपने कहा है कि जिन विधान सभाओं से सर्वसम्मति से प्रस्ताव आए हैं उन प्रदेशों के निर्माण के बारे में हमने बात कही और सोची।

मैं थोड़ा सा आपका ध्यान विंध्य इलाके की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो रीवा संसदीय सीट के रूप में जाना जाता है। आजादी के बाद सन 1948 में विंध्य प्रदेश की स्थापना हुई और विंध्य प्रदेश का स्वरूप अस्तित्व में आया। सन् 1952 में चुनाव हुए और विंध्य प्रदेश की सरकार बनी और विधिवत सरकार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ी। लेकिन तत्कालीन केन्द्र सरकार के दिमाग में यह बात आई कि बड़े राज्यों का विकास ज्यादा होगा। सन् 1956 में स्टेट रि-ऑरगेनाइजेशन का जो बिल आया, उसमें मध्य प्रदेश एक राज्य बनाया गया और विंध्य प्रदेश का भी विलय उसमें कर दिया। उस समय विंध्य प्रदेश के लोगों ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया और हजारों की तादाद में लोग जेलों में गये और यहां तक कि श्री अजीज गंगा चिंताली विंध्य प्रदेश के संघर्ष में शहीद हो गये। लेकिन इस समय जन-भावनाओं का आदर नहीं हुआ और उसका विलय हो गया।

आज पुन: मध्य प्रदेश की असेम्बली ने 10 मार्च 2000 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि विंध्य प्रदेश की स्थापना की जाये। वह सर्वसम्मति से प्रस्ताव है और वह सरकार के पास और संबंधित व्यक्तियों के पास भी पहुंचाया जाये। जब सर्वसम्मति की बात आई है तो मैं आपका ध्यान उस प्रस्ताव की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें मध्य प्रदेश की असेम्बली ने एक अशासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पास करके केन्द्र सरकार के पास भेजा है। मैं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव पर विचार किया जाये क्योंकि आज मध्य प्रदेश के पुनर्गठन का मामला है और बाद में विलम्ब हो जायेगा। इसलिए इस पर आज विचार करने का समय है। मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर आश्वासन दें। आपने यह बात सही कही है कि जन-भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और वहां की असेम्बली के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए राज्यों के विभाजन करने के प्रस्ताव आये हैं। यदि मध्य प्रदेश की असेम्बली ने एक सर्वसम्मत संकल्प पारित करके आपके पास भेजा है तो उसके बारे में भी हम आपकी राय जानना चाहते हैं। वह भी आपकी जिम्मेदारी है। ऐसी स्थिति पैदा न हो कि विंध्य प्रदेश के लोग उग्र रूप धारण कर लें। यह मांग वहां बड़ी तेजी से उठ रही है और यह विंध्य प्रदेश की जनता की भावनाओं से जुड़ी मांग है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि गंगा और चिंताली और पैदा हों तो आप निश्चित रूप से इस मांग पर विचार करें - मेरा आपसे यही आग्रह है।

यह जो छत्तीसगढ़ का प्रस्ताव लाया गया है मैं उसका पूर्ण समर्थन करते हुए दृढ़ता के साथ यह मांग करता हूं कि विंध्य प्रदेश की स्थापना के बारे में, उसके पुनर्गठन के बारे में आप विचार करें और वहां की असेम्बली ने जो प्रस्ताव पास किया है, उस पर विचार करें।

श्री ताराचंद साहू (दूर्ग) : सभापति जी, छत्तीसगढ़ का विधेयक इस सदन में कुछ समय बाद पारित होने जा रहा है। कुछ माननीय सदस्यों ने विधेयक पेश करते समय भी इसका विरोध किया था और अब भी कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक कोई भी अलगाववादी प्रवृति का परिणाम नहीं है, बल्कि आज के परिप्रेक्ष्य में एक नितांत आर्थिक आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों की समर्थक रही है और उसके तहत ही छत्तीसगढ़ राज्य का विधेयक प्रस्तुत किया गया है। एनडीए की सरकार को, यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को और द्वितीय लौह पुरुष माननीय एल०के आडवाणी को संसद के माननीय सदस्यों को छत्तीसगढ़ की जनता हृदय से धन्यवाद देती है कि इस पर बहस होने के बाद यह प्रस्ताव पारित होने जा रहा है।

मैं प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप नवजात शिशु के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य को देखें। हम उसे उनकी गोदी में सौंपते हैं। उसका लालन-पालन करना आपका कर्तव्य हैं। उसे अपने पैरों पर खड़ा होने तक, उसकी देखरेख करना एन०डी०ए० सरकार की जिम्मेदारी हो। हम यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो केन्द्र के कोष पर हम भार नहीं होंगे अपितु यह संकल्प के साथ कहने को तैयार हैं केन्द्र के कोष को छत्तीसगढ़ की जनता भरने में सक्षम होगी। ये सारी सम्भावनाएं छत्तीसगढ़ में भरी पड़ी हैं। सब लोगों ने विस्तार से जिक्र किया है कि वहां वन सम्पदा, जल सम्पदा और खनिज सम्पदा है। वहां उपजाऊ धरती है, मेहनती इंसान हैं। इतना सब होने के बाद वहां गरीबी, हताशा, निराशा और उत्पीड़न है। वहां ये सारी बातें हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। आपको जान कर आश्चर्य होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता हीरे का मूल्य नहीं जानती। देवभोग में हीरे की खदान है। सौ साल से बच्चे उसे पत्थर समझ कर खेलते रहे। बाहर के लोगों ने जब बोरों में भर कर हीरे को ले जाना प्रारम्भ किया तो छत्तीसगढ़ की जनता को याद आया कि यहां हीरे का विशाल भंडार पड़ा है। स्थिति यह आई कि राज्य सरकार को दस किलो मीटर के क्षेत्र को अपने कब्जे में करना पड़ा ताकि उसे सुरक्षित कर सकें। बैलाडीला के लौह अयस्क के बारे में चर्चा हो चुकी है। वहां सारी सम्भावनाएं भरी पड़ी हैं। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ राज्य अत्यंत निर्धन और गरीब है। इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। गरीबी का चित्रण उस समय पीड़ा से भर जाता है जब तीन लड़कियां विवाह न होने के कारण और आर्थिक तंगी के कारण एक साथ पंखों पर लटक कर आत्महत्या कर लेती हैं। उस मां की दशा का चित्रण कर आप सोचें। जो मां अपने तीन बच्चों को कुंए में फेंक देती है और स्वयं आत्महत्या कर लेती है। आप उस मां के बारे में सोचे जो अपने बच्चे को सल्फाज की गोली खिला देती है। और स्वयं भी खा लेती है। यह स्थिति छत्तीसगढ़ की है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता। हम इस स्थिति से उबरना चाहते हैं। इतना होने के बाद भी हमें वहां की सामाजिक समरसता पर गर्व है। बिहार के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे। जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं वहां कश्मीर से कन्याकुमारी अटक से कटक तक के लोग रहते हैं। जब वे रिटायर होते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि आप अपने घर जा रहे हैं। वे हाथ जोड़ कर कहते हैं कि हम अपने घर नहीं जाएंगे। बिहार के

[श्री ताराचंद साहू]

लोग वहां बड़ी संख्या में रहते हैं। वे हाथ जोड़ कर और आंखों में आंसू भर कर कहते हैं कि हम बिहार की धरती पर नहीं जा सकते। जिस धरती में और जिस छत्तीसगढ़ ने हमारा लालन-पालन किया, इतना प्यार दिया, हम उसे छोड़ कर कैसे जा सकते हैं। हमारे यहां जातीय संघर्ष नहीं होता है। वहां जातीय सदभावना, जातीय सहयोग और सामाजिक समरसता है। यह बिहार नहीं है। आप इस बात का ध्यान रखें। *(व्यवधान)* यह विधेयक हमारे लिए सामान्य कागज के पत्ते नहीं है। यह ग्रंथ से भी महान है। सैकड़ों वर्ष पुराना सपना साकार होने जा रहा है। इससे छत्तीसगढ़ की जनता आनन्दित है। हम किन शब्दों में एन०डी०ए० सरकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें? हमारे पास शब्द नहीं हैं। जैसा मैंने कहा कि वहां दूर-दूर तक अलगाववाद की भावना का नामो-निशान नहीं। केवल आर्थिक विवशता, आर्थिक मजबूरी है। सरकार जो विधेयक लाई, इसके लिए मैं अपनी ओर से, जन प्रतिनिधियों की ओर से अत्यंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं।

सायं 6.00 बजे

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा बताया गया है प्रतिपक्ष के नेताओं द्वारा तय किया गया है कि जब तक विधेयक पर बहस पूरी नहीं होगी, इस सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन करके एक नया प्रान्त का गठन करने संबंधी छत्तीसगढ़ का प्रस्ताव आज इस सदन के सामने विचारार्थ रखा गया है। मैं आज एक अजीब सी स्थिति में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे हार्दिक खुशी इस बात की है कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र के विशाल क्षेत्र के बहुत से लोगों की जनभावनओं की पूर्ति होने जा रही है। यह हम सब के लिये हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। यह स्वाभाविक है क्योंकि हम सब मानव हैं और हम सब की भावनायें इससे जुड़ी हुई है। हम लोग एक दूसरे के साथ एक लम्बे अरसे तक रहते हैं तो हमारा रागात्मकता बढ़ जाता है और भावानात्मक रूप से भी संबंध बढ़ जाता है। जब कभी बिछुड़ने का समय आता है तो थोड़ी सी मन में वेदना भी होती है।

सभापति महोदय, हम आशा करते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हो रहा है, उस क्षेत्र के प्रति हार्दिक हम शुभकामनायें व्यक्त करें। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में इस क्षेत्र का विकास का सपना पूरा हो सकेगा जिसका वे एक लम्बे समय से इंतजार कर रहे हैं, जो उन लोगों का अधिकार है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि सदन में आज विभिन्न पक्षों ने अपने विचार रखे और वहां की सम्पदा, असमानता, प्राकृतिक सम्पदा तथा वहां की भावी संभावनाओं के संबंध में अपने विचार रखे। मैं उन सब से अपनी सहमति जोड़ता हूं। साथ ही इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब माननीय गृह मंत्री इस विधेयक का पुरःस्थापन कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि राजनैतिक भावनाओं से ऊपर उठकर समुचे वर्ग के जनमानस द्वारा लाया गया यह विधेयक है। यह कोई राजनीति का विषय नहीं है और इसमें किसी राजनैतिक दल की पाइंट स्कोर करने की नीयत नहीं है।

सभापति महोदय, मैंने अभी कुछ साथियों के विचार सुने और मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ लोग इस बात को भूल गये कि इस छत्तीसगढ़ राज्य के पुनर्गठन की प्रक्रिया की शुरूआत कहां से हुई थी। इसकी शुरूआत मध्य प्रदेश विधानसभा में हुई थी जब वहां 1994 में कांग्रेस की सरकार थी, सभी दलों ने मिलकर एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदन करके केन्द्र सरकार को भेजा था कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया जाये।

श्री पुन्नू लाल मोहले : मैं उस समय बी०जे०पी० का वहीं विधायक था और हम लोगों ने भी समर्थन किया था।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मैंने न तो आपका और न किसी अन्य दल के योगदान को नकारा है और न नकारने की मेरी कोई मंशा है। मैंने केवल इतना ही कहा है कि हम लोगों ने परस्पर कोई पाइंट स्कोर नहीं किया और यदि सदन की एक राय बनी है तभी यह विधेयक यहां आया है। अन्यथा हमारी भावनाओं के अनुरूप नहीं होता। श्री श्यामा चरण शुक्ला छत्तीसगढ़ क्षेत्र के वरिष्ठ लोगों में से हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास के लिये भारी योगदान दिया है। हमारे कई माननीय सदस्यों ने, चाहे उस तरफ के हों या इस तरफ के हों, उन सब का योगदान रहा है फिर भी मैं सोचता हूं कि अभी सफर लम्बा है और विकास की प्रक्रिया आगे ले जाना बाकी है। मैं इस बहस में लम्बा समय नहीं निकालना चाहता और न मैं लम्बा समय लेना चाहता हूं लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की प्रक्रिया एक-दो दिन में या दो-तीन महीने में पूरी नहीं हो पायेगी, इसमें लम्बा समय लगेगा। यह भावना बनी रहे और मध्य प्रदेश के लोगों का परस्पर सहयोग मिलता रहेगा तो छत्तीसगढ़ राज्य के गठन में सामंजस्य की भावना ही इसका निर्माण है।

जहां तक असेट्स का सवाल है, उनके विभाजन का सवाल है, बंटवारे का सवाल है, ये कुछ ऐसी तकनीकी चीजें हैं जिनके बारे में हम चाहते हैं कि वह सारी प्रक्रिया इतने सहज ढंग से पूरी की जा सके कि जिसमें विवाद के लिए कोई औचित्य, कोई अवसर न बन पाये।

माननीय सभापति जी, अंत में आपको, सदन के सभी माननीय सदस्यों को जिन्होने छत्तीसगढ़ के गठन के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए उसका पुरजोर समर्थन किया है, उन सबको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के जनमानस की जो भावनाएं, इच्छाएं अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं, नये राज्य से उन अपेक्षाओं की पूर्ति में हम सब लोग योगदान कर सकेंगे। केन्द्र अपने स्तर से योगदान कर सकेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अभी लम्बे समय तक एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर सहयोग और सामंजस्य की भावना से अभी आगे का लम्बा सफर तय करना होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं और वहां के

निवासियों और उन सभी दलों के लोगों को बधाई देता हूं, जिन्होंने दलीय भावना से ऊपर उठकर इसके गठन में अपने सहयोग की भावना को व्यक्त किया है।

सभापति महोदय प्रधान मंत्री जी यहां नहीं हैं। श्री आडवाणी जी यहां मौजूद हैं, अन्य लोग भी यहां मौजूद हैं। मैं उन सभी को बधाई देता हूं। हालांकि यह कुछ विलम्ब से हुआ है। हम चाहते थे कि यह विधेयक कुछ और जल्दी आता और जल्दी ही हम उस पर निर्णय ले पाते और शायद उसके गठन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी होती, पर जब सही, तब सही, विलम्ब से ही सही, कम से कम छत्तीसगढ़ के गठन की प्रक्रिया आज हम सब लोग मिलकर पूरी करने जा रहे हैं। इसलिए मैं उनके प्रति और सभी दलों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सदन में श्री रघुवंश बाबू ने जो यहां सवाल उठाया है उसका मैं कड़ा समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल से कई आदिम जातियों के लोग होंगे इधर और उधर, इसका नाम है छत्तीसगढ़।

सभापति महोदय, 1960 में मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ और विदर्भ महाराष्ट्र में चला गया। वहां नामवंत मुख्य मंत्री थे जिनमें कैलाशवासी यशवंतराव चव्हाण, कन्नमवार जी और वसंतराव नाइक मुख्य थे। ये लोग 11 वर्ष तक विदर्भ से मुख्य मंत्री रहे। 1980 में विदर्भ में चला गया। उस वक्त मैं विधायक था, आदिम जातियों की स्थिति देखने के लिए चला गया। बहन मायावती तब इस गांव का मुझे पता चला। मैं पावं-पांव 15 किलोमीटर उधर चला गया। वहां जाकर क्या देखता हूं कि सारे लोग अर्ध्द-नग्न थे। इसलिए मेरा कहना है कि बंटवारे से, राज्य बनने से आदिम जातियों का भला हो जाता है, इसमें मेरा भरोसा नहीं है। माननीय राम नाइक जी को मालूम है, उस वक्त मैंने सवाल खड़ा किया था कि आदिम जातियों के सुधार के लिए ज्यादा पैसा देना चाहिए। मायावती जी ने बोला है कि बजट में दस प्रतिशत समावेश किया, यह उन्होंने बोला है, उन्होंने सच बोला है।

कुमारी मायावती : उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार थी तो हमने एस०सी० और एस०टी० के डेवलपमैंट के लिए टोटल बजट में 21 प्रतिशत अलग से प्रावधान रखा था।

श्री हरिभाऊ शंकर महाले : यह मायावती जी ने बोला है और उनका सुधार हो गया, बंटवारा हो गया। यह बिल पास हो जायेगा। लेकिन आदिम जातियों के बारे में यह सोचना जरूरी है कि लोक सभा और विधान सभा में जो सीटें हैं, वे कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनमें बढ़ौतरी होनी चाहिए। यही मेरी मांग है और इतना ही मेरा कहना है कि बंटवारा तो हो गया लेकिन जो यह 36 का आंकड़ा है इसे विकास के लिए 63 का बनना चाहिए, यह मेरी विनती है।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले आज की चर्चा जिस रूप में हुई है, उसके लिए सदन के सभी दलों और सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके लिए अगर किसी एक व्यक्ति को श्रेय देना चाहिए तो जिन्होंने आज बहस का आरंभ किया विपक्ष की ओर से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री, वहां के वरिष्ठ नेता और जिनके पिताजी का सहज रूप से उल्लेख आज इस बहस में हो गया, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, और उन्होंने जिस प्रकार की एक रचनात्मक शैली की भूमिका बनाई उससे हरेक के मन में जो बात थी, वह प्रकट हुई और कोई यह कह सकता है, किसी ने कहा भी कि यह ऐसा विषय है जिस पर सरकारी पार्टी और प्रमुख विरोधी दल मिल गए, इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी हुई जब केवलमात्र हमारी सरकारी पार्टी नहीं, केवलमात्र प्रमुख विरोधी पार्टी नहीं, लेकिन इस सदन के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और मैं जिस पद पर आज बैठा हूं, वहां के पूर्वाधिकारी और सीपीआई के नेता श्री इंद्रजीत गुप्त ने खड़े होकर कहा कि मैं आज के दिन को ऐतिहासिक दिन मानता हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो रहा है।

सायं 6.11 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासन हुए*]

मुझे बहुत आनन्द हुआ उस समय जब श्री इंद्रजीत गुप्त ने इन शब्दों में इस विधेयक का स्वागत किया। निश्चित रूप से पौने दो करोड़ की जो जनसंख्या है छत्तीसगढ़ की, उनके लिए आज का दिन आनन्द का दिन है, बहुत ,खुशी का दिन है। हिन्दुस्तान के राज्यों के संदर्भ में भले ही लगता हो कि छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है और भले ही बहुत सारे लोगों ने इस बात का स्वागत किया कि छोटे राज्य बन रहे हैं, मायावती जी ने स्वागत किया, और भी कुछ सदस्यों ने कहा कि छोटे राज्य बनना अच्छा है लेकिन दुनिया के देशों को देखा जाए तो पौने दो करोड़ की जनसंख्या कई देशों से ज्यादा है। दुनिया के बहुत सारे देश हैं कि जिनकी कुल जनसंख्या पौने दो करोड़ से कम है और पौने दो करोड़ की जनसंख्या में जब इतनी बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो स्वाभाविक रूप से लगता है कि इस राज्य को गठित करके हम केवलमात्र भारत के नक्शे में एक नया राज्य ही नहीं जोड़ रहे हैं, बल्कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो चाहे जिस कारण से उपेक्षित है, उसकी ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। जो तीन राज्य हम इस सप्ताह में गठित करने जा रहे हैं, उनमें दो राज्य इसी प्रकार के हैं जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या काफी है और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं सभी सदस्यों को जिन्होंने इस बहस में भाग लिया, अंत:करण से धन्यवाद देना चाहता हूं।

सायं 6.14 बजे

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें स्वाभाविक हैं और कहनी भी चाहिए। मुझे जानकारी नहीं थी जो सुन्दर लाल तिवारी जी ने कहा। मैं जाकर देखूंगा क्योंकि उन्होंने मेरा ध्यान इस बात की ओर दिलाया कि मध्य प्रदेश की विधान सभा ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव स्वीकार करके विन्ध्य प्रदेश की भी मांग की है। ऐसा बताया सुन्दर लाल तिवारी जी ने। *(व्यवधान)* वह शासकीय होगा लेकिन सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया है। सरकार ने उस पर क्या टिप्पणी करके भेजा है, मैंने कम से कम देखा नहीं है। आपने ध्यान दिलाया है तो मैं उसको जरूर देखूंगा। जैसे श्यामाचरण जी ने बोलकर आरंभ कर दिया छत्तीसगढ़ी शैली का तो जब छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलने लगे मोहले जी, मैंने सोचा कि पूरा भाषण भी छत्तीसगढ़ी में होता तो किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती।

सभी सहज समझ रहे थे लेकिन वे दो चार वाक्य बोलकर फिर नहीं बोले। लेकिन जब महंत जी बोल रहे थे और पूरा छत्तीसगढ़ का इतिहास सुना रहे थे, सब महापुरूषों के नाम ले रहे थे तब कितने गदगद हो रहे थे, कितने प्रफुल्लित हो रहे थे क्योंकि राज्य बनना और क्षेत्र में हम काम करते रहे हैं खासकर मध्य प्रदेश तो इतना कि उसमें उस छोटे से हिस्से के साथ, छोटे से हिस्से मायने मध्य प्रदेश के आकार की दृष्टि से छोटा, वैसे छोटा नहीं है, उसके साथ जो आत्मीयता का भाव होता है, छत्तीसगढ़ के निवासियों को, वह औरों के साथ नहीं हो सकता है। इसलिए छत्तीसगढ़ के लोग जो भी बोलें, चाहे वह महंत जी बोलें या हमारी ओर से जो भी तीन-चार लोग बोले, ताराचन्द साहू तक वह बड़े प्रसन्न थे, बड़े आनंदित थे, बड़े गद्गद थे। इसीलिए उनको कभी-कभी खटकता था कि कोई भी पार्टी या कोई भी सदस्य ऐसे मौके पर विरोध की भाषा क्यों बोल रहा है। मुझे बहुत खुशी होगी, जिन लोगों ने अपनी थोड़ी बहुत विरोध की भाषा बोली भी हो, वह कम से कम जिस समय यह सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है, उस समय आइज की ध्वनि में अपनी आवाज मिलाकर सर्वसम्मिति से इसे पास करे। इससे मुझे बहुत खुशी होगी। इस प्रकार के विधेयक जब भी पारित होते हैं तो उसमें निश्चित रूप से प्रबंध होते हैं क्योंकि कई सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया कि जब भी नया राज्य बनता है तब उसमें कठिनाइयां आ सकती हैं। उन कठिनाइयां का हल कैसे होगा? उसके लिए क्या प्रावधान हैं? केन्द्रीय सरकार की जवाबदारी होनी चाहिए। मैं उनका ध्यान मध्य प्रदेश रिआर्गनाइजेशन बिल के क्लाज 86 की ओर दिलाना चाहूंगा। ये प्रावधान जितने रिआर्गनाइजेशन्स बिल होते हैं, सबमें होते हैं। उसमें कहा है:-

[अनुवाद]

"यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा, ऐसी कोई भी बात कर सकेंगे, जो ऐसे उपबन्धों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए, उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु ऐसा कोई आदेश, नियत दिन से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।"

[हिन्दी]

अर्थात् राज्य के गठन के बाद भी तीन साल तक केन्द्रीय सरकार को इस बिल के अधीन यह अधिकार होगा कि वह आर्डर के द्वारा किसी कठिनाई को दूर करे और वह कठिनाई ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वह बिल की भावना के खिलाफ जाये, किसी प्रावधान के खिलाफ जाये। लेकिन प्रावधान के खिलाफ न जाकर कोई कठिनाई पैदा होती है तो उस कठिनाई को तीन साल के अंदर हल करने का अधिकार आपने केन्द्रीय सरकार को दिया है, राष्ट्रपति को दिया है। आपने जो अधिकार दिया है, उसके द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि जब हम इसकी प्रक्रिया आरंभ करेंगे तब उसमें कुछ समय लगेगा। उसमें जो कठिनाई आयेंगी, उनको हम हल कर सकेंगे।

बाकी कुछ बातें श्यामाचरण जी ने कही हैं। पानी के संबंध में भी उन्होंने कहा है। मैं उन्हें जरूर देखूंगा। उसमें जो भी करना आवश्यक होगा, अगर मुझे कोई छोटा-मोटा संशोधन लाने की भी जरूरत पड़ती है, ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात है क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले जो प्रावधान था, वह ज्यादा अच्छा था, मैं उसको जरूर देखूंगा। मैं चाहूंगा कि इस बार छत्तीसगढ़ का राज्य बनता है जैसा श्यामाचरण जी ने कहा, वह हिन्दुस्तान के नक्शे का एक भूषण बने। वैसे समृद्धि है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर जो पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उसके बारे में बहुत से लोगों ने जिक्र किया, इंद्रजीत जी ने उनको गिनाया है कि उन सबको ध्यान में रखा जाये तो निश्चित रूप से इस राज्य के बनने के बाद न केवल वहां की जन इच्छा पूरी होगी, बल्कि लोकतंत्रीय इच्छा पूरी होगी इसलिए लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन साथ-साथ निश्चित रूप से समृद्धि भी आयेगी और विकास भी संतुलित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से सदन को धन्यवाद देते हुए प्रस्ताव करता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पास किया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1, डा० रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 और श्री स्वदेश चक्रवर्ती द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 और 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1,2,3 और 4 प्रस्तुत किए गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विद्यमान मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार चर्चा करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2 पंक्ति 25,–

"और सरगुजा के स्थान पर सरगुजा, सीधी, शहडोल, मंडला, बालाघाट, डिनडोरी और उमरिया" प्रतिस्थापित किया जाए।" (5)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं डा० रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा रखे गए संशोधन को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 5 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 और 6 विधेयक में जोड़ दिए गये।

खंड 7

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति 7–

"11" के स्थान पर '10' प्रतिस्थापित किया जाए। (6)

पृष्ठ 3, पंक्ति 9, –

"5" के स्थान पर "6" प्रतिस्थापित किया जाए। (7)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं डा० रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 6 और 7 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 6 और 7 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति 15,–

"29" के स्थान पर "25" प्रतिस्थापित किया जाए। (8)

पृष्ठ 3, पंक्ति 16,–

"11" के स्थान पर "15" प्रतिस्थापित किया जाए। (9)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं डा० रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 8 और 9 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 8 और 9 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 और 11 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 12

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति 32,–

"90" के स्थान पर "119" प्रतिस्थापित किया जाए। (10)

पृष्ठ 3, पंक्ति 33,–

"230" के स्थान पर "201" प्रतिस्थापित किया जाए। (11)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं डा० रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 10 और 11 को सदन के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 10 और 11 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13 से 86 तक विधेयक में जोड़ दिए गये।

प्रथम अनुसूची

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 25, –

पंक्ति 9 से 13 में

"श्री बालकवि बैरागी और श्रीमती माबेल रिबैलो, जिनकी पदावधि 30 जून, 2004 को समाप्त होगी, ऐसा एक सदस्य जिसे राज्य सभा का सभापति श्री दिलीप कुमार जूदेव और श्री झुमुक लाल भेंडिया में से लाट द्वारा अवधारित करे, छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित स्थानों में से एक स्थान को भरने के लिए निर्वाचित समझा जाएगा और अन्य चार आसीन सदस्य मध्य प्रदेश राज्य को आबंटित स्थानों में से चार स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित समझे जाएंगे।"

के स्थान पर

"श्री बालकवि बैरागी और श्रीमती माबेल रिबैलो, श्री दीलीप कुमार जूदेव और श्री झुमुक लाल भेंडिया छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित समझे जाएंगे।"

प्रतिस्थापित किया जाए। (12)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं डा० रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 12 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 12 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"प्रथम अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रथम अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

दूसरी अनुसूची

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 27, पंक्ति 31 के पश्चात्

निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए।

"12. सीधी (अनु० जनजाति)-सीधी, देवसर (अनु० जनजाति), सिंगरोली (अनु० जनजाति) धोहनी (अ०ज०जा०) सीधी गोवदबनास, चुरहट।

13. शहडोल (अ०ज०जा०)-शहडोल, व्यवहारी, जयसिंह नगर, कोटमा (अ०ज०जा०), अनूपपुर (अ०ज०जा०) सोहागपुर, पुष्पराजगढ़ (अ०ज०जा०)।

14. मण्डला (अ०ज०जा०)-नमनपुर (अ०ज०जा०), मण्डला (अ०ज०जा०) निवास (अ०ज०जा०), उमरिया, नरोजाबाद (अ०ज०जा०), ढ़ींडोती (अ०ज०जा०), बीचीया (अ०ज०जा०) बजाग (अ०ज०जा०)।

15. बालाघाट-बेहार (अ०ज०जा०), लोजी, किरनापुर, बरासी वीनी, खेरलोजी, बालाघाट, पासवाडा।" (13)

"पृष्ठ 33, –

पंक्ति 33 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये:-

91. देवसर (अ०ज०जा०)

92. सिंगरौली (अ०ज०जा०)

93. धोहनी

94. गोवदबनास

95. चुरहट

96. सीधी

97. शहडोल

98. व्यवहारी

99. जयसिंह नगर

100. कोटमा (अ०ज०जा०)

101. अनुपपुर (अ०ज०जा०)

102. सुहागपुर

103. पुष्पराजगढ़ (अ०ज०जा०)

104. उमरिया

105. नरोजाबाद (अ०ज०जा०)

106. मंडला (अ०ज०जा०)

107. नानपुर (अ०ज०जा०)

108. निवास (अ०ज०जा०)

109. डिंडोरी (अ०ज०जा०)

110. बिचिया (अ०ज०जा०)

111. बजाग (अ०ज०जा०)

112. शाहपुरा

113. बालाघाट

114. बेहार

115. लोजी

116. किरनापुर

117. बारसिवनी

118. खेरलोजी

119. वेहंगी पहसवारा" (14)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 13 और 14 सदन सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 13 और 14 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

तीसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

चौथी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

पांचवी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

छठी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

सातवीं अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

आठवीं अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं प्रस्तुत करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा कल 1 अगस्त, 2000 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.27 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा, मंगलवार, 1 अगस्त, 2000/ 10 श्रावण, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद(हिन्दी संस्करण)

सोमवार, 31 जुलाई, 2000/9 श्रावण, 1922(शक)

का

शुद्धि - पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
61	7	राजय मंत्री	राज्य मंत्री
102	नीचे से 7	विवरण	विवरण -I
189	10	पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य	पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री
240	1	(घ)	(ग)
308	10	(ग) और (घ)	(ग)

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।